MCOM -12

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

ग्रामीण विकास एवं सहकारिता
(RURAL DEVELOPMENT AND COOPERATION)

पाठ्यक्रम अभिकल्प समिति

अध्यक्ष

प्रो. (डॉ.) बी. एल. वर्मा
कुलगुरु
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

संयोजक एवं सदस्य

संयोजक

प्रो. (डॉ.) अनुरोध गोधा
आचार्य (वाणिज्य)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

सदस्य

प्रो. जे. के. टंडन
सेवानिवृत आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. पी. के. शर्मा
सेवानिवृत आचार्य, प्रबन्ध विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. सोम देव
सेवानिवृत आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. एन. डी. माथुर
सेवानिवृत आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. जे. पी. यादव
आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. गोपाल सिंह
पूर्व निदेशक (शोध)
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. रीटा माथुर
आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

श्री राजेश संड
निदेशक (आर्थिक सेवाएं)
नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल, दिल्ली

प्रो. आशीष माथुर
विभागाध्यक्ष, प्रबन्ध विभाग
हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़ (हरियाणा)

प्रो. एच. आर. गोदारा
सेवानिवृत आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रो. बी. एल. गुप्ता
सेवानिवृत आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रो. एम. डी. अग्रवाल
सेवानिवृत आचार्य (वाणिज्य विभाग)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रो. एम. एल. शर्मा
आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

संपादन एवं पाठ-लेखन

संपादक

प्रो. एम. एल. शर्मा
आचार्य, ई. ए. एफ. एम. विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

सह संपादक

प्रो. (डॉ.) अनुरोध गोधा
आचार्य (वाणिज्य)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

पाठ लेखक

- **डॉ. नवनीत** (इकाई-2,11,12)
  सहायक आचार्य (ई.ए.एफ.एम.)
  राजकीय कन्या महाविद्यालय पीपाड़ सिटी, जोधपुर
- **डॉ. ओ.पी. गुप्ता** (इकाई-3,4)
  सेवानिवृत आचार्य (वाणिज्य)
  डी.ए.वी. कॉलेज, श्री गंगानगर (राज.)
- **प्रो. के.एल. लाठ** (इकाई-13,17,23)
  पूर्व विभागाध्यक्ष (वाणिज्य)
  चिड़ावा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चिड़ावा (झुन्झुनू)
- **डॉ. रूचि शर्मा** (इकाई-1,14)
  सहायक प्रवक्ता
  आर्यभट्ट महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

- **डॉ. अजय वर्मा** (इकाई-8,9,10)
  सह आचार्य (प्रबंधन अध्ययन विभाग)
  स्वामी केशवानंद इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ग्रामोत्थान, जगतपुरा, जयपुर
- **डॉ. विकास बैराठी** (इकाई-15,16)
  सह आचार्य (ई. ए. एफ. एम. विभाग)
  एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. कॉलेज, जयपुर
- **डॉ. शचि गुप्ता** (इकाई-18,19,20)
  सह आचार्य (वाणिज्य) (ई.ए.एफ.एम.)
  सेठ जी. एल. बिहाणी एस.डी.पी.जी. कॉलेज,
  श्रीगंगानगर (राज.)
- **डॉ. प्राची गुप्ता** (इकाई-21,22,24)
  सह आचार्य (वाणिज्य) (ई.ए.एफ.एम.)
  सेठ जी. एल. बिहाणी एस.डी.पी.जी. कॉलेज,
  श्रीगंगानगर (राज.)
- **डॉ. मनोरंजन सिंह** (इकाई-5)
  सहायक आचार्य (लोक प्रशासन)
  राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा
- **डॉ. सागर सांवरिया** (इकाई-6)
  सहायक आचार्य (वाणिज्य)
  राजकीय कन्या महाविद्यालय, नाथद्वारा (राज.)
- **प्रो. रेणु जटाना** (इकाई-7)
  पूर्व प्रोफेसर, डीन एवं संकाय अध्यक्ष
  एम.एल. सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

अकादमिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था

प्रो. (डॉ.) बी. एल. वर्मा
कुलगुरु
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(राजस्थान)

प्रो. बी. अरुण कुमार
निदेशक (अकादमिक)
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(राजस्थान)

डॉ. रवि गुप्ता
प्रभारी
पाठ्यक्रम उत्पादन एवं वितरण विभाग
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा
(राजस्थान)

July 2026

All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any from by mimeograph or any other means, without permission in writing form the V.M. Open University, Kota.
Published on behalf of Registrar V.M. Open University, Kota.

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

विषय सूची

ग्रामीण विकास एवं सहकारिता

इ. स.	इकाई का नाम	पृष्ठ स.
1.	ग्रामीण विकास की अवधारणा	1 - 12
2.	ग्रामीण विकास की व्यूह रचना एवं महत्त्व	13 - 29
3.	ग्रामीण विकास की व्यूह रचना : सामयिक मुद्दे	30 - 46
4.	ग्रामीण विकास प्रशासन	47 - 64
5.	पंचायती राज : संवैधानिक प्रावधान	65 - 75
6.	ग्रामीण विकास-आधारभूत संरचना का विकास	76 - 102
7.	ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं नीतियां	103 - 118
8.	ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं नीतियां	119 - 131
9.	भारत में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम	132 - 143
10.	विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	144 - 155
11.	प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम	156 - 168
12.	महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम	169 - 181
13.	ग्रामीण विकास के वित्तीय स्रोत	182 - 192
14.	पर्यटन एवं ग्रामीण विकास	193 - 203
15.	ग्रामीण विपणन	204 - 216
16.	सहकारिता की विचारधारा	217 - 230
17.	सहकारिता के सिद्धांत	231 - 243
18.	राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का प्रारंभ और विकास	244 - 257
19.	सहकारी साख संस्थानों की संरचना	258 - 267
20.	उपभोक्ता सहकारी समितियां	268 - 281
21.	गृह – निर्माण सहकारी समितियां	282 - 293
22.	औद्योगिक सहकारी समितियां	294 - 309
23.	सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण	310 - 321
24.	राज्य और सहकारिता	322 - 335

इकाई - 1

ग्रामीण विकास की अवधारणा

(BASIC CONCEPTS OF RURAL DEVELOPMENT)

इकाई की रूपरेखा(Outline of the unit)

1.0 उद्देश्य
1.1 प्रस्तावना
1.2 ग्रामीण विकास का अर्थ
1.3 ग्रामीण विकास की संकल्पनायें
1.4 ग्रामीण विकास के बुनियादी तत्त्व
1.5 ग्रामीण विकास की आवश्यकता
1.5.1 ग्रामीण विकास का महत्त्व
1.5.2 ग्रामीण विकास का उद्देश्य
1.6 ग्रामीण विकास की योजनायें
1.7 सारांश
1.8 अधिगम परिणाम
1.9 शब्दावली
1.10 स्व परख प्रश्न
1.11 संदर्भ/ग्रंथ सूची
1.12 अन्य पठन सामग्री
1.13 वेब संसाधन/लिंक

1.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप :

- ग्राम विकास का एक विषय के रूप में उसके बढ़े हुए महत्त्व का वर्णन कर सकेंगे।
- ग्राम विकास की संकल्पनाओं की पहचान कर सकेंगे।
- ग्रामीण विकास के महत्त्व को स्पष्ट कर सकेंगे।
- ग्रामीण विकास के बुनियादी तत्वों का मूल्यांकन कर सकेंगे।

1.1 प्रस्तावना (Introduction)

ग्रामीण विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है - महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा ग्रामों मे बसती है इसका यह मतलब है कि ग्राम है तो देश है। भारत मे ग्रामीण विकास का सूत्रपात महात्मा गांधी ने किया था, ग्रामीण विकास एक विषय के रूप में सभी को आकृष्ट किया है। विकास एक बहुआयामी शब्द है और इसका तात्पर्य है सामाजिक संरचना, सेवाओं और बढ़ते संसाधनों का इस प्रकार उपयोग कर सके ताकि जीवन स्तर मे अनुकूल परिवर्तन आए, विकास की

प्रक्रिया जटिल होती है क्योंकि इसमें सारे तत्वों का समन्वय है - जैसे राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक, अगर हम ग्रामीण विकास की बात करे तो इसका शाब्दिक रूप से अर्थ - समुदाय का विकास या प्रगति से है।

हमारी देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा आज भी ग्रामीण इलाकों में निवास करता है। देश के इस विशाल जनसंख्या की बुनियादी सुविधाओं को सशोधित किये बिना देश का समग्र विकास अधूरा है। ग्रामीण विकास से अभिप्राय है - ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उसके विकास के काम को आत्मपोषित बनाना है।

1.2 ग्रामीण विकास का अर्थ (Meaning of Rural Development)

विकास एक व्यक्तिपरक और मूल्य आधारित अवधारणा है और इसी कारण से इसके अर्थ को लेकर आम सहमति नहीं हो सकती। इस शब्द का प्रयोग विविध संदर्भो में अलग-अलग अलग तरह से हुआ है। मूलरूप से इसका अर्थ है - फैलाना, प्रकट करना, उद्घघाटित करने से है जो अंतनिर्हित है। जब मानव जाति पर प्रयुक्त किया जाता है, तो इसका अर्थ है अपनी क्षमताओं को प्रकट करना या उद्घघाटित करना, आमतौर पर विकास शब्द का अर्थ एक ऐसे परिवर्तन से है जो किसी समय विशेष स्थान अथवा संस्कृति विशेष के लिए उपेक्षित है। यह आवश्यक नहीं है कि वह अन्य स्थानों अथवा उसी स्थान के अन्य समयों एवं समान सांस्कृतिक वातावरण के मामलों मे भी उपेक्षित हो, विकास की सार्वभौमिक रूप में स्वीकार्य परिभाषा के बारे में सोचना असंभव है। लेकिन सामान्यता तौर पर विकास परिवर्तन से जुड़ा हुआ है, यथा समय मे होने वाले परिवर्तनों को भी विकास कहते है। कुछ उदेश्य जो आमतौर पर ग्रामीण विकास की स्वाभाविक स्थिति में शामिल किये जाते है वे इस प्रकार है :

1) प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि (आर्थिक विकास)
2) आय (वाणिज्य) के वितरण में सुधार।
3) राजनैतिक और आर्थिक सवतंत्रता।
4) संसाधनों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल रोजगार के अवसर और न्याय व्यक्तियों तक समान रूप में पहुंचे।
5) ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण मे परिवर्तन लाना

इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि यह अवधारणा व्यक्ति से लेकर समुदायों और राष्ट्र एवं पूरे विश्व के लिए सभी स्तरों पर लागू होती है। विकास की चाहत सभी व्यक्तियों समुदायों और राष्ट्रों को होती है, चाहे वह कही भी रहते हो, या उनकी कोई भी संस्कृति हो या किसी भी धर्म को मानने वाले हो।

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका विश्लेषण दो दृष्टिकोणों से किया गया है संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण संकुचित दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास का अभिप्राय है विविध कार्यक्रमों जैसे कृषि पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना मे बदलाव आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है। व्यापक दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण जनों के जीवन मे गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रोद्योगिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन लाना (विश्व बैंक के अनुसार, 1975) बसंत देसाई (1188) मे भी इसी रूप मे ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास एक अभिगम है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता मे उन्नयन हेतु क्षेत्रीय स्रोतों को बहतर उपयोग एवं संरचनात्मक सुविधाओ के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है, एवं उनके नियोजन एवं आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किए जाते है।

श्री जी पार्थसारथी ने ग्रामीण विकास की परिभाषा इस प्रकार दी थी "ग्रामीण विकास मे विवेचनात्मक तत्व गरीब ग्रामीणों के रहन सहन के स्तर मे उनके भौतिक और मानवी साधनों के उन्नत उपयोग के द्वारा वृद्धि करना है। इसके अभाव मे

ग्रामीण साधनों के उपयोग कोई लाभदायक सार्थकता नहीं है, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को स्वयं धारी या आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूंजी और तकनीकी ज्ञान को गतिशील बनाना ही नहीं अपितु ग्रामीण विकास संस्थाओ को बनाने और उनको सुचारू रूप से चलाने मे ग्रामीणों का सक्रिय सम्बद्ध होना भी आवश्यक है"

ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है। यह मूलत: ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटको के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वाग्रीण विकास में पिछड़ गए है। ग्रामीण विकास को एक ऐसी योजना भी कह सकते है जहां नवीन संसाधनों की खोज करके ग्रामीण समाज की आर्थिक एवं सामाजिक जीवन मे परिवर्तन लाया जा सके। ग्रामीण विकास को हम एक ऐसी योजना भी कह सकते है जो ग्रामीण जनता के रहन सहन मे वृद्धि राष्ट्रीय आय मे वृद्धि उत्पादन तथा उधयोगों मे वृद्धि आदि करके ग्रामीण जीवन मे सुख समृद्धि देने का प्रयास करती है।

1.3 ग्रामीण विकास की संकल्पनाए (Concept of Rural Development)

ग्रामीण विकास की धारणा की कल्पना शोधकर्ताओ द्वारा विभिन तरीकों से की गई जिसमे विभिन उद्देश्य और कार्यक्रम से लेकर अच्छी तरह निर्मित कार्यनीति, दृष्टिकोण या केवल एक विचारधारा भी माना गया है, ग्रामीण विकास के कार्यक्रम अत्यंत व्यापक है जिसमें समाज के सभी अंग सम्मिलित होते है विभिन कार्यक्रमों मे कृषि सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहा है अन्य कार्यक्रम जिसमें समय पर सरकार नियम बनाती है जैसे सिंचाई, शिक्षा, संचार, रोजगार, आवास समाज कल्याण और परीक्षण ग्रामीण विकास के लिए बनाए गए नियम ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के दृष्टिकोण से ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को प्रदर्शित करता है। इस अर्थ में यह एक व्यापक और बहु आयमी संकल्पना है, और इसमें कृषि और सहायक गतिविधियों को ग्रामीण विकास मे शामिल किया गया है। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग और शिल्पकारी, सामाजिक आर्थिक सरंचना बुनियादी ढांचे, सामुदायिक सेवाओं और सुविधाओं और इन सबसे ऊपर ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधनों का विकास भी सम्मिलित है। ग्रामीण विकास को एक तथ्य, एक रणनीति और एक अनुशासन के रूप में माना जा सकता है।

- तथ्य के रूप मे ग्रामीण विकास विविध भौतिक, तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत कारकों के बीच अंतः संबंधों का अंतिम परिणाम है।
- रणनीति के रूप मे इसकी संरचना विशेष वर्ग के लोगों की विशेषता ग्रामीण गरीबों की सामाजिक, आर्थिक समृद्धि मे सुधार हेतु की गई है।
- अनुशासन के रूप मे इसकी प्रकृति बहु अनुशासनिक है जिसमें कृषिगत सामाजिक व्यावहारिक अभियांत्रिक एवं प्रबंधकीय विज्ञानों का प्रतिनिधित्व है।

ग्रामीण विकास एक ऐसी रणनीति है जो समूह विशेष के लोगों ग्रामीण गरीबों पुरुषों एवं स्त्रियों को समर्थ बनाती है, उन्हे एवं उनके बच्चों को उनकी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं से अधिक अर्जित करने के योग्य बनाती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों मे आजीविका तलाश करने वालों मे सबसे गरीब लोगों की सहायता करना शामिल है, ताकि ग्रामीण विकास के अधिक लाभों की मांग की जा सके और गरीबी को नियंत्रित किया जा सके। इस समूह मे छोटे पैमाने के किसान काश्तकार और भूमिहीन शामिल है ग्रामीण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो ग्रामीण व्यक्तियों विशेषता गरीबों के सतत उनयन की ओर प्रशस्त होती है, आर्थिक वृद्धि के अलावा यह रीति रिवाजों और मान्यताओं में भी परिवर्तन दर्शाता है। ग्रामीण विकास की तुलना एक रेल से की जा सकती है जिसमें प्रत्येक डिब्बा अपने से आगे वाले डिब्बों को धक्का देता है, एवं इसी क्रम मे अपने से स्वयं पीछे वाले को धकेला जाता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण रेल को आगे बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन हो। ग्रामीण विकास की सफलता का रहस्य इस बात में छिपा है कि इस रेल के उचित इंजन

की पहचान की जाए और अगर आवश्यक हो तो ऐसे इंजन को विकसित किया जाए। विकास के इस इंजन के कोई दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन यह सबकी पसंद है जो समय स्थान एवं संस्कृति से प्रभावित होती है।

1.4 ग्रामीण विकास के बुनियादी तत्व (Basic elements of Rural Development)

किसी भी समाज के विकास के भौगोलिक स्थान संस्कृति और ऐतिहासिक चरण में कम से कम तीन मूल तत्व होते है जिन्हे सत्य अर्थ या ग्रामीण विकास का गठन मन जाता है।

ग्राम विकास के मूल तत्व

1. **जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं -** लोगो की कुछ बुनियादी जरूरते होती है जिसके बिना जीवन असंभव है या बहुत मुश्किल मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, कपड़ा, आश्रय, बुनियादी सश्रता स्वस्थ और सम्पति की सुरक्षा शामिल है।

   जब इनमे से कोई एक या सभी अनुपस्थित है या गंभीर रूप से आपूर्ति कम है तो हम यह कह सकते है "विकास के आभाव" की स्थिति मौजूद है। सभी के लिए जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान प्रभावित है, सभी अर्थवयवस्थाओ की मूलभूत जिम्मेदारी है चाहे वो पूंजीवादी हो या समाजवादी या मिश्रित। इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता कि आर्थिक विकास (बुनियादी आवश्यकताओं के प्रति मूलधन उपलब्धता में वृद्धि)

2. **आत्मसमान**: हर व्यक्ति और हर देश आत्मसम्मान, गरिमा या सामान की तलाश करते है। आत्मसमान की अनुपस्थिति विकास की कमी को दर्शाता है।

3. **स्वतंत्रता:** इस सन्दर्भ में स्वतंत्रता राजनितिक या वैचारिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सेवा में स्वतंत्रता दर्शाता है।

जब तक एक समाज प्रकृति ज्ञान अन्य पुरुषो संस्थाओ और हठधर्मिता के प्रति पुरूषों की सेवाओं से बंधा हुआ है, तब तक यह दावा नहीं किया जा सकता कि उसने किसी भी रूप में विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया है यह विकास की स्थिति को दर्शाता है।

इसलिए विकास के बारे में पूछा जाये तो तीन प्रश्न आते है - गरीबी क्यों हो रही है, बेरोजगारी क्यों हो रही है, असमानता क्यों हो रही है यदि इन सब क्षेत्रों मे गिरावट आती रहेगी तो निसंदेह: यह कहना बिल्कुल ठीक होगा कि देश के विकास में कमी आ रही है। यदि इनमें से किसी भी उपरोक्त समस्याओ में से, एक या दो में भी गिरावट आने लगे तो विकास का पहिया धीमा हो जायेगा चाहे प्रति व्यक्ति की आय दुगुनी भी हो। इन मूल तत्वों के अलावा कुछ और मुख्य तत्व है जिसपे अगर कार्य किया जाए तो ग्रामों मे विकास तेज गति से होगा -

- ग्रामीण क्षेत्रों मे निर्धनता कम करना
- जैविक खेती को बढ़ाना
- ग्रामीण क्षेत्रों मे शिक्षा और स्वास्थ्य का विस्तार करना
- फसल खेती के अलावा रोजगार के नए साधन खोजना
- पर्यटन को बढ़ाना जिससे आय के नए रास्ते बने
- अधिक मूल्य वाली फसलों के उत्पादन को बढ़ाना

- ग्रामीण क्षेत्रों मे साख सुविधायें उपलब्ध कराना
- भूमि के प्रति इकाई कृषि उत्पादकता को बढ़ाना
- कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना ताकि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिल सके

1.5 ग्रामीण विकास की आवश्यकता (Need of Rural Development)

सदियों से भारत एक विकासशील देश रहा है और भविष्य में भी रहेगा क्योंकि भारत गांव और समुदायों का देश रहा है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मुख्या निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों से हुआ है, और भारत की उच्चतम आबादी ग्रामीण इलाकों में ही वास करती है। अगर हम आंकड़े देखें तो 1990 में 89 प्रतिशत, 1951 में 83 प्रतिशत 1971 में 80 प्रतिशत 1991 में 74 प्रतिशत और 2001 में 72 प्रतिशत थी। ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगो का 742 निम्नलिखित योगदान रहा है इनमें से कृषि और मछली उद्योग भी शामिल है।

भारत अपने कुछ क्षेत्रों में नहीं बल्कि 700000 गाँवों में पाया जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश मे ग्रामीण विकास ही सतत आर्थिक विकास का मूलमंत्र है। ग्रामों का कल्याण किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता, अगर गाँव नहीं होंगे तो भारत भी गायब हो जायेगा। यह भारत इस प्रकार नहीं रहेगा और दुनिया से इसका अस्तित्व खत्म हो जायेगा। ग्रामीण जीवन का पुनरुद्धार तभी संभव है जब इसका शोषण अधिक नहीं होगा। ग्रामीण विकास भारत की तत्काल आवश्यकता है और विकास का पहिया तभी चलेगा जब ग्रामीण विकास होगा। इस तरह ग्रामीण विकास से अनेक समस्याओं का निवारण किया जा सकता है और हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि समग्र देश के विकास के लिए ग्रामीण विकास अत्यंत जरुरी है। ग्रामीण विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता है इसलिए विशेष कारणों से सरकार तथा नीति निर्धारकों का ध्यान ग्रामीण विकास की तरफ गया और इसे जरूरी समझा गया है।

- जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग ग्रामों मे रहता है तथा कृषि और उस से जुड़े हुए व्यवसायों मे लगा हुआ है, यह ग्रामीण विकास का प्रारंभ करने का सबसे महत्त्वपूर्ण कारण है
- कृषि तथा संबंधितः व्यवसाय रोजगार का मुख्य स्रोत है, भोजन कृषि की अतिरिक्त बचत कच्चा माल औद्योगिक तथा शहरी विकास एवं मुद्रा विनियम अर्जित करने के लिए आवश्यक है
- कुछ गंभीर समस्याए जैसे गरीबी असमानता भूमिहीनता बेरोजगारी किसानों की बढ़ती हुई आत्महत्या की दर ग्रामीण विकास को आवश्यक बनाती है
- मानव संसाधनों का विकास जैसे साक्षरता विशेषकर नारी साक्षरता, शिक्षा एवं कौशल का विकास
- ग्रामीण युवाओं बच्चों और महिलाओं को विकसित करना
- कृषि पशुपालन और अन्य कृषि संबंधी क्षेत्रों का विकास करना, सिचाई सुविधा किसानों को प्रदान करना
- राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना अति आवश्यक है

इसलिए ग्रामीण विकास की नीतियों का मुख्य उद्देश्य लोगों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बनाने चाहिए। भारत में ग्रामीण विकास इसलिए आवश्यक है कि कृषि के नियमों को सुधारा जाये सामाजिक तथा आर्थिक संरचना को बदला जाये, आवास की दशा मे सुधार किया जाये किसानों को कृषि योग्य भूमि प्रदान की जाये, जन स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जाये एवं दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान किया जाये।

1.5.1 ग्रामीण विकास का महत्व (Importance of rural development)

विगत कुछ वर्षों से यह अनुभव किया गया है कि ग्रामीण विकास विकासशील देशों के लिए अत्यंत जरूरी है, इसलिए अर्थशास्त्रियों ने इसे विशेष महत्व दिया है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाए रखने के लिए और उसे उसके चौमुखी विकास के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आवश्यक है कि विकास के कार्यकर्मों का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचे, ग्रामीणों को अगर विकास कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा तो देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया मे भी गतिशीलता आएगी और लोगों की आय व उपभोग के स्तर और जीवन स्तर मे भी सुधार आएगा। यह एक कटु सत्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए बिना राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी विकसित नहीं किया जा सकता है, अर्थशास्त्रियों और नीतिकारों ने ग्रामीण विकास का महत्व निम्न कारणों से बताया है:

1. **कृषि विकास:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य सूत्रधार कृषि है क्योंकि कृषि के उत्पाद से ही काफी लोगों को रोजगार मिलता है, अतः बिना कृषि विकास के कार्यक्रम बनाए ग्रामीण विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था विकसित होगी तो ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित होगी।
2. **श्रम शक्ति का उपयोग:** देश की आधी आबादी ग्रामों मे निवास करती है, ग्रामों मे विकास की गतिविधिया अभाव मे रहती है और आर्थिक क्रियाएँ भी अत्यंत सीमित गति से पाई जाती है, जिसके कारण बहुत काम ग्रामीण आबादी को उत्पादक रोजगार प्राप्त हो पाता है, आधी से ज्यादा आबादी को कृषि से ही रोजगार प्राप्त होता है। अतः बढ़ती हुई जनसंख्या का भूमि पर दवाब पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले लोग मौसमी बेरोजगारी, तथा सामान्य बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं से प्रभावित रहते है, अगर ग्रामीण विकास हो तो इन सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है।
3. **स्थानीय साधनों मे कमी:** देश के ग्रामीण इलाकों मे प्राकृतिक साधन जैसे जल वन कृषि खनिज भूमि तथा मानवीय श्रम शक्ति प्रचुर मात्रा मे पाए जाते है किन्तु यहाँ आर्थिक क्रियाओं का अभाव रहता है, आर्थिक कमी के कारण इन संपदाओ का अत्यधिक लाभ नहीं उठा पाते, अनेक क्षेत्रों मे उत्पत्ति के साथ यह साधन या तो अज्ञात पड़े रहते है और अगर ज्ञात भी हो जाते है तो उनका उत्पत्ति के कार्यों मे उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए ग्रामीण विकास का महत्व है। क्योंकि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ही उत्पत्ति कर नई क्रियाओं का प्रारंभ किया जा सकता है, नई क्रियाओं के आने से आर्थिक संसधानों का भी उपयोग किया जा सकता है।
4. **ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों का विकास:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का काफी बड़ा हाथ होता है, इसलिए इनको विशेष महत्व दिया जाता है। यह कुटीर उद्योग ग्रामीणों के जीवन निर्वाह मे भी काफी मददगार होते है, इसलिए इनका विशेष महत्व है। किन्तु ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों की उत्पादकता, तथा लागत की दृष्टि से इनकी स्थिति सोचनीय रहती ही, उत्पादन मे अवैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग न होने के कारण कुटीर उद्योगों का समुचित विकास नहीं हो पाता है, अगर कुटीर और लघु उद्योगों मे वैज्ञानिक उपकरण इस्तेमाल किए जाए तो ग्रामीण विकास को भी गति मिल सकती है।
5. **आर्थिक संरचना का निर्माण:** किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल आर्थिक वातावरण की आवश्यकता होती है, इसका यह मतलब है विकास के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण हेतु आर्थिक एवं औद्योगिक संरचना का पाया जाना बहुत आवश्यक है। आर्थिक संरचना के अभाव मे आर्थिक क्रियाओं का भी विकास नहीं हो पाता है, तथा विकास की गति धीमी हो जाती है और विकास का कार्य भी अवरूद्ध हो जाता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों मे विकास के कार्यों को गतिशील बनाने के लिए आर्थिक संरचना का सर्जन होना अति आवश्यक है।
6. **सहकारिता का विकास:** विकासशील देशों के लिए आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण और निम्न स्तर पर लोकतंत्र का पुनर्गठन मे सहकारिता आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसे एक अस्त्र के रूप मे भी जाना जाता

है, भारत जैसे विकासशील देश के आर्थिक विकास मे सहकारी संस्थाओ का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है, भारत का नियोजन प्रक्रिया मे शुरू से ही ध्यान जाता रहा है, क्योंकि भारत ग्रामों का देश रहा है और यह लगभग 700,000 गाँव है। इसलिए जब तक गाँव की दशा मे सुधार नहीं होता तब तक देश का विकास असंभव है। भारत जैसे विकासशील देश मे ग्रामीण विकास मे सहकारिता की भूमिका नीतिवाद है। ग्रामों मे साधनों के अभाव के कारण यहा के साधारण लोग अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करते है और संपन्न लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, किन्तु सामूहिक रूप से पूंजी के साथ टक्कर ले सकते है, ग्रामीण क्षेत्रों मे गरीबी एवं बेरोजगारी का बोलबाला रहता है, इसलिए सहकारी संस्था ग्रामीण विकास मे कृषि शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

7. **सामाजिक सुविधाओ का विकास :** आर्थिक विकास के अभाव के कारण सामाजिक सुविधाओं का विकास नहीं हो पाता है, ग्रामों मे पेयजल शिक्षा सुविधा मनोरंजन आवास परिवहन संचार स्वास्थ्य आदि सुविधाओं का अभाव रहता है अगर विकास के कार्यक्रमों मे गति आएगी तो ग्रामों मे यह सामाजिक सुविधायें भी विकसित होगी इसलिए ग्रामीण विकास का काफी महत्व है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में।

1.5.2 ग्रामीण विकास का उद्देश्य (Purpose of rural development)

भारत के भविष्यवक्ता महात्मा गांधी ने ग्रामीण विकास के उदेश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि अहिंसक समाज मे कोई किसी का शत्रु नहीं होगा, सब अपना काम करेगे, कोई दरिद्र नहीं होगा और परिश्रम करने वालों को बराबर काम मिलता रहेगा कही भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, जुआ, व्यभिचार या व विग्रह के लिए कोई गुंजाइश नहीं होगी, धनी लोग अपने धन का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करेंगे। ग्रामीण विकास का लक्षण यही है की भारत मे एक ऐसा प्रजातन्त्र हो जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओ के लिए आत्म निर्भर, जन सहयोगी एवं विकास के पथ पर निरंतर चलता रहे।

ऐसी स्वराज भारत की कल्पना की थी महात्मा गांधी ने और इन्ही कल्पनाओं के आधार पर नीतिकारों ने ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्य बताए हैं -

- ग्रामीण निर्धनता को दूर कर जीवन स्तर को उन्नत करना
- शिक्षा एवं संस्कृति का प्रसार करना
- लोकतंत्रीय भावना उत्पन्न करना एवं स्थानीय शासन की स्थापना करना
- ग्रामीण जीवन को समृद्धिशाली बनाना
- जन सहयोग द्वारा ग्रामों मे आर्थिक उन्नति के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना
- मनोरंजन एवं सहकारी संस्थाओ की स्थापना करना
- सभी ग्रामीणों के लिए रोजगार पैदा करना
- जन स्वास्थ्य एवं ग्राम स्वच्छता का ध्यान रखना
- भूमि व संपत्ति का समान निवारण कर वर्ग से भेद भाव का निवारण करना
- ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि उत्पादकता मे वृद्धि करके कुल उत्पादन को बढ़ाना
- गाँव को आत्मनिर्भर बनाना

- देश के आर्थिक विकास मे ग्रामीणों की भागीदारी को बढ़ाना
- ग्रामीण लोगों को रचनात्मक ऊर्जा को वास्तविक रूप देना
- सम्पूर्ण ग्रामीण श्रम को आर्थिक क्रिया कलाप को मुख्य धारा से जोड़ना
- बुनियादी सुविधाओ का विकास करना
- जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना
- कृषि को विकसित करना
- रोजगारों के अवसरों को सृजन करना
- शिक्षा मे गुणात्मक परिवर्तन लाना
- ग्रामीण दबाब मे कमी लाना
- सामाजिक आर्थिक विकास मे स्थानीय समानता लाना
- ग्रामीण जनता को जागरूक कर उनके शोषण पर रोक लगाना
- भूमि धीरता उपयुक्त इकाईओं का गठन एवं सहकारिता पर आधारित कृषि को विकसित करना
- श्रमदान की भावना जागरूक कर स्वयं सेवा का भाव पैदा करना
- सामूहिक जीवन व्यतीत करने का परीक्षण देकर संगठन की भावना मे वृद्धि करना
- विकास व्यवस्था एवं यातायात के साधनों की उन्नति करना
- जातिवाद व संप्रदायवाद को समाप्त करने का प्रयास करना

स्व-मूल्यांकन - प्रथम

1. निम्नलिखित में से कौनसा ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य है –

अ) केवल शहरी क्षेत्रों का विकास ब) ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक सुधार

स) शिक्षा का विकास द) कृषि उत्पादन को बढ़ाना

2. मनरेगा योजना किससे सम्बंधित है –

अ) शिक्षा सुधार ब) रोजगार की गारंटी

स) महिला सशक्तिकरण द) कृषि उत्पादन में वृद्धि

3. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य क्या है –

अ) ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करना

ब) शहरी क्षेत्रों का सड़क निर्माण

स) ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ना

द) ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति करना

4. कौनसी योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर केन्द्रित है –

अ) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ब) स्वच्छ भारत मिशन

स) स्वयं सहायता समूह द) मनरेगा योजना

उत्तर - 1 (ब) 2 (ब) 3 (स) 4 (स)

1.6 ग्रामीण विकास की योजनायें (Programme of Rural Development)

समय समय पर ग्रामीण विकास के लिए सरकारे तरह तरह की योजनायें बनाती है जो इस प्रकार है -

1) **स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का परीक्षण:** इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1979 को हुई थी और इस योजना का मुख्य लक्ष्य 18-35 आय वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों ग्रामीणों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था।

2) **कुटीर ज्योति कार्यक्रम:** इस योजना को 1988-1989 मे शुरू किया गया था, इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाती और जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों के जीवन मे सुधार लाना और इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को अपने घरों मे एकल पॉइंट वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है ।

3) **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:** इस योजना को 25 दिसम्बर 2000 को शुरू किया गया था, प्रारंभ मे यह योजना केंद्र द्वारा वित्तपोषित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों मे और 250 से अधिक आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों मे सभी मौसमों के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध कराना था।

4) **अन्तोदय अन्न योजना:** इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपई ने 25 दिसम्बर 2000 को की थी, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 2 करोड़ परिवारों को बहुत ही रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।इस योजना के तहत 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेंहू दिया जाता है।

5) **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:** यह योजना 12 अप्रैल 2004 को शुरू की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों मे भी सबसे गरीब परिवारों को सुलभ सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवायें प्रदान कराना था, इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना (आशा शुरू) की गई थी।

6) **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना:** यह योजना फरवरी 2006 से शुरू की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे परिवार के लोगो को काम करने का अधिकार प्रदान करना था।

7) **आम आदमी बीमा योजना:** इस योजना को 2 अक्टूबर 2007 को शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 200 रुपए का प्रीमियम साझा किया जाता है।

8) **राष्ट्रीय ग्रामीण अजाविका मिशन:** यह योजना 2011 मे शुरू की गई थी, और देश भर मे महिलाओं के स्वयं सहायता मॉडेल को सशक्त करने के लिए शरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार द्वारा 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रुपए तक की कर्ज की सुविधा प्रदान करती है।

9) **रोशनी: आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजना:** इस योजना को 7 जून 2013 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 नक्सल प्रभावित जिलों मे आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक नई कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया था, इस योजना का नाम रोशनी है जिसके तहत 10-35 आयु वर्ग के लगभग 5000 युवाओं

को तीन साल तक परीक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

10) **दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना:** यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए बनाया गया एक कौशल विकास कार्यक्रम है, यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98 वीं जयंती के शुभ अवसर पर 25 सितम्बर 2014 को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकया नायडू द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 15-35 आयु वर्ग जो ग्रामीण इलाकों मे रहते उनको लाभ पँहुचाना है।

11) **स्वच्छ भारत मिशन:** यह योजना महात्मा गांधी की जयंती पर 23 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, इस योजना का मुख्य उदेश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता सुविधाओं के रूप मे शौचालय की व्यवस्था ग्रामों की साफ सफाई की व्यवस्था और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति करना है।

12) **सांसद आदर्श ग्राम योजना:** यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई, इस कार्यक्रम के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य तीन ग्रामों मे संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी लेंगे।

13) **विरासत विकास और संवर्धन योजना:** यह योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सांस्कृतिक विकास की रक्षा और उसे पुन: जीवित करना है।

14) **ग्राम अनाज बैंक योजना:** इस योजना को खाध एवं सार्वजनिक विभाग द्वारा लागू किया गया था, और इस योजना के तहत जरुरतमन्द लोग गाँव के अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकते है और जब उनके पास पर्याप्त मात्रा मे भोजन उपलब्ध हो जाए तो वे अनाज वापिस कर सकते है, इस योजना के तहत भुखमरी कम करना था।

लघु स्तरीय प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न. 1 ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का प्रमुख साधन क्या है?

उत्तर.1 ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका प्रमुख साधन कृषि है।

प्रश्न. 2 राराष्ट्रीय विकास का केंद्रीय बिंदु क्या है ?

उत्तर. 2 राष्ट्रीय विकास का केंद्रीय बिंदु ग्रामीण विकास है।

प्रश्न. 3 ग्रामीण विकास को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है ?

उत्तर. 3 आज भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है और कृषि का उत्पादन अत्यधिक कम है, अतः भारत की वास्तविक उन्नति के लिए ग्रामीण उन्नति आवश्यक है।

प्रश्न. 4 ग्रामीण विकास से क्या आशय है ?

उत्तर.4 ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक निम्न वर्ग के लोगो के जीवनशैली में सुधार लाना और उन विकास क्रम को आत्मपोषित बनाना।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

प्र. 1 ग्रामीण विकास क्या है?

उ. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढाँचे का सुधार करना ग्रामीण विकास कहलाता है।

प्र. 2 स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य क्या है?

उ. स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य स्वच्छता में सुधार और खुले शौच को समाप्त करना है।

प्र. 3 प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उद्देश्य क्या है?

उ. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है।

प्र. 4 ग्रामीण विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक कौनसा है?

उ. कृषि और बुनियादी ढाँचे का विकास ग्रामीण विकास का सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है।

1.7 सारांश (Summary)

इस इकाई को पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण विकास से लोगों की खाली आर्थिक स्थिति ही नहीं बदलती बल्कि सामाजिक स्थिति में भी बदलाव होता है देश विकास के पथ पर तभी चल सकता है जब ग्रामीण विकास की प्रक्रिया और कार्यकर्मों में गति आएगी कोविड महामारी के बाद देश गहन आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस आर्थिक संकट से भारत तभी बाहर आ सकता है जब गावों का विकास होगा। यह बात तो साफ हो चुकी है कि जब तक कोई चमत्कारी परिवर्तन नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्र मे पिछड़ापन रहेगा। आज ग्रामीण क्षेत्रों मे नई ऊर्जा का संचार करना होगा और उत्पादन कार्य बढ़ाने होंगे तभी ग्रामों का विकास होगा, ये कार्य हो सकते है सब्जी उत्पादन, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन मत्स्य पालन। कृषि हित नीतियाँ बनानी होगी और पर्यटन को भी बढ़ावा देना होगा तभी ग्रामों का विकास हो पाएगा।

1.8 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. छात्र ग्रामीण विकास की परिभाषा, समाज और देश के आर्थिक विकास के महत्त्व को समझ सकेंगे।
2. छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढाँचे जैसी प्रमुख समस्याओं की पहचान कर सकेंगे।
3. छात्र ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों जैसे – मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
4. छात्र ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण स्थिरता के साथआर्थिक और सामाजिक विकास की आवश्यकता को समझेंगे।

1.9 शब्दावली (Glossary)

- **ग्रामीण विकास :** रहन सहन और भौतिक और मानव संसाधनों में वृद्धि करना।
- **आर्थिक विकास :** प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि।
- **प्रोधोगिकी उपगम :** सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक कारको की तुलना में वह कार्य योजना जिसमे प्रोधोगिकी पहलु पर अधिक जोर दिया जाता है।

1.10 स्व-परख प्रश्न (Self tested Questions)

1. भारत में ग्रामीण विकास की क्यों आवश्यकता है? विस्तार पूर्वक लिखिए।
2. ग्रामीण विकास की अवधारणा संक्षेप में समझाए।
3. भारत सरकार ने समय समय पर ग्रामीण विकास के लिए काफी योजनायें शुरू की, उनका संक्षेप मे वर्णन कीजिए।
4. ग्रामीण विकास के मूल तत्व क्या है? विस्तार पूर्वक लिखिए।

5. भारत मे ग्रामीण विकास क्यों जरूरी है इसको ध्यान मे रखते हुए ग्रामीण विकास के महत्व का वर्णन कीजिए।

6. ग्रामीण विकास के क्या उद्देश्य है संक्षेप मे वर्णन कीजिए।

1.11 संदर्भ/ ग्रंथ सूची (References/ Bibliography)

- असलम एम , "इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इन – एशिया", मनोहर पब्लिकेशन नई दिल्ली, 1993
- जनक सिंह मीणा, "ग्रामीण विकास के विविध आयाम", 2000
- डॉ. हितेंद्र यादव, "आजादी के बाद ग्रामीण भारत का राजनितिक एवं सामाजिक विकास अखंड प्रकाशन", नई दिल्ली, 2000
- राजीव पाठक, "भारत में ग्रामीण वीएक्स यथार्थ और चुनोतियाँ" : रजत प्रकाशन नई दिल्ली, 2012
- आलम, महबूब,"ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम" ओमेगा पब्लिकेशन्स नई दिल्ली, 2014
- कुरुक्षेत्र," ग्रामीण भारत मे सामाजिक बदलाव", प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 2015
- रामफल जाट, "जन सहभागति एवं ग्रामीण विकास" ऐ. ऐ. डी. प्रकाशन नई दिल्ली, 2015

1.12 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- वार्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली
- योजना-योजना आयोग भारत सरकार

1.13 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- **http://haryanadp.gov.in/PhotoGallery/ActsAndRules/Gramin%20Vikas%20Yojnayen%20(Ek%20Margdarshika).pdf**
- **https://ncert.nic.in/textbook/pdf/khec106.pdf**
- **https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/85187/1/Unit-2.pdf**

इकाई – 2

ग्रामीण विकास की व्यूह रचना एवं महत्त्व

(Strategy and Significance of Rural Development)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का अर्थ

2.3 ग्रामीण विकास नीतियां एवं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किये गये प्रयास

2.4 ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2.5 ग्रामीण विकास के लिए सुविधाएं

2.6 ग्रामीण विकास का महत्त्व

2.7 सारांश

2.8 अधिगम परिणाम

2.9 शब्दावली

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.11 स्व-परख प्रश्न

2.12 संदर्भ व ग्रन्थ-सूचि

2.13 वेब संसाधन/लिंक/अन्य पठन सामग्री

2.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- ग्रामीण विकास की व्यूहरचना अर्थ समझ सकें।
- ग्रामीण विकास के लिए भारत में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्या-क्या नीतिगत प्रयास किये गये।
- देश में कौन-कौन से ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं।
- सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार की सुविधाएं करवाई जा रही है।
- ग्रामीण विकास का महत्त्व समझ सकें।

2.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत गाँवों का देश है। भारत की लगभग दो तिहाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अगर सही अर्थों में भारत का विकास करना है तो वह ग्रामीण विकास के द्वारा ही सम्भव है।

भारत में ग्रामीण विकास की शुरुआत सहकारी समिति अधिनियम, **1904** पारित होने के साथ होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण विकास में बढ़ोतरी हुई।

ग्रामीण विकास का अर्थ ऐसी नीतियों, सुविधाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से लिया जाता है जिनके माध्यम से सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्भव हो।

जी. पार्थसारथी के अनुसार ''ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, ग्रामीण उद्योग एवं हस्त-कौशल तथा सामाजिक व आर्थिक ढाँचे के निर्माण हेतु उपलब्ध भौतिक व मानवीय साधनों के पूर्णतम उपयोग के द्वारा ग्रामीण जनता की आय तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के उद्देष्य से अपनाई गई व्यूह रचना, नीतियों तथा कार्यक्रमों का समन्वय है।''

इस प्रकार ग्रामीण विकास अपने आप में बहुत बड़ा आयाम है जिसमें सर्वाधिक ध्यान ग्रामीण समाज के सबसे कमजोर वर्ग, विशेष रूप से सामाजिक व आर्थिक पिछड़े वर्ग पर दिया जाता है।

तत्पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के विभिन उपक्षेत्रो जैसे - रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, विद्युत, कृषि, विकास, महिला शिक्षा, दलित व पिछड़ों का उत्थान, आर्थिक व राजनितिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, भूमिहीन कृषकों व मजदूरों का कल्याण, पंचायती राज को आर्थिक अधिकार देना, ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, क्षेत्रीय संसाधनों का सही उपयोग, ग्रामीण आधारभूत सरंचना का विकास आदि कार्य शामिल हैं।

2.2 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना (Strategy of Rural Development)

ग्रामीण विकास व्यूह रचना का अर्थ केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गये विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यकर्मो, ग्रामीण विकास की नीतियों एवं ग्रामीण विकास की सुविधाओं से है, जिनका मुख्य उद्देश्य गांवों का सम्पूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण करना होता है।

ग्रामीण विकास व्यूह रचना के भाग (Parts of Rural Development Strategy)

2.3 ग्रामीण विकास नीतियां एवं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत किए गये प्रयास (Rural development policies and efforts made under five year plans)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास के लिए प्रत्यक्ष व परोक्ष कदम उठाए जाने लगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का मुख्य साधन कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्य ही थे। अतः उस समय कृषि विकास को ही ग्रामीण विकास के रूप में देखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों तक भारत में ग्रामीण व कृषि विकास के लिए कोई विशेष नीति नहीं बनाई गई।

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ग्रामीण विकास से सम्बन्धित नीतियाँ निम्न प्रकार हैं -

1. **सामुदायिक विकास परियोजना (Community Development Project):** इस परियोजना को 02 अक्टूबर 1952 को प्रारम्भ किया गया। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य सतत कृषि उत्पादन वृद्धि, संचार, ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं का विस्तार आदि थे।
2. **सहकारी कृषि (Co-operative Farming):** 1956 में सहकारी खेती का अध्ययन करने के लिए श्री एस.के.पाटिल के नेतृत्व में गठित एक शिष्टमंडल द्वारा सौंपे गये प्रतिवेदन में भारत के लिए सहकारी कृषि को लाभप्रद बताया गया, किन्तु भारत में सहकारी कृषि अवधारणा लगभग असफल रही।

3. **पंचायती राज के द्वारा लोकतंत्र विकेंद्रीकरण (Democratic Decentralisation through Panchayati Raj):** प्रधानमत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा नागौर (राजस्थान) में 02 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज लागू किया गया। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।
4. **सघन कृषि जिला कार्यक्रम (Intensive Agriculture District Programme):** इस कार्यक्रम की शुरुआत 1961 में हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ऋण, तकनीकी जानकारी तथा कृषि आदानों के द्वारा कृषि उत्पाद बढ़ाना है।
5. **गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम (Intensive Agriculture Area Programme):** इस कार्यक्रम की शुरुआत सन् 1964 में हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट फसलों पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया।
6. **हरित क्रांति (Green Revolution):** सन् 1966 में कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ाने के लिए अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग बढ़ाया गया तथा साथ में भूमिगत जल संसाधनों का विस्तार, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कृषि यंत्रों व उपकरणों आदि का विस्तार शामिल है।
7. **विशिष्ट क्षेत्र आधारित कार्यक्रम (Special Area Programmes):** विशिष्ट क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1973-74 में सूखा सम्भाव्य क्षेत्र कार्यक्रम से हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपत्पादन, पशुधन, जल व मानव संसाधनों पर सूखे के प्रभावों को न्यूनतम करना है।
8. **राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना (Establishment of National Seed Corporation):** सन् 1963 में इस निगम की स्थापना गेहूँ, बाजरा, ज्वार, कपास, चावल आदि के उत्पादन में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग बढ़ाने के लिए की गई।
9. **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना (Establishment of Commission for Agriculture Costs and Prices):** इस आयोग की स्थापना जनवरी, 1965 में की गयी। यह आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है।
10. **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Need Programme):** इस कार्यक्रम की शुरुआत सन् 1975 में पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत हुई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए कार्य करना है।
11. **काम के बदले अनाज कार्यक्रम (Food For Work Programme):** इस कार्यक्रम की शुरुआत 1977 में हुई। इस कार्यक्रम के द्वारा अकुशल शरीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों को काम के बदले अनाज दिया जाता था।
12. **छठी पंचवर्षीय योजना में नीति (Policy in Sixth Five Years Plan):** इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
13. **सांतवी पंचवर्षीय योजना में नीति (Policy in Seventh Five Years Plan):** इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, भूमि सुधार, ग्रामीण लोगों की सहभागिता पर बल दिया गया।
14. **आठवीं पंचवर्षीय योजना में नीति (Policy in Eighth Five Years Plan):** इस पंचवर्षीय योजना में सभी गांवों तक पेयजल, टीकाकरण सहित प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान तथा पंचायती राज संस्थाओं की नई भूमिका पर ध्यान दिया गया।
15. **नवीं पंचवर्षीय योजना में नीति (Policy in Ninth Five Years Plan):** इस पंचवर्षीय योजना में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना, पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत जैसे कार्यों पर ध्यान दिया गया।

16. **दसवीं पंचवर्षीय योजना में नीति (Policy in Tenth Five Year Plan):** इस पंचवर्षीय योजना में भारत निर्माण जैसी योजना को लाया गया जो ग्रामीण विकास के कई क्षेत्र शामिल करती है।
17. **ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में नीति (Policy in Eleventh Five Years Plan):** इस पंचवर्षीय योजना में विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की विषमताओं को दूर करने के प्रयास किये गये। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई।
18. **बाहरवीं पंचवर्षीय योजना (Twelth Five Years Plan):** इस पंचवर्षीय योजना में सकल सिंचित क्षेत्र को 90 मिलियन हेक्टेयर से बढ़ाकर 103 मिलियन हेक्टेयर करना, सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना, ग्रामीण टेली-घनत्व को 70 प्रतिशत करना आदि लक्ष्य निर्धारित किए गए।

2.4 ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Rural Development Programmes)

1. **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme):** इस कार्यक्रम का प्रारम्भ भारत में सन् 1952 में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं –
   I. कृषि उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना।
   II. ग्रामीण शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना।
   III. ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाओं में वृद्धि करना।
   IV. ग्रामीण क्षेत्रों में सामजिक व आर्थिक जीवन में सुधार करना।
   V. ग्रामीण जन सामान्य को आत्मनिर्भर बनाना।
2. **लघु कृषक विकास योजना (Small Farmer Development Agency):** इस योजना को वर्ष 1971 में प्रारम्भ किया गया था। लघु कृषक योजना को वर्ष 1971-72 में RBI द्वारा स्थापित भारतीय ऋण समीक्षा समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई। यह योजना देश के कुछ चुनिदा जिलों में शुरू की गई थी।
   इसका वित्त-पोषण केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 25% (गैर-आदिवासी किसानों) से लेकर 50% (आदिवासी किसानों) तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया था।
   सन 1980 में इस कार्यक्रम को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) और सीमांत किसान एवं कृषि श्रमिक विकास एजेंसी (माफाल्ड) के साथ विलय कर दिया गया।
3. **सूखासंभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme):** इस कार्यक्रम को एक समग्र क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के रूप में 1973-74 में प्रारम्भ किया गया। शुरुआत में इस कार्यक्रम का 50 प्रतिशत वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया गया था। 1999 से केंद्र द्वारा केंद्र व राज्य का खर्च क्रमश: 75:25 के अनुपात में कर दिया गया। इस कार्यक्रम का प्रारम्भ उन विशेष क्षेत्रों के लिए किया गया, जिन क्षेत्रों में अत्यधिक सूखे की समस्या रहती है।
   इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :-
   i. उचित प्राकृतिक संसाधन तकनीक के माध्यम से पर्यावरणीय सरंक्षण व पारिस्थितिकी संतुलन करना।
   ii. पशुधन व मानव जाति पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।
   iii. फसल प्रबन्धन तकनीको के माध्यम से कृषि योग्य भूमि का उचित उपयोग व गैर कृषि योग्य भूमि का विकास करना।
   iv. भूमि व जल संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सूखे के विपरीत प्रभावों को कम करना।
   वर्तमान में यह कार्यक्रम राजस्थान के 11 जिलो में संचालित किया जा रहा है।

4. **मरु विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme):** इस कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 से की गई। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम का सम्पूर्ण वित्तभार केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता था, जिसे 1 अप्रैल 1999 से बदल कर केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में कर दिया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थली क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोकना, कृषि तथा वानिकी का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का सरंक्षण करना, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना, भूमिगत जल का विकास करना आदि है।

   सन 1995-96 से यह कार्यक्रम 07 राज्यों के 40 जिलों के 227 खण्डों में चलाया जा रहा है। वर्तमान में यह कार्यक्रम राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आंध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं जम्मू कश्मीर में क्रियान्वित किया जा रहा है।

   भौतिक प्रगति :- इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1995-96 से 2005-06 तक 13476 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी, जिसमें कुल 67.38 लाख हेक्टेयर शुष्क क्षेत्र शामिल है। 1995-96 से 1998-99 तक स्वीकृत 2194 परियोजनाएं स्वीकृत हुई, जिनमें से 1894 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है एवं 300 परियोजनाएं जो पूर्ण होने वाली थी, की वित्तीय सहायता रोक दी गई।

   11282 परियोजनाएं जो 1999-2000 से 2005-06 के मध्य स्वीकृत की गई जिनमें से 689 पूर्ण हो गई एवं 10593 परियोजनाएं 31.03.2006 तक प्रक्रियाधीन थी।

5. **समन्वित/एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme):** इस कार्यक्रम को 1978-79 में भारत सरकार द्वारा गरीबी निवारण व ग्रामीण विकास के उद्देश्य के साथ लाया गया, जिसे सन् 1980 से लागू किया गया।

   01 अप्रैल, 1999 को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का नाम परिवर्तन कर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarn Jayanti Gram Swarozgar Yojna) कर दिया गया।

   कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

   - ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन लोगों के जीवन स्तर को सुधारना।
   - ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
   - इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का विकास करना।
   - ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकना।
   - गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों का उत्थान कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
   - निर्धन लोगों का वित्तीय सहायता के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक विकास करना।

6. **स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (Training of Rural Youth for Self Employment - TRYSEM):** इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत में 15 अगस्त, 1979 को की गई। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 18-35 आयु वर्ग के युवाओं को कौशल, तकनीकी एवं व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना। इस कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्रियाओं में स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना था।

   01 अप्रैल, 1999 से "ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण" (trysem) को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दिया गया है।

7. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National rural employment programme):** इस कार्यक्रम का शुभारम्भ भारत सरकार द्वारा 02 अक्टूबर, 1980 को ग्रामीण भारत में गरीबी तथा बेरोज़गारी को खत्म करने के

लिए काम के बदले योजना के स्थान पर लागू किया गया। इस कार्यक्रम का वित्त भार केंद्र तथा राज्यों द्वारा क्रमशः 50:50 अनुपात में है।

इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में (अ) बेरोजगार मजदूरों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर निर्मित करना (ब) ग्रामीण आधारभूत ढांचे के निर्माण द्वारा रोज़गार सृजन निर्माण (स) ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना।

01 अप्रेल, 1989 से राष्ट्रीय ग्राम रोज़गार कार्यक्रम को जवाहर रोज़गार योजना में शामिल कर दिया गया है। (द) ग्रामीण मुलभूत सुविधाएं जिनमें नलकूप, पोखर, कुँए, तालाब, सडकें आदि का निर्माण शामिल है।

8. **ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (Rural Landless Employment Guarantee Programme)** – इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त, 1983 से की गई। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों में (अ) ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक खेतिहर मजदूर के परिवार के किसी एक सदस्य को वर्षभर में कम से कम 100 दिवस का कार्य मिले (ब) मजदूरों के साथ-साथ महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्राथमिकता (स) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु स्थावर संपत्तियों का निर्माण आदि शामिल है।

   01 अप्रैल, 1989 से इस कार्यक्रम को जवाहर रोज़गार योजना में सम्मिलित कर दिया गया है।

9. **जवाहर रोज़गार योजना (Jawahar Rozgar Yojna) -** 01 अप्रैल, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम (NREP) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP) को मिलाकर जवाहर रोज़गार योजना (JRY) को प्रारम्भ किया। इस योजना का वित्त भार केंद्र तथा राज्यों में क्रमशः 80:20 के अनुपात में निर्धारित किया गया।

   इस कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य थे –

(i) ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं के लिए रोज़गार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न करना।

(ii) ग्रामीण लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थावर सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना, जिससे निर्धन ग्रामीणों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा सके।

   1 अप्रैल, 1999 को इस योजना को पुनर्गठित कर इसका नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया।

10. **ग्रामीण सामूहिक जीवन बीमा योजना (Rural Group Life Insurance Scheme)**– इस योजना का शुभारम्भ अगस्त, 1995 को किया गया। इस योजना के उद्देश्य में (अ) ग्रामीण लोगों को सामूहिक जीवन बीमा में लाना तथा (ब) जिन बीमित ग्रामीण लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, उनके परिवारों को वित्तीय सहायता पहुँचाना शामिल है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों के परिवारों को 5000 रुपये का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध करवाया जाता है।

11. **रोजगार गारंटी कार्यक्रम (Employment Assurance Scheme)**– इस कार्यक्रम को 02 अक्टूबर, 1993 को प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में इस कार्यक्रम को देश के कुल 1778 पिछड़े खण्डों में लागू किया गया था, बाद में इस कार्यक्रम को सम्पूर्ण भारत के सभी ग्रामीण विकास खण्डों में संचालित किया जाने लगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण वयस्कों को, जो रोज़गार की इच्छा रखते है, लेकिन रोज़गार प्राप्त नही कर पाते, को रोज़गार उपलब्ध कराना था।

    इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवार के अधिकतम दो व्यक्तियों को मजदूरी और रोज़गार उस समय उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया जब कृषि कार्य में रोज़गार की उपलब्धता न हो। इस कार्यक्रम का वित्तभार केंद्र व राज्य

सरकारों में क्रमशः 75:25 अनुपात में निर्धारित किया गया। अप्रैल, 2002 में रोज़गार गारंटी कार्यक्रम को सम्पूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में मिला दिया गया।

12. **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana)-** जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठन कर 01, अप्रेल 1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारम्भ की गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थावर संपत्तियों व आर्थिक ढाँचे का निर्माण कर निर्धन ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। इसके अतिरिक्त माध्यमिक उद्देश्य के रूप में पूरक रोजगार का सृजन करना है।

* यह कार्यक्रम जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों व जिला परिषदों के द्वारा ग्राम व ग्राम पंचायतों पर लागू होती है।
* इस योजना के अंतर्गत मजदूरी दर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
* ग्राम पंचायतों के पास 50,000 रुपये तक के कार्य करने की शक्ति होगी।
* योजना के अंतर्गत आवंटित वित्त का कुल 3% भाग विकलांगो, बाधामुक्त ढांचा तैयार करने व 22.5 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जाति के लिए योजनाओं पर खर्च किया जायेगा।

01 अप्रेल, 2002 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया है।

13. **ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल कल्याण (Development of Women and Child in Rural Area)–** भारत की ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिए भारत सरकार ने इस योजना को 1982-83 में प्रारम्भ किया था। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम 50 जिलों में प्रारम्भ किया गया, बाद में इस कार्यक्रम में विस्तार किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों की महिलाओं व बच्चों के विकास द्वारा उनकी आमदनी को बढ़ाना था।

यह योजना एक प्रकार की स्वरोजगार योजना थी। इसमें महिलाओं का समूह बनाकर कुशलता के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान था। योजना के अंतर्गत 1996-97 तक 87918 समूहों का निर्माण किया गया। इस योजना के अंतर्गत सिलाई, कढ़ाई, टोकरी बनाना, मुर्गीपालन, बकरी पालन, नक्काशी, अगरबत्ती बनाना, डेयरी आदि कार्य शामिल थे।

01 अप्रैल, 1999 से इस कार्यक्रम का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया।

14. **दस लाख कुएं योजना (Million Wellss Scheme)–** 1988-89 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम की उप-योजना के अंतर्गत दस लाख कुएं योजना प्रारम्भ की गई। 01 अप्रैल, 1989 से इस योजना को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत संचालित किये जाने लगा। 01 जनवरी, 1996 से दस लाख कुएं योजना को स्वतंत्र रुप से संचालित किया जाने लगा। इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व मुक्त बंधुआ मजदूरों, जिन में से लघु व सीमान्त कृषकों व गरीबों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया। 01 अप्रैल, 1999 से इस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया।

15. **इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (Indira Awas Yojna/ Pradhanmantri Awas Yojna (Grameen)** मई, 1985 में ग्रामीण भूमिहीन रोज़गार गारंटी कार्यक्रम की उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना का शुभारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुक्त बंधुआ मजदूरों को बिना शुल्क के आवास उपलब्ध कराना था। इंदिरा आवास योजना को जनवरी, 1996 से एक स्वतंत्र योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। इंदिरा आवास योजना भारत की बहुआयामी योजना 'भारत निर्माण' के घटकों में से एक है।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 2011 तक कुल 272.83 लाख आवासों का निर्माण किया जा चुका है। इस योजना का वित्तभार केंद्र एवं राज्य में क्रमशः 75:25 के अनुपात में वहन किया जाता है। अप्रैल, 2013 से इस योजना के अंतर्गत बी.पी.एल. परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि मैदानी क्षेत्रों में 70000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 75000 रुपये कर दी गई है। 01 अप्रैल, 2016 में इस योजना को पुनर्गठित कर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सन 2022 तक सबके लिए आवास है।

वर्तमान में इस कार्यक्रम का वित्तभार मैदानी क्षेत्रों में केंद्र व राज्य में क्रमशः 60:40 अनुपात में तथा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में केंद्र व राज्य में क्रमशः 90:10 अनुपात में वहन किया जाता है। वर्तमान में योजना के अंतर्गत दी जानी वाली सहायता राशि मैदानी क्षेत्रों में 70000 रुपये से बढ़ाकर 120000 रुपये एवं पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 75000 रुपये से बढ़ाकर 130000 रुपये कर दी गई है। इस सहायता राशि के अतिरिक्त लाभार्थी परिवारों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु 12000 रुपये की राशि भी दी जाती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2019-20 में कुल 24,964 करोड़ रुपये व्यय किए गये। वर्ष 2020-21 में व्यय के संशोधित अनुमान के अनुसार 40,500 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमान 27500 करोड़ रुपये रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर का आकार कम से कम 25 वर्गमीटर रखा गया है।

16. **गंगा कल्याण योजना (Ganga Kalyan Yojna)-** भारत सरकार द्वारा इस योजना का शुभारम्भ 01, फ़रवरी 1997 को किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चिन्हित परिवार जो लघु एवं सीमांत कृषक हैं, को सिंचाई के लिए सिंचाई के साधन जैसे कुआं, ट्यूबवेल आदि के माध्यम से उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। इस योजना के अंतर्गत कुल 1057000 कुओं का निर्माण किया गया।

01 अप्रैल 1999 से गंगा कल्याण योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया।

17. **सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (निर्मल भारत अभियान)/स्वच्छ भारत मिशन (Total Sanitation Campaign (Nirmal Bharat Abhiyaan) / swachh Bharat Mission) –**

भारत सरकार ने विश्व जल दशक 1980 में ग्रामीण स्वच्छता की तरफ ध्यान दिया इसी के अंतर्गत केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान का शुभारम्भ सन~ 1986 में किया गया। इस अभियान की कमियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1999 में इसे पुनर्गठित कर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारम्भ किया। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के उद्देश्यों में (i) ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता बढ़ाना (ii) स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना (iii) स्कूलों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा व स्वच्छता संबंधी आदतों को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम 2012 में परिवर्तित कर निर्मल भारत अभियान कर दिया गया। निर्मल ग्राम योजना में 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया। निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि 3200 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दिए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 2022 तक भारत में खुले में शौच पर पूर्ण रूप से रोक लगाना है।

स्वच्छ भारत अभियान:- इस अभियान की शुरुआत 02 अक्टूबर, 2014 को की गई। इस अभियान के उद्देश्यों में (i) खुले में शौच बंद करवाना (ii) जन सामान्य की मानसिकता में बदलाव लाना (iii) शौचालय उपयोग को बढ़ावा देना (iv) जनता को स्वास्थ्य के विषय में जागरूक करना (iv) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना (v) 2019 तक सम्पूर्ण भारत को खुले में शौच मुक्त करना आदि शामिल हैं।

इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 20 लाख रुपये प्रतिवर्ष के अनुदान की घोषणा की गई है। वर्ष 2016-17 में इस अभियान हेतु 11,300 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में रखा गया।

वर्ष 2019-20 के लिए स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के लिए 8213 करोड़ रुपये व्यय किए गये। 2020-21 में स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) के लिए 600 करोड़ रुपये का आंवटन किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए 9994 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

18. **स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना / राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY)@ National Rural Livelhood Mission (NRLM) – Aajeevika@ दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY NRLM)-** स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना 01 अप्रैल, 1999 को पूर्व में संचालित छह ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को मिलाकर प्रारम्भ की गई। SGSY में पूर्व में संचालित (i) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), (ii) स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM), (iii) ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (DWACRA), (iv) ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम (SITRA), (v) दस लाख कुआँ योजना (MWS) तथा (vi) गंगा कल्याण योजना (GKY) को शामिल किया गया।

स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण निर्धन लोगों को स्वरोजगार के लिए सरकारी अनुदान तथा बैंक ऋण के द्वारा प्रेरित कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना था। इस कार्यक्रम का वित्तभार केन्द्र एवं राज्य में क्रमशः 75:25 अनुपात में वहन किया जाता है। इस कार्यक्रम के स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल लाभार्थियों की संख्या में न्यूनतम 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, 40 प्रतिशत महिलाएं तथा न्यूनतम 03 प्रतिशत विकलांग शामिल होंगे। स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक पंचायत समिति में न्यूनतम 50 प्रतिशत समूह पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए रखे गए हैं। इस योजना में कुल 42.69 लाख स्वयं सहायता समूह बनाये गये।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - आजीविका (National Rural Livelihood Mission – Ajeevika) जून 2011 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) कर दिया गया। आजीविका का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना तथा भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के द्वारा गरीब परिवारों की गरीबी दूर करना है।

मिशन के मुख्य बिन्दु:-

- ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक महिला को स्वयं सहायता समूह में शामिल करना।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सामाजिक समावेश एवं एकजुटता के लिए रणनीति
- मिशन के अन्तर्गत कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के, 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक तथा 03 प्रतिशत निशक्त व्यक्ति लाभार्थी के रूप में सम्मिलित करना।
- कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण।
- क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण।
- ऋण के ब्याज पर अनुदान।
- नवप्रवर्तन को प्रोत्साहन।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana – NRLM (DAY-NRLM) नवम्बर, 2015 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) का नाम बदलकर दीनदयाल अन्त्योदय योजना - NRLM कर दिया गया। DAY - NRLM का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य-धारा से जोड़ना तथा भिन्न-भिन्न कार्यक्रमों के द्वारा गरीब परिवारों की गरीबी दूर करना है।

वर्ष 2018-19 में इस योजना का वास्तविक खर्च 6282 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 14473 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।

19. **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना - Pradhan Mantri Gramodoaya Yojana (PMGY) -** ग्रामीण जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्वनिर्धारित अवधि में पूर्ण करने के उद्देश्य के साथ 25 दिसम्बर, 2000 में प्रारम्भ किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में ग्रामीण क्षेत्र के छह घटक शामिल किये गये, जो निम्न प्रकार हैं -
    (i) प्राथमिक स्वास्थ्य
    (ii) प्राथमिक शिक्षा
    (iii) ग्रामीण आवास
    (iv) ग्रामीण पेयजल
    (v) ग्रामीण पोषाहार
    (vi) ग्रामीण विद्युतीकरण

    इस योजना को 2005-06 से बन्द कर दिया गया है।

20. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana - PMGSY)**- ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए भारत में 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। प्रारंभ में मैदानी क्षेत्रों में 1000 या इससे अधिक जनसंख्या तथा पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। बाद मे मैदानी क्षेत्रों में 500 या इससे अधिक जनसंख्या तथा पहाड़ी व जनजातीय इलाकों में 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले पात्र क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के अन्तर्गत अप्रैल, 2019 तक कुल 599090 किलोमीटर सड़क का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2018-19 में 15414 करोड़ रुपये इस योजना के लिए आवंटित किये गये तथा 2020-21 के लिए 19500 करोड़ रुपये आंवटित किये गए हैं।

21. **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY)-** जवाहर ग्राम समृद्धि योजना तथा रोजगार गारण्टी कार्यक्रम को मिलाकर 25 सितम्बर, 2001 से सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना के उद्देश्यों में (i) ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन परिवारों को रोजगार के साथ-साथ खाद्य सामग्री प्रदान करना (ii) ग्रामीण आधारभूत ढांचे का निर्माण करना शामिल है।

    इस योजना के लाभार्थियों में कृषि मजदूर, गैर-कृषि अकुशल मजदूर, सीमांत कृषक, महिलाएं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति मुख्य रुप से शामिल है। योजना का वित्तभार केन्द्र व राज्य में क्रमशः 87.5:12.5 अनुपात में वहन किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत पांच किलो अनाज तथा 25 प्रतिशत मजदूरी नकद का प्रावधान रखा गया है। इस योजना का विलय वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी अधिनियम में कर दिया गया है।

22. **स्वजल धारा योजना (Swajal Dhara Yojana) -** इस योजना का शुभारम्भ 25 दिसम्बर, 2002 को ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदाय योजनाओं के नियोजन, रूपांकन, निर्माण एवं संचालन के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के अन्तर्गत परियोजना की लागत का 90% भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नये ट्यूबवैल, नई पाइपलाईन, नहरी जल योजना को स्थापित किया जा सकता है।

23. **भारत निर्माण (Bharat Nirman)-** यह कार्यक्रम भारत तें 16 दिसम्बर, 2005 को प्रारम्भ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के ग्रामीण इलाकों में आधारभूत ढांचे का विकास करना है। यह योजना मुख्य रूप से छह क्षेत्रों पर केन्द्रित थी जिनमें ग्रामीण सड़क, विद्युतीकरण, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण आवास, सिंचाई तथा ग्रामीण संचार शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत भारत के गैर विद्युतीकृत गांवों (125000) का 2009 तक

विद्युतीकरण करना, मैदानी क्षेत्र में 1000 जनसंख्या तथा पहाड़ी व अनुसूचित जातीय क्षेत्रों में 500 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना, सम्पूर्ण भारत में शुद्ध पेयजल आपूर्ति, प्रत्येक गांव को दूरसंचार जोड़ना जिसमें मुख्य रूप से शेष बचे हुए 66822 गांवों को 2007 तक दूर संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाना, वर्ष 2009 तक 10 मिलियन हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना, 2014 तक 1.2 करोड़ पक्के आवासों का निर्माण करवाना आदि मुख्य लक्ष्य रखे गये।

24. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम National Rural Employment Guarantee Act 2005 / Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Act (NREGA/MGNREGA)** – 02 फरवरी, 2006 को भारत में ग्रामीण, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी आदि से मुक्ति पाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना का शुभारम्भ आन्ध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले से किया गया। प्रारम्भ में इस योजना को देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में ही संचालित किया गया।

    01 अप्रैल, 2008 से इस योजना को सम्पूर्ण भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू कर दिया गया। वर्तमान में यह योजना भारत के 684 जिलों में संचालित हो रही है। वर्ष 2009 में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक चयनित परिवार के एक सदस्य को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2020-21 के लिए 1,11,500 करोड़ रुपये का आवंटन इस योजना के लिए किया गया तथा मजदूरी 182 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई। वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 7300 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 7.75 करोड़ परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत काम उपलब्ध करवाया गया।

25. **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (National Rural Health Mission (NRHM)):** भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को सस्ती एवं सुगम स्वास्थय सेवाऐं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारम्भ 12 अप्रैल, 2005 को किया गया। इस मिशन के निर्धारित लक्ष्यों में (i) शिशु मृत्यु दर 30 प्रति हजार से नीचे लाना (ii) मातृ मृत्यु दर 100 प्रति एक लाख से नीचे लाना (iii) प्रजनन दर प्रति महिला 02 पर लाना शामिल हैं।

    वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के लिए कुल 37130 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।

26. **सांसद आदर्श ग्राम योजना-** भारत में इस योजना को 11 अक्टूबर, 2014 को लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद तीन गांवों को गोद लेकर उन गावों के आधारभूत ढांचे के विकास का उत्तरदायित्व लेंगे। इस योजना को पर्यवेक्षित करने की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास मंत्रालय की होगी।

27. **राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) / दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY))-** राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भारत में 2005 से प्रारम्भ की गई। RGGVY के उद्देश्यों में (i) भारत के सभी गांव एवं बस्तियों का विद्युतीकरण करना (ii) सभी ग्रामीण परिवारों को विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाना तथा (iii) गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना शामिल था।

    इस योजना के अन्तर्गत मार्च, 2012 तक 140496 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया गया तथा 248553 आंशिक रूप से विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण किया जा चुका है।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)- 03 दिसम्बर, 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना का वित्तभार केन्द्र व राज्य में 75:25 अनुपात (विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों में 90:10) में वहन किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2014 तक देश के कुल गैर विद्युतीकृत (आंशिक) गांवों 124786, में से 108913 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। शेष 15873 गांवों का विद्युतीकरण इस योजना के अन्तर्गत किया गया है। भारत सरकार ने शत-प्रतिशत विद्युतीकरण को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2020-21 में 2000 करोड़ रुपये व वर्ष 2021-22 में 3600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

28. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission – SPMRM)-** वर्ष 2016 में आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। इस योजना का संचालन सार्वजनिक- निजी सहभागिता के आधार पर किया जायेगा। इस योजना में मुख्यतः डिजिटल साक्षरता, आर्थिक क्रियाओं से सम्बंधित कौशल विकास, चल स्वास्थ्य इकाइयां, सार्वजनिक परिवहन, कचरा प्रबंधन सुविधाएं जैसे 14 कार्य शामिल हैं।
29. **प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMRDLM)-** इस अभियान की शुरुआत 08 फरवरी**, 2017** को प्रधानमंत्री की अनुमति के साथ की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मार्च, 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र के छह करोड़ परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षरता प्रदान करना है। इस अभियान पर कुल 2351.38 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस अभियान के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेने वाले उम्मीदवारों को कम्प्यूटर**,** टेबलेट**,** स्मार्टफोन जैसे डिजिटल यंत्रों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
30. **भारत नेट योजना (Bharat Net)–** अक्टूबर, 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को प्रारम्भ किया गया। जिसका नाम **2015** में बदलकर भारतनेट परियोजना कर दिया गया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का कार्य ग्राम पंचायतों तक ब्रॉडबैण्ड सुविधा पहुंचाना था। भारत नेट परियोजना का प्रमुख उद्देश्य भारत के ग्रामीण क्षेत्र को उच्च गति ब्रॉडबैण्ड कनेक्शन से जोड़ना है। भारतनेट योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 13 नवम्बर, 2017 को की गई। इस परियोजना के अन्तर्गत 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को 10 लाख किमी. लम्बी ऑप्टिकल फाइबर केबिल के द्वारा जोड़ा जाएगा।

2.5 ग्रामीण विकास के लिए सुविधाएं (Facilities for Rural Development)

भारत में ग्रामीण विकास के लिए चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं के अतिरिक्त भारत सरकार तथा राज्य सरकारें कई प्रकार की आर्थिक एवं गैर आर्थिक सुविधाऐं भी प्रदान करती हैं। जो निम्नानुसार हैं –

कृषि से सम्बंधित सुविधाऐं - कृषि एवं कृषि से सम्बंधित गतिविधियां भारत के ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इससे सम्बंधित सुविधाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है–

(i) **न्यूनतम समर्थन मूल्य -** भारत सरकार खरीफ व रबी की कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में समय-समय पर बढ़ोतरी करके इसकी खरीद कर किसानों को प्रत्यक्ष तौर पर फायदा पहुंचाती है।

(ii) **डीएपी उर्वरक सब्सिडी में वृद्धि -** डाई - अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) पर 19 मई, 2021 को सब्सिडी 500 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये की गई।

(iii) **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ (TRIFED)** की स्थापना 1987 में करके जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाने का कार्य किया गया।

(iv) **राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED)** की स्थापना।

(v) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) -** इस मिशन को वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ किया गया। यह मिशन क्षेत्रीय जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देता है।

(vi) **राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)** किसानों को उनकी उपज का उचित एवं अधिक मूल्य दिलाने के उद्देश्य से 14 अप्रैल, 2016 को e-NAM का प्रारम्भ किया गया।

(vii) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।

(viii) प्रधानमंत्री किसान संपदा कार्यक्रम।

(ix) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

(x) मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना।

- **वित्तीय सुविधाएं (Financial Facilities)**: भारत में ग्रामीण विकास हेतु **02** अक्टुबर**, 1975** से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (**NABARD**) की स्थापना **12** जुलाई**, 1982** को मुख्य रूप से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के लिए बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी बैंक अपने द्वारा दिए गए कुल ऋणों का कम से कम **40** प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को देंगे तथा प्राथमिक क्षेत्र ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा सहकारी बैंकों द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा भी किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं।
- **आर्थिक अनुदान (Economic Subsidy) :** भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के अनुदान भिन्न-भिन्न प्रकार से दिये जाते हैं उर्वरक सब्सिडी**,** कृषि उपकरणों पर सब्सिडी**,** उन्नत किस्म के बीजों पर सब्सिडी आदि। केन्द्र व राज्य सरकरों द्वारा आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाते हैं। विश्व बाजार संगठन द्वारा भी विभिन्न सब्सिडी जिनमें ग्रीन बॉक्स सब्सिडी**,** अंबर बॉक्स सब्सिडी तथा ब्लू बॉक्स सब्सिडी शामिल है**,** प्रदान की जाती है।

  उपरोक्त सभी के अलावा भी भारत व केन्द्र सरकार द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं ग्रामीण विकास के लिए दी जाती है। ग्रामीण स्तर पर संचालित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का विकास कई प्रकार की ग्रामीण विकास योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर आधारभूत ढ़ांचे का विकास सड़क**,** बिजली**,** पेयजल**,** ग्रामीण स्वच्छता आदि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार सरकार द्वारा कृषि विकास हेतु विभिन्न सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

स्व-मूल्यांकन - प्रथम

1. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए
   (i) राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष ..... में की गई।
   (ii) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत ..... पंचवर्षीय योजना में हुई।
   (iii) मरु विकास कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष ..... में की गयी।
   (iv) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्ष ..... से लागू किया गया।
   (v) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारम्भ वर्ष ..... में किया गया।
2. ग्रामीण विकास की व्यूहरचना को परिभाषित कीजिए।
3. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना का क्या उद्देश्य है?

2.6 ग्रामीण विकास का महत्त्व (Significance of Rural Development)

1. **कृषि विकास (Agricultural Devepment):** भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 42% हिस्सा कृषि एवं कृषि से सम्बंधित क्षेत्रों पर निर्भर करता है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान लगभग 17% है। अतः ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों व योजनाओं द्वारा कृषि का विकास किया जा सकता है।
2. **व्यापार एवं उद्योगों का विकास (Development of Industries and Trade):** ग्रामीण क्षेत्रो में अधिकतर लघु एवं कुटीर उद्योग पाए जाते है जिनका प्रत्यक्ष सम्बंध कृषि या कृषि से जुडी हुई गतिविधियों से होता है। अतः ग्रामीण विकास पर बल दिया जायेगा तो व्यापर व उद्योगों का विकास भी संभव हो पायेगा।
3. **रोजगार सृजन (Creation of Employment):** भारत की लगभग दो तिहाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। इसलिए ग्रामीण विकास की योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा रोजगार सृजन कर किया जा सकता है।
4. **आय में वृद्धि (Increase in Income):** ग्रामीण विकास की योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा रोजगार सृजन कर राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की जा सकती है।
5. **जीवन स्तर में वृद्धि (Increase in Standard of Living):** ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं द्वारा रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन-स्तर में वृद्धि की जा सकती है।
6. **परिवहन साधनों का विकास (Development of Transport):** ग्रामीण विकास की योजना विशेषकर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सड़कों का विकास कर परिवहन साधनों का विकास भी किया जा सकता है।
7. **आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण (Decentralisation of Economic Power):** ग्रामीण विकास की योजनाओं एवं कार्यक्रम से ग्रामीण लोगों में आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के कार्य किया जाता है। अंततः इन योजनाओं द्वारा आर्थिक सत्ता के विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहन मिलता है।
8. **आवश्यकताओं की पूर्ति (Supply of Needs):** भारत की लगभग 22% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास करती है। भारत की गरीब जनसंख्या का अधिकतम हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में है। गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली जनसंख्या की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन ग्रामीण विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से होती है।
9. **आधारभूत संरचना का निर्माण (Building of Basic Infrastructure**): ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं एवं कार्क्रम ग्रामीण भारत के आधारभूत ढ़ांचे के निर्माण में सहयोग देते है।
10. **मानव संसाधनों का उपयोग (Use of Human Resources):** ग्रामीण विकास की योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध मानव संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।
11. **सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता (Availability of Social Services):** ग्रामीण विकास की योजनाओं द्वारा शिक्षा, चिकित्सा, परिवार कल्याण, जलापूर्ति आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाति है।
12. **ग्रामीण आवास की समस्या का हल (Soluction of Problems of Rural Housing):** इंदिरा आवास योजना जो वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के नाम से जानी जाति है। इस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में आवास की समस्या का समाधान किया जा रहा है।
13. **सामाजिक उत्थान (Social Upliftment):** ग्रामीण विकास की योजनाएं न केवल आर्थिक विकास में मददगार है बल्कि शैक्षणिक सुधार द्वारा सामाजिक उत्थान में भी योगदान देती है।
14. ग्रामीण विकास की योजनाओं द्वारा शहरीकरण की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है।
15. ग्रामीण विकास की योजनाओं द्वारा शिक्षा व आर्थिक विकास के माध्यम से राजनीतिक चेतना को भी बढ़ावा मिलता है।

स्व-मूल्यांकन - द्वितीय

1. इन कथनों में सत्य और असत्य बताइए -

(i) सासंद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रत्येक सांसद तीन गाँवों को गोद लेते है।

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष, 2005 में सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया।

(iii) ग्रामीण विकास केवल कृषि विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।

(iv) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास आजीविका मिशन की शुरूआत वर्ष 2011 से की गई।

2. ग्रामीण विकास के महत्त्व के कोई बिंदु समझाए।

2.7 सारांश (Summary)

भारत की लगभग दो तिहाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है, इसलिए भारत के सामजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है। आजादी के पश्चात एवं पंचवर्षीय योजनाओं की शुरूआत के साथ भारत में ग्रामीण विकास के लिए नीतियाँ, कार्यक्रम तथा सुविधाएं प्रारम्भ की गई। भारत के विकास के लिए ग्रामीण आधारभूत ढ़ांचे को सुदृढ़ करना आवश्यक है, इसलिए केंद्र व राज्य सरकारों ने समय-समय पर विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रम संचालित कर रखे हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना आदि प्रमुख रूप से संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है।

2.8 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् हम यह समझने में सक्षम हो गये हैं कि ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्या होती है एवं ग्रामीण विकास योजनाएं किस रूप में लागू होती है? साथ ही ग्रामीण विकास के महत्त्व को समझ पाते हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कौन-कौनसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है एवं ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है।

2.9 शब्दावली (Glossary)

- **ग्रामीण विकास व्यूहरचना (Strategy of Rural Development)**: सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए संचालित कार्क्रम, नीतियां एवं सुविधाओं को समावेश ग्रामीण विकास व्यूहरचना कहलाता है।
- **ग्रामीण विकास व्यूहरचना के भाग (Parts of Rural Development Strategy)**: तीन भाग होते है ग्रामीण विकास की नीतियां, ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण विकास की सुविधाएं।
- **ग्रामीण विकास के लिए सुविधाएं (Facilities For Rural Development)**: सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली आर्थिक एवं गैर आर्थिक सुविधाएं।
- **आर्थिक अनुदान (Economic Subsidy)**: आर्थिक मदद के रूप में दी जाने वाली सहायता को आर्थिक अनुदान कहते है।

2.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

(क) 1. (i) 1963 (ii) 1975 (iii) 1977-78 (iv) 1980 (v) 2000

(ख) (i) सत्य (ii) असत्य (iii) असत्य (iv) सत्य

2.11 स्व-परख प्रश्न (Test Question)

अति लघुत्तरात्क प्रश्न (Very Short Questions)

1. 'भारत निर्माण' के कोई दो घटकों के नाम बताइये?
   Give the name of any two components of 'Bharat Nirman'?
2. 'निर्मल भारत अभियान'कब प्रारम्भ हुआ?
   When was the 'Nirmal Bharat Abhiyan' started?
3. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब शुरु हुई?
   When was Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Started?

लघुतरात्मक प्रश्न (Short Type Questions)

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर टिप्पणी लिखिए?
   Write short note on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana?
2. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्य समझाइये?
   Explain the objectives of Swarna Jayanti Gram Swarozgar Yojana?
3. 'मनरेगा' पर टिप्पणी लिखिए?
   Write short note on MGNREGA?
4. ग्रामीण विकास के लिए सरकारी सुविधाओं को संक्षिप्त मे समझाइये?
   Brifly Explain the Government facilities for rural development?
5. स्वच्छ भारत अभियान पर टिप्पणी लिखिए?
   Write short note on Swachha Bharat Mission?

निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का क्या अर्थ है? भारत में ग्रामीण विकास के लिए अपनाई गई व्यूह रचना का विस्तार से वर्णन कीजिए।
   What is meant by strategy of rural development? In detail explain the strategy adopted for rural development in India.
2. ग्रामीण विकास की व्यूह रचना के संदर्भ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए।
   Critically examine the Mahatma Gandhi National Rural Employment Gaurantee Act with reference to the strategy of rural development.
3. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना पर लेख लिखिए।
   Write an essay on swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana.
4. टिप्पणी लिखिए -
   (i) भारत निर्माण
   (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
   (iii) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
   (iv) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

Write Short Note on:

(i) Bharat Nirman

(ii) Pradhan Mantri Awas Yojanaa (Rural)

(iii) Integrated Rural Development Programme

(iv) Jawahar Gram Samridhi Yojana

5. टिप्पणी लिखिए -

(i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

(ii) भारत नेट योजना

(iii) श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

(iv) दीनदयाल - अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन

Write short Note on:

(i) Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana

(ii) Bharat Net Yojana

(iii) Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission

(iv) Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission

6. ग्रामीण विकास के महत्त्व को समझाइए।

Explain the importance of rural developments.

2.12 संदर्भ व ग्रन्थ-सूचि (References and Bibliography)

- कटार सिंह : ग्रामीण विकास सिद्दांत, नित्तियां एवं प्रबंध
- डॉ. बसंतीलाल बाबेल : पंचायती राज़ एवं ग्रामीण विकास योजनाएं
- धर्मेन्द्र सिंह : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास
- डॉ. रवि शंकर जमुआर : भारत में ग्रामीण विकास अवधारणा, रणनीति और योजनाएं
- डॉ. एच.आर.स्वामी एवं डॉ. बी.पी.गुप्ता : ग्रामीण विकास एवं सहकारिता
- दत्त एवं सुन्दरम : भारतीय अर्थव्यवस्था
- जनसत्ता
- द हिन्दू

2.13 वेब संसाधन/लिंक/अन्य पठन सामग्री (Web Resources/Links/Other Reading Material)

- https://rural.nic.in/hi/scheme-websites
- https://transformingindia.mygov.in/category/rural-development/
- http://omms.nic.in/
- https://nrega.nic.in/Nregahome/MGNREGA_new/Nrega_home.aspx

इकाई - 3

ग्रामीण विकास की व्यूह रचना : सामयिक मुद्दे

(Strategy of Rural Development: Current Issues)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

3.0 उद्देश्य (Objectives)

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

3.2 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का अर्थ (Meaning of Strategy of Rural Development)

- 3.2.1 ग्रामीण विकास से सम्बन्धित नीतियां
- 3.2.2 ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 3.2.3 ग्रामीण विकास हेतु सरकारी सुविधाएं

3.3 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना के उद्देश्य (Objectives of Strategy of Rural Development)

3.4 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का मूल्यांकन (Evaluation of Strategy of Rural Development)

- 3.4.1 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना की सफलता के पक्ष में तर्क
- 3.4.2 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना की सफलता के विपक्ष में तर्क

3.5 ग्रामीण विकास के सामयिक मुद्दे अथवा ग्रामीण विकास की व्यूह रचना की सफलता हेतु सुझाव (Current Issues of Rural Development Or Suggestions for the Success of Rural Development Strategy)

3.6 सारांश (Summary)

3.7 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

3.8 शब्दकोष (Glossary)

3.9 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

310 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची (References and Bibliography)

3.11 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

3.12 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources and Links)

3.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का उद्देश्य ग्रामीण विकास हेतु तैयार की गई व्यूह रचना के संबंध में विस्तार से चर्चा करना है। इकाई के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी ग्रामीण विकास की व्यूह रचना, उसके उद्देश्य तथा मूल्यांकन के सम्बन्ध में अच्छे से जानकारी हासिल कर पायेंगे। ग्रामीण विकास योजना सफल हुई है अथवा असफल, इस सम्बन्ध में अनेक तर्क – वितर्क किये जाते हैं, जिनको इस इकाई में एक बड़ी सीमा तक स्पष्ट करने का प्रयास किया गया गया है। ग्रामीण विकास विभाग से जुड़े अनेक सामाजिक मुद्दे भी हैं जिनका समाधान करने के लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं।

3.1 प्रस्तावना (Introduction)

1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ तब भारत में कृषि की दशा अत्यंत दयनीय थी तथा औद्योगिक आधार अत्यंत ही दुर्बल था। भारत की निरंतर बढ़ती जनसंख्या का दबाव और दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के कारण भारत की अर्थव्यवस्था

खोखली हो चुकी थी। राष्ट्र के विभाजन ने इस तात्कालिक समस्या को और भी विकट बना दिया। ऐसी स्थिति में देश की आर्थिक नींव को सुदृढ़ करने के लिये वातावरण बनाने की महती आवश्यकता थी। संविधान ने प्रत्येक को नागरिकता के अधिकार तो दे दिए लेकिन जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उनके पास पर्याप्त अवसर नहीं थे। इन्हीं अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया।

योजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण में प्रथम प्राथमिकता कृषि व उसकी सम्बद्ध क्रियाओं को दी गई। ऐसे सर्वांगीण और विविध प्रकार के प्रयत्नों का समावेश किया गया जिससे किसानों के दृष्टिकोण और उनके चारों तरफ की अवस्थाओं में रचनात्मक परिवर्तन संभव हो सकें। अत: यह आवश्यक है कि कृषि तथा उद्योग के विकास को एक ही प्रक्रिया के अभिन्न अंग समझा जाये। भारत में योजनाबद्ध विकास की व्यूह रचना में इसी बात को ध्यान में रखकर ग्रामीण विकास पर विशेष बल दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र को विकसित किये जाने को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा अब तक क्रियान्वित की गई सभी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। यहां तक कि कोविड-19 की महामारी के विनाशकारी कालखंड में भी कृषि व ग्रामीण विकास पर सर्वाधिक ध्यान दिया गया।

3.2 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का अर्थ (Meaning of Strategy of Rural Development)

'व्यूह रचना' एक ऐसी प्रावैगिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत समय व परिस्थितियों के अनुरूप किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को संगठनात्मक स्वरूप प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक श्रेष्ठ पबंधन को ही 'व्यूह रचना' कहा जा सकता है।

ग्रामीण विकास की व्यूह रचना से तात्पर्य ऐसी नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों से है जो गाँव के समन्वित विकास, ग्रामीण निर्धनता के निवारण तथा न्यूनतम समय में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार द्वारा लागू की जाती है। भारत में ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का प्रारूप इस ढंग से रचा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तथा विशेषकर निर्धनों के सामाजिक आर्थिक जीवन को ऊंचा उठाया जा सके।

ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है:

3.2.1 ग्रामीण विकास से सम्बंधित नीतियाँ

3.2.2 ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3.2.3 ग्रामीण विकास हेतु सरकारी सुविधाएँ

3.2.1 ग्रामीण विकास से संबंधित नीतियां (Policies Relating to Rural Development)

20वीं सदी के सातवें दशक तक ग्रामीण विकास हेतु अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं की गई। कृषि विकास को ग्रामीण विकास का पर्याय माना जाता रहा। सरकार का यह मानना था कि कृषि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ ग्रामीण विकास स्वत: होता रहेगा। इसी कारण सरकार ने औद्योगिक नीति व विदेशी व्यापर नीति की तो अलग से घोषणा की लेकिन ग्रामीण विकास हेतु अलग से नीति का निर्धारण करने की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया। कृषि नीति के अंतर्गत ही कृषि प्रौद्योगिकी, विनियोग, उत्पादकता, कृषि उत्पादन की मात्रा, समर्थन मूल्य, कृषि वित्त, विपणन, संग्रहण तथा उत्पादन की नवीन तकनीक को शामिल किया गया। हरित क्रांति के अंतर्गत ही कृषि क्षेत्र में ज्यादा उत्पादन तथा ऊँची उत्पादकता परिणाम के रूप में सामने आए तथा उसी के साथ-साथ ग्रामीण विकास हेतु भी कुछ नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन योजनाकाल में किया गया। 1952 में ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम (Community Development Programme) तथा 1958 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 1961 से 'संघन कृषि जिला कार्यक्रम (IADP)' अथवा 'पैकेज कार्यक्रम' प्रारम्भ में केवल 3 जिलों से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी जानकारी, ऋण एवं कृषि आदानों की पूर्ति का समन्वय करके कृषि का उत्पादन बढ़ाना था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सहकारी कृषि तथा स्थानीय अंशभागिता पर भी जोर दिया गया। तीसरी योजना में पंचायती राज और प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का दौर शुरू हुआ। 1964-65 में 'गहन कृषि कार्यक्रम' (IAAP) प्रारंभ किया गया। जिसमें विशिष्ट फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया। 1966 में अधिक उपज देने वाली किस्मों (HYV) का प्रयोग शुरू किया गया। कृषि क्षेत्र में इन क्रांतिकारी कदमों को हरित क्रांति का नाम दिया गया। प्रो. गाडगिल ने कृषि की इस नवीन व्यूह रचना में कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों तथा उन्नत बीजों से अधिक उपज, उर्वरक के बढ़ते उपयोग तथा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन वृद्धि के उपायों पर जोरदिया।

राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि वित्त व्यवस्था के लिए कृषि पुनर्वित निगम, उर्वरकों की पूर्ति के लिए उर्वरक निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि मूल्य आयोग आदि की स्थापना भी इसी योजना अवधि काल में की गई। चौथी योजना में विशिष्ट क्षेत्रीय कार्यक्रम तथा पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यकता आधारित कार्यक्रम भी शुरू हुए। छठी पंचवर्षीय योजना काल (1980-85) में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक संरचना को मजबूत बनाने हेतु प्रयास किये गये तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने, क्षेत्रीय विषमता कम करने तथा समन्वित ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया। सातवीं (1985-90) के अंतर्गत रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने तथा आय बढ़ाने हेतु विशिष्ट कार्यक्रम, भूमि सुधार और ग्राम स्तर पर जनता की भागीदारी पर भी जोर दिया गया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) की अवधि में रोजगार बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान, क्षेत्रीय विकास, ग्राम समूहों की पहचान, स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नयी योजनाओं को शुरू करने तथा पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को और अधिक प्रभावशाली बनाने पर जोर दिया गया। नौवीं योजना (1997-2002) के अंतर्गत सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास हेतु क्षेत्र कृषि व ग्रामीण विकास को एक उपकरण के रूप में प्राथमिकता देने, गरीबी विरोधी दशाओं पर सीधा प्रहार करने व रोजगार कार्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान दिया गया। 10वीं योजना (2002-2007) के दौरान निर्धनता अनुपात को 5% तक घटाने, लाभप्रद रोजगार प्रदान करने तथा कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान करने के प्रयत्न किये गये। ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के कालखंड में 'भारत निर्माण' के माध्यम से ग्रामीण सुरक्षा को मजबूत करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने व आर्थिक विषमता समाप्त करने पर विशेष बल दिया गया। बाद के वर्षों में भी कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की जो बयार बहनी चाहिए थी, नहीं बह पाई। कोविड-19 के महामारी काल में अपने आप को बचाकर रखने वाला क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि व सम्बद्ध क्रियाओं का क्षेत्र ही था।

24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू के सांबा के गांव पल्ली में आयोजित समारोह में बताया कि पल्ली पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनने जा रही है। अब हर ग्राम पंचायत को अपने इलाके का विकास के लिए भरपूर धनराशि दी जा रही है। इस राशि से गांवों में सड़कों के साथ-साथ आधारभूत निर्माण कार्य भी करवाए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश यही है कि गाँव के विकास से जुड़े हर प्रोजेक्ट को प्लान करके उसके अमल में पंचायत की भूमिका ज्यादा हो। पंचायत स्तर पर अब प्रबंधन में महिलाओं की भागीदारी के महत्व पर बल दिया जा रहा है। आजादी का अमृतकाल भारत का स्वर्णिम काल होने वाला है जिसमें ग्राम पंचायतों की भूमिका अहम रहेगी। इसी भूमिका के तहत अमृत सरोवर अभियान शुरू किया गया है। वर्ष 2023 के अगस्त माह के अंत तक देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना प्रस्तावित था।

3.2.2 ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Rural Development Programme)

ग्रामीण विकास व्यूह योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना से पांचवी पंचवर्षीय योजना तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सहकारिता, समाजवाद, भूमि-सुधार, हरित क्रांति, लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, न्यूनतम मजदूरी, जनसंख्या नियंत्रण आदि के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु अनेक प्रयत्न किए गए।

छठी और आगामी योजनाओं के दौरान कुछ विशिष्ट कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इनमें अन्तोदय कार्यक्रम, कम के बदले अनाज योजना, गरीबों के लिए इंदिरा गाँधी आवास योजना, समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम (IRDP), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP), न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (NNP), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (DDP), स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण (TRYSEM), ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम, बीस सूत्री कार्यक्रम आदि कुछ प्रमुख कार्यक्रम थे।

कुछ कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम बनाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Integrated Rural Development Programme V/s Swaran Jayanti Gram Swarozgar Yojna):

ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की आय अर्जन क्षमता में वृद्धि हेतु उन्हें आय अर्जन के साधन सुलभ कराना तथा रोजगार के अवसर प्रदान करना ताकि उन्हें सदैव आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसी कारण छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गरीबों के लिये विभिन्न एजेन्सियों द्वारा संचालित पृथक-पृथक ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। 1978-79 में देश के चुने हुए 2300 विकास खण्डों में यह कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था जो बाद मे सम्पूर्ण भारत में लागू कर दिया गया।

उद्देश्य - गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिये उन्हें जीविकोपार्जन के साधन सुलभ कराना तथा रोजगार के लाभप्रद अवसर प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम लागू किया गया है।

कार्यक्रम की विशेषताएँ :

(i) यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबी एवं बेकारी मिटने का एक समन्वित बहुआयामी एवं प्रगतिशील कार्यक्रम है।

(ii) राष्ट्रीय स्तर का व्यापक कार्यक्रम है जो योजनाओं से विकास का अविभाज्य अंग है।

(iii) यह योजनाबद्ध पारिवारिक उत्थान कार्यक्रम है जिसमें समस्त गरीब परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प होता है।

(iv) केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित राज्य तथा केंद्र की बराबर-बराबर सहभागिता की योजना है।

(v) इस योजना के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कारीगर, शिल्पी, दस्तकार, कृषक, भूमिहीन श्रमिक अथवा जनजाति और अनुसूचित जाति के लोग हो सकते हैं और जिनका चयन के लिया गया है।

यद्यपि इस कार्यक्रम में चयन में पक्षपात तथा साधन सुलभ करने में भ्रष्टाचार और रिश्वत की सामान्य शिकायतें रही हैं पर फिर भी इस कार्यक्रम से ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है।

1 अप्रैल, 1999 से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम(IRDP),ट्राईसम (TRYSEM), डी डब्ल्यूसी आर ए (DWCRA), सितरा (SITRA), जी के वाई (GKY) तथा दस लाख कुएँ योजना (MWS) आदि को मिलाकर इसे एक नये कार्यक्रम स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में लागू किया गया है ताकि ग्रामीण गरीब लोगों को निरन्तर आय प्राप्त हो सके। लाभान्वितों में संरक्षण 50% अनुसूचित जाति तथा जनजाति को 40% महिलाओं को तथा 3% विकलांगों के लिये रखा गया है।

2. जवाहर रोजगार योजना बनाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Rojgar Yojna V/s Jawahar Gram Samridhi Yojna):

28 अप्रैल, 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोजगार गारन्टी योजना 'जवाहर रोजगार योजना की घोषणा की। इस पर प्रारम्भिक वर्ष में 2100 करोड़ रु. व्यय का प्रावधान था।

योजना की प्रमुख विशेषताएँ

(i) वह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले ग्रामीण परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वर्ष के दौरान50 से 100 दिन के रोजगार की गारन्टी की व्यवस्था का कार्यक्रम है।

(ii) प्रत्येक पंचायत को जिसकी जनसंख्या 3 से 4 हजार हो, रोजगार की गारन्टी के लिये 80 हजार रु. से एक लाख रु. तक वार्षिक वित्तीय सहायता की व्यवस्था है।

(iii) पंचायतों को इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन का माध्यम बनाया गया है। पंचायतें ही स्थानीय जरूरतों एवं संसाधनों के आधार पर खुद ही रोजगार योजनाएं बनायेंगी एवं क्रियान्वित करेंगी।

(iv) योजना का व्यय 80% केन्द्र सरकार द्वारा तथा 20% राज्य सरकारों द्वारा वहन करने की व्यवस्था है।

(v) इस योजना के तहत योजना के लिये दी जाने वाली केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता का विभाजन सम्बन्धित राज्यों की गरीबी रेखा के नीचे आबादी के अनुपात में करने का प्रावधान है।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे रोजगार कार्यक्रमों का इस योजना में विलीनीकरण कर दिया गया है जिससे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (N.R.E.P.) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (R.L.E.G.P.) का जवाहर रोजगार योजना (J.R.Y.) में विलीनीकरण होने से ये कार्यक्रम अलग से नहीं रहे।

(vii) राष्ट्रीय स्तर का व्यापक रोजगार कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रभावी कार्यक्रम है।1 अप्रेल, 1999 से इस योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में बदल दिया गया है।

1 अप्रैल, 1999 से केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित इस योजना को बदल कर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' के नाम से लागू किया गया है। इस व्यापक योजना में केन्द्र तथा राज्यों का व्यय अनुपात 75:25 रहेगा।

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (National Rural Employment Programme or NREP):

केंद्र में जनता पार्टी शासन के पतन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि तथा गरीबी निवारण का यह कार्यक्रम "काम के बदले अनाज" की कमियों को दूर करने के लिए श्रीमती इंदिरा गाँधी ने शुरू किया। छठी योजना में 1834 करोड़ रु. व्यय कर 177.5 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार बढ़ाया गया। सातवीं योजना के चार वर्षों (1985-89) में 3600 करोड़ रु. व्यय कर लगभग 148 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया जो लक्ष्य से अधिक था। अप्रैल, 1989 में इस कार्यक्रम का जवाहर रोजगार योजना में विलीनीकरण कर दिया गया।

4. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (Rural Landless Employment Guarantee Programme - RLEGP):

ग्रामीण क्षेत्रों में बसे अत्यन्त गरीब भूमिहीन श्रमिक परिवारों को रोजगार देकर गरीबी मिटाने का यह कार्यक्रम 1983 में चालू किया गया ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके। 1983-85 तक इसके अन्तर्गत 36 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार दिया गया जबकि सातवीं योजना के चार वर्षों (1985-89) में 115 करोड़ मानव दिवसों का रोजगार देकर 1989-90 में इसे भी जवाहर रोजगार योजना में विलीन दिया गया।

5. सूखा राहत क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programme):

सूखा सम्भावित क्षेत्रों में निरन्तर अकाल एवं सूखे की मार से गरीबों को राहत प्रदान करने तथा उन्हें रोजगार एवं आय के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम गरीबी मिटाने एवं रोजगार प्रदान करने में सहायक रहा है।

6. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme):

यह कार्यक्रम भी अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी दूर करने में सहायक है, क्योंकि इसके अन्तर्गत ग्रामीण सड़कें, पेयजल, विद्युतीकरण आदि कार्य सम्पन्न करने में गरीबों को रोजगार एवं आय के अवसर मिलते हैं।

7 शिक्षित बेरोजगार युवक स्वरोजगार योजना (Scheme of Self employment for Educated Unemployed Youth-SEEUY):

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार शिक्षित युवकों को लाभप्रद स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना 1983-84 में लागू की गई। इस योजना के अन्तर्गत बैंकों से ऋण उपलब्ध करा कर बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। बैंक ऋण का 25% केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। 1983-84 से 1993-94 के दस वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत लगभग 3500 करोड़ रु. बैंक ऋण स्वीकृत किये गये और लगभग 18 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाभान्वित किया गया। वित्त वर्ष 1991-92 में 200 करोड़ रु. बैंक ऋणों से 93 हजार युवकों को, 1992-93 में 72 हजार युवकों को तथा 1993-94 में लगभग 1.26 लाख शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने का अनुमान था। 1994-95 से इस योजना को नई प्रधानमंत्री रोजगार योजना में मिला दिया गया।

8 प्रधानमंत्री रोजगार योजना (Prime Minister's Rojgar Yojna - PMRY):

यह योजना गरीबी निवारण तथा स्वरोजगार की योजना है जो 1993-94 में लागू की गई है। 1993-94 में इस योजना के अन्तर्गत 32,000 लोगों को लाभान्वित किया गया जबकि आठवीं योजना के अन्त तक लगभग 10 लाख शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य था। 1994-95 तथा उसके बाद 1996-97 के तीन वर्षों में प्रतिवर्ष 2.2 लाख शिक्षित बेरोजगारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य था जबकि 1995-96 में 4.4 लाख तथा 1996-97 में 3.90 लाख रोजगार सृजित किये और 1997-98 में 3.1 लाख को रोजगार दिया गया। इस योजना में शिक्षित बेरोजगार युवक स्वरोजगार योजना (SEEUY) को भी समाहित कर लिया गया है। इसमें 18-35 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्याशियों को परियोजना लागत के 5% के साधन स्वयं जुटाने होंगे जबकि केन्द्रीय सरकार का अनुदान 15% अथवा अधिकतम 7500 रु. तथा बैंक ऋणों की राशि अधिकतम एक लाख रु. तक हो सकेगी।

3.2.3 ग्रामीण विकास हेतु सरकारी सुविधाएं (Government Facilities for Rural Development)

सरकारी सुविधाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रामीण विकास हेतु निम्नलिखित सरकारी सुविधाएं प्रदान की जाती है:

(i) वित्तीय सहायता (Financial Assistance) :कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ऋण एवं अग्रिम सहकारी बैंको, व्यावसायिक बैंकों, भूमि विकास बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जुलाई 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई। 1975 से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा भी इस क्षेत्र को अग्रिम देने के काफी प्रयास किए गए हैं। इन संस्थाओं द्वारा लघु कृषकों, सीमांत कृषकों, ग्रामीण कार्यक्रम भूमिहीन श्रमिकों व लघु उद्यमियों को बड़ी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना प्रमुख पिछड़े व जनजाति क्षेत्रों में काम करने के लिए ही की गई थी। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने निर्धारित क्षेत्र में कार्य करता है। यथासंभव बैंक में कार्य करने वाले कर्मचारियों का चयन स्थानीय क्षेत्र के व्यक्तियों में से ही किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ-साथ उनके द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋणों की मात्रा में भी भारी वृद्धि हुई है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक अलग शीर्ष वित्तीय संस्था की मांग निरंतर उठती रही थी। इसी संदर्भ में 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना की गई। वह बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं में समन्वय का कार्य भी करता है। नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक, राज्य सरकारों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पकालीन ऋण की पुनर्वित

की व्यवस्था करता है। बैंकों ने व्यापारिक बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं को इस बात के लिए बाध्य किया है कि वे अपने ऋण का एक निश्चित भाग कमजोर वर्गों को दें।

(ii) **किसान साख पत्र योजना (Kisan Credit Card Scheme):** अगस्त 1998 में किसानों को अल्पकालीन साख प्रदान करने के लिए एक अभिनव योजना शुरू की गई जिसका नाम किसान क्रेडिट कार्ड रखा गया। वर्तमान में यह योजना बहुत ही लोकप्रिय हो चुकी है तथा संपूर्ण भारत में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बैंकिंग प्रणाली के द्वारा उपयुक्त एवं समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आशा की जानी चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कृषि वित्त में मील का पत्थर सिद्ध होगी।

(iii) **आर्थिक अनुदान (Economic Subsidy):** सरकार ग्रामीण विकास के लाभार्थियों को आर्थिक अनुदान प्रदान कर रही है। उर्वरक, अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज, कीटनाशक औषधियों आदि के रूप में यह अनुदान दिया जाता है।

(iv) **ग्रामीण सड़कों का निर्माण (Construction of Rural Roads):** ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भी एक अभिन्न अंग है।

(v) **पंचायतें, सहकारी समितियां एवं विद्यालय (Panchayats, Co-operative Societies and Schools):** ग्रामीण विकास पंचायतों, सहकारी समितियों एवं विद्यालयों पर आधारित होता है। पंचायतों का दायित्व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को संचालित करना होता है जबकि विद्यालय सामुदायिक केंद्रों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु साधन उपलब्ध करवाते हैं। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आवश्यक कोष उपलब्ध करवाती है। महिला एवं युवा केंद्र, कृषक व कारीगरों के संघ तथा समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करके अपनी विभिन्न गतिविधियाँ संपन्न करते हैं।

(vi) **पेयजल आपूर्ति व सेनिटेशन (Drinking Water Supply and Sanitation):** केंद्र व राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु विशेष रुप से ध्यान दे रही हैं। जल व्यवस्था होने से ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन व उत्पादकता दोनों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत है पेयजल की योजनाएं संबंधित राज्य सरकारें तैयार करती हैं तथा केंद्र सरकार उनके लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहयोग देती है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 में प्रारंभ किया गया था जिसका 1991 में नामकरण राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सेनिटेशन के लिए भी केंद्रीय ग्रामीण सेनिटेशन कार्यक्रम संचालित है।

(vii) **कृषि विपणन (Agricultural Marketing) :** ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय कृषि विपणन से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में राज्य व केंद्र सरकार को परामर्श देता है। निदेशालय अनेक कृषि उत्पादों के निर्यातों से पूर्व उनकी किस्म नियंत्रण हेतु निर्देश देता है। उत्पादों की किस्म व शुद्धता के स्तर को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय प्रयोगशाला स्थापित की गई है। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।

(viii) **निरीक्षण एवं मूल्यांकन (Inspection and Evaluation):** विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के निरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु प्रावधान किया गया है। भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों में अंतर पाए जाने का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण पेयजल योजना, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा रेगिस्तान विकास कार्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय समय-समय पर ग्रामीण विकास से जुडी योजनाओं व कार्यक्रमों का मूल्यांकन कर्टसगसी तथा इन कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावशाली बनाने हेतु कदम उठाता है।

3.3 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना के उद्देश्य (Objectives of Strategy of Rural Development)

ग्रामीण विकास की व्यूह रचना के उद्देश्यों को निम्न प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है :

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व बेरोजगारी को दूर करना।

(ii) देश के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहन देना।

(iii) अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादकता बढ़ाना।

(iv) उत्पादक रोजगार अवसरों में वृद्धि करना ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके।

(v) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पर्याप्त भोजन व पौष्टिक तत्वों में वृद्धि करना।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की दर को बढ़ाना।

(vii) परंपरावादी तथा आधुनिक संस्कृति के बीच तालमेल स्थापित करना।

(viii) आर्थिक संसाधनों का ग्रामीण क्षेत्रों में उचित वितरण करना।

ग्रामीण विकास की व्यूह रचना तभी सार्थक सिद्ध हो सकती है जब ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक निवासी तक उसका लाभ पहुंचे।

3.4 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का मूल्यांकन (Evaluation of Strategy of Rural Development)

देश की स्वतंत्रता के पश्चात और विशेषकर प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से भारत में ग्रामीण विकास की व्यूह रचना अपनाई गई। इस व्यूह रचना का मुख्य उद्देश्य गावों में रहने वाली जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक जीवन में सुधार करना था। अत: यह जानना आवश्यक है कि नियोजन काल के सात दशकों से भी अधिक समयावधि में क्या ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक जीवन में कोई सुधार हुआ भी है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूछा जा सकता है कि क्या ग्रामीण विकास की व्यूह रचना सफल हुई है या असफल हो गई है? अनेक लोग इसे सफल करार देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जो ग्रामीण विकास की इस व्यूह रचना को असफल समझते हैं। अत: इसके पक्ष व विपक्ष में दोनों प्रकार के तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं:

3.4.1 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना की सफलता के पक्ष में तर्क

3.4.2 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना की सफलता के विपक्ष में तर्क

3.4.1 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना की सफलता के पक्ष में तर्क (Arguments in the Favour of Success of Rural Development Strategy):

अनेक अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद् तथा समाजशास्त्री यह मानते है कि भारत में ग्रामीण विकास की व्यूह रचना अत्यंत सफल सिद्ध हुई है। उनके इस विचार के पक्ष में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते है :

1. **आय में वृद्धि (Increase in Income):** देश की प्रति व्यक्ति आय 1951-50 में 7513 रु. (2004-05) श्रृंखला थी जो 2000-01 में बढ़कर 22491 रु. हो गई। 2011-12 में प्रति व्यक्ति आय 63462 रु. (2011-12) श्रृंखला थी जो 2015-16 में 77659 हो गई। 2018-19 में सतत कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय अंतिम अनुमानों के आधार पर 92565 रु. थी। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं है लेकिन यह तो कहा ही जा सकता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय में अच्छी खासी वृद्धि हुई है ।
2. **निर्धनता में कमी (Decrease in Poverty) :** देश में ग्रामीण विकास हेतु अपनाई गई व्यूह रचना के कारण ग्रामीण निर्धनता एक बड़ी सीमा तक घटी है। 1973-74 के दौरान लगभग 56.4% ग्रामीण जनसंख्या गरीबी

रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। 1999-2000 के दौरान ग्रामीण निर्धनता का यह प्रतिशत घटकर 27.1% रह गया। 2011-12 में देश में ग्रामीण निर्धनता अनुपात 25.7% था।

उल्लेखनीय है कि गरीबी रेखा उपभोग के स्तर का वह न्यूनतम बिंदु है जिससे कम आय वर्ग को न्यूनतम उपभोग के लिए वित्तीय साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्राप्त होनी चाहिए। गरीबी रेखा में 5 व्यक्तियों का परिवार मानकर गणना की जाती है तथा गरीबी रेखा का उपयोग परिवार के संदर्भ में ही किया जाता है।

3. **जन्म दर एवं मृत्यु दर में कमी (Decrease in Birth Rate and Death Rate):** देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों में ही उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। भारत में 1951- 61 के दशक में जन्म दर 42 प्रति हजार थी जो 2000-01 के दशक में घटकर लगभग 25 प्रति हजार हो गई। इसी प्रकार 1951-61 के दशक में मृत्यु दर 22.8 प्रति हजार थी जो 2000-01 के दशक में 7.4 प्रति हज़ार से भी कम हो गई। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2017 में भारत में जन्म दर 24.1 तथा मृत्यु दर 6.0 प्रति हज़ार घट गई थी। यदि ग्रामीण क्षेत्र से तुलनात्मक अध्ययन करें तो ज्ञात होता है कि 1971 में जन्म दर 38.9 प्रति व्यक्ति हजार थी जो 1990 में घटकर 31.7 प्रति हज़ार रह गई। इसी प्रकार मृत्यु दर भी ग्रामीण क्षेत्र में 1971 में 16.4 प्रति हजार थी जो 1990 में घटकर 10.5 रह गई। निश्चित तौर पर 2011 की जनगणना के दौरान यह और भी कम हो गई थी।

   सन 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा में वर्ष 2000 तक जन्म दर को 21, मृत्यु दर को 9 और शुद्ध प्रजनन दर को 1 प्रति हजार तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 10वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर (IMR) को घटाकर 45 प्रति हजार तथा मातृत्व मृत्यु दर (MMR) को घटाकर 2 प्रति हजार करने का लक्ष्य था। जन्म दर को भी 21 प्रति हज़ार तक घटाने का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं योजना के अंत तक का नवजात मृत्यु दर को घटाकर 25 तथा मातृत्व मृत्यु दर को घटाकर प्रति 1000 जीवित प्रसव पर 1 तक लाना था।

   सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। **प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना** 2016 में प्रारंभ की गई थी जिसमें 19 वर्ष व उससे ऊपर की आयु की माताओं को कार्य के नुकसान के साथ में अन्य आवश्यकता के लिए सीधा नकद भुगतान दिया जाता है। समन्वित शिशु विकास सेवा के अंतर्गत 6 वर्ष तक खाना, स्वास्थ्य सुविधा शिशु व माता दोनों को प्रदान की जाती है। इसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत निशुल्क प्रसव, दवाई, जाँच, भोजन, रक्त सुविधा, परिवहन सुविधा आदि उपलब्ध करवाई जाती है। जनसंख्या सम्बन्धी जागरूकता के लिए 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है।

4. **ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में वृद्धि (Increase in Rural Drinking Water Supply):** ग्रामीण विकास व्यूह रचना के फलस्वरुप पेयजल आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है 31 मार्च 1985 तक देश की ग्रामीण जनसंख्या 56% से अधिक को पेयजल आपूर्ति उपलब्ध होने लग गई थी। मार्च 2004 के अंत तक 95% ग्रामीण वासियों को पूर्णतया 46.% को अंशत पेयजल सुविधा मिलने लगी थी और मात्र 0.4 प्रतिशत ही ऐसे बचे थे जिन्होंने पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं थी। 12वीं योजना के अंत तक यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया था कि ग्रामीण आबादी के 50% को नल द्वारा पेयजल की आपूर्ति सुलभ हो तथा 50% ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम का दर्जा मिले।

5. **ग्रामीण अवसंरचना का विकास (Development of Rural Infrastructure) :** ग्रामीण विकास व्यूह रचना के अंतर्गत गांवों में तेजी से अवसंरचना का विकास हुआ है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के अंत तक के सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराने तथा सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा

गया था। ग्रामीण टेली-डेंसिटी को बढ़ाकर 12वीं योजना के अंत तक 70% करना था। गांवों में बैंकों की सभी शाखाएं खोलने तथा परिवहन एवं संदेशवाहन की सुविधाएं बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं।

6. **ग्रामीण विकास हेतु व्यय में वृद्धि (Increase in the Expenditure for Rural Development):** योजना काल में और विशेषकर बीसवीं सदी के अंतिम दशक में ग्रामीण विकास हेतु योजना व्यय में भारी वृद्धि की गई। अब केंद्र और राज्य सरकारें अपने बजट में ग्रामीण विकास योजना पर प्राथमिकता से विचार कर फंड का आवंटन करती है।

7. **कृषि से संबंधित क्रियाओं का विकास (Development of Allied Activities of Agriculture):** गरीबी निवारण व बेरोजगारी कम करने के उद्देश्य से ग्रामीण भारत में अब कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध क्रियाओं के विकास पर विगत कुछ वर्षों से विशेष रुप से ध्यान दिया जाने लगा है। कृषि से संबंधित क्रियाओं में मुख्य रूप से पशुपालन, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, बागवानी, मछली पालन, खाद्य प्रसंस्करण रेशम के कीड़े पालन आदि को शामिल किया जाता गई।

8. **ग्रामीण उद्योगों का विकास (Development of Rural Industries):** ग्रामीण विकास व्यूह रचना के कारण ग्राम में उद्योगों का भी विकास हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकास हेतु सरकार ने अनेक सुविधाएं तथा रियायतें प्रदान की है भारत सरकार द्वारा लघु उद्योग, कृषि सम्बन्धी उद्योग तथा ग्रामीण उद्योग विभाग की स्थापना सन 1990 में की गई। इस विभाग का उद्देश्य लघु, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग को नवचेतना प्रदान करना है।

9. **रोजगार के अवसरों में वृद्धि (Increase in Employment opportunities):** ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। इन कार्यक्रमों में IRDP, NREP, TRYSEM, RLEGP, SGSY, JGSY, MGNREGS आदि प्रमुख हैं। इन कार्यक्रमों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित किये जो ग्रामीण विकास की व्यूह रचना की सफलता के प्रतीक हैं।

10. **अन्य तर्क (Other Arguments)**

(i) कृषि विपणन की सुविधाओं में विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों के निर्माण तथा बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाए जाने के कारण किसानों को अब अपनी उपज को उचित मूल्य मिलना संभव हुआ है।

(ii) ग्रामीण विकास व्यूह रचना की सफलता इस बात से भी स्पष्ट झलकती है कि हरित क्रांति के कारण देश अब खाद्यान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है।

(iii) ग्रामीण विकास व्यूह रचना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अब बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक चेतना बढ़ी है तथा गांवों के लोग अब अपने अधिकारों के बारे में ज्यादा जागरूक हो गए हैं।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में यद्यपि जातिवाद का उन्मूलन नहीं हुआ है लेकिन इसका प्रभाव निश्चित तौर पर घट रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब छुआछूत कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इस प्रकार सामाजिक चेतना में सुधार हुआ है।

3.4.2 ग्रामीण विकास की व्यूह रचना की सफलता के विपक्ष में तर्क (Arguments Against the Success of Rural Development Strategy)

यद्यपि ग्रामीण विकास की व्यूह रचना के कारण ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी परिवर्तन आए हैं तथा ग्रामीणों के आर्थिक जीवन में भी सुधार हुआ है लेकिन अनेक अर्थशास्त्रियों,

राजनीतिज्ञों तथा शिक्षाविदों की यह राय है कि ग्रामीण विकास व्यूह रचना पूर्णतया असफल सिद्ध हुई है। उनकी ऐसी धारणा के पीछे निम्नलिखित तर्क दिए जाते हैं:

1. **आर्थिक विषमता में वृद्धि (Increase in Economic Disparities):** ग्रामीण विकास की व्यूह रचना इस कारण असफल कही जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में धनी किसान अधिक धनी तथा गरीब किसान अधिक गरीब हुआ है। सरकारी सुविधाएं तथा नवीन प्रयोगों का लाभ सीमांत व लघु किसान उठाने में असमर्थ रहे हैं। उर्वरक के लिए दिए जाने वाले अनुदान का बड़ा भाग बड़े किसान हड़प जाते हैं
2. **बेरोजगारी को बढ़ावा (Increase in Unemployment):** यंत्रीकरण, विद्युतीकरण, परिवहन संसाधनों तथा छोटी जोतों ने बेरोजगारी को निरंतर बढ़ाया है। वैज्ञानिक खेती के कारण अदृश्य बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। श्रम व पशु प्रधान खेती के स्थान पर पूंजीवाद एवं मशीनीकृत खेती को बल मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी भी बढ़ी है।
3. **शहरों की ओर पलायन (Migration to Urban Areas):** 1971 की जनगणना के अनुसार मात्र 18% लोग शहरों में रहते थे। 2001 की जनगणना बताती है कि शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढकर 28% हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटकर 69% तथा शहरी जनसंख्या बढ़कर 31% हो गई। ग्रामीण विकास व्यूह रचना की असफलता का यह जीता जगता प्रमाण है।
4. **भ्रष्टाचार (Corruption):** ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यह स्वीकारोक्ति कि गांव के विकास के लिए सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि की मात्र 15% ही उन तक पहुंच पाती है तथा शेष 85% मध्यस्थों द्वारा हड़प लिया जाता है, यह दर्शाती है कि ग्रामीण विकास व्यूह रचना किस सीमा तक असफल सिद्ध हुई है।
5. **अनुत्पादक खर्च (Unproductive Expenditure):** ग्रामीण विकास व्यूह रचना के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को जो नकद सहायता प्रदान की जाती है उसका बड़ा भाग अनुत्पादक कार्यों पर खर्च कर देते हैं तथा बहुत ही कम हिस्सा व उत्पादक कार्यों हेतु इस्तेमाल करते हैं।
6. **बाल श्रम में वृद्धि (Increase in Child Labour):** जनसंख्या में वृद्धि तथा आर्थिक मजबूरियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रमिकों की संख्या के भारी वृद्धि हुई है। इस प्रकार ग्रामीण विकास की व्यूह रचना असफल हो गई है।
7. **साक्षरता का नीचा स्तर (Low Level of Literacy):** गांव में साक्षरता का प्रतिशत बहुत नीचा है। महिला शिक्षा की हालत तो और भी ज्यादा खराब है। ग्रामीण विकास की व्यूह रचना ज्यादातर प्रभावकारी सिद्ध नहीं हुई है क्योंकि गांवों में आज भी लोग अंधविश्वासी तथा झाड़फूंक में विश्वास रखने वाले बने हुए हैं
8. **निर्बल आर्थिक संगठन (Weak Economic Organisation):** ग्रामीण अर्थव्यवस्था की खास कमी निर्बल आर्थिक संगठन की भी है। ग्रामीण विकास के लिए कुछ संस्थाएं पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई है। ग्रामीणों को गतिमान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं का निर्माण व विकास अनिवार्य शर्त है लेकिन ग्रामीण विकास की और व्यूह रचना में इस और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।
9. **कुशल श्रमिकों का अभाव (Lack of Skilled Labourers):** ग्रामीण क्षेत्र में कुशल श्रमिकों का अभाव ग्रामीण विकास में एक मुख्य बाधा है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि में प्रति एकड़ निम्न उत्पादकता तथा ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र में प्रति श्रमिक निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण पिछड़ी तकनीकी का प्रयोग ही है। नई तकनीकें महंगी है और साथ ही उनके प्रयोग के लिए बड़ी संख्या में कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उपलब्ध नहीं है।

10. अन्य तर्क (Other Arguments) :

(i) लगभग दो दशक पूर्व ग्रामीण परिवेश प्रदूषण मुक्त था लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रदूषित वातावरण ने अपने पैर पसार दिए हैं। वनों के विनाश और बढ़ती जनसंख्या ,पराली जलाने आदि के कारण प्रदूषण की समस्या ने अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकराल रूप धारण कर लिया है।

(ii) ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण ग्रामीण विकास की व्यूह रचना असफल सिद्ध हो गई है।

(iii) आधारभूत संरचना यथा पानी, बिजली, सड़क आदि का ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अभाव खटकता है। शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी हालत में नहीं कही जा सकती।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु जो व्यूह रचना तैयार करके क्रियान्वित की जा रही है, उसके पक्ष-विपक्ष में अनेक तर्क दिए जाते हैं। आपके विचार में ग्रामीण विकास व्यूह रचना की कौन-कौनसी दो सफलताएं तथा विफलताएं ज्यादा महत्त्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए

3.5 ग्रामीण विकास के सामयिक मुद्दे अथवा ग्रामीण विकास व्यूह रचना की सफलता हेतु सुझाव (Current Issues of Rural Development or Suggestions for the Success of Rural Development Strategy)

ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर विचार करके उस दिशा में एक गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है अन्यथा ग्रामीण विकास व्यूह रचना ना तो व्यवहारिक धरातल पर उतर पाएगी और ना ही यह सफल हो पाएगी

ग्रामीण विकास से ज़ुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर निम्न प्रकार विचार व्यक्त किए जा सकते हैं

1. जनसंख्या दबाव पर नियंत्रण (Control on Population Pressure) : यद्यपि देश की कुल जनसंख्या की लगभग 70% आबादी गांवों में निवास करती है लेकिन अभी भी जनसंख्या का दबाव ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि व सम्बद्ध क्रियाएं हैं तथा धीरे-धीरे राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग कम होता जा रहा है। इस कारण जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव बढ़ता जा रहा है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है तथा सुविधाएं कम है। रोजगार के अवसर भी कम उपलब्ध है तथा अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या मजबूरी में प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता में निरंतर कमी आई है। इसी कारण से भारतीय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता कम तथा परिणाम स्वरूप मूल्य में तेजी का क्रम दृष्टिगोचर होता है। ग्रामीण क्षेत्रों पर जनसंख्या के निरंतर दबाव से अनार्थिक जोतों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। कृषि जोतों के उप विभाजन की प्रवृति भी प्रोत्साहित हुई है।

अदृश्य और बेरोजगारी की सीमा में भी ग्रामीण जनसंख्या दबाव से विस्तार हुआ है। इसी कारण ग्रामीण निर्धनता में वृद्धि हुई है। फसलों के प्रतिरूप पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। कृषि क्षेत्र में लघु व सीमांत कृषकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए जनसंख्या के दबाव के कारण ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की तरफ पलायन बढ रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी जीवन और तौर-की घुसपैठ होती रहती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा, शिक्षा एवं आवास स्थान सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती हुई जनसंख्या दबाव से इन सीमित सुविधाओं पर असीमित भर पड़ता है । पशुओं की चारागाह भूमि पर फसलें उगाई जाने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते जनसंख्या दबाव के कारण सामाजिक समस्याएं एवं अपराधों में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण समुदाय में मारपीट, हत्या, मुकदमेबाजी सामान्य बात हो गई है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के बढ़ते दबाव से अनेक समस्याओं का जन्म हुआ है। इन सभी समस्याओं का समाधान केवल ग्रामीण क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव घटाकर ही किया जा सकता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय का स्तर तब ही ऊंचा हो सकता है जब उसकी क्रियाशील जनसंख्या का बड़ा भाग गैर कृषि व्यवसाय में संलग्न हो। योजनाबद्ध विकास के सात दशक पूरे हो जाने के बावजूद भी हम ग्रामीण क्षेत्रों व्यावसायिक ढांचे में वांछनीय परिवर्तन लाने में सफल नहीं हो पाए हैं।

अतः ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान व्यावसायिक ढांचे में परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। इस दिशा में अब ऐसी रोजगार नीति का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके अंतर्गत निष्क्रिय श्रम शक्ति को गतिशील बनाने की दिशा में प्रभावशाली प्रयत्न किए जा सकें।

2. **रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना (Creation of More Employment Opportunities):** ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने के यद्यपि अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं लेकिन क्षेत्र की समस्या यथावत बनी हुई है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी,मौसमी बेरोजगारी व अदृश्य बेरोजगारी कम करने के लिए सुदृढ संगठनों की स्थापना की जानी चाहिए। इन संगठनों द्वारा गैर कृषि रोजगार यथा मशीनों की मरम्मत का कार्य, ग्रामीण परिवहन सेवा आदि विकसित करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

   कृषि श्रमिक पूर्णत: असंगठित है। उनकी सौदा शक्ति (Bargaining Power) अत्यंत ही कमजोर है। अतः कृषि श्रमिकों को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित कानूनों को तत्परता से क्रियान्वित किया जाना नितांत आवश्यक है। न्यूनतम मजदूरी कानून को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। सरकार के संरक्षण में श्रमिकों को संगठित किया जाना चाहिए। कृषि श्रमिकों की कामकाज की दशाओं में सुधार भी किया जाना जरूरी है।

3. **ग्रामीण निर्धनता का निवारण (Eradication of Rural Poverty):** ग्रामीण विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा निर्धनता का निवारण भी है। ऐसा करना ग्रामीण विकास व्यूह रचना की सफलता के लिए आवश्यक भी है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें मनरेगा, भारत निर्माण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। गरीबी मिटाने के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। इन कार्यक्रमों की कमियों व बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमांत कृषकों, अजा/अजजा, ग्रामीण शिल्पी, भूमिहीन श्रमिकों तथा कृषि श्रमिकों की गरीबी दूर करके उनकी सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक दशाओं में सुधार किया जा सकता है। ग्रामीणों शिल्पकारों को कार्यशाला खोलने एवं औजार खरीदने के लिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण दिलवानें की व्यवस्था की जानी चाहियें। उन्हें आवश्यक कच्चा माल उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाना चाहिये। कर्ज के भार से मुक्त करके इनकी गरीबी को कम किया जा सकता है।

   2018 में गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा बजट में आवंटित धनराशि बढ़ाई जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में भी ज्यादा व्यय करने का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रावधान राशि बढ़ाई गई है। कुल मिलाकर भारत के ग्रामीण विकास पर एक लाख करोड़ रूपये से अधिक का व्यय करके गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि इन्हें बिचौलियों से मुक्त करके सीधा लाभ गरीब की जेब तक पहुंचाया जाए।

4. **शिक्षा का प्रसार (Expansion of Education):** अब समय आ गया है कि दो शताब्दी पूर्व थोपी गई मैकाले की शिक्षा व्यवस्था को उखाड़ फेंका जाये तथा स्वरोजगार एवं संस्कार से शिक्षा को जोड़कर सर्व सुलभ एवं अनिवार्य शिक्षा की सुदृढ व्यवस्था की जाए। शिक्षा में सदाचार को स्थान दिया जाए ताकि गरीब परिवार

अंधविश्वासों, दुर्व्यसनों एवं कुरीतियों के कारण गरीब नहीं बना रहे। ग्रामीण क्षेत्रों को पूरी तरह स्वावलंबन की ओर ले जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षा ने भी गरीबी को बढ़ाने में सहयोग किया है। महिला साक्षरता को बढ़ावा देकर घरेलू उद्योगों के माध्यम से पारिवारिक आय में वृद्धि हेतु बड़ा योगदान हो सकता है

5. **पर्यावरण संरक्षण (Environmental Conservation):** वनों की अनियंत्रित कटाई तथा अति चरवाहगिरी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन गड़बड़ा रहा है। अतः सामाजिक वानिकी तथा पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इस संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं धुएं की समस्या से विशेष रूप से पीड़ित रहती हैं। अतः सौर ऊर्जा, एलपीजी सिलेंडर आदि के माध्यम से उन्हें इस समस्या से निजात दिलवाई जा सकती है। केंद्र सरकार ने उज्जवला योजना के माध्यम से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को इस दिशा में लाभान्वित करने का प्रयास भी किया है।
6. **उत्पादकता में सुधार (Improvement in Productivity):** ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि से सम्बन्धित क्रियाओं ग्रामीण उद्योग आदि में उत्पादकता का स्तर बहुत नीचा है जिसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है। ग्रामीण उद्योगों को पूर्ण क्षमता पर संचालित करने, उत्पादन लागत घटाने तथा उत्पादकता बढ़ाने से वे अधिक लाभदायक या प्रतियोगी सिद्ध हो सकेंगे।
7. **ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी (Active Participation of Rural People):** ग्रामीणों के हितार्थ सरकार ने कई सारे कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। इन सभी कार्यक्रमों को तैयार करने, क्रियान्वित करने तथा मूल्यांकन करने में ग्रामीणों की सक्रीय भागीदारी होनी चाहिए ताकि ऐसा लगे कि ये कार्यक्रम सरकार द्वारा उन पर थोपे गये हैं। जरूरतमंदों तक इन कार्यक्रमों का लाभ पहुंचाना भी आवश्यक है। ग्रामीण निर्धनों, लघु तथा सीमांत कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के भले के लिए जो कार्यक्रम चलाये जा रहे है, वे ग्रामीण लोगो के सक्रिय भागीदारी के माध्यम से क्रियान्वित किए जाने चाहिए तथा लाभार्थियों को इन कार्यक्रमों की सुविधाएं लेने हेतु स्वयं आगे आना चाहिये।
8. **ग्रामीण नेतृत्व (Rural Leadership):** ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के प्रति अनुकूल वातावरण का निर्माण करने तथा विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ सही हकदार तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण नेतृत्व को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। गांव के पंच, सरपंच, प्रधान, जिला परिषद् के डायरेक्टर. जिला प्रमुख, सहकारी समिति के चेयरमैन, ग्राम सेवक, शिक्षक, पटवारी आदि सभी का यह दायित्व तथा कर्तव्य है कि वह सही नेतृत्व प्रदान करने में ग्रामीणों की मदद करें। विधायक तथा संसद भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
9. **अकाल में सूखे का स्थायी समाधान (Permanent Solution of Famine and Drought) :** देश में कुछ हिस्सों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल व सूखा एक स्थायी समस्या बनकर रह गये है। यद्यपि सरकार ने इस समस्या के समाधान हेतु कई कार्यक्रम संचालित कर रखे हैं लेकिन ज्यादातर जब समस्या उत्पन्न होती है तभी तदर्थ आधार पर कुछ व्यवस्था की जाती है और समय बीतने के साथ पुनः वही समस्या बनी रहती है। सरकार को चाहिए कि वह इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढे तथा कुछ अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर उन पर गंभीरता से कार्य शुरू करें। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की व्यवस्था और पशुओं के लिए चारा ,पेयजल आदि ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें तात्कालिक आधार पर हल किया जा सकता है। लेकिन सिंचाई सुविधा शुष्क खेती, वृक्षारोपण, जनसंख्या नियंत्रण व आधारभूत संरचना का निर्माण आदि कुछ ऐसे मुद्दे के हैं जिन के लिए दीर्घकालीन योजनायें बनाकर गंभीरता व ईमानदारी से काम करने की आवश्यकता है।
10. **सतत निगरानी एवं मूल्यांकन (Continuous Monitoring and Evaluation):** नियोजनकाल के प्रारंभ से ही ग्रामीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम व योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं लेकिन उनके वे परिणाम नहीं दिखाई

दिए जो वास्तव में आने होने चाहिए थे। इसका एक बड़ा कारण योजना की क्रियान्वित करने के बाद न तो उस पर उचित ढंग से निगरानी रखी गई और न ही परिणामों का मूल्यांकन किया गया। अत: आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण विकास हेतु जो व्यूह रचना बने जाए, वह ऐसी हो कि विभिन्न योजनाओं को लागू करने के पश्चात् उनके क्रियान्वयन पर सतत नजर बनाई रखी जाये तथा समय-समय पर उनका मूल्यांकन भी किया जाये।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

आजादी के अमृत महोत्सव कालखंड में भी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विकास के वैसे अनुकूल परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हुए हैं जो वास्तव में होने चाहिए थे। ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाओं के सकारात्मक परिणाम जल्द प्राप्त हो, इस हेतु आप कौनसे दो महत्त्वपूर्ण सुझाव अपनी ओर से प्रस्तुत करना चाहेंगे।

3.6 सारांश (Conclusion)

भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था है जो उनके समस्याओं से निरंतर जूझ रही है। निरंतर बढ़ता जनसंख्या का दबाव, मूलभूत सुविधाओं तथा संरचना यथा पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, सिंचाई आदि का आभाव ऐसी समस्याएं हैं जिनके निदान हेतु यद्यपि सरकार ने योजनाकाल के प्रारंभ से ही अनेक योजनाएं व कार्यक्रम प्रारंभ किए लेकिन उनके परिणाम उत्साहवर्धक नहीं रहे। दलगत राजनीति, जातिवाद, धड़े बंदी, मुकदमें बाज़ी आदि में उलझी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी तीव्र गति से विकास की बाट जोह रही है। निष्ठावान तथा ईमानदारी कर्मचारियों का अभाव, उनका तथाकथित जन नेताओं से गठजोड़, भारी भ्रष्टाचार आदि ऐसे नासूर सिद्ध हुए हैं, जिन्होंने ग्राम विकास की व्यूह रचना को तहस-नहस करके रख दिया। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद लोगों को इस दिशा में कुछ आशा बंधी है लेकिन लगता है कि आजादी अमृत महोत्सव के इस काल के बाद भी अभी तक एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। विभिन्न योजनाओं के प्रारंभ से लेकर पूर्णाहूति तक सतत व निगरानी, सही क्रियान्वयन व समय-समय पर मूल्यांकन की महती आवश्यकता है।

3.7 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई का उद्देश्य ग्रामीण विकास हेतु तैयार की गई व्यूह रचना के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करना है। आशा है कि इकाई में दी गई सम्पूर्ण अध्ययन सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात् विद्यार्थी ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का अर्थ, कार्यक्रम, सरकारी सुविधाओं तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में भली-भांति परिचित हो गये होंगे। ग्रामीण विकास की व्यूह रचना का मूल्यांकन, उसके पक्ष-विपक्ष में दिए जाने वाले तर्कों के आधार पर किया जाता है। यह आशा की जाती है कि विद्यार्थियों ने उक्त पक्ष व विपक्ष में प्रस्तुत किये गये तर्कों को आत्मसात कर लिया होगा। इससे निश्चित तौर पर विद्यार्थियों का बौद्धिक तथा शैक्षिक विकास होगा।

3.8 शब्दकोश (Glossary)

- **AAY (अन्त्योदय अन्न योजना):** दिसम्बर 2000 में शुरू की गई इस योजना में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीब परिवारों को अनुदान प्राप्त दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है।
- **DDUGKY:** (पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना)
- **MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gaurantee Scheme):** महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक वित्त वर्ष में एक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को न्यूनतम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है।
- **PMEPP (प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम):** 2016-17 से इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है जिसके अंतर्गत भारत सरकार नव नियुक्त कर्मचारियों की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में अंशदान करती है।

- **REGP (Rural Employment Generation Programme (ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम)**: 1995 में ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में स्व रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया।
- **SGRY (Sampuran Gramin Rojgar Yojana) (सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना):** वर्ष 2001 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है।
- **SGSY (Swarn Jayanti Gram Self Employment Yojana) (स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना):** वर्ष 1999 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।
- **TRYSEM (Training of Rural Youth for Self Employment) (ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम):** इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण युवकों को अपनी बेकारी समाप्त करने के लिये स्वरोजगार ढूंढने के लिए सक्षम बनाना है।

3.9 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)

अति लघुरात्मक प्रश्न (Very - Short Answer Questions)

1. ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने के लिए प्रारम्भ किये गये कार्यक्रमों के नाम लिखिए।
   Write the name of the programmes started to remove rural unemployment.
2. ग्रामीण विकास को परिभाषित कीजिये।
   Define Rural Development.
3. ग्रामीण विकास व्यूह रचना से क्या आशय है।
   What is meant by Rural Development Strategy?
4. ग्रामीण विकास व्यूह रचना के उद्देश्य क्या है?
   What are the objectives of Rural Development Strategy?
5. ग्रामीण विकास से सम्बंधित मुख्य दो सामयिक मुद्दे क्या है?
   What are the two main current issues relating to Rural Development.

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Questions**)**

1. ग्रामीण विकास व्यूह रचना को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण विकास से जुड़ी नीतियों, कार्यक्रमों तथा सुविधाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
   Define Strategy of Rural Development. Briefly explain the Policies, Programmes and Facilities relating to Rural Development.
2. ग्रामीण विकास व्यूह रचना से सम्बंधित सामयिक मुद्दों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए।
   Critically examine the Current Issues of Rural Development Strategy.
3. ग्रामीण विकास हेतु व्यूह रचना से आपका क्या आशय है? पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अपनाई गई ग्रामीण विकास व्यूह रचना को संक्षेप में बताइये।
   What do you mean by Strategy of Rural Development? Explain the Strategy adopted during Five Year Plans for Rural Development in India.
4. ग्रामीण विकास व्यूह रचना की सफलता के पक्ष और विपक्ष में तर्क सहित विवेचन कीजिये।
   Discuss the arguments in favour and against the success of Rural Development Strategy.

3.10 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची (References and Bibliography)

- वशिष्ठ भिंडा, शर्मा, लोढ़ा, शर्मा: "भारत में आर्थिक पर्यावरण", अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर
- अग्रवाल, गुप्ता: "भारत में आर्थिक पर्यावरण", रमेश बुक डिपो, जयपुर
- अग्रवाल, माथुर, गुप्ता: "सहकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास", रमेश बुक डिपो, जयपुर
- Chaudhary, C.M.: "Rural Development and Co-operation", Shivam Book House, Jaipur.
- Swami, Gupta: "Rural Development and Co-operation", RBD Jaipur.
- लक्ष्मी नारायण नाथूराम का: "राजस्थान की अर्थव्यवस्था", आर.बी.डी. पब्लिकेशन, जयपुर

3.11 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- C. Kay : "Development Strategies and Rural Development: Exploring Synergies, Eradicating Poverty"(Article : The Journal of Peasant Studies, 2009)
- G. Sreedhar and D. Rajsekhar: "Rural Development in India, Strategies and Processes", Concept Publishing Co. (P) Ltd.
- Katar Singh: "Rural Development: Principles Policies and Management", SAGE Texts
- Singh, K.K. : "Rural Development Strategies in Developing Countries (Ed.) Sarup & Sons (2001)
- Tahir Hussain, Mary Tahir, Riya Tahir: "Fundamentals of Rural Development".Wiley
- Uma Leli :'Design of Rural Development, Lessons from Africa"

3.12 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources and Links)

- https://www.insightsonindia.com
- https://www.yourarticlelibrary.com
- https://www.researchgate.net
- https://www.ijert.org>rural.india
- https://www.niti.gov.in>verticals
- https://academic.oup.com>article

इकाई - 4

ग्रामीण विकास प्रशासन

(Rural Development Administration)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

4.0 उद्देश्य

4.1 प्रस्तावना

4.2 ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषा

4.3 प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा

4.4 प्रशासन की विशेषताएं

4.5 ग्रामीण विकास प्रशासन का अर्थ

4.6 ग्रामीण विकास प्रशासन की भूमिका

4.7 भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन का स्तर/तंत्र

4.8 भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन का संरचनात्मक स्वरूप

- 4.8.1 केन्द्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर संरचना
- 4.8.2 राज्य स्तर पर संरचना
- 4.8.3 जिला स्तर पर संरचना
- 4.8.4 प्रखण्ड स्तर पर संरचना
- 4.8.5 ग्राम स्तर पर संरचना

4.9 ग्रामीण विकास से संबंधित संस्थान

- 4.9.1 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
- 4.9.2 जिला परिषद, विकास प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत
- 4.9.3 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
- 4.9.4 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान
- 4.9.5 अन्य संस्थान

4.10 सारांश

4.11 अधिगम परिणाम

4.12 शब्दकोष

4.13 स्व परख प्रश्न

4.14 सन्दर्भ एवं ग्रन्थ सूची

4.15 अन्य पठन सामग्री

4.16 वेब संसाधन/लिंक

4.0 उद्धेश्य (Objective)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी ग्रामीण विकास प्रशासन तथा ग्रामीण विकास प्रशासन के सम्बन्ध में जान पायेंगे। प्रशासन विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण विकास हेतु कौन सी योजनाएं चलाता है तथा इसका ग्रामीणों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, इस सम्बन्ध में भी विद्यार्थी अवगत हो सकेंगे। भारत में ग्रामीण विकास का प्रशासन तंत्र राष्ट्रीय, राज्य, जिला, प्रखण्ड एवं अंतत: ग्राम स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का संचालन करता है। जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की भूमिका तो अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है।

4.1 प्रस्तावना (Introduction)

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का इतिहास अत्यंत पुराना रहा है। सहकारी समिति अधिनियम (1904) के पारित होने के साथ ही भारत में इन कार्यक्रमों का सूत्रपात हुआ लेकिन विदेशी शासकों द्वारा देश के आर्थिक विकास के प्रति बरती गई उदासीनता के कारण यहां के नागरिकों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधन भी नहीं जुटाए जा सके। आर्थिक विकास और विशेषकर ग्रामीण विकास कार्यक्रम को मूर्त रूप देने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात अनेक प्रयास किए गए। 1951 से प्रारंभ की गई प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक देश में ग्रामीण विकास हेतु केंद्र सरकार व विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की न केवल घोषणाएं की गई अपितु उन्हें धरातल पर उतारकर देश की जनसंख्या के एक बड़े अंग को लाभान्वित भी किया गया।

कोविड-19 महामारी के कालखंड में भी नीति आयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले तथा गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वालों के जीवन स्तर में सुधार लाने के अलग से प्रयत्न निरंतर जारी रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दिया मूल मंत्र वोकल फोर‘ लोकल ’(Vocal for Local) इस बात का प्रतीक है कि सरकार स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हुए वहां के नागरिकों के जीवन यापन की सुविधाएं जुटाने और उसकी आय में वृद्धि करने हेतु कितनी जागरूक एवं दृढ प्रतिज्ञ है।

4.2 ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Rural Development)

ग्रामीण विकास का अर्थ जानने से पूर्व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूलत: ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था होती है। आर्थिक दृष्टि से ग्रामीणों की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। गांव एक छोटी इकाई होती है जिसमें ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख व्यवसाय कृषि व कृषि से सम्बद्ध क्रियाएं होती है। खेती करने के अतिरिक्त दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, मछली पालन, बागवानी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि को कृषि से सम्बद्ध क्रियाओं में शामिल किया जाता है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। परिवहन के अविकसित साधन, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, व स्वास्थ्य सुविधाएं भी वहाँ नाम मात्र की होती है। ग्रामीणों का जीवन ज्यादातर सामाजिक पद्धति पर आधारित

होता है और वे मिलजुल कर काम करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान, पिछड़ी हुई, परंपरावादी तथा कम शिक्षित होती है लेकिन वहां बड़े पैमाने पर अदृश्य बेरोजगारी व्याप्त होती है। मौसमी बेरोजगारी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। मानसून पर निर्भरता के कारण ग्रामीण वर्ष में मुश्किल से 5-6 महीने काम करते हैं। इस कारण निर्धनता का उन पर व्यापक प्रभाव रहता है तथा वे ऋण ग्रस्तता के भंवर जाल में फंसे रहते हैं। कृषि क्षेत्र में निम्न उत्पादकता कोढ़ में खाज का काम करती हैं।

अतः ग्रामीण विकास से तात्पर्य गुणात्मक एवं मात्रात्मक दृष्टि से निरंतर चलाए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों से है जिनके माध्यम से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हो तथा भविष्य में भी उनके लिए सतत प्रयत्न जारी रहे। समग्र रूप से ग्रामीण विकास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा तकनीकी आदि सभी पहलू समाहित होते हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास का आशय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली मानव जाति के सर्वांगीण विकास से लगाया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास से अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक निम्न आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनके विकास के क्रम को आत्मपोषित करना है, **"उमा लेली: डिजाईन ऑफ़ सरल डवलपमेंट"**

"ग्रामीण विकास व्यक्तियों के एक समूह विशेष-गरीब ग्रामीणों के आर्थिक व सामाजिक जीवन के उन्नयन हेतु तैयार की गई रचना है। यह समूह लघु व सीमांत कृषकों किरायेदारों और भूमिहीन श्रमिकों को शामिल करता है", **द सरल डवलपमैंट सैक्टर पॉलिसी पेपर ऑफ वर्ल्ड बैंक (1975)**

उपरोक्त के अतिरिक्त अनेक अन्य विद्वानों ने भी ग्रामीण विकास को परिभाषित किया है। इन समस्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण विकास से आशय एक व्यूह रचना है जिसके माध्यम से अधिकतम सीमा तक मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है ताकि रोजगार के अधिक अवसर सृजित किए जा सकें और व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके।

4.3 प्रशासन का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Administration)

'प्रशासन' (Administration) शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के AD+MINISTARE शब्द से हुई है जिसका अर्थ लोगों की देखभाल करना तथा सार्वजनिक कार्यों की व्यवस्था करना है 'प्रशासन' शब्द का प्राय: चार अर्थों में प्रयोग किया जाता है :

(1) शासन सत्ता (शासन काल)
(2) अध्ययन शाखा (अध्ययन क्षेत्र)
(3) विशेष सेवाएं
(4) प्रबंध (व्यवस्था)

(1) शासन सत्ता (शासन काल): जब किसी प्रमुख व्यक्ति, राजा, नेता आदि के शासनकाल में किसी कार्य विशेष का उल्लेख किया जाता है तो इसे शासन, सत्ता या शासन काल कहा जाता है। उदाहरणार्थ पी.वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रीत्व शासन काल में भारत में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात हुआ था। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि अमुक कुलपति महोदय के शासनकाल में अमुक विश्वविद्यालय ने प्रगति के नए सोपान तय किये।

(2) **अध्ययन शाखा (अध्ययन क्षेत्र):** इसके अनुसार किसी विशेष शाखा या विभाग के अध्ययन से आशय है जैसे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध

(Economic Administration and Financial Management) का अध्ययन अलग से एक शाखा या विभाग के रूप में किया जाता है।

(3) **विशेष सेवाएं:** कभी-कभी प्रशासन शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष की सेवाओं के संदर्भ में किया जाता है। उदाहरणार्थ जिला प्रशासन (District Administration), पुलिस प्रशासन (Police Administration) आदि। ये सेवाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, व्यवस्था, वित्त आदि से संबंधित हो सकती है।

(4) **प्रबंध (व्यवस्था):** प्रशासन का सामान्य अर्थ प्रबंध अथवा व्यवस्था से लगाया जाता है। एक परिवार, संस्थान, राज्य और संपूर्ण राष्ट्र की व्यवस्था या कार्य संचालन को प्रशासन कहा जाता है। उदाहरणार्थ कोविड-19 महामारी के समय मोदी सरकार का संपूर्ण देश में वैक्सीन के क्षेत्र में प्रशासन उत्कृष्ट श्रेणी का था।

प्रशासन की परिभाषा (Definition of Administration)

एल.डी. व्हाइट (L.D. White) के अनुसार "किसी प्रयोजन या उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का संचालन में समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है"

फिफनर एवं प्रस्थस (Pfiffner and Presthus) के अनुसार "प्रशासन वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माननीय तथा भौतिक संसाधनों का संगठन तथा संचालन है"

इसी प्रकार **जॉन ए. वीग** तथा अन्य विद्वानों ने भी 'प्रशासन' को परिभाषित किया है। इन समस्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई निश्चित कार्य जो किसी निर्धारित परियोजना की प्राप्ति के लिए किया जाता है, प्रशासन कहलाता है। प्रशासन उपलब्ध संसाधनों को क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से न्यूनतम श्रम, समय और धन के व्यय से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है।

4.4 प्रशासन की विशेषताएं (Characteristics of Administration)

विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने-अपने ढंग से प्रशासन को परिभाषित किया गया है। इन समस्त परिभाषाओं के आधार पर प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं बताई जा सकती हैं :

(1) प्रशासन एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है।
(2) निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सुव्यवस्थित कार्यविधि की जरूरत होती है।
(3) इसमें एक से अधिक व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत होती है।
(4) प्रशासक के पास दूसरे व्यक्तियों या संस्थाओं का सहयोग लेने के लिए पर्याप्त अधिकार होने आवश्यक है।
(5) प्रशासन शब्द विस्तृत संदर्भ में उपयोग में लाया जाता है।
(6) प्रशासन निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय एवं भौतिकी संसाधनों का निर्देशन समन्वय तथा नियंत्रण है।

4.5 ग्रामीण विकास प्रशासन का अर्थ (Meaning of Rural Development Administration)

'ग्रामीण विकास प्रशासन' प्रशासन का वह रूप है जो प्रत्यक्ष तौर पर ग्रामीण विकास से संबंधित होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से विकास की दर को गति प्रदान करता है तथा उपलब्ध मानवीय, प्राकृतिक एवं भौतिकी संसाधनों के नियोजन, संगठन, समन्वय एवं नियंत्रण से संबंधित कार्यों का संपादन करता है। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु जो भी गतिविधियां संचालित की जा सकती है वे सब ग्रामीण विकास प्रशासन के अंतर्गत आती हैं।

ऐसी विभिन्न एजेंसियां तथा संस्थान जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु विभिन्न स्तरों पर कार्यरत हैं वे सब ग्रामीण विकास व शासन के अंग के रूप में कार्य करती है। ये एजेंसियां राष्ट्रीय, राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर या फिर ग्राम की भी हो सकती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास प्रशासन एक ऐसा संगठन है जो समस्त मानवीय व भौतिक संसाधनों के नियोजन, समन्वय, नियंत्रण तथा निर्देशन के आधार पर सर्वांगीण विकास का उद्देश्य पूर्ण करने का प्रयास करता है।

4.6 ग्रामीण विकास प्रशासन की भूमिका (Role of Rural Development Administration)

विकासशील भारतीय अर्थव्यवस्था के जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा (लगभग 75%) गांवों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्र अनेक समस्याओं से सदैव ही जूझता रहा है जिसमें कृषि की मानसून पर निर्भरता, छुपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, निर्धनता, निरक्षरता तथा जीवन यापन हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का अभाव प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा गरीबी का निवारण करने हेतु ग्रामीण विकास प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता।

ग्रामीण विकास के प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका की विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा की जा सकती है:

(1) तीव्र गति से ग्रामीण विकास (Faster Rate of Rural Development): निर्धनता के निवारण एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास किया जाए। एक कुशल प्रशासन ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं को सही ढंग से लागू करके उनका क्रियान्वयन कर सकता है

(2) संतुलित ग्रामीण विकास (Balanced Rural Development): ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासन स्थानीय संसाधनों का सही रूप से सर्वेक्षण करवा कर विकास की योजना बना कर उन्हें धरातल पर उतार सकता है। एक कुशल प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र का न केवल संतुलित बल्कि सर्वांगीण विकास करने में भी सक्षम होता है।

(3) सेवीवर्गीय प्रबंध (Personnel Management): ग्रामीण विकास प्रशासन में कर्मचारियों की एक बड़ी फौज कार्यरत रहती है। कर्मचारियों का चयन, उनकी नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानांतरण, तरक्की तथा सेवानिवृत्ति के संबंध में स्पष्ट नियम बनानाव, उन्हें लागू करना प्रशासन का महत्वपूर्ण दायित्व होता है।

(4) शिक्षण प्रशिक्षण (Education and Training): जो कर्मचारी ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में नियुक्त हैं उनके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आवश्यक है। विकास कार्यों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपने कर्मचारियों के शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि वे समस्त प्रक्रिया के संबंध में भली-भांति अवगत रहें।

(5) कुशल निर्देशन (Efficient Direction) किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए कुशल निर्देशन अत्यंत आवश्यक होता है। ग्रामीण विकास एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे एक सही दिशा निर्देश द्वारा प्रशासन सफल करने में सक्षम हो सकता है।

(6) ग्रामीण विकास एजेंसियों के मध्य समन्वय (Co-ordination among Rural Development Agenices): ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर विभिन्न एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। ग्रामीण विकास प्रशासन इन विभिन्न एजेंसियों के बीच उचित तालमेल बिठाकर निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है।

(7) सरकार की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास (Development According to Government Priorites): ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के अनुसार प्रशासन अपने

लक्ष्य तथा प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकता है। ऐसा करते समय प्रशासन को अपने राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप निर्णय लेना पड़ता है ताकि समुचित परिणाम प्राप्त हो सके।

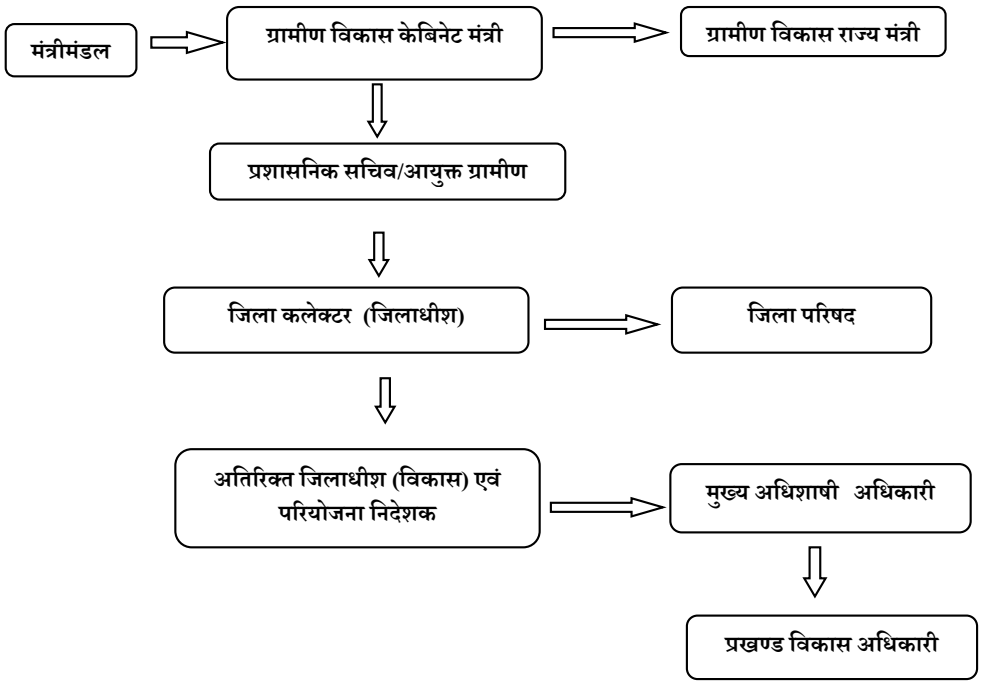
(8) वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग (Optimum Utilisation of Financial Resources) वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकारें अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों पर व्यय कर रही है। संबंधित प्रशासन द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। प्रशासन संसाधनों के आवंटन व उपयोग पर पैनी नजर रखकर उनका दुरुपयोग करने पर रोक लगा सकता है ताकि उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो सकें।

4.7 भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन का स्तर/तंत्र (Levels/Machinery of Rural Development Administration in India)

भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन का अध्ययन करने के लिए इसके स्तर/तंत्र को समझना भी आवश्यक है। भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण विकास प्रशासन को निम्न प्रारूप द्वारा दर्शाया जा सकता है:

प्रारूप: भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन का स्तर/तंत्र

(Levels/Machinery of Rural Development Administration in India)



ग्रामीण विकास में लगे तंत्र/ मशीनरी का संक्षिप्त रूप इस प्रकार समझा जा सकता है:

(1) ग्रामीण विकास कैबिनेट मंत्री (Cabinet Minister for Rural Development): देश में ग्रामीण विकास के उद्देश्य से केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार स्तर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्धारित की गई नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय का होता है इस मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री होते हैं जो समय-समय पर कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश देते रहते हैं।

(2) **ग्रामीण विकास सचिव/आयुक्त (Secretary/ Commissioner Rural Development):** सरकार ग्रामीण विकास के लिए या तो सचिव या आयुक्त की नियुक्ति करती है। सचिवालय में यह सबसे ऊंचा पद होता है जिसके निर्देशन में समस्त अधिकारी व कर्मचारी कार्य करते हैं।

(3) **जिलाधीश/ जिला कलेक्टर (District Collector):** जिले का कलेक्टर एक आईएएस अधिकारी होता है जो ग्रामीण विकास के उद्देश्य से जिला विकास अधिकारी के रूप में कार्य करता है। यह विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करने, विकास कार्यों में अपने आने वाली बाधाओं को दूर करने तथा विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। जिले में समाज कल्याण विभाग एवं विकास कार्यक्रमों के विभागों को निर्देश प्रदान करता है। यह जिला परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों में भाग लेता है तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण **(DRDA)** का चेयरमैन भी होता है

(4) **अतिरिक्त जिलाधीश- विकास (Additional Collector-Development):** जिले में ग्रामीण विकास कार्य करने के लिए डीआरडीए का गठन किया गया है। इस एजेंसी का उच्च अधिकारी अतिरिक्त जिलाधीश एवं निर्देशक होता है। यह जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार कार्य करता है। यह भी आई ए एस अधिकारी होता है।

(5) **मुख्य अधिशासी अधिकारी (Chief Executive Officer):** कुछ राज्यों में ग्रामीण विकास के दायित्व से जिला कलेक्टर मुक्त रहते हैं और यह दायित्व मुख्य अधिशासी अधिकारी को वहन करना होता है। यह जिला कलेक्टर के समतुल्य ही एक वरिष्ठ अधिकारी होता है। जिले में विकास कार्यों में लगे विभिन्न विभागों के मुखिया सीईओ के अधीन उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करते हैं।

(6) **प्रखंड विकास अधिकारी (Block Development Officer-BDO):** प्रत्येक जिले में कुछ पंचायत समितियां बनाई गई है। प्रखंड विकास अधिकारी पंचायत समिति या प्रखंड का उच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है तथा एक खंड में विकास कार्यो के लिए उत्तरदायी होता है।

(7) **अन्य सेवीवर्गीय (Other Personnel):** उपरोक्त अधिकारियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कर्मचारी सेवा कर्मी भी होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास प्रशासन से जुड़े रहते हैं तथा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिला परिषद के सचिव, उपसचिव, विस्तार अधिकारी, लेखाकार, इंजीनियर, अधिकारी, ग्राम सेवक आदि हो सकते हैं। पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन में पंचायत सचिव एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।

4.8 भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन का संरचनात्मक स्वरूप (Structural Setup of Rural Development Administration in India)

भारत में राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक ग्रामीण विकास प्रशासन का बहु आयामी ढांचागत स्वरूप है जिसे हम विभिन्न स्तरों पर रखकर उसकी विवेचना कर सकते हैं

4.8.1 केंद्रीय/राष्ट्रीय पर संरचना

4.8.2 राज्य स्तर पर संरचना

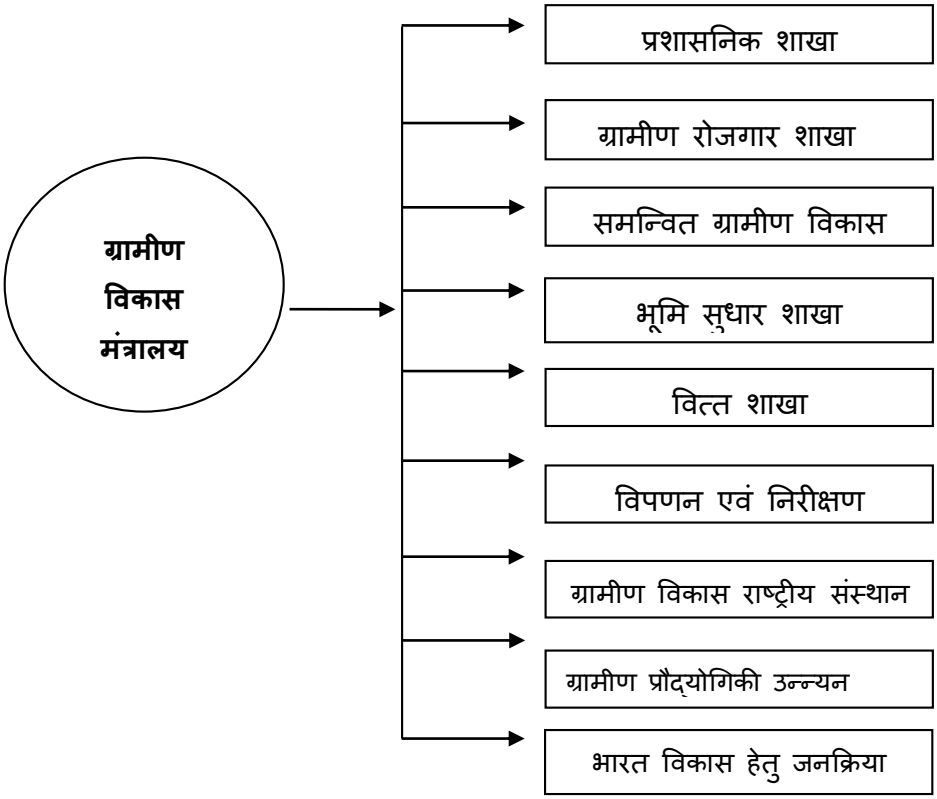
4.8.3 जिला स्तर पर संरचना

4.8.4 प्रखण्ड स्तर पर संरचना

4.8.5 ग्राम स्तर पर संरचना

4.8.1 केन्द्रीय / राष्ट्रीय पर संरचना (Structure at the Central/National Level):

केंद्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम में आपसी सामंजस्य और क्रियान्वयन का मुख्य उत्तरदायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय पर होता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कई शाखाएं और विभाग सक्रिय रहते हैं जिन्हें एक प्रारूप के रूप में दर्शाया जा सकता है:



(1) प्रशासनिक शाखा (Administrative Wing): यह शाखा सामान्य प्रशासन, प्रशिक्षण, प्रचार और समन्वय जैसे कार्यों से सम्बंधित है। प्रशिक्षण विभाग प्रशिक्षण, मूल्यांकन और शोध कार्य को देखता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, रेगिस्तान विकास कार्यक्रम, सूखे की संभावना क्षेत्र कार्यक्रम, ट्राईसम आदि से जुड़े अनेक अध्ययन इस प्रशासनिक शाखा द्वारा किये गये है।

(2) ग्रामीण रोजगार शाखा (Rural Employment Wing): इसका मुख्य संबंध ग्रामीण रोजगार के कार्यों से जुड़ा है। जवाहर रोजगार योजना, ग्रामीण मानव शक्ति रोजगार, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय आदि भी इसी में सम्मिलित है। यह शाखा पीने के पानी की आपूर्ति, भूमिहीन श्रमिकों को आवास आवंटन तथा भारत सेवक समाज के कार्यों को भी देखती है।

(3) समन्वित ग्रामीण विकास शाखा (Integrated Rural Development Wing): यह शाखा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राईसम, ग्रामीण पोषाहार कर्यक्रम, सामान्य शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य तथा ग्रामीण विद्युत के कार्यों को देखती है। उल्लेखनीय है कि आई.आर.डी.पी., ट्राईसम, डी.सी.डब्ल्यू.आर.ए जैसे कार्यक्रमों का अब स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय किया जा चुका है।

(4) भूमि सुधार शाखा (Land Reforms Wing): इस शाखा के अन्तर्गत भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, डीपीएपी, डीडीपी, पंचायती राज आदि के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।

(5) वित्त शाखा (Finance Wing): यह शाखा संस्थागत वित्त योजना, समन्वय, कार्य अध्ययन, ग्रामीण सड़कों व ग्रामीण वित्त का कार्य देखती है।

(6) **विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (Directorate of Marketing and Inspection - DMI):** इस निदेशालय का सम्बन्ध बाजार अनुसंधान एवं सर्वेक्षण, बाजार का विस्तार, श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण तथा कृषि विपणन के सम्बन्ध में परामर्श देने से है।

(7) **ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान (National Institute of Rural Development):** इस संस्थान की स्थापना 1958 में की गई थी और यह हैदराबाद में स्थित है। यह संस्थान ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संगोष्ठियों, व्याख्यानों, अध्ययन पाठ्यक्रमों, शोध एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

(8) **ग्रामीण प्रौद्योगिकी उन्नयन परिषद (Council for Advancement of Rural Technology–CART):** यह परिषद 1982 में गठित की गई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका सम्बन्ध ग्रामीण क्षेत्र में प्रोद्योगिकी शोध एवं उसके विस्तार से है।

(9) **भारत विकास हेतु जनक्रिया (People Action for Development India - PADI):** यह एक पंजीकृत सोसायटी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ग्रामीण विकास मंत्री इस सोसायटी के चेयरमैन है। यह सोसायटी देश में उन वर्गों के कल्याण हेतु कार्य करती है जो आर्थिक व सामाजिक रूप से कमजोर है।

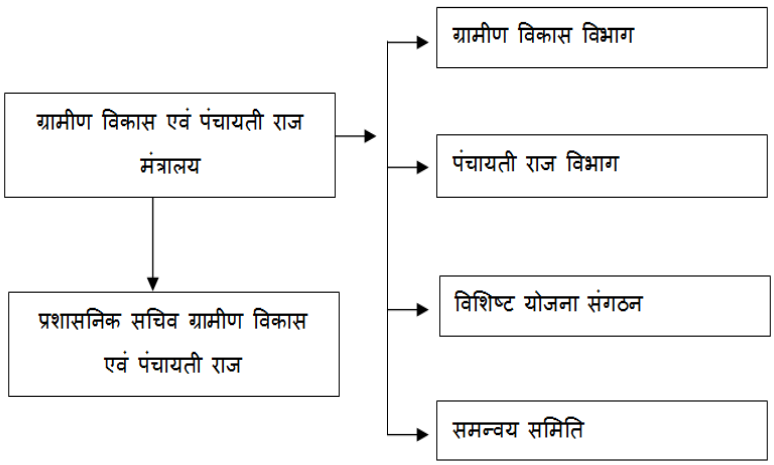
4.8.2 राज्य स्तर पर संरचना (Structure at the State Level) :

राज्य स्तर पर एक समन्वय समिति है जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण का काम करती है। ये प्रखण्ड स्तर पर विभिन्न, योजनाओं की स्वीकृति देती है। यह समन्वय समिति समय-समय पर क्षेत्रीय अधिकारीयों के साथ बैठक करती है। क्षेत्रीय अधिकारी कमेटी को सुझाव देते है तथा ट्राईसम, काम के बदले अनाज योजना, लघु सिंचाई योजनाओं, ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों के निर्माण आदि कार्यक्रमों की प्रगति का आंकलन करते हैं।

पंचायती राज संगठन एवं ग्रामीण विकास विभाग, नियोजन विभाग आदि राज्य स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों को लागु करने, क्रियान्वयन करने, मूल्यांकन करने एवं निर्देशन करने का कार्य करते है। विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रमुख दायित्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी.आर.डी.ए.) को सौंपा गया है, जो राज्य स्तर पर पंचायती राज मंत्री ग्रामीण विकास प्रशासन का प्रमुख इंचार्ज होता है। विभाग का प्रशासनिक सचिव रोजमर्रा की गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। सामान्यतया यह प्रशासनिक अधिकारी एक आईएएस स्तर का अधिकारी होता है।

प्रारूप : राज्य स्तर पर ग्रामीण प्रशासन की संरचना

(Structure of Rural Development Administration at the State Level)

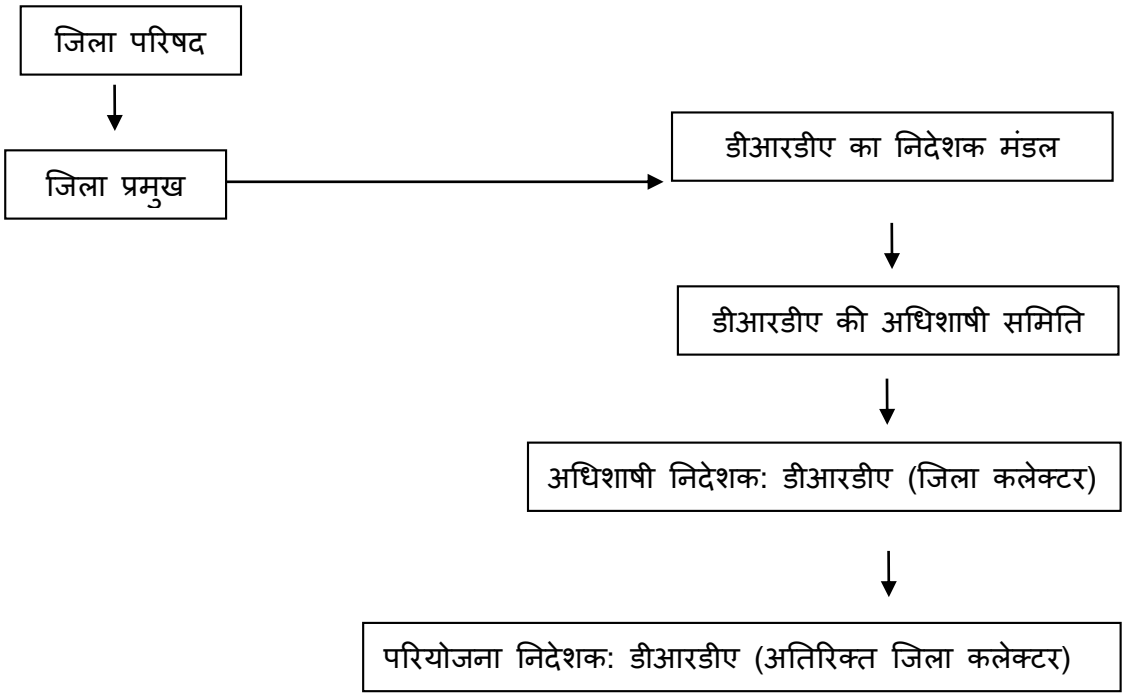


4.8.3 जिला स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन संरचना (Rural Development Administrative Structure at District Level)

ग्रामीण विकास हेतु जिला स्तर की संरचना इसलिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्रामीण विकास से जुड़े समस्त कार्यक्रमों व योजनाओं का क्रियान्वयन तो वास्तव में जिला स्तर पर ही होता है।

प्रारूप : जिला स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन संरचना

(Structure at District Level)



ग्रामीण विकास कायक्रमों का क्रियान्वयन जिला परिषद और जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से किया जाता है। जिला स्तर पर डीआरडीए की एक अधिशाषी समिति होती है जो ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समन्वय, निर्देशन व नियंत्रण का कार्य करती है। यह समिति डीआरडीए के कार्य करती है। जिला प्रमुख निदेशक मंडल तथा अधिशाषी समिति का चयरमैन होता है। जिला कलैक्टर को डीआरडीए का अधिशाषी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। इनके सहयोग हेतु परियोजना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर विकास) उपलब्ध रहता है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली के अन्तर्गत जिला परिषद के चुनाव सम्पन्न हुए थे। आपको सत्ताधारी दल की ओर से चुनाव का टिकट मिला और आप चुनाव जीतकर जिला प्रमुख के पद पर आरूढ हो गये हैं। जिला प्रमुख ग्रामीण विकास की दृष्टि से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पद है। डीआरडीए के अधिशाषी निदेशक की हैसियत से जिला कलेक्टर भी प्रत्येक बैठक में शामिल होते हैं जोकि एक आईएएस ऑफीसर है। आप अपने जिले के ग्रामीण विकास हेतु अपनी राजनीतिक छवि और अधिशाषी अधिकारी के रूप में सेवारत जिला कलैक्टर के बीच किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करेंगे।

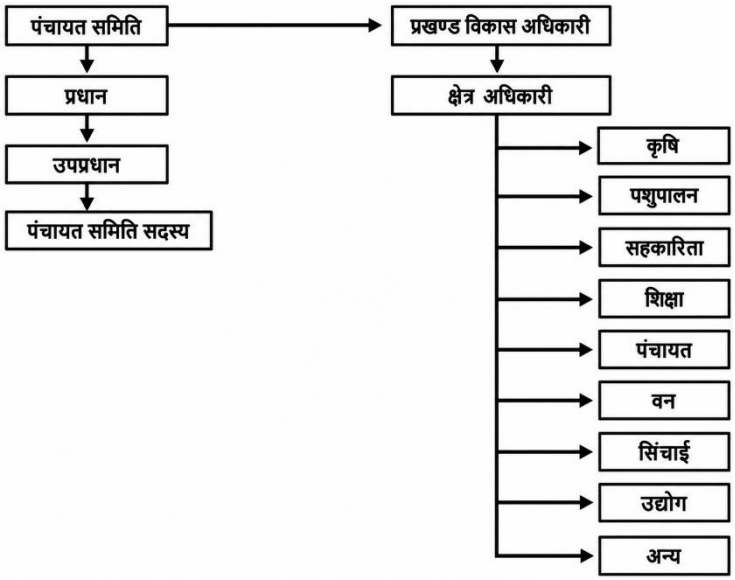
4.8.4 प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन की संरचना (Structure of Rural Development Administration at Block Level)

प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन हेतु पूर्ण तथा उतरदायी पंचायत समिति का प्रधान होता है। पंचायत समिति के प्रधान की सहायतार्थ प्रखण्ड विकास अधिकारी बीडीओ तथा कई अन्य अधिकारी होते है बीडीओ या तो राज्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, या उसके समकक्ष अधिकारी होता है। बीडीओ के सहयोग हेतु विभिन्न क्षेत्रों यथा कृषि, पशुपालन, उद्योग, सिंचाई, सहकारिता, शिक्षा, पंचायत आदि के अधिकारी होते हैं, ये अधिकारी ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और तकनीकी नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होते हैं।

प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन की संरचना को निम्न प्रारूप द्वारा समझा जा सकता है

प्रारूप : प्रखण्ड स्तर पर ग्रामीण विकास की संरचना

(Structure of Rural Development Administration at Block Level)



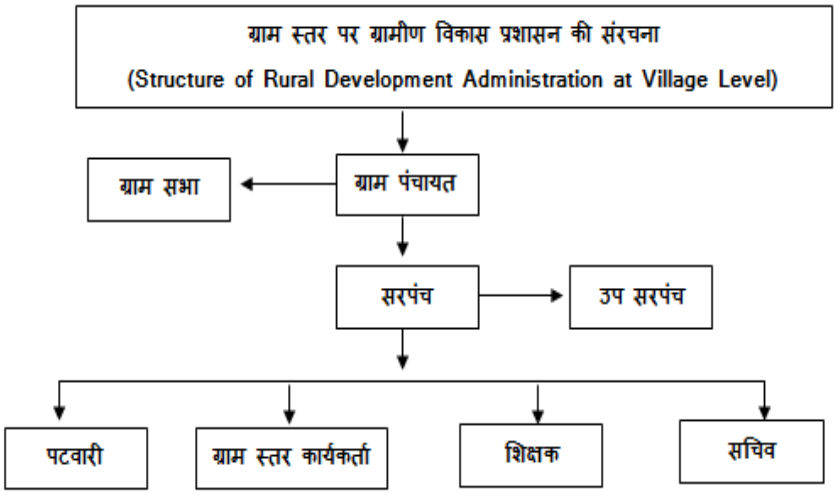
उपरोक्त प्रारूप से स्प्ष्ट है कि पंचायत समिति का प्रधान तथा उप प्रधान, समिति सदस्य पंचायती राज के अन्तर्गत ग्रामीण वासियों द्वारा चुने गये जन प्रतिनिधि होते हैं जबकि प्रखण्ड विकास अधिकारी व विभिन्न क्षेत्रों से सम्बिन्धित अधिकारी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सहयोग देते हैं।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

जिले की एक पंचायती समिति में आपकी नियुक्ति प्रखण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) के रूप में की गई है। उस पंचायत समिति के विकास हेतु किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे ताकि आपका प्रखण्ड (ब्लॉक) विकास के मामले में अपनी एक पहचान बना सकें।

4.8.5 ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन की संरचना (Structure of Rural Development Administration at Village Level) :

ग्राम स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायत का सरपंच उत्तरदायी होता है। उसे क्षेत्र के पटवारी, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, शिक्षक एवं सचिव आदि का सहयोग रहता है। ग्राम पंचायत अपने सम्बंधित क्षेत्र का विकास प्रशासन की संरचना को निम्न प्रारूप द्वारा समझा जा सकता है :



4.9 ग्रामीण विकास से सम्बंधित संस्थान (Institutions Related with Rural Development)

भारत में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित अनेक संस्थान कार्यरत है जिनमें से कुछ प्रमुख संस्थानों का यहां विवेचन किया गया है:

4.9.1 ग्रामीण विकास से सम्बन्धित संस्थान (District Rural Development Agencies - DRDA)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एक पंजीकृत सोसायटी है। ग्रामीण ऋण मूल्यांकन समिति (1969) की सिफारिशों के आधार पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु कृषक विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1980 को इस अभिकरण का समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। बाद में ग्रामीण विकास से कुछ अन्य कार्यों को पूरा करने के लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का गठन किया गया। अब देश के सभी जिलों में इस अभिकरण की स्थापना की जा चुकी है। यह अभिकरण लघु व सीमांत कृषकों को कृषि, सिंचाई, पशुपालन तथा गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण एवं अनुदान दिलवाने का कार्य करता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ किये गये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व अब डीआरडीए को सौप दिया गया है।

डी.आर.डी.ए के मुख्य उद्देश्य (Main Objectives of DRDA)

(1) लघु एवं सीमांत कृषको की समस्याओं का पता लगाना।

(2) क्षेत्र की ज्ञात की गई समस्याओं के समाधान हेतु निवेश व उत्पादन योजनाओं का निर्माण करना।

(3) निजी, अर्द्ध राजकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से योजनाओं को क्रियान्वित करन।,

(4) योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना।

डी.आर.डी.ए. के मुख्य कार्य (Main Functions of DRDA)

(1) डी.आर.डी.ए. के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों तथा मुलभुत प्रमापों एवं आवश्यकताओं के बारे में जिला व प्रखण्ड स्तर की एजेंसियों को सूचित करना।

(2) सर्वेक्षणों का समन्वय करना, प्रखंडों की भावी एवं वार्षिक योजनाएं तैयार करना और अंतत: जिला योजना तैयार करना।

(3) कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और उस पर नजर रखना।

(4) अन्तर क्षेत्रीय तथा अन्तर विभागीय स्तर पर समन्वय रखना व सहयोग प्राप्त करना।

(5) कार्यक्रमों की उपलब्धियों का प्रचार करना तथा इन कार्यक्रमों के प्रति जनभावनाओं को प्रेरित करना।

(6) समय समय पर राज्य सरकार को लेखा जोखा भेजना।

अन्य कार्य (Other Functions):

उपरोक्त मुख्य कार्यों के अतिरिक्त डी.आर.डी.ए द्वारा कुछ अन्य कार्य भी सम्पादित किये जाते है जो निम्न प्रकार है:

(i) यदि लाभार्थियों के चयन में किसी प्रकार का विवाद है तो बी.डी.ओ. से सलाह मशविरा करके अंतिम निर्णय लेने का अधिकार परियोजना अधिकारी के पास होता है।

(ii) चयनित परिवारों के लिये तैयार की गई योजनाओं की देखरेख करना।

(iii) प्रशिक्षण सुविधाओं, बाजार प्राप्त सूचनाओं, संसाधनों तथा जनसंख्या के आधार पर गाँव के कर्मचारियों की योजना का अध्ययन करना।

(iv) निवेश के आकार को ध्यान में रखना क्योंकि निम्न स्तर का निवेश गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वालों की दशा में सुधार नहीं ला सकता।

(v) भावी योजनाएं, वार्षिक योजनाएं तथा कार्य योजनाओं को तैयार करना तथा निर्धारित प्रारूप में उनको स्वीकृत करना।

(vi) वार्षिक कार्य योजना की निगरानी रखना तथा समय समय पर निर्धारित किये गये लक्ष्यों को प्राप्त करना।

(vii) ऐसी परियोजनाएं तैयार करना जिनमें बैंकों का सहयोग मिल सके तथा बैंको से समन्वय बनाकर रखना। इस हेतु आवश्यक दस्तावेज तिमाही आधार पर बैंको को प्रेषित करना तथा लक्ष्यों की प्राप्ति पर लगातार नजर बनाये रखना।

(viii) विभिन्न योजनाओं के बारे में सूचना उपलब्ध करवाना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

(ix) भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड द्वारा निर्धारित किये गये प्रावधानों का ध्यान रखना।

(x) राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक खर्चों पर नियंत्रण रखना।

(xi) विभिन्न कार्यक्रमों में जनता की पर्याप्त सहभागिता सुनिश्चित करना।

(xii) विभिन्न कार्यक्रमों में गुणवतापूर्ण क्रियान्वयन हेतु स्वैच्छिक संगठनों से सहयोग प्राप्त करना।

(xiii) लगातार पर्यवेक्षण तथा कार्यों का मूल्यांकन करना।

(xiv) 'ट्राईसम' के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से चयन हेतु सहयोग करना। इससे उपकरण किट को नि:शुल्क वितरित करने में मदद मिलती है तथा जिला उद्योग केन्द्र और खादी बोर्ड आदि में समन्वय स्थापित होता है।

4.9.2 जिला परिषद, विकास प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत (District Council, Development Block and Gram Panchayat)

ये तीनों ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी राज्यों एवं केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में यद्यपि पंचायती राज संस्थानों की स्थापना की जा चुकी है लेकिन उनके संगठनात्मक ढांचे में कोई न कोई अन्तर पाया जाता है। सामान्यतया ये संस्थान ग्राम, प्रखण्ड व जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाते हैं। प्रथम स्तर को ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। द्वितीय स्तर प्रखण्ड स्तर पर होता है जिसे पंचायत समिति कहते हैं। अंतिम स्तर पर जिला परिषद या जिला बोर्ड के नाम से पुकारा जाता है। ये सभी स्तरों के संस्थान आपस में बहुत अच्छें ढंग से जुड़े होते हैं। इन संस्थानों में विभिन्न वर्गों, महिलाओं तथा सहकारिता संस्थाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। निर्धारित चुनाव प्रक्रिया के अधीन चुनी गई पंचायतें कृषि, ग्राम्य उद्योग, स्वास्थ्य, मातृत्व और बाल कल्याण सुविधाओं, कुओं, सेनेटरी तथा सड़कों की अच्छे से देखरेख करती है।

4.9.3 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (Rural Electrification Corporation):

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1969 में हुई। इस निगम की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं को वित्त प्रदान करना है। इन परियोजनाओं का निर्माण तथा क्रियान्वयन राज्य विद्युत बोड़ों, राज्य सरकारों तथा ग्रामीण विद्युत सहकारी परियोजनाओं द्वारा किया जाता है जिनकी वित्त व्यवस्था यह निगम करता है। इस निगम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण करना, जिन क्षेत्रों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहाँ विद्युतीकरण करना तथा जहाँ विद्युतीकरण हुआ है वहाँ गहन विद्युतीकरण करना, कृषि पम्प सैट, ग्रामीण उद्योगों, घरेलू तथा वाणिज्यिक प्रयोग हेतु विद्युत तथा ग्रामीण गली-कूचों में विद्युत व्यवस्था करना है। यह निगम ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का प्रमाणीकरण तथा विशिष्टीकरण ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था, शोध तथा तकनीकी विकास, परियोजना आदि भी करता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछले वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों व हरिजन बस्तियों के विकास में कार्य किया गया है। सहभागिता वित्तीयन कार्यक्रम के क्षेत्र में भी निगम ने विशेष रुचि ली है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि हेतु पम्प सैटों को अर्जित किया जाता है। इस वित्तीय सहभागिता में नाबार्ड व वाणिज्यिक बैंकों की सहभागिता होती है। यह वित्तीयन कार्यक्रम दिन-प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में भी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी जिससे लक्ष्यों की पूर्ति सम्भव हुई। इस प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने अपना दायित्व अच्छे से निभाया है।

4.9.4 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (National Rural Development Institute - NRDI):

हैदराबाद में स्थित यह एक स्वायतशाषी संस्थान है। ग्रामीण विकास के विभिन्न आयामों के शोध एवं प्रशिक्षण कार्य में यह संस्थान लगा हुआ है। अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से यह ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में लगे हुए व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा करता है।

4.9.5 अन्य संस्थान (Other Institutions):

उपरोक्त के अतिरिक्त अनेक अन्य संस्थान भी ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। कापार्ट (CAPART) की स्थापना 1986 में की गई थी जो नई दिल्ली में सोसायटी अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत की गई है। कापार्ट की स्थापना से पूर्व स्थापित दो संस्थानों पाडी (PADI) तथा कार्ट (CART) का संविलयन हो गया था। यह संस्थान देश के ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि को बढावा देने का कार्य करता है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यह संस्थान स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाता है।

ग्रामीण क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं, जैसे प्राथमिक सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि प्रमुख है।

ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम व्यक्तियों की दशा सुधारने में अनेक स्वैच्छिक संगठन भी लगे हुए हैं। यह कार्य ज्यादातर मिशनरी तथा धार्मिक संस्थानों के द्वारा किया जाता है। ये संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाएं आदि के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

4.10 सारांश (Summary)

भारत एक विकासशील राष्ट्र है जिसकी अर्थव्यवस्था की आधारभूत समस्या शीघ्र एवं संतुलित विकास किये जाने से संबधित है। देश की जनसंख्या का एक बड़ा भाग गांवों में बसता है तथा ज्यादातर निर्धन है। स्वतंत्रता के पश्चात ऐसी जनसंख्या को उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिय साधन उपलब्ध करवाने का संकल्प लिया गया तथा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनेक कदम उठाये गये।

इन प्रयासों का परिणाम यह निकला है कि राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई तथा कृषि क्षेत्र विशेष रूप से लहलहा उठा।

राष्ट्र द्वारा सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में गई प्रगति के अध्ययन से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संस्थागत एव रचनात्मक परिवर्तन घटित हुए हैं। ग्रामीण विकास हेतु अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों का ही फल है कि कृषि यद्यपि गामीण समुदाय का एक प्रमुख व्यवसाय है किन्तु अब यह मात्र जीवन निर्वाह का साधन नहीं रह गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरीवाद के प्रभाव के कारण ग्रामीण जन समुदाय की उपभोग संरचना में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले हैं।

अब गांवों के पुनर्निर्माण और विकास का संपूर्ण उतरदायित्व सरकार ने स्वयं पर ले लिया है। सरकार की इस बात में पूर्ण आस्था है कि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प केवल कानून बनाकर किया जाना संभव नहीं है। राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे।

4.11 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

'ग्रामीण विकास प्रशासन' इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आशा है कि विद्यार्थी ग्रामीण विकास तथा प्रशासन के अर्थ व इनकी विशेषताओं तथा भूमिका एवं प्रशासन तंत्र के सम्बन्ध में भलीभांति परिचित हो गये होंगे। आप भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन की राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, प्रखण्ड स्तर तथा ग्राम स्तर की संरचना के सम्बन्ध में अवगत हो गये होंगे। भारत में ग्रामीण विकास से सम्बंधित अनेक संस्थान कार्यरत हैं। इस इकाई में उक्त संस्थानों के कार्यों पर भी प्रकाश डाला गया है। विद्यार्थी उनका अवलोकन करके अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं। इकाई सामग्री के मध्य में विद्यार्थियों की सहायतार्थ 'स्व-मूल्यांकन संवादमूलक गतिविधियाँ' भी दी गई है जिनको पूरा करके वे शैक्षिक व बौद्धिक रूप से स्वयं को अधिक समर्थ पायेंगे, ऐसी आशा की जाती है।

4.12 शब्दकोष (Glossary)

- **BDO :** (Block Development Officer) (प्रखण्ड विकास अधिकारी) एक पंचायत समिति (प्रखण्ड) में यह वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारी होता है।
- **DRDA :** (District Rural Development Agency) (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)

- **CEO :** (Chief Executive Officer) मुख्य अधिशाषी अधिकारी
- **SGSY :** (Swaran Jayanti Swarojagar Yojna) (स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना)
- **DPAP :** (Drought Prone Area Programme) (सूखासंभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम) 1973-74 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तथा सूखे की संभावना वाले 74 जिले घोषित किये गये।
- **DDP :** (Desert Development Programme) (रेगिस्तान विकास कार्यक्रम) यह कार्यक्रम 1977-78 में प्रारम्भ किया गया जिसका उद्देश्य बढ़ाते रेगिस्तान को रोककर रोजगार बढ़ाना था।
- **TRYSEM :** (Training of Rural Youth For Self-Employment) (ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम)
- **IRDP :** (Integrated Rural development Programme) (समन्वित ग्रामीण विकास कर्यक्रम) SGSY में इसका विलय किया जा चुका है।
- **JSJY :** (Jawahar Gram Samridhi Yojana) (जवाहर ग्राम समृद्धि योजना)
- **NIRD :** (National Institute of Rural Development) (ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय संस्थान)
- **DMI :** (Directorate of Marketing and Inspection) (विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय)
- **CART :** (The Council for Advancement of Rural Technology) (भारत विकास हेतु जनक्रिया)
- **PADI :** (People Action for Development India)
- **CAPART :** (Council for Advancement of Action and Rural Technology)

4.13 स्व परख प्रश्न (Self Test Questions)

लघुउतरात्मक प्रश्न (Short Answer Question)

1. What is meant by Rural Development?
   ग्रामीण विकास से क्या अभिप्राय है?
2. What is the meaning of Administration?
   प्रशासन का क्या अर्थ है?
3. What are the Characteristics of Administration?
   प्रशासन की क्या विशेषताएँ हैं?
4. What do you understand by the Rural Development Administration?

ग्रामीण विकास प्रशासन से आप क्या समझते हैं?

5. Discuss the role of Rural Development Administration.

ग्रामीण विकास प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए।

6. What is National Institute of Rural Development?

ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान क्या है?

7. What do you understand by the DRDA?

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से आप क्या समझते है?

8. Why the Rural Electrification Corporation has been set up?

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम क्यों स्थापित किया गया?

निबंधात्मक प्रश्न (Essay Type Question)

1. Discus the objectives and Functions of District Rural Development Agency.

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के उद्देश्य तथा कार्यों का वर्णन कीजिए।

2. What is meant by Rural Development Administration? Explain the Structural Set up of Rural Development Administration?

ग्रामीण विकास प्रशासन से क्या आशय है? ग्रामीण विकास प्रशासन के ढांचागत संरचना की व्याख्या कीजिए।

3. Explain the Various levels of Rural Development Administration in India.

भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए।

4.14 संदर्भ एवं ग्रन्थ सूची (References and Bibliography)

- Mohinder Singh and Surat Singh, A Multi – Dimensional Study, Jain Book Depot (2006) : "Rural Development Administration in the 21st Century".
- Swami, Gupta : "Rural Development and Co-operation", RBD, Jaipur
- Chaudhary C.M. :"Rural Development and Co-operation", Shivam Book House Pvt. Ltd. Jaipur.
- अग्रवाल, माथुर गुप्ता: "सहकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास", रमेश बुक डिपो, जयपुर

4.15 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- White, L.D. : "Introduction to study of Public Administration."
- Pfiffer, John M. and Presthus, R.Vance: "Public Administration", New York, Ronold Press.
- Marx, Fritz (Ed.) : "Elements of Public Administration New York, Prentice Hall lnc.

- Katar Singh : "Rural development : Principles. Policies and Management, SAGE Texts.
- Tahir Hussain, Mary Tahir, Riya Tahir : "Fundamentals of Rural Development, Wiley
- Pattaniak, B.K. : "Issues and Challenger of Development; An Introduction, " SAGE Texts.

4.16 वेब संसाधन/लिंक (Web Resource/ Links)

- http://chdrural development.gov.in
- http://hi.m.wikipedia.org>wiki
- http://www.lkouniv.ac.in.>site
- http://egyankosh.ac.in
- http://rural.nic.in
- http://ccnet.vidyasagar.ac.in
- http://www.lib.niu.edu.
- http://www.linkedin.com>company
- http://www.researchgate.net

इकाई – 5

पंचायती राज : संवैधानिक प्रावधान

(Panchayati Raj – Constitutional Provisions)

इकाई की रूपरेखा (Out line of unit)

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 स्वतंत्र भारत में पंचायती राज संस्थाओं का शुभारंभ एवं इन्हे संवैधानिक दर्जा दिए जाने के प्रयास

5.3 पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानीकरण

5.4 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992

5.5 अनिवार्य एवं ऐच्छिक प्रावधान

5.6 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम1996 PESA ACT

5.7 इकाई की विषय सामग्री के मध्य में दो स्वमूल्यांकन संवादमूलक गतिविधियाँ

5.8 सारांश

5.9 अधिगम परिणाम

5.10 शब्दकोष

5.11 स्वपरख प्रश्न

5.12 संदर्भ व ग्रंथ सूची

5.13 अन्य पठन सामग्री

5.14 वेब संसाधन व लिंक

5.0 उद्देश्य (Objectives)

देश की शासन प्रणाली में भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम एक क्रांतिकारी मौलिक परिवर्तन के रूप में स्थापित है। राष्ट्रीय और राज्यों की सरकारों के दो स्तरों के साथ एक नये स्तर का उदय, जिसे व्यापक रूप से स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज) कहा जाता है, भारतीय शासन व्यवस्था में त्रिस्तरीय व्यवस्था को जन्म दिया। जिसके उद्देश्य को निम्न लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है –

- सत्ता का विकेन्द्रीकरण एवं सहभागी लोकतंत्र की स्थापना।
- तृणमूल स्तर (Grass Root Level) पर लोकतंत्र की स्थापना।
- समाज के कमजोर वर्गो का सशक्तीकरण, विशेषकर महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रयास।
- पंचायतों को स्वायत्तता।
- पंचायतों को स्थानान्तरित किये जाने वाले मामलों में निर्णय लेने की शक्ति।

- वित्तीय स्वायत्तता के लिए पंचायतों को कर, पथकर, तथा फीस से अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की शक्ति।
- कार्यो (Functions) वित्त (Finance) और कार्मिकों (Functionaries) "3F" के हस्तान्तरण द्वारा पंचायतों का सुदृढ़ीकरण।
- इस संवैधानिक संशोधन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर सामाजिक न्याय और स्थानीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करना है तथा मानव विकास के चहुँमुखी आयामों को स्थापित करना है।

5.1 प्रस्तावना (Introduction)

पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के सभी राज्यों ने अपने विधायनों द्वारा तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सृजित किया। ग्रामीण विकास क्षेत्र के कार्य करने के लिए इन संस्थाओं को अधिकार एवं उत्तरदायित्व दिए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। केन्द्रीय स्तर पर पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग पंचायती राज संस्थाओं से सम्बन्धित मामलों को नियंत्रित करता है।

भारतीय संघ व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति-विभाजन की योजना के अंतर्गत 'स्थानीय शासन' विषय को राज्यों को दिया गया है। इस प्रकार भारतीय संस्थान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि (Entry) पांच में राज्य सूची में 'स्थानीय शासन' विषय को शामिल किया गया है, लेकिन 73वों संविधान संशोधन केन्द्र का राज्य के विषय में हस्तक्षेप न होकर केंद्र-राज्य के मध्य संवैधानिक संतुलन है।

5.2 स्वतंत्र भारत में पंचायती राज संस्थाओं का शुभारंभ एवं इन्हे संवैधानिक दर्जा दिए जाने के प्रयास

जनवरी 1957 में बलवन्तराय मेहता समिति की सिफारिश पर सर्वप्रथम राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत हुई। इस योजना का शुभारंभ प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में किया गया। अशोक मेहता समिति (1977) एवं जी.वी.के. राव समिति (1985) ने भी पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया। 1986 में राजीव गांधी सरकार ने 'लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुर्नजीवन समिति' लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में गठित की। इसने निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की –

(1) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता एवं संरक्षण मिलना चाहिए।
(2) गाँवों के समूहों पर न्याय पंचायतें स्थापित होनी चाहिए।
(3) गाँवों में ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। इस समिति ने ग्रामसभा की महत्ता पर बल दिया तथा इसे 'प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतिमूर्ति' कहा।
(4) ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाने चाहिए।
(5) पंचायती राज संस्थाआं से सम्बन्धित चुनावों के विवाद, उन्हें भंग करने सम्बन्धी प्रकरण तथा इनकी कार्य-प्रणाली से सम्बंधित अन्य मामलों के लिए उन्हें भंग सुलझाने हेतु प्रत्येक राज्य में न्यायिक-न्यायधिकरणों की भी स्थापना की जानी चाहिए।

5.3 पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानीकरण

लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की इन सिफारिशों के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जुलाई 1989 में लोकसभा में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया ताकि पंचायती

राज संस्थाओं को व्यापक अधिकारों के साथ शक्तिशाली बनाया जा सके। यद्यपि अगस्त 1989 में यह विधयेक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया लेकिन राज्य सभा से पारित नहीं हो सका क्योंकि राज्य सभा में इस विधेयक का विपक्ष द्वारा घोर विरोध किया गया उनका तर्क था कि इसके द्वारा संघ व्यवस्था को कमजोर कर केन्द्रीकृत व्यवस्था को स्थापित किया जा रहा है।

नवम्बर 1989 में वी.पी. सिंह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार ने घोषणा की कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे। जून 1990 में वी.पी. सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों का दो दिवसीय सम्मलेन आयोजित किया गया। जिसमे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने सम्बन्धी मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन में नवीन संवैधानिक संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने की सहमति बनी। सितम्बर 1990 में लोक सभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया गया लेकिन वी.पी. सिंह सरकार के पतन के कारण यह विधयेक विलोपित हो गया।

पी.वी नरसिंहराव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के प्रयास शुरू किए। सरकार ने विवादित बिन्दुओं को हटाते हुए नया विधेयक तैयार किया तथा सितम्बर 1991 में 73वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोक सभा में प्रस्तुत किया तथा 22 दिसम्बर 1992 को लोकसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया। 23 दिसम्बर 1992 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। बाद में 17 राज्यों की विधानसभाओं ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इसे इसे स्वीकृति प्रदान कर दी। इस प्रकार 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में यह अस्तित्व में आया।

5.4 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992

इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग **IX** को शामिल किया। इसका शीर्षक 'पंचायतें' रखा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ण जोड़े गये। इसके अतिरिक्त संविधान में एक ग्यारहवीं अनुसूची जोडी गई व इसमें पंचायतों से सम्बन्धित 29 कार्यात्मक विषय जोड़े गये जो अनुच्छेद 243 ज से सम्बन्ध रखती है।

अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को वास्तविक रूप देता है जिसमें प्रावधान है ''राज्य पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।'' यह अनुच्छेद राज्य नीति निदेशक का भाग है।

यह अधिनियम पंचायतीराज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। यह इन संस्थाओं को संविधान के वाद योग्य भाग की परिधि में स्थापित करता है। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकारों की यह संवैधानिक बाध्यता है कि वे इस नयी पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करें। परिणाम स्वरूप राज्य सरकारें ना ही अपनी इच्छानुसार पंचायतों का निर्माण कर सकती हैं और न ही चुनाव को एक नियमित अन्तराल से अधिक रोक सकती है।

इस अधिनियम के प्रावधानों को दो समूहों में बांटा जा सकता है – अनिवार्य और ऐच्छिक। इस अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों में शामिल है – राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं के सृजन के लिए कानून बनाना आवश्यक है जबकि दूसरी ओर ऐच्छिक प्रावधानों में राज्यों के विवेक को शामिल किया गया है। इस प्रकार इस अधिनियम के ऐच्छिक विषयों में राज्यों को पंचायती राज संस्थाओं में स्थानीय कारकों को शामिल करने की छूट दी गई है जैसे- भौगोलिक राजनीतिक, प्रशासनिक और अन्य। अन्य शब्दों में यह अधिनियम भारतीय संघ व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्यों के बीच संवैधानिक संतुलन को बाधित नहीं करता है। यद्यपि यह राज्य विषय पर केन्द्र पर कानून है। (संविधान की सातवीं अनुसूची में स्थानीय-शासन को राज्य सूची में शामिल किया गया है)। यह अधिनियम राज्यों को पंचायतों से संबंधित पर्याप्त विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान करता है।

भारत में तृणमूल लोकतांत्रिक संस्थाओं के उद्विकास में यह अधिनियम महत्वपूर्ण युगान्तकारी सीमाचिन्ह है। यह प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। यह देश में तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण की क्रांतिकारी अवधारणा है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं –

1. **ग्रामसभा -** इस अधिनियम में ग्राम सभा का प्रावधान है जो पंचायती राज व्यवस्था की नींव है। यह एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी लोग शामिल होते हैं। इस प्रकार यह एक ग्राम विधान सभा है, जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। यह ग्राम सभा उन सारी शक्तियों का प्रयोग करती है जिन्हें राज्य विधानसभा निर्धारित करती है।
2. **त्रि-स्तरीय व्यवस्था -** यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है। ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर। यह अधिनियम इन सभी स्थितियों को निम्न तरीके से व्याख्यायित करता है –
   - **'पंचायत'** का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वशासी संस्था है। (नाम जो भी हो)
   - 'ग्राम' से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है।
   - 'मध्यवर्ती स्तर'' से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल, इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा, मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करें।
   - 'जिला' से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है।
3. **अध्यक्ष एवं सदस्य का चुनाव -** ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्यों का लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा आगे, पंचायतों के मध्यवर्ती व जिला स्तर पर अध्यक्ष का अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुने हुए सदस्यों के मध्य होगा। यद्यपि ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधान सभा द्वारा निर्धारित तरीके से होगा।
4. **स्थानों का आरक्षण-** यह अधिनियम पंचायतों के सभी तीन स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप आरक्षण का प्रावधान करता है। आगे पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित तरीके से होगा।

   यह अधिनियम महिलाओं के लिए (कुल स्थानों में से एक तिहाई स्थान) आरक्षण का प्रावधान करता है। इस आरक्षण में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं का आरक्षण भी शामिल है। आगे प्रत्येक स्तर के अध्यक्ष पद पर महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है।

   यह अधिनियम राज्य की विधायिका को अधिकृत करता है कि पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर सदस्यों के निर्वाचन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए आरक्षण के निर्धारण का प्रावधान करे। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर अध्यक्ष के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) के लिए आरक्षण निर्धारित करने के लिए यह अधिनियम राज्य विधायिकाओं को अधिकृत करता है।
5. **पंचायतों का कार्यकाल -** यह अधिनियम पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर पाँच साल के कार्यकाल का प्रावधान करता है। यद्यपि इन्हें कार्यकाल की अवधि पूर्ण होने से पहले भंग किया जा सकता है। आगे, पंचायतों को भंग करने की तिथि से छह महीने तक पुनः नए चुनाव करवाकर इनका गठन अनिवार्य है।
6. **सदस्यता के लिए निरर्हताएं -** कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा –

- यदि वह संबंधित राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है। परन्तु कोई व्यक्ति इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि इसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है यदि उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
- यदि वह राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निरर्हित कर दिया जाता है। आगे निरर्हता के सभी मुद्दे राज्य विधानसभा द्वारा निर्धारित प्राधिकार को सौंप दिए जायेंगे।

7. राज्य चुनाव आयोग - पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। परन्तु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जायेगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8. पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व - संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात् –

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना।
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं, जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में है, कार्यान्वित करना।

9. पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां – किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा -

- ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें उग्रहित, संग्रहीत और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, प्राधिकृत कर सकेगा।
- राज्य सरकार द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और इन निधियों में से धन निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा, जो विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

10. वित्तीय स्थिति के पुनरावलोन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन – राज्यों के राज्यपाल प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे।

यह राज्यपाल को निम्नलिखित सिफारिशें देगा –

(i) सिद्धान्त जिसके आधार पर सिफारिशें दी जायेगी –

- राज्य द्वारा उद्गृहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों का राज्य एवं पंचायतों के बीच बटवारा।
- ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का निर्धारण करना जिन्हें पंचायतों को सौंपा जा सके।

- राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान को, शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे में।
- पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक अध्युपायों के बारे में।
- पंचायतों के सुदृढ़ वित्त के हित में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गये किसी अन्य विषय के बारे में।

(ii) राज्य का विधानमण्डल, विधि द्वारा आयोग के संरचना का, उन अर्हताओं का, (जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए होगी, और उस रीति का, जिससे उनका चयन कियां जाएगा), उपबंध कर सकेगा।

(iii) आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारिता करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियाँ होगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करें।

(iv) राज्यपाल प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित, राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा।

11. पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा- किसी राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा, पंचायतों के द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने के बारे में उपबन्ध कर सकेगा।

12. संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना- राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा, यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबन्ध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उपातरणों के अधीन रहते हुए, लागू होंगे जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे।

13. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना- इस भाग की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी –

(i) अनुच्छेद 244 के खंड (i) में निर्दिष्ट अनूसूचित क्षेत्रों और उसके खण्ड (ii) में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र।

(ii) नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य, मणिपुर राज्य में ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन जिला परिषदें विद्यमान हैं।

(iii) पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में दार्जिलिंग गोरखा-परिषद् विद्यमान है।

14. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना-

पंचायतों से सम्बन्धित राज्यों के बनाए हुए कानून इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष तक अस्तित्व में रहेगे। अर्थात् 24 अप्रैल 1993 से अधिकतम एक वर्ष के अन्दर राज्यों को इस अधिनियम को स्वीकार करना होगा।

15. निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन -

(i) अनुच्छेद 243 के अधीन बनाई गई या बनाई जाने के लिए तात्पर्यित किसी विधि की मान्यता, जो निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन से सम्बन्धित है, किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(ii) किसी पंचायत के लिए निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जाएगा जो ऐसे निर्वाचन को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की है जिसका किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन उपबन्ध किया जाए, अन्यथा नहीं।

ग्यारहवी अनूसूची -

यह अनूसूची अनुच्छेद 243 से सम्बन्धित है जिसमें पंचायतों को निम्न कार्य निर्धारित है -

1. कृषि जिसके अन्तर्गत कृषि-विस्तार है।

2. भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यान्वयन चकबन्दी और भूमि संरक्षण।

3. लघु सिंचाई , जल प्रबंध और जल विभाजक क्षेत्र का विकास।

4. पशुपालन, डेरी उद्योग और कुक्कुट-पालन।

5. मत्स्य पालन।

6. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी।

7. लघुवन उपज।

8. लघु उद्योग, जिनके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी हैं।

9. खादी ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग।

10. ग्रामीण आवासन।

11. पेयजल।

12. ईंधन और चारा।

13. सड़के, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार साधान।

14. ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण है।

15. अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत।

16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।

17. शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी है।

18. तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा।

19. प्रौढ़ और अनौपाचारिक शिक्षा।

20. पुस्तकालय।

21. सांस्कृतिक क्रियाकलाप।

22. बाजार और मेले।

23. स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी हैं।

24. परिवार कल्याण।

25. महिला बाल विकास।

26. समाज कल्याण, जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है।

27. दुर्बल वर्गों का विशिष्टतया, अनूसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों का कल्याण।

28. सार्वजनिक वितरण प्रणाली।

29. सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण।

पंचायतों से सम्बन्धित अनुच्छेदों का विहंगावलोकन

(भाग -9 – पंचायतें)

क्रमांक संख्या	अनुच्छेद संख्या	विषय वस्तु
1.	243	परिभाषाएं
2.	243 क	ग्राम सभा
3.	243 ख	पंचायतों का गठन
4.	243 ग	पंचायतों की संरचना
5.	243 घ	स्थानों का आरक्षण
6.	243 ड़	पंचायतों की अवधि आदि
7.	243 च	सदस्यातों के लिए निरर्हताए
8.	243 छ	पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
9.	243 ज	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी विधियाँ
10.	243 झ	वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए आयोग का गठन
11.	243 त्र	पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा
12.	243 ट	पंचायतों के लिए निर्वाचन
13.	243 ठ	संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना
14.	243 ड़	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना
15.	243 ढ़	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बने रहना।
16	243 ण	निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

5.5 अनिवार्य एवं ऐच्छिक प्रावधान

अब हम 73वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 अथवा संविधान के भाग IX के अनिवार्य एवं ऐच्छिक प्रावधानों का विश्लेषण करेंगे -

(अ) **अनिवार्य प्रावधान -** अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों का इस प्रकार बिन्दुवार विश्लेषण कर सकते है -

- ग्राम अथवा ग्रामों के समूह के लिए ग्राम सभा स्थापित करना।
- ग्राम, मध्यवर्ती और जिले स्तर पर पंचायतों की स्थापना करना।
- ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के सभी स्थानों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव।
- मध्यवर्ती एवं जिला स्तर के अध्यक्ष के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव।
- पंचायतों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष।
- पंचायतों के तीनों स्तरों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण (अध्यक्ष एवं दोनों सदस्य)

- सभी तीनों स्तरों के में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण (सदस्य एवं अध्यक्ष)
- पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष के लिए निश्चित। किसी पंचायत को अधिक्रमित किए जाने की स्थिति में छह महीने के अन्दर चुनाव।
- पंचायतों के चुनावों के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग की स्थापना। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् राज्य वित्त आयोग का गठन।

(ब) **ऐच्छिक प्रावधान -** अधिनियम के ऐच्छिक प्रावधानों का बिन्दुवार विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं।

- सांसदों के (दोनों सदन) तथा राज्य विधायिकाओं (राज्य तथा लोकसभा) सदस्यों को पंचायतों के विभिन्न स्तरों जो उनके निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत हो, प्रतिनिधित्व देना।
- पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के स्थानों (सदस्य एवं अध्यक्ष) दोनों के लिए आरक्षण निर्धारित करना।
- पंचायतों को स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए शक्ति एवं सत्ता प्रदान करना।
- आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने के लिए पंचायतों को सत्ता एवं उत्तरदायित्व का हस्तान्तरण और संविधान की अनुसूची ग्यारह में सूचीबद्ध 29 विषयों में सभी अथवा कुछ विषयों का हस्तानान्तरण।
- पंचायतों को वित्तीय शक्ति प्रदान करना, उन्हें कर लगाने, इकट्ठा करने तथा खर्च करने की एवं शुल्क, पथकरों एवं फीस लगाने की शक्ति देना।

5.6 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 PESA ACT

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी लेकिन यह इसके प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होते है। इस कमी को पूरा करने के लिए संविधान के भाग 9 के अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट पंचायत व्यवस्था लागू करने के लिए पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 बनाया गया। इस अधिनियम को 24 दिसम्बर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया।

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 की विशेषताएँ -

- यह संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। यह अधिनियम जनजातीय समुदाय को भी स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है।
- इसका उद्देश्य सहभागी लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना और ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केन्द्र बनाना है।
- इसमें जनजातीय समुदाय की परम्पराओं और रिवाजों की सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान किया गया।
- यह जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपर्युक्त स्तरों पर पंचायतों विशिष्ट शक्तियों से युक्त नाता है।

बोधगम्य प्रश्न :

1. पंचायती राज की अवधारणा को समझाइये।

2. ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतिमूर्ति क्यों कहा जाता है।
3. पंचायतीराज व्यवस्था में आरक्षण का क्या प्रावधान है?
4. 73वें संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख कीजिए।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव किस विधि से होता है –

(अ) प्रत्यक्ष विधि (ब) अप्रत्यक्ष विधि (स) मनोनयन (द) उपरोक्त सभी

2. पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है –

(अ) 6 वर्ष (ब) पंच वर्ष (स) दो वर्ष (द) तीन वर्ष

3. पंचायत समिति के कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। (200 शब्द)

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. ग्राम सभा का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है –

(अ) 243 (क) (ब) 243 (ख) (स) 243 (ग) (द) 243 (घ)

2. ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव किस विधि से होता है –

(अ) प्रत्यक्ष विधि (ब) अप्रत्यक्ष विधि (स) मनोनयन (द) उपरोक्त सभी

3. 'ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रतिमूर्ति है' विश्लेषण कीजिए। (200 शब्द)

5.7 सारांश (Summary)

देश के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्र में प्रवर्तित कमियों और न्यूनताओं जिसमें इन संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता का अभाव, इसके अनियमित चुनाव, लम्बे समय तक अधिक्रमित रहने, उनकी दयनीय आर्थिक दशा, उन्हें पर्याप्त शक्तियों व अधिकारों का अभाव अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा इन संस्थाओं के चुनावों के लिए प्रभावी व्यवस्था के अभाव की स्थितियां प्रमुख थीं। उनके निवारण के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सटीक प्रयत्न किया गया है। 73वें संविधान अधिनियम 1992 में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा पंचायतों को जो शक्तियाँ हस्तान्तरित की गई है वह वास्तव में जनता की सत्ता के दर्शन का प्रतिबिम्ब है। जिसमें भारत का प्रत्येक नागरिक सरकार में सहभागिता का निर्वहन करेगा। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करने में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 मील का पत्थर है। वास्तव में यह अधिनियम महात्मा गांधी एवं जयप्रकाश नारायण की विकेन्द्रीकरण व ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिरूप है।

5.8 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

स्वतंत्र भारत में पंचायती राज संस्थाओं का शुभारंभ तथा इन्हें संवैधानिक दर्जा दिए जाने के सम्बन्ध में विद्यार्थी यह जान सकेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक मान्यता देने सम्बन्धी प्रयास किस प्रकार हुए। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायती राज की सशक्त करने सम्बन्धी कौनसी सिफारिशें दी। इस इकाई के अध्ययन द्वारा विद्यार्थी यह जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायती राज संस्थाओं से सम्बंधित प्रावधानों की गहन जानकारी दी गई है, साथ में इनके अनिवार्य एवं ऐच्छिक प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है। जिला परिषद्, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। पंचायतों के चुनाव, आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान तथा निर्वाचित सदस्यों को हटाये जाने सम्बन्धी प्रावधानों के बारे में विद्यार्थियों को विशद जानकारी मिल सकेगी। विद्यार्थियों को पंचायती (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 पेसा एक्ट के बारे में महत्त्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है।

5.9 शब्दकोष (Glossary)

ग्राम सभा – ग्राम सभा एक कॉरपोरेट निकाय है जिसमे ऐसे सभी लोग सम्मिलित है जिनके नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में ग्राम स्तर पर शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (क) में इसे परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था का प्राथमिक निकाय है और सबसे बड़ा निकाय भी। यह एक स्थायी निकाय है।

ग्राम पंचायत - यह एक स्थानीय स्वशासन की संस्था है। ग्राम पंचायत भारतीय गाँवों की स्थानीय सरकार है। यह भारत के निचले स्तर पर एक लोकतांत्रिक संरचना है। जिसमे सरपंच पंचायत का मुखिया होता है जबकि वार्ड सदस्यों को वार्ड के आधार पर पंच के रूप में चुना जाता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हो सकता है। ग्राम पंचायत ग्राम-स्तर पर केबिनेट के रूप में कार्य करती है।

पंचायत समिति- पंचायत समिति (तालुक) के रूप में भारत में सरकार की स्थानीय इकाई होती है। यह उस ब्लॉक के सभी गाँवों पर समान रूप से कार्य करती है। इसे प्रशासनिक ब्लॉक भी कहते हैं। यह ग्राम पंचायत और जिला परिषद् के मध्य की कड़ी होती है। इस संस्था का विभिन्न राज्यों में भिन्न नाम है।

जिला परिषद – जिला परिषद् जिला स्तर पर पंचायती राज की सर्वोत्तम संस्था है। यह सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था का तृतीय स्तर है जो ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों का मूलत: नीति निर्धारण एवं मार्ग दर्शन का काम करती है।

5.10 स्व-परख प्रश्न (Self-Tested Questions)

1. 73वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
2. ग्राम सभा क्या है यह वास्तविक तृणमूल लोकतंत्र को कैसे परिभाषित करती है?
3. त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए।
4. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिशों का वर्णन कीजिए।
5. 73वे संविधान संशोधन में आरक्षण के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए।

5.11 संदर्भ एवं ग्रन्थ सूची (References/Bibliography)

- एम.एस. गोयल, एस. रजनीश, पंचायती राज इन इण्डियाथ्योरी एंड प्रैक्टिस:, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स
- एम. असलम, पंचायती राज इन इण्डिया: बुक ट्रस्ट इण्डिया
- इकबाल मोहम्मद, पंचायती राज सिस्टम एण्ड रूरल डवलपमेन्ट, डी.पी.एस. पब्लिशिंग हाउस

5.12 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- योजना पंचायती राज का विशेषांक नवम्बर (2021) - योजना आयोग, भारत सरकार
- कुरुक्षेत्र-ग्रामीण विकास की पत्रिका
- इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली पत्रिका

5.13 वेब संसाधन व लिंक (Web Resources & Links)

- https//w.ww. panchayat.gov.in
- https//rajpanchayat.rajasthan.gov.in
- https://www.epw.in

इकाई - 6

ग्रामीण विकास-आधारभूत संरचना का विकास

Rural Development–Infrastructure Development)

ईकाई की रूपरेखा (Outline of Unit) –

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 ग्रामीण विकास का अर्थ

6.3 ग्रामीण विकास का महत्त्व

6.4 भारत में ग्रामीण आधार संरचना का विकास

6.5 भारत निर्माण योजना

6.6 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

6.7 ग्रामीण आधार संरचना एवं ग्रामीण बाज़ार

6.8 ग्रामीण विद्युतीकरण

6.9 ग्रामीण आधार संरचना एवं जल आपूर्ति

6.10 ग्रामीण आधार संरचना का विकास एवं शिक्षा

6.11 ग्रामीण स्वास्थ्य आधार – संरचना

6.12 ग्रामीण आधार संरचना – दूरसंचार एवं सुचना प्रोद्यौगिकी

6.13 ग्रामीण आधार संरचना – बीमा एवं बैंकिंग

6.14 सांराश

6.15 अधिगम परिणाम

6.16 शब्द कोष

6.17 स्वपरख प्रश्न

6.18 संदर्भ व ग्रन्थ सूची

6.19 अन्य पठन सामग्री

6.20 वेब संसाधन लिंक

6.0 उद्देश्य (Objective)

इस ईकाई "ग्रामीण विकास – आधारभूत संरचना का विकास" के माध्यम से हमारे द्वारा विद्यार्थियों को भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र में विकास की आर्थिक स्थिति एवं केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत संरचना के विकास

एवं विस्तार हेतु चलायी गयी प्रमुख योजनाओं की जानकारी से अवगत कराने का मुख्य उद्देश्य है| इस ईकाई में ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित लोगो को मूलभूत आवश्यकताओं एवं सुविधाओं हेतु भारत निर्माण परियोजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण सम्बन्धी योजना, जल आपूर्ति सम्बन्धी योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना, शिक्षा सम्बन्धी योजना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों एवं बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गयी है।

6.1 प्रस्तावना (Introduction)

ग्रामीण विकास का तात्पर्य एक ऐसी व्यूह-रचना से है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की प्राप्ति, जीवन स्तर में सुधार तथा उनकी आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जाता है| इन स्तरों में सुधार हेतु केंद्र व राज्य सरकार द्वारा कई ऐसी प्रमुख योजनाओं का क्रियान्वयन किया है| जिससे ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास को तेज गति मिल सके| किसी भी क्षेत्र के कुशलतम कार्य का आधार वहाँ पर स्थापित आधरभूत संरचना पर निर्भर करता है| आधारभूत संरचना में उस क्षेत्र की परिवहन व्यवस्था, विद्युतीकरण सड़के, आवासीय स्थिति, दूरसंचार, बाज़ार एवं विपणन एवं बैंकिंग एवं बीमा को शामिल किया गया है देश में आधारभूत संरचना और सुविधा जितनी सुदृढ़ होगी देश का आर्थिक विकास भी उतना ही तेज गति से बढेगा| भारत में आज भी दो – तिहाई जनसंख्या गाँवो में निवास करती है| इनको बेहतर आधारभूत सुविधा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है | जिससे देश आर्थिक विषमता को समाप्त कर समग्र रूप से विकास कर सके।

6.2 ग्रामीण विकास का अर्थ (Meaning of Rural Development)

किसी भी देश एवं संस्था के कुशलतापूर्वक कार्य का आधार उसकी आधारभूत संरचना और सुविधा पर निर्भर करती है| देश एवं संस्था का भवन, परिवहन, जल एवं ऊर्जा के स्त्रोत एवं प्रशासनिक प्रणाली जितनी मजबूत एवं विस्तार पूर्ण होगी उसकी आधारभूत संरचना उतनी ही सुदृढ़ होगी। किसी भी देश, संस्था एवं संगठन की प्रगतिशील विकास के आधारभूत ढांचें का मजबूत होना नितांत आवश्यक है| क्योंकि किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु आधारभूत संरचना की बड़ी भूमिका होती है| बिना व कमजोर आधारभूत संरचना के देश व संस्था के विकास की नींव ही कमजोर होगी| अत: किसी भी देश के आर्थिक विकास हेतु अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र एवं विदेशी व्यापार आदि में तेजी से विकास करने हेतु आधारभूत ढांचें को विकसित करना अनिवार्य है।

6.3 ग्रामीण विकास के महत्व (Importance of Rural Development)

किसी भी देश अथवा क्षेत्र के विकास में आधारभूत ढांचें या आधारभूत संरचना का उतना ही महत्व है | जैसे कि मानव शरीर के मेरुदण्ड, जिस प्रकार मेरुदण्ड किसी भी मानव शरीर का आधार होता है | उसी प्रकार किसी भी देश एवं क्षेत्र के आर्थिक विकास का आधार उन देश व क्षेत्र का आधारभूत संरचना होती है | यदि देश में आधारभूत संरचना की स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था का कुशलतापूर्वक एवं उन्नति पूर्ण संचालन भी संभव नही हो पायेगा | किसी भी देश व क्षेत्र की आधारभूत संरचना के विकास से न केवल अर्थव्यवस्था का कुशल संचालन संभव है बल्कि इससे देश के आर्थिक विकास की गति में भी तेजी लाई जा सकती है| किसी भी देश, संस्था, क्षेत्र एवं संगठन में यदि आधारभूत संरचना का पर्याप्त विकास हो चुका है तो इसका प्रभाव निश्चित ही उस क्षेत्र की आर्थिक प्रबलता को विकास मार्ग पर लेकर जायेगा और यदि आधारभूत संरचना का विकास पिछड़ा हुआ है तो वह क्षेत्र भी आर्थिक विकास के रूप में पिछड़ा हुआ होगा |

"सतत् आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचें की महत्ता सुविदित है |" अपर्याप्त और अक्षम आधारभूत ढांचें से उत्पन्न होने वाली उच्च लेन-देन लागतों के कारण अर्थव्यवस्था का विकास पूर्ण क्षमता के साथ होना असम्भव है | भले ही दूसरे क्षेत्र में हम कितने ही प्रबल क्यों ना हो, भौतिक आधारभूत ढांचा जिसमें परिवहन, सड़कें, विद्युत सुविधाओं के माध्यम से संचार सामाजिक आधारभूत ढांचा जिसमें जल आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है, का जीवन स्तर पर सीधा पड़ता है, इसलिए जीवन स्तर में सुधार करने हेतु क्षेत्र के आधरभूत संरचना का विकास करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है |'' – आर्थिक समीक्षा 2005-06

देश के आर्थिक नियोजन योजना के अंतर्गत विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में देश की आर्थिक संरचना को मजबूत बनाने हेतु विशेष योजना का प्रारम्भ में बजट आवंटन किया गया | बारहवीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा सहित आधरभूत संरचना के विकास पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि गुणात्मक आर्थिक संरचना के माध्यम से न केवल उच्च आर्थिक विकास दर बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र का समग्र एवं समावेशी विकास में तेजी लाई जा सकती है| बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक संरचना क्षेत्र में (Infrastructure Sector) 56.3 लाख करोड़ ₹ निवेश का लक्ष्य रखा गया| जिसमे 48% पूँजी निवेश निजी क्षेत्र के माध्यम से किया जाना था|

6.4 भारत में ग्रामीण आधार – संरचना का विकास (Rural Infrastructure Development in India)

भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों में विकसित देशो की तुलना में आधारभूत संरचना का विकास बहुत ही नगण्य है | भारत में आज भी आधारभूत संरचना की स्थिति काफी दयनीय है | आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत में वर्ष 2020-21 में कुल बिजली आपूर्ति जनोपयोगी और गैर जनोपयोगी क्रमश: 382.2 हजार मेघावाट एवं 77 हजार मेघावाट है जिसमे 1373.2 बिलियन के.वी. प्रति घंटा बिजली आपूर्ति जनोपयोगी हेतु एवं 200 बिलियन के.वी. प्रति घंटा बिजली आपूर्ति गैर-जनोपयोगी हेतु उपलब्ध होती है| सड़को की कुल लम्बाई पूरे भारत वर्ष में 2018-19 तक मात्र 6371.8 हजार कि.मी. है | जिसमे राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 132.5 हजार कि.मी एवं राज्य राजमार्ग की लम्बाई 179.5 हजार कि.मी. है | शेष सड़के अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत है | जो यातायात हेतु अभी सुदृढ़ एवं सुगम नहीं है| वर्ष 2018-19 तक कुल पंजीकृत वाहनों की संख्या 295772 हजार है | और उससे प्राप्त होने वाला कुल राजस्व में केन्द्रीय राजस्व 1212833.3 ₹ करोड़ एवं राज्य का राजस्व 72115.6 ₹ करोड़ है | इस प्रकार विमानन क्षेत्र में कुल विमान की संख्या 2020-21 तक मात्र 716 है | इस प्रकार भारतीय रेलो के प्रचालन में कुल रेल मार्ग 68.1 हजार कि.मी. है | जिसमे से विद्युत चालित रेल मार्ग 44.8 हजार कि.मी. है | देश में पेयजल की सुविधा आज भी उत्तम नही है | विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं है |

भारत में ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना की स्थिति तो ओर भी अधिक खराब है | स्वतंत्रता प्राप्ति के सात दशकों बाद भी गाँवो में बिजली की सुविधा, पेयजल की सुविधा, सड़क यातायात, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकतों से वंचित है | 2011 की जनगणना के आधार पर देश में साक्षरता की दर 74.04% है जो की ग्रामीण क्षेत्रों में ओर भी कम है | भारत में जन्म दर 21.8 (2011 में SRS के अनुसार) व्यक्ति प्रति हजार तथा मृत्यु दर 7.1 प्रति हजार है| भारत में जन्मदर विश्व के विकसित देशों की तुलना में बहुत अत्यधिक है | भारत में शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों ही ऊँची है | भारत जैसे देश में ग्रामीण क्षेत्रों का क्षेत्रफल अधिक होने के कारण सबसे अधिक आधारभूत संरचना के विकास की जरुरत भी वहां अधिक होती है | ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करके तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार व गुणात्मक सुधार करके जन्म एवं मृत्यु दर को कम किया जा सकता है |

आज भी भारत में भारत की कुल जनसंख्या का दो- तिहाई से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कराती है| वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 83.3 मिलियन ग्रामीण जनसंख्या है जो कुल जनसंख्या का 68.8% है | लेकिन भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना की स्थिति जैसे – परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा एवं चिकित्सा, पेयजल आपूर्ति एवं सफाई व्यवस्था में अत्यंत ही कमजोर है |

6.5 भारत निर्माण योजना (Bharat Nirman Yojana)

ग्रामीण क्षेत्रो में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 16 दिसम्बर 2005 को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने इस योजना का शुभारम्भ किया | जिसका अनुमानित बजट 1,74,000 करोड़ ₹ रखा गया | इस योजना में निम्नांकित छ: घटक है:-

(i) सिंचाई
(ii) ग्रामीण सड़के
(iii) ग्रामीण आवास
(iv) जलापूर्ति
(v) विद्युतीकरण
(vi) ग्रामीण संवाद

उद्देश्य :- यह योजना भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है | इस योजना के शुभारम्भ के लिए सरकार का मुख्य उद्देश्य बेहतर ग्रामीण आधारभूत संरचना तैयार करना है | जिससे ग्रामीणों को आसानी से मूलभूत सुविधा मिल सके | यह योजना भारत में ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में आमूलचूक परिवर्तन हेतु एक बहुत अच्छी पहल है |

भारत निर्माण के घटक (Components of Bharat Nirman) :-

1- **सिंचाई :** भारत निर्माण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की एक करोड़ हेक्टेयर भूमि के लिए सिंचाई सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है | जिससे ग्रामीणों को कृषि उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहायता मिल सके|
2- **ग्रामीण सड़के :-** भारत निर्माण योजना के तहत् गाँवो की 1000 आबादी वाले क्षेत्रों को सड़को से जोड़ना तथा 500 आबादी तक के सभी अनुसूचित जनजाति और पहाड़ियों पर बसे ग्रामीण क्षेत्रो को सड़को से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया | दिसम्बर 2012 तक भारत निर्माण के तहत् कुल 47,354 बस्तियों को सड़को से जोड़ा गया जबकि 60,421 बस्तियों को सड़को से जोड़ने के लिए कार्य स्वीकृत कर दिया गया |
3- **ग्रामीण आवास :-** इस योजना के तहत् ग्रामीण क्षेत्रो में गरीबो के लिये 60 लाख अतिरिक्त आवासों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया | भारत निर्माण कार्यक्रम के प्रथम चार सालों में (2005-06 से 2008-09) में पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रो में इंदिरा गाँधी आवास योजना के तहत् 60 लाख आवास बनाये जाने की परिकल्पना की गयी | इस लक्ष्य के तहत् 39 करोड़ ₹ के खर्च से 71.76 लाख आवास बनाये गए | भारत निर्माण के तहत् दूसरे चरण का लक्ष्य 5 वर्षों (2009-10 से 2013-14) की अवधि में 120 लाख घर निर्माण करने का था | जिसमे प्रथम तीन वर्षों के दौरान 85.72 लाख से अधिक आवास बनाये गए|
4- **जलापूर्ति :-** ग्रामीण क्षेत्रो में बसी आबादियों के लिए इस योजना के तहत् शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करना प्रमुख लक्ष्य रखा गया | कार्यक्रम के प्रथम चार सालों में 74000 गाँवो में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया |

5- **विद्युतीकरण :-** ग्रामीण क्षेत्रो में विद्युतीकरण की समस्या को दूर करने हेतु भारत निर्माण योजना के तहत् प्रथम चार सालो में भारत के 1,25,000 गाँवो में बिजली की आपूर्ति करना ओर 23 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया |

6- **ग्रामीण संवाद :-** देश के आधारभूत संरचना में उक्त घटकों के अलावा संचार का भी अपना महत्व है | संचार के माध्यम से आर्थिक व्यापार में गतिशीलता मिलती है जो ग्रामीण क्षेत्रो के आर्थिक विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है | इस हेतु भारत निर्माण योजना के तहत् ग्रामीणों के संवाद हेतु सभी 66,822 गाँवो में टेलीफ़ोन की सुविधा उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया

"भारत निर्माण" जिसमें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), त्वरित सिंचाई हितकारी कार्यक्रम (Accelerate Irrigation Benefit Programme), राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना (RGGVY), इंदिरा आवास योजना (IAY), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) तथ ग्रामीण टेलीफोन (Rural Telephony) सम्मिलित है | के लिए वर्ष 2011-12 में 58 हजार करोड़ ₹ का बजट आवंटित किया गया | यह राशि वर्ष 2010-11 के लिए निर्धरित बजट राशि से 10,000 करोड़ ₹ अधिक थी | ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाये तक जा रहे कार्यक्रम के तहत् वर्ष 2012-13 में इन कार्यो पर लगभग 55 हजार करोड़ ₹ का व्यय होने का अनुमान था | वर्ष 2013-14 के बजट में ग्रामीण विकास कार्य हेतु 80,194 करोड़ ₹ आवंटित किये गए जो पिछले वर्षों से 46% अधिक है | वर्ष 2013-14 के बजट में मनरेगा कार्य हेतु 33,000 करोड़ ₹, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना एवं इंदिरा गाँधी आवास योजना के लिए क्रमश: 21,700 करोड़ ₹ तथा 15,184 करोड़ ₹ की राशि आवंटित की गयी|

6.6 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) (Pradhanmantri Gram Sadak Yojana)

इस योजना का शुभारम्भ पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 25 दिसम्बर, 2000 को ग्रामीण संयोजता के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से किया गया| भारत में लगभग 6.40 लाख गाँवो में देश के दो- तिहाई से अधिक (68.8%) जनसंख्या निवास करती है | जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित क्रियाये है | कृषि पदार्थो के विपणन के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में पक्की सड़को का विकास अत्यंत जरूरी है| जिससे किसान वर्ग कम समय में अपने उत्पाद को बाजारों तक सुगमता से पंहुचा सके | साथ ही ग्रामीणों के रोजगार एवं अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु सड़को का महत्व है | इन आधारभूत सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुभारम्भ किया गया | यह योजना शत- प्रतिशत केंद्र द्वारा प्रायोजित है | इस योजना के तहत् देश के सभी छोटे- बड़े गाँवो को एक सड़क परियोजना के माध्यम से शहरो के साथ पक्की सड़को से जोड़ा जायेगा | इस योजना का पूर्ण प्रबंधन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगर पालिका के माध्यम से किया जाता है | इस योजना का तीसरा चरण वर्ष 2019 में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा की गयी |

उद्देश्य :-

- इस योजना के तहत् देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रो को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ना है | गाँव से समीप सभी शहरों को सड़को के माध्यम से गाँवो से जोड़ना है |
- जिन ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही सड़के बनी हुई है | उन गाँवो में बनी सड़को को मरम्मत कर उन्हें पुन: सुगम और सरल बनाने का लक्ष्य रखा गया |
- इस योजना के तहत् देश का हर गाँव, शहर, जिला ओर राज्य एक दुसरे से सड़क के माध्यम से जोड़ा जाये |

योजना के लाभ :-

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देश के सभी दुरस्त ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क का निर्माण किया जायेगा |
- देश के सभी अस्पतालों, स्कूलों व अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ा जायेगा |
- ग्रामीणों के समय की बचत हो, उन्हें दुरस्त ग्रामीण क्षेत्रो से शहर तक पहुचने में काफी कम समय लगे |
- गाँवो तक पक्की सड़क बन जाने से आवागमन की सुविधा को सुगम बनाने का लक्ष्य रखा गया |
- ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पुरानी सड़को का पुनर्निर्माण व यदि सड़क बनाने के 5 वर्ष के अंदर टूटती है तो उनकी मरम्मत का प्रावधान किया गया |
- इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत् देश के मैदानी क्षेत्रो में लगभग 150 मीटर तक लम्बे पुल एवं हिमालय एवं पूर्वोतर राज्यों में 200 मीटर तक लम्बे और मजबूत पुलों का निर्माण किया जायेगा |
- इस योजना के तहत् देश में ग्रामीण और शहरी सड़को पर सड़क नेटवर्क स्थापित किया जायेगा |

प्रधानमंत्री सड़क योजना से सम्बन्धित समिति :

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (Societies Registration Act) के अंतर्गत ग्रामीण सड़क योजना कार्यक्रम हेतु सड़क बनाने की लिए राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (National Rural Roads Development Agency - NRRDA) की स्थापना की गई – यह अभिकरण देश में बनने वाली सभी सड़को के निर्माण की देखभाल और रखरखाव करेगी | इसके अलावा यह अभिकरण निम्न कार्य करेगा –

- ग्रामीण सडकों के निर्माण और उनकी देखभाल पर होने वाले वित्तीय खर्चों की जानकारी रखना तथा उन खर्चों का समायोजन करना |
- सड़को की गुणवत्ता, ऑनलाइन मोनिटरिंग, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आने वाले फीडबैक के बारे में संज्ञान लेने जैसे काम को अंजाम देने का कार्य इस अभिकरण के माध्यम से किया जायेगा |

इस योजना के तहत् 500 या इससे अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रो में एवं पहाड़ी जनजातीय एवं रेगिस्तानी क्षेत्रो में 250 लोगों की आबादी वाले गाँवो को आपस में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया| इस कार्यक्रम के तहत् 1,36,464 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत न केवल उन गाँवो को 1.60 लाख बस्तियों को योजना में सड़क से जोड़ने बल्कि वर्तमान सड़क को निर्धारित मानको तक सही करने का लक्ष्य भी रख गया |

इस कार्यक्रम की शुरुआत से वर्ष 2012-13 तक 1,26,176 बस्तियों को सड़क से जोड़ने हेतु कुल 4,74,528 कि.मी. लम्बाई की परियोजनायें स्वीकृत की गयी है | जिनकी लागत 1,42,946 करोड़ ₹ होगी तथा 1,02,658 करोड़ ₹ की राशि राज्यों को इस योजना हेतु जारी की गयी जिसमे से राज्यों द्वारा अभी तक दिसम्बर 2012 तक लगभग 96,939 करोड़ ₹ व्यय किये गए है| कुल 3,63,652 कि.मी. सड़के पूरी हो चुकी है तथ 89,382 बस्तियों को नयी संयोजनता (New Connectivity) प्रदान की जा चुकी है | लगभग 1,07,739 कि.मी. लम्बी सड़को का कार्य प्रगति पर था |

वर्ष 2013-14 के बजट मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् 21,700 करोड़ ₹ आवंटित किये गए है | वर्ष 2014-15 में इस योजना हेतु 14,391 करोड़ ₹ का बजट आवंटित किया गया | योजना के प्रारम्भ किये जाने के बाद से मार्च 2014 के अंत तक 182559.96 करोड़ ₹ के व्यय से ग्रामीण क्षेत्रो में 544462.39 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़को के निर्माण की परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी है, ताकि 144713 बसावटों को पक्की सडकों से जोड़ा जा सके | 31 मार्च 2014 तक राज्यों को 109638.51 करोड़ ₹ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है | राज्यों ने 1,12,979.55 करोड़

₹ के व्यय से 97,838 बसावटों को पक्की सड़को से जोड़ने वाली 3,99,979 कि.मी. लम्बी ग्रामीण सड़को का निर्माण कराया है |

वर्ष 2015-16 के बजट में इस कार्यक्रम हेतु 14,291 करोड़ ₹ आवंटित किये गए है | वर्ष 2016-17 में इस योजना हेतु 19,000 करोड़ ₹ आवंटित किये गए है | यदि राज्यों के हिस्से को भी मिला लिया जाए, तो इस वर्ष 27,000 करोड़ ₹ इस कार्यक्रम पर खर्च किया जायेगा | वर्ष 2018-19 में 15,414 करोड़ ₹ आवंटित किये गए है | वर्ष 2019-20 में इस अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हेतु 14,070 करोड़ ₹ तथा वर्ष 2020-21 में 14,000 करोड़ ₹ आवंटित किये गए है | वर्ष 2022-23 (BE) में आवंटन 19,000 करोड़ ₹ किया गया है |

इस योजना का क्रियान्वयन देश के सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में किया जा रहा है| सभी प्रदेशो के पंचायत मुख्यालय एवं पर्यटन स्थलों को सड़को के माध्यम से जोड़ा जा रहा है | ग्रामीण क्षेत्रो में सड़क निर्माण हेतु न केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत् बल्कि सावर्जनिक निर्माण विभाग (PWD) एवं पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा भी सड़कों का निर्माण किया जाता है |

6.7 ग्रामीण आधार संरचना एवं ग्रामीण बाजार (Rural Infrastructure and Rural Market)

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (DMI) कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध एक कार्यालय है | केन्द्रीय सरकार की सभी कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वर्ष 1935 में इसकी स्थापना की गयी | उप उत्पादक – विक्रेताओं के दृष्टिकोण से देश में कृषि तथा सम्बद्ध उत्पादकों के विपणन के समाकलित विकास को लाने के लिए निदेशालय प्रारम्भ से ही जिम्मेदार है | देश में कृषि विपणन नीतियों को लागू करने में इसने केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बीच सम्पर्क बनाये रखा है |

देश में कृषि विपणन प्रणाली विकसित करने में सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है | कृषि विपणन के प्रबंध नियंत्रण हेतु कृषि एवं सहकारी विभाग तीन संगठनो की सहायता लेता है |

1. विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (DMI), फरीदाबाद
2. चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (NIAM), जयपुर
3. लघु कृषक कृषि – व्यापार संकाय (SFAC) , नई दिल्ली

भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GDP) में कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाओं का बहुत बड़ा योगदान है | कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्रियाओं को भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से जोड़ा गया है | भारत के कुल GDP का लगभग 25% हिस्सा आज भी कृषि उत्पाद से आता है लेकिन कृषि एवं सम्बद्ध उत्पाद को बाज़ार में बेचने हेतु कोई बड़ा बाज़ार ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है | कृषक अपने उत्पादों को बेचने व विपणन हेतु दूर- दराज के क्षेत्रों में ले जाता है | ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन हेतु आधार संरचना जैसे परिवहन के साधन (रेल परिवहन एवं सड़क परिवहन) के अभाव में कृषको का समय अधिक लगता है | साथ ही अत्यधिक खर्च वहन करना होता है | और समय अधिक लगने से कृषि उत्पाद के नष्ट होने का खतरा भी रहता है | परिणामस्वरुप जो छोटे किसान वर्ग है , जिनकी उपज अच्छी नही होती है | वे बहुत कम कीमत या नुक्सान पर अपने माल को गाँवो के साहूकारों, महाजनों एवं पटेलों को बेचने पर विवश हो जाते है | और इससे देश का उच्च वर्ग ओर अमीर हो जाता है | जबकि गरीब किसान ओर गरीब हो जाता है | जिससे देश में आर्थिक विषमता ओर बढ़ाने लगती है | इस हेतु किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण बाजारों (Rural Market) को विकसित किया जाए | और देश के कृषि एवं सहकारी विभाग इसको बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे |

देश में स्थापित मंडियों के नेटवर्क के द्वारा कृषि जिंसो के संगठित विपणन को प्रोत्साहन दिया गया है | राज्य सरकार एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में कृषि उत्पाद के विनिमय हेतु पर्याप्त कानून बनाये गये है | जैसे ए.पी.एम.सी. एक्ट| मार्च 2006 तक देश में कुल 7,566 विनियमित मंडियां थी जहां किसान वर्ग अपने कृषि उत्पाद को उचित मूल्य व मुनाफे के साथ बेच सकता था | इसके अलावा देश में 27,294 ग्रामीण आवधिक मंडियां है | जिनमे से करीब 15% विनियमन के अधीन है| विनियमित मंडियों के कारण थोक व्यापार के स्तर पर उत्पादकों/विक्रेताओ के दलालों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है| देश के ग्रामीण क्षेत्र में विकास, रोजगार और आर्थिक संवृद्धि हेतु कृषि क्षेत्र के लिए भली-भांति कार्य करने वाली विनिमय मंडियों की आवश्यकता है | विपणन प्रणाली में गति ओर दक्षता उपलब्ध कराने हेतु उपज की कटाई के बाद तथा कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे को किसानो के खेतों के आसपास ही विकसित करने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है जो कि निजी क्षेत्रो के निवेश से सम्भव है | जिसके लिए उचित विनियमन नीति का होना आवश्यक है | साथ ही किसानो के खेतों से कृषि जिंसो की सीधी खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए भी उपयुक्त नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है| कृषि उत्पादन को रिटेल चैन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के बीच प्रभावी सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी सक्षम नीतियाँ बनाने की आवश्यकता है ताकि देश में मंदी प्रणाली का विनियमन किया जा सके |

6.8 ग्रामीण विद्युतीकरण (Rural Electrification)

ग्रामीण आधरभूत संरचना के विकास में विद्युतीकरण एक महत्वपूर्ण घटक है| ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत दो तरह के कार्यक्रमों हेतु ऊर्जा की पूर्ति को सम्मिलित किया जाता है| (i) उत्पादन – अभिमुख गतिविधि जिसमे लघु सिंचाई, ग्रामीण उद्योग आदि को शामिल किया जाता है| (ii) ग्रामीण विद्युतीकरण| ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों का निर्माण एवं क्रियान्वयन राज्य विद्युत मंडलों/ राज्य विद्युत विभागों द्वारा किया जाता है| विगत कुछ वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए गहन कार्यक्रम क्रियान्वित किये गए | परिणाम स्वरुप 84.3% ग्रामीण क्षेत्र का विद्युतीकरण किया जा चुका है | देश के 10 राज्यों में शत-प्रतिशत गांवों में विद्युतीकृत किया जा चुका है |

वर्ष 2001-02 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आधारभूत न्यूनतम सेवा में 2012 तक सभी घरों में विद्युतीकरण एवं 2007 तक ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य के लक्ष्य को शामिल किया गया | वर्ष 2001-02 में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यों की 421 करोड़ ₹ आवंटित किये गए जिसमे से 412 करोड़ ₹ की राशि निर्गमित की गयी | वर्ष 2002-03 में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यों को 360 करोड़ ₹ की राशी आवंटित की गयी| ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY) के अंतर्गत कोष उपलब्ध करवाने के अलावा राज्यों को इस कार्य हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme – MNE) के तहत् केन्द्रीय योजना सहायता (Central Plan Assistance) भी उपलब्ध करायी जाती है | वर्ष 2002-03 में MNP के अंतर्गत राज्यों को 600 करोड़ ₹ की राशी आवंटित तथा जारी की गयी |

ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत मार्च 2013 तक 1,34,28,083 पम्प सेटों को उर्जित किया गया जबकि कुल अनुमानित सम्भाव्य पम्पसेटों की संख्या 19.5 मिलियन पम्पसेट है | मार्च 2002 तक ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों को कुटीर ज्योति कार्यक्रम (Kutir Jyoti Prgramme) के अंतर्गत 48.5 लाख एकल बिंदु कनेक्शन जारी किये जा चुके है |

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC)

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) भारत के विद्युत क्षेत्र में एक अग्रणी सावर्जनिक अवसंरचना वित्तीय कम्पनी है | विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रिय क्षेत्र का एक नवरत्न उद्यम है | इसे कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् 25 जुलाई

1969 को निगमित किया गया | REC भारत सरकार का एक सूचीबद्ध सावर्जनिक क्षेत्र का उद्यम है | इसका निवल मूल्य वर्ष 2015 को 24857.3 करोड़ ₹ (स्टेड अलोन) तथा 25072.58 करोड़ ₹ समेकित था |

देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की स्थापना की गयी एवं वर्ष 1992 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) का सावर्जनिक वित्तीय संस्थान (Public Financial Institution) घोषित किया गया| वर्ष 1998 में RBI द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (NBFC) का दर्जा दिया गया | वर्ष 2002 एवं 2008 में क्रमश: मिनी रत्न ग्रेड - 1 एवं नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया एवं वर्ष 2010 में RBI के माध्यम से REC ने अवसंरचना वित्तीय कम्पनी (Infrastructure Financial Company) का दर्जा भी प्राप्त किया |

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (REC) द्वारा निम्नाकिंत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाता है :-

- जनजातीय गाँवो तथा दलित बस्तियों सहित गाँवो का विद्युतीकरण |
- लघु कृषि आधारित एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए विद्युत उपलब्ध कराना |
- पम्पसेटों को ऊर्जित करना |
- ग्रामीणों के आवासों एवं गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना |

उद्देश्य

- ग्रामीण और अर्धशहरी जनता के रहन-सहन को समृद्ध बनाने एवं उनके विकास में तेजी लाने के लिए बिजली पहुचाँने में मदद करना |
- देशभर में बिजली उत्पादन, संरक्षण, पारेषण ओर वितरण सम्बन्धी परियोजनाओ को प्रोन्नत करने तथा वित्त पोषण करने के लिए ग्राहकों की सुविधा का ध्यान रखने वाले प्रतिस्पर्धात्मक एवं विकास परक संगठन के रूप में कार्य करना |

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम प्रसारण एवं वित्तीय प्रणाली को सुदृढ़ करने वाली परियोजनाओं एवं राज्य विद्युत मंडलों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है | साथ ही लघु विद्युत उत्पादन परियोजनाओं जैसे पवन ऊर्जा (Wind Energy), जल परियोजनाओं (Hydel Projects) के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है | ग्रामीण विद्युतीकरण निगम अनुसूची 'अ' का संगठन है |

सम्बन्धित योजनायें - :

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDVGJY)

भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं को विवेक पूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 20 नवंबर 2014 को यह योजना प्रारम्भ की गयी | भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने 3 दिसम्बर 2014 को इस योजना को स्वीकृति प्रदान कर कृषि एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं के जीवन में गति प्रदान कर दी | प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया |

इस योजना का शुभारम्भ अप्रैल 2005 में राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) के स्थान पर किया गया| आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सी.सी.ई.ए.) द्वारा अगस्त 2013 में स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण से सम्बन्धित शेष कार्य के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत RGGVY के चल रहे कार्यों को इस योजना में सम्मिलित किया गया|

इस योजना के प्रमुख संघटक निम्नलिखित प्रकार है :-

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की न्यायोजित आपूर्ति हेतु कृषि तथा गैर-कृषि फीडर अलग-अलग करना |
- ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं-कृषि एवं गैर-कृषि को उप सम्प्रेषण तथा वितरण हेतु अधोरचना का सुदृढ़ीकरण |
- राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए स्वीकृत आवंटन दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को हस्तांतरित करना |

इस योजना की कुल लागत 43,033 करोड़ ₹ होगी जिसमे से 33,453 करोड़ ₹ की बजटीय सहायता होगी | इस योजना के तहत् कराये जाने वाले कार्य है – फीडर पृथक्कीकरण, वितरण के मीटर लगाने सहित, उप-सम्प्रेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण | इस योजना के अंतर्गत विशेष सन्दर्भ के राज्यों में केंद्र सरकार का हिस्सा 90% तथा वितरण कम्पनियों का हिस्सा 10% होगा | अन्य राज्यों के लिए यह 75:25 के अनुपात में होगा | परियोजना की कूल लागत का 30% वित्तीय संस्थानों/बैंकों से जुटाया जाएगा |

इस योजना के तहत् गैर विद्युतीकरण 1,24,786 गांवों के विद्युतीकरण आंशिक रूप से विद्युतीकरण 6,02,910 गाँवो के सघन विद्युतीकरण तथा निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे 405.42 लाख ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क विद्युत संयोजन उपलब्ध करने की 921 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी है | 31 दिसम्बर, 2014 तक गैर-विद्युतीकरण 1,08,913 गाँवो का विद्युतीकरण किया जा चुका था | 3,14,160 आंशिक विद्युतीकरण गांवों का सघन विद्युतीकरण किया जा चुका था तथा 221.17 लाख निर्धन परिवारों को निःशुल्क कनेक्शन दिया जा चुका था |

1 मई, 2018 तक शत-प्रतिशत गाँवो में बिजली पहुचाँने के लिए प्रतिबद्ध सरकार ने 2016-17 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति स्वीकृत विद्युत स्कीमों हेतु 8,500 करोड़ ₹ की व्यवस्था की थी | वर्ष 2018-19 में 3,800 करोड़ ₹ आवंटित किये गए है, जबकि वर्ष 2019-20 में 3,926 करोड़ ₹ तथा वर्ष 2020-21 में 2,000 करोड़ ₹ तथा वर्ष 2021-22 में 3,600 करोड़ ₹ का आवंटन किया गया है |

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना :-

भारत में ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने, कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और सौर ऊर्जा का उत्पादन करके किसानों के लिए अतिरिक्त आय पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) योजना 19 फरवरी 2019 को संघीय मंत्रिमंडल की अनुमति से शुरू की गयी है | इस योजना का लक्ष्य 34,000 करोड़ ₹ से अधिक केन्द्रीय वित्तीय सहायता से 30.8 गीगा वॉट सौर क्षमता को जोड़ना है | इसके तीन घटक है (क) 10,000 मेगा वॉट विकेंद्रीकृत ग्रिड से जुड़े और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, जिनमे से प्रत्येक ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 2 मेगावॉट तक है, (ख) 20 लाख स्टैंडअलोन सौर ऊर्जा संचालित कृषि पम्पो की स्थापना, और (ग) ग्रिड से जुड़े 15 लाख मौजूदा कृषि पम्पों का सौरकरण | भारतीय रिजर्व बैंक ने इन घटकों को वित्तीय उपलब्धता आसान बनाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण सम्बन्धी दिशा-निर्देशों के तहत् शामिल किया है | 31 दिसम्बर 2021 तक 77,000 से अधिक स्टैंडअलोन सोलर पम्प, 25.25 मेगावॉट क्षमता के सोलर पॉवर प्लांट और 1,026 से अधिक पम्पों को अलग-अलग पम्प सोलराइजेशन वैरियेंट की शुरुआत की गयी थी उसका भी कई राज्यों में कार्यान्वयन शुरू हो गया है |

पीएम-कुसुम योजना का विस्तार (बंजर जमीन पर सौर बिजली उत्पादन सह-खेती) :-

- बजट में किसान की आमदनी वर्ष 2022 तक दोगुनी करने का वादा दोहराते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का जोर कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर है |

- सरकार का लक्ष्य है की डीजल पर किसानों की निर्भरता कम की जाए, इसलिए किसानों को सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करेंगें | देश के अन्नदाता को ऊर्जा दाता बनाएंगे |
- जिन इलाकों में किसी तरह की खेती नहीं होती है वहाँ पर सोलर यूनिट लगाये जाएँगे और उन यूनिट को बिजली की ग्रिड से जोड़ा जाएगा |
- योजना के तहत 15 लाख किसानों को ग्रिड से जोड़ा जाएगा | यानी इन किसानो की बंजर जमीन पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के तहत् सोलर यूनिट लगेंगी और उन्हें बिजली विभाग की ग्रिड से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए किसान को भुगतान किया जाएगा|

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. भारत निर्माण योजना की स्थापना कब हुई?
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागु करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को जाता है?
3. DDVGJY योजना का पूरा नाम बताइये|
4. ग्रामीण विकास का अर्थ एवं महत्त्व को समझाइये|
5. ग्रामीण विद्युतीकरण पर लेख लिखिए|
6. भारत निर्माण योजना के प्रमुख घटकों के साथ और किन घटकों को ग्रामीण विकास हेतु जोड़ा जा सकता है| अपने विचार प्रस्तुत कीजिये|

6.9 ग्रामीण आधार-संरचना एवं जल-आपूर्ति (Rural Infrastructure and Water Supply)

ग्रामीण विकास संरचना के विकास में ग्रामीणों को जल आपूर्ति एवं सफाई योजना एक महत्वपूर्ण घटक है | जलापूर्ति एक महत्वपूर्ण बुनियादी आवश्यकता है | जो ग्रामीणों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि करता है | शुद्ध पेयजल आपूर्ति ग्रामीणों के जीवन स्तर एवं कल्याण में बहुत सहायक है | ग्रामीण क्षेत्रो में शिशु मृत्युदर, मृत्युदर, दीर्घ आयु एवं उत्पादकता पर शुद्ध पेयजल आपूर्ति एवं सफाई का व्यापक प्रभाव पड़ता है| वर्ष 2012-13 तक लगभग 74% ग्रामीण क्षेत्र को सुरक्षित पेयजल सुविधा प्राप्त हो चुकी थी जिसमे प्रत्येक व्यक्ति को 40 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध करवाने का प्रावधान था | शेष ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की सुविधा न होने के कारण वहाँ के ग्रामीणों की उत्पादन गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है | ग्रामीण क्षेत्रो में जहां उचित शुद्ध पेयजल सुविधा एवं खराब सफाई व्यवस्था होती है वहाँ के ग्रामीणों के समग्र कल्याण में भी कमी आती है | वहाँ की महिलाये, बच्चे दूषित जल के प्रभाव से अधिक संवेदनशील होते है | अत: ग्रामीण क्षेत्रो में महिलाओं और बच्चो में स्वास्थ्य सम्बन्धी कई परेशानियां होती है |

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति से सम्बद्ध योजनायें राज्य क्षेत्र की न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों द्वारा तैयार ओर क्रियान्वित की जाती है| त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (Accelerated Rural Water Supply Programme – ARWSP) के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत की जा रही 100% सहायता अनुदान व्यवस्था को संतुलित करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है |

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ARWSP) को वर्तमान में राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इस स्कीम का उद्देश्य 100 और उससे अधिक की जनसंख्या वाली सभी ग्रामीण आबादियों को, विशेष रूप से वे जिन तक पहुँच नहीं हो पाती, कवरेज दिया जाना है ताकि प्रणालियों और स्त्रोतों की चिर बहाली सुनिश्चित हो सके और जल की गुणवत्ता की समस्या से निपटा जा सके और जलग्रहण क्षेत्र दृष्टिकोण के माध्यम से जल की गुणवत्ता

की मोनिटरिंग और निगरानी को संस्था का रूप दिया जा सके | वर्ष 2004-05 में ARWSP के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2900 करोड़ ₹ दिए गये थे | वर्ष 2004-05 में इस आबंटन को बढ़कर 4,050 करोड़ ₹ किया गया |

ARWSP को वर्ष 1972-73 से क्रियान्वित किया जा रहा है| 31 मार्च, 2005 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 50,000 करोड़ ₹ से अधिक के निवेश से ग्रामीण जनसंख्या की पेयजल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की गयी है| ग्रामीण क्षेत्रो में 3.7 मिलियन से भी अधिक हैण्डपम्प और 1.73 लाख नलों द्वारा जलापूर्ति की स्कीमें (Piped Water Schemes) स्थापित की गयी है |

'स्वजल धारा' योजना :-

पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिसम्बर 2022 में ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'स्वजल धारा योजना' का शुभारम्भ किया| इस योजना (कार्यक्रम) के तहत् वर्ष 2004 ताल सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया| श्री वाजपेयी ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में 882 परियोजनाओं प्रारम्भ करने की घोषणा की | इस योजना में 90% केंद्र तथा 10% राज्य सरकार की साझेदारी होगी | इस योजना की शुरुआत करते हुए श्री वाजपेयी ने पानी के सदुपयोग के प्रति जनता को जागरूक बनाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया | उन्होंने कहा कि पानी की बूंद-बूंद कीमती है |

राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (RGNDWM) :-

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ARWSP) को 1986 में मिशन दृष्टिकोण (Mission Approach) से क्रियान्वित करने का निश्चय किया गया तथा राष्ट्रीय पेयजल मिशन (National Drinking Water Mission – NDWM) की स्थापना की गयी| वर्ष 1991 में NDWM का नाम बदल कर राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (RGNDWM) कर दिया गया | वर्तमान में त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (ARWSP) को राजीव गाँधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है | इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नांकित है :-

(अ) सभी ग्रामीण बस्तियों (विशेषकर जहाँ अभी तक पेयजल की सुविधा नही है) में सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना,

(ब) प्रणाली एवं संसाधनों की निरंतरता सुनिश्चित करना तथा

(स) प्रभावित बस्तियों में पानी की गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करना |

अटल भूजल योजना

अटल भूजल योजना (25 दिसम्बर, 2019) को प्रधानमंत्री द्वारा भूमि जल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए 'अटल भूजल योजना' प्रारम्भ की गयी है |

- अटल जल की रूपरेखा सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत संरचना को सुदृढ़ करने तथा सात राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में टिकाऊ भूजल संसाधन प्रबंधन के लिए समुदाय स्तर पर व्यवहारगत बदलाव लाने के मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई गयी है |
- 6,000 करोड़ रू. के कुल परिव्यय में 50% विश्व बैंक ऋण के रूप में होगा, जिसका भुगतान केंद्र सरकार करेगी |
- बकाया 50% नियमित बजटीय सहायता से केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा | राज्यों को विश्व बैंक का सम्पूर्ण ऋण और केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी |

- इस योजना का उद्देश्य चिन्हित प्राथमिकता वाले 7 राज्यों अर्थात गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जनभागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबन्धन में सुधार लाना है |
- इस योजना के कार्यान्वयन से इन राज्यों के 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ पहुँचने की उम्मीद है |
- अटल जल मांग पक्ष प्रबन्धन पर मुख्य जोर के साथ पंचायत केन्द्रित भूजल प्रबंधन और व्यवहारगत बदलाव को बढ़ावा देगी |

सुजलम अभियान

जल शक्ति मंत्रालय ने 'आजादी के अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में 100 दिनों का 'सुजलम' अभियान शुरू किया, ताकि ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के जरिये अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस गाँवो का निर्माण किया जा सके | 1 मिलियन सोखता गढ्ढे (सोकपिट) और अन्य ग्रे-जल प्रबंधन गतिविधियों का निर्माण| अभियान का प्रयास कम समय में त्वरित तरीके से देशभर के गांवों के लिए ओडीएफ प्लस स्तिथि प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित किया गया | यह अभियान 25 अगस्त, 2021 से शुरु हुआ और अगले 100 दिनों तक चला |

इस अभियान के अंतर्गत न केवल गाँवो में ग्रे-वाटर के प्रबंधन के लिए वांछित बुनियादी ढाँचे का निर्माण किया गया बल्कि जल निकायों के स्थायी प्रबंधन में भी सहायता प्रदान की गयी | गाँवो में या गाँवो के बाहरी इलाको में अपशिष्ट जल का निपटान एवं जलाशयों का बंद होना प्रमुख समस्याओं में से एक है | अभियान से अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद मिली और बदले में जल निकायों को पुनर्जीवित करना आसान हुआ |

गतिविधियों की गति को बढ़ावा दिया और ओडीएफ प्लस गतिविधियों के बारे में जागरूकता को बढाया | यह निर्मित बुनियादी ढांचे के दीर्घकालिक रखरखाव और स्थिरता को सुनिश्चित करेगा |

सुजलम 2.0 अभियान

केन्द्रीय जल मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने विश्व जल दिवस 2022 (22 मार्च, 2022) को चिन्हित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम में ग्रे-वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान की शुरुआत की | 9 मंत्रालयों नामत : जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रायल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक संयुक्त परामर्श पर भी हस्ताक्षर किये गये है |

इस वर्ष की थीम 'भूजल : अदृश्य को दृश्यमान बनाना है | लोगों की भागीदारी के माध्यम से गंदे पानी का प्रबंधन करने के उद्देश्य से 'सुजलम 2.0' अभियान शुरू किया गया है | अभियान के तहत पंचायतों, स्कूलों, आंगनवाडी जैसी सामुदायिक संस्थानों को ग्रे-वाटर प्रबंधन के लिए एक मंच पर जुटाने की योजना बनाई गयी है | ग्रे-पानी का सबसे अच्छा प्रबन्धन उस स्थान पर ही किया जा सकता है जहां यह उत्पन्न होता है, क्योंकि यदि इसे जमा और स्थिर होने दिया जाता है तो यह एक प्रमुख प्रबन्धन और बुनियादी ढांचे की चुनौती में बदल जाता है | पंचायती राज संस्थाए लोगो के साथ मिलकर काम करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके की घरेलू और सामुदायिक सोखता गड्ढो के निर्माण के माध्यम से सबसे उपयुक्त स्थानीय स्तर पर गंदे पानी का प्रबंधन किया जाय |

दुनियाभर में 2.2 अरब लोग जल संकट का सामना कर रहे है | सतत् विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के लिए सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना है | एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर दिन 31 अरब लीटर ग्रे-वाटर पैदा होता है |

जल जीवन मिशन (जेजेएम)

सरकार वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों में पाइप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है | इस कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है | केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 13 अगस्त 2019 को मंजूर किये गए जेजेएम कार्यक्रम की कुल अनुमानित परियोजना लागत 3.60 लाख करोड़ ₹ है | इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ ₹ है | हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में धनराशि अन्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 100% उपलब्ध कराई जाएगी |

- आजादी के 73 वर्षों के बाद भी केवल 18.33% ग्रामीण घरों (देश के कुल 18 करोड़ ग्रामीण घरों में से केवल 3.27 करोड़) में पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति सुविधा उपलब्ध है | पानी के गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में भारत दुनिया में 120 वें स्थान पर है |
- जेजेएम कार्यक्रम के तहत् 52,000 निवास स्थानो में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी|
- भूजल के अत्यधिक उपयोग और औद्योगिक प्रदुषण के कारण भूमिगत जल खतरनाक रसायनों, जैसे – फ्लोराइड, आर्सेनिक नाइट्रेट, पारा, सीसा आदि से दूषित हो गये है और यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है |
- गाँव स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों/ पानी समितियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी |
- ये समितियां पेयजल आपूर्ति की रखरखाव, संचालन एवं प्रबंधन करेंगी |
- इन समितियों में 50% सदस्य महिलाये होंगी | शेष 50% सदस्यों में पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा |
- जेजेएम का लक्ष्य प्रत्येक घर में पाइप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करना है तथा पानी की उपलब्धता की दर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित की गयी है |
- भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की पुनर्संरचना की है और इसे जेजेएम में शामिल कर दिया है| इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में पाइप द्वारा पेयजल – 'हर घर नल से जल' उपलब्ध कराना है|

6.10 ग्रामीण आधार संरचना का विकास एवं शिक्षा (Rural Infrastructure Development and Education)

शिक्षा का मानव पूँजी निवेश में महत्वपूर्ण भूमिका है | भारत की आयकर प्रणाली में सभी करदाताओं से 4% अलग से शिक्षा उपकर के रूप में संग्रहित किया जाता है | और उस धनराशि को शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु लगायी जाती है | भारत के ग्रामीण क्षेत्रो की साक्षरता की दर काफी नीची है | अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं स्त्री शिक्षा की दृष्टि से ग्रामीण भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ है | इसका प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी आधार संरचना का अभाव रहा है | ग्रामीण क्षेत्रो के ऐसे कई क्षेत्र है जहां विद्यालय स्थापित नहीं है और जहां विद्यालय स्थापित है वहाँ आधारभूत सुविधा जैसे – पेयजल, आवास, सड़क, बिजली उपलब्ध नही है | ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित विद्यालयों में शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात भी सही नहीं है| यदि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करना है तो शिक्षा सम्बन्धी आधार संरचना के साथ-साथ मूलभूत सुविधाओ में भी विकास करना जरुरी है |

शिक्षा सम्बन्धी ढांचे का विस्तार करने की दृष्टि से सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया गया | केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओ के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया | देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से हर जिले में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना करना | इन विद्यालयों की प्रबंध समिति

द्वारा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं रोजगार से जुड़े हुए कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है | भारत सरकार द्वारा शिक्षा के विकास सम्बन्धी कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है |

निपुण भारत मिशन योजना

प्राथमिक विद्यालयों के बच्चो को बुनियादी साक्षरता तथा संख्यात्मक योग्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 5 जुलाई, 2021 को 'निपुण भारत' (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) मिशन को लागू किया | इसे केंद्र प्रत्योजित समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है |

फोकस

निपुण भारत मिशन निम्नलिखित पर फोकस करेगा –

- विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में विद्यालय तक बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करना तथा उन्हें पढाई पूरी होने तक विद्यालयी शिक्षा से जोड़े रखना |
- शिक्षक क्षमता निर्माण
- उच्च गुणवत्ता वाले एवं विविधिकृत विद्यार्थी शिक्षक संसाधन/ सीखने में सहायक सामग्री का विकास |
- सीखने के निष्पादन को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति की जानकारी लेते रहना |

लक्ष्य

निपुण भारत का लक्ष्य 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग से बच्चो की सीखने की आवश्यकताओं को आच्छादित करना है | शिक्षकों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि प्रत्येक बच्चा बुनियादी भाषायी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल में पारंगत हो जाए ताकि वे बेहतरीन पढने वाले और लिख सकने की ओर अग्रसर हो सके | इस प्रकार निपुण भारत मिशन इस लक्ष्य पर केन्द्रित है कि सीखने का अनुभव बुनियादी स्तर पर समग्र, समन्वित, समावेशी, आनन्ददायक तथा चित्ताकर्षक हो |
निपुण भारत मिशन के लक्ष्य बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक योग्यता की 'लक्ष्य सूची' में शामिल किये गए है | यद्यपि समग्र लक्ष्य कक्षा – 3 के अंत तक सीखने की वांछित उपलब्धि हासिल करना है तथापि, अभिभावकों, समुदायों, स्वयं सेवकों आदि के बीच बुद्धिकारी जागरूकता पैदा करने के लिए लक्ष्यों को बालवाटिका से कक्षा– 3 तक के लिए विकसित किया गया है | ये लक्ष्य राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एनसीआरटी), अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधानों तथा आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययनों पर आधारित है |

विजन :-

निपुण भारत मिशन का विजन बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता का सार्वभौमिक अधिग्रहण सुनिश्चित करने में समर्थ वातावरण का सृजन करना है | ताकि वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा-3 उत्तीर्ण करने के बाद और कक्षा-5 तक अनिवार्य रूप से पढ़ने, लिखने तथा संख्यात्मक योग्यता में सीखने की वांछित दक्षता हासिल कर सके |

निपुण भारत मिशन के लक्ष्य एवं उद्देशय

- खेलना, अन्वेषणात्मक एवं संक्रियात्मक आधारित शिक्षाशास्त्र को समाहित करते हुए समावेशी कक्षा वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बच्चों की नैत्यिक जीवन परिस्थतियों तथा बच्चो के घरों की भाषाओ के साथ औपचारिक समावेश से सम्बद्ध करना |
- समझबूझ से युक्त सतत् रूप से पढने और लिखने के कौशल के साथ बच्चों को अभिप्रेरित, स्वतंत्र तथा व्यस्त पाठक व लिखने लायक बनाना |

- संख्या, मापन एवं आकृतियों के क्षेत्र में तर्क के साथ बच्चों में समझ पैदा करना, संख्यात्मक योग्यता तथा भू-आकृति समझ कौशल के द्वारा प्रश्नों को हल करने में उन्हें स्वतन्त्र रूप से सक्षम बनाना |
- बच्चों की समझ में आ सकने वाली घर की बोलचाल/मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता युक्त एवं सांस्कृतिक दृष्टि से उत्साहपूर्वक अनुकूल अध्ययन सीखने में सहायक सामग्री की उपलब्धता तथा प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना |
- अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, अकादमिक संसाधन व्यक्तियों एवं शैक्षणिक प्रशासकों के सतत् क्षमता निर्माण पर ध्यान देना |
- पोर्टफोलियों, समूह एवं सहयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट वर्क, पहेलियों, रोल प्ले, खेलों, मौखिक प्रस्तुतीकरण, लघु टेस्टों आदि के रूप में और ("As, of and") बच्चों का सतत् रूप से मूल्यांकन करना|

समग्र शिक्षा अभियान

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावेडकर ने 24 मई, 2018 को प्री-नर्सरी से लेकर कक्षा-12 तक की शिक्षा हेतु एक समेकित योजना के रूप में समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत किये जाने की घोषणा की | पूर्व विद्यालय, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए दो T- टीचर एवं टेक्नोलोजी पर केन्द्रित इस नवीन पहल के तहत् वर्ष 2000-01 से संचालित सर्व शिक्षा अभियान तथा वर्ष 2009 में संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को मिलाकर प्रारम्भ किए | इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 2017-18 में 28,000 करोड़ ₹ (आवंटित), वर्ष 2018-19 में 34,000 करोड़ ₹ तथा वर्ष 2019-20 में 41,000 करोड़ ₹ का प्रावधान किया गया है |

इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों में बड़े स्तर के हस्तक्षेप किये जा रहे है :-

- अधोरचना विकास एवं विद्यार्थियों को विद्यालय से जोड़े रखने सहित सार्वभौमिक पहुँच |
- लिंगमूलक एवं सामाजिक समता
- समावेशी शिक्षा
- गुणवत्तायुक्त शिक्षा
- अध्यापको के वेतन हेतु वित्तीय सहायता
- डिजिटल पहलें
- यूनिफार्म, पाठ्य पुस्तके, बस्ते सहित शिक्षा पाने के अधिकार के अंतर्गत हकदारियाँ
- पूर्व विद्यालय शिक्षा
- व्यावसायिक/ पेशेवर शिक्षा
- खेल एवं शारीरिक शिक्षा
- शिक्षक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण
- अनुश्रवण
- कार्यक्रमक प्रबंधन एवं राष्ट्रीय घटक

समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्यक्रम प्रस्तावित है:-

i. "पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत" सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग 10 लाख विद्यालयों को प्रति विद्यालय 5,000 ₹ से 20,000 ₹ तक की पुस्तकालय अनुदान सहायता |

ii. "खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया" के स्वप्न को साकार करने के लिए विद्यालयों में खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को 5,000 ₹, उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10,000 ₹, माध्यमिक/ उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय को 25,000 ₹, का खेल अनुदान खेलकूद उपकरणों के क्रय हेतु |

iii. "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ" के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक का विस्तार | इस हेतु वर्ष 2018-19 में 4,385.6 करोड़ ₹ तथा वर्ष 2019-20 में 4,553.10 करोड़ ₹ का आवंटन |

iv. योजना का क्रियान्वयन ग्रेड आधारित, विषय आधारित पठन-पाठन उपलब्धियों के अनुसार होगा |

v. अभिभावकों, विद्यालय प्रबंध समितियो के सदस्यों, सामुदायिक एवं राज्यकर्मियों सहित शिक्षा से जुड़े सभी पणधारियों की सक्रीय सहभागिता |

vi. शिक्षक प्रशिक्षण हेतु राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERTs) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs) का नोडल एजेंसी के रूप में सुदृढ़ीकरण |

vii. शिक्षकों को नवीनतम प्रोद्यौगिकी आधारित शिक्षण तकनीक के अनुरूप सक्षम बनाने के लिए 'दीक्षा' (DIKSHA- Digital Infrastructure for knowledge Sharing) का अनुप्रयोग |

viii. 'शाला कोष', 'शगुन', 'शाला सारथी' जैसी पहलों के सुदृढ़ीकरण द्वारा स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्डों तथा डीटीएच चैनलों के अनुप्रयोग को बढ़ावा देकर माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर के सभी विद्यालयों में 'औपरेशन डिजिटल बोर्ड' योजना का विस्तार |

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना

इस योजना, जिसे पहले 'स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' के रूप में जाना जाता था, में बालवाटिका में पढने वाले सभी स्कूली बच्चों और सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में कक्षा एक से आठ में पढने वाले बच्चों को शामिल किया गया है | वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत् 11.20 लाख संस्थानों में पढने वाले लगभग 11.80 करोड़ बच्चे लाभान्वित हुए | केंद्र सरकार से 54,061.73 करोड़ ₹ तथा राज्य सरकारों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों से 31,733.17 करोड़ ₹ के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए स्कूलों में पीएम पोषण योजना को लागू करने के लिए अनुमोदित किया|

6.11 ग्रामीण स्वास्थ्य आधार-संरचना (Rural Health Infrastructure)

भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में लोगो को निरोधक, आरोग्यकर, प्रवर्तक एवं स्वास्थ्य लाभ तथा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान पर जोर दिया गया| न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य आधार संरचना के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है ताकि ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य के देखभाल सम्बन्धी सेवाए प्रदान की जा सके|

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक पुरुष एक महिला को बहुउद्देशीय कार्यकर्त्ता के रूप में नियुक्त कर रखा है | जो मैदानी क्षेत्रों में 5,000 जनसँख्या एवं पहाड़ी, जनजातीय तथा पिछड़े हुए दुर्गम मैदानी क्षेत्रों में 3,000 जनसंख्या को अपनी सेवाए प्रदान करती है| मैदानी क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या एवं जनजातीय तथा दुर्गम मैदानी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किये जा चुके है | प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना (जहां 80,000 से 12,000 जनसंख्या जहां निवास करती है) की गयी | इन स्वास्थ्य केन्द्रों पर अतरंग शैय्याय एवं पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला एवं एक्स-रे की सुविधा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उपलब्ध होती है |

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM)

इस कार्यक्रम की शुरुआत 12 अप्रैल, 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को वहनीय और विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाए उपलब्ध कराने हेतु की गयी थी | वर्ष 2012-13 के केन्द्रीय बजट में 20,542 करोड़ ₹ की

राशि इस योजना के लिए आवंटित की गयी है | इस कार्यक्रम को पुरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमे 18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया गया है | इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसँख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है | मिशन के संभावित निष्कर्षों में शिशु मृत्यु दर (IMR) में 30/1000 जीवित जन्म से नीचे तक कटौती, मातृ मृत्यु दर (MMR) के 100/1,00,000 जीवित जन्म से नीचे आने तथा कुल प्रजनन दर (TFR) के 2012 तक 2 प्रति महिला पर लाना सम्मिलित है |

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) द्वारा स्वीकृत एन.सी.एम.पी. (National Common Minimum Programme) के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल को अनिवार्य किया गया है | राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रो में निर्धनतम परिवारों को सुलभ, वहनीय और उत्तरदायी गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाए प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था | एन.आर.एच.एम. के अधीन संतोषजनक स्वास्थ्य संकेतकों वाले दुर्गम, क्षेत्रों में जहां आवश्यकता थी, अत्यधिक ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए विशेष फॉक्स राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया | मिशन का जोर जल, सफाई, शिक्षा, पोषण, सामाजिक और लैंगिक समानता जैसे स्वास्थ्य के अनेक निर्धारकों पर साथ-साथ कार्यवाही सुनिश्चित कनरे के लिए एक पूर्णरूपेण कार्यात्मक, सामुदायिक स्वामित्ववाली और सभी सत्रों पर अंतरक्षेत्रीय समय विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली स्थापित करने पर है |

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य परिचर्या पर सार्वजानिक व्यय में वृद्धि कर रहा है जो सकल घरेलू उत्पाद दे 0.9% से बढ़कर सकल घरेलु उत्पाद का 2 से 3% हो गया है |

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (RCH) कार्यक्रम का दूसरा चरण शामिल है | आर.सी.एच. कार्यक्रम, चरण II को 1 अप्रैल, 2005 से 5 वर्ष की अवधी के लिए चलाया गया है | इसका उद्देश्य मातृ और शिशु रुग्णता एवं मृत्यु के साथ-साथ अनचाही गर्भावस्था में कमी लाने और जनसँख्या स्थिरीकरण की और अग्रसर होने के परिवार कल्याण के कार्यक्रमों के प्रदर्शन में सुधार लाना है |

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का दृष्टिकोण :-

i. कमजोर जन स्वास्थ्य निर्देशकों और / या कमजोर आधारभूत ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए पुरे देश में कार्यान्वित किया जाएगा |
ii. गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और उसकी सहज प्राप्ति में सुधार लाना |
iii. पोषाहार, सफाई, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल जैसे स्वास्थ्यवर्धक और अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारकों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना |
iv. व्यापक स्वास्थ्य देखभाल को सुसाध्य बनाने के लिए भारतीय औषध प्रणाली को मुख्य धारा में लाना |
v. स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली की अवशोषी क्षमता में वृद्धि करना जिससे यह बढ़े हुए आवंटनो का संचालन कर सके|
vi. आयोजन प्रक्रियाओं के दौरान समुदाय को भी शामिल करना |
vii. आधारभूत ढांचे का उन्नयन |
viii. क्षमता निर्माण तथा
ix. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निधियों का आवंटन बढ़ाना |

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और परिवार कल्याण के लक्ष्य :-

i. वर्ष 2012 तक आई.एम.आर (Infant Mortality Rate) को घटाकर 30/1000 जीवित शिशु जन्म तक लाना|
ii. वर्ष 2012 तक मातृत्व मृतु दर (MMR) को कम करके 100/1,00,000 जीवित शिशु जन्मों तक लाना|
iii. कुल उर्वरता दर (TFR) को कम करके 2012 तक 2.1 तक लाना |
iv. मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर को 2010 तक 50% कम करना और 2012 तक 60% तक कमी लाना|

v. वर्ष 2010 तक काला आजार से होने वाली मौतों का विलोपन |
vi. वर्ष 2010 तक मलेरिया के मामलों में 70%, 2012 तक 80% तक कमी लाना और वर्ष 2015 तक बिल्कुल समाप्त करना |
vii. डेंगू से होने वाली मृत्यु दर में 50% की कमी लाना और 2012 तक इसी स्तर पर कायम रखना |
viii. मोतियाबिंद के ऑपरेशनो की संख्या बढाकर 46 लाख प्रतिवर्ष करना |
ix. कुष्ठ रोग की विद्यमान दर को 2005 में 1.8 प्रति 10,000 से कम करके उसके बाद 1 प्रति 10,000 से भी कम करना |
x. तपेदिक डी.ओ.टी.एस.श्रृंखला – सम्पूर्ण मिशन अवधि के दौरान 85% इलाज दर बनाये रखना |

6.12 आधारभूत दूरसंचार-सूचना एवं प्रोद्यौगिक (Rural Infrastructure – Telecommunication Information Technology)

ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास में दूर संचार एवं सुचना प्रोद्यौगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है | भारत में दूर संचार क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में अनेक विकास स्तरीय कार्य हुए है | पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से भी अधिक गति से टेली घनत्व स्तरों का विकास हुआ है | टेली घनत्व 2007 में मात्र 18.2% था जो 2012 में 78.66% हो गया और 2015 में बढ़कर 80.02% हो गया |

लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखकर इसके विकास की बात की जाये तो आज भी टेली घनत्व की स्थिति इतनी अच्छी नही है | आज भी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अत्यधिक असमानता बनी हुई है | जून 2015 में शहरी घनत्व 149.34% था जबकि ग्रामीण टेली घनत्व मात्र 48.78% था | वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में ग्रामीण टेली घनत्व का हिस्सा लगभग 60.3% तथा जो पिछले वर्ष से थोडा बढा है | जून 2015 की समाप्ति तक देश में 100.74 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन थी| इससे 42.34 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन ग्रामीण इलाको में और 58.40 करोड़ शहरी इलाको में थे | 30 अक्टूम्बर 2020 तक टेलेफोन कनेक्शन की कुल संख्या 117.72 करोड़ हो गयी जिसमे से 115.123 करोड़ मोबाइल कनेक्शन थे | दूरसंचार घनत्व 86.37% तक जन की ग्रामीण दूरसंचार घनत्व 58.85% के स्तर पर पहुँच गया | जो कि 2021 तक 60.3% हो गया |

सुचना प्रोद्यौगिकी ग्रामीण भारत का विकास निरंतर हो रहा है | परन्तु इसकी गति अत्यंत मध्यम रही है | गति को रफ़्तार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुचना प्रोद्यौगिकी की अहम भूमिका है | जिसके माध्यम से गाँवो में तकनिकी सुविधा, दूरसंचार तथा इन्टरनेट का व्यापक प्रसार करना है | ग्रामीण संदर्भ में सुचना प्रोद्यौगिकी से होने वाला लाभ द्विपक्षीय है | सरकारी तथा संगठनों के लिए नई तकनीके ग्रामीण जनता का माध्यम बन रही है | इस कारण कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिक व्यावहारिक, समावेशी, और परिमाणों मुखर को सुदृढ बनाने में मदद मिलती है | जनसँख्या के अनुपात में भारत में कंप्यूटर की संख्या 5-6% के लगभग है | लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सुचना प्रोद्यौगिकी का विविधपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है | जिससे अग्रिम मौसम की जानकारी, नई कृषि तकनीकों की सुचना और विशेषज्ञों की सलाह आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है |

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8 फरवरी, 2017 को प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को मंजूरी प्रदान की गयी | केंद्र सरकार द्वारा बजट 2017-18 में इस बारे में घोषणा की गयी थी |

प्रमुख तथ्य

- इस परियोजना का उद्देश्य मार्च 2019 तक छह करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है |

- इस परियोजना पर 2,351.38 करोड़ ₹ का खर्च आने का अनुमान व्यक्त किया गया है |
- यह विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम होगा |
- इसके तहत् वर्ष 2017 में 25 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि 2018 में इसके तहत् 2.75 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है |
- वर्ष 2019 तक इस लक्ष्य के तहत् 3 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा |
- 2.351.38 करोड़ ₹ की इस योजना का उद्देश्य मार्च 2019 तक 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है |
- इस योजना को इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना तकनीक मंत्रालय की देखरेख में राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के नामित राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों, जिला-ई-गवर्नेंस सोसायटी, डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसायटी आदि के सक्रिय सहयोग के माध्यम से लागू किया जाएगा |
- इस योजना में उम्मीदवारों को कम्पूटर, स्मार्टफोन और टेबलेट जैसे डिजिटल उपकरणों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण देकर ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर बनाने में मदद मिलेगी |
- इस योजना के तहत् उम्मीदवारों को ई-मेल भेजना और प्राप्त करना, इन्टनेट ब्राऊज करना, डिजिटल भुगतान करना, सरकारी सूचनाओं के बारे में जानकारी खोजना और कुछ अन्य बुनियादी सुचना तकनीक के बारे में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा |

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम :-

समीपवर्ती गाँव, जहां की जनसँख्या बहुत ही छिटपुट है, उनकी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाए भी बहुत ही सीमित है, विकास के लाभ से वंचित रह गए है | उत्तरीय सीमा के ऐसे ही गाँव को इस नए 'वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम' के अंतर्गत लाया जाएगा | यंहा के क्रियाकलापों में गाँव की बुनियादी सुविधाओं, आवास, पर्यटन केन्द्रों के निर्माण, सड़क सम्पर्क, विकेन्द्रित नवीनीकरण ऊर्जा की व्यवस्था है | दूरदर्शन और शिक्षण चैनलों के लिए 'डायरेक्ट टू होम एक्सेस' ही व्यवस्था और आजीविका सृजन के लिए सहायता जैसे कार्य आएगे | इन क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जाएगा | वर्तमान योजनाओं को एक में मिला दिया जाएगा | हम उनके परिणामों की विवेचना करेंगे और उनको लगातार मॉनिटर भी करेंगे |

डिजिटल इंडिया मिशन

संघीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त, 2014 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान किया | यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने पर केन्द्रित है | मोदी सरकार की सर्वाधिक प्राथमिकता वाली योजनाओं में से एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम सरकार का एक ऐसा अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना तथा यह सुनिश्चित करना है की बिना कागज के उपयोग के सरकारी सेवाए मांग पर ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में आम जनता तक पहुँच सकें | केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रोद्यौगिकी विभाग द्वारा अन्य विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के सहयोग से शुरू किया गया | यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निम्नलिखित तीन प्रमुख घटकों पर केन्द्रित है –

i. डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना
ii. मांग पर सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रोनिक रूप से आम जनता तक पहुँचाना
iii. नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण (Digital Empowerment of Citizens)

उपर्युक्त विजन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रॉडबैण्ड हाईवेज सृजित करना (To Provide Broadband Highways) मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए वैश्विक पहुँच (Universal Access to Mobile Connectivity) सार्वजनिक इन्टरनेट पहुँच कार्यक्रम (Public Internet Access Programme) ई-शासन (E- Governance) प्रोद्यौगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई-क्रांति- सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण लक्ष्य शून्य आयात (Net Zero Import) रोजगार के लिए सुचना प्रोद्यौगिकी और शीघ्र हार्वेस्ट कार्यक्रम उपलब्ध कराने का है |

प्रमुख तथ्य

- डिजिटल लॉकर प्रणाली (Digital Locker System) शुरू की गयी जिसका उद्देश्य पंजीकृत संग्राहकों (Registered Repositories) के जरिये महत्वपूर्ण दस्तावेजों को ई-दस्तावेजों (E-Document) के रूप में सुरक्षित रखना तथा 'फिजिकल डॉक्यूमेंट' का उपयोग न्यूनतम करना है |
- डिस्कस 'डू', 'डीसिमिनेट' अप्रोच के जरिये प्रशासन में आम लोगों की भागीदारी के लिए My Gov.in एक प्लेटफार्म के रूप में लागू की गयी है | My Gov.in के लिये मोबाइल एप्प मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराया जाएगा |
- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) मोबाइल एप्प का उपयोग स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जनता और सरकारी संगठनों द्वारा किया जा सकेगा |
- आधार प्रमाणिता (Adhar Authentication) का उपयोग करते हुए ऑनलाइन दस्तावेजों पर ई-हस्ताक्षर डिजिटल रूप से किये जा सकेंगे |
- नए शुरू किये गए ई-हॉस्पिटल एप्लीकेशन के अधीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम (ओआरएस) शुरू किया गया है इसके जरिये ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क के भुगतान मिलने के निश्चित समय का निर्धारण (Appointment), ऑनलाइन निदान रिपोर्ट (Online Diagnostic Reports,) रक्त की उपलब्धता की ऑनलाइन जानकारी जैसी मुख्य सेवाए उपलब्ध करावाई जा सकेंगी |
- नेशनल स्कालरशिप पोर्टल से छात्रों के आवेदन-पत्र जमा करने, सत्यापन, स्वीकृति और लाभार्थियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही छात्रवृतियों के वितरण तक की प्रक्रिया का एकमुश्त समाधान हो सकेगा |
- रिकार्ड्स को व्यापक स्तर पर डिजिटलाईजेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी विभाग ने डिजिटलाइज इंडिया प्लेटफार्म (DIP) नामक एक पहल इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रोद्यौगिकी विभाग ने शुरू की है, जो नागरिको को कुशल सेवाए प्रदान करेगी |
- भारत सरकार ने भारत नेट (Bharat net) नाम से एक पहल शुरू की है | यह देश की ढाई लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए उच्चगति का डिजिटल हाईवे है |
- BSNL ने 30 वर्ष पुराने एक्स्चेंजों को हटाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क शुरू किया है, जो वॉयस, डाटा, मल्टीमीडिया/विडियो और अन्य सभी प्रकार की संचार सेवाओं को नियंत्रित करने के लिए आईपी आधारित प्रोद्यौगिकी है |
- BSNL ने देशभर में Wi-Fi-Hotspot विकसित किए है, जहां मोबाइल उपकरणों के जरिये BSNL Wi-Fi Network का उपयोग किया जा सकता है |

- नागरिक सेवाए इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से उपलब्ध कराने और नागरिकों तथा प्राधिकारियों की एक-दूसरे के साथ बातचीत में सुधार लाने के लिए देशव्यापी कनेक्टिविटी की आवश्यकता को महसूस करते हुए ब्रॉडबैंड हाईवे को डिजिटल इंडिया को एक मुख्य स्तम्भ के रूप में शामिल किया गया है |
- विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों में व अन्य राज्यों के छोटे और मुफस्सिल शहरों में बीपीओ केंद्र खोंले के लिए बीपीओ नीति को मंजूरी दी गयी है |
- नवाचार (Innovation) अनुसंधान और विकास (R & D) तथा उत्पाद और विकास को प्रोत्साहन देने उपक्रम निधियो (Venture Funds) की आत्मनिर्भर पारस्थितिकी प्रणाली का सृजन करने के लिए देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निधि (EDF) नीति लाई गयी है |
- फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के उभरते हुए क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए राष्ट्रीय केंद्र (National Centre for Flexible Electronics) स्थापित किया गया है |
- इन्टरनेट ऑन थिंग्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence on Internet on Things) इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सुचना प्रोद्यौगिकी विभाग, ERNET व नेस्कोम (NASSCOM) की संयुक्त पहल के रूप में स्थापित किया गया है |

ग्रामीणों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन से सहभागिता के साथ-साथ दक्षता (Efficiency), खुलापन (Openers), और अनुक्रियाशिलता (Responsiveness) लाना है | यह ग्रामीण जीवन शैली में गुणात्मक (Qualitative) और परिमात्रात्मक (Quantitative) रूप से सामंजस्य बनाये रखता है |

6.13 ग्रामीण आधार संरचना - बीमा एवं बैंकिंग (Rural Infrastructure – Insurance and Banking)

ग्रामीण आधार संरचना के विकास में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग एवं बीमा एक महत्वपूर्ण घटक है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग विकास हेतु 26 सितम्बर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत् ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के उद्देशय से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य , उद्योग और अन्य उत्पादक गतिविधियों के विकास हेतु ऋण और अन्य सुविधाए प्रदान करने, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानो, खेतिहर मजदूरो, कारीगरों, और छोटे उद्यमियों को उससे जुड़े और उसके आनुषांगिक मामलों के लिए की गयी थी | साथ ही भारत में 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है | और देश के विकास में बड़े पैमाने पर योगदान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है | किसान और उनके कृषि व्यवसाय का हमारे देश के विकास एवं हमारे सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में बहुत बढ़ा हिस्सा है | इसलिए ग्रामीण भारत में रहने वाले ग्रामीणों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाये | और इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीणों के हित में कई ग्रामीण बीमा योजना की शुरुआत की गयी |

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' (पीएमजेडीवाई) का शुभारम्भ किया | प्रधानमंत्री ने इस अवसर को 'विषम चक्र से गरीबों की आजादी का पर्व' करार दिया | देश में व्याप्त वित्तीय असमानता को समाप्त करने के उद्देश्य से 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' की शुरुआत की गयी | इस योजना के तहत् देश के सभी परिवारों को बैंक खाते से जोड़ना है | वित्तीय समावेशन हेतु यह योजना विश्व की सबसे बड़ी एवं प्रभावकारी पहल है |

योजना से सम्बन्धित मुख्य तथ्य

- प्रत्येक परिवार में एक बैंक खाते के साथ उन्हें बैंकिंग तंत्र से जोड़ना |

- 26 जनवरी, 2015 से पूर्व बैंक खाता खुलवाने वालों को 1 लाख ₹ के दुर्घटना बीमा के साथ ही 30,000 ₹ का जीवन बीमा मुफ्त, 28 अगस्त, 2018 के बाद खाता खुलवाने वालों के लिए नि:शुल्क बीमा राशि 1 लाख ₹ से बढ़कर 2 लाख ₹ की गयी | साथ ही बीमा सुविधा के लिए आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष की गयी |
- इस योजना में खाता खोलने की समयावधि को समाप्त कर दिया गया है अर्थात अब कभी भी खाता खुलवाया जा सकता है |
- छह महीने खाता संचालन के बाद 5,000 ₹ के ओवरड्राफ्ट की सुविधा को बढ़कर 10,000 ₹ कर दिया गया है|
- 3 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 45.60 करोड़ थी , जिसमे से 35.50 करोड लाभार्थियों के खाते सार्वजानिक क्षेत्र के बैंकों में 8.26 करोड़ के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में तथा 1.30 करोड के खाते निजी बैंको में थे, इन खातों में कुल 1,66,459 करोड़ ₹ की धनराशी जमा थी | 31.62 करोड़ लाभार्थियों को रुपे डेबिट कार्ड जारी किये जा चुके थे |
- इस योजना में 55.65% खाताधारक महिलाएं है |
- इस योजना में 83% से अधिक खाता आधार संख्या से सम्बद्ध है |
- कोविड- 19 महामारी लॉकडाउन के अंतर्गत 26 मार्च, 2020 को घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत् 20 करोड़ महिला जन-धन खातों में अप्रैल-मई-जून 2020 में प्रतिमाह 500-500 ₹ अंतरित किये गए |

मुद्रा बैंक योजना

असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध करने के लिए मुद्रा बैंक योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में एक समारोह में 8 अप्रैल, 2015 को किया, योजना के तहत् 20,000 करोड़ ₹ की पुनर्वित्त राशि (Refinance Corpus) व 3,000 करोड़ ₹ की साख गारंटी राशि (Credit Guarantee Corpus) के साथ 'मुद्रा' (MUDRA – Micro Units Development and Refinance Agency) की स्थापना एक कानून के जरिये की जाएगी |

प्रमुख तथ्य

- यह संस्था छोटे कारोबारियों को सूक्ष्म वित्त (Micro Finance) उपलब्ध करने वाली संस्थानों को पुनर्वित्त उपलब्ध करने का कार्य करेगी |
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत् 50 हजार ₹ तक की सीमा के ऋण शिशु योजना के तहत्, इससे अधिक राशि के, किन्तु 5 लाख ₹. तक के ऋण किशोर योजना के तहत् तथा 5 लाख ₹ से अधिक, किन्तु 10 लाख ₹ तक के ऋण तरुण योजना के तहत् उपलब्ध कराए जाएगे |
- छोटे-मोटे कारोबार में लगे स्वरोजगार प्राप्त असंगठित क्षेत्र के लोग इससे विशेष रूप से लाभान्वित होंगे |
- योजना का शुभारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एनएसएसओ के 2013 के सर्वेक्षण के हवाले से बताया कि छोटी-छोटी दूकान, सिलाई-कढ़ाई, मैकेनिकी, विनिर्माण व सेवा गतिविधियों से जुडी लगभग 5.77 लघु इकाइयाँ देश में कार्यरत है तथा लगभग 12 करोड़ लोग इनमे संलग्न है | इसे 'नॉन कॉर्पोरेट स्माल बिजनेस सेक्टर' की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फोकस करेगी | 'To Fund the Unfunded' इस योजना का मुख्य उद्देश प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है|

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वितरित 15 करोड ऋणों में 73% ऋण केवल महिला उद्यमियों को वितरित किये गये है |

सुकन्या समृद्धि योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत् 22 जनवरी, 2015 को सुकन्या समृद्धि खाता योजना लॉन्च की, शादी व उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए भारत सरकार ने नवजात बच्चियों के लिए एक छोटी जमा योजना शुरू की है | 'सुकन्या समृद्धि' के नाम से शुरू इस योजना के अंतर्गत बच्ची के माता-पिता अथवा उसके क़ानूनी अभिभावक डाकखाने में बच्ची के नाम से जमा खाता खोल सकते है |

प्रमुख तथ्य

- बच्ची के नाम से खाता उसके जन्म से 10 वर्ष की अवधि के बीच में खोला जा सकता है |
- इस योजना के लागू होने के एक वर्ष पूर्व जिन बच्चियों की आयु 10 वर्ष की हो चुकी है, वे भी नई योजना के तहत् खाता खोल सकेंगी |
- न्यूनतम जमा राशि 250 ₹ वार्षिक है | जुलाई 2018 से जमा राशि 100 के गुणक में होनी चाहिए | यदि न्यूनतम राशि जमा नही की जाती है तो प्रतिवर्ष के हिसाब से 50 ₹ जुर्माना देय होगा |
- एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख ₹ तक जमा किये जा सकते है |

सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना

केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनोज सिन्हा ने 13 अक्टुम्बर, 2017 को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किफायती जीवन बीमा सेवाए प्रदान करने के लिए 'सम्पूर्ण बीमा ग्राम योजना' का शुभारम्भ किया |

प्रमुख तथ्य :-

- योजना का प्राथमिक उद्देश्य सम्पूर्ण बीमा ग्राम के लिए चिन्हित गाँव के सभी आवासों को कवर करना है |
- योजना के तहत देश के प्रत्येक राजस्व जिले में कम-से-कम एक गाँव (न्यूनतम 100 आवास के लिए) को चिन्हित किया जाएगा |
- प्रत्येक पॉलिसी से कम-से-कम एक ग्रामीण डाक जीवन बीमा के साथ चिन्हित गाँव के सभी घरों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा |
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव इसकी सीमा में लाये जाएंगे |
- डाक जीवन बीमा (पीएलआई) के ग्राहकों की संख्या बढ़ाने की योजना के अंतर्गत अब यह निर्णय लिया गया है कि पीएलआई के लाभ केवल सरकारी और अर्द्धसरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नही होंगे | बल्कि यह डॉक्टरो, इंजीनियरो, प्रबंधन सलाहकारों, चार्टेड एकाउंटेंट, वास्तुकारों, वकीलों, बैंक कर्मियों, जैसे पेशेवरो और एनएसई (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) तथा बीएसई (बोम्बे स्टॉक एक्सचेंज) के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होंगे |
- यह फैसला सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाने और अधिकतम संख्या में लोगो को डाक जीवन बीमा के तहत् लाने के लिए किया गया है |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

केंद्र सरकार ने 13 जनवरी, 2016 को नई फसल बीमा योजना को मंजूरी प्रदान की | इग वर्तमान फसल बीमा योजनाओं की जगह लेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो कि किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करना पड़े और उन्हें पूरी बीमित राशि का दावा जल्दी मिले |

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रमुख तथ्य निम्नलिखित है

- प्रीमियम की दर रबी फसलो के लिए बीमित राशि का 1.5%, खरीफ फसलों के लिए 2.0% नकदी एवं बागवानी फसलों के लिए 5% है |
- किसान की आय का बीमा किया जाएगा न कि फसल का |
- प्राकृतिक अग्निकाण्ड, चक्रवात, टायफून, बवंडर, जलस्तम्भ, बाढ़, सैलाब, भूस्खलन, सुखा, अल्प वर्षा, कीड़े-मकोड़ों से हानि, बीमारियों से हानि आदि से फसलो को होने वाली हानि के विरुद्ध भी बीमा |
- फसलो की कटाई के पश्चात् हानि के विरुद्ध भी बीमा |
- योजना का क्रियान्वयन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन चिन्हित कृषि बीमा कम्पनी, निजी बीमा कम्पनियों द्वारा किया जाएगा |
- दावे की धनराशि का भुगतान कृषकों के सीधे खाते में हस्तांतरित होगी |

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना

सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 12 सितम्बर, 2019 को राँची में किया गया | यह 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है | यह योजना 9 अगस्त 2019 से प्रभावी है | इस योजनान्तर्गत पंजीकृत तथा नियमित रूप से अंशदान करने वाले कृषको को 60 वर्ष की आयु पूरी कर लिए जाने पर तीन हजार रुपए प्रतिमाह की दर से जीवन पर्यन्त पेंशन मिलेगी | योजना के अंतर्गत भारत सरकार बराबर का अंशदान करेगी | भारतीय जीवन बीमा निगम इस योजना के पेंशन भुगतान के लिए उत्तरदायी है | योजना में सम्मिलित कृषक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्राप्त धनराशी में से (PM-KMY) में अंशदान भुगतान का विकल्प भी चुन सकते है |

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. 'स्वजल धारा' योजना का शुभारम्भ कब किया गया?
2. RGNDWM का पूरा नाम लिखिये|
3. सुजलाम 2.0 अभियान पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए|
4. 'डिजिटल इंडिया मिशन' पर लेख लिखिए|
5. भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल क्षेत्र को विकसित देश के समरूप लेन हेतु अपने सुझाव दीजिए|

6.14 सारांश (Conclusion)

उक्त ईकाई के माध्यम से स्पष्ट होता है कि किसी भी देश का समग्र विकास तभी संभव है जब देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्या एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की योजना का निर्माण एवं शुभारम्भ कर उनके सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया जाये | ईकाई में बताई गयी समस्त योजना में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु आधारभूत संरचना के सभी तत्वों को ध्यान में रखकर केंद्र व राज्य सरकारों इन योजनाओं का स्वरूप तैयार किया है | जिसके कारण आज भारत देश सम्पूर्ण विश्व में विकासशील राष्ट्रों में सबसे अग्रणी है | एवं विश्व में सबसे उच्च आर्थिक विकास की दर बनाने रखने में सक्षम है |

6.15 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस अध्याय के अध्ययन के पश्चात् विद्यार्थी ग्रामीण विकास में आधारभूत संरचना कि वास्तविक स्थिति के ज्ञान से परिचित होंगे| भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के विकास एवं विस्तार हेतु चलायी गयी

प्रमुख योजना की जानकारी से अवगत होकर योजनाओं का लाभ स्वयं के परिवार एवं समाज को देने में सहायता करेंगे| साथ ही योजनाओं के लाभों को विश्लेष्णात्मक आंकलन कर उन्हें और सुदृढ़ एवं सहज बनाने में अपने सुझाव एवं योगदान देने में अपनी भूमिका निभाएँगे|

6.16 शब्दकोष (Glossary)

- **ग्रामीण विकास :** ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगो के जीवन स्तर में सुधार, आय व रोजगार के स्तर में वृद्धि साथ ही उनकी विकास प्रक्रिया की आत्म्पोषित करने से है |
- **आधारभूत संरचना :** किसी भी देश की आधारभूत संरचना से तात्पर्य उसके भौतिक आधारभूत ढांचे से है | जिसमे परिवहन व्यवस्था, विद्युतीकरण, पक्की सड़के और इसके पृष्ठमुखी और अग्रमुखी संयोजन सुविधाओं की वृद्धि के माध्यम से संचार को शामिल किया जाता है | साथ ही सामाजिक आधारभूत ढांचा जिसमे शुद्ध पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, मतव्ययन, शिक्षा और स्वास्थ्य जो प्राथमिक सेवाओं के स्वरुप में है , को शामिल किया जाता है | इस सभी घटकों का मानव जीवन के स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है|

6.17 स्वपरख प्रश्न (Self Test Question)

1. ग्रामीण विकास आधार संरचना का अर्थ एवं महत्व बताइए |
2. भारत में ग्रामीण विकास आधार संरचना पर निबंध लिखिए |
3. "भारत निर्माण" योजना के प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिये |
4. निम्न्लिखित योजनाओं पर टिपण्णी कीजिये :
    I. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
    II. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
5. वर्तमान में ग्रामीण आधार संरचना के विकास एवं शिक्षा पर चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालिये|
6. ग्रामीण आधार संरचना के विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा बीमा एवं बैंकिंग क्षेत्र में कौन-कौन सी योजनाये चलाई जा रही है | सविस्तार व्याख्या कीजिये |
7. निम्न योजनाओ पर टिप्पणी कीजिये :
    I. वाईब्रेट विलेजेज प्रोग्राम
    II. डिजिटल इंडिया मिशन
    III. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

6.18 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (References & Bibliography)

- डॉ एच. आर. स्वामी, डॉ वी.पी. गुप्ता, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली |
- आर्थिक समीक्षा 2021-22 सांख्यिकी परिशिष्ट (डाटा संग्रहण)
- हारून आर खान, आधारभूत संरचना के लिए वित्तीयन : वर्तमान मुद्दे एवं उभरती चुनोतियाँ भरी बै. बुलेटिन सितम्बर 2015

6.19 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- ग्रामीण विकास एवं सहकारिता डॉ एच. आर. स्वामी, डॉ वी.पी. गुप्ता, आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली|

- सामान्य अध्ययन – भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रतियोगिता दर्पण, अतिरांक्त वार्षिक – 2022
- आर्थिक समीक्षा – 2021-22 सांख्यिकीय परिशिष्ट |

6.20 वेब संसाधन लिंक (Web Resources/Links)

- www.pcra.org.
- http://www.aiims.edu.
- http://www.jagranjosh.com Bharat nirman – yojna
- www.planningcommission.nic.in
- https://en.wikipedia.org/wiki/Jobanalysis

इकाई - 7

ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं नीतियां

(Rural Development Programmes and Policies)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषा

7.3 ग्रामीण पुर्ननिर्माण के दृष्टिकोण

7.4 भारत में ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाएं

7.5 ग्रामीण विकास हेतु प्रमुख नई नीतियां एवं वर्तमान घोषणाएं

7.6 ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव

7.7 सारांश

7.8 अधिगम परिणाम

7.9 शब्दकोष

7.10 स्व-परख प्रश्न

7.11 संदर्भ व ग्रन्थसूची

7.12 अन्य पठन सामग्री

7.13 वेब संसाधन/लिंक

7.0 उद्देश्य (Objectives)

अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में ग्रामीण विकास को तीन आयामों में वर्गीकृत किया जा सकता है, सबका सम्पूर्ण विकास, असंतुलित उत्पादन का व्यवस्थापन एवं निर्धारण, एवं ऋण प्रदान करने की सुविधा। विशिष्ट लक्ष्यों और समुदायों पर ध्यान केन्द्रित करना सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के अन्तर्गत केन्द्रित किया जाता है। संतुलित उत्पादन की व्यवस्था के तहत कृषि के प्राथमिक क्षेत्र की गहनता, ग्राम्य कुटीर एवं दूसरे छोटे उद्योग-धन्धों का व्यापक ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार एवं विपणन एवं अन्यान्य सुविधाओं की व्यवस्था जिससे ग्रामीण बेराजगारी का निराकरण तुरन्त किया जा सके। ऋण देने की सुविधा का इस तरह एकीकरण किया जाए कि संस्थाओं के कार्यों में आने वाले दोहरेपन से बचा जा सके। अतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण योजना है। विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रस्तुत अध्याय के तहत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न पक्षों से जुड़ी परिस्थितियों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस बारे में यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि विकास कार्यक्रमों में किस प्रकार का परिवर्तन आवश्यक हैं। जिससे यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों का पूर्णतया विकास कर सकें। इस अध्याय का उद्वेश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करना है।

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जिसकी आय का प्रमुख स्रोत कृषि है। ग्रामीण क्षेत्रों वर्तमान में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति में तीव्रता पाई जा रही है। परिवर्तन के जिन नये तथ्यों ने ग्रामीण समुदाय को प्रभावित किया है। उनमें से यातायात और संचार साधनों का प्रसार, ग्रामीण पुर्ननिर्माण, शिक्षा का विस्तार, सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज व्यवस्था, सहकारिता आन्दोलन मुख्य हैं। ग्रामीण समुदाय के परिवर्तन में नगरीकरण तथा औद्योगीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख स्थान है। ग्रामीण उत्पादन का लक्ष्य ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति न रहकर नगर की बढ़ती हुई जरूरतों की पूर्ति करना बन गया है। ग्रामीण

अर्थव्यवस्था व्यापक नगरीय औद्योगिक व्यवस्था की पूरक अंग बनती जा रही है। बदलाव की इन नवीन शक्तियों ने ग्रामीण जीवन-शैली, संबंधों की प्रकृति एवं संस्थागत व्यवहार को भी परिवर्तित किया है।

आधुनिक काल में परिवर्तन की नवीन शक्तियों, विशेषकर नगरीकरण, औद्योगीकरण, कृषि यंत्रीकरण एवं कृषि संबंधी नवीन ज्ञान, शिक्षा का प्रसार इत्यादि ने ग्रामीण जन-जीवन को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है, जिससे उनकी सामाजिक-आर्थिक संरचना में गतिशीलता पैदा हुई है। भूमि पर आधारित अर्थव्यवस्था मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था में बदलती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय ग्रामीण समुदायों में कई महत्त्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक तरफ विकास आयोजकों के द्वारा ग्रामीणों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक जीवन में आयोजित परिवर्तन लाने का प्रयास किया जा रहा है तो दूसरी ओर संचार, सम्पर्क प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा के विकास के चलते हुए भी तीव्र परिवर्तन हो रहे हैं। नियोजित एवं अनियोजित परिवर्तनों के इस प्रवाह में सामंजस्य तथा असंतुलन, संगठन और विघटन की प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं। अपने देश में ग्रामीण समुदाय जनरीतियों पर आधारित है। परम्परागत प्रचलित जनरीतियों में जब से ग्रामीण जीवन में विकास कार्यक्रम लागू हुए है तब से विविध प्रकार के परिर्वतन एवं विकास देखने को मिल रहा हैं।

सबसे महत्वपूर्ण कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस तरह का बनाना है कि वहां का उत्पादन, श्रम तथा आय अपने आप ही समान रूप में समायोजित होती रहे। इससे न केवल भौतिक दशाओं में ही सुधार होगा, बल्कि ऊंच-नीच और जात-पात की भावना भी कम होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामंजस्य और सामाजिक चेतना का वातावरण तैयार किया जा सकता है।

7.2 ग्रामीण विकास का अर्थ एंव परिभाषा (Rural Development meaning and definition)

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसका विश्लेषण दो दृष्टिकोण के आधार पर किया गया है: संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टि से ग्रामीण विकास का अभिप्राय है विविध कार्यक्रमों, जैसे- कृषि, पशुपालन, ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग, ग्रामीण मूल संरचना में बदलाव, आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। व्यापक दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीणों के जीवन में गुणात्मक उन्नति करने हेतु सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, प्रोद्यौगिक एवं संरचनात्मक स्थिति में परिवर्तन करना।

विश्व बैंक के अनुसार "ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह एवं ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है।" बसन्तदेसाई ने भी इसी रूप में ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि, "ग्रामीण विकास एक उदेश्य है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन हेतु क्षेत्रीय स्त्रोतों के बेहतर उपयोग एवं संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है एवं उनके नियोजन एवं आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं।" क्रॉप ने ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया बताया जिसका उदेश्य

सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जनजीवन को सुधारना एवं स्वावलम्बी बनाना है। जान हैरिस ने यह बताया कि ग्रामीण विकास एक नीति एवं प्रक्रिया है जिसका आविर्भाव विश्वबैंक एवं संयुक्त राष्ट्रसंस्थाओं की नियोजित विकास की नयी रणनीति के विशेष परिप्रेक्ष्य में हुआ है।

ग्रामीण विकास की उपरोक्त परिभाषाओं के विष्लेशण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास की रणनीति में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। राज्य के हस्तक्षेप के बिना ग्रामवासियों के निजी अथवा सामूहिक प्रयासों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रयासों के आधार पर भी ग्रामीण जनजीवन को उन्नत करने के प्रयास होते रहे हैं, इन प्रयासों को ग्रामीण विकास की परिधि में सम्मिलित किया जा सकता है। किन्तु नियोजित ग्रामीण विकास प्रारूप में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। इन परिभाषाओं के विष्लेशण से दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उभरता है कि ग्रामीण विकास सिर्फ कृषि व्यवस्था एवं कृषि उत्पादन के साधन एवं सम्बन्धों में परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, एवं संरचनात्मक सभी पहलुओं में विकास की प्रक्रियायें ग्रामीण विकास की परिधि में सम्मिलित होती हैं। ग्रामीण विकास के द्वारा ही संपूर्ण देश का विकास संभव हैं।

7.3 ग्रामीण पुननिर्माण के दृष्टिकोण (Perspectives of Rural Restructuring)

भारत में ग्रामीण विकास की रणनीति अलग-अलग अवस्थाओं में बदलती रही है। इसका कारण यह कि ग्रामीण विकास के प्रति दृष्टिकोण सदैव बदलता रहा है।वस्तुत: ग्रामीण भारत को विकसित करने हेतु राज्य द्वारा अपनाये गये प्रमुख दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं -

1. **बहुद्देशीय – दृष्टिकोण (Multipurpose Perspective) -** बहुद्देशीय दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह थी कि गावों में लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि उनकी प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों को बदलने का संगठित प्रयास किया जाय। इस दृष्टिकोण के आधार पर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रणनीति अपनाई गयी जिसमें राज्य के सहयोग से लोगों के सामूहिक एवं बहुद्देषीय प्रयास को शामिल करते हुए उनके भौतिक एवं मानव संसाधनों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार बहुद्देषीय दृष्टिकोण के अन्तर्गत एक शैक्षिक एवं संगठनात्मक प्रक्रिया के रुप में सामाजिक आर्थिक विकास के अवरोधों को दूर करने पर बल दिया गया।
2. **जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण दृष्टिकोण (Democratic Decentralisation Perspective) -** इस दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह थी कि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन का विकेन्द्रीकरण एवं लोगों की जनतांत्रिक सहभागिता को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप भारत में पंचायती राज संस्थाओं का विकास किया गया एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय विकास कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के द्वारा ग्रामीण संरचना में परिर्वतन की रणनीति अपनाई गयी।
3. **अधोमुखी दृष्टिकोण (Longitudinal Perspective)-** 1950 के आरम्भ में पाश्चात्य आर्थिक विषेशज्ञों ने यहमत दिया कि ग्रामीण विकास समेत सभी प्रकार का विकास आर्थिक प्रगति पर ही आधारित है इसलिए कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके ग्रामीण निर्धनता को दूर किया जा सकता है। एक दषक के अनुभवों के आधार पर उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी रणनीति ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में असफल रही है। तत्पश्चात् अर्थशास्त्रियों एवं सामाजिक वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण बदला। नये दृष्टिकोण की मान्यता यह थी कि आर्थिक प्रगति के अलावा शिक्षा को माध्यम बनाना होगा एवं ग्रामीण जनता को शिक्षित करके उनमें जागरुकता लानी होगी।
4. **जन सहभागिता दृष्टिकोण (Public Participation Perspective) -** जन सहभागिता दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह थी कि ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाना होगा। ग्रामीण विकास के लिए

किये जाने वाले प्रशासन को न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि लोगों के साथ मिलकर किये जाने वाले प्रशासन के रूप में परिवर्तित करना होगा। जनसहभागिता का आश्य यह है कि ग्रामीण विकास हेतु स्त्रोंतों के आवंटन एवं वितरण में इन ग्रामीण समूहों की भागीदारी को बढ़ाना। जनसहभागिता दृष्टिकोण पर आधारित रणनीति को क्रियान्वित करने की दिशा में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विस्तार, विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के विकास, स्वयंसेवी संस्थाओं, संयुक्त समितियों, ग्राम पंचायतों, आदि को प्रोत्साहित करने के सभी प्रयास किये गये।

5. **लक्ष्य समूह दृष्टिकोण (objective oriented Perspective) -** ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह अनुभव हो गया था कि ये कार्यक्रम ग्रामीण समुदाय में असमानता को दूर करने में असफल रहे हैं। ग्रामीण विसंगतियों में सुधार हेतु यह दृष्टिकोण विकसित हुआ कि विविध समूहों-भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण बच्चों, छोटे किसानों,जनजातियों, आदि को लक्ष्य बनाकर उनकी आवश्यकता के अनुसार विकास कार्यक्रम चलाने होंगे। इस दृष्टिकोण के आधार पर दो प्रकार के प्रयास किये गयेः (अ) भूमि सुधार के माध्यम से भूमिहीनों को भू-स्वामित्व दिलाने के प्रयास किये गये, एवं (ब) मुर्गीपालन, पशुपालन तथा अन्य सहयोगी कार्यक्रमों के जरिये ग्रामीण रोजगार के अवसर विकसित किये गये। ग्रामीण महिलाओं, जनजातियों तथा अन्य लक्ष्य समूहों के लिए पृथक-पृथक कार्यक्रम चलाये गये।

6. **क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण (Regional Development Perspective) -** ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय दृष्टिकोण की मान्यता यह थी कि भारत के विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक गुणात्मक भिन्नतायें हैं। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्र आदि की समस्यायें समरूप नहीं हैं। अतः ग्रामीण विकास की रणनीति में क्षेत्र विशेष की समस्याओं को आधार बनाया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण के अनुरूप अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक विकास कार्यक्रम निर्धारित किये गये तथा उनका क्रियान्वयन किया गया।

7. **समन्वित ग्रामीण विकास दृष्टिकोण (Integrated Rural Development Perspective) -** 1970 के दशक के अन्त तक ग्रामीण विकास की रणनीतियों एंव कार्यक्रमों की असफलता से सबक लेते हुए एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ जो समन्वित ग्रामीण विकास दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टिकोण की मान्यता यह है कि ग्रामीण विकास के परम्परागत दृष्टिकोण में मूलभूत दोष यह था कि वे ग्रामीण निर्धनों के विपरीत ग्रामीण धनिकों के पक्षधर थे एंव उनके कार्यक्रमों व क्रियान्वयन पद्वतियों में भी कई कमियाँ थीं जिसके कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सके। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत जहां एक ओर ग्रामीण जनजीवन के विविध पहलुओं-आर्थिक,सामाजिक, शैक्षणिक,स्वास्थ्य, प्रौद्योगिक को एक साथ समन्वित करके ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के निर्धारण पर बल दिया गया वहीं दूसरी ओर विकास के लाभों के समरूप वितरण को महत्वपूर्ण माना गया।

8. **स्वयं सेवा समूह एवं लघु वित्त् दृष्टिकोण (Self-Help groups and Microfinance perspective)-** 1990 के दशक के उतर्राद्व से लेकर वर्तमान में ग्रामीण विकास की मुख्य रणनीति है स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना तथा वितीय संस्थाओं जैसे ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, आदि द्वारा उन्हें लघुअनुदान प्रदान करते हुए स्वावलम्बी समूह के रूप में उनका विकास करना। इस दृष्टि से ग्रामीण निर्धन महिलाओं एवं पुरूषों के छोटे-छोटे समूह, जिसमें 10-15 सदस्य शामिल हैं, विभिन्न प्रकार के उद्यम में संलग्न हैं तथा एक स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस उद्वेश्य में वृहद् परियोजना एवं लागत की बजाय कम पूंजी एंव लघु परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

9. ग्रामीण पुनर्निर्माण का गांधीवादी दृष्टिकोण (Gandhi Perspective on Rural Restructuring) -

ग्रामीण पुनर्निर्माण का आशय है गांवों को विकसित एवं रूपान्तरित करते हुए उसका पुनः निर्माण करना। ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण विविध हैं। मोटे तौर पर इन दृष्टिकोणों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता हैः संघर्षवादी एवं प्रकार्यवादी दृष्टिकोण । संघर्षवादी प्रारूप में ग्रामीण पुनर्निर्माण की प्रक्रिया द्वन्द्वात्मक हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के जरिये सम्पूर्ण ग्रामीण संरचना का पुनर्निर्माण संभव है। जिसमें सामाजिक संघर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके विपरीत प्रकार्यवादी प्रारूप में सामाजिक संघर्ष की बजाय अनुकूलन एवं सामंजस्य के द्वारा ग्रामीण संरचना का रूपान्तरण एवं पुनर्निर्माण किया जाता है।

गांधी की दृष्टि में ग्रामीण रूपान्तरण एंव ग्रामीण पुनर्निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में गांव की स्वाभाविक विशिश्टता सुरक्षित बनाये रखना अनिवार्य है। ग्रामीण औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग को विकसित करने पर बलदिया। अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज में गांधी ने ब्रिटिश सामा्रज्य द्वारा पोषित आधुनिक सभ्यता को आर्थिक क्लेश का प्रमुख कारक माना तथा इससे मुक्ति हेतु उन्होने भारत की प्राचीन संस्कृति के मूल्यों-सत्य, अहिंसा, नैतिक प्रगति को पुनर्जीवित करते हुए मानव विकास की परिकल्पना की। खादी आन्दोलन को औपनिवेशिक संघर्ष का माध्यम बनाते हुए उन्होंने महिलाओं एवं समस्त ग्रामीण जनसमूहों को न सिर्फ आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से भागीदार बनाया बल्कि उन्हें सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने का प्रयास भी किया।

गांधी की परिकल्पना में ग्रामीण उद्योग की परिधि में वे समस्त गतिविधियां, कार्य एवं व्यवसाय सम्मिलित हैं, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्रामीणों के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करते हुए उत्पादन की सरल प्रक्रिया अपनाई जाती है, केवल उन्हीं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो ग्रामीणों की सीमित आर्थिक क्षमता में सम्भव हैं, जिसकी प्रौद्योगिकी निर्जीव शक्ति-विद्युत, मोटर, इत्यादि की बजाय जीवित शक्तियों-मनुष्य, पशु, पक्षीद्वारा संचालित होती है। तथा जिसमें मानव श्रम का विस्थापन नहीं किया जाता है।

गांधी ने आधुनिक मशीन आधारित उत्पादन प्रणाली की बजाय मानव द्वारा श्रमआधारित उत्पादन प्रणाली पर बल दिया क्योकि उनकी दृष्टि में भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में अधिकांश लोगों को रोजगार प्रदान करने का यह एक सर्वोत्म विकल्प है।

7.4 भारत में ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाएं (Indian Rural Development driven schemes)

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि लोगों के अधिकतम कल्याण के लिए विभिन्न विकास योजनाएं बनाते है। कुछ योजनाएं जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, भारत निर्माण आदि ग्रामीण भारत के विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं। इनमें से कुछ ग्रामीण विकास योजनाएं निम्न हैः-

1. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाः

1 यह योजना,ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के लायक बनाने के लिए बनाया गया एक कौशल विकास कार्यक्रम है।

2 यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर,2014 को केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा शुरू की गई थी।

3 इस योजना का उद्वेश्य 15-35 आयु वर्ग के ग्रामीण युवाओं को लाभ पहुंचाना है।

4 वर्ष 2014-15 तक इस कार्यक्रम के तहत 52000 ग्रामीण उम्मीदवारों को कुशल बनाया गया है।

5 वर्तमान में इस योजना को 27 राज्यों एवं 3 केन्द्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जा रहा हैं ।

6 इस योजना के अन्तर्गत 2198 टेनिंग सेन्टर 1822 प्रोजेक्ट है, 56 सेक्टरों में 839 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेन्सीज टेंनिंग प्रदान कर रही है और 600 से ज्यादा जा ॅब रोल हैं। एवं 6.92 लाख उम्मीदवारों को प्लेसमेंट प्रदान किया जा चुका है।

रोशनी: आदिवासीयों के लिए कौशल विकास योजना:

1 7 जून 2013 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया था।

2 इस योजना का नाम ''रोशनी'' है, जिसके तहत 10-35 आयु वर्ग के लगभग 5000 युवाओं को तीन साल तक प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया हैं।

3 मंत्रालय के अनुसार इस योजना के लाभार्थियों में 50 प्रतिशत केवल महिलाएं होनी चाहिए।

4 यह योजना हिमालय परियोजना मॉडल पर आधारित है, जो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था और पिछले 18 महीनों में सुकमा (छत्तीसगढ़) और पश्चिम सिंहभूमी (झारखंड) जिले में शुरूआती तौर पर लागू किया गया है।

3. स्वच्छ भारत मिशन:

I. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था।

II. स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छता सुविधाओं के रूप में शौचालय की व्यवस्था, ठोस और तरल अपशिष्ट निपटान प्रणाली की व्यवस्था, गांवों की साफ-सफाई की व्यवस्था और सुरक्षित तथा पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करना है।

III. यह कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

IV. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 तक स्वच्छ भारत की अवधारणा को सच करने के उद्देश्य से एक कार्ययोजना तैयार की गई है।

V. इस मिशन का उद्देश्य 2019 तक केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे शौचालयों के निर्माण प्रतिशत को तिगुना कर वर्तमान 3% से बढ़ाकर 10% तक करना है।

VI देश के स्वच्छ न होने के मुख्य कारण हैं- शिक्षा का अभाव, खराब मानसिकता घरों में शौचालयों का ना होना, अत्याधिक जनसंख्या, कचरे के सही निस्तारण का अभाव आदि में सुधार करने का प्रयास अनिवार्य है।

4. सांसद आदर्श ग्राम योजना:

I. इस कार्यक्रम की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी।

II. इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण का अधिकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है।

III. इस कार्यक्रम के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य 2019 तक तीन गांवों में संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी लेंगे। तथा पहचानी गई ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए नेतृत्व की प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना।

5. विरासत विकास और संवर्धन योजना (HRIDAY):

I. HRIDAY यह योजना, शहरी विकास मंत्रालय की देख-रेख में 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी।

II. इस योजना का उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसे पुनः जीवंत करना है।

III. हृदय योजना के प्रारंभिक चरण में 12 शहरों की पहचान की गई है, जिन्हें पुनः जीवंत और. विकसित किया जाएगा। केन्द्र सरकार इन 12 शहरों के विकास के लिए 500 करोड़ रूपये प्रदान करेगी।

IV. यह योजना पूरी तरह से केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसका मुख्य कार्य विरासत स्थलों की बुनियादी संरचना सुरक्षित रखना है।

6. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS):

I. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, को 2 फरवरी, 2006 से शुरू किया गया था। अब इस योजना का नया नाम "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम" (या मनरेगा) है।

II. यह योजना एक भारतीय श्रम कानून के तहत सामाजिक सुरक्षा का उपाय है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लोगों को 'काम करने का अधिकार' प्रदान करना है।

III. यह योजना गांव के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है।

IV. इस योजना के लाभार्थियों में 50% श्रमिक महिलाएं होती है।

V. इस योजना का 90% वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:

1. यह योजना 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर शुरू किया गया था।

II. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (आजीविका) देश भर में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मॉडल को सशक्त करने के लिए शुरू की गई है।

III. इस योजना के तहत सरकार 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा प्रदान करती है। समय पर भुगतान करने पर ब्याज की दर घटकर 4% पर आ जाती है ।

8. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना:

I. इस योजना को 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू किया गया था। प्रारंभ में यह योजना 100% केन्द्र द्वारा वित्तपोषित थी।

II. 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अब इस योजना के कुल खर्च को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में वहन किया जाता है।

III. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में और 250 से अधिक आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सभी मौसमों के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध कराना था।

IV. यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।

9. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (TRYSEM)

I. केन्द्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को 15 अगस्त, 1979 को शुरू किया गया था।

II. इस योजना का मुख्य लक्ष्य 18-35 आयु वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीणों को तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना था।

III. 1 अप्रैल, 1999 को इस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया है।

10. अन्त्योदय अन्न योजना (AAY):

I. इस योजना की शुरूआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसम्बर, 2000 को की थी|

II. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लगभग 2 करोड़ परिवारों को बहुत ही रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

III. इस योजना के तहत एक परिवार को कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 3 रूपये/किलो चावल और 2 रूपये/किलो गेंहू दिया जाता है।

11 ग्राम अनाज बैंक योजना:

I. इस योजना को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा नवम्बर 2004 में लागू किया गया था|

II. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा की अवधि के दौरान या खराब मौसम के दौरान जब खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों के पास राशन खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, उन्हें भुखमरी से बचाना है।

III. इस योजना के तहत जरूरतमंद लोग गांव के अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकते हैं और जब उनके पास प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हो जाय तो वे अनाज वापस कर सकते हैं।

(v) अभी तक इस योजना में 21,751 ग्रामीण अनाज बैंक 20 राज्यों में खोले गए हैं।

12. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन:

I. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की शुरूआत 12 अप्रैल, 2005 को हुई थी। यह योजना अब "राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन" के अंतर्गत आ गयी है।

II. इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

III. इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना (आशा) शुरू की गई है।

v. यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है।

13. आम आदमी बीमा योजना:

I. इस योजना को 2 अक्टूबर, 2007 को शुरू किया गया था|

II. यह ग्रामीण परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है।

III. इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को लाभान्वित किया जाता है|

IV. इस योजना के तहत राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 200 रुपये का प्रीमियम साझा किया जाता है। आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवार से संबंधित होना चाहिए।

V. इस योजना के तहत जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच है और उसका बीमा हो चुका है उसे किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं है।

14. कुटीर ज्योति कार्यक्रम:

I. इस कार्यक्रम को 1988-89 में शुरू किया गया था|

II. इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना था|

III. इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में एकल पॉइंट (single point) वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रूपये की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है।

15. सर्व शिक्षा अभियान:

I. सर्व शिक्षा अभियान को 2000-2001 से चलाया जा रहा है।

II. इसका मुख्य उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग वाले बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जो एक बच्चे का मौलिक अधिकार है।

III. इस अभियान को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था।

IV. शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 86 वें संशोधन से संबंधित है।

V. वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत होने वाले खर्च में केन्द्र और राज्य सरकार का योगदान 50:50 है।

16. मुद्रा योजना- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को 8 अप्रैल 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉर्पोरेट, गैर-कृषि, लघु-सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक त्रण प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार है।

1. इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
2. ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिये जाते है।
3. ऋण प्राप्तकृर्ता किसी भी ऋण देने वाली संस्था से संपर्क कर सकता है और इस पोर्टल www.udyamimitra.in के माध्यम से आनॅलाईन आवेदन कर सकता है।
4. पीएमएमवाई के तत्वाधान में मुद्रा ने लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उघमी के विकास/विकास और वित्त् पोषण की जरूरतों को दर्शाने के लिए 'शिशु' 'किशोर ' और 'तरूण' नामक तीन श्रेणियों का निर्माण किया गया है।
5. वित्त मंत्रालय के अनुसार पीएमएमवाई के सात साल पहले शुरू होने के बाद से अब तक 34.42 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 18.60 लाख करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है।

17. ई-नाम (इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार) - ई नाम पोर्टल कृषि उत्पादक बाजार समिति को एकीकृत करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है, जिसे 14 अप्रैल 2016 को घोषित किया गया था। ई नाम किसानों के लिए भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसका लक्ष्य उचित कृषि विपणन प्रथाओं में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना है। कई विशेषताएं ई नाम को पारंपरिक प्रणाली से बेहतर बनाती हैं, जैसे बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग का प्रावधान गुणवत्ता के खिलाफ उचित मूल्य के लिए जांच सुविधाएं उचित और पारदर्शी मूल्य की खोज के लिए ऑनलाइन नीलामी, सटीकता के लिए वजन एकीकरण, और ऑनलाइन भुगतान सही समय पर मूल्य प्राप्ति के लिए। इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न हैः

1 यह भारत सरकार की एक योजना है, जिसे 14 अप्रैल 2016 को घोषित किया गया था।

2 यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

3 यह वास्तविक समय मूल्य प्रदान करता है जो किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदेमंद है।

4 पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग बेहतर है।

5 ई नाम मोबाइल एप्लिकेशन हितधारकों को किसी भी समय और स्थान पर सुविधाजनक जानकारी प्रदान करता है।

6 ई नाम वह योजना है जो एक राष्ट्र 'एक बाजार' बनाने में मदद करती है।

उपरोक्त वर्णित सभी सरकारी योजनाएं ग्रामीणों के विकास के लिए तथा उनके जीवन-स्तर को उठाने के लिए प्रारंभ की गई है। एवं इन योजनाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का उतरोतर विकास हो रहा है।

7.5 ग्रामीण विकास हेतु प्रमुख नई नीतियां तथा वर्तमान घोषणाएँ (New Policies for Rural Development)

संसद में आम बजट 2018-19 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने घोषणा की कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में जीविका के साधन, कृषि और संबद्ध कार्यकलापों और ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर सरकार द्वारा अधिक से अधिक धनराशि खर्च की जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। वर्ष 2018-19 में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिये मंत्रालयों द्वारा 14.34 लाख करोड़ रुपए खर्च किये गए। इसमें 11.98 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय और गैर-बजटीय संसाधन शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

खेती से जुड़े कार्यों और स्व-रोज़गार के कारण रोज़गार के अलावा, इस खर्च से 321 करोड़ मानव दिवस के रोज़गार, 3.17 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों, 51 लाख नए ग्रामीण मकानों, 1.88 करोड़ शौचालयों का सृजन होगा। उन्होंने बताया कि इससे कृषि को प्रोत्साहन मिलने के अलावा 1.75 करोड़ नए परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्राप्त होंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Prime Minister Krishi Sinchai Yojna)

- केंद्र सरकार ने सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की वर्ष 2015 में शुरुआत की है। केन्द्र-राज्य की हिस्सेदारी 75:25 प्रतिशत में होगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में यह अनुपात 90:10 रहेगा।
- इसके अलावा सरकार 'हर खेत को पानी' उपलब्ध कराने का लक्ष्य पाने के लिये संपूर्ण सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जल संसाधन, वितरण नेटवर्क और खेत-स्तरीय अनुप्रयोग समाधान विकसित करने के लिये पाँच वर्षों में 50 हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है।
- हर खेत को पानी के अंतर्गत भू-जल सिंचाई योजना को मज़बूत बनाने के लिये यह योजना सिंचाई से वंचित 96जिलों में शुरू होगी एवं इसके लिये 2600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग

- भारत सरकार द्वारा निरंतर ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण निर्धनो के जीवन स्तर में सुधार के लिये सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।
- वर्ष 2012-13 के 50,162 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान से 2017-18 में ग्रामीण विकास विभाग का आवंटन 109042.45 करोड़ रुपए पर पहुँच गया।
- इसके अलावा बढ़े हुए वित्तीय प्रावधान के अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिकआर्थिक जातीय जनगणना-2011, आईटी/डीबीटी भुगतान प्रणाली, लेन-देन आधारित कार्यक्रम एमआईएस (Monthly Income Scheme) तथा सम्पदाओं के जियो-टेगिंग के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पारदर्शिता बढ़ाने के लिये दूरगामी प्रशासनिक व्यवस्था शुरू की है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana)

- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लक्ष्य मैदानी क्षेत्र में 500 की जनसंख्या तथा पहाड़ी क्षेत्र में रह रही 250 जनसंख्या वाले 1,78,184 निवासियों के लिये सभी मौसमों के दौरान सड़क सम्पर्क प्रदान करना है।

- वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 1,30,947 निवासियों तथा राज्य सरकारों के कार्यक्रमों के माध्यम से अन्य 14,620 निवासियों को जोड़ा गया है, जिससे कुल 82 प्रतिशत निवासी इससे जुड़ चुके हैं।
- वर्ष 2016-17 में 130 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से कुल 47,447 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। वर्ष 2017-18 में 140 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से इसे 51,000 किलोमीटर तक ले जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इससे मार्च 2019 तक सभी पात्र निवासियों को सभी मौसमी सड़क सम्पर्क पूर्ण उपलब्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे।
- कृषि बाज़ार (मंडी) के लिये अच्छी-चौड़ी सड़कों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा चुनिंदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन हेतु उनके आर्थिक महत्त्व और ग्रामीण बाज़ार केंद्रों की सुविधा प्रदान करने में सडकों की भूमिका के आधार पर ग्रामीण सड़क तंत्र को समेकित करने का प्रयास किया जा रहा हैं।
- इससे चरण-III और सुदृढ़ होगा जिसका पहले ही कार्यान्वयन जारी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-III के रूप में 1,10,000 किलोमीटर का उन्नयन प्रस्तावित है।
- ऐसा करने के लिये 2022 तक केंद्रीय सरकार से 19,000 करोड़ रूपए के वार्षिक वितपोषण की व्यवस्था जारी रखी जाएगी।
- प्रधानमंत्री के 'नया भारत-2022' के स्वप्न को पूरा करने के लिये बाजारों को सड़कों से जोड़ने और उन्हें निकट लाने की जरूरत है ताकि किसान बाजारों का लाभ उठा सकें।
- सड़कों के रखरखाव और सभी सड़कों की जीआईएस (ज्योग्राफिकल इन्फार्मेशन सिस्टम) मैपिंग के महत्व को समझते हुए निश्रित तौर पर एक सुरक्षित रखरखाव नीति तैयार करने और सभी सड़कों की जीआईएस मैपिंग को पूरा करने के साथ वित्तपोषण की व्यवस्था भी जरूरी है। इससे उच्च मानकों के साथ पीएमजीएसवाई(PMGSY) सड़कों के रखरखाव के साथ-साथ किसानों की बाजारों तक सहज पहुंच को भी सुनिश्रित किया जा सकेगा।
- 15 फीसदी पीएमजीएसवाई (PMGSY) सड़कों को अब प्लास्टिक, जिओ-टेक्सटाइल, फ्लाई एस, लोहा और तांबे के कचरे के इस्तेमाल जैसी नवोन्मेषी हरित प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से तैयार किया जा रहा है। इससे न केवल निर्माण लागत में कमी आएगी, बल्कि स्थानीय कचरे के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojna - National Rural Livelihood Mission)

- दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है।
- इस योजना में दो घटक हैं—एक ग्रामीण भारत के लिये तथा दूसरा शहरी भारत के लिये।
- इस कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में महिला किसानों के लिये कृषि और गैर-कृषि आधारित आजीविका को बढ़ावा देने के लिये समर्पित घटक सहित महिला सशक्तीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- सरकार देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर) में डीएवाई-एनआरएलएम लागू कर रही है।
- दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में विविधता लाने के लिये 4.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को एसएचजी (Self help group) के तहत लाया गया।

- क्षमता विकास एवं कौशल प्रशिक्षण के ज़रिये आर्थिक गतिविधियों हेतु बैंक लिंकेज में भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय विस्तार किया गया है।
- वर्ष 2014-15 में 23,953 करोड़ रुपए के बैंक लिंकेज से वर्तमान ऋण बकाए का आकार बढ़कर करीब 60 हज़ार करोड़ रुपए हो गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान उत्तरी, पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में महिला एसएचजी के तहत आजीविका में भी दक्षिणी राज्यों के एसएचसी की तरह विविधता आई है।
- इससे गरीब परिवारों को अपनी आय और उत्पादकता बढ़ाकर गरीबी से बाहर आने में मदद मिलेगी।
- एक हजार आर्गेनिक क्लस्टर के विकास की ओर रूख करते हुए सतत् कृषि के लिये 32 लाख से अधिक महिला किसानो के साथ काम किया जा रहा है।

मनरेगा (MGNREGA)

- इस कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर अभी तक इसके अतंर्गत तकरीबन 3,00,000 करोड़ रूपए से अधिक खर्च किये जा चुके हैं।
- इसमें से 71 प्रतिशत राशि 'श्रमिकों को पारिश्रमिक के रूप में प्रदान की गई है।
- इस कार्यक्रम के तहत 65 प्रतिशत से अधिक कार्य कृषि और इससे संबद्ध गतिविधियों में हुआ है।
- मनरेगा ने समय की ज़रूरत के मुताबिक सामाजिक बीमा की भूमिका प्रदान की है।
- पिछले तीन साल के दौरान दिहाड़ी रोज़गार के लिये संसाधनों का प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि गरीब परिवारों के लिये आजीविका सुरक्षा में सुधार हो सके।
- इस दौरान 10 लाख से अधिक तालाब और 6.7 लाख कम्पोस्ट पिट तैयार किये गए।
- इसके अलावा विभिन्न राज्यों में 1.6 लाख लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट सोक पिट और सॉलिड रिसोर्स मैनेजमेंट तैयार किये गए।
- मनरेगा संसाधनों का इस्तेमाल गरीब परिवारों को 90 से 95 दिनों के लिये काम उपलब्ध कराने और स्वच्छ भारत मिशन अथवा मनरेगा के तहत गरीब परिवारों को शौचालय सहित नया मकान उपलब्ध कराने में किया गया।
- पिछले तीन साल के दौरान 71.50 लाख मकान पहले ही तैयार किये जा चुके हैं जिसमें 17.83 लाख पीएमएवाई(जी) (Pradhan Mantri Awaas Yojana -Gramin) मकान भी शामिल हैं।
- 33 लाख अतिरिक्त पीएमवाई(जी) मकान 31 मार्च, 2018 तक पूरे होने के उम्मीद है क्योंकि वे पहले से ही उन्नत चरण में पहुँच चुके हैं।
- मनरेगा का इस्तेमाल आजीविका संसाधन के तौर पर किया जा रहा है और यह तालाब, सिंचाई के कुएँ, बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन, मुर्गी पालन आदि जैसी व्यक्तिगत लाभकारी योजनाओं में शामिल हैं।

भारत निर्माण

- वर्ष 2022 तक नए भारत के निर्माण के साथ ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दूर हो जाएगी। इसे ग्रामीण आजीविका में विविधीकरण और बुनियादी संरचना में सुधार जैसे ठोस कदमों से बल मिलेगा।
- विभाग गरीबी के सभी आयामों को प्रभावी तौर पर दूर करने के लिये राज्य सरकारों के साथ मिलकर 50 हजार ग्राम पंचायतों में 5000 क्लस्टर स्थापित करने के लिये काम पहले ही शुरू कर चुका है।

- विभाग हर साल 7 लाख गरीब परिवारों के लिये ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के जरिये स्वरोजगार और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत दिहाड़ी रोजगार के लिए कौशल का लगातार विकास कर रहा है।
- कौशल भारत कार्यक्रम को प्रभावी तौर पर लागू करने के साथ-साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और आरएसईटीआई (Rural self employment training institute)कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के जरिये गरीब परिवारों के कौशल सुधार लाने और क्षमता बेहतर करने की कोशिश की जा रही है।
- पिछले बजट में मिशन अंत्योदय के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों के एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने की घोषणा की गई थी।
- ग्रामीण विकास विभाग ने इन ग्राम पंचायतों की रैंकिंग भी की है। बुनियादी ढांचा मानव विकास एवं आर्थिक मानदंडों में कमियों की पहचान की जा रही है। और सरकार उन कमियों को दूर करने और सबसे गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने के लिये प्रतिबद्व है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. निम्न में से ग्रामीण पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण हैं –

(अ) बहुद्देशीय- दृष्टिकोण (ब) जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण दृष्टिकोण
(स) अ और ब दोनों (स) इनमें से कोई नहीं

2. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना कब शुरू की –

(अ) 25 सितंबर 2014 (ब) 25 अगस्त 2015
(स) 30 सितंबर 2014 (स) 20 फरवरी 2013

3. स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को किसके द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है –

(अ) नीति आयोग (ब) पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
(स) ग्रामीण विकास मंत्रालय (स) इनमें से कोई नहीं

4. सासंद आदर्श ग्रामीण (ग्राम) योजना का मुख्य उद्देश्य हैं –

(अ) ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देना
(ब) आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करना
(स) ग्रामीण इलाकों में विकास करना है
(स) देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना

उत्तर : 1 (स) 2 (अ) 3 (ब) 4 (स)

7.6 ग्रामीण विकास को सफल बनाने के लिए आवश्यक सुझाव

(1) साक्षरता अभियान व प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि के लोगों को पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर पर विभिन्न पदों के लिए आरक्षण तो दे दिया गया है, लेकिन उसको कारगर बनाने के लिए साक्षरता-अभियान व प्रशिक्षण-कार्यक्रम को तेज करना होगा जिससे चुने हुए प्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान व प्रमुख आदि अपने-अपने कर्त्तव्यों को निभा सकें। इस सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर प्रयास करना होगा ताकि सच्चे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की स्थापना की जा सके।

(2) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण - लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सफलता के लिए चार प्रकार से शक्ति-हस्तान्तरण की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम, वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों का हस्तान्तरण केन्द्र से राज्यों की ओर, राज्यों

से जिला स्तर की ओर तथा इसी क्रम में ब्लॉक स्तर की ओर व ग्राम पंचायत स्तर की ओर होना चाहिए। इससे स्थानीय स्वशासन सुदृढ़ होता है। इसे लम्बवत् हस्तान्तरण (vertical transfer) की संज्ञा दी जा सकती है। द्वितीय, स्वरूप में सत्ता का हस्तान्तरण सरकारी विभागीय अधिकारियों व निर्वाचित सदस्यों के बीच होना चाहिए। इस सम्बन्ध में स्थानीय सार्वजनिक सेवाएँ पंचायती राज संस्थाओं के अधीन चलाई जानी चाहिए। ताकि पानी-बिजली आदि की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें। इसे शक्ति का क्षैतिज-हस्तान्तरण (horizontal transfer) कहते हैं। तीसरे शक्ति-हस्तान्तरण के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं में वार्डों से सीधे चुने हुए प्रतिनिधियों व राज्य के विधायकों तथा लोक सभा के सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग व तालमेल की व्यवस्था करनी होती है। इनके आपसी सम्बन्धों को अधिक मधुर बनाना होगा जो प्रायः कठिन पाया गया है। इस सम्बन्ध में उनका कार्यक्षेत्र निर्धारित करना होगा। राज्य के विधायकों व लोक सभा के सदस्यों को आवश्यक अधिनियम बना कर पंचायती राज संस्थाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए और स्थानीय संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को उन कानूनों व नियमों के क्रियान्वयन का काम सौंपा जाना चाहिए। कुल मिलाकर सम्पूर्ण शक्ति पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जानी चाहिए। इसे क्रियानुसार हस्तान्तरण (activity transfer) कह सकते हैं। अन्त में पंचायती राज संस्थाओं पर आधिपत्य सम्भ्रान्त, प्रभावशाली व अभिजात्य वर्ग का न होकर समाज के आम आदमी व जन साधारण का होना चाहिए। इसे सत्ता का धरातलीय हस्तान्तरण (baselevel transfer) कह सकते हैं। अतः पंचायती राज संस्थाओं पर वर्चस्व जनता द्वारा चुने हुए सच्चे प्रतिनिधियों का होना चाहिए।

(3) वित्तीय व्यवस्था से जुड़े प्रश्न - पंचायती राज संस्थाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ये अपने कार्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगी। विभिन्न राष्ट्रीय वित्त आयोगों ने पंचायती राज संस्थाओं के लिए अधिक वित्तीय साधनों का आवंटन किया है। राज्य के वित्त-आयोगों ने भी राजस्थान सरकार को स्थानीय संस्थाओं को अधिक वित्तीय साधन उपलब्ध कराने की सिफारिशें की हैं।

(4) ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम में तालमेल - इनमें परस्परम तालमेल स्थापित करने की आवश्यकता बढ़ गई है। भविष्य में सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए दी जानी उपयुक्त रहेगी ताकि साथ में उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण भी सम्भव हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश की मात्रा बढ़ाने से ही कृषि, पशुपालन, लघु व कुटीर उद्योग, विपणन, आधार ढाँचे-सिंचाई, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल आदि का तेजी से विकास हो सकता है। अब विभिन्न व क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम निर्धारित करते समय स्थानीय आवश्यकताओं व स्थानीय साधनों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना से इस दिशा में काफी सहयोग मिलेगा, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से जन सहयोग की पर्याप्त व्यवस्था सम्भव हो सकती है। भविष्य में जन-आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यक्रम निर्धारित होने चाहिए और लोगों की मूलभूत जरूरतों को करने पर अधिक शक्ति लगाई जानी चाहिए।

(5) भूतकाल में प्राय: यह देखा गया है कि योजना के क्रियान्वयन के दौरान अचानक नए कार्यक्रम घोषित कर दिए जाते हैं, जबकि पहले के कार्यक्रम अधूरे पड़े रहते हैं। भविष्य में इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

साधनों के सर्वोत्तम उपयोग की दृष्टि से कार्यक्रमों की संख्या सीमित रख कर उनको कारगर ढंग से पूरा करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित करना होगा। मुख्य बात यह है कि विकास कार्यक्रमों को सीधे लोगों की आम जरूरतों से जोड़ना होगा ताकि इनका लाभ सर्वसाधारण को मिल सके और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व पिछड़े वर्गों को रोजगार एवं आमदनी बढ़ाने के उत्तरोत्तर अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें। हमारे देश में यह धारणा पाई जाती है और समय के साथ जोर भी पकड़ती जा रही है कि आर्थिक सुधारों के लाभ समाज के धनी वर्ग को तथा विदेशी कम्पनियों को ज्यादा मात्रा में मिले हैं और देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी व बेरोजगारी उत्तरोत्तर बढ़ती गयी है। ऐसी स्थिति में स्थानीय संस्थाओं, स्थानीय विकास कार्यों व

जनता की भागीदारी आदि का महत्त्व विकास की रणनीति में काफी बढ़ गया है। अतः इस निष्कर्ष से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि आर्थिक उदारीकरण की सफलता के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को एकीकृत रूप से अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. ग्रामीण विकास का अर्थ बताइए।
2. ग्रामीण विकास को परिभाषित कीजिए।
3. भारत में ग्रामीण विकास के लिए संचालित दो योजनाओं के नाम बताइए।
4. स्वच्छ भारत मिशन किसके द्वारा क्रियान्वन किया जा रहा है?
5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई?

7.7 सारांश (Summary)

उपर्युक्त विवेचन का सार है कि नई पंचायती राज व्यवस्था को ग्रामीण विकास की एक सबल एजेन्सी के में विकसित करने का भरपूर प्रयास जारी है। परिवर्तित परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत जरूरी हो गया है। इसके बिना सम्पूर्ण आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया विफल हो सकती है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, जनता की सक्रिय भागीदारी, स्थानीय विकास कार्यक्रमों का चयन व क्रियान्वयन आदि भावी ग्रामीण विकास के अविभाज्य अंग बन गए हैं। इनको सफल बनाना होगा, अन्यथा गाँवों से शहरों की ओर जनता का पलायन नहीं रुकेगा और ग्रामीण जनता विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएगी।

7.8 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

- इस इकाई से विद्यार्थी ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषा जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी भारत में ग्रामीण विकास के लिए संचालित योजनाओं के बारे में जान सकेंगे।
- इस इकाई से विद्यार्थी ग्रामीण विकास हेतु प्रमुख नई नीतियों एवं वर्तमान घोषणाओं के बारे में जान सकेंगे।

7.9 शब्दकोष (Glossary)

- **ग्रामीण विकास :** इसके अंर्तगत लोगों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करके संपूर्ण ग्रामीण विकास किया गया है।
- **मनरेगा :** मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा देना है। इसमें किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन के लिए दैनिक रोजगार सुरक्षित करना है।
- **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना :** केन्द्र प्रायोजित इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण सड़के बनाने के काम में राज्यों की मदद करना है। इसका प्राथमिक लक्ष्य समस्त ग्रामीण बस्तियों को मुख्य सड़क से जोड़ना है।
- **स्वच्छ भारत मिशन :** इसका प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को प्रोत्साहित करना एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता के लिए समुचित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है।

7.10 स्व - परख प्रश्न (Self Evaluation Test)

1 भारत में ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डालिए।

2 ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए अपनाए गए प्रमुख अभिगम दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन किजिए।

3 ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए अपनाए गए विभिन्न अभिगम का गांधीवादी उपागम से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किजिए।

4 स्वच्छ भारत मिशन एवं सांसद आर्दश ग्राम योजनाओं को विस्तृत रूप से वर्णित किजिए।

5 ग्रामीण विकास की हद्रय योजनाओं पर प्रकाश डालिये।

6 नियोजित ग्रामीण विकास प्रारूप में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कथन से सहमति/असहमति को विस्तृत रूप से समझाइये।

7.11 संदर्भ व ग्रन्थसूची (References and Bibliography)

- भारत में पंचायती राज - उदभव, विकास एवं वर्तमान स्थिति डा. अलोक कुमार कश्यप डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस लिमिटेड, दिल्ली
- भारत 2019 - वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली
- पंचायती राज व्यवस्था - बी.सी. नरुला अर्जुन पक्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
- राजस्थान के पंचायती राज में महिलाओं का योगदान - डा. भीमसिंह चौहान अरिहन्त प्रकाशन, जोधपुर

7.12 अन्य पठन सामग्री (Other reading Material)

- ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार
- कुरूक्षैत्र समस्त ग्रामीण अंक
- जागरण-जोश भारत में ग्रामीण विकास के योजनाओं की सूची

7.13 वेब संसाधन/वेब लिंक

- **https://www.Pmkisan.gov.in**
- **https://www.centralbank of india.co.in**
- **https://financialservices.gov.in**
- **https://www.indiafillings.com**
- **https://prepp.in**
- **https://www.ncs.gov.in**
- **https://www.insightsonindia.com**

इकाई - 8

ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं नीतियां

(Rural Development Programmes – Critical Study)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

8.0 उद्देश्य
8.1 प्रस्तावना
8.2 भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम
8.3 सारांश
8.4 अधिगम परिणाम
8.5 शब्दकोष
8.6 स्वपरख प्रश्न
8.7 संदर्भ एवं ग्रन्थसूची
8.8 अन्य पठन सामग्री
8.9 वेब संसाधन/लिंक

8.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को भारत में संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना है तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का आलोचनात्मक अध्ययन करना है।

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से तात्पर्य ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं बृहत स्तर पर सामाजिक परिवर्तन है। देश के चौमुखी विकास के लिए गांव का विकास होना नितांत आवश्यक है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास पर जोर दिया गया और अति पिछड़े तथा निर्धनता से ग्रस्त परिवारों को लाभ पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए गए। ग्रामीण विकास को तीव्र गति देने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में इसका पुनर्गठन कर इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे विशिष्ट योजनाएं एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग का नाम दिया गया। 1 अप्रैल 1999 से इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास विभाग किया गया। ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। अतः जिला स्तर पर बेहतर कार्य संचालन के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद में विलय करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अधीन ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसी तरह राज्य स्तर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने एवं कार्यक्रमों के बेहतर संचालन के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग का विलय किया गया। वर्तमान में इस विभाग का नाम ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत समस्त योजनाओं के संचालन का कार्य अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

भारत में विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का पुनर्गठन करके नवीन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया। इन नवीन कार्यक्रमों की शुरुआत 1999 में की गई, जिनमें प्रमुख है स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY), जवाहर ग्राम

समृद्धि योजना (JGSY), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA), सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY), श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना (SPMRM), महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना इत्यादि। इस इकाई में ग्रामीण विकास के इन नवीन कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है।

8.2 भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रम (Rural Development Programmes in India)

1. **स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana-SGSY):** अप्रैल 1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम अप्रैल 1999 से पूर्व संचालित ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों को मिलाकर प्रारंभ किया गया है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के लिए स्वरोजगार का यह एकमात्र कार्यक्रम है। एसजीएसवाई (SGSY) का व्यय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन करने का प्रावधान रखा गया है। योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्ति स्वरोजगार कहलायेंगे, उन्हें लाभार्थी नहीं कहा जाएगा। योजना में यह लक्ष्य रखा गया कि सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार 3 वर्ष में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ जाए।

   स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के उद्देश्य (Objectives of Swarnjayanti Gram Swarozgar Yojana-SGSY):

   1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना।
   2. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्यमों की स्थापना करना।
   3. गरीबी दूर करने के विभिन्न प्रयासों का एकीकरण करना।
   4. ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित करना।
   5. ग्रामीण गरीब परिवारों को निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना।
   6. ग्रामीण क्षेत्रों में आय उत्पन्न करने वाली परिसंपत्तियों का निर्माण करना।

   स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (SGSY) की वित्तीय व्यवस्था में केंद्र व राज्यों का भाग 75:25 के अनुपात में होगा अर्थात 75% भाग केंद्र सरकार एवं 25% भाग राज्य सरकारों को वहन करना होगा। राज्यों के लिए निर्धारित केंद्रीय आवंटन में राज्यों में विद्यमान गरीबी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसके साथ ही आवंटित धन के उपयोग की क्षमता और विशेष आवश्यकताओं जैसी बातों को भी ध्यान में रखकर कोष आवंटित किया जाएगा। योजना को जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से लागू किया जाएगा। योजना में परियोजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए बैंकों, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों तथा जिले की तकनीकी संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा।

2. **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (Jawahar Gram Samridhi Yojana -JGSY):** जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) 1 अप्रैल, 1999 से जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन करके प्रारंभ की गई।

   उद्देश्य (Objecties):

   (अ) JGSY का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम स्तर पर मांग के आधार पर आर्थिक ढांचे एवं स्थाई संपत्तियों का निर्माण करना है ताकि ग्रामीण निर्धन लोगों के लिए सतत रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके।

   (ब) JGSY का सहायक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बेरोजगार गरीबों के लिए रोजगार के पूरक अवसर उत्पन्न करना था।

1 अप्रैल, 2002 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) एवं रोजगार आश्वस्त योजना (EAS) का संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) में विलय कर दिया गया।

3. **संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (Sampoorna Gramin Rozgar Yojana- SGRY):** 15 अगस्त, 2001 को केंद्र सरकार द्वारा SGRY योजना प्रारंभ की गई। यह योजना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY) एवं रोजगार आश्वस्त योजना (EAS) को मिलाकर प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत 75% भाग केंद्र सरकार द्वारा एवं 25% भाग राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार व भोजन की सुरक्षा प्रदान करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। योजना में श्रम प्रधान कार्यक्रम जैसे मिट्टी व नमी संरक्षण, जल संभरण विकास, वन विकास तथा ग्रामीण संरचनात्मक विकास के कार्यक्रम हाथ में लिए गए। 1 अप्रैल, 2008 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम में सम्मिलित कर दिया गया है।

4. **प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (Pradhan Mantri Gramoday Yojan - PMGY):** अच्छी जीवनचर्या के लिए सामाजिक आर्थिक ढांचे के 5 घटक बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास एवं सड़कें। लेकिन हमारी देश के योजनाकारों ने गांवों को सड़कों के द्वारा शहरों से नहीं जोड़ कर बहुत बड़ी गलती की है। आजादी के लगभग छह दशक की अवधि बीत जाने के बावजूद देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। देश के 40% गांवों में उपयुक्त सड़के नहीं है। हजारों गांवों में पेयजल की समस्या है। लगभग 140 लाख ग्रामीण आवासों की कमी है तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत बड़ी विसंगतियां एवं कमियां है।

उपर्युक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2000 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY) शुरू की। ग्रामीण निर्धन लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में करना, कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था। कार्यक्रम की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, विशेषकर ग्रामीण संयोजनता के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष 2000-01 में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया ताकि ग्राम स्तर पर स्थाई मानव दिवस के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ चुनी हुई आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की गई ताकि सरकार द्वारा घोषित कुछ प्राथमिक क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जा सके।

PMGY के अंतर्गत 5 घटक थे (1) प्राथमिक स्वास्थ्य (2) प्राथमिक शिक्षा (3) ग्रामीण आवास (4) ग्रामीण पेयजल तथा (5) ग्रामीण पोषाहार। लेकिन वर्ष 2001-02 से एक अतिरिक्त घटक ग्रामीण विद्युतीकरण को भी शामिल कर लिया गया। वर्ष 2000-01 एवं वर्ष 2001-02 में PMGY के सभी संगठक कार्यक्रमों का प्रबंध संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक विभागों द्वारा किया गया। लेकिन वर्ष 2002-03 से इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन योजना आयोग द्वारा किया जाने लगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को वर्ष 2005-06 से बंद कर दिया गया।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना - ग्रामीण आवास (PMGY-GA) का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ऐसे आवासों का निर्माण करना है जो रहने लायक हो।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना - ग्रामीण पेयजल परियोजना - इस कार्यक्रम के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकार कुल आवंटित राशि का कम से कम 25% राशि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम/ सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में निम्नांकित परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए प्रयुक्त करेगी -

(1) जल संरक्षण,

(2) जल एकत्र करना,

(3) पेयजल स्रोतों को पुनः भरना तथा उनका अस्तित्व बनाए रखना।

5. **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna – PMGSY) :** बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का प्रारंभ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 दिसंबर, 2000 को किया गया। योजना के अंतर्गत ऐसी बस्तियां जो सड़क संपर्क से नहीं जुड़ी हों, उन्हें अच्छी गुणवत्ता की सड़कों से जोड़ा जाता है। योजना में ग्रामीण सड़कों का उन्नयन किया जाता है तथा ग्रामीण केंद्रों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा जाता है। PMGSY III के अंतर्गत कृषि बाजार, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों को प्रमुख ग्रामीण संपर्कों से जोड़ना और उन्नयन के साथ-साथ रूट थ्रू के माध्यम से जोड़ा जाता है।

PMGSY योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क से वंचित गांवों को बारहमासी सड़कों से इस प्रकार जोड़ना है ताकि 500 या इससे अधिक आबादी वाले गांव आपस में जोड़े जा सकें। कार्यक्रम के अंतर्गत 1,36,464 बस्तियों को जोड़ने का लक्ष्य है। भारत निर्माण के अंतर्गत, 2009 तक समयबद्ध तरीके से, मैदानी क्षेत्रों में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्र और पहाड़ी व जनजातीय इलाकों में 500 या ज्यादा की जनसंख्या वाले आबाद क्षेत्रों को संयोजन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का क्रमबद्ध उन्नयन भी योजना का समाकल घटक है। तदनुसार 1,46,185 किलोमीटर बारहमासी सड़कों द्वारा 54,648 आबाद क्षेत्रों को जोड़ने की एक कार्य योजना तैयार की गई। इस कार्य योजना में 1,94,130 किलोमीटर विद्यमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उन्नयन/नवीनीकरण भी सम्मिलित है। खेत से बाजार तक पूर्ण संपर्क को सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम में चालू मध्यम रास्तों का तथा प्रमुख ग्रामीण संपर्कों का उन्नयन तय मानकों के साथ करना है। यद्यपि यह कार्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं है। PMGSY II के अंतर्गत 11,234 किलोमीटर सड़कों को उन्नत बनाने की स्वीकृति दी गई कुल लक्ष्य 50,000 किलोमीटर सड़कों को उन्नत करना है।

जून 2019 से मई 2020 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां (Achievements achieved during June 2019 to May 2020)

निर्मित सड़कों की लंबाई 26,982 किलोमीटर। हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सड़क की लंबाई का निर्माण पूरा किया गया 8114 किलोमीटर। व्यय किया गया 20,741 करोड रुपए। पीएमजीएसवाई III के तहत स्वीकृत सड़क लंबाई 13,878 किलोमीटर।

6. **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission DAY-NRLM) :** इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2011 में किया गया था। योजना के अंतर्गत गरीबों को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाया जाता है। इसके लिए स्थाई संस्थाओं का विकास करके गरीब परिवारों को लाभदायक स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर पाने और उसके परिणामस्वरुप अपनी आजीविकाओं में स्थाई सुधार लाने योग्य बनाया जाता है।

उद्देश्य (Objectives):

योजना का उद्देश्य सभी ग्रामीण गरीब परिवारों तक पहुंचना है और उन्हें स्वयं प्रबंधित संस्थाओं में संगठित करके उनकी कौशल और क्षमताओं का विकास करके तथा उन्हें वित्तीय, आजीविका सेवाएं, हकदारी तथा सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों से सेवाएं प्राप्त करने योग्य बनाते हुए सभी ग्रामीण गरीबों को आजीविका के स्थाई अवसर उपलब्ध कराना है। यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीब महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान का अधिकार प्रदान करता है और बेहतर सामाजिक दर्जा दिलाता है तथा निर्णय लेने में उन्हें भूमिका प्रदान करता है।

जून 2019 से मई 2020 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां (Achievements achieved during June 2019 to May 2020):

(1) 829 अतिरिक्त ब्लॉकों को "गहन" कार्य नीति में शामिल किया गया।

(2) 1.07 करोड़ से अधिक ग्रामीण गरीब महिलाओं को 9.76 लाख स्व-सहायता समूह (SHG) में शामिल किया गया। इस वर्ष के दौरान पूंजीकरण सहायता के रूप में 2500 करोड रुपए रिलीज किए गए।

(3) 32.7 लाख स्व-सहायता समूह को 65,941 करोड़ रुपए की बैंक ऋण वितरित किए गए।

(4) ब्याज सब्सिडी के रूप में 2250 करोड रुपए की राशि दी गई।

(5) 50.08 लाख महिला किसानों को कृषि पारिस्थितिकीय पद्धतियां अपनाने, इनपुट लागत कम करने और आय बढ़ाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(6) पशुधन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 लाख महिला किसानों को शामिल किया गया।

(7) 53,400 महिला किसानों को गैर-इमारती वन उत्पाद (NTFP) कार्यक्रम में शामिल किया गया।

(8) 47,495 महिला किसानों को स्थानीय समूह (एलजी) में पंजीकृत किया गया और वे जैविक कृषि कार्य कर रही है।

(9) 10,000 कृषि सखियां तैनात की गई।

(10) SVEP- गैर-कृषि क्षेत्र में ग्रामीण स्टार्ट-अप को बढ़ावा और मजबूती देने के लिए 47,565 उद्यमों को सहायता प्रदान की गई।

(11) 13 अधिक गरीब राज्यों में उच्च स्तरीय उद्यमों और आजीविका कलेक्टिव के विकास पर जोर देने के लिए इन राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP) शुरू की गई।

(12) DAY-NRLM को उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवसायिक प्रदान करने और बाजार से जुड़े मूल्य श्रंखला विकास कार्यक्रमों की स्थापना में मदद करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट की सहायता से ग्रामीण मूल्य श्रंखला विकास फाउंडेशन (FDRVC) की स्थापना की है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना-डीडीयू-जीकेवाई (Deendayal Upadhyaya Grameen Kaushal Yojana-DDU-GKY) - यह योजना मजदूरी रोजगार के लिए रोजगार आधारित कौशल विकास कार्यक्रम है। समग्र उपलब्धियां डीडीयू-जीकेवाई को 27 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 1707 सक्रिय प्रशिक्षण केंद्रों में 675 प्रशिक्षण भागीदारों के साथ कार्य किया जा रहा है। 561 क्षेत्रों को शामिल करते हुए 55 क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्ष 2014 में डीडीयू-जीकेवाई की शुरुआत से लेकर कुल 10,42,251 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षित तथा 6,42,078 अभ्यार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है।

जून 2019 से मई 2020 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां (Achievements achieved during June 2019 to May 2020):

(1) 1,88,753 अभ्यर्थी प्रशिक्षित।

(2) 1,31,893 अभ्यार्थियों को देशभर में रोजगार।

(3) सागरमाला परियोजना में 22 तटीय जिलों में 33,000 युवाओं को समुंद्र संबंधी व्यापार में प्रशिक्षित किया गया।

(4) सभी राज्यों में स्थापित किए जाने वाले प्रवासन सहायता केंद्रों के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया।

7. प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojna –Gramin: PMAY-G):

स्वतंत्रता के पश्चात देशवासियों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक आवास कार्यक्रम शुरू किए गए। सार्वजनिक आवास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के साधन के रूप में सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम रहा है। ग्रामीण आवास कार्यक्रम, एक स्वतंत्र कार्यक्रम के रूप में, जनवरी 1996 में इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के साथ प्रारंभ हुआ। इंदिरा आवास कार्यक्रम को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के साथ मिला कर

वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। योजना का उद्देश्य सभी को 2022 तक मकान उपलब्ध कराना है। योजना के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2022 तक 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से होने के कारण अच्छे मकानों का तेजी से निर्माण हो पाया है। पारदर्शिता, बाधामुक्त और कार्यक्रम के अच्छे क्रियान्वयन हेतु आईटी-डीबीटी (IT-DBT) प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है। सार्वजनिक वित्तीय-प्रबंधन प्रणाली (Public Financial Management System-PFMS) के माध्यम से लाभार्थियों को भुगतान किया जाता है। लाभार्थियों के चयन से लेकर मकानों का निर्माण के पूरे चक्र की निगरानी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और आईटी (IT) प्लेटफार्म का उपयोग किया जा रहा है। मकानों के निर्माण के प्रत्येक स्तर की जियो टैगिंग की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का अच्छा निर्माण करने हेतु ग्रामीण राजमिस्त्रीयों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिससे प्रशिक्षित राजमिस्त्रीयो की उपलब्धता को सुलभ बनाया जा सके। राजमिस्त्रीयों को प्रशिक्षण देने से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे PMAY-G मकानो का निर्माण किया जा सकेगा और साथ ही देश में कुशल श्रम बल की उपलब्धता बढ़ेगी। PMAY-G के माध्यम से निर्मित पक्के मकानों में ग्रामीण परिदृश्य को तेजी से बदलने वाली सुविधाएं अर्थात शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, पेयजल की सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। PMAY-G मकान न केवल ग्रामीण परिदृश्य को बदल रहे हैं बल्कि देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन भी ला रहे हैं।

जून 2019 से मई 2020 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां (Achievements achieved during June 2019 to May 2020):

(1) वर्ष 2019-20 में 21.14 लाख मकानों का निर्माण।

(2) अतिरिक्त बजटीय संसाधनों का लाभ उठाने हेतु 20 जनवरी, 2020 को नाबार्ड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

(3) ग्रामीण आवास ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 12,000 लाभार्थियों को वितरण हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank-NHB) को 48.54 करोड जारी किए गए।

(4) 72,592 ग्रामीण राजमिस्त्रीयों को कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित एवं प्रभागीकृत किया जा चुका है।

(5) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण आवासों के निर्माण की अनिच्छा तथा मृत्यु के मामलों में पालन की जाने वाली प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAYG) कब शुरू की गई, और इसका उद्देश्य क्या है?
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) का मुख्य ध्यान किस पर है?
3. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ग्रामीण विकास में कैसे योगदान करता है?
4. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

8. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act – MNREGA): सितंबर 2005 में पारित हुए मनरेगा अधिनियम के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम को देश के 200 अभिज्ञात (Identified) जिलों में 2 फरवरी, 2006 को प्रारंभ किया गया। मनरेगा योजना भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं उनको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण निर्धनों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है। SGRY के चल रहे कार्यक्रमों और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम (NFFWP) को इन जिलों में मनरेगा

के अंतर्गत मिला दिया गया है। मनरेगा के अंतर्गत कमजोर वर्ग की आबादी की आजीविका में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जल संरक्षण कार्यों पर बढ़े हुए खर्चों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

मनरेगा भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने का प्रयास करती है। यह विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी योजना है जो रोजगार की गारंटी देती है और रोजगार नहीं मिलने की दशा में लाभार्थी बेरोजगारी भत्ते का दावा कर सकते हैं। यह योजना ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित होती है, इसमें कोई ठेकेदार सम्मिलित नहीं होता है।

मनरेगा योजना के उद्देश्य (Objectives of MNREGA Scheme):

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क ग्रामीण श्रमिकों को हर साल कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना।
2. योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पास आजीविका का स्रोत है।
3. आजीविका को सुदृढ़ करना और गरीबों की सहायता करना।
4. समाज के कमजोर वर्ग को शामिल करना।
5. भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करना।

मनरेगा योजना लक्ष्य (MNREGA Scheme Target):

(1) मनरेगा का लक्ष्य भारत में ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे कमजोर वर्ग के लोगों को गारंटीयुक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना।

(3) विकेंद्रिकृत विभिन्न गरीबी और आजीविका पहलों के अभिसरण के माध्यम से सहभागिता योजना बनाना।

(4) मजदूरी रोजगार के अवसरों की उत्पत्ति के द्वारा ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में वृद्धि करना।

मनरेगा योजना उपलब्धियां (MNREGA Scheme Achievements):

वर्ष 2006 में योजना की स्थापना के बाद से मनरेगा ने 100 दिनों का गारंटीयुक्त रोजगार प्रदान किया है, इसके परिणामस्वरूप देश में गरीबी से जूझ रहे लोगों को मदद मिली है। योजना की अब तक की कुछ उपलब्धियों का वर्णन निम्नलिखित है:

(1) यह विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजना है और योजना की स्थापना के प्रथम 10 वर्षों में 3.14 लाख करोड रुपए खर्च किए गए थे।

(2) मनरेगा की स्थापना के बाद से भारत में गरीबी के स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई है इसलिए इस कार्यक्रम को विश्व विकास रिपोर्ट द्वारा ग्रामीण विकास का एक अद्भुत उदाहरण कहा जाता है।

(3) मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में कई महिलाओं को आजीविका अर्जन के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने में सहायता की है।

(4) 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार मिला।

(5) मनरेगा योजना में डिमॉनेटाइजेशन और GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) से प्रभावित लोगों को रोजगार देने में सहायता की।

(6) मनरेगा में स्वच्छ पीने का पानी और सभी श्रमिकों की प्राथमिक चिकित्सा जैसी जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती है।

(7) योजना ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान में सहायता की है।

बेरोजगारी भत्ते का भुगतान (Payment of Unemployment Allowance):

यदि पात्र आवेदक को कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे निर्धारित शर्त के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यदि वह व्यक्ति या उसके स्थान पर उसके परिवार का अन्य व्यक्ति आवंटित कार्य के लिए उपस्थित नहीं होता है तो वह आगे से बेरोजगारी भत्ते का हकदार नहीं होगा।

न्यूनतम मजदूरी की गारंटी (Guarantee of Minimum Wages):

इस संबंध में निम्न प्रावधान हैं-

(1) राज्य कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी।

(2) मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने के 2 सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

(3) मजदूरी का एक भाग दैनिक आधार पर नगद दिया जा सकता है।

(4) कार्य आवेदक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर दिया जाएगा। यदि उसके बाहर रोजगार दिया जाता है तो 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।

(5) प्रत्येक कार्य स्थल पर पीने का पानी, छाया, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जाएगी।

(6) यदि कार्य स्थल पर लाये जाने वाले बच्चों की संख्या 5 से अधिक है तो किसी व्यक्ति को बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जाएगी और ऐसे व्यक्ति को अन्य श्रमिकों की तरह किए गए कार्यों का भुगतान किया जाएगा।

(7) कार्यस्थल पर रोजगार के दौरान शारीरिक क्षति होने पर श्रमिक को राज्य सरकार द्वारा निशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी।

स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन (Creation of Fixed Assets):

इस योजना के अंतर्गत प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कार्य किए जा सकेंगे-

(1) जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।

(2) सूखा निवारण, वनरोपण और वृक्ष रोपण।

(3) सिंचाई नहर जिसमें मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य शामिल है।

(4) अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों के भू-स्वामियों को भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों के लिए सिंचाई सुविधाएं।

(5) पारस्परिक जल निकायों का नवीनीकरण जिसमें तालाबों से मिट्टी निकालना भी शामिल है।

(6) भूमि विकास।

(7) बाढ़ नियंत्रण एवं पानी की निकासी सहित कार्यों का संरक्षण।

(8) बारहमासी सड़क संपर्क।

(9) अन्य ऐसे कार्य जिन्हें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से अधिसूचित कर सकती है।

(10) कार्यक्रम में ठेकेदारों की मनाही है।

अधिनियम का क्रियान्वयन (Operation of Act):

इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं-

(1) ग्रामसभा किए जाने वाले कार्य प्रस्तावित करेगी। कार्यों के क्रियान्वयन में पंचायतों की प्रमुख भूमिका रहेगी।

(2) प्रत्येक कार्य के लिए समुदाय के सहयोग से निगरानी एवं सतर्कता समितियों का गठन किया जाएगा।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्रियान्वित करने वाली सभी एजेंसियां अपने कार्य के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होगी।

(4) कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही का ध्यान रखा जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (मनरेगा) केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो ग्रामीण निर्धन लोगों के जीवन को प्रभावित करता है तथा समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। प्रारंभ में यह कार्यक्रम (नरेगा) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2009-10 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कर दिया गया है।

जून 2019 से मई 2020 के दौरान प्राप्त उपलब्धियां (Achievements achieved during June 2019 to May 2020) –

(1) 308.11 करोड श्रमदिवसों का सृजन हुआ।

(2) भूमि संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, आरडीएंडजीआर, पेयजल और स्वच्छता विभाग के साथ तालमेल से कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों के लिए 67% निधियों का उपयोग किया गया और प्राकृतिक संसाधनों प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए 60 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया - जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से स्थानीय समुदाय को संरक्षित करना है।

(3) जल संचयन, बाढ़ से संरक्षण, वनीकरण एवं पौधरोपण, अवसंरचना विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 71.62 लाख का कार्य संपन्न किए गए।

(4) कुल सृजित मजदूरी रोजगार में महिलाओं की 55% भागीदारी।

(5) जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 3,12,195 निर्माण कार्य संपन्न किए गए।

(6) मजदूरी के 99.56% भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए गए।

(7) 3 वर्षों में 2,00,000 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करके उनके कौशल का उन्नयन करने के लिए उन्नति कार्यक्रम शुरू किया गया।

(8) महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मजदूरी दर में संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से कर दिया गया है। मजदूरी दर में औसत राष्ट्रीय वृद्धि ₹ 20 है, जो की 2019-20 में ₹ 182 से बढ़कर ₹ 202 हो गई है।

9. सांसद आदर्श ग्राम योजना (Sansad Adarsh Gram Yojana-SAGY): लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत मार्च 2019 तक तीन आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें से 1 ग्राम को 2016 तक विकसित किया जाना था। इसके उपरांत वर्ष 2024 तक ऐसे पांच आदर्श ग्राम प्रति वर्ष एक का चयन एवं विकास किया जाएगा। महात्मा गांधी के सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित यह योजना राष्ट्रीयभक्ति, राष्ट्रीय गौरव आत्मविश्वास सामुदायिक भावना और विकासशील बुनियादी ढांचे के मूल्यों के पोषण पर सामान जोर देती है। एसएजीवाइ (SAGY) के माध्यम से ग्रामीण भारत की आत्मा को जीवित रखा जा सकेगा और ग्रामीण लोगों को मूलभूत सुविधाएं और अवसर प्रदान कराए जा सकेंगे ताकि वे अपने भाग्य को स्वयं आकार दे सके।

उद्देश्य (Objectives)

(1) ग्राम पंचायतों की पहचान कर उनके समग्र विकास की ओर ले जाने वाली प्रक्रियाओं को गति प्रदान करना।

(2) ग्रामीण व्यक्तियों की जीवन की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार करना।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।

(4) आजीविका के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता को कम करना।

(6) उन्नत मानव विकास करना।

(7) वृहद सामाजिक लामबंदी।

(8) समृद्ध सामाजिक पूंजी।

सांसद आदर्श ग्राम योजना के सफल संचालन होने पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, पलायन में कमी होगी, बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और मैला ढोने से मुक्ति मिलेगी, समुदाय के सभी वर्गों के लिए स्वीकारी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विकास होगा, गांव में शांति और सामंजस्य स्थापित होगा अर्थात यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

10. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना (Shyama Prasad Mukherjee Rurban Scheme-SPMRM):** देश के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े हिस्से, अकेले बस्तियां नहीं है बल्कि बस्तियों के समूह का हिस्सा है, जो एक दूसरे के नजदीक है। यह क्लस्टर, सामान्यतः विकास की संभावनाओं को बताते हैं, आर्थिक चालक है और स्थानीय एवं प्रतिस्पर्धी लाभ प्राप्त करते हैं। एक बार विकसित होने के बाद इन समूह को 'रुर्बन' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए इसका संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी 'रुर्बन' मिशन (SPMRM) योजना का प्रारंभ किया। योजना का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और सुनियोजित 'रूर्बन' क्लस्टर बनाना है। योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 300 रूर्बन क्लस्टर का विकास करना है। योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना, समता और समावेशन पर जोर देते हुए, ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए, गांवों के कलेक्टर को 'रुर्बन' के रूप में विकसित करना है।

11. **महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना (Mahatma Gandhi Jan Bhagidari Vikas Yojana):** महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया। योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन व सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है। उक्त योजना का नाम परिवर्तित करके वर्ष 2014-15 में गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना किया गया। दिनांक 6 फरवरी, 2020 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वी जयंती वर्ष के उपलक्ष में गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी जनभागीदारी विकास योजना किया गया है।

12. **मिशन अंत्योदय (Mission Antyodaya):** इस योजना को वर्ष 2017-18 में प्रारंभ किया गया। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के मंत्रालय या विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का अधिकतम उपयोग और प्रबंधन करना है। मिशन अंत्योदय योजना का महत्वपूर्ण पहलू देश भर की ग्राम पंचायतों में वार्षिक सर्वेक्षण है।

13. **स्व-विवेक जिला विकास योजना (Self Conscience District Development Plan):** स्व-विवेक जिला विकास योजना का प्रारंभ वर्ष 2005-06 में किया गया। यह राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना है। यह योजना केवल राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जाती है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकता और उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य को स्वीकृत कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे स्थानीय समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह योजना ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण योजना है। योजना के अंतर्गत जिला कलेक्टर के स्तर पर स्व- विवेक से निर्णय लिए जाते हैं एवं ग्रामीण विकास को गति प्रदान की जाती है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. मनरेगा ग्रामीण रोजगार को कैसे सुधारने का लक्ष्य रखता है?
3. मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों का रोजगार गारंटी के रूप में दिया जाता है?
4. मनरेगा के तहत किस प्रकार के कार्य ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को सुधारने के लिए किए जाते है?

8.3 सारांश (Conclusion)

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा संचालित अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान समस्याओं को दूर किया जा रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था से आधारभूत संरचना का विकास करके जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के निर्माण, ग्रामीणों को शिक्षित करने, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, फसल का उचित मूल्य दिलाने इत्यादि कार्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा रहा है। परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई है।

चलते चलते देश में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कमी नहीं है। इन कार्यक्रमों से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक बदलाव भी आए हैं। ग्रामीण युवाओं और महिलाओं की जिंदगी बदली है। फिर भी योजनाओं के क्रियान्वयन में और गंभीरता की दरकार है, ताकि योजनाओं का लाभ उन 100 फ़ीसदी लोगों को मिल सके जो इनके केंद्र में है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ग्रामीण विकास के सपने को पूरा कर सकती है तथा इन कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है और देश का विकास किया जा सकता है।

8.4 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. छात्र ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रमुख नीतियों और उद्देश्यों को समझेंगे।
2. छात्र केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन और पंचायती राज की भूमिका को जान सकेंगे।
3. छात्र ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक, आर्थिक प्रभाव जैसे रोजगार, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढाँचे के सुधार का आंकलन करेंगे।
4. छात्र योजनाओं की चुनौतियों, जैसे वित्तीय संकट और प्रशासनिक समस्याओं का मूल्यांकन सुझा सकेंगे।

8.5 शब्दकोष (Glossary)

1. सम्पूर्ण ग्रामीण विकास (Integrated Rural Development) -: ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी ढाँचे का समग्र विकास करना।
2. स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups - SHGs) -: ग्रामीण महिलाओं और गरीबों के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया संगठन।
3. पंचायती राज संस्थाएँ (Panchayati Raj Institutions - PRIs) -: ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएँ, जो गाँव के स्तर पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती हैं।
4. सूक्ष्म वित्त (Microfinance) -: ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को छोटे-छोटे ऋण प्रदान करने की प्रणाली।
5. ग्राम सभा (Gram Sabha) -: गाँव स्तर पर स्थानीय नागरिकों की एक सभा।

8.6 स्वपरख प्रश्न (Self – Test Questions)

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम मनरेगा के उद्देश्य एवं उपलब्धियों का विवेचन कीजिए।
   Explain the objectives and achievements of Mahatma Gandhi National Rural Employment Act (MGNREGA).
2. ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए।
   Explain new Rural Development Programmes.
3. राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व्याख्या कीजिए।
   Explain the National Rural Employment Guarantee program in Rajasthan.
4. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
   Critically explain the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA).

8.7 संदर्भ एवं ग्रन्थसूची (References & Bibliography)

1. "ग्रामीण कार्यक्रम", प्रकाशक: किताब महल, नई दिल्ली, खंड: 1, वर्ष: 2018
2. "भारत ग्रामीण विकास योजनाएं" , प्रकाशक: प्रकाशन संस्थान, जयपुर, वर्ष: 2015
3. "ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन", प्रकाशक: रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, वर्ष: 2012
4. "ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन", प्रकाशक: कॉन्सेप्ट पब्लिकेशन्स कम्पनी, नई दिल्ली, वर्ष: 2010
5. "ग्रामीण विकास की समस्याएं और समाधान", प्रकाशक: अनमोल पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, वर्ष: 2016
6. "ग्रामीण विकास कार्यक्रम: एक विश्लेषण", प्रकाशक: राज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, वर्ष: 2014
7. "भारत में ग्रामीण विकास", प्रकाशक: विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, वर्ष: 2011

8.8 अन्य पठन सामग्री (Other reading material)

- गुप्ता बी. पी., 'सहकारिता के सिद्धांत', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
- मामोरिया, सी.बी.,'भारत में कृषि एवं ग्रामीण साख', किताब महल, इलाहाबाद।
- मांमोरिया राव, रंगनाथ, एल.,'रूलर कोऑपरेटिव', सुल्तान चंद एंड संस, नई दिल्ली।
- उपाध्याय आर. बी. एवं शर्मा ओ.पी., 'सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
- स्वामी एच. आर. तथा गुप्ता बी.पी., 'ग्रामीण विकास एवं सहकारिता', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
- माहेश्वरी एस. आर., 'रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया', नई दिल्ली, सागा पब्लिकेशन।

8.9 वेब संसाधन/लिंक (web resources/links)

- www.rural.nic.in
- www.nrega.nic.in
- www.pmgsy.nic.in
- www.pmayg.nic.in
- www.nsap.nic.in
- www.aajeevika.nic.in

- www.ddugky.nic.in
- www.saanjhi.nic.in
- secyrd@nic.in
- facebook/IndiaRuralDev

इकाई - 9

भारत में जनजातीय कल्याण कार्यक्रम

(Tribal Welfare Programmes in India)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

9.0 उद्देश्य

9.1 प्रस्तावना

9.2 जनजाति और जनजातीय सामुदायिक विकास की अवधारणा

9.3 जनजाति की परिभाषा

9.4 भारत में जनजातियों की विशेषताएं

9.5 भारत में जनजाति कल्याण कार्यक्रम

9.6 राजस्थान में जनजाति कल्याण कार्यक्रम

9.7 सारांश

9.8 अधिगम परिणाम

9.9 शब्दकोष

9.10 स्वपरख प्रश्न

9.11 संदर्भ ग्रन्थसूची

9.12 अन्य पठन सामग्री

9.13 वेब संसाधन/लिंक

9.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को जनजाति और जनजातीय सामुदायिक विकास की अवधारणा, जनजाति का अर्थ, विशेषताएं और भारत एवं राजस्थान में संचालित विभिन्न जनजाति कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी देना है।

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में अनुसूचित जनजातियों को 30 राज्यों संघ/राज्य क्षेत्रों में अधिसूचित किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित व्यक्तिगत जातीय समूह आदि की संख्या 705 है। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी 10.43 करोड़ है। यह कुल जनसंख्या का 8.6% प्रतिशत है। देश की जनजातीय आबादी का 89.97% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में और 10.03% शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। वर्ष 2001 से वर्ष 2011 की तुलना करने पर ज्ञात होता है कि आदिवासियों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कुल जनसंख्या की 17.69% के मुकाबले 23.66% रही अर्थात आदिवासी की दशकीय जनसंख्या में वृद्धि कुल जनसंख्या वृद्धि से अधिक रही। देश में कुल जनसंख्या के लिए लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। जबकि अनुसूचित जनजाति में 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं हैं। सामान्यतः भारत में अनुसूचित जनजाति भौगोलिक दृष्टि से मध्य भारत और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है। भारत में आधी से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी मध्य भारत [मध्य प्रदेश (14.69), छत्तीसगढ़ (7.5%), झारखंड (8.29%), आंध्र प्रदेश (5.7%), महाराष्ट्र (10.08%), उड़ीसा (9.2%), गुजरात (8.55%), राजस्थान (8.66%)] में निवास करती है। अन्य विशिष्ट क्षेत्र उत्तर-पूर्व असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है।

भारत में केवल 7 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की दो तिहाई से अधिक आबादी निवास करती है। देश के 3 राज्यों (दिल्ली एनसीआर, पंजाब और हरियाणा) और 2 केंद्र शासित प्रदेश (पुडुचेरी और चंडीगढ़) में कोई अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है, क्योंकि कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है।

भारत के कुल क्षेत्र के लगभग 15% भाग पर जनजातीय समुदाय रहते हैं। यह समुदाय भिन्न-भिन्न पारिस्थितिकी तथा जलवायु स्थितियों वाले मैदानी, पर्वतीय, जंगली और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवासित जनजातीय समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास की स्थिति अलग-अलग है। जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के बीच तुलना करने पर ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजाति की 50% से अधिक आबादी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में निवास करती है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातियां वाला प्रदेश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 104.3 मिलियन थी इनमें से 93.8 मिलियन ग्रामीण व 10.5 मिलियन शहरी थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या की 8.6 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी।

9.2 जनजाति और जनजातीय सामुदायिक विकास की अवधारणा (Concept of Tribe and Tribal Community Development)

लेटिन भाषा "ट्रिपस" से जनजाति शब्द लिया गया है जिसका तात्पर्य एक तिहाई से है। उसके बाद भारत विश्व में जनजातीय आबादी का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। विश्व में जनजातीय आबादी में प्रथम स्थान अफ्रीका का है। भारत में जनजातिय विशेषताएं विश्व की अन्य जनजातियों से अलग है। भारत में जनजातीय जनसंख्या रीति-रिवाजों, परंपराओं और प्रथाओं वाले हैं। यह अलगाव में जीवन व्यतीत करते हैं। भारत में आदिवासी जनजातियां 1000 वर्षों से पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में बिना संचार के रह रही हैं। वर्तमान में यह आवश्यकता है कि जनजातियों को सम्मान के साथ एक सदस्य के रूप में समाज से जोड़ना है। कभी-कभी जनजाति को 'आदिवासी' या 'दलित' भी कहा जाता है।

9.3 जनजाति की परिभाषा (Definition of Tribal

जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, एक सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह और व्यवसाय के बारे में कुछ खास नियमों का पालन करते हैं। **गिलिन और गिलिन** के अनुसार, "जनजाति उन विभिन्न समूहों से बनने वाला एक बड़ा समुदाय है जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता है, एक सामान्य भाषा का प्रयोग करता है तथा जिसकी एक सामान्य संस्कृति होती है। **ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा के अनुसार** "एक जनजाति विकास के एक आदिम या बर्बर चरण में लोगों का एक समूह है जो एक प्रमुख के अधिकार को स्वीकार करता है और आमतौर पर खुद को एक सामान्य पूर्वज के रूप में मानता है"। **लुसी मैयर** जनजाति को "एक सामान्य संस्कृति के साथ आबादी का एक स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन" के रूप में परिभाषित करता है। जबकि **डी एन मजूमदार** जनजाति को "प्रादेशिक संबद्धता के साथ एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित करते हैं, जो आदिवासी अधिकारियों द्वारा वंशानुगत या अन्यथा शासित कार्यों की कोई विशेषज्ञता नहीं है, जो अन्य जनजातियों या जातियों के साथ सामाजिक दूरी को पहचानने वाली भाषा या बोली में एकजुट है"।

9.4 भारत में जनजातियों की विशेषताएँ (Characteristis of Tribles in India)

भारत में जनजातियों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

(1) जनजातियों का भौगोलिक एवं सामाजिक क्षेत्र निश्चित होता है।

(2) आदिवासी समुदाय की प्रमुख विशेषता सांस्कृतिक एकरूपता है।

(3) यह एक एकीकृत सामाजिक संगठन है जो प्राथमिक रूप से रक्त संबंधों पर आधारित है।

(4) नातेदारी जनजातियों के बीच सामाजिक बंधन का साधन है।

(5) यह पहाड़ी या वन क्षेत्र में निवास करती है।

(6) जनजातियों में जटिल एवं औपचारिक संगठन का अभाव पाया जाता है।

(7) जनजातीय समुदाय का जीवन का आनंद लेने की दिशा में एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है ।

(8) जनजातियों का अपना एक विशेष नाम होता है, जिसके आधार पर उनकी पहचान की जाती है । उदाहरण के लिए संथाल, मुंडा इत्यादि ।

(9) प्रत्येक जनजाति की अपनी अलग भाषा होती है। जिसके माध्यम से जनजाति के सभी लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा जनजाति के लोगों को आपस में जोड़कर रखती है।

(10) जनजाति समुदाय में अन्तर्विवाही प्रथा प्रचलित है अर्थात एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं। जनजाति से बाहर विवाह संबंध स्थापित करने पर विवाह करने वाले व्यक्ति को उनकी पंचायत द्वारा दंडित करने का प्रावधान है।

(11) जनजाति समुदाय आत्मनिर्भर है। जनजातियां आर्थिक और सामाजिक रुप से बाहरी समूहों पर निर्भर नहीं होते है।

भारत में जनजातीय लोग निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में रहते हैं:

1. हिमालयी क्षेत्र जिसमें नागालैंड, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश की पहाड़ियां सम्मिलित हैं।
2. मध्य भारत जिसमें उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सम्मिलित हैं।
3. पश्चिमी भारत क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली सम्मिलित हैं।
4. भारत के द्रविड़ क्षेत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र-प्रदेश, केरल सम्मिलित हैं।
5. अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीप।

9.5 भारत में जनजाति कल्याण कार्यक्रम (Tribal Welfare Programmes in India)

1. **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School -EMRS):** एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कार्यक्रम का प्रारंभ वर्ष 1997-98 में किया गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जनजाति के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करना और उन्हें उच्च व्यवसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाने और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। विद्यालय छात्रों को अकादमी शिक्षा के साथ-साथ सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। कार्यक्रम के तहत छात्रों के लिए प्रत्येक विद्यालय में कक्षा छठी से बारहवीं तक के लिए 480 छात्रों की क्षमता है। स्कूलों के निर्माण और राज्य सरकारों के खर्चों के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान दिया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों के पास वर्ष 2022 तक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होगा। एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय के नजदीक होंगे। एकलव्य विद्यालय में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएं होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 564 ऐसे उप-जिले हैं जिनमें से 102 उप-जिलों में EMRS है। वर्ष 2022 तक 462 नए विद्यालय खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है।
2. **अनुसूचित जनजाति के बालक-बालिकाओं हेतु छात्रावास (Girls/Boys Hostels for STs)**: बालिका छात्रावास योजना का प्रारंभ तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत छात्रावासों की निर्माण लागत का 50% केंद्रीय सहायता के रूप में राज्यों को प्रदान किया जाता है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में निर्माण लागत का 100%

केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1989-90 से जनजाति बालिका छात्रावासों के आधार पर जनजाति लड़कों के लिए छात्रावासों की स्कीम शुरू की गई।

3. **जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालय (Ashram Schools in TSP Area):** जनजाति उपयोजना क्षेत्र में आश्रम विद्यालय योजना का प्रारंभ वर्ष 1990-91 में किया गया। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का उद्देश्य जनजाति उपयोजना क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए आश्रम विद्यालय स्थापित करना है। योजना के अंतर्गत सहायता राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 50% तथा 100% क्रमश के आधार पर प्रदान की जाती है।
4. **जनजाति क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण** (Vocational Training in TSP Area): जनजाति क्षेत्रों में व्यवसायिक प्रशिक्षण का कार्यक्रम वर्ष 1992-93 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाती है तथा इन प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से जनजाति युवकों में कौशल का विकास किया जाता है। कार्यक्रम का उद्देश्य जनजाति युवकों में कौशल का विकास करना है ताकि वह रोजगार प्राप्त कर सकें।
5. **निम्न साक्षरता क्षेत्रों में बालिका शिक्षा (Education for Girls in Low Literacy Pockets):** जनजाति बालिकाओं की सक्षरता को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से वर्ष 1993-94 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 8 राज्यों के 48 चयनित जिलों में किया गया। इन जिलों में जनजाति महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत 2% से भी निम्न था। वर्ष 1998 में इस कार्यक्रम में संशोधन किया गया तथा वर्तमान में इसके अंतर्गत 14 राज्यों के 134 जिलों को शामिल किया गया जहां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता की दर 10% से भी नीचे है। कार्यक्रम के तहत पहली से पांचवी कक्षा तक की बालिकाओं के लिए आवासीय शैक्षिक कॉम्पलेक्स की स्थापना का प्रावधान है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संगठनों एवं राज्य सरकारों /केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किया जा रहा है।
6. **भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ - ट्राईफैड (Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India – TRIFED):** भारत सरकार ने वर्ष 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफैड) की स्थापना की। ट्राईफैड के प्रमुख उद्देश्य हैं - अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को उनकी गौण वन उपज एवं अधिशेष कृषि उपज के लिए वितरण सहायता प्रदान करना ताकि उन्हें लाभकारी कीमत मिल सके तथा निजी व्यापारियों एवं मध्यस्थों के शोषण से बचाया जा सके। ट्राईफैड राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सहकारी संस्था है।
7. **ग्रामीण अन्न बैंक योजना (Village Gram Bank Scheme):** ग्रामीण अन्न बैंक योजना का प्रारंभ 1996-97 में किया गया। योजना को केंद्र क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया गया है। योजना के अंतर्गत गांवों में ''अन्न बैंक'' की योजना प्रारंभ की गई। यह योजना प्रायोगिक आधार पर कुछ चुने हुए क्षेत्रों में शुरू की गई। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जनजाति के बच्चों में पोषण के स्तर में गिरावट को रोकने तथा कुपोषण से बचाव करना है ताकि जनजाति क्षेत्रों में कुपोषण के कारण बच्चों की मृत्यु को रोका जा सके। भारतीय जनजाति विपणन विकास संघ (ट्राईफैड) के माध्यम से जनजातीय मामलों का मंत्रालय ग्रामीण अन्न बैंक योजना के लिए कोष उपलब्ध कराता है।
8. **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (National Scheduled Tribes Finance Development Co-operation**): अप्रैल 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम की स्थापना की गई। यह एक सरकारी उपक्रम है जिसकी अधिकृत पूंजी 534.10 करोड रुपए है। यह निगम अनुसूचित जनजाति के लोगों को 10 लाख रुपये प्रति इकाई तक की लागत वाली आय सृजित करने वाली स्कीमों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए अनुदान देता है। इसके

अलावा लक्षित समूह द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों के संबंध में पश्चगामी एवं अग्रगामी संयोजन स्थापित करता है। जनजाति परिवारों के वह सदस्य जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय निर्धनता रेखा की सीमा के लिए निर्धारित आय के दुगुने से अधिक नहीं हो वह कृषि एवं संबंधित गतिविधियों, निर्माण एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित क्रिया कलापों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं।

9. **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (Adiwasi Mahila Sashaktikaran Yojna)**: वर्ष 2002-03 में एक नई योजना शुरू की गई जिसका नाम आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना था। योजना के अंतर्गत लघु आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुसूचित जनजाति कि उन महिलाओं को सहायता दी जाती है जो निर्धनता रेखा से नीचे हैं, ताकि वे अपनी आय में वृद्धि कर सके।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अनुसूचित जनजातियों को क्या अधिकार प्राप्त हैं?
2. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) का उद्देश्य क्या है?
3. जनजातीय उपयोजना (TSP) का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है?
4. वंचित जनजाति समूह (PVTG) को किस प्रकार की विशेष सहायता प्रदान की जाती है?
5. आदिवासी छात्रवृति योजना के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है?

9.6 राजस्थान में जनजाति कल्याण कार्यक्रम (Tribal Welfare Programme in Rajasthan)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 92.38 लाख जनजाति के लोग निवास करते थे। यह कुल जनसंख्या का 13.5% था। राज्य में बावरिया, भील, मीणा, डामोर, गरासिया व सहरिया आदि जनजाति के लोग निवास करते हैं।

जनजाति क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं (Socio-Economic Characteristics of Tribal Areas)-

जनजाति क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

(1) जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर,
(2) भू जोतों का छोटा आकार,
(3) निम्न साक्षरता दर,
(4) अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं,
(5) परम्परागत कृषि विधियां,
(6) अत्यधिक ऋणग्रस्तता,
(7) जानवरों की खराब नस्लें,
(8) कृषि द्वारा जीवन निर्वाह,
(9) बाजार सुविधाओं की अपर्याप्तता,
(10) सूखा संभाव्यता,
(11) बेरोजगारी तथा अर्द्ध बेरोजगारी,
(12) कौशलता का अभाव तथा
(13) यातायात एवं संदेश वाहन के साधनों की अपर्याप्तता।

उद्देश्य (Objectives):

राज्य में जनजाति विकास हेतु अपनाई गई व्यूह रचना के माध्यम से निम्नांकित उद्देश्य की पूर्ति की जा सकेगी-

(1) निर्धनता एवं बेरोजगारी को कम करना,

(2) जनजाति क्षेत्रों के निवासियों के जीवन में सुधार करना,
(3) आय एवं संपत्ति की विषमता को कम करना,
(4) विकास हेतु आधारभूत ढांचे का विकास करना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जनजाति कल्याण हेतु एक विशाल धनराशि दी गई है।

आदिवासी कल्याण के प्रमुख कार्यक्रम (Major Programmes of Tribal Welfare):

वर्तमान में राजस्थान में आदिवासी अथवा जनजाति कल्याण के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं-

(1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र (Tribal Sub-Plan Area)
(2) परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (Modified Area Development Approach-MADA)
(3) सहरिया विकास कार्यक्रम (Saharia Development Programme-SDP)
(4) बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या विकास कार्यक्रम (Scattered Tribal Population Development Programme)
(5) राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के जनजाति खिलाड़ियों का सम्मान/प्रोत्साहन (Respect/Encouragement of Tribal players of National / International Level)
(6) सहरिया बंगला निर्माण (Sahariya Bangala Nirmaan)
(7) जनजाति मेलों में खेलों का आयोजन (Organizing Sports in Tribal Fairs)
(8) जनजाति छात्रों को शोध छात्रवृत्ति (Research Fellowship to Tribal Students)
(9) कौशल विकास प्रशिक्षण (Skill Development Training)
(10) मॉडल पब्लिक स्कूल का संचालन (Model Public School)
(11) जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास (Development of Sports Facilities at District Level)
(12) प्रकाशन सहायता योजना **(**Publication Support Scheme)
(13) सहरिया छात्रों को सरकारी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी हेतु कोचिंग करवाना (Coaching of Sahariya students for preparation of government recruitment competition exam)
(14) आश्रय छात्रावासों का संचालन (Operation of Shelter Hostels)
(15) स्वास्थ्यकर्मी योजना / क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (Health Worker Scheme / Tuberculosis Control Program)

1. जनजातीय उपयोजना क्षेत्र (Tribal Sub-Plan Area): जनजाति उपयोजना क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75 में शुरू किया गया था। राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिलों में जनजातियों का संकेन्द्रण है। यह जनजाति उपयोजना के नाम से जाना जाता है। उपयोजना में बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर जिले की सात पंचायत समितियां, चित्तौड़गढ़ की दो पंचायत समितियां तथा सिरोही जिले की एक पंचायत समिति सम्मिलित है। उपयोजना में 66.40% जनजाति के लोग निवास करते हैं। इसमें 4409 गांव तथा 23 पंचायत समितियां हैं।

जनजाति उपयोजना के माध्यम से संबंधित जनजाति के क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने, जनजातियों एवं इनके क्षेत्र के विकास की संभावनाओं का पता लगाया जाता है जिससे इस जाति के लोगों को न्याय एवं समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। कार्यक्रम में जनजाति के व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था जाती है। कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के साधन प्राप्त किए जाते हैं तथा राज्य सरकार अपनी योजना से कोष प्रदान करती है।

2. **परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण** (Modified Area Development Approach - MADA): परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (MADA) कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 13 जिलों (अलवर, धौलपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झालावाड़, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक तथा जयपुर) के 2939 गांवों में 44 समूहों के जनजाति के लोग सम्मिलित है। इस क्षेत्र जनजातियों के 10.33 लाख लोग निवास करते हैं जो जनजातियों की कुल जनसंख्या का 24.7% है। इस कार्यक्रम के लिए विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त होती है। इसमें वैयक्तिक लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को शामिल किया गया है। कार्यक्रम में शैक्षणिक विकास पर भी ध्यान दिया गया है। सातवीं योजना में इस समुदाय के विकास हेतु 43.47 लाख रुपए का आवंटन किया गया था। यह प्रावधान विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत किया गया। इस योजना काल में इस कार्यक्रम पर 27.43 लाख रूपये व्यय हुए जोकि आवंटित राशि का 63% था। कुल व्यय की गई राशि का 50.92% लघु सिंचाई योजनाओं पर किया गया जिसमें डीजल पंप सेटों तथा कुओं को गहरा करने जैसे कार्य प्रमुख हैं। दूसरी प्राथमिकता ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए अनुदान राशि वितरित की गई जो राशि का 13.48% थी।
3. **सहरिया विकास कार्यक्रम** (Saharia Development Programme - SDP): यह कार्यक्रम राजस्थान की सबसे अधिक पिछड़ी हुई सहरिया जनजाति के विकास के लिए शुरू किया गया है। सहरिया विकास कार्यक्रम 1977-78 से प्रारंभ किया गया था। यह जनजाति बारां जिले की शाहाबाद तथा किशनगंज पंचायत समितियों में पाई जाती है। 435 गांव में फैले 50 हजार लोग जनजाति के अंतर्गत आते हैं। आदिवासी जनजाति का 0.81 प्रतिशत भाग इन क्षेत्रों में बसता है।
4. **बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या विकास कार्यक्रम** (Scattered Tribal Population Development Programme): बिखरी हुई जनजाति जनसंख्या विकास कार्यक्रम 1979 से प्रारंभ किया गया था। यह जनसंख्या 28 जिलों में निवास करती है तथा राज्य की जनजाति आबादी का 29.85 प्रतिशत है। विभिन्न जिलों में इनकी संख्या 14.3 लाख आंकी गई है। कार्यक्रम का संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, छात्रावास निशुल्क पोशाकें, पुस्तकें, छात्रवृत्तियां, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि कार्य शामिल किए गए हैं।
5. **राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के जनजाति खिलाड़ियों का सम्मान/प्रोत्साहन (Respect/Encouragement of Tribal Players of National/International Level):** राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर के जनजाति खिलाड़ियों का सम्मान/प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 1997-98 में किया गया था। योजना के अंतर्गत समस्त वित्त पोषित राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के जनजाति खिलाड़ियों का सम्मान करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना है। राज्य के प्रतिभाशाली जनजाति खिलाड़ियों को योजना के माध्यम से प्रोत्साहन एवं सम्मान दिया जाता है ताकि राज्य एवं देश में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का विकास हो सके।
6. **सहरिया बंगला निर्माण (Sahariya Bangala Nirmaan):** सहरिया बंगला निर्माण कार्यक्रम का प्रारंभ 23 मार्च, 2018 को जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा किया गया। योजना के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था में योगदान केंद्र व राज्य सरकार द्वारा बराबर किया जाता है अर्थात 50% राज्य सरकार द्वारा एवं 50% केंद्र सरकार द्वारा। योजना के अंतर्गत शहर या गांव में उनके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सहरिया बस्ती में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाता है। सामान्यत यह देखा जाता है कि सहरिया परिवार गरीब होने के कारण से उनके सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु होटल या लॉज का खर्चा वहन नहीं कर पाते हैं। सहरिया परिवार सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन होटल या लॉज में कर सके, इस कारण से

सहरिया बंगला का निर्माण कराया जाता है। सहरिया जनजाति के लोग अपने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन सहरिया बंगला के माध्यम से कर रहे हैं।

7. **जनजाति मेलों में खेलों का आयोजन (Organizing Sports in Tribal Fairs):** जनजाति के परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में जनजाति मेलों में खेलों का आयोजन योजना का प्रारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था में योगदान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है अर्थात यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। जनजाति के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेला स्तर पर पारंपरिक खेलों का आयोजन मेला धाम पर किया जाता है। प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों जैसे एथलेटिक व तीरंदाजी, रस्साकशी (पुरुष व महिला वर्ग), सितोलिया (केवल पुरुष वर्ग) एवं मटका दौड़ (केवल महिला वर्ग) प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाता है।

8. **जनजाति छात्रों को शोध छात्रवृत्ति (Research Fellowship to Tribal Students):** जनजाति छात्रों को शोध छात्रवृत्ति योजना का प्रारंभ अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया की जनजाति समुदाय के अभ्यार्थियों को विद्या वाचस्पति उपाधि (Ph.D.) प्राप्त करने के लिए शोध छात्रवृत्ति देने हेतु किया गया। यह योजना राज्य के बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, बारां, राजसमंद एवं प्रतापगढ़ जिलों में लागू है। अनुसूचित क्षेत्र एवं सहरिया की जनजाति समुदाय के छात्रों को विद्या वाचस्पति उपाधि (Ph.D.) प्राप्त करने के लिए शोध छात्रवृत्ति रु 15,000 प्रति माह की दर से त्रैमासिक भुगतान 3 वर्ष के लिए ₹ 5,40,000 किए किया जाता है। स्टेशनरी एवं अन्य आकस्मिक व्यय के लिए ₹ 40,000 का भुगतान दो सामान किस्तों में किया जाता है। इस प्रकार योजना के अंतर्गत अभ्यार्थियों को कुल ₹ 5,80,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

9. **कौशल विकास प्रशिक्षण (Skill Development Training):** जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का प्रारंभ वर्ष 2015-16 में किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त व्यवस्था में योगदान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है अर्थात यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन कर अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के युवक-युवतियों को कौशल विकास पहल योजना के अंतर्गत समस्त जिलों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लाभान्वित किया जाता है। राज्य के समस्त जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर जनजाति युवक-युवतियों को रोजगारपरक लघु कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। जनजाति के युवक-युवतियों को विभिन्न पाठ्यक्रम यथा कंप्यूटर हार्डवेयर, सिक्योरिटी गारमेंट, मेकिंग ऑटोमोबाइल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, फैशन डिजाइनिंग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, मेडिकल एंड नर्सिंग इत्यादि में प्रशिक्षण दिया जा कर 50% लाभार्थियों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

10. **मॉडल पब्लिक स्कूल का संचालन (Operation of Model Public School):** मॉडल पब्लिक स्कूल का संचालन योजना का प्रारंभ 2011 में किया गया। योजना के अंतर्गत वित्तीय व्यवस्था में योगदान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है अर्थात यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। राजस्थान में जनजाति छात्र-छात्राओं के निवास स्थान के नजदीक विद्यालयों का अभाव है एवं जनजाति छात्र-छात्राओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे निवास स्थान से दूर स्थित विद्यालयों में अध्ययन करने नहीं जा पाते हैं। अतः छात्र-छात्राएं अध्ययन जारी रख सके इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मॉडल पब्लिक स्कूल की स्थापना उनके निवास स्थान के नजदीक की जाती है जिससे जनजाति छात्र-छात्राएं अध्ययन कार्य जारी रख सकें।

मॉडल पब्लिक स्कूलों में ऐसे छात्र छात्राओं को लाभान्वित किया जाता है जो हैं निम्न शर्तों की पूर्ति करते हैं:

1. ऐसे क्षेत्र जहां जनजाति के छात्र-छात्राएं निवास करते है और उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर तक उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है।

2. माता पिता अभिभावक आयकरदाता नही होना चाहिए।
3. परिवार के पास 400 वर्ग गज से अधिक शहरी भूमि नही होनी चाहिए।
4. कृषि भूमि 15 बीघा से अधिक नही होनी चाहिए।
5. नये सभी आवेदनकर्ताओं को प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जावेगा।
6. जनजाति छात्र-छात्राएं जिस क्षेत्र में निवास करते है उसी क्षेत्र के विद्यालय में उन्हें प्रवेश देने में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि इसके उपरांत विद्यालय में स्थान रिक्त होता है तो अन्य क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।
7. राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

11. जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास (Development of Sports Facilities at District Level): जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास योजना का प्रारंभ वर्ष 2017-18 में किया गया। योजना में वित्त व्यवस्था में योगदान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है अर्थात यह राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र की जनजाति वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए जिला स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास के लिए खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं तथा प्रशिक्षण एवं राज्य तथा जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को समुचित अवसर उपलब्ध हो सके। यह योजना राज्य की बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में संचालित की जा रही है। इस योजना में लाभार्थी को खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं।

12. प्रकाशन सहायता योजना (Publication Support Scheme): जनजाति विषय पर शोध एवं साहित्य रचना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में प्रकाशन सहायता योजना का शुभारंभ किया गया। योजना के अंतर्गत जनजाति विषय पर शोध एवं साहित्य रचना करने वाले लेखकों को प्रकाशन सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत जनजाति से संबंधित ग्रंथ/पांडुलिपि/मौलिक कृति के प्रतिष्ठित प्रकाशन केंद्र से प्रकाशित किए जाने के लिए लाभार्थी को रु 6000 से लेकर अधिकतम रु 20,000 दिए जाते हैं। प्रकाशन सहायता योजना के लिए अनुसूचित जनजाति के कलाकार एवं विद्यार्थी योग्य हैं। अनुसूचित जनजाति से संबंधित साहित्य/पांडुलिपि/शोध कार्य लेखक की मौलिक रचनाएं होनी चाहिए। योजना के माध्यम से जनजाति विषय पर शोध को बढ़ावा मिलेगा एवं जनजाति साहित्य रचना को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

13. सहरिया छात्रों को सरकारी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी हेतु कोचिंग करवाना (Coaching of Sahariya students for preparation of government recruitment competition exam): सहरिया परिवार के छात्र-छात्राएं सरकारी सेवाओं में अपनी भागीदारी निभा सके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वर्ष 2017 में इस योजना का प्रारंभ किया गया। योजना के माध्यम से सहरिया छात्र-छात्राओं को सरकारी भर्ती की परीक्षा की तैयारी के लिए कार्यालय द्वारा स्वच्छ के माध्यम से निशुल्क कोचिंग करवाई जाती है तथा उनके रहने और खाने की भी निशुल्क व्यवस्था की जाती है। यह योजना बारां जिले में संचालित की जा रही है। योजना के लिए वित्तीय व्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है अर्थात यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है।

14. आश्रय छात्रावासों का संचालन (Operation of Shelter Hostels): जनजाति छात्र-छात्राओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, जिसके कारण जनजाति छात्र-छात्राओं शिक्षा ग्रहण करने के लिए निवास स्थान से दूर स्थित विद्यालय जाने में समर्थ नहीं होते हैं और वे अध्ययन जारी नहीं रख पाते हैं। अतः ऐसे छात्र-छात्राएं अपना अध्ययन कार्य जारी रख सकें, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा आश्रम छात्रावासों का संचालन किया जाता है। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 1981 में किया गया। योजना में वित्त

व्यवस्था का योगदान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है अर्थात यह राज्य द्वारा वित्त पोषित योजना है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी को भोजन एवं नाश्ता, स्कूल यूनिफार्म, जूते, मोजे, तौलिया एवं गर्म जर्सी आदि, बालों में लगाने का तेल, नहाने व कपडे धोने का साबुन, बाल कटिंग, चद्दर एवं समाचार पत्र उपलब्ध करवाई जाती है।

आश्रम छात्रावासों का संचालन के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है:

1. ऐसे क्षेत्र जहां जनजाति के छात्र-छात्राएं निवास करते है और उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर तक उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं है।
2. माता पिता अभिभावक आयकरदाता नही होना चाहिए।
3. परिवार के पास 400 वर्ग गज से अधिक शहरी भूमि नही होनी चाहिए।
4. कृषि भूमि 15 बीघा से अधिक नही होनी चाहिए।
5. नये सभी आवेदनकर्ताओं को प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जावेगा।
6. जनजाति छात्र-छात्राएं जिस क्षेत्र में निवास करते है, उसी क्षेत्र के विद्यालय में उन्हें प्रवेश देने में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि इसके उपरांत विद्यालय में स्थान रिक्त होता है तो अन्य क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को भी प्रवेश दिया जा सकेगा।
7. राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।

15. **स्वास्थ्यकर्मी योजना / क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (Health Worker Scheme / Tuberculosis Control Program):** जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा इस योजना का प्रारंभ वर्ष 1996 में किया गया। योजना में वित्त व्यवस्था का योगदान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है अर्थात यह राज्य द्वारा वित्त पोषित योजना है। यह योजना राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, बारां एवं प्रतापगढ़ जिलों में संचालित की जा रही है। देश में क्षय रोग एक गंभीर बीमारी है। इस बीमारी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु शहरों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसका कारण स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूरस्थ गांवों में मरीजों से संपर्क नहीं होना एवं अधिकांश रोगियों द्वारा पूर्ण अवधि तक चिकित्सा नहीं दे पाना है। अतः स्वच्छ परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्यकर्मी द्वारा रोगों की पहचान कर उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इसके साथ ही स्वास्थ्यकर्मी गर्भवती महिलाओं से लगातार संपर्क कर उनका रिकॉर्ड एकत्रित करते हैं तथा छोटे परिवार के महत्व को समझाते हुए परिवार कल्याण के साधन उपलब्ध करवाना, नसबंदी के लिए प्रेरित करना, गर्भवती महिलाओं के टीके लगवाना, आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट उपलब्ध कराना, समय-समय पर जांच करवाते हुए जननी शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुरक्षित प्रसव संसाधन चिकित्सा केंद्र पर करवाना, नवजात शिशु के टीके लगवाना, बाल विवाह, नशा जैसी कुरीतियों के निवारण के लिए जागरूकता पैदा करना तथा समस्त कार्यों की प्रगति प्रतिवेदन संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. राजस्थान में जनजातीय कल्याण योजनाओं की निगरानी कौन रखता है?
2. राजस्थान में आदिवासी छात्रों के लिए कौनसी प्रमुख छात्रवृति योजनाएँ उपलब्ध हैं?
3. राजस्थान में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है?
4. राजस्थान में आदिवासी महिला सशक्तिकरण के लिए कौनसी योजनाएँ चलाई जाती हैं?

9.7 सारांश (Conclusion)

भारत में आदिवासी समुदाय आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं इसका मूल कारण शिक्षा का अभाव है। जनजातियों के मध्य शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा अनेक जनजातीय कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनकी सहायता से जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण, आश्रम स्कूलों का निर्माण,

व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र का गठन इत्यादि कार्य किए गए हैं। जनजाति छात्र-छात्राओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृत्ति योजना का निर्माण किया गया है। शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से कई शैक्षिक योजनाओं को लागू किया गया है फिर भी आदिवासी में शिक्षा का प्रसार आशा के अनुरूप नहीं हो पाया है।

सरकार द्वारा संचालित जनजातीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है। आहार व पोषण जैसे मामलों की जानकारी भी इन कार्यक्रमों के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। बुनियादी और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करने वाली स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों से आदिवासी समुदाय के भीतर स्वास्थ्य परिणाम में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्वास्थ्य शिक्षा और निगरानी कार्यक्रमों को सम्मिलित करने से मौतों में काफी कमी आई है, परंतु आज भी आदिवासी पोषण की दृष्टि से अधिक असुरक्षित हैं।

आदिवासी विकास के लिए एक यथार्थवादी और समग्र दृष्टिकोण परिणाम दे सकता है। सामान्यत आदिवासियों को लाभार्थी माना जाता है और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते हैं अर्थात सरकार द्वारा उन्हें उनके लिए बनाए गए कार्यक्रमों में प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि भविष्य में जनजाति कार्यक्रमों के निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों में आदिवासियों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाए।

हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है परंतु फिर भी एक तिहाई आदिवासी अभी भी पिछड़े हुए हैं। जनजातीय समुदाय के पिछड़े होने का कारण केवल उनका गरीब व अनपढ़ होना ही नहीं है बल्कि इसलिए भी कि उन्हें अवशिष्ट समाज से अवगत कराना और व्यवहार करना है। नौकरशाही कार्यक्रमों का छोटा सा कदम आदिवासी समुदाय की गरीबी, शोषण और पतन को दूर कर सकता है। आदिवासी समुदाय वर्तमान में कई समस्याओं से पीड़ित है जिन पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। जनजाति के लोगों का आर्थिक विकास करना एक कठिन कार्य है क्योंकि इनके पास कृषि योग्य भूमि का अभाव है। भू जोतों का आकार एक हेक्टेयर से भी कम है। परिवहन एवं संचार की जटिलता, सिंचाई व पेयजल की कमी, अशिक्षा, कुपोषण, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास, आर्थिक शोषण, बेरोजगारी, जंगलों से गोंद, लाख आदि पदार्थों पर निर्भरता आदि इनके जीवन की विशेषताएं हैं।

9.8 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. छात्र शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे प्रमुख पहलुओं को समझ सकेंगे।
2. छात्र राजस्थान में योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी की प्रक्रिया को जान सकेंगे।
3. छात्र समझ सकेंगे कि योजनाओं का आदिवासी समुदाय पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है।
4, छात्र वन अधिकार अधिनियम और अन्य नीतियों के बारे में जान सकेंगे और समझ सकेंगे कि ये कैसे आदिवासी अधिकारों की रक्षा करते हैं।

9.9 शब्दकोष (Glossary)

1. आदिवासी (Tribal) :- भारत के पारम्परिक वनवासी और ग्रामीण समुदाय, जिनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, रीति-रिवाज, और सामाजिक व्यवस्था होती है। भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।
2. अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes - ST) :- भारतीय संविधान के अनुसार, वे जनजातीय समूह जो सामाजिक, शैक्षिक, और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण विशेष संरक्षण और आरक्षण के पात्र हैं।
3. वनवासी (Forest Dwellers) :- वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय, जो अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं और पारम्परिक रूप से वनों की देखभाल और संरक्षण में योगदान देते हैं।
4. जनजातीय क्षेत्र (Tribal Area) :- भारत के वे भौगोलिक क्षेत्र जो मुख्य रूप से जनजातीय आबादी से आबाद हैं, इन्हें अनुसूचित क्षेत्र भी कहा जाता है।

5. जनजातीय आजीविका (Tribal Livelihood) :- आदिवासी समुदाय की जीवन शैली और आजीविका के साधन, जो मुख्य रूप से कृषि, वनों से मिलने वाले उत्पाद, हस्तशिल्प और पशुपालन पर आधारित हैं।

9.10 स्वपरख प्रश्न (Self – Test Questions)

1. भारत में जनजातीय कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
   Explain the programs related to Tribal Welfare in India.
2. राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों की विशेषताएं बताते हुए उनके विकास के लिए किए गए कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
   Write the characteristics of the Tribal Areas of Rajasthan and describe efforts made for the development of tribal areas and Tribes Rajasthan.
3. राजस्थान में जनजातीय कल्याण हेतु कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिए।
   Highlight the the major programmes of Tribal Welfare being implemented in Rajasthan.
4. भारत में जनजाति कल्याण पर एक लेख लिखिए।
   Write an essay on Tribal Welfare in India.

9.11 संदर्भ ग्रन्थसूची (References & Bibliography)

1. डॉ. एस. सी. दुबे "आदिवासी समुदायों का सामाजिक आर्थिक विकास", प्रकाशक: ओक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली वर्ष: 2018
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग "भारत में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति और विकास", प्रकाशक: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली वर्ष: 2021
3. भारत में आदिवासी समुदायों के अधिकार और विकास "राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट", प्रकाशक: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली वर्ष: 2021
4. भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय "भारत में जनजातीय कल्याण और विकास: नीतियाँ और कार्यक्रम", प्रकाशक: भारत सरकार, नई दिल्ली वर्ष: 2020

9.12 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- गुप्ता बी. पी., 'सहकारिता के सिद्धांत', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
- मामोरिया, सी.बी.,'भारत में कृषि एवं ग्रामीण साख', किताब महल, इलाहाबाद।
- मांमोरिया राव, रंगनाथ, एल.,'रूलर कोऑपरेटिव', सुल्तान चंद एंड संस, नई दिल्ली।
- उपाध्याय आर. बी. एवं शर्मा ओ.पी., 'सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
- स्वामी एच. आर. तथा गुप्ता बी.पी., 'ग्रामीण विकास एवं सहकारिता', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
- माहेश्वरी एस. आर., 'रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया', नई दिल्ली, सागा पब्लिकेशन।

9.13 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- https://tribal.nic.in/
- www.rural.nic.in
- https://jankalyan.rajasthan.gov.in/#/scheme

इकाई - 10

विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

(Special Areas Development Programmes)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

10.0 उद्देश्य

10.1 प्रस्तावना

10.2 क्षेत्रीय असंतुलन के मुख्य संकेतक

10.3 भारत में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

10.4 राजस्थान में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

10.5 क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने के लिए विकास नीतियां

10.6 क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने में विफलता

10.7 क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने हेतु सुझाव

10.8 सारांश

10.9 अधिगम परिणाम

10.10 शब्दकोष

10.11 स्वपरख प्रश्न

10.12 संदर्भ ग्रन्थसूची

10.13 अन्य पठन सामग्री

10.14 वेब संसाधन/लिंक

10.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को क्षेत्रीय असंतुलन के मुख्य संकेतक, क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने के लिए विकास नीतियां, क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने में विफलता, क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने हेतु सुझाव और भारत एवं राजस्थान में संचालित विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना है।

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रीय विषमताओं के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों का समान से विकास नहीं हो पाया है। भारत में कुछ क्षेत्रों का तेजी से विकास हुआ है, जबकि कुछ क्षेत्रों का विकास धीमी गति से हुआ है इसका मुख्य कारण देश की क्षेत्रीय विविधता है। विकास की असमानता ने देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की हैं, इन समस्याओं के समाधान के लिए देश में क्षेत्रीय आधार पर योजनाएं बनानी चाहिए ताकि संबंधित क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखकर विकास किया जा सके। क्षेत्रीय विविधता को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाए हैं तथा इनके लिए वित्त का प्रावधान भी किया है। भारत के विभिन्न राज्यों में आर्थिक स्थिति से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि राजस्थान कम विकसित राज्य है यहां की भौगोलिक स्थिति प्रतिकूलता के कारण एक और थार का रेगिस्तान है तो दूसरी और वर्षा एवं जल स्रोतों के अभाव में राज्य का आधे से अधिक भाग पिछड़ा हुआ है। इसलिए इन क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, मरू विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अरावली विकास कार्यक्रम,

मेवात प्रादेशिक विकास परियोजना, कन्दरा सुधार कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम आदि प्रमुख हैं।

10.2 क्षेत्रीय असंतुलन के मुख्य संकेतक (Main Indicators of Regional Imbalances)

देश में क्षेत्रीय असंतुलन होने के संकेतको में आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण कारक है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान है। ऐसे कारको या संकेतको पर निम्नलिखित अनुसार परिचर्चा की गई है:

(1) प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) : प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से राज्यों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। देश के कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है जिसके कारण वे राज्य आर्थिक दृष्टि से मजबूत है जबकि कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय कम है जिसके कारण वह राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े है। प्रति व्यक्ति आय राज्य की कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों पर निर्भर करती है। वे राज्य जहां कृषि वृद्धि एवं औद्योगिक विकास होता है वहां प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी। पंजाब एवं हरियाणा राज्यों में सिंचाई सुविधाएं अधिक है तथा उर्वरकों के उच्च स्तरीय प्रयोग के कारण कृषि उत्पादन की उच्च दर प्राप्त की है, फलस्वरुप दोनों ही राज्यों में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है जबकि हरियाणा की सबसे ऊंची। आज भी भारत के विभिन्न राज्यों क्षेत्रीय असमानता विद्यमान है।

(2) निर्धनता रेखा से नीचे जनसंख्या (Population below Poverty Line) : देश के विभिन्न राज्यों की स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि कुछ राज्यों में निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत अधिक है जबकि अन्य राज्यों में कम। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में 8.10 प्रतिशत और बिहार में 33.10 प्रतिशत थी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता 25.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 13.7 प्रतिशत थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों की संख्या या प्रतिशतता में असमानता है जो क्षेत्रीय असंतुलन का निर्माण करता है।

(3) औद्योगिकरण (Industrialization) : देश में विभिन्न राज्यों में औद्योगिकरण की स्थिति भिन्न भिन्न है, जिसके कारण देश में क्षेत्रीय असंतुलन है। देश के विभिन्न राज्यों की औद्योगिकरण की स्थिति का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश और राजस्थान में कुल आय में उद्योगों का भाग बहुत कम है जबकि महाराष्ट्र, बंगाल और उड़ीसा में यह बहुत अधिक है।

(4) शहरीकरण (Urbanization) : सामान्यतः देश में वे राज्य जहां शहरीकरण तेज गति से हुआ है वे राज्य अधिक संपन्न हुए हैं जबकि वे राज्य जहां शहरीकरण कम हुआ है वे राज्य कम संपन्न हुए हैं। देश में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में शहरी जनसंख्या अधिक है जबकि उड़ीसा, नागालैंड, आसाम और हिमाचल प्रदेश में कम है। अतः शहरीकरण क्षेत्रीय असंतुलन का संकेतक है।

(5) विद्युतीकरण (Electrification) : राज्यों के आर्थिक विकास में विद्युतीकरण का महत्वपूर्ण योगदान है। वे राज्य जहां शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है वहां तीव्र गति से विकास होता है जबकि वे राज्य जहां शत-प्रतिशत विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां विकास कम होता है। इस संदर्भ में पंजाब और हरियाणा में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है जबकि असम, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अभी विद्युतीकरण शत-प्रतिशत नहीं हुआ है। अतः विद्युतीकरण क्षेत्रीय संतुलन का निर्माण करता है।

(6) प्रति व्यक्ति कृषि उत्पादन (Agriculture Output Per Capita) : कृषि उत्पादन में तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे राज्य जहां आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है वहां कृषि उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है और वे राज्य जहां प्राचीन विधियों से कृषि कार्य होता है वहां उत्पादन एवं प्रति व्यक्ति आय भी कम होती है जिसके कारण क्षेत्रीय असंतुलन का निर्माण होता है। पंजाब और हरियाणा राज्य के द्वारा कृषि उत्पादन

में वृद्धि की गई है जबकि आसाम, उड़ीसा और नागालैंड जैसे राज्य आज भी प्राचीन तकनीकों को अपनाकर पिछड़ी हुई कृषि में रहते हैं।

(7) राजनीतिक दबाव (Political Pressure) : सामान्यत: यह देखा जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के द्वारा क्षेत्रीय विकास को प्रभावित किया जाता है। अपने क्षेत्र में वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए विकास की दिखावे वाली परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न की जाती है।

(8) यातायात और संचार (Transport and Communication) : देश में क्षेत्रीय असंतुलन यातायात और संचार साधनों के माध्यम से भी होता है। वे राज्य जहां यातायात व संचार के साधन पर्याप्त हैं वहां विकास तेज गति से होता है, जबकि जहां संचार व यातायात के साधन के साधन कम है वहां विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

10.3 भारत में विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Special Areas Development Programmes in India)

1. सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programe - DPAP):

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ 1973-74 में किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ ऐसे क्षेत्रों में किया गया जो भयंकर सूखे की चपेट में थे। 1995 से हनुमंतराव समिति की सिफारिशों के आधार पर इस कार्यक्रम को जल संग्रहण आधार पर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय लोगों का संगठन बनाया जाता है। इन स्थानीय संगठनों का कार्य जल संग्रहण की योजनाएं बनाना, उसको लागू करना और उसका रखरखाव करना है।

उद्देश्य (Objectives):

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

(1) सूखे से कृषि उत्पादन, पशुधन, भूमि की उत्पादकता, जल एवं मानव संसाधनों पर विपरीत प्रभावों को कम करना।

(2) ऐसे गरीब एवं कमजोर वर्ग जो सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं उनका संपूर्ण आर्थिक विकास करना तथा उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार करना।

(3) भूमि के विकास, जल संसाधनों के विकास एवं वनों के विकास के लिए जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर विकास कार्य शुरू करना।

सम्मिलित क्षेत्र (Coverage Area):

वर्तमान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम देश के 16 राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल तथा पश्चिमी बंगाल) के 195 जिलों के 972 खंडों में संचालित किया जा रहा है।

कोषों की व्यवस्था (Funding Pattern):

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के प्रारंभ से 1999 तक केंद्र व राज्य सरकार का वित्त व्यवस्था में योगदान 50:50 के अनुपात में था। 1 अप्रैल, 1999 से कोषों की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया, वर्तमान में इस कार्यक्रम की व्यवस्था में केंद्र सरकार का अंश 75% तथा राज्य सरकार का अंश 25% कर दिया गया है।

2. मरू विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme - DDP) : राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर मरू विकास कार्यक्रम (DDP) 1977-78 में प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम देश के विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। कार्यक्रम को विभिन्न राज्यों के गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक के मरुस्थलीय क्षेत्रों में प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1995 से जल संग्रहण विकास के दिशा निर्देशों के अनुसार जल संग्रहण

दृष्टिकोण के आधार पर संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए कोष सीधे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, जिला परिषदों को जारी किए जाते हैं। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है।

उद्देश्य (Objectives):

मरू विकास कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित है-

(1) मरुस्थल के विस्तार से उत्पन्न प्रभाव को कम करना।

(2) पारिस्थितिकी संतुलन को बनाने के लिए भूमि, जल, वनस्पति क्षेत्र, भूमि तथा उत्पादकता इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, संरक्षण एवं विकास करना।

(3) जल संग्रहण दृष्टिकोण के आधार पर भूमि, जल संसाधन एवं वन विकास से संबंधित विकास कार्यों को लागू करना।

3. **20 सूत्री कार्यक्रम (Twenty Point Program – TPP):** गरीबी हटाओ के तहत इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा वर्ष 1975 में की गई थी। इसके बाद वर्ष 1982, 1986 तथा 2006 में इस कार्यक्रम की पुर्नसंरचना की जा चुकी है। वर्तमान 20 सूत्रीय कार्यक्रम वर्ष 2006 से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है।

उद्देश्य (Objectives):

20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन करना, जीवन स्तर मैं सुधार करना, सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना है। राज्य में भारत सरकार की प्राथमिकता संबंधी 20 सूत्रीय कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण एवं सफल संचालन में संबंधित कार्य संपादित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत गरीबी हटाओ, जनशक्ति, किसान मित्र, श्रमिक कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, शुद्ध पेयजल, जन जन स्वास्थ्य, सबके लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति, जनजाति अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, महिला कल्याण, बाल कल्याण, युवा विकास, बस्ती सुधार, पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण ऊर्जा, पिछड़ा क्षेत्र विकास ई-शासन बिंदु सम्मिलित हैं। भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उक्त कार्यों की मासिक रिपोर्ट का प्रेषण किया जाता है।

4. **सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme - BADP):** सामान्यतः यह देखने में आता है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों का विकास नहीं हो पाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों का विकास न होने का कारण निम्न स्तरीय पहुंच, आधारभूत ढांचे का अभाव, अत्यधिक गरीबी और लोगों के मध्य असुरक्षा की भावना है। इन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1987 सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया। यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की विकास से संबंधित आवश्यकता को पूरा करना और उनके कल्याण के लिए काम करना है। कार्यक्रम के माध्यम से सीमा क्षेत्रों के नजदीक निवास करने वाले लोगों को भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई गई सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक निर्माण कार्य करना है। यह कार्यक्रम 17 राज्यों में 111 सीमावर्ती जिलों के 394 सीमा खंडों को संबंधित करता है जिसमें उत्तर पूर्व के 55 जिलों में 167 सीमा खंड सम्मिलित है।

सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (BADP) के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, स्कूलों का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, सामुदायिक केंद्रों, कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख कार्य किए जाते हैं। वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (BADP) में स्वच्छ अभियान, कौशल विकास कार्यक्रम, सीमावर्ती क्षेत्र में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण पर्यटन, सीमा पर्यटन, विरासत स्थलों की सुरक्षा तथा दुर्गम एवं दूर दराज क्षेत्रों में हेलीपैड का निर्माण जैसी गतिविधियों को भी सम्मिलित किया गया है। कृषि जैविक खेती में

आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों के उपयोग के लिए किसानों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (BADP) का हिस्सा है।

स्व-मूल्यांकन - प्रथम

1. सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम (DPAP) के मुख्य लक्ष्य क्या हैं?
2. रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम (DDP) के तहत कौन-कौनसी प्रमुख गतिविधियाँ की जाती हैं?
3. सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) का मुख्य फोकस क्या है?
4. सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम (DPAP) और रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम (DDP) के बीच भौगोलिक फोकस और उद्देश्यों के मामले में क्या अंतर है?
5. सीमांत क्षेत्रों में सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) को लागू करते समय आमतौर पर कौन-कौनसी चुनौतियाँ सामने आती हैं?

10.4 राजस्थान-विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम (Rajasthan-Special Areas Development Programmes)

राजस्थान में पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ भी उन लोगों को अधिक मिला जिनके पास स्वयं की भूमि थी। इसलिए समाज के विशिष्ट वर्गो व विशिष्ट क्षेत्रों की उपेक्षा हुई। अतः इन विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है-

1. **सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programe - DPAP):** सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) 1974-75 में केंद्रीय प्रवर्तित योजना के रूप में प्रारंभ किया गया था। कार्यक्रम की वित्तीय व्यवस्था केंद्र व राज्यों के बराबर हिस्से के आधार पर की गई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सूखे की संभावना वाले क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। इसके लिए भूमि व जल के उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है ताकि इन क्षेत्रों में अकाल व सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके। वर्तमान में यह कार्यक्रम 11 जिलों अजमेर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक, व उदयपुर के विभिन्न 32 खंडों में संचालित किया जा रहा है। सूखा संभावित क्षेत्रों में निम्न कार्यक्रमों पर जोर दिया गया है:
   1 मिटटी व नमी का संरक्षण करना,
   2. अतिरिक्त सिंचाई की संभाव्यता,
   3. वृक्षारोपण करना,
   4. रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

   सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) के अंतर्गत सम्मिलित कार्यों के प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) को भेजे जाते हैं। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को कुवां गहरा कराने, पशु पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम, चारागाह विकास आदि के लिए पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी से संपर्क कर कार्यक्रम के लिए तैयार की जाने वाली सूची में नाम जुडवाया जा सकता है। सामुदायिक लाभ की योजनाओं एनीकट निर्माण, भू-संरक्षण, मत्स्य विकास, वानिकी कार्यक्रम इत्यादि के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा सकता है।
2. **मरु विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme - DDP):** मरु विकास कार्यक्रम (DDP) शत-प्रतिशत (100%) केन्द्रीय सहायता पर आधारित है। राज्य में इस कार्यक्रम का शुभारंभ 1977-78 में राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों के आधार पर चालू किया गया था। वर्तमान में यह कार्यक्रम निम्न 11 जिलों (बीकानेर,

चुरू, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, पाली, सीकर तथा झुंझुनू) के 85 खण्डों में संचालित किया जा रहा है।

मरु विकास कार्यक्रम (DDP) में निम्न प्रकार के कार्यों को सम्मिलित किया गया है। जो सूखे की गंभीरता को कम कर सकें, जीवन की गुणवत्ता को रोजगार के अवसर बढ़ाकर सुधार कर सके तथा लोगों के जीवन की अन्य घटनाओं को उन्नत कर सके।

1. कृषि, वानिकी का विकास करना ।
2. पशुपालन भेड़ पालन का विकास करना।
3. पशुओं के लिए पेयजल की पूर्ति की व्यवस्था करना।
4. लघु सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण करना।

मरु विकास कार्यक्रम (DDP) के अंतर्गत कुल व्यय की 15% राशि संरक्षण कार्यो, 20% जन संसाधन विकास, 40% वन विकास एवं 15% अन्य कार्यों पर व्यय करने का प्रावधान है। शेष 10% राशि संस्थापन व्यय हेतु प्रदान की जाती है।

3. **मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Mewat Regional Development Programme - MRDP) :** मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1986-87 से राज्य के मेव बाहुल्य जिलों - अलवर जिले की दस पंचायत समितियों (लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, तिजारा, मुण्डावर, किशनगढ़बास, कठूमर, उमरेण, कोटकासिम, मालाखेडा एवं गोविंदगढ़) तथा भरतपुर जिले की चार पंचायत समितियों (नगर, डीग, कामाँ व पहाड़ी) में क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना में मिनीकिट का वितरण, उद्यान का विकास, दवाइयों आदि के वितरण के कार्य को किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। कार्यक्रम के माध्यम से मेव बाहुल्य जिलों में आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। मेव बाहुल्य जिलों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय नागरिकों को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। पर्यटन विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी की व्यवस्था जैसे कार्यों को प्राथमिकता से संपादित किया जाएगा।

4. **सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme - BADP):** वर्ष 1993-94 से भारत सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया। राज्य के 4 सीमावर्ती जिलों के 16 विकास खंडों में संसाधन विकसित कर सुरक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने एवं सीमा क्षेत्र के दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया।

वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्री गंगानगर, पदमपुर, गढ़साना, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ व विजयनगर में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0 से 10 किलोमीटर की बेल्ट में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए वित्तीय व्यवस्था में 60% केंद्र सरकार द्वारा तथा 40% राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कार्यक्रम को प्रारंभ करने का उद्देश्य राज्य के सीमावर्ती जिलों में संसाधन विकसित कर सुरक्षा व्यवस्था को कारगर बनाने एवं सीमा क्षेत्र के दुर्गम तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करना है।

5. **डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Dang Area Development Programme):** डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य की 8 पूर्वी एवं दक्षिण-पूर्वी जिलों सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारां, धौलपुर भरतपुर व झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायतों में आर्थिक, सामाजिक व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास एवं अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित कार्यक्रम है। कार्यक्रम के माध्यम से डांग क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे का विकास किया जाएगा। डांग क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देकर स्थानीय नागरिकों को

रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। पर्यटन विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी की व्यवस्था जैसे कार्यों को प्राथमिकता से संपादित किया जाएगा।

6. **मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Magra Regional Development Program)**: राजस्थान राज्य के दक्षिण मध्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अलावा वह क्षेत्र जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा जहां अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक लोगों का अधिवास है को मगरा क्षेत्र कहा जाता है। मगरा क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए वर्ष 2005 में मगरा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। यह कार्यक्रम राज्य के 5 जिलों अजमेर, भीलवाडा, पाली, राजसमन्द, चित्तोड़गढ़ की 16 पंचायत समितियों के 1715 गावों के निवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक सुधार हेतु संचालित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम शत प्रतिशत राज्य वित्त पोषित कार्यक्रम है।

विशेषताएं (Characteristics):

(i) यह योजना मगरा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है।

(ii) जन सहयोग से प्राप्त राशि का उपयोग योजना के अंतर्गत किया जा सकता है।

(iii) योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण विकास की संकल्पना को ध्यान में रखते हुए योजना में पांच घटकों को शामिल किया गया है - (a) ग्रामीण स्वच्छता, शौचालय निर्माण वितरण एवं ठोस कचरा प्रबंधन, (b) स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, (c) गांव में नालीमय सड़कों का निर्माण, (d) शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराना, (e) गांव में रोशनी की व्यवस्था से संबंधित गतिविधियों के कार्य प्राथमिकता से किए जाते हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य (Objectives of the Program): राजस्थान का मगरा में अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक लोग रहते हैं राज्य के अन्य क्षेत्र से तुलना करें तो यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है मगरा क्षेत्रीय विकास योजना के माध्यम से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकेगी:

(i) मगरा क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत ढांचागत विकास करना।

(ii) सामुदायिक एवं अन्य आधारभूत भौतिक परिसम्पत्ति सृजन करना।

(iii) ग्राम स्वच्छता एवं स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण आंतरिक सडकें, शिक्षा एवं ग्राम में रोशनी की व्यवस्था के कार्यो का प्राथमिकता से सम्पादन करना ।

(IV) मगरा क्षेत्रीय विकास योजना एवं अन्य विकास योजनाओं में निर्मित परिसम्पत्तियों का रखरखाव करना।

(V) स्थानीय नागरिकों को रोजगार एवं जीविकोपार्जन हेतु लघु एवं कुटीर उघोगों की स्थापना एवं आवश्यक संसाधनों का विकास करना।

(VI) शिक्षा, चिकित्सा एवं पुरातत्व, पर्यावरण संरक्षण आदि से सम्बंधित कार्य करना।

(VII) कला, संस्कृति एवं पर्यटन विकास करना।

मगरा विकास निधि (Magra Development Fund):

(1) मगरा क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए योजना के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए उपलब्ध निधि में से 80% राशि आधारभूत ढांचे के विकास करने पर व्यय की जाती है।

(2) योजना में निर्देश दिए गए हैं कि मगरा क्षेत्र में सम्मिलित संपूर्ण ग्राम पंचायत में प्राथमिकता विकसित किए जाते हैं। बाकी बचे हुए गांव का जनसंख्या के आधार पर चरणबद्ध संपूर्ण विकास किया जाएगा।

(3) योजना के अंतर्गत उपलब्ध 80% निधियों की 15% राशि का व्यय योजना एवं अन्य योजनाओं में निर्मित परिसंपत्तियों की देखरेख मरम्मत एवं जीर्णोद्धार पर व्यय की जाती है।

(4) श्री योजना में सम्मिलित 5 गतिविधि कार्यों पर मगरा विकास निधि का उपयोग प्राथमिकता से किए जाने के निर्देश हैं।

7. **कंदरा सुधार कार्यक्रम (Ravine Reclamation Programme)**: कंदरा सुधार कार्यक्रम की शुरुआत 1987-88 में हुई। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 8 प्रभावित जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर व धौलपुर में संचालित किया जा रहा है। यह योजना कंदराओं व बीहड़ों के फैलाव को रोकने तथा बीहड़ क्षेत्रों की खोई हुई उत्पादन क्षमता को वापस प्राप्त करने हेतु चलाया जा रहा है। कार्यक्रम राज्य में क्षेत्रीय संतुलन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है
8. **मरु गोचर योजना:** मरु गोचर योजना 2003-04 में प्रारंभ किया गया। राज्य के 10 मरु जिलों बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर व जोधपुर में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीय जिलों में पारंपरिक जल स्रोतों की बहाली तथा प्रभावी सूखा रक्षण के अन्य उपाय करना है। राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। यह कार्यक्रम सूखे की गंभीरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है
9. **अरावली विकास कार्यक्रम (Aravali Development Programme)**: अरावली विकास कार्यक्रम 1974-75 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में राज्य के 16 जिलों के 120 खंडों को शामिल किया गया है। अरावली क्षेत्र वृक्षारोपण योजना 1992-93 को राज्य के 10 जिलों अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व बांसवाड़ा में संचालित योजना है।

अरावली विकास परियोजना के उद्देश्य (objectives of Aravali Development Programme) –

अरावली विकास परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

(1) मिट्टी अवक्रमण को नियंत्रित करना।

(2) थार मरुस्थल के प्रसार को रोकना।

(3) वनों के नष्ट होने को रोकना।

(3) पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. राजस्थान में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम (DPAP) के तहत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कौन-कौनसी गतिविधियां की जाती हैं?
2. रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम (DDP) के अंतर्गत राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए कौनसी प्रमुख योजनाएँ लागू की जाती हैं?
3. सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के तहत राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में किस प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाता है?
4. सूखा प्रभावित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम (DPAP) और रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम (DDP) के बीच मुख्य अंतर क्या है?
5. सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम (BADP) के कार्यान्वयन में राजस्थान में कौनसी प्रमुख समस्याएँ सामने आती हैं?

10.5 क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने के लिए विकास नीतियां (Development Polices for Removing Regional Imbalances)

निम्नलिखित प्रकार की नीति का अनुसरण क्षेत्रीय असंतुलनो और पिछड़ेपन की समस्या के समाधान के लिए किया जा सकता है:

(1) **साधनों का पिछड़े क्षेत्रों में स्थानांतरण (Transfer of Resources of Backward Areas) -** क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए साधनों का स्थानांतरण उन क्षेत्रों में किया जाता है जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। केंद्र से राज्यों की ओर केंद्रीय कोष के स्थानांतरण में निम्नलिखित साधन सम्मिलित है - राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गैर योजनागत स्थानांतरण, अस्थाई स्थानांतरण, केंद्र समर्थित योजनाओं के लिए कृषि निर्धारण, वित्तीय संस्थाओं आदि की ओर से दोनों लघु एवं दीर्घकालीन साख। केंद्र सरकार के कुल योजना व्यय में से पिछड़े राज्यों का साधन भाग बढ़ाकर केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया है। इस राशि में केंद्र सरकार लगातार वृद्धि कर रही है।

(2) **विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Special Area Development Programmes) -** पर्वतीय क्षेत्रों, जन-जातीय क्षेत्रों और सूखा प्रवण क्षेत्रों के विकास हेतु केंद्रीय सरकार ने विशेष योजनाओं का निर्माण किया है। यह योजनाएं केंद्रीय सहायता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, विशेष वर्गों (सीमांत किसान और पिछड़े क्षेत्रों के कृषि श्रमिकों आदि) की स्थिति में सुधार के लिए ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम भी बनाए गए हैं। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (MADA), सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (Drought Prone Area Programe - DPAP), मरू विकास कार्यक्रम (Desert Development Programme - DDP) इत्यादि विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

(3) **पिछड़े क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन (Incentives for Promoting Investment in Backward Areas)** – केंद्र, राज्य और सार्वजनिक क्षेत्रों की वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछड़े इलाकों में निजी निवेश बढ़ाने के लिए अनेक राजकोषीय एवं अन्य प्रोत्साहन दिया जाता है। यह प्रोत्साहन निम्न है:

(i) कर रियायतें (Tax Concession) - पिछड़े क्षेत्रों में कर रियायत प्रदान करके सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को कम करती है देश और राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर सरकार के द्वारा कर में रियायत दी जाती है अर्थात कर में छूट दी जाती है जिससे उस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिक विकास होता है और क्षेत्रीय असंतुलन दूर होता है।

(ii) कर अवकाश (Tax Holiday) - वर्ष 1993-94 के बजट ने पिछड़े क्षेत्रों (उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीपों के केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव शामिल है) मैं नवीन औद्योगिक इकाइयों को कर अवकाश प्रदान किया गया।

(iii) केंद्रीय निवेश अनुदान योजना (Central Investment Subsidy Scheme) - अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार ने केंद्रीय निवेश अनुदान योजना को बनाया है। योजना में सरकार पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए अनुदान देती है। योजना का उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलन को काम करना है।

(iv) यातायात वित्तीय सहायता (Transport Subsidy Scheme) - ऐसे क्षेत्रों को जो पर्वतीय, अगम्य एवं दूरस्थ स्थानों पर स्थित है। ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों को परिवहन में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं को कुछ चुने हुए रेल, शीर्षों से औद्योगिक इकाई के स्थान तक लाने और ले जाने में कोई व्यय पर होगी। यह योजना अगम्य एवं दूरस्थ स्थानों जम्मू एवं कश्मीर और उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्रों में लागू होगी।

(v) राज्य सरकारों को प्रोत्साहन (State Government Incentives) - राज्य सरकारों ने पिछड़े क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए हैं, जिनमें बिजली और पानी के कनेक्शन, जल शुल्क से छूट, बिक्री कर की छूट, ब्याज रहित ऋण, चुंगी कर से छूट, संपत्ति कर में छूट इत्यादि शामिल है। पिछड़े क्षेत्रों में रियायती दर पर वित्तीय सहायता अनेक संस्थाएं [राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation), लघु औद्योगिक

विकास निगम (Small Industrial Development Corporation), राज्य आवासीय निगम (State Housing Corporation)] उपलब्ध कराती है।

(vi) पिछड़े क्षेत्रों में नई वित्तीय संस्थाओं का संवर्धन (Promotion of New Financial Institutions in Backward Regions) - भारत सरकार ने औद्योगिक विकास के लिए पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया है। अप्रैल 1995 में केंद्र सरकार ने एक नए ग्रामीण आधारभूत विकास कोष (Rural Infrastructure Development Fund) की नाबार्ड के अधीन स्थापना की है। जो ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में विकास करेगा।

10.6 क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने में विफलता (Failure in Removing Regional Imbalances)

निम्नलिखित दुर्बलताओं के कारण भारत में क्षेत्रीय आयोजन अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर सका है-

(1) जो राज्य संपन्न है उन्होंने अपने अतिरेक साधनों में से कुछ अतिरेक को कम संपन्न राज्यों में स्थानांतरित करने से मना कर दिया।

(2) जो राज्य आर्थिक रूप से कम विकसित हैं उन राज्यों में आत्मनिर्भरता का अभाव तथा विकसित राज्यों पर साधन स्थानांतरण हेतु अत्यधिक निर्भरता।

(3) केंद्रीय सरकारों द्वारा संचालित योजनाएं उन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सफल नहीं हुई है जिनके के लिए सरकार ने इन योजनाओं का निर्माण किया गया था।

(4) सामान्यतः उद्यमियों में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से रियायती दर पर वित्त प्राप्त करने की प्रवृत्ति का अभाव।

(5) राज्य सरकारों द्वारा कम विकसित क्षेत्रों के लिए निर्धारित कोष की अपर्याप्तता।

(6) सरकार द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए प्रोत्साहन का अभाव।

(7) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित राशि का उपयोग न हो पाना।

10.7 क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने हेतु सुझाव (Suggestion for Removing Regional Imbalances)

सरकार द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, परंतु फिर भी वर्तमान में क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है। इस क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए निम्नलिखित सुझाव है:

(1) एक समान व्यवहार (Similar outlook for all) - केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकेगा।

(2) पर्याप्त राजकीय कोष (Adequate Fiscal Funds) - ऐसे राज्य जो विकसित नहीं है उन राज्यों को केंद्र सरकार के द्वारा पर्याप्त कोष उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे राज्य के वित्त के अभाव को दूर कर राज्य का विकास किया जा सके और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके।

(3) मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना (Providing basic amenities) - राज्यों को सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, सड़क, परिवहन, संचार इत्यादि उपलब्ध कराएं, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सके।

(4) औद्योगिक विकास पर बल (Emphasis on Industrial Development) - ऐसे राज्य जहां औद्योगिक विकास कम है वहां औद्योगिक विकास करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकता है।

10.8 सारांश (Summary)

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि कुछ राज्य बहुत अधिक विकसित हैं जबकि कुछ राज्य कम विकसित है अर्थात वे राज्य पिछड़े हुए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए प्रयासरत है। देश में विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को मिलकर इस दिशा में ईमानदारी के साथ प्रयास करने की आवश्यकता है। विशेष क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आई है परंतु पूर्ण रूप से देश में क्षेत्रीय संतुलन दूर नहीं हो पाया है, अतः केंद्र और राज्य सरकारों को क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है।

10.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

1. छात्र विशेष क्षेत्र के विकास कार्यक्रमों के उद्देश्य को समझ सकेंगे और जान सकेंगे कि ये कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण हैं?
2. छात्र समझ सकेंगे कि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है?
3. छात्र सम्बंधित नीतियों, नियमों और विधायिकाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो विशेष क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को संचालित करती हैं और यह समझ सकेंगे कि ये नीतियाँ कैसे प्रभावी ढंग से लागू होती हैं?
4. छात्र उन प्रमुख चुनौतियों की पहचान कर सकेंगे जिनका सामना विशेष क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों के दौरान किया जाता है और इन समस्याओं के समाधान के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा कर सकेंगे।

10.10 शब्दकोष (Glossary)

1. जल संरक्षण (Water Conservation) :- सूखा और मरुस्थल क्षेत्रों में जल के संग्रहण, संरक्षण और पुन: उपयोग की प्रक्रिया, जिससे जल संकट से निपटा जा सके।
2. भूमि विकास (Land Development) :- बंजर भूमि और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को खेती योग्य बनाने के लिए सुधार के विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन।
3. पशुधन विकास (Livestock Development) :- सूखा प्रभावितऔर मरुस्थल क्षेत्रों में पशुधन की देखभाल और उनके उत्पादकता में सुधार के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम।
4. आजीविका संवर्धन (Livelihood Promotion) :- विशेष रूप से सुखा और सीमावर्ती क्षेत्रों में रोजगार और आय के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाने वाली योजनाएँ।
5. जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) :- बदलती जलवायु के प्रभावों से निपटने और सूखाप्रभावित क्षेत्रों में सुनिश्चित करने के लिए चलाई जाने वाली योजनाएँ।

10.11 स्वपरख प्रश्न (Self – Test Questions)

1. भारत में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम पर एक लेख लिखिए।
   Write a note on DPAP.
2. भारत में मरू विकास कार्यक्रम पर निबंध लिखिए।
   Write an essay on desert development program in India.
3. भारत में क्षेत्रीय असंतुलन को हटाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई विकास नीतियों का वर्णन कीजिए। Describe the development policies adopted by the government to remove regional imbalances in India.
4. राजस्थान में विशिष्ट क्षेत्रों के विशिष्ट वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए संचालित विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम का वर्णन कीजिए।

Describe the Special Regional Program conducted in Rajasthan for the upliftment of specific sections of specific areas.

10.12 संदर्भ ग्रन्थसूची (References & Bibliography)

1. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय "सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम (DPAP) की रिपोर्ट", प्रकाशन: ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली वर्ष: 2019
2. डॉ. वी. पी. सिंह "मरुस्थल विकास कार्यक्रम (DDP): चुनौतियों और अवसर", प्रकाशक: जयपुर पब्लिकेशन्स, जयपुर वर्ष: 2018
3. राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना (BADP) रिपोर्ट "सीमा क्षेत्र विकास: सुरक्षा और विकास", प्रकाशन: गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली वर्ष: 2020
4. शर्मा, आर. के. "विशेष क्षेत्र विकास योजनाओं का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव", प्रकाशक: अटल पब्लिशिंग हाउस, उदयपुर वर्ष: 2017
5. मिश्रा, एम. के. "भारत के मरुस्थलीय क्षेत्रों का पुनरुत्थान", प्रकाशक: प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली वर्ष: 2015

10.13 अन्य पठन सामग्री

- गुप्ता बी. पी., 'सहकारिता के सिद्धांत', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
- मामोरिया, सी.बी.,'भारत में कृषि एवं ग्रामीण साख', किताब महल, इलाहाबाद।
- मांमोरिया राव, रंगनाथ, एल. 'रूलर कोऑपरेटिव', सुल्तान चंद एंड संस, नई दिल्ली।
- उपाध्याय आर. बी. एवं शर्मा ओ.पी., 'सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
- स्वामी एच. आर. तथा गुप्ता बी.पी., 'ग्रामीण विकास एवं सहकारिता', रमेश बुक डिपो, जयपुर।
- माहेश्वरी एस. आर., 'रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया', नई दिल्ली, सागा पब्लिकेशन।

10.14 वेब संसाधन/लिंक

- **www.rural.nic.in**
- https://tribal.nic.in

इकाई - 11

प्रकृति एवं वन संरक्षण कार्यक्रम

(Nature and Forest Conservation Programme)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

11.0 उद्देश्य

11.1 प्रस्तावना

11.2 वन नीति तथा वनों से सम्बंधित कानून

11.3 पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण

11.4 पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम

11.5 पर्यावरण संरक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

11.6 पर्यावरण से सम्बंधित शिक्षा, जागरूकता तथा सूचना

11.7 पर्यावरण संरक्षण हेतु दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार एवं फैलोशिप

11.8 सारांश

11.9 अधिगम परिणाम

11.10 शब्दावली

11.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

11.12 स्व-परख प्रश्न

11.13 संदर्भ व ग्रन्थ-सूचि

11.14 वेब संसाधन/लिंक/अन्य पठन सामग्री

11.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे की :

- भारत की वन नीति तथा वनों से सम्बंधित कानूनों को समझ सकें।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण सम्बंधित कानूनों को समझ सकें।
- देश में पर्यावरण संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों की जानकारी हो सके।
- देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार एवं फैलोशिप के बारे में जान सकें।

11.1 प्रस्तावना

किसी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में प्राकृतिक संसाधनों तथा वनों के महत्व से हम सभी भली भांति परिचित हैं। प्राकृतिक संसाधन एवं वन सम्पदा देश के विकास में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में प्राकृतिक संसाधनों तथा वनों का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि भारत की जनसंख्या अत्यधिक है। भारत में उपलब्ध ज्ञात व अज्ञात प्राकृतिक संसाधन भरपूर हैं। अगर इन संसाधनों का सही तरीके से विदोहन किया जाए तो भारत का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है।

भारत में कुल 95 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। कुछ प्राकृतिक संसाधन पुनः प्रयोग में लाए जाने वाले होते हैं, जैसे वन, जल, भूमि आदि तथा कुछ संसाधन जिनका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, जैसे खनिज तैल, खनिज

सम्पदा आदि। इसलिए कहा जाता है कि देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जिन देशों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है उन देशों का आर्थिक विकास दूसरे राष्ट्रों की अपेक्षा धीमी गति से होता है। इस इकाई में भारत में प्रकृति एवं वन संरक्षण के लिए बनाए गए विभिन्न अधिनियम, कार्यक्रम एवं नीतियों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जायेगा।

भारत में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के सम्बंध में नीति एवं कार्यक्रम (Policy and Programmes Regarding Conservation of Natural Resources in India)- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अभिप्राय इन संसाधनों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से नहीं है। बल्कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कुछ इस प्रकार से किए जाने से है ताकि आने वाली पीढ़ियों को इन संसाधनों का उचित लाभ मिलता रहे। भारत में केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर कई प्रकार के नीतिगत निर्णय लिए गए, कई प्रकार के कार्यक्रम एवं योजनाएं चलाई गई हैं। भारत में केन्द्र सरकार का 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय'मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बंधित कार्यक्रमों, योजनाओं तथा नियमों को बनाने वाला मुख्य घटक है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रवर्तनीय विकास के अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, एशिया एवं पेसिफिक के लिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा एशिया एसोसिएशन फॉर रिजनल को-ऑपरेशन आदि के दिशा निर्देश एवं इनके कार्यक्रमों को ठीक से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

11.2 वन नीति तथा वनों से सम्बंधित कानून (Forest Policy and Law Related to Forests)

भारत में पहली बार 1894 में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य जंगलों के प्रबंधन द्वारा कल्याण में वृद्धि करना था। 1952 में पूर्व घोषित वन नीति में संशोधन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन तथा संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करना था। 07 दिसम्बर, 1988 को 1952 में संशोधित वन नीति में पुनः संशोधन कर नवीन राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य 35% भारतीय भौगोलिक क्षेत्र को वन आच्छादित करना है। इन नवीन वन नीति में निम्नलिखित बातों पर बल दिया गया हैं –

1. पर्यावरण में सुधार करना।
2.वन्य जीव जन्तुओं तथा वनस्पति की सुरक्षा करना।
3. पहाड़ी एवं नदियों के कटाव क्षेत्रों में वनों का विस्तार करना।
4. भूमि कटाव एवं मृदा क्षरण को नियन्त्रित करना।
5. वन उपज की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे लकड़ी, चारा आदि की पूर्ति करना।
6. वृक्षारोपण कार्यक्रमों द्वारा वनों की सघनता को बढ़ाना।
7. वनों की उत्पादकता को बढ़ाना।
8. राष्ट्र की जरूरतों की पूर्ति हेतु वन उत्पादकता में वृद्धि करना।
9. ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्र के लोगों का वनों में निहित हक सुरक्षित करना।

11.2.1 नवीन वन नीति 1988 के अनुसार वनों का वर्गीकरण Claasification of Forest According to New Forest Policy 1988

1- **आरक्षित वन (Reserved Forest) :** आरक्षित वनों की सरकार प्रत्यक्ष रूप से निगरानी करती है। भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 53% हिस्सा आरक्षित वनों का है। आरक्षित वन क्षेत्र में पशु चारागाह एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रवेश प्रतिबन्धित होता है।

2- **राष्ट्रीय वन (National Forests) :** देश की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे यातायात, सुरक्षा, उद्योग आदि के लिए इस प्रकार के वन होते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्रों में अविचारपूर्ण विदोहन पर प्रतिबन्ध होता है।

3- **ग्राम्य/ग्रामीण वन (Village Forests) :** इस प्रकार के वन ग्रामीण क्षेत्रों में होते है। इस प्रकार के वनों से गावों के समीप स्थित कस्बों को लकड़ी आदि की आपूर्ती होती है।

प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण (Classification of Forest on the Basis of Administration)

1- **आरक्षित वन (Reserved Forst) :** आरक्षित वनों की सरकार प्रत्यक्ष रूप से निगरानी करती है। भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 53% भाग अरक्षित वनों का है। आरक्षित वन क्षेत्र में पशु चारागाह एवं व्यावसायिक उद्देष्यों के लिए प्रवेश प्रतिबन्धित होता है।
2- **संरक्षित वन (Protected Forests) :** इस प्रकार के वनों की देखभाल सरकार द्वारा की जाती है। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर स्थानीय लोगों को पशु चराने की अनुमति होती है। इस प्रकार के वन भारत के लगभग 29% भू-भाग पर फैले हुए हैं।
3- **असुरक्षित वन (Unprotected Forests) :** यह एक प्रकार से अवर्गीकृत वन होते हैं। इस प्रकार के वन क्षेत्र में सामान्यतः प्रतिबन्ध नहीं होते हैं। भारत के लगभग 18% भू-भाग पर इस प्रकार के वन हैं।

11.2.2 राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (National Afforestation and Eco-Development Board)

इस बोर्ड की स्थापना सन् 1992 में की गई। इस बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वनों का रोपण करना तथा पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना है। बोर्ड के कार्यों के अन्तर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। उदाहरणतः राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम, झूम खेती आदि।

11.2.3 राष्ट्रीय वन आयोग (National Forest Commission)

भारत में वनों एवं वन्य जीवों के कार्यमूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय वन आयोग का गठन 7 फरवरी 2003 को पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति बी.एन. कृपाल की अध्यक्षता में किया गया। वन आयोग अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गईं –

1. नदियों के प्रवाह क्षेत्र को सही रखने के लिए वनों का सुरक्षित रहना आवश्यक है, इसलिए जल संसाधनों को वनों के द्वारा बचाया जाये।
2. उद्योगों के कारण जल व वनों को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति उपकर को दो प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत किया जाये।
3. उपकर का आधा हिस्सा वन से सम्बंधित राज्य के वन विभाग को दिया जाये।
4. उपकर अगर नहीं बढ़ाया जाता है तो वर्तमान दो प्रतिशत उपकर का आधा हिस्सा संबंधित राज्य को दिया जाये।
5. पर्यावरण व वन्य जीवों को बचाने के लिए वन तथा आच्छादित वनों में वृद्धि की जाये।

11.2.4 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियिम, 1972 (Whildlife (Protection) Act, 1972)

भारत सरकार द्वारा सन् 1972 में वन्य जीव सुरक्षा, अवैध शिकार पर प्रभावी प्रतिबन्ध एवं वन्य जीवों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 लागू किया गया। इस अधिनियम के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत जंगली जानवरों तथा पोधों की प्रजातियों का संरक्षण का प्रावधान है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के मुख्य बिन्दू (Key Points of Wildlife (Protection) Act.) –

1. **वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबन्ध:-** इस अधिनियम की अनुसूची I से IV के अन्तर्गत वन्य जीवों का शिकार प्रतिबन्धित है। अपवादस्वरुप राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन की अनुमति से ऐसे वन्य जीवों को मारा जा सकता है जो मानव जीवन या मानव सम्पति के लिए खतरनाक हों अथवा वह वन्यजीव विकलांग या ऐसी बिमारी से ग्रसित हो, जिसका इलाज संभव ना हो।

2. **वन्य वृक्षों को काटने पर प्रतिबन्ध:-** इस अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि वन्य वृक्षों को काटने, उखाड़ने, क्षति पहुंचाने, वृक्षों पर कब्जा करने तथा बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। अपवादस्वरूप राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन से अनुमति लेकर या केन्द्र सरकार द्वारा नामित संस्था की अनुमति लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान, जड़ी-बूटी, शिक्षा आदि कार्यों के लिए किसी पौधे विशेष को काटा या उखाड़ा जा सकता है।
3. **बोर्ड/निकायों का गठन:-** इस अधिनियम के अन्तर्गत यह प्रावधान भी है कि देश में आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय एवं राज्य वन्यजीव बोर्ड, बाघ संरक्षण प्राधिकरण व चिड़ियाघर प्राधिकरण आदि का गठन किया जा सके।
4. **अभयारण्यों व उद्यानों की स्थापना :-** इस अधिनियम के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी क्षेत्र, जो पर्याप्त पारिस्थितिक, भू-आकृति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान के महत्व का हो, उसे अभयारण्य घोषित कर सकती है। सरकार उपलब्धता के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित कर सकती है।
5. **सरकारी संपति अधिकार:-** इस अधिनियम में प्रावधान है कि शिकार किये गये वन्य जानवरों की खाल या खाल से बनी वस्तु, भारत में आयातित हाथी दांत से बनी वस्तुओं पर सरकार का अधिकार अथवा सरकारी संपत्ति होगी।

11.2.5 राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (National Board for Wildlife)

राष्ट्रीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन वर्ष 2003 में किया गया। यह बोर्ड भारत सरकार को वन्यजीव संरक्षण के लिए नीति तैयार करके सलाह देने का काम करता है। यह बोर्ड राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों के पास की परियोजनाओं की स्वीकृति देता है। बोर्ड में एक अध्यक्ष सहित कुल 48 सदस्य होते है। बोर्ड का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।

11.2.6 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority of India)

भारत सरकार द्वारा केन्द्र के सरकार के निकाय के रूप में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना 1992 में की गई। यह प्राधिकरण एक विनियामक के रूप में कार्य करता है तथा यह उन चिड़ियाघरों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है जो निकाय द्वारा बनाये गये मानकों को पूर्ण करते हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों की सुरक्षा अथवा संरक्षण में पूरक सहायता प्रदान करना है।

11.2.7 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority)

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन दिसम्बर, 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के आधार पर किया गया। यह एक वैधानिक निकाय है, जो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। इस प्राधिकरण का अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्री होता है।

प्राधिकरण के मुख्य कार्य:-

1. राज्यों द्वारा प्रस्तावित बाघ संरक्षण योजनाओं का मूल्यांकन कर अनुमति प्रदान करना।
2. बाघ विचरण क्षेत्रों के निकट स्थित इलाकों का नियमन करना।
3. राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक चार वर्ष बाद बाघों की स्थिति, पर्यावरण आदि का मूल्यांकन करना।

11.2.8 वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau)

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन कर वर्ष 2008 में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के मुख्य कार्य -

1. वन्यजीवों के विरुद्ध होने वाले अपराधों का डाटा बैंक तैयार करना।
2. जंगली जानवरों से सम्बंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह प्रदान करना।

3. वन्यजीवों के विरुद्ध होने वाले अपराधों/अत्याचारों से संबंधित सूचनायें संग्रहित करना, उनका विश्लेषण करना तथा प्रवर्तन संस्थाओं को प्रेषित करना, जिससे अपराधियों को गिरफ्तार करने में सहयोग मिल सके।
4. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों तथा राष्ट्रीय संगठनों को आपसी समन्वय स्थापित करने में सहयोग करना।
5. भारत सरकार को वन्यजीव अपराध नियंत्रण के संदर्भ में नीतिगत तथा कानूनी सलाह प्रदान करना।
6. भिन्न-भिन्न एजेंसियों में समन्वय स्थापित करना ताकि अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सके।

11.2.9 भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (Animal Welfare Board of India)

पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्त संस्था के रुप में 1962 में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।

1. भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के मुख्य कार्य & पशुओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों व हिंसा को रोकने के लिए बने विभिन्न कानूनों का अध्ययन कर इनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करने के लिए सरकार को सुझाव/सलाह प्रदान करना।
2. पशु अस्पतालों में उपलब्ध व प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के बारे में सरकार को सलाह देना।
3. बोझा ढोने वाले पशुओं के बोझ को कम करने के लिए प्रयास करना।

पशु कल्याण बोर्ड की पहल

1. राज्य एवं संघीय क्षेत्रों को गोचर भूमि/चारागाह भूमि के सम्बंध सख्त दिशा-निर्देश प्रदान करना।
2. बंदरों तथा कुतों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए बधियाकरण कार्यक्रम संचालित करना।
3. पशु संरक्षण गृह एवं पशुओं के लिए होस्टल स्थापित करना।
4. प्राकृतिक आपदाग्रस्त पशुओं के लिए वित्तीय मदद।
5. संरक्षण गृह योजना।
6. पशु चिकित्सा वाहन योजना का संचालन।

11.2.10 राष्ट्रीय वानिकी तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड (National Afforestation and Eco-Development Board)

वर्ष 1992 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड को दो भागों में विभाजित किया गया। इन दो भागों में एक बंजर भूमि विकास विभाग तथा दूसरा राष्ट्रीय वानिकी तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड शामिल है।

राष्ट्रीय वानिकी तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के कार्य (Functions of National Afforestation and Eco-Development Board)-

1. वनीकरण को बढ़ावा देना।
2. वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
3. पारिस्थितिकी को बनाये रखना।
4. राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों व संरक्षित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
5. पारिस्थितिकी की दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना।
6. समन्वित बंजर भूमि विकास परियोजनाओं की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।
7. लघु वन परियोजनाओं, बीज विकास, तकनीकी विस्तार आदि से सम्बंधित अनुदान व अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।
8. ईंधन लकड़ी के विकल्पों की खोज करना।
9. नीतिगत परामर्श प्रदान करने हेतु दलों का गठन करना आदि।

11.2.11 पर्यावरण संरक्षण हेतु अन्य कार्यक्रम (Other Plans for Environment Protection)

1. **नगर वन योजना (Nagar Van Scheme)**– 05 जून, 2020 को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस योजना की घोषणा की गई। योजना के अन्तर्गत वन विभाग, स्थानीय नागरिकों, नगर निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से 200 शहरी वन विकसित करने का लक्ष्य अगले 05 वर्षों के लिए रखा गया है।
2. **वाहन कबाड़ नीति (Vehical Scapping Policy), 2021** – भारत में प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन (संसोधन) विनियम, 2021 की घोषणा की। इस नीति के अनुसार 15 वर्ष पुराने दो पहिया वाहनों के लिए प्रस्तावित पंजीयन नवीनीकरण शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। आयातित वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण शुल्क 40000 रुपये तय किया गया है।
3. **राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति (Strategy For National Bio–Technology Development), 2015** – इस रणनीति को 30 दिसम्बर, 2015 से प्रारम्भ किया गया। इस रणनीति द्वारा भारत को विश्व स्तरीय जैव-विनिर्माण केन्द्र के रुप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

स्व-मूल्यांकन - प्रथम

1. इन कथनों में सत्य व असत्य बताइए :
   (i) देश में नवीन वन नीति सात दिसम्बर, 1988 को घोषित की गई।
   (ii) आरक्षित वन क्षेत्र में पशु चारागाह की अनुमति होती है।
   (iii) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार वन्य जीवों का शिकार किया जा सकता है।
   (iv) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन टाइगर टास्क फ़ोर्स की सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर, 2005 में किया गया।
2. प्राकृतिक संसाधनों का अर्थ समझाए।
3. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के कार्य बताइये।

11.3 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण (Environment Protection and Pollution Control)

11.3.1 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 (Environment Protection Act 1986)

संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किये गये प्रयासों को भारत में कानूनी रूप से लागू करने के लिए भारतीय संसद द्वारा 23 मई 1986 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया जो 19 नवम्बर, 1986 को लागू हुआ।

इस अधिनियम में कारखानों से निकलने वाले खतरनाक पदार्थों को सुस्पष्ट परिभाषित किया गया। अधिनियम द्वारा भारत सरकार को प्रदूषणकारी उद्योगों व कारखानों को बन्द करने तथा निर्देशित करने की शक्तियां प्रदान की गई। इसके अलावा अधिनियम में केन्द्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी योजना बनाने, वातावरण में गुणवत्ता सुधार के लिए मानकों का निर्धारण, भिन्न-भिन्न माध्यमों से प्रदूषण कारकों का उत्सर्जन तथा निर्वहन के लिए मानक निर्धारण आदि का अधिकार दिया गया।

11.3.2 केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board)

सितम्बर, 1974 में जल (प्रदुषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। वायु (प्रदुषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अधीन भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शक्तियां प्रदान की गई।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य (Functions of Central Pollution Control Board)–

1. भारत सरकारको जल तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण और वायु गुणवत्ता सुधार के लिए सलाह प्रदान करना।

2. राज्य बोर्डों के मध्य मतभेद सुलझाने के लिए समन्वय स्थापित करना।
3. प्रदूषण नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के लिए योजना निर्माण तथा संचालन करना।
4. प्रदूषण नियंत्रण में लगे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।
5. प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य बोर्डों को मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
6. बड़े स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण हेतु जन जागरण अभियान चलाना।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही मे देश में 112 प्रदूषित स्थलों की पहचान की है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार प्रदूषित स्थल वह होते हैं जहां कूड़े-कचरों में विषैले तथा खतरनाक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। बोर्ड के अनुसार 112 प्रदूषित स्थलों में सर्वाधिक 23 ओडिशा में, 21 उत्तरप्रदेश में तथा 11 दिल्ली में स्थित हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिसम्बर, 2019 तक कुल 189 बैठकों का आयोजन कर चुका है।

11.3.3 राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण (National River Conservation Directorate)

केन्द्र सरकार ने नदियों में होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना को (प्रथम चरण) प्रारम्भ किया। वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) गंगा की सहायक नदियों यमुना तथा गोमती नदी के प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रारम्भ किया गया। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय को मंजूरी मिलने के पश्चात् केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का पुनर्गठन कर दिया गया। गंगा कार्य योजना जो वास्तव में 14 जनवरी 1986 को प्रारम्भ हुई थी, को 31 मार्च, 2000 को समाप्त कर दिया गया। योजना के प्रारम्भ से समाप्ति तक कुल 901.71 करोड़ रुपये खर्च किये गये। दिसम्बर, 1996 में गंगा कार्य योजना (द्वितीय) को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में मिला दिया गया तथा नदी सफाई की सभी योजनओं को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत लाया गया। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के उद्देश्यों में (i) प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं के कार्यान्वयन के द्वारा देश की मुख्य नदियों के पानी की गुणवत्ता में सुधार करना। (ii) नदियों में बहने वाले कचरे का रोककर या कचरे का निदान कर नदियों में गिरने से रोकना। (iii) कम लागत वाले शौचालयों के निर्माण को बढ़ाकर नदी किनारे पर खुले में शौच को रोकना। (iv) नदी संरक्षण क्षेत्र में मानव संसाधन विकास करना, क्षमता का निर्माण करना, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना। (v) लकड़ी के शमशानों को कम करने या खत्म करने के लिए बिजली के शमशानों को बढ़ावा देना तथा (vi) जन सहयोग बढ़ाने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन आदि शामिल है।

11.3.4 राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (National Ganga River Basin Authority (NGRBA)

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरीए 2009 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के साथ ही गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। इस प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ गंगा नदी का संरक्षण करना है।

11.3.5 नमामि गंगे परियोजना (National Mission For Clean Ganga) (NMCG)

नमामि गंगे परियोजना को केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में प्रारम्भ किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी का प्रदूषण कम करने के साथ-साथ गंगा नदी को पुनः जीवित करना है। इस परियोजना को लागू करने का दायित्व केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय का है। इस परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक द्वारा 25000 करोड़ रुपये की 313 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार की है, वर्ष 2020-21 तक कुल 20000 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा खर्च किए जा चुके है।

11.3.6 राष्ट्रीय गंगा परिषद (National Council For River Ganga)

वर्ष 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित कर राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय गंगा परिषद स्थापना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा कायाकल्प, संरक्षण तथा गंगा नदी का प्रबंधन है। इस परिषद का अधिकार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, झारखण्ड,

हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक है। वर्तमान में नमामि गंगे परियोजना राष्ट्रीय गंगा परिषद के अधीन संचालित हो रही है।

11.4 पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम (Environment Research Programme)

भारत में पर्यावरण अनुसंधान सुविधाओं एवं प्रशिक्षित लोगों की व्यवस्था हेतु पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम द्वारा परियोजनाओं को निम्नलिखित वर्गों में समर्थन दिया जाता है-

1. पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों के लिए अनुसंधान कार्यक्रम।
2. मनुष्य एवं जीवमंडल अनुसंधान कार्यक्रम।
3. पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम।

पर्यावरण अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत, समितियों एवं विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों हेतु सुझाव दिये जाते हैं, परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है तथा अनुसंधान परियोजनाओं को सही तरीके से लागू करने हेतु उपाय सुझाये जाते हैं।

11.5 पर्यावरण संरक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (Environmental Protection and Research Instituttions)

भारत सरकार के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख संस्थान निम्न प्रकार हैं -

भारतीय वानिकी अनुसंधान तथा शिक्षा परिषद देहरादून - इस परिषद के अन्तर्गत आने वाले संस्थान एवं केन्द्र निम्नानुसार हैं -

1. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (AFRI) जोधपुर - 1988
2. वन अनुसंधान संस्थान देहरादून (FRI) 1906
3. वन आनुवंशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान (IFGTB) कोयम्बटूर - 1988
4. काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (IQST) बैंगलूरु - 1988
5. वर्षा वन अनुसंधान संस्थान (RFRI) जोरहट - 1988
6. हिमालय वन अनुसंधान संस्थान (HFRI) शिमला - 1998
7. उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान (TFRI) जबलपुर - 1973
8. सामाजिक वानिकी तथा पारिस्थितिकी पुनः स्थापना संस्थान (CSFER) प्रयागराज - 1992
9. वन उत्पादन संस्थान (IFP) रांची - 1993
10. वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र (CFRHRD) - 1995
11. वन अनुसंधान केन्द्र (FRC) हैदराबाद - 1997

11.5.1 अन्य संस्थान (Other Institutions)/ जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण तथा विकास संस्थान (G.B. Pant Institute of Himalayan Environment and Development)

1. **राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (NationaNational Museum of Natural History) :** पर्यावरण संरक्षण के प्रति चेतना फैलाने एवं पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1972 में नई दिल्ली में की गई।
2. **भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान (Indian Institue of Forest Management) :** भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान की स्थापना सन् 1982 में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक स्वायत्तशासी निकाय के रुप में भोपाल में की गई। इस संस्थान द्वारा वन प्रबन्ध तथा वन शिक्षा सम्बंधी विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठयक्रमों को संचालित किया जाता है। इस संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वन प्रबन्ध में व्यावसायिकता लाना है।

3. **पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र (Cenre For Environmental Education) :** पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु नेहरु विकास फाउण्डेशन द्वारा सन् 1984 में पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र की स्थापना अहमदाबाद में की गई।
4. **उत्खनन पर्यावरण केन्द (Centre For Mining Environment) :** वर्ष 1987 में उत्खनन पर्यावरण केन्द्र की स्थापना धनबाद, झारखण्ड में की गई। इस केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य खनन के क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा प्रशिक्षण देना है।
5. **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (Indira Gandhi National Forest Academy) :** इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून को भारतीय वन महाविद्यालय का स्तर बढ़ाकर सन् 1987 में गठित किया गया। इस अकादमी का प्रमुख कार्य भारतीय वन सेवा के परिवीक्षकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना है।
6. **सीपीआर पर्यावरणीय शिक्षा केन्द्र (C.P.R. Environmental Education Centre) :** वर्ष 1988 में चैन्नई में इस केन्द्र की स्थापना की गई थी। इस केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के बारे में ज्ञान वृद्धि, चेतना फैलाना एवं देश की पर्यावरण से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण करना है। इस केन्द्र द्वारा पर्यावरण के बारे में जागरूकता लाने तथा रूची उत्पन्न करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को चलाया जाता है।
7. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के एक स्वायत संस्थान के रूप में जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण तथा विकास संस्थान की स्थापना वर्ष 1988 में की गई। इस संस्थान द्वारा हिमालय के भिन्न-भिन्न पारिस्थितिकी क्षेत्रों का अध्ययन, जैव-विविधता अध्ययन क्षेत्रीय पर्यावरण अध्ययन आदि दायित्व का निर्वहन किया जाता है। अनुसंधान परियोजनाओं के संचालन के साथ-साथ हिमालय अंचल में जलवायु से सम्बंधित सूचनाओं का संकलन करना एवं उनके विश्लेषण हेतु मौसम अनुमान केन्द्र स्थापित करना भी इसके कार्यो में शामिल है।

11.6 पर्यावरण से सम्बंधित शिक्षा, जागरुकता तथा सूचना (Education, Awareness and Information Related to Environment)

भारत सरकार का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय समय-समय पर पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता तथा सूचनाओं से सम्बंधित कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करता है। जिसमें मुख्य रूप से –

1. **पर्यावरण माह (Environment Month) :** प्रत्येक वर्ष 19 नवम्बर से 18 दिसम्बर तक आयोजित करना।
2. **पर्यावरण वाहिनी योजना (Paryavaran Vahini Scheme) :** इस योजना को 1992-93 में प्रारम्भ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण जागृति हेतु जनता की सक्रिय भागीदारी एवं जंगल, जंगली जानवर तथा पर्यावरणीय हानि के संदर्भ में गैर कानूनी कार्यो की सूचना देना है।
3. **पर्यावरण सूचना प्रणाली (Environmental Inforamtion System) :** भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1982 में पर्यावरण सूचना प्रणाली स्थापित की गई। इस प्रणाली का मुख्य कार्य पर्यावरण से सम्बंधित सूचनाओं का एकत्रीरण, आंकलन, भंडारण तथा सूचना प्रसार करना है। वर्तमान में पर्यावरण सूचना प्रणाली के अंतर्गत भारत वर्ष में 78 विषय आधारित तथा राज्य संबंधी केन्द्र है।

11.7 पर्यावरण संरक्षण हेतु दिये जाने वाले प्रमुख पुरस्कार एवं फैलोशिप (Major Awards and Fellowships for Enironment Protection)

1. **इन्दिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार (Indira Priydarshini Vrikshmitra Award) :** इस पुरस्कार को वर्ष 1986 में प्रारम्भ किया गया था। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है, जिन्होंने बंजर भूमि के विकास के लिए या वनीकरण के लिए उत्कृष्ट कार्य किया हो। यह पुरस्कार चार श्रेणियों में दिया जाता है।

2.इन्दिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार (Indira Gandhi Environment Award) : इस पुरस्कार की शुरुआत सन् 1987 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा की गई। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संगठनों को यह पुरस्कार दिया जाता है।

पुरस्कार श्रेणी - संगठन श्रेणी में 500000 रुपये के दो नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते है तथा व्यक्तिगत श्रेणी में तीन नकद पुरस्कार क्रमशः 05 लाख रुपये, 03 लाख रुपये तथा 02 लाख रुपये दिये जाते हैं।

3.अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव सुरक्षा पुरस्कार (Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award) : प्रथम अमृता देवी विश्नोई वन्यजीव सुरक्षा राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 2001 में दिया गया। इस पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप एक लाख रुपये दिये जाते है।

4.मेदिनी पुरस्कार योजना (Medini Sward Scheme) : इस योजना को 2008.09 में प्रारम्भ किया गया था। योजना में पर्यावरण से सम्बंधित विषयों पर लिखने वाले लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रथम विजेता को 01 लाख रुपये, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 75 हजार रुपये, तृतीय स्थान पर रहने वाले को 50 हजार रुपये एवं सांत्वना पाने वाले लेखक को 25 हजार रुपये पुरस्कार राशि प्रदान की जाती हैं।

5.प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (National Award For Prevention of Polution) : इस पुरस्कार को वर्ष 1992 में प्रारम्भ किया गया था। यह पुरस्कार प्रदूषण निवारण में निरन्तर प्रयास करने वाले 18 बड़े उद्योगों एवं 05 लघु उद्योगों को वार्षिक आधार पर दिया जाता है।

6.महावृक्ष पुरस्कार (Mahavriksh Award) : वर्ष 1993.94 में प्रारम्भ किया गया यह पुरस्कार उन व्यक्तियों एवं संगठनों को दिया जाता है जो विशेष प्रजातियों के पेड़ लगाने एवं विकास करने का कार्य करते हैं। पुरस्कार स्वरूप 25000 रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

7.राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार (Rajiv Gandhi Wildlife Protection Award) : वन्य जीव के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वन्यजीव अधिकारी, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, शिक्षा व अनुसंधान संस्थाओं आदि को दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 01 लाख रुपये का नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

8.स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार (Rajiv Gandhi Environment Award for Clean Technology) : इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई। यह पुरस्कार उन उद्योगों को दिया जाता है जो पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी लाने हेतु नवीन प्रौद्योगिकी अपनाते हैं। इस पुरस्कार के अन्तर्गत पुरस्कार स्वरूप 02 लाख रुपये नकद, ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

9.जैव-विविधता हेतु पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फैलोशिप (Pitamber Pant National Environment Fellowship For Bio-Diversity) : इस फैलोशिप की शुरुआत 1978 में की गई। यह फैलोशिप 02 वर्ष की अवधी के लिए पर्यावरण, विज्ञान तथा जैव-विविधता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान करने वालों को दी जाती है।

10. बी.पी.पाल राष्ट्रीय पर्यावरण फैलोशीप (B.P. Pal National Enironment Fellowshop) : इस फैलोशिप को वर्ष 1995 में प्रारम्भ किया गया था। जैव विविधता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यों में योगदान देने वालों को यह फैलोशिप दी जाती है।

11. डॉ. सलीम अली राष्ट्रीय वन्यजीव फैलोशिप पुरस्कार (Dr. Salim Ali National Wildlife Fellowship Award) : इस फैलोशिप की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई। यह फैलोशिप वन्यजीव के संरक्षण व अनुसंधान के लिए दी जाती है।

12. **श्री कैलाश सांखला राष्ट्रीय वन्यजीव फैलोशिप पुरस्कार (Shri Kailash Sankhla National Wildlife Fellowship) :** इस पुरस्कार की शुरुआत 1996 में की गई। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रबंधकों तथा वैज्ञानिकों को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है।
13. **मरुभूमि पारिस्थितिकी फैलोशिप (Desert Ecology Fellowship) :** इस फैलोशिप को वर्ष 1992 में प्रारम्भ किया गया था। यह फैलोशिप प्रकृति संरक्षण हेतु बिश्नोई समाज के योगदान को मान्यता देने तथा मरुभूमि पर्यावरण अध्ययन को प्रोत्साहित करने हेतु जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ने शुरु की।

इन सब प्रयासों के अलावा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई प्रकार के प्रयास व समझौते हुए हैं।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. इन कथनों में सत्य व असत्य बताइए :
   (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण में लगे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करता है।
   (ii) राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन फरवरी, 2016 में किया गया।
   (iii) शुष्क वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है।
   (iv) मरुभूमि पारिस्थितिकी फैलोशिप अर्थशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए दी जाति है।
2. नमामि गंगे परियोजना क्या है?
3. भारतीय वन नीति के उद्देश्य बताइए।

11.8 सारांश (Summay)

देश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उचित विदोहन के द्वारा देश का विकास किया जाना संभव होता है, परन्तु पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए पर्यावरण, वन तथा वन्यजीवों का संरक्षण आवश्यक होता है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर वनों के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा वन्यजीवों के संरक्षण हेतु कई नीतियां, कार्यक्रम एवं कानून बनाये गये। जैसे– नवीन वन नीति, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण आदि। सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई है। सरकार पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में विभिन्न पुरस्कार तथा फैलोशिप भी प्रदान करती है।

11.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् हम यह समझने में सक्षम हो जाते है कि वर्तमान में भारत में वन-नीति का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है एवं वनों से सम्बंधित कौन-कौनसे कानून उपलब्ध हैं। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु कौन-कौनसे प्रयास किए जा रहे हैं।भारत में पर्यावरण संरक्षण एवं अनुसन्धान संस्थान कहाँ पर स्थित है एवं उनका संचालन किस प्रकार किया जा रहा है। साथ ही हम यह भी जानने में सक्षम हो पाते हैं कि वर्तमान में पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन-कौनसे से पुरस्कार दिए जा रहे हैं और कौन-कौनसी फैलोशिप उपलब्ध करवाई जा रही है।

11.10 शब्दावली (Glossary)

- **प्राकृतिक संसाधन (National Resources):** प्रकृति द्वारा प्रदत्त वो संसाधन जो मानव जीवन के अस्तित्व, प्रगति तथा विकास के लिए आवश्यक होते है।
- **आरक्षित वन (Reserved Forests):** ये वो वन होते है जहां पशु चारागाह एवं व्यावसायिक उद्देश्य के लिए प्रवेश प्रतिबंधित होता है।

- **संरक्षित वन (Protected Forests):** इस प्रकार के वनों में सामान्यतः प्रतिबन्ध नहीं होते है।

11.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

(क) (i) सत्य (ii) असत्य (iii) असत्य (iv) सत्य

(ख) (i) सत्य (ii) असत्य (iii) असत्य (iv) असत्य

11.12 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

परीक्षापयोगी प्रश्न –

अति लघुत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Questions)

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई ?
   When was national tiger conservation authority established?
4. आरक्षित वन को परिभाषित कीजिए
   Define Reserved Forest.

लघुत्तरात्क प्रश्न (Short Questions)

1- राष्ट्रीय वन आयोग की सिफारिशों को संक्षिप्त में समझाइए।
   Brifly explain the recomondation of national forest commisiions.
2- वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के मुख्य बिन्दुओं को संक्षिप्त में समझाइए।
   Brifly explain the key points of wild life (Protection) act.
3- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए।
   Brifly explain the functions of National Tiger Conseration Authority.
4- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों को संक्षिप्त में समझाइए।
   Brifly explain the functions of central pollution control board.
5- राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण पर टिप्पणी लिखिए।
   Write short note on national Ganga river basin authorotiy.
6- पर्यावरण संरक्षण के लिए दिये जाने वाले प्रमुख पुरस्कार एवं फैलोशिप के नाम बताइए? Wirte the names of major awards & fellowship given for environment protection?

निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Questions)

1- भारत में वन संरक्षण पर निबन्ध लिखिएA
   Write an essay on forest conservation in India.
2- भारतीय वन नीति की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
   Explain the Indian Forest Policy in Detail.
3- पर्यावरण संरक्षण पर निबन्ध लिखिए।
   Wirte an eassay on Envionment Protection
4- पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित कार्यक्रमों को समझाइए।
   Explain the programmes related to Environment Protection.
5- निम्न में से किन्ही दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए & (Write Short Note on any Two.)
   (i) राष्ट्रीय वनीकरण तथा पारिस्थितिकी विकास बोर्ड
   National afforestation and eco-development board

(ii) राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण
National River Conservation Directorate

(iii) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
Environment Protection Act, 1986

(iv) वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो
Wild life Crime Control Bureau

11.13 संदर्भ व ग्रन्थ-सूचि (References and Bibliography)

- लाखा राम चौधरी – ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज़ संस्थाएं
- डॉ. बसंतीलाल बाबेल – पंचायती राज़ एवं ग्रामीण विकास योजनाएं
- धर्मेन्द्र सिंह – पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास
- डॉ रवि शंकर जमुआर – भारत में ग्रामीण विकास अवधारणा, रणनीति और योजनाएं
- डॉ. एच.आर.स्वामी एवं डॉ. बी.पी.गुप्ता – ग्रामीण विकास एवं सहकारिता
- दत्त एवं सुन्दरम – भारतीय अर्थव्यवस्था
- जनसत्ता
- द हिन्दू

11.14 वेब संसाधन/लिंक/अन्य पठन सामग्री (Web Resources/Links/Other Reading Material)

- https://mpforest.gov.in/img/files/Policy_NFP.pdf
- https://nmcg.nic.in/NamamiGanga.aspx
- https://www.india.gov.in/topics/environment-forest/wildlife
- https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/4316/1/ep_act_ 1986.pdf
- https://cpcb.nic.in/
- https://www.indiascienceandtechnology.gov.in/organisationenvironment/ national-afforestation-and-eco-development-board-naeb

इकाई - 12

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम

(Women and Child Welfare Programmes)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

12.0 उद्देश्य

12.1 प्रस्तावना

12.2 भारत में महिला एवं बच्चों से जुड़े कानून

12.3 भारत में महिला कल्याण कार्यक्रम

12.4 भारत में बाल कल्याण कार्यक्रम

12.5 बच्चों की दिए जाने वाले पुरस्कार

12.6 सारांश

12.7 अधिगम परिणाम

12.8 शब्दावली

12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

12.10 स्व-परख प्रश्न

12.11 संदर्भ व ग्रन्थ-सूचि

12.12 वेब संसाधन/लिंक/अन्य पठन सामग्री

12.0 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकें कि:

- देश में महिला एवं बच्चों से जुड़ें कानूनों की समझ सकें।
- देश में संचालित महिला कल्याण कार्यक्रमों को समझ सकें।
- देश में संचालित बाल कल्याण कार्यक्रमों को समझ सकें।
- भारत में बच्चों को दिए जाने वाले पुरस्कारों का ज्ञान हो सकें।

12.1 प्रस्तावना

भारत में महिला एवं बाल विकास हेतु सन् 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत की गई। 30 जनवरी, 2006 से महिला एवं बाल विकस विभाग को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में स्तरोन्नत कर दिया गया है। इस विभाग/मंत्रालय के उद्देश्यों में मुख्य रुप से भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रमों, सरकारी तथा गैर सरकारी नीतियों के द्वारा महिला विकास सरोकारों को मुख्यधारा से जोड़कर महिलाओं के समग्र विकास करने के लिए सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना आदि है। इसमें महिला एवं बाल विकास के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम बनाना तथा कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करवाना, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना लक्षित बाल समूहों के लिए अधिगम तथा पूरक पोषण को सुगम बनाना, बच्चों के सम्पूर्ण विकास एवं संरक्षण के लिए संस्थागत तथा कानूनी सहयोग करना इत्यादि शामिल थे।

संयुक्त राष्ट्र (विश्व जनसंख्या) अनुमान के अनुसार भारत में 66.29 करोड़ महिलाएं हैं यह भारत की कुल जनसंख्या का 48.04 प्रतिशत है। वहीं विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार भारत में बच्चों की जनसंख्या 36.10 करोड़ है जो भारत की कुल जनसंख्या का 26.16 प्रतिशत है। इस तरह भारत में महिलाओं और बच्चों की जनसंख्या को जोड़ दिया जाये तो यह भारत की जनसंख्या का 74.20 प्रतिशत हो जाता है। एसलिए भारत जैसे देश में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा नीतियों का महत्व अत्यधिक हो जाता है।

12.2 भारत में एवं महिला बच्चों से जुड़े कानून (Laws Related to Women & Childrens in India)

1. अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 (संशोधित 1986)
2. महिलाओं का अश्लील प्रस्तुतीकरण निरोधक कानून, 1986
3. दहेज निरोधक कानून, 1961 (संशोधित 1986)
4. सती प्रथा निरोधक अधिनियम, 1987
5. शिशु दुग्ध विकल्प, दुग्धपालन बोतल तथा शिशु आहार (उत्पादन और आपूर्ति वितरण अधिनियम, 1992)
6. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
7. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005
8. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005
9. बाल न्याय (सुरक्षा और संरक्षण) अधिनियम, 2005
10. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
11. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
12. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013
13. एनआरआई सेल में शिकायतों से निपटने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2016

12.3 भारत में महिला कल्याण कार्यक्रम (Women Welfare Programmes in India)

1. **समाजिक आर्थिक कार्यक्रम – (Socio-Economic Programme) :** इस कार्यक्रम की शुरुआत **1958** में की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जरुरतमंद महिलाओं को जीविकापार्जन से सम्बंधित कार्य एवं काम व मजदूरी के अवसर प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न छोटे-छोटे कार्यक्रम जैसे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, हथकरघा, मुर्गीपालन, भेडपालन, बकरीपालन, हस्तशिल्प आदि इकाइयों के साथ-साथ स्वरोजगार की इकाइयां स्थापित करने का प्रावधान है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जीवन यापन परियोजनाओं के नये क्षेत्रों का पता लगाकर रोजगार व स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया।
2. **महिला मण्डल :** इस कार्यक्रम का प्रारम्भ समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1961-62 में किया गया। इस कार्यक्रम को ग्रामीण भारत के ऐसे क्षेत्रों में लागू किया गया जहां पर महिला विकास/कल्याण हेतु कोई भी स्वयंसेवी संस्था नहीं थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिला उत्थान एवं कल्याण था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम विशेष के कुल व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा केन्द्रीय समाज कल्याण विभाग द्वारा तथा शेष 75 प्रतिशत हिस्सा महिला मण्डल द्वारा वहन किया जाता है।
3. **कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना (Hostel For Working Womens) :** इस कार्यक्रम की शुरुआत 1972-73 में की गई। आर्थिक एवं सामाजिक प्रगतीशील समाज में बहुत अधिक संख्या में महिलाएं

रोजगार की तलाश में अपना मूल निवास छोड़ती हैं। उनके सामने सुरक्षित वातावरण में निवास करने की एक बड़ी समस्या होती है। इसी समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना प्रारम्भ की। इस योजना के उद्देश्यों में (i) कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित तथा सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना। (ii) छात्रावासों की सुविधा ऐसे क्षेत्रों में उपलब्ध कराना जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों (iii) इस योजना के अन्तर्गत नवीन छात्रावास भवनों का निर्माण, उपलब्ध छात्रावास भवन का विस्तार तथा किराए के छात्रावासों की सहायता करना (iv) जातीय, धार्मिक एवं वैवाहिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बिना छात्रावास परियोजनाओं को लागू करना आदि शामिल है।

4. **अल्पावधि प्रवास गृह (Short Term Residence House) :** इस योजना को 1969 में प्रारम्भ किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक शोषण, सामाजिक बहिष्कार आदि से परेशान महिलाओं को पुनर्वास एवं संरक्षण दिया जाता है। इस योजना में जरुरतमंद महिलाओं को अल्प अवधि अर्थात छह माह से अधिकतम तीन वर्ष तक अस्थाई आश्रय दिया जाता है। पीड़ित महिलाओं के बच्चों को अधिकतम सात वर्ष तक आश्रय स्थलों में ठहरने की अनुमति दी जाती है। अल्प अवधि में प्रवास गृह में रहने वाली महिलाओं को कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के द्वारा स्वरोजगार दिया जायेगा। वर्ष 1989 से इस कार्यक्रम को केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड को हस्तान्तरित कर दिया गया।

5. **स्वावलम्बन (Swawalamban) :** इस योजना को 1982-83 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करने के लिए पंरपरागत तथा गैर पंरपरागत कार्यो का कौशल एवं प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हे स्थाई आधार पर रोजगार प्रदान करना या स्वरोजगार प्रदान करने में सहायता करना है। महिलाओं को मुख्य रुप से हथकरघा, बुनाई, कताई, फैशन, कार्यालय प्रबंध आदि कार्यों के प्रशिक्षण में प्राथमिकता देना जिससे महिलाएं रोजगार प्राप्त कर सके। वर्ष 2006 में इस योजना को राज्यों को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

6. **महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहयोग योजना (Support to Training Cum-Employment Programme for Women(STEP) :** इस योजना की शुरुआत भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1986-87 में की गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण देने वाले संगठनों और संस्थाओं (गैर सरकारी संगठनों सहित) को अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 16 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को लाभान्वित करने के प्रयास किया जाता है। इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्वक प्रशिक्षण के द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करना तथा कौशल विकास द्वारा रोजगार प्रदान करना, महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवहारिक समूहों में बांटकर प्रशिक्षण के द्वारा साख व अन्य आदाओं की सुविधा प्रदान करना आदि शामिल है।

   वर्ष 2009 में योजना को संशोधित किया गयाए जिसमें कुल 11 क्षेत्रों को शामिल किया गया। जैसे – कृषि, पशुपालन/मवेशी पालन, मछली पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी तथा ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन, बंजर भूमि विकास तथा स्थानीय रूप से उपयुक्त अन्य क्षेत्र।

7. **स्वधारा (SWADHARA) :** स्वधारा योजना भारत में वर्ष 2001-02 में लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निराश्रित, विधवाओं, मानसिक रुप से बाधित, देह व्यापार से पीड़ित तथा प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित महिलाओं का व्यापक स्तर पर पुनर्वास करना है। योजना के अन्तर्गत पीड़ित महिलाओं के लिए भोजन, आश्रय, चिकित्सा व्यवस्था, कौशल विकास आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा के द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। परियोजना का संचालन समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला विकास निगम, स्वैच्छिक संगठनों, सार्वजनिक संगठनों आदि के माध्यम से किया जाता है।

8. **महिला समृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojana) :** ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में बचत आदत को बढावा देने के लिए 02 अक्टूबर, 1993 से देश के समस्त डाकघरों के माध्यम से महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की पात्रता के लिए महिला लाभार्थी की उम्र 18 वर्ष होने के साथ-साथ उस महिला के पास सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र होना चाहिए। महिला समृद्धि खाते में एक वर्ष में कम से कम चार रुपये जमा कराना होता है। योजना के द्वारा महिलाओं को संसाधनों पर नियंत्रण कर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के खाते में अधिक समय तक धन जमा रहने पर अधिक ब्याज देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

9. **सुमन योजना - सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना (SUMAN – Surkshit Matritva Ashwasan) :** भारत सरकार द्वारा इस योजना को 10 अक्टूबर, 2019 को प्रारम्भ किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ तथा शिशु मृत्यु को शून्य करना है। इस योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाएं, प्रसव के छह महीने तक की महिलाएं एवं बीमार नवजात को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती हैं – (i) प्रसव से पूर्व चार बार मुफ्त चेकअप (ii) प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान के अन्तर्गत आयरन, फोलिक एसिड पूरकता, टेटिनिया, डिप्थीरिया इंजेक्शन तथा व्यापक ANC पैकेज के समस्त दूसरे घटक एवं शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए घर पर जाकर जांच करना शामिल है।
   योजना में घर से अस्पताल तक निःशुल्क परिवहन सेवा प्रदान करना भी शामिल है।

10. **इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (Indira Gandhi Matritva Sahyog Yojana) :** इस योजना की शुरुआत वर्ष 2010 में गर्भस्थ तथा प्रसव के बाद महिला एवं शिशु के स्वास्थ्य की अच्छी देखभाल करने के लिए की गई। इस योजना के अन्तर्गत 19 वर्ष या अधिक आयु की गर्भवती महिला तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नकद व आर्थिक लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिशु व महिला के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना है। इस योजना का लाभ दंपति के पहले दो बच्चों तक ही मिलता है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी महिला को बैंक या डाकघर खाते के माध्यम से दो किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं।

11. **मातृत्व लाभ योजना (Matritva Labh Yojana) :** मातृत्व लाभ कार्यक्रम को मंत्रिमण्डल से 17 मई, 2017 को मंजूरी दे दी गई। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत पहली संतान के लिए स्तनपान कराने वाली महिला को 6000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम एक प्रकार से वेतन हानि के लिए क्षतिपूर्ति देता है। नकद प्रोत्साहन के द्वारा गर्भवती महिलाओं में कुपोषण को कम करने का प्रयास किया जाता है।

12. **बालिका समृद्धि योजना (Balika Samridhi Yojana):** बालिकाओं के जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए बालिका समृद्धि योजना के प्रथम चरण का प्रारम्भ 02 अक्टूबर, 1997 को किया गया। इस योजना की पात्रता के लिए बालिका का जन्म 15 अगस्त, 1997 को तथा उसके पश्चात हुआ, गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाली समस्त बालिकाएं तथा एक परिवार से अधिकतम दो बालिकाएं ही योजना में शामिल की जाती है। बालिका समृद्धि योजना के उद्देश्यों में (i) बालिकाओं के प्रति सामुदायिक व्यवहार बदलना (ii) विद्यालयों में बालिका नामांकन में सुधार करना (iii) बालिकाओं की वैवाहिक उम्र बढ़ाना तथा (iv) आय बढाने में बालिकाओं की मदद करना शामिल है।
   इस योजना के अन्तर्गत बालिका के जन्म के समय 500 रुपये की अनुदान राशि बालिका की माँ को सही पालन के लिए दी जाती है। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत 500 रु. की अनुदान राशि खाते में जमा होती है तथा बालिका को कक्षा 10 तक के अध्ययन के समय 300 रुपये से 1000 रुपये तक की छात्रवृति प्रदान की जाती है।

13. **महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति (National Policy For Women Empowerment) :** भारत सरकार द्वारा 20 मार्च, 2001 को महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति लागू की गई। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य

महिला सशक्तिकरण, विकास और उन्नति के साथ-साथ महिलाओं से होने वाले लैंगिंक भेदभाव को समाप्त कर महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस नीति के लक्ष्य प्राप्ति हेतु भारत सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाये। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया। इसी नीति के द्वारा इस प्रकार का सामाजिक माहौल तैयार किया जाएगा जिससे महिलाऐं अपनी क्षमताओं को साकार कर सकें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले सके।

महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति के लक्ष्यों में प्रमुख रूप से (i) सकारात्मक सामाजिक - आर्थिक नीतियों का निर्माण करना। (ii) महिलाओं के मानवाधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति (iii) भागीदारी एवं निर्णय लेने में महिलाओं की समानता विशेष रूप से सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में (iv) महिलाओं से भेद-भाव मिटाने के लिए कानूनी प्रविधियों का सुदृढ़ीकरण (v) महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करना आदि शामिल है।

14. **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना & सबला (Rajiv Gandhi Scheme For Empowerment of Adolescent Girls - SABLA) :** भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत 01 अप्रैल, 2011 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष पर देश के 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर की। इस योजना के अन्तर्गत 11-18 वर्ष की किशोरियों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम तय किये गये।

योजना के उद्देश्य (Objectives of Scheme):-

1. किशोरावस्था में यौन स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि के बारे में सही जानकारी देना।
2. परिवार एवं शिशु की देखभाल की जानकारी प्रदान करना।
3. बालिकाओं को आत्मविकास तथा सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करना।
4. बालिकाओं को लम्बाई के अनुपात में वजन की जानकारी एवं शारीरिक बदलाव के कारण शरीर के लिए पोषक तत्वों आदि की जानकारी प्रदान करना।
5. बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र आदि की जानकारी देना।

इस योजना को दो भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में पोषण ग्रुप जिसमें 11-14 वर्ष की विद्यालय नहीं जाने वाली एवं विद्यालय जाने वाली सभी बालिकाएं शामिल हैं। द्वितीय भाग में गैर पोषण ग्रुप जिसमें 11-18 वर्ष की सभी विद्यालय नहीं जाने वाली बालिकाएं शामिल की गई हैं।

15. **उज्जवला (Ujjawala) :** महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने उज्जवला योजना वर्ष 2007 में प्रारम्भ की। इस योजना के पांच तत्व हैं जो निम्न प्रकार हैं -
    1. **रोकथाम -** इसके तहत विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करना शामिल है। इसके तहत सामुदायिक निगरानी दल बनाना किशोर दल बनाना आदि आते हैं।
    2. **रिहाई -** इसके तहत शोषण वाले स्थान से पीड़ित की सुरक्षित रिहाई कराना शामिल है।
    3. **पुनर्वास -** इसके तहत आय बढाने की गतिविधियां, प्रशिक्षण, कानूनी एवं चिकित्सकीय सहायता शामिल है।
    4. **पुनः एकीकरण -** इसके अन्तर्गत पीड़ित महिला एवं बालिका की इच्छा के अनुरूप उसे परिवार या समुदाय में एकीकृत करना शामिल है।
    5. **स्वदेश भेजना -** इसके अन्तर्गत देश की सीमा पार कर विदेश भेजी गई पीड़िताओं की सुरक्षित वापसी को शामिल किया गया है।
16. **निर्भया कोष (Nirbhaya Fund :** दिल्ली में वर्ष 2012 में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद वर्ष 2013 में भारत सरकार ने निर्भया कोष की स्थापना की। इस कोष के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपये का

आवंटन किया। इस कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा पर केन्द्रित विभिन्न योजनाओं को वित्तीय सहायता देना तथा महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में सहायता देना है।

इस कोष के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं में राशि आवंटित की गई -

(i) केन्द्रीय पीड़ित मुआवजा निधि (ii) महिलाओं तथा बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (iii) महिला पुलिस स्वयंसेवी (iv) इमरजेंसी रिस्पोंस सपोर्ट सिस्टम तथा (v) वन स्टॉप स्कीम।

इस कोष में आवंटित राशि के उपयोग में चंडीगढ़ प्रथम तथा पश्चिम बंगाल अंतिम स्थान पर है। इस कोष का वित्तभार केंद्र व राज्य में (कुछ कठिन परिस्थिति एवं केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर) क्रमशः 60:40 का रहेगा।

17. **वन स्टॉप सेन्टर योजना (One Stop Centre Scheme) :** भारत सरकार ने 01 अप्रैल, 2015 को हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना प्रारम्भ की। यह योजना निजी तथा सार्वजनिक दोनों स्थानों पर हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता करती है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान रखा गया हैं -

(i) चिकित्सा सहायता पहूंचाना (ii) कानूनी सहायता एवं परामर्श देना (iii) आपातकालीन प्रतिक्रिय एवं बचाव सेवाएं (iv) महिलाओं को प्राथमिकी दर्ज करने में सहायता देना (v) मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक समर्थन और परामर्श देना (vi) शरण देना तथा (vii) विडियों कॉन्फ्रेशिंग की सुविधा उपलब्ध कराना।

यह योजना केन्द्र सरकार से शत प्रतिशत वित्तपोषित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हिंसा प्रभावित महिलाओं की, हिंसा चाहे परिवार में हो या कार्यस्थान पर, निजी स्थान पर हो या सार्वजनिक स्थान पर हो, की सहायता करना है।

18. **राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (National Women Empowerment Mission) :** राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत 08 मार्च, 2010 को भारत सरकार द्वारा की गई। इस अभियान के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं – (i) महिलाओं को आर्थिक रुप से सशक्त करना (ii) महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को पूर्णतः समाप्त करना तथा (iii) स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा पर विशेष जोर देना।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों को सम्मिलिति कर महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से सशक्त करना है। इस अभियान को नीतिगत दिशा-निर्देश देने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण की रहेगी। प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जायेगी तथा केन्द्रीय मंत्रीमण्डल के तेरह मंत्री इसके सदस्य होंगे। इनकी सहायता की जिम्मेदारी केन्द्रीय समिति तथा अंतर मंत्रालयिक समन्वय समिति की होगी।

19. **बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना (Beti Bachao – Beti Padhao Scheme) :** 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के उद्देश्यों में (i) लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित लिंग चयन को समाप्त करना (ii) बालिकाओं के जीवन को सुनिश्चित करना (iii) बालिकाओं की सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करना (iv) बालिकाओं का शोषण से बचाव करना तथा उन्हें सही गलत की पहचान से अवगत कराना (v) शिक्षा के द्वारा बालिकाओं को सामाजिक एवं वित्तीय रूप से समृद्ध बनाना तथा (vi) बालिकाओं को भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने में सहायता कर उनकी भागीदारी को बढाना शामिल है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ में देश के चयनित 100 जिलों में जन-चेतना अभियान चलाकर जागरूकता फैलाने का काम किया जायेगा। योजना को प्रारम्भ करते समय बेटी बचाओ-बेटी पढाओ पर डाक टिकिट भी जारी किया गया।

बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाओं की शुरुआत की गई –(i) सुकन्या समृद्धि योजना (ii) लाडली लक्ष्मी योजना (iii) धनलक्ष्मी योजना (iv) कन्याश्री प्रकल्प योजना (v) बालिका समृद्धि योजना

20. **महिला शक्ति केन्द्र योजना (Mahila Shakti Kendra Scheme) :** भारत सरकार ने महिला शक्ति केन्द्र योजना को 22 नवम्बर, 2017 को मंजूरी प्रदान की। योजना के मुख्य बिन्दु – (i) इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार देश के सबसे अधिक पिछड़े 115 जिलों में महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना करेगी, इन केन्द्रों के द्वारा सरकार कौशल विकास प्रशिक्षण,रोजगार,डिजिटल साक्षरता,स्वास्थ्य तथा पोषण की सुविधाएं प्रदान करेगी। (ii) इस योजना के तहत सरकार महिला छात्रावासों के मार्फत कार्य करने वाली महिलाओं को समर्थन भी करेगी। (iii) इस योजना के लिए स्थानीय महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक योजना तथा एनसीसी इकाईयों के द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया जायेगा। (iv) इस योजना के अन्तर्गत यौन प्रताड़ित महिलाओं को पुलिस, कानून तथा चिकित्सकीय सहायता देने के लिए 150 वन स्टॉप सेंटर्स की स्थापना की जायेगी। (v) आंगनवाड़ी केन्द्रों पर महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। (vi) महिला शक्ति केन्द्र योजना के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना तथा बालिकाओं को प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना व उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

21. **लिंग आधारित बजट योजना (Gender Based Budget Scheme)**– भारत में जेंडर बजटिंग प्रमुख रूप से वर्ष 2004-05 में तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा सभी विभागों को जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ की स्थापना के आदेश के साथ हुई। जेंडर बजटिंग को संस्थागत बनाने के लिए सभी मंत्रालयों में 08 मार्च, 2007 से प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। इन प्रकोष्ठों का उद्देश्य लैगिंक असामनता को खत्म करने के लिए संबंधित मंत्रालय की नीतियों तथा कार्यक्रमों को प्रभावित करना है। जनवरी, 2009 में भारत सरकार द्वारा लिंग आधारित बजट पुस्तिका जारी की गई। जेंडर बजटिंग अपनाने वाले राज्यों में ओडिशा ने वर्ष 2004.05 से जेंडर बजटिंग अपनाने की पहल की। भारत सरकार ने वर्ष 2020.21 के लिए लिंग आधारित बजट में कुल 2.07 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया तथा वर्ष 2021.22 के बजट में आवंटन घटाकर 153326.28 करोड़ रुपये कर दिया गया।

22. **राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना (National Creche Sceheme)/ राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना (Rajiv Gandhi National Creche Scheme)**– राष्ट्रीय क्रेच योजना 01 जनवरी, 2017 से लागू की गई। पहले इस योजना का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना था। यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के बच्चों की उचित देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।

योजना के मुख्य बिन्दु -

- कामकाजी महिलाओं को बच्चों का उचित पोषण देना तथा उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
- समय-समय पर स्वास्थ्य जांच करना एवं आवश्यकतानुसार टीकाकरण करना।
- कामकाजी महिलाओं के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक तथा समग्र विकास को बढ़ावा देना।
- बच्चों की उचित देखभाल करने हेतु अभिभावकों को शिक्षित व सशक्त बनाना।
- बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उचित देखभाल करना।

इस योजना को प्रभावी रुप से लागू करने के लिए शिशुगृह का शुल्क भी निर्धारित है जो निम्नानुसार हैं –

1. गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिए 20 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा।
2. 12000 रुपये प्रति माह तक की आय वाले परिवार के लिए 100 रुपये प्रति माह, प्रति बच्चा।
3. 12000 प्रति रुपये माह से अधिक आय वाले परिवार के लिए 200 रुपये प्रतिमाह प्रति बच्चा।

23. राष्ट्रीय महिला आयोग (The National Commission For Women)– राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत 31 जनवरी, 1992 को की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के उद्देश्यों में उचित नीति निर्माण, विधिसम्मत उपाय, महिलाओं से सम्बंधित कानूनों की प्रभावी पालना, योजना कार्यक्रम एवं नीतियों को प्रभावी तरीकों से लागू कर महिलाओं के हितों की रक्षा करना, महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव एवं प्रताड़ना के कारण आने वाली समस्याओं के निपटारे के लिए नीतियां बनाकर समस्याओं का निराकरण करना तथा महिलाओं का सक्षम बनाना शामिल है। राष्ट्रीय महिला आयोग पारिवारिक लोक अदालतें लगाकर, पारिवारिक विवादों के निपटारे के लिए परामर्श देता है और कानूनी अधिकारों के लिए महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, महिला पुलिस स्वयं सेवक कार्यक्रम तथा कई प्रकार के पुरस्कार जैसे नारी शक्ति पुरस्कार आदि भी दिये जाते हैं।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. **इन कथनों में सत्य व असत्य बताइए :**
   - (i) कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना की शुरूआत 1972-73 में की गई।
   - (ii) महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहयोग योजना महिलाओं के राजनीतिक उत्थान के लिए प्रारम्भ की गई।
   - (iii) सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर, 2019 को प्रारम्भ की गई।
   - (iv) उज्ज्वला योजना महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रारम्भ की गई।
2. किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्य बताइए।
3. भारत में महिला एवं बच्चों से सम्बंधित किन्ही दो कानूनों के नाम लिखिए।

12.4 भारत में बाल कल्याण कार्यक्रम (Child Welfare Programmes in India)

भारत सरकार ने बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा 22 अगस्त, 1974 को की, इसी के साथ व्यवस्थित रूप से विकास एवं संरक्षण के कार्य की शुरुआत हुई। भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की स्थापना 05 मार्च, 2007 से बच्चों के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत की गई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयोग भारत में यह सुनिश्चित करने का कार्य करता है कि देश की समस्त नीतियां, कानून, कार्यक्रम आदि संविधान द्वारा दिए गए बाल अधिकार के प्रावधानों के अनुरूप हो।

देश में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर बाल विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाए गए जो इस प्रकार हैं –

1. **कल्याण विस्तार योजना (Welfare Extension Project) :** भारत में इस परियोजना का शुभारम्भ वर्ष 1954 में किया गया। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाकर महिलाओं तथा बच्चों को मूलभूत सेवाएं प्रदान करना था। इस परियोजना के अन्तर्गत माता एवं शिशु को प्राथमिक चिकित्सा के साथ-साथ पूरक पोषाहार प्रदान कर उनके स्वास्थ्य की उचित देखभाल करना भी शामिल था। कल्याण विस्तार परियोजना में नजदीकी गांवों को मिलाकर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की व्यवस्था करनी थी, जिससे महिलाओं तथा बच्चों को विभिन्न सेवाओं का लाभ प्रदान किया जा सके।
2. **बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम (Child Nutrition Programme) :** भारत में बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम को वर्ष 1970 में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा बच्चों को पोषाहार देकर महिलाओं व बच्चों का विकास करना शामिल है। बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम

द्वारा गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा बच्चों को कुपोषण के दुष्प्रभावों से बचाने का लक्ष्य रखा गया था।

3. **एकीकृत/समेकित/समन्वित बाल विकास सेवा योजना (Integrated Child Development Services Yojana) :** राष्ट्रीय बाल नीति, 1974 के पश्चात् भारत में वृहद् रूप में 02 अक्टुबर, 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 0-6 वर्ष आयु के 15.8 करोड़ बच्चे हैं। इन बच्चों के समुचित विकास एवं संरक्षण का दायित्व मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है, इसी उद्देश्य के पूर्ती हेतु एकीकृत बाल विकास सेवा योजना को लागू किया गया है।

योजना के उद्देश्य (Objectives of Scheme)–

1. बच्चों (0-6) आयु वर्ग के पोषण तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
2. विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाना।
3. शिशु मृत्यु दर, बाल विकृति तथा कुपोषण में कमी लाना।
4. दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर बाल विकास को गति प्रदान करना।
5. आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना कर बच्चों के विकास को बढ़ावा देना।
6. महिलाओं की क्षमता वृद्धि के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना।

योजना की मूलभूत सेवाएं (Basic Services of Scheme)

1. पूरक पोषण सेवा
2. स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
3. रोग प्रतिरक्षण/टीकाकरण
4. स्वास्थ्य जांच सेवा
5. स्वास्थ्य परामर्श सेवाएं
6. पोषण एवं स्वास्थ्य जांच सेवा

पूरक पोषण सेवा के अन्तर्गत छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आंगनवाड़ी सहायक द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है। स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा सेवा के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा 3-6 आयु वर्ग के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है। रोग प्रतिरक्षण अथवा टीकाकरण सेवा के अन्तर्गत आंगनवाड़ी के माध्यम से छह वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं के लिए टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाती है।

स्वास्थ्य जांच सेवा एवं स्वास्थ्य परामर्श सेवा के अन्तर्गत भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से छह वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रदान की जाती है। समन्वित बाल विकास योजना का वित्त भार केन्द्र व राज्यों में क्रमश 60:40 के अनुपात में रहेगा। हिमालय एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 का रहेगा।

4. **किशोरी शक्ति योजना (Kishori Shakti Yojana) :** यह योजना समन्वित बाल विकास योजना की उपयोजना है जिसका विस्तृत विवरण इसी इकाई में महिला विकास योजनाओं में कर दिया गया है।
5. **आंगनवाड़ी सेवा (Aanganwadi Service) :** आंगनवाड़ी सेवा योजना समन्वित बाल विकास योजना की ही उपयोजना है। महिलाओं और छह वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के पोषण एवं उत्तम स्वास्थ्य हेतु 1975 में केन्द्र सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना की। इस योजना के वित्तभार का बंटवारा केन्द्र व राज्य सरकरों में क्रमश 90:10 अनुपात में किया जाता है। आंगनवाड़ी योजना के उद्देश्यों में मुख्य रूप से (i) 06 वर्ष तक के आयु वर्ग के

बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य में सुधार (ii) बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास करना (iii) मृत्यु दर में कमी लाना (iv) रोग व कुपोषण को कम करना तथा (v) गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सही पोषण एवं स्वास्थ्य की शिक्षा देना शामिल है।

6. **बाल संरक्षण सेवा (Child Protection Service) :** महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल संरक्षण सेवा अथवा समेकित बाल संरक्षण सेवा योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई। समेकित बाल संरक्षण सेवा योजना बाल अधिकारों की सुरक्षा एवं बच्चों का सर्वाधिक हित के सिद्धान्तों पर आधारित है। यह योजना मंत्रालय की वर्तमान योजनाओं जैसे गलीकूचों व कामकाजी बच्चों के लिए योजना, किशोर न्यास प्रशासन आदि को एक छत के नीचे लाती है। इस योजना के द्वारा जरूरतमंद बच्चों व कानून की अवहेलना करने वालों का समग्र विकास, देखभाल, संरक्षण तथा इनके प्रति मित्रवत व्यवहार अपनाने का दृष्टिकोण रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम और उसके नियमों को लागू करती है। इस योजना के अन्तर्गत चाइल्ड लाइन सेवा भी उपलब्ध करवाई जाती है।
   चाइल्ड लाइन एक 24 x 7 आपातकालीन सेवा है। मुश्किल या मुसीबत में होने वाले बच्चे इस फोन सेवा का 24 घण्टे उपयोग कर सकते हैं। चाइल्ड लाइन सेवा भारत सरकार द्वारा 1999 में प्रारम्भ की गई।
7. **राष्ट्रीय शिशु गृह योजना (National Creche Scheme) :** इस योजना का संचालन 01 जनवरी, 2017 से राज्यों के माध्यम से किया जा रहा है। पूर्व में इस योजना का नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह था। सितम्बर 2020 तक भारत में 6004 शिशुगृह कार्यशील थे। योजना के अन्तर्गत कामकाजी महिलाओं के छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों की देखरेख की सुविधा प्रदान की जाती है।
8. **बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र (United Nations Organisations Charter For Children Rights) :** संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के द्वारा बच्चे के अधिकारों का घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसे 20 नवम्बर, 1989 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
   घोषणा पत्र के अनुसार बाल हित तथा बच्चों की सर्वाधिक आश्यकताओं हेतु साधनों के आवंटन में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चों को पूर्ण क्षमताओं की प्राप्ति हेतु बुनियादी अधिकार जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नागरिक आदि देना। भारत सरकार द्वारा इस घोषणा पत्र को दिसम्बर 1992 में हस्ताक्षर कर स्वीकार किया गया। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार कई अधिनियम, आयोग एवं योजनाएं बनाई गई जैसे - बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि।
9. **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बालिका दशक (South Asian Association for Regional Co-operation Girl Child Decode) :** सार्क द्वारा 1991-2000 के दशक को बालिका दशक घोषित किया गया। संगठन ने समस्त सदस्य, राष्ट्रों में बालिकाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु कई कार्य योजनाएं बनाने पर बल दिया। भारत सार्क संगठन का सदस्य राष्ट्र है, इसलिए 1991-2000 के दशक में भारत सरकार ने बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास तथा जागरूकता बढाने पर बल दिया।

12.5 बच्चों को दिये जाने वाले पुरस्कार (Awards for children)

(i) राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार- भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर बहादुरी दिखाने वाले चयनित बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत सन् 1957 से भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा की गई थी।

राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों में दिया जाता हैं –

i. सामान्य राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार (1957)
ii. गीता चोपड़ा पुरस्कार (1978)

iii. संजय चोपड़ा पुरस्कार (1978)
iv. भारत पुरस्कार (1987)
v. बापू गायधनी पुरस्कार (1988)

उपर्युक्त सभी योजनाएं एवं पुरस्कार भारत में मुख्य रूप से बाल विकास तथा बच्चों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए हैं।

स्व-मूल्यांकन - द्वितीय

1. **इन कथनों में सत्य व असत्य बताइये:**
   (i) राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी, 1992 को की गई।
   (ii) समन्वित बाल विकास सेवा योजना में मूलभूत सेवाओं की संख्या तीन है।
   (iii) सार्क द्वारा 1991-2000 के दशक को बालिका दशक घोषित किया गया।
   (iv) राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार महिला उत्थान के लिए दिया जाता है।
2. भारत में बाल कल्याण की योजनाओं के नाम लिखीए।
3. सुकन्या समृद्धि योजना पर टिप्पणी लिखिए।

12.6 सारांश (Summary)

भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में महिला एवं बाल कल्याण का अत्यधिक महत्त्व है। भारत में आजादी के पश्चात सुव्यवस्थित तरिके से महिला एवं बाल कल्याण करने के लिए 1985 में महिला एवं बाल विभाग कि स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई। हालांकि विभाग की स्थापना से पूर्व भी कई प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए गये तथा कानून बनाए गये। भारत में महिला कल्याण के लिए मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना, स्वालंबन महिला प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहयोग योजना, मातृत्व लाभ योजना, बालिका समृद्धि योजना, निर्भया कोष, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन, महिला शक्ति केंद्र योजना आदि संचालित की जा रही है तथा राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार के पुरस्कार भी प्रदान किये जा रहे है।

12.7 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात हम यह समझने में सक्षम हो जाते हैं कि भारत में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े हुए कौन-कौनसे कानून उपलब्ध हैं, भारत सरकार द्वारा महिला कल्याण हेतु कौन-कौनसे कार्यक्रम वर्तमान में संचालित किए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा बाल कल्याण हेतु वर्तमान में किन-किन कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है एवं उनका लाभ सम्बंधित वर्ग को किस प्रकार से उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही हम यह भी जानने में सक्षम हो जाते हैं कि बच्चों को विभिन्न प्रकार की बहादुरी के लिए कौन-कौनसे पुरस्कार वर्तमान में दिए जा रहे हैं।

12.8 शब्दावली (Glossary)

- **स्वावलम्बन (Swawalamban) :** यह कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण करने के उद्देश्य से 1982-83 में प्रारम्भ किया गया।
- **सुमन (SUMAN) :** सुरक्षित मातृत्व आवास योजना।
- महिला सशक्तिकरण (**Women Empowerment**) **:** समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकारों की प्राप्ति के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है।
- **जेंडर बजटिंग (Gender Budgeting) :** लैंगिग समानता के लिए किसी देश के बजट एवं महिला सशक्तिकरण के लिए किये जाने वाले धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहते हैं।

12.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

(क) (i) सत्य (ii) असत्य (iii) सत्य (iv) सत्य (v) असत्य

(ख) (i) सत्य (ii) असत्य (iii) सत्य (iv) असत्य

12.10 स्व परख प्रश्न (Self Test Questions)

अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न (Very Short Type Questions)

1- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई?
When was national commission for protection of child rights established?

2- 'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ' अभियान क्या है?
What is 'Beti Bachao-Beti Padhao Mission'?

3- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया?
When was the national commission for women constituated?

4- भारत में जेंडर बजट कब शुरु हुआ?
When was Gender Budget started in India?

लघुतरात्मक प्रश्न (Short type Questions) –

1- समन्वित बाल विकास सेवा को संक्षेप में समझाइयेs?
Brifly explain the integrated child development services?

2- किशोरी शक्ति योजना के उद्देश्य समझाइये?
Explain the objectives of Kishori Shakti Yojana?

3- राष्ट्रीय महिला आयोग पर टिप्पणी लिखिए।
Write short note on the national commission for women.

4- रोजगार एवं प्रशिक्षण के लिए सहायता (स्टेप) पर टिप्पणी लिखिए।
Write short note on support to training – cum employment (STEP).

निबन्धात्मक प्रश्न (Essay type Questions) –

1- भारत में संचालित बाल कल्याण कार्यक्रमों पर लेख लिखिए।
Write an essay on 'Child Welfare Programmes' operated in India.

2- महिला कल्याण कार्यक्रम पर लेख लिखिए।
Write an essay on women Welfare Programmes.

3- टिप्पणी लिखिए
(i) शिशु सदन
(ii) राष्ट्रीय शिशु सदन कोष
(iii) बच्चों के अधिकारों के बारे में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र
Write short notes -
(i) Creches / Day Care Centres
(ii) National Crech Fund
(iii) United Nations Organisation Charter for Children Rights.

4- भारत में चलाये जा रहे महत्वपूर्ण महिला कल्याण कार्यक्रमों की विवेचना कीजिए। Disscuss important women welfare programmes being running in India.

12.11 संदर्भ व ग्रन्थ-सूचि (References and Bibliography)

- कटार सिंह : ग्रामीण विकास सिद्दांत, नित्तियां एवं प्रबंध
- लाखा राम चौधरी : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज़ संस्थाएं
- डॉ बसंतीलाल बाबेल : पंचायती राज़ एवं ग्रामीण विकास योजनाएं
- धर्मेन्द्र सिंह : पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास
- डॉ रवि शंकर जमुआर : भारत में ग्रामीण विकास अवधारणा, रणनीति और योजनाएं
- डॉ एच.आर.स्वामी एवं डॉ बी.पी.गुप्ता : ग्रामीण विकास एवं सहकारिता
- दत्त एवं सुन्दरम : भारतीय अर्थव्यवस्था
- जनसत्ता
- द हिन्दू
- दैनिक भास्कर

12.12 वेब संसाधन/लिंक/अन्य पठन सामग्री (Web Resources/Links/Other Reading Material)

- https://wcd.nic.in/sites/default/files/Working%20Women%20Hostel_about_revised_about.pdf
- https://nsfdc.nic.in/en/mahila-samriddhi-yojana
- https://pmmodiyojana.in/balika-samridhi-yojana/
- https://wcd.nic.in/womendevelopment/national-policy-women-empowerment
- http://www.bbbpindia.gov.in/
- https://www.nhp.gov.in/integrated-child-development-services-icds_pg
- https://wcd.nic.in/schemes/national-creche-scheme

इकाई - 13

ग्रामीण विकास के वित्तीय स्रोत

(Sources of Finance for Rural Development)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

13.0 उद्देश्य
13.1 प्रस्तावना
13.2 ग्रामीण विकास की अवधारणा
13.3 ग्रामीण वित्त का अर्थ
13.4 ग्रामीण वित्त की आवश्यकता
13.5 ग्रामीण वित्त का महत्व
13.6 ग्रामीण वित्त के प्रकार
13.7 भारत में ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्रोत
13.8 गैर संस्थागत स्रोत
13.8.1 सेठ/महाजन या साहूकार
13.8.2 भू-स्वामी
13.8.3 व्यापारी या दलाल
13.8.4 रिश्तेदार या मित्र
13.9 संस्थागत स्रोत
13.9.1 रिज़र्व बैंक ऑफ़ इण्डिया
13.9.2 सहकारी समितियाँ
13.9.3 भूमि विकास बैंक
13.9.4 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
13.9.5 व्यापारिक बैंक
13.9.6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13.9.7 नाबार्ड
13.10 सरकार
13.11 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण वित्त
13.12 ग्रामीण वित्त मुद्दे व चुनौतियाँ
13.13 ग्रामीण वित्त की व्यवस्था सुधारने के सुझाव
13.14 किसान क्रेडिट कार्ड
13.15 निर्धनों के स्वयं सहायता समूह
13.16 बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक
13.17 सांसदों द्वारा गाँव के दत्तक ग्रहण
13.18 सारांश

13.19 अधिगम परिणाम
13.20 शब्दकोश
13.21 स्व परख प्रश्न
13.22 संदर्भ व ग्रन्थसूची
13.23 अन्य पठन सामग्री
13.24 वेब संसाधन/लिंक

13.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को ग्रामीण वित्त से अवगत कराया जायेगा, जिसमे ग्रामीण वित्त का अर्थ, ग्रामीण वित्त की आवश्यकता व महत्त्व, ग्रामीण वित्त के प्रकार, ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्त्रोत (संस्थागत और गैर-संस्थागत) ग्रामीण वित्त के मुद्दे व चुनौतियों, ग्रामीण वित्त की व्यवस्था को सुधारने के सुझाव, किसान क्रेडिट कार्ड तथा सांसदों द्वारा गाँव के दत्तक ग्रहण आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है।

13.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था मुख्यत: "ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था" थी, हालांकि ग्रामीण क्षेत्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, परन्तु अनेक अर्थशास्त्रियों के अनुसार पांच हज़ार से कम जनसंख्या, 75% पुरुष जनसंख्या कृषि में लगी हो तथा जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी. से कम हो तो वह ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है।

ग्रामीण क्षेत्र में कृषि ही आजीविका का मुख्य साधन है एक बार महात्मा गाँधी ने कहा था कि "भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केन्द्रों के विकास से नहीं, बल्कि मुख्य रूप से गांवों के विकास से है", तकनीकी विकास के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में विकास तथा मुख्यत: किसानों के पास कृषि जोतों का आकार बहुत छोटा होने के कारण कृषि कार्य लाभप्रद नहीं रहा है इसके कारण किसानों तथा अन्य ग्रामीणों को रोजगार, ग्राम विकास तथा दैनिक व्ययों की पूर्ति के लिए ऋण पर निर्भर रहना पड़ता है, अत:भारतीय अंचलों में ग्रामीण वित्त का अत्यंत महत्त्व है।

13.2 ग्रामीण विकास की अवधारणा (Concept of Rural Development)

ग्रामीण विकास की अवधारणा का प्रारम्भ महात्मा गाँधी के कथन "भारत की आत्मा गाँवों में बसती है" से हुआ, पंडित नेहरु ने औद्योगिक विकास और लाल बहादुर शास्त्री ने "जय जवान जय किसान" का नारा देकर कृषि के महत्त्व पर बल दिया, ग्रामीण विकास में लोगों की आर्थिक दशा में सुधार के साथ सामाजिक परिवर्तन भी शामिल है, प्रारम्भ में विकास के लिए मुख्य बल कृषि, उद्योग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सम्बंधित क्षेत्रों पर दिया गया लेकिन बाद में देखा गया कि विकास तभी संभव है जब निचले स्तर के लोगों की प्रत्यक्ष व परोक्ष भागीदारी हो, देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के उपयोग स्तर में जमीन आसमान का अंतर है, जल, विद्युत, परिवहन, संचार, शिक्षा आदि सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में आम आदमी को अपेक्षकृत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जबकि देश में आज भी लगभग 50% गाँव ऐसे है जहाँ अच्छी सड़कों का निर्माण तथा राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ाव नही हो पाया है, गाँव भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है, देश की लगभग दो-तिहाई (69%) जनसंख्या गाँव में निवास करती है, देश का समग्र विकास करने, आर्थिक खुशहाली लाने, सामाजिक-राजनैतिक पिछड़ापन दूर करने तथा देश में मानवीय तथा सामाजिक मूल्यों का दिन-प्रतिदिन हास होने से बचाने के लिए ग्रामीण विकास की नितांत आवश्यकता है।

13.3 ग्रामीण वित्त का अर्थ (Meaning of rural finance)

ग्रामीण वित्त का तात्पर्य निवेश किये जाने वाले धन की उस राशि से है, जो किसान की उत्पादकता वृद्धि के लिए प्राप्त किये गये ऋण एवं उपभोग ऋण जिससे किसान की कौशल क्षमता में वृद्धि हो, सम्मिलित होते है।

किसानों को भूमि में स्थायी सुधार करने, ऊँची कीमत के यंत्रों को खरीदने, मकान व कुआँ बनवाने, अच्छी किस्म के खाद, बीज आदि खरीदने तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाओं का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार के अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण लेने होते है।

सर फैडरिक निकल्सन के अनुसार "किसानों के लिए ऋण लेना अनिवार्य है, उधार लेना न तो आपत्तिजनक है और न दुर्बलता का द्योतक। परन्तु यदि इस ऋण का दुरुपयोग किया जाये तो ऋणग्रस्तता विपत्ति का द्योतक बन जाती है।"

13.4 ग्रामीण वित्त की आवश्यकता (Need of rural finance)

प्राचीन काल में ग्रामीण वित्तीय स्रोतों में महाजन या साहूकार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जो ग्रामीण जनता की सभी आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करते थे, भारत में संस्थागत वित्तीय स्रोतों के विकसित होने के बावजूद भी ग्रामीण इनसे ऋण प्राप्त करते हैं, अधिकांश ग्रामीण जनता गरीबी, बेरोजगारी ऋणग्रस्तता, अज्ञानता व सामाजिक रीति-रिवाजों से जकड़ी होने के कारण देशी बैंकरों अर्थात सेठ, साहूकार, जमीदारों के चंगूल में फंस जाते हैं, ये लोग ऋण की कठोर शर्तों व अधिक ब्याज दर रखकर कृषक व ग्रामीण जनता का शोषण करते है, और ग्रामीण पीढ़ी दर पीढ़ी ऋण जाल में फँसा रहता है, इसलिए सही कहा गया है कि, "भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है एवं ऋण में ही मर जाता है अर्थात् ऋणग्रस्तता का कुचक्र चलता रहता है।"

13.5 ग्रामीण वित्त का महत्व (Importance of Rural Finance)

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कृषि संसाधनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को पूंजी की आवश्यकता होती है, भारतीय कृषि, की विशेषता सामान्य रूप से कम और अनिश्चित रिटर्न है। इन सभी परिस्थितियों में किसान व कारीगर को उचित ब्याज दर, आसान शर्तों एवं किस्तों में भुगतान की सुविधा के लिए ग्रामीण वित्त का महत्त्व और भी बढ़ जाता है, मुख्य रूप से ग्रामीण वित्त के महत्व निम्न है-:

(i) छोटे किसानों एवं दस्तकारों को व्यवसाय चलाने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है उसी तरह किसान को हल, बैल, बीज, खाद, कीटनाशक दवाईयां, मजदूरी भुगतान आदि के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है।

(ii) किसान को कुछ स्थायी परिसम्पतियाँ जैसे भूमि, ट्रेक्टर, पम्पसेट, कुआँ बनवाने मेड़, तारबंदी इत्यादि के लिए भी ग्रामीण वित्त की महती आवश्यकता होती है।

(iii) किसान को अकाल, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या अन्य किसी भी प्राकृतिक प्रकोप के कारण फसल के तैयार होने तक भारी जोखिम उठानी पड़ती, इन जोखिमों से बचने के लिए ग्रामीण किसान ग्रामीण वित्त का सहारा लेता है।

(iv) भूमिहीन किसान और खेतीहर मजदूर के सामने यह समस्या आती है कि बड़े वित्तिय संस्थानों या बैंकों से ऋण लेने के लिए उसके पास जमानत के रूप में संसाधन उपलब्ध नहीं होते, मजबूरन उसे कठोर शर्तों पर व्यक्तिगत जमानत पर ऋण लेना पड़ता है, संस्थागत साख व्यवस्था ही इस स्थिति से ग्रामीण किसानों दस्तकारों और मजदूरों को मुक्त करा सकती है।

(v) किसान देशी बैंकरों से ऋण लेने पर उनके अहसान तले दबा रहता है जिसके कारण उसे उन्हें सस्ती दर पर अपनी फसल को बेचना पड़ता है, किसान को अपनी उपज का पूरा मूल्य नही मिलता है, देशी बैंकर किसान को कृषि उपज मंडियों तक नहीं पहुँचने देता, इन सबसे ग्रामीण किसान संस्थागत वित्तीय स्रोतों के उत्थान से ही बच सकता है।

(vi) ग्रामीण वित्त का महत्त्व तब भी बढ़ जाता है जब किसान के पास भण्डारण की सुविधा उपलब्ध नही होती, यह सर्वविदित है कि फसल तैयार होने पर कृषि उपज की पूर्ति बढ़ने से उसके दाम कम हो जाते है, यदि ग्रामीण किसान को भण्डारण के लिए गोदाम बनाने में सहायता मिल जाये तो वह उचित समय पर फसल बेचकर अधिक लाभ कम सकता है।

(vii) ग्रामीण जनता को संस्थागत साख की आवश्यकता पड़ती है, संस्थागत साख का मूल उद्देश्य निर्धनता, अत्यधिक लगान, ब्याज तथा ऋण के दूषित चक्र को तोड़ना तथा किसान को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।

13.6 ग्रामीण वित्त के प्रकार (Types of Rural Finance)

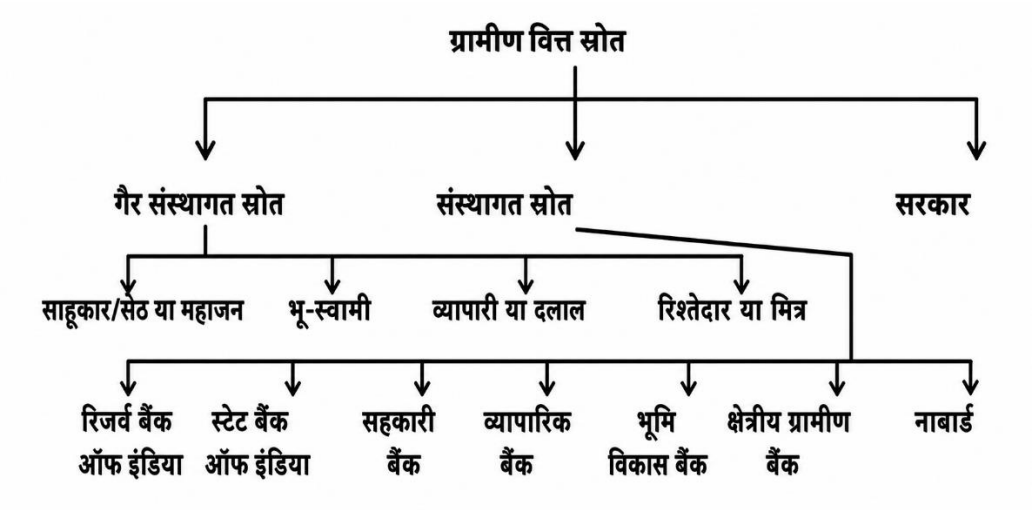
भारत में कृषि कार्यों के लिए समयानुसार तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है -:

(i) अल्पकालीन ऋण (Short-term Loan) :- किसानों द्वारा खेतों में बीज, कीटनाशक दवाइयाँ आदि क्रय करने, श्रमिकों की मजदूरी भुगतान करने, भूमि का लगान जमा कराने, पशुओं के लिए चारा व दाना खरीदने आदि कामों के लिए दिया जाता है, इस ऋण के भुगतान की अधिकतम अवधि15 माह होती है।

(ii) मध्यकालीन ऋण :- किसानों द्वारा यह ऋण कृषि से सम्बन्धित औजार, बैल व दुधारू पशु खरीदने, कुँए गहरे करने, भूमि सुधार करने, कुओं पर मोटर लगाने, बाड़ लगाने आदि कार्यों के लिए अधिकतम 5 वर्ष के लिए उपलब्ध करवाया जाता है।

(iii) दीर्घकालीन ऋण :- कृषकों द्वारा भूमि क्रय करने, भूमि पर स्थायी सुधार करने, ट्रेक्टर व अन्य मशीनों के क्रय करने, कुआँ बनवाने, फार्म में खाद्यान्न संग्रहण के लिए गोदाम, पशुशाला भवन, कुओं पर बिजली आदि के लिए सामान्यत: 5 से 20 वर्ष के लिए उपलब्ध करवाए जाने वाला ऋण दीर्घकालीन ऋण है।

13.7 भारत में ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्रोत (Main Sources of Rural Finance in India)



13.8 गैर-संस्थागत स्रोत (Non- Institutional sources)

13.8.1 सेठ, साहूकार या महाजन (Seth, Mahajan or Money Lender): महाजनों, सेठ या साहूकार द्वारा ऋण देने में अनेक महत्वपूर्ण कार्य बिन्दू है –

1. साहूकार/सेठ या महाजन आवश्यकता के समय तुरंत ऋण उपलब्ध करवाते है।
2. ऋण प्रदान करने में जमानत या गिरवी और व्यक्तिगत साख विधियों का प्रयोग करते है।

3. साहूकार या महाजन उत्पादक व अनुत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाते है।

13.8.2 भू-स्वामी (Land Owner)

देशी बैंकरों में जहाँ सेठ, या साहूकार, महाजन का अपना महत्व है, वहाँ देशी बैंकर्स भी पीछे नही हैं, इनका भी अपना काम मजदूर तथा अन्य ग्रामीण व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाना होता है। ये कृषकों की फसल के विपणन से प्राप्त राशि से अपना ऋण वसूल करते है।

13.8.3 व्यापारी या दलाल (Trader or Broker)

व्यापारी या दलाल किसानों तथा ग्रामीणों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उधार उपलब्ध करवाते हैं और उनसे ब्याज या कमीशन प्राप्त करते हैं। मुख्यतया: इन व्यापारियों और कमीशन एजेंटों के होने से ग्रामीणों को वित्त की सुविधा उपलब्ध हो जाती है।

13.8.4 रिश्तेदार या मित्र (Relative or Friend)

ग्रामीण वित्त के गैर संस्थागत स्रोतों में रिश्तेदार तथा मित्र द्वारा वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, ये मित्र और रिश्तेदार ज़रूरत पड़ने पर एक दुसरे की मदद कर एक प्रकार से वित्त का स्रोत बनते है।

13.9 ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोत (Institutional Sources of Rural Finance)

स्वतंत्रता के बाद संस्थागत स्रोतों की कार्यप्रणाली विस्तृत होती जा रही है, यह संतोषजनक स्थिति है। ग्रामीण वित्त के संस्थागत स्रोतों में रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक, व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड आदि को सम्मिलित करते है और उनके द्वारा प्रदान किया जाने वाला वित्त ग्रामीण वित्त का संस्थागत स्रोत कहलाता है।

13.9.1 रिज़र्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India)

यद्यपि रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार कृषक या अन्य किसी दस्तकार को कोई भी प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं किया जाता लेकिन रिज़र्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम के कृषि वित्त में विशेष योगदान दे रही है, राज्य सहकारी बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंकों व प्राथमिक सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ऋण देते हैं, वर्तमान में रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण विकास व कृषि सम्बन्धी ऋणों का सारा भार नाबार्ड को सौंप दिया है।

13.9.2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India)

कृषि वित्त का प्रमुख स्रोत स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया है जो अपनी शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जिन स्थानों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है वहाँ सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है, साथ ही माल-गोदामों की रसीदों पर भी ऋण उपलब्ध करवाता है स्टेट बैंक विकास बैंकों के ऋण पत्रों को खरीद कर उन्हें वित्त प्रदान करता है, भारतीय स्टेट बैंक ने जून, 1972 से "कृषि विकास शाखाएँ" खोलने की एक नई योजना आरम्भ की है।

13.9.3 सहकारी बैंक (Co-operative Bank)

a. **प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (Primary Agricultural Credit Societies) :-** प्राथमिक कृषि साख समितियाँ ग्रामीण स्तर पर अपने सदस्यों को ऋण प्रदान करती हैं, ये समितियाँ केवल उत्पादन कार्यों के लिए एक वर्ष के लिए ऋण प्रदान करती है।

b. **केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Banks):-** केन्द्रीय सहकारी बैंक सहकारी साख के ढाँचे में जिला स्तर पर स्थापित किये गये है, ये बैंक प्राथमिक कृषि साख समितियों को आवश्यकता पड़ने पर वित्त प्रदान करता है, सदस्यों में बचत व मितव्ययिता की आदत विकसित करना, बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करवाना, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग समितियों का विस्तार कर सामयिक निरीक्षण, नियंत्रण व मार्गदर्शन करना आदि हैं।

c. **राज्य सहकारी बैंक (State coo-perative Banks)-:** राज्य सहकारी बैंक सम्बन्धित राज्य में सहकारी आन्दोलन की शीर्षस्थ संस्था है, यह बैंक राज्य की समस्त सहकारी साख संस्थाओं का नियंत्रण एवं निर्देशन करता है, इसके साथ ही यह विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।

13.9.4 व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व व्यापारिक बैंक कृषि के लिए केवल अप्रत्यक्ष ऋण ही प्रदान करते थे राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए ऋणों की मात्रा में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। व्यापारिक बैंक कृषि क्षेत्र की वित्त व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है तथा इन बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ 50% गाँवों को प्राप्त हो रहा है जिससे कृषि क्षेत्रों को काफी लाभ पहुँचा है, तथा उपज की मात्रा में वृद्धि हुई है।

13.9.5 भूमि विकास बैंक (Land Development Bank)

इन बैंकों का प्रमुख उद्देश्य एवं कार्य कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना है, इनके द्वारा प्रदान किये जाने वाले ऋण का लगभग 90% भाग कृषि उत्पादक कार्य जैसे ट्रेक्टर खरीदने, खेतों को उपजाऊ बनाने तथा अन्य विकास कार्यों के लिए दिया जाता है, और शेष 10% अनुत्पादक कार्यों के लिए दिया जाता है। भूमि विकास बैंक किसान को उसकी भूमि के मूल्य की आधी राशि के बराबर ऋण देते है, ऋण देते समय भूमि को गिरवी रख लिया जाता है।

13.9.6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Banks)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लघु एवं सीमान्त कृषक,कृषि श्रमिक, कारीगर एवं छोटे उद्यमियों की ऋण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इन बैंकों की स्थापना मुख्यत: पिछड़े एवं जनजाति क्षेत्रों में करने का निर्णय लिया गया है। जहाँ वाणिज्यिक एवं सरकारी बैंकों की शाखाओं का विस्तार अभी तक कम है।

13.9.6 नाबार्ड (NABARD)

नाबार्ड जिसका पूरा नाम "राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक" की स्थापना 12 जुलाई 1982 को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने के साथ-साथ कृषि, लघु-उद्योगों कुटीर एवं ग्रामीण उद्योगों, ग्रामीण दस्तकारों आदि के लिए पुनर्वित प्रदान करता है तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवम् योजना आयोग के कार्यों में समन्वय स्थापित कर ग्रामीण साख एजेन्सी जैसे राज्य सहकारी बैंक, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक आदि को अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण देता है, नये बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लिए साख सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने व्यापारिक व अन्य वित्तीय संस्थाओं को इस बात के लिए बाध्य किया है कि ये अपने ऋण का एक निश्चित भाग कमजोर वर्गों को देते हैं।

13.10 सरकार (Government)

कृषि साख की व्यवस्था राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा भी की जाती है, राज्य द्वारा भूमि सुधार ऋण अधिनिमम, 1883 तथा कृषि ऋण अधिनियम, 1884 के अन्तर्गत कृषि ऋण दिया जाता रहा है, इन ऋणों को "तकावी ऋण" कहा जाता है, इन अधिनियमों के अंतर्गत किसानों व भूमिपतियों को भूमि पर स्थायी सुधार करने जैसे कुआँ खोदने, बांध बनाने आदि

के लिए 20 वर्ष तक की अवधि के दीर्घकालीन ऋण दिए है साथ ही बीज, खाद, हल व बैल आदि क्रय करने के लिए अल्पकालीन ऋण दिये जाते है ये ऋण तहसीलदार अथवा विकास अधिकारी के माध्यम से दिये जाते हैं।

13.11 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण वित्त (Rural Finance during different Plans)

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण वित्त का तेजी से विस्तार हुआ है योजनाकाल में कृषि वित्त का विवरण निम्नानुसार है-:

- प्रथम योजना में सरकार, सहकारी समितियों व अन्य वित्तिय संस्थाओं द्वारा कृषि साख के लिए 125 करोड़ रु. उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा गया लेकिन वास्तविक साख 43 करोड़ रही है।
- द्वितीय योजना में कुल मिलाकर 241 करोड़ रु. की कृषि साख उपलब्ध करवाई गई।
- तृतीय योजना में कृषि साख के लिए 675 करोड़ रु. उपलब्ध करवाने का प्रावधान रखा, परन्तु 550 करोड़ रु. की साख उपलब्ध करवाई गयी।
- चतुर्थ योजना में सरकार, सहकारी संस्थाओं व अन्य वित्तिय संस्थाओं द्वारा करोड़ 1050 की कृषि साख उपलब्ध करवाई गई।
- पाँचवी योजना में 1977-78 के अंत में ग्रामीण साख की अल्पकालीन राशि 650 रु., मध्यकालीन राशि 235 करोड़ रु., दीर्घकालीन राशि 410 करोड़ रही।
- छठी योजना की अवधि 1980-85 रही इस योजना में कृषि एवं ग्रामीण साख के लिए 5415 करोड़ का लक्ष्य रखा गया जिसमें अल्पकालीन ऋण 4000 करोड़ तथा मध्यम व दीर्घकालीन ऋण 1415 करोड़ रु. के निश्चित किये गये, किन्तु 1984-85 तक 5810 करोड़ रु. कृषि साख उपलब्ध करवाई गई, जो लक्ष्य से अधिक थी।
- सांतवी योजना में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए समितियों द्वारा कृषि के लिए 7070 करोड़ रु. व व्यापारिक बैंकों एवं क्षेत्रिय बैंकों द्वारा 5500 करोड़ रु. के ऋण उपलब्ध करवाए गये।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान 31 दिसम्बर 2006 तक कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए बैंक ऋण का कुल प्रवाह 6,11,679 करोड़ रहा।
- 2011-12 में लक्ष्य 4750 बिलियन व वास्तविक साख 5110 बिलियन रही।
- 2012-13 में कृषि साख 5750 बिलियन रु. व वास्तविक साख 6074 रही।
- 2013-14 में 7,000 बिलियन रु. के लक्ष्य की तुलना में 7616 बिलियन रु. की कृषि साख वितरित की गई।
- 2014-15 में 8406 बिलियन रु. की साख प्रदान की गई।

13.12 ग्रामीण वित्त मुद्दे व चुनौतियाँ (Finance Issues and Challenges)

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना एक चुनौती है क्योकि कृषि और अन्य ग्रामीण आर्थिक गतिविधियों की कुछ खास प्रकृति है और उनकी निर्भरता प्राकृतिक – संसाधनों पर होती हैं, आपने काफी बार सुना होगा "भारतीय कृषि मानसून का जुआ है"।

- वर्तमान समय में गैर-बैंक भागीदारी जैसे- व्यवसाय प्रतिनिधि स्वयं सहायता समूह, एमएफआई आदि वित्तीय सेवाओं की सुलभता और उपलब्धता को आसान बनाने के लिए कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे है।

- ऐसे कौन से उपायों और प्रणालियों की आवश्यकता है जिससे ग्रामीण वित्त प्रदान करने वाले और लेने वाले इस प्रकार की सेवाओं के दुरुपयोग से बच सके।
- ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रदान की जा रही वित्तिय सेवाओं की उत्पादकत कैसे की जाए?
- कुछ वर्षों पूर्व नाबार्ड के अध्ययन के अनुसार प्याज, आलू और टमाटर आदि की पूर्ति श्रंखला प्रबंधन की समझ कर शीतगृह क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाए ताकि किसानों द्वारा पैदा की गई फसल को विवश होकर बेचने से बचाया जा सके।
- स्वयं सहायता समूहों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसमें अभिशासन और नेतृत्व की चुनौती, प्रबन्धन सूचना प्रणाली का प्रभाव, गैर भरोसेमंद रिपोर्टिंग आदि है।

13.13 ग्रामीण वित्त व्यवस्था सुधारने के सुझाव (Suggestions for improvement in Rural Finance)

भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक उचित व संस्थागत साख की आवश्यकता है, किन्तु विकास कृषि की व्यापकता को देखते हुए पर्याप्त नही कहा जा सकता है अतः इसके विकास के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते है-

- सहकारी साख व सरकारी विपणन में आवश्यक तालमेल हो ताकि सहकारी साख समितियों व सहकारी विपणन के माध्यम से ही किसान अपनी फसल बेचे।
- कृषि-वित्त प्रदान करने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में परस्पर एवं समुचित समन्वय होना चाहिए।
- गाँवों में सहकारिता की भावना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए।
- सहकारी साख समितियों के पूँजीगत साधनों में वृद्धि करनी चाहिए जिससे वे किसानों की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति में उत्तरोतर भाग ले सके।
- वित्त प्रदान करने वाली समितियों का प्रबन्ध कुशल योग्य और कर्मठ व्यक्तियों के द्वारा किया जाये।
- सहकारी बैकों को स्वयं अधिक से अधिक जमा प्राप्त करनी चाहिए ताकि जमा बीमा पद्धति को विकसित किया जाए।
- कमजोर केन्द्रीय बैंकों का पुनर्गठन तथा पुनर्स्थापना की जानी चाहिए और एक जिले में मात्र एक सहकारी बैंक होना चाहिए।
- किसानों में बचत की आदत को बढ़ावा देना चाहिए जिससे उन्हें अधिक ऋण नहीं लेना पड़े।
- व्यापारिक बैंकों को कृषि साख में विशेष रूचि लेनी चाहिए।
- लघु व सीमान्त कृषकों व अन्य काश्तकारों तक साख सुविधा पहुँचाने के लिए जमानत के लिए "भूमि" पर जोर न देकर "चुकाने की योग्यता" पर अधिक जोर देना चाहिए।
- जहाँ तक संभव हो ऋण वस्तुओं के रुप में दिया जाए, नकद के रूप में नही।

13.14 किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card)

अगस्त 1998 ,में किसानों को अल्पकालीन साख प्रदान करने के लिए एक अभिनव योजना शुरू की गई, इस स्कीम का नाम किसान क्रेडिट कार्ड रखा गया है, इस स्किम के अन्तर्गत जारी किये गये कार्डो तथा स्वीकृत राशि में प्रत्येक वर्ष वृद्धि

हो रही है। परिणामस्वरूप 31 मार्च 2015 तक सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल 42.5 मिलियन कार्ड जारी किये जा चुके थे तथा 4382.3 बिलियन रु. का ऋण दिया जा चुका था।

RBI और नाबार्ड ने KCC के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसमे KCC को एक ATM कार्ड की पहचान दी गई है जिसमें ATM टर्मिनल विक्रय बिन्दुओं पर पैसा निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

वह कृषक जो 5,000 रु. या इससे अधिक पर उत्पादन साख प्राप्त करने की पात्रता रखता है वह कृषक किसान साख पत्र (Kisan Credit Card) प्राप्त क्र सकता है।

किसान क्रेडिट कार्ड तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्गमित किया जाता है परन्तु इस कार्ड का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष करवाना पड़ता है। कृषि उत्पादन की बढ़ी हुई लागत तथा फसल प्रणाली इत्यादि पर अत्यधिक व्यय होने की स्थिति में KCC पर निर्धारित सीमा की राशि में वृद्धि का प्रावधान है।

13.15 निर्धनों का स्वयं सहायता समूह (Self-help group of Poors)

हाल के कुछ वर्षों में कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं और लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक-दूसरे के पड़ौसी 15-20 सदस्य होते है, जो नियमित रूप से मिलते है और बचत करते हैं प्रति व्यक्ति बचत करते हैं प्रति व्यक्ति बचत 25 से लेकर 100 रु. या अधिक हो सकती है, जो परिवारों की बचत क्षमता पर निर्भर करता है, सदस्य अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से कर्ज ले सकते हैं, समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है लेकिन यह साहुकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है।

एक या दो वर्षों बाद, अगर समूह नियमित रुप से बचत करता है, तो समूह बैंक से ऋण से लेने के योग्य हो जाता है ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिये स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है, उदाहरण के लिए, सदस्यों के लिए, सदस्यों को छोटे-छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें (बीज, खाद, बाँस और कपड़े खरीदने हेतु) घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि खरीदने के लिए दिए जाते हैं।

13.16 बांग्लादेश ग्रामीण बैंक (Rural Bank of Bangladesh)

बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने मे एक बड़ा सफल इतिहास रहा है इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई, वर्ष 1970 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के 81,600 रु. गाँवों में फैले हुए है, इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएँ है, जिनका संबंध समाज के गरीबतबके से है, इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएँ भरोसेमंद कर्जदार है,बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली भरोसेमंद कर्जदार है,बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरु करने और चला सकने में सक्षम है।

"अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है, तो लाखो छोटे लोग, अपनी लाखों छोटी-छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं"।

प्रो. मोहम्मद युनूस (ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 में नोबेल पुरस्कार विजेता)

13.17 सांसद आदर्श ग्राम योजना (Saansad Adarsh Gram Yojna)

अक्टूबर, 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों से सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) नामक एक योजना की शुरुआत की, इस योजना के तहत भारत के सांसदों को एक गाँव की पहचान करने और विकसित करने की ज़रूरत है। शुरू करने के लिए, सांसद वर्ष 2016 तक एक मॉडल गाँव के रूप में एक गाँव को विकसित क्र सकते है और 2019 तक

दो और गाँव विकसित करने है, भारत में 2500 से अधिक गाँवों को सम्मिलित करने की योजना है, योजना के मुताबिक गाँव के मैदानी इलाकों में 3000 से 5000 और पहाड़ी इलाकों में 1000 से 3000 की आबादी हो सकती है और सांसद का खुद का या पति/पत्नी का गाँव नहीं होना चाहिए इस प्रकार की योजना से ग्रामीण को प्रेरित करने और स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे का निर्माण करने के लिए प्रेरित करेंगे।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. ग्रामीण विकास में साख के महत्त्व का वर्णन कीजिए।
2. ग्रामीण आबादी को दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता क्यों होती है?
3. भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था मुख्यत: कौनसी अर्थव्यवस्था थी?
4. ग्रामीण वित्त का अर्थ स्पष्ट कीजिए।
5. तकावी ऋण किसे कहते हैं?

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. ग्रामीण वित्त के संस्थागत और गैर संस्थागत स्रोतों में क्या फर्क है?
2. किसान क्रेडिट कार्ड क्या है?
3. बांग्लादेश ग्रामीण बैंक क्या है?
4. प्रो. मोहम्मद युनूस कौन हैं?
5. नाबार्ड का पूरा नाम लिखिए।

13.18 सारांश (Summary)

भारत की ग्रामीण जनता आज भी ग्रामीण वित्त को पर्याप्तता तथा अनेक कारणों से संस्थागत वित्त प्राप्त करने में असमर्थ हैं, किसान वर्ग आज भी तकनीकी कृषि तक नही पहुँचा है, क्योंकि संस्थागत वित्त प्राप्ति में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कमजोर वर्ग ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अधिकांश किसान भूमिहीन है जिनके पास गिरवी के रूप में रखने के लिए कुछ नहीं है। ग्रामीण जनता महाजनों के प्रभाव में आकर उनसे ऋण ले लेती है, क्योंकि आज भी बैंकों, सरकार व अन्य एजेंसियों द्वारा प्रदत्त वित्त आवश्यकताओं की तुलना में बहुत कम रहता है, साथ ही अनेक औपचारिकता पूरी करनी पड़ती हैं जिनके चक्कर में किसान को समय पर ऋण नही मिलता।

कृषक व छोटे दस्तकारों को जोखिमों को कम करने के लिए बचत की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, सहकारिता का विकास होना चाहिए, साथ ही कृषकों को फसल बीमा पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

13.19 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन के बाद विद्यार्थी निम्नलिखित बिन्दुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे –

1. ग्रामीण विकास की अवधारणा के बारे में।
2. ग्रामीण वित्त का अर्थ, आवश्यकता व महत्त्व के बारे में।
3. भारत में ग्रामीण वित्त के संस्थागत और गैर-संस्थागत स्रोत के बारे में।
4. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण वित्त के बारे में।
5. स्वयं सहायता समूह के बारे में।

13.20 शब्दकोष (Glossary)

- **द्योतक :** बतलाने वाला
- **चंगुल :** पंजा

- **दस्तकार :** शिल्प का कार्य करने वाला
- **राष्ट्रीयकरण :** किसी निजी व्यक्ति/संस्था का अधिकार बदलकर सरकार या राष्ट्र का नियंत्रण

13.21 स्व परख प्रश्न (Self Test Questions)

1. ग्रामीण वित्त के प्रमुख स्रोत बताइये और कृषि विकास के लिए उनके सापेक्षिक महत्व की व्याख्या कीजिए?
   Indicate the Principal Sources of rural finance and state their relative importance for rural development?
2. किसान साख पत्र की प्रमुख विशेषताएँ बताओ?
   Write main Characteristics of Kisan Credit Card Scheme?
3. ग्रामीण वित्त के विभिन्न स्रोतों एवं मुख्य कमियों की विवेचना कीजिये?
   Discuss the various sources and main drawbacks for rural finance in India?
4. ग्रामीण वित्त की व्यवस्था को सुधारने के सुझाव दीजिये।
   Given Suggestions for improvement in rural finance?

13.22 सन्दर्भ व ग्रन्थसूची (References & Bibliography)

- स्वामी गुप्ता, "ग्रामीण विकास एवं सहकारिता" आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
- डॉ. बी.पी.गुप्ता, "राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण" आर.बी.डी. पब्लिशिंग हाउस, जयपुर
- कंसल, शर्मा, जैन, छीपा, "भारतीय बैंकिंग एवं वित्तिय प्रणाली" अजमेरा बुक कम्पनी, जयपुर

13.23 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- एन.सी.आर.टी. "कक्षा X", "आर्थिक विकास की समझ", "अध्याय 3" "मुद्रा और साख"
- एन.सी.आर.टी. "कक्षा X", "भारतीय अर्थ व्यवस्था का विकास", "अध्याय 6" "ग्रामीण विकास"
- ग्रामीण वित्त : मुद्दे एवं चुनौतियां – हारून आर. खान

13.24 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- https://www.lkouniv.ac.in/site/writereaddata/sitecontent/202004261306373777 sandhya-yadav-sw-fiancing-in-ruraldevelopmentprsindia.org/budgets/parliament/demand-for-grant's-2021-22-analysis-rural-development

इकाई - 14

पर्यटन एवं ग्रामीण विकास

(Tourism and Rural Development)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the unit)

14.1 उद्देश्य

14.2 प्रस्तावना

14.3 ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा और अर्थ

14.4 ग्रामीण पर्यटन और सरकारी प्रयास

14.5 ग्रामीण पर्यटन की आवश्यकता

14.5.1 ग्रामीण पर्यटन का महत्त्व

14.5.2 ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए सुझाव

14.6 सारांश

14.7 अधिगम परिणाम

14.8 शब्दावली

14.9 स्वपरख प्रश्न

14.10 संदर्भ ग्रंथ सूची

14.11 अन्य पठन सामग्री

14.12 वेब संसाधन एवं लिंक

14.1 उद्देश्य (Objectives)

- इस इकाई को पढ़ने के बाद ग्रामीण पर्यटन का विश्लेषण कर सकते है।
- ग्रामीण पर्यटन के ग्रामीण विकास के महत्त्व को समझा सकते है।
- ग्रामीण पर्यटन की योजनाओं को समझा सकते है ।
- ग्रामीण पर्यटन की आवश्यकताओं की विस्तृत जानकारी दे सकते है।

14.2 प्रस्तावना (Introduction)

हम जीवन मे अक्सर पर्यटक और पर्यटन शब्द सुनते है, लेकिन वास्तव में पर्यटन का संबंध खुशी, छुट्टी, यात्रा और कही आने जाने से है। इनसे प्रेरित होकर लोग अपनी आम दिनचर्या और निवास स्थल छोड़कर अस्थाई तौर पर दूसरी जगहों पर जाते है। पर्यटन एक ऐसी परिघटना है जिसके तहत अस्थाई तौर पर सामान्य जीवन से अलग हटकर कुछ करने की आकांक्षा निहित है, वस्तुत: पर्यटन आराम करने का एक प्रयास है जिसमें आम जीवन के विपरीत कुछ भी नियमित, नियंत्रित और बंधा बँधाया कार्य नहीं होता पर्यटन मे लोग यात्राएँ करने निकलते है और विविध स्थानों पर रुकते है।
महात्मा गांधी का कहना था कि भारत गाँव में बसता है और भारत के गाँव ही भारत की असली तस्वीर प्रस्तुत करते है, भारत के गाँव देश की संस्कृति की झलक दिखाते है और भारत की परम्परायें और रीति रिवाज भारत देश का खजाना है महानगरों की चहल पहल से दूर गाँव का जीवन उपेक्षाकृत सरल और मन को स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। उनका मानना था कि देश के विकास का पहिया ग्रामीण क्षेत्रों से शुरू किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग इस विचार से सहमत

नहीं है और यह मानते है की विकास शहरों से शुरू किया जाना चाहिए। कई वर्षो से शहरों को बढ़ावा दिया जा रहा है और गाँवो के लोग गाँवो से शहरों की और पलायन कर रहे है। शहरों का विस्तार प्रगति के नए रास्ते खोलता है लेकिन शहरीकरण लोगो में तनाव बढ़ाता है और शहरों में ताजी हवा भी नहीं मिल पाती। तनाव मुक्त करने लोग पर्यटन स्थल जाते है छुट्टियां मनाने के लिए। ऐसी स्थिति में ग्रामीण पर्यटन विशेष भूमिका निभा सकते है। हमारी देश की संस्कृति भारत के विविध गावो में झलकती है। अगर हमारी ग्रामीण संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए इससे पर्यटन बढ़ेगा जो ग्रामीण विकास में सहायक होगा। इसलिए अगर गांव नष्ट हो गए तो भारत नष्ट हो जायेगा तो गाँवो को आनंदमयी पर्यटन स्थल में परिवर्तित करना चाहिए जिससे देश का विकास के मार्ग पर गति से चल सके।

14.3 ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा और अर्थ (Concept of Rural Tourism and its meaning)

जब हम शहरी भागदौड़ से परेशान हो जाते है और थक जाते है और इस थकान भरी ज़िंदगी से कुछ पाने के लिए मुक्ति चाहते है और शांति चाहते है तो ऐसे में गाँव की तरफ जरूर रुख करना चाहिए। गाँव मे चारों तरफ शांति का वातावरण होता है और प्रदूषण भी नहीं होता है और इन्ही सब को ध्यान मे रखते हुए , भारत में सर्व प्रथम पर्यटन नीति 2002 में पेश की गयी थी। इस नीति में एग्रो रूरल टूरिज्म को बड़ावा देने के विचार किया गया था। नीतिकारों और सरकार ने ग्रामीण पर्यटन की अनेक परिभाषायें दी है जो इस प्रकार है :

ग्रामीण पर्यटन की परिभाषायें

1. भारत सरकार ने ग्रामीण पर्यटन की परिभाषा को इस प्रकार बताया है की कोई भी ऐसा पर्यटन जो ग्रामीण जीवन की कला संस्कृति और ग्रामीण स्थलों की धरोहर को दर्शाता हो, जिससे स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचता हो, साथ ही पर्यटन को और स्थानीय लोगों के बीच संवाद से पर्यटन अनुभव को अधिक मृदु बनने की संभावना हो तो उसे ग्रामीण पर्यटन कहा जा सकता है।
2. पर्यटन नीति में ग्रामीण पर्यटन के बारे में कहा गया था कि पर्यटन जो कि ग्रामीण क्षेत्र को जीवन शैली कला संस्कृति और ग्रामीण स्थलों की एतिहासिक और धार्मिक धरोहरों के बारे में व्याख्या करें जिससे समाज का विकास हो और वह एक सुखद पर्यटन स्थल का अनुभव हो उसे ग्रामीण पर्यटन कह सकते हैं।

   ग्रामीण पर्यटन तीन सिद्धांतों पर काम करता है -

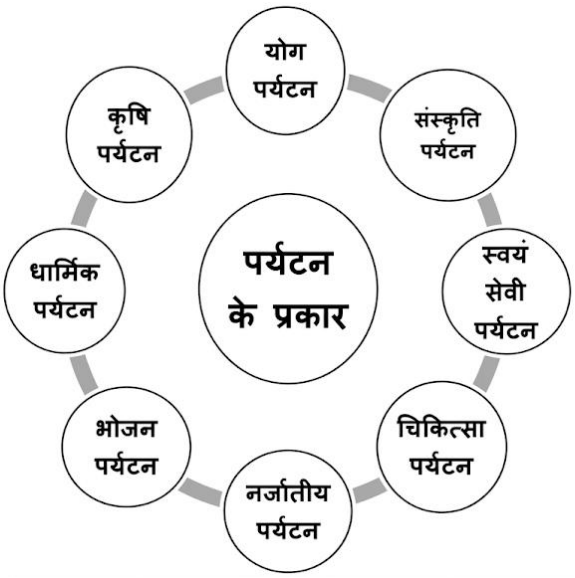
   - जैसे पर्यटकों को देखने के लिए कुछ खास चीज़े होनी चाहिए जैसे- पशु पक्षी, खेत खलिहान और प्राकृतिक सुंदरता। इसके अलावा तरह तरह के पुष्प, फल, सब्जी होने चाहिए और स्थानीय सांस्कृतिक पोशाक, तीज त्योहार भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते है।
   - गाँव मे पर्यटक आए उनके लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए जैसे कृषि कार्य और तैराकी मे भाग लेना, बैलगाड़ी की सवारी, पतंग उड़ाना, ऊँट, घोड़े और ट्रैक्टर की सवारी, मिलकर खाना बनाना और लोकगीतों और नृत्यों की भी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे पर्यटक ग्रामीण जीवन का आनंद उठा सके।
   - गाँव मे आने वाले पर्यटकों को कुछ खास किस्म के उत्पाद मिलने चाहिए जैसे ग्रामीण शिल्प के उत्पाद, ताज़ा कृषि के उत्पाद, और स्थानीय विशेषता से सामग्री जो पर्यटक एक स्मृति चिन्ह के रूप मे लेके जाना पसंद करे। ग्रामीण पर्यटन तनाव मुक्ति वह नई ऊर्जा हासिल करने का शशक्त माध्यम है और हम इसे एक ऐसी गतिविधि भी कह सकते है जो देश के ग्रामीण इलाको में संचालित होती है।भारत की नीव की आधार शिला गाँव मे ही पाई जाती है। हम शहरी जीवन मे इतना मस्त हो गए है की अपना स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी समय नहीं बचा है लेकिन ग्रामीण पर्यटन इन सबसे मुक्ति दिलाने का काम करता है और हमारा स्वास्थ्य भी ठीक करता

है, रोज की नीरस ज़िंदगी से बचने के लिए ग्रामीण पर्यटन ही एक मात्र विकल्प है। अगर हम गाँव की यात्रा करते हैं तो वहा फल-फूल दूध सब्जियों का भी आनंद ले सकते है, और गाँव मे बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल भी पाए जाते है जिससे लोग इनका आनंद ले सकते है, ग्रामीण जीवन भारत के उन अदृश्य जीवन के बारे में भी जानकारी देता है जहा और जगह जाकर इसका आनंद नहीं उठाया जा सकता है। ग्रामीण पर्यटन के बहुत सारे रूप है जैसे -

- **कृषि पर्यटन:** कृषि पर्यटन से तात्पर्य उन लोगों से है जो आनंद शिक्षा या अन्य सक्रिय भागीदारी के उदेश्य से काम करने वाले खेतों या अन्य कृषि कार्य मे जाते है, यहा पर्यटक कृषि उद्योग और फसलें उगाने के लिए किसान क्या काम करते है उसके बारे मे भी जानकारी प्राप्त करते है।
- **संस्कृति पर्यटन:** पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति से सबंधितः गतिविधियों जैसे अनुष्ठानों और उत्सवों मे हिस्सा लेने का अवसर प्रदान करता है।
- **प्रकृति पर्यटन:** जब लोग जंगल, पहाड़ घाटिया ऐसे स्थलों की यात्रा करते है और पर्यावरण संबंधितः चीजों का संरक्षण करते है उसे हम प्रकृति पर्यटन कहते है।
- **साहसिक पर्यटन:** इसमे दूरस्थ क्षेत्र की यात्रा शामिल होती है जहा अप्रत्याशित घटनाए हो सकती है, इसको हम एडवेंचर टुरिज़म भी कहते है।कैम्पिंग के साथ ट्रैकिंग या हाइकिंग,(तंबू मे आवास) राफ्टिंग, घुड़सवारी, पर्वतारोहण सब साहसिक पर्यटन मे आते है।
- **भोजन पर्यटन:** जहा पर्यटनों को विविध प्रकार के भोजन का आनंद प्राप्त होता है उसे भोजन पर्यटन कहते है।
- **चिकित्सा पर्यटन:** यहा पर्यटकों को पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और औषधि पौधों के बारे मे जानकारी प्राप्त करते है और साथ साथ उन पद्धतियों का भी अध्ययन करते है जो बीमारियों के इलाज मे काम आती है, और जो समय की मांग भी है।
- **सामुदायिक पर्यटन:** इस पर्यटन का तात्पर्य एक ऐसे पर्यटन से है जिसमे समुदाय के लोग स्वयं ही पर्यटन स्थलों का प्रबंधन रख रखाव करते है तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करते है।
- **नर्जातीय पर्यटन:** इसका उदेश्य विभिन्न संस्कृतियों और रीति रिवाजों के बारे मे जानकारी प्राप्त करना है और यह रीति रिवाज जीवन स्तर पर क्या प्रभाव डालते है उनके बारे मे अध्ययन करना।
- **स्वयंसेवी पर्यटन:** यह एक ऐसा पर्यटन है जहा पर्यटक अपने मिशनों के दौरान स्थानीय लोगों की मदद करते है, स्वयंसेवी पर्यटन एक ऐसा गंभीर तरह का अवकाश है जहाँ पर्यटक छुट्टियों मे रचनात्मक काम करते है और समाज मे से भौतिक गरीबी हटाने का प्रयास करते है, और समाज मे एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करते है।
- **थाना पर्यटन/ डार्क टुरिज़म:** थाना पर्यटन एक ग्रीक शब्द शशनटोस से लिया गया है जिसका अर्थ मृत्यु है। पर्यटन और मृत्यु से जुड़े स्थानों की यात्रा करना और विशेष रूप से ऐतिहासिक मूल्य के स्थानों की यात्रा करना उसे थाना पर्यटन या डार्क टुरिज़म कहते है।इस पर्यटन मे कब्रिस्तान विशिष्ट स्थानों और स्मारकों को शामिल किया गया जैसे वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, यहा रोजाना लाखों शव जलाए जाते है।

- **योग पर्यटन:** योग पर्यटन किसी प्रकार के योग का अनुभव करने और विशेष उदेश्य के लिए यात्रा करने से है चाहे वह आध्यात्मिक हो या आसान। योग पर्यटक अक्सर योग का अध्ययन करने या योग शिक्षकों के रूप मे परीक्षित और प्रमाणित होने के लिए भारत के आश्रम मे जाते है इन योग पर्यटकों के प्रमुख केंद्र है ऋषिकेश और मैसूर। भारत योग पर्यटन के मामले एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है और इस पर्यटन को भारत मे बढ़ाने में मुख्य योगदान बाबा रामदेव को जाता है।
- **धार्मिक पर्यटन:** जब लोग धर्म स्थली जाते है या चार धाम की यात्रा करते है या विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करते है तो उसे हम धार्मिक पर्यटन कहते है। किसी भी एक विशेष के लोग समूह बनाकर किसी धर्म स्थल की यात्रा करते है तो वो भी धार्मिक पर्यटन की श्रेणी मे आता है, जैसे सावन के महीने मे लोग कावड़ लेके जाते है तो वह भी धार्मिक पर्यटन के अंतर्गत ही आता है। धार्मिक पर्यटन को हम आस्था पर्यटन भी कहते है। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक पर्यटन स्थल है अमरनाथ, केदारनाथ, वैष्णोदेवी इत्यादि।

  यह सारे प्रकार के पर्यटन चित्र के माध्यम से दर्शाये गए है -



चित्र 1 ग्रामीण पर्यटन के प्रकार

ग्रामीण पर्यटन की मुख्य विशेषता यह होती है की यहाँ प्रकर्ति वातावरण मुख्य होता है त्योहारों और उत्सवों पर विशेष महत्व दिया जाता है और संस्कृति और धरोहर का निर्माण होता है। समय समय पर पंचवर्षीय योजनाओ में नीतिया बनाई गयी ग्रामीण पर्यटन को बड़ावा देने के लिए, जैसे

i. **नोवी पंचवर्षीय योजना:** इस योजना में भी ग्रामीण पर्यटन को बड़ावा देने के लिए कई नीतिया बनाई गयी और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में एक विशेष स्थान दिया गया। ग्रामीण पर्यटन के लिए 2002 में सरकार ने ग्रामीण पर्यटन योजना बनाई जिसमे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाये। बाद में इस निति को पर्यटन प्रोजेक्ट के रूप में (यू एन डी पी) संयुक्त राष्ट्र विकास को मदद से लागू किया गया इस प्रोजेक्ट का नाम ए डो जी नियस टूरिजम प्रोजेक्ट दिया गया।

ii. **दसवीं पंचवर्षीय योजना:** इस योजना में असम, कर्नाटक, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और उत्तराखंड में ग्रामीण पर्यटन योजनाए विकसित की गई इस योजना में 80 ग्रामीण पर्यटन पर काम शुरू किया गया और प्रत्येक योजना पर सरकार ने 50 लाख रूपये मुहैया कराये।

iii. **बाहरवी पंचवर्षीय योजना:** यह योजना ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुई जहाँ एक गाँव पर ध्यान दिया जाता था, वही बारवी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर नीति पर काम किया। ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर बनाये जाने पर उपेक्षाकृत सरकार की काम धनराशि खर्च होती है। अगर इन योजनाओं को ठीक तरह से अमल किया जय तो गांव का विकास जल्दी होगा और युवको को वही रोजगार मिलेगा और इन युवको का गांव से पलायन रुक जायेगा।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. निम्नलिखित में से कौनसा ग्रामीण पर्यटन का एक प्रमुख लाभ है?

अ) ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण ब) बढ़ा हुआ प्रदूषण

स) स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजन द) कृषि उत्पादकता में कमी

उत्तर (स) : स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार सृजन

2. ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् पर्यटन का मुख्य केंद्र क्या है?

अ) पर्यावरण की कीमत पर लाभ को अधिकतम करना

ब) सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण

स) लक्ज़री होटलों का निर्माण

द) जन पर्यटन को बढ़ावा देना

उत्तर (ब) : सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का संरक्षण

3. किस प्रकार का पर्यटन ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय समुदायों के साथ सीधे सम्पर्क को बढ़ावा देता है?

अ) साहसिक पर्यटन ब) इको टूरिज्म

स) समुद्र तट पर्यटन द) शोपिंग पर्यटन

उत्तर (ब) : इको टूरिज्म

4. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन विकास के लिए निन्मलिखित में कौनसी चुनौती है?

अ) सांस्कृतिक विविधता का अभाव ब) ख़राब बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी

स) प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन द) उच्च जनसंख्या घनत्व

उत्तर (ब) : ख़राब बुनियादी ढाँचा और कनेक्टिविटी

14.4 ग्रामीण पर्यटन और सरकारी प्रयास (Rural Tourism and Government measures)

भारत के गाँव हमेशा से अपनी लोककलाओं और हस्त शिल्प के लिए मशहूर रहे है और गाँव का शांत और प्रकार्तिक वातावरण पर्यटकों को खीचने पर मजबूर कर देता है और इसी कारण भारत का ग्रामीण पर्यटन एक विपुल संभावनाओं वाला क्षेत्र माना जाता है, और इन्ही सबको ध्यान मे रखते हुए, समय-समय पर सरकारों ने पर्यटनों पर विशेष ध्यान दिया है जिससे देश का विकास हो, प्रमुख योजनाएं है -

i. **राष्ट्रीय पर्यटन विकास नीति:** यह योजना सं 2002 में राष्ट्रीय पर्यटन की विकास नीति के नाम से विकसित हुई, इस योजना मे ग्रामीण पर्यटन के अलावा विरासत पर्यटन, धार्मिक पर्यटन आदि बढ़ावा दिया गया, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण जीवन कला और ऐसी विरासत को उजगार करना था जो गांव इनमें निपुणता रखते थे, जैसे जो गांव कला शिल्प हथकरघा वस्त्रो में प्रवीणता रखते थे।

ii. **इंडोजेनस पर्यटन परियोजना:** यह योजना सं 2004 में यूएनडीपी के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई और इस योजना को एंड्रोजेंस पर्यटन परयोजना के नाम से सुचारू रूप में लागू किया गया इसमें असम में कामरूप जिले में ब्रह्पुत्र बेसिन का विशेष का सबसे बड़ा गांव है। यह गांव रेशम की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव भारतीय परिस्थितियों के सततग्रामीण विकास के रूप में एक इंजन की तरह साबित हुआ। इस योजना से महिलाओ का सशक्तिकरण रोजगार के साधन उपलब्ध करना प्रमुख उदेश्य था।

iii. **अतुल्य भारत अभियान :** सन 2002 मे अतुल्य भारत अभियान की शुरुआत की गई इस योजना का उदेश्य था भारत के पर्यटन को विश्व मंच पर प्रस्तुत करना। इस योजना से भारत के लिए पर्यटन के क्षेत्र मे संभावनाओ के नए द्वार खुले है।

iv. **अतिथि देवो भव:** सन 2003 में अतिभि देवो भवः की शुरुआत की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था विदेशी लोग भारत में पर्यटन के लिए आये और ग्रामीण संस्कृति का अध्ययन करे और पूरे विश्व मे इसका प्रचार प्रसार करे। इस योजना को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 27 सितम्बर 2017 को अतुल्य भारत 2.0 अभियान के एडोप्त ए हेरिटिज प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, यह प्रोजेक्ट संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व विभाग की संयुक्त पहल है और यह प्रोजेक्ट विशिष्ट प्रचार की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है ।

v. **भारत को जाने कार्यक्रम:** यह योजना 8 जनवरी 2014 को शुरू की गई, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था विदेशों मे रह रहे युवाओं को भारतीय जीवन के विविध आयामों पर जागरूकता पैदा करना, और उन्हे देश द्वारा विभिन क्षेत्रों जैसे आर्थिक, संस्कृति, संचार और सूचना में की गई प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह योजना भारतीय मूल के छात्रों और युवाओं के लिए भारत का भ्रमण करने, अपने विचारों का आदान-प्रदान करने तथा भारत के साथ घनिष्ट संबंध विकसित करने एक मंच प्रदान करती है, और यह योजना उन युवाओं के लिए है जो 18- 26 वर्ष के है।

vi. **स्वदेश दर्शन योजना:** यह योजना भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय ने 2014-2015 में शुरू की थी, इस योजना का उद्देश्य था भारत में पर्यटन क्षमता को बढ़ाना और उसे विकसित करना और उसका दोहन करना। इस योजना मे पर्यटन सर्किट के बुनियादी ढ़ाचे को विकसित करना था और इस परियोजना के लिए राज्यों को केंद्र के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

vii. **प्रसाद योजना:** यह योजना भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने 2014-2015 में शुरू की थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीर्थ स्थलों का कायाकल्प करना था। इस योजना का मुख्य लक्ष्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना था और पर्यटन केंद्रित बुनियादी ढांचे को विभिन्न परियोजनाओं के साथ विकसित करना था।

viii. **श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन:** 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन विकसित किया गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना जैसे दूरिस्ट लाज, कृषि पर्यटन, पर्यटक स्थल पर के कफेटरिया और रेस्टोरेंट।

ix. **ई- पर्यटक वीजा सुविधा:** अन्तराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय, ग्रह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय मिलकर यह योजना शुरू की ताकि देश मे एक निश्चित अवधि के दौरान वीजा व्यवस्था को आसान बनाया जा सके, और ग्रामीण पर्यटन को बड़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय एक विशेष उत्पाद के रूप मे फार्म पर्यटन को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

x. **विशेष पर्यटन अंचल:** यह योजना 2017-2018 मे शुरू की गई थी और इसमें 5 विशेष पर्यटन अंचलों की घोषणा की गई थी जहा राज्यों की भागीदारी के साथ सुधार की योजनायें भी शुरू की गई थी।

xi. **आत्म निर्भर भारत के सपने के रूप मे ग्रामीण पर्यटन:** भारत सरकार ने भारत देश को आत्म निर्भर बनाने के लिए यह योजना 13 में 2020 में शुरू की थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था पर्यटन के माध्यम से गाँवों का विकास करना और ग्रामीण इलाकों मे रह रही महिलाओं को शशक्त बनाना तभी भारत एक आत्म निर्भर देश बन सकता है क्योंकि गाँवों मे ही शिल्प परंपरा संस्कृति और कृषि प्रथाओं का असीम भंडार है, वहां के स्थानीय उत्पाद भी लोग खरीदेंगे जब पर्यटन बढ़ेगा।

यह सरकारी प्रयास भारत की अर्थव्यवस्था और नवयुवको को रोजगार का बड़ावा देने में सहायक होंगे। ग्रामीण पर्यटन किये गए प्रयास गाँव के लिए आय के नए साधन और आत्म निर्भर भारत के द्वार खोल सकता है। इसलिए इन प्रयासों का अमल में लाना बहुत जरुरी है।

कोरोना महामारी के बाद विश्व घोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और ऐसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ा है और ऐसे में पर्यटन का विकसित होना बहुत जरूरी है क्योंकि इस महामारी से पर्यटन उद्योग ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और यह योजनाएं ढंग से अमल में लाई जाए और नई योजनाएं बनाई जाए तभी भारत इस आर्थिक संकट से बाहर आ सकता है।

14.5 ग्रामीण पर्यटन की आवश्यकता (Need of Rural Tourism)

बढ़ते ग्रामीण पर्यटन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ग्रामीण भारत में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो व्यापार भी बढ़ेगा और वहां के लोगों की आय भी बढ़ेगी। इससे युवाओं को नए अवसर भी मिलेंगे और उनका गांव से पलायन काम हो जायेगा। कोई भी गांव अपने हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए जाना चाहता है। पर्यटन के माध्यम से पर्यटक उनके उत्पाद को सीधा खरीदेंगे जिससे उनको लाभ प्राप्त होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पर्यटकों के सुझावों से नए विचार सुजीत होंगे और उनके विचारों के हिसाब से गांव में विकास किया जा सकता है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, आधुनिक उपकरण के प्रति भी लोगो में जागरूकता पैदा होगी। इससे साक्षरता पर भी ध्यान दिया जा सकता है और साक्षरता अभियान का भी बल मिलेगा। जितने अधिक पर्यटक गाँवो की यात्रा करेंगे उससे सड़को में भी सुधार आएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुदृढ़ हो जायेगा। ग्रामीण लोग पर्यटक को अपनी संस्कृति के बारे में भी बता सकते हैं जिससे भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में फ़ैल सकती है और लोग विभिन तौर-तरीकों से हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान अर्जित कर सकते है। अगर ग्रामीण पर्यटन के फायदे तो कुछ नकारात्मक प्रभाव जैसे शहरी क्षेत्रों से आये संसाधन गांव की प्रकृति को भी नुकसान कर सकते है। अगर देश का सतत विकास करना है तो ग्रामीण पर्यटन का विकास होना भी बहुत जरुरी है। कई नीतिकारों और अर्थशास्त्रियों ने ग्रामीण पर्यटन को मुख्य कारणों से आवश्यक बताया है, निम्न कारण है :

1) ग्रामीण पर्यटन के कारण गाँव का आधारभूत विकास होगा जैसे- बिजली, पानी, सड़क, संचार की व्यवस्था का विकास होगा।
2) ग्रामीण पर्यटन के द्वारा गाँव के बेरोजगार युवकों को रोजगार व आर्थिक स्तर सद्रण करने का अवसर प्राप्त होता है।

3) ग्रामीण पर्यटन के द्वारा ग्रामीण जनता गाँव की सांस्कृतिक ऐतहासिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति जागरूक होगी ।
4) ग्रामीण पर्यटन के द्वारा भारत की संस्कृति, परंपरा, रीति-रिवाज, शिल्प, कला-कौशल का प्रचार-प्रसार दूर दूर तक संभव हो सकेगा।
5) ग्रामीण पर्यटन के द्वारा पर्यटकों को एक साथ एक ही स्थान पर अधिक से अधिक प्रकार के पर्यटन का आनंद और भिन्न भिन्न गतिविधियों मे भागीदारी करने का सुनहरा अवसर प्राप्त होता है।
6) ग्रामीण पर्यटन लोगों द्वारा शहरी क्षेत्रों की और बढ़ रहे प्रवास को रोकने के लिए सामर्थ्य रखता है।
7) ग्रामीण पर्यटन को विकसित होने से गाँव भी विकसित होंगे व ग्रामीण धरोहरों का जीर्णोधार होगा, तथा भारतीय संस्कृति के मूल्यों का पुनर्वास होगा।
8) कई गाँव भारत में ऐसे है जहाँ अपार सांस्कृतिक वैभव व समृद्ध विरासत के बावजूद वहाँ ग्रामीण पर्यटन कम है, अगर पर्यटन सुनियोजित स्वरूप से विकसित होगा तो ग्रामीण पर्यटन भी बढ़ेगा।
9) ग्रामीण पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है।

14.5.1 ग्रामीण पर्यटन का महत्व (Importance of rural tourism)

ग्रामीण पर्यटन खाली रोजगार ही बढ़ाने मे सहायक नहीं होते बल्कि ग्रामीण पर्यटन के और भी महत्व है जैसे:

1) **किसानों के लिए लाभदायक:** ग्रामीण पर्यटन बढ़ने से किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा जैसे:

- स्थानीय स्तर पर कुशल प्रबंधन और उधमिता की भावना का प्रचार-प्रसार।
- खेती के कार्यों को विस्तार करने का मौका मिलेगा और किसानों के आमदनी मे बढ़ोतरी होगी।
- खेती के साथ पर्यटन उद्योग को भी आत्मनिर्भरता मिलेगी।
- बिजनेस आधारित मोडेल होने से नई पीढ़ी का आकर्षण बढ़ेगा और लगातार खेत मे देखभाल होने से जमीन का उपजाऊपन बढ़ेगा और कृषि से जुड़े अवसरों मे भी वृद्धि होगी।

2) **पर्यटकों के लिए लाभ:** जो पर्यटक गाँव मे घूमने आते है उनके लिए भी ग्रामीण पर्यटन काफी महत्वपूर्ण है जैसे:

- शहरी प्रदूषण से मुक्ति मिलती है व शांत एवं साफ प्राकृतिक वातावरण का अनुभव भी मिलता है।
- नवयुवकों को ग्रामीण जीवन की समझ और उसको सीखने का अवसर मिलता है।
- पर्यटकों का ग्रामीण यात्रा मे खाने पीने और रहन सहन मे उपेक्षाकृत कही और जगह से कम खर्च होता है।
- पर्यटकों को भारतीय संस्कृति और परिवेश को करीब से समझने का अवसर मिलता है।
- पर्यटकों और शहरी व्यवसाय की कृषि भूमि मे निवेश की रुचि बढ़ जाती है।

3) **स्थानीय समुदाय के लिए लाभदायक**: गाँव में जो पर्यटक आते है उससे स्थानीय समुदाय को भी काफी लाभ मिलता है जैसे:

- स्थानीय कृषि उत्पादों के बारे में जागरूक करना और उसके बाजार को विकसित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों मे रह रहे लोगों के नई वैकल्पिक या पूरक आय से जीवन स्तर मे सुधार।

- स्थानीय संस्कृति के पुनर्निर्माण और संरक्षित करने की भावना बढ़ती है।
- वैश्विक संस्कृति को समझने औरं देश को दुनिया से जुड़ने का अवसर मिलता है।
- बेकार पड़ी हुई संपतियों को नवीनीकरण और पुन: इस्तेमाल मे सहायता करता है।
- असंसाधित प्राकृतिक कृषि उत्पाद व हस्तशिल्प के प्रत्यक्ष बाजारों मे वृद्धि।
- खेती किसानों मे नवीनीकरण की भावना का विकास व आत्मनिर्भरता की पहल।
- ग्रामीण पर्यटन बढ़ने से परिवहन की व्यवस्था मजबूत होगी।

4) **अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक:** ग्रामीण पर्यटन अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है जैसे:

- रोजगार सृजन जीडीपी विकास व विदेशी मुद्रा आय की दृष्टि से महत्वपूर्ण।
- आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसी योजनाओं को भी बढ़ाने मे सहायक।
- ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में मिलाए रखने के लिए सम्पूर्ण ढांचे को विकसित करना।

14.5.2 ग्रामीण पर्यटन को बड़ाने के लिए सुझाव (Suggestions to Increase Rural Tourism)

ग्रामीण पर्यटन को विकसित करने अगर निम्न तरीके अपनाए जाए तो पर्यटन क्षेत्र की उन्नति निश्चित है, और यह सुझाव गाँव मे एक सकरात्मक बदलाव ला सकते है और इन सुझावों को अगर ठीक से अमल मे लाया जाए तो गाँव का सतत चौमुखी विकास होगा जैसे :

- गाँव मे आने वाले पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा देनी चाहिए और ग्रामीण समुदाय को हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट परीक्षण कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।
- ऐसे पर्यटन केंद्र जो विशिष्ट और पारम्परिक है उन्हे पर्यटन स्थल के निकट होना चाहिए।
- ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे में और सुधार किया जाना चाहिए जैसे- जल आपूर्ति और परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए।
- ग्राम पंचायतों को एक सक्रिय दृष्टिकोण के साथ केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करना चाहिए।
- ऐसे पर्यटन केंद्र जहाँ पर्यटक भारी मात्रा मे आते हो उन केंद्रों के आस पास कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाये मे वृद्धि की जानी चाहिए।
- गाँव के बुनियादी ढ़ाचे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों को पर्याप्त अनुदान दिया जाना चाहिए।
- ग्रामीण युवकों को संवाद का परीक्षण देना चाहिए ताकि वे पर्यटक से प्रभावी रूप मे संवाद कर सके।
- स्थानीय समुदाय एनजीओ सरकार पंचायत सभी को ग्रामीण पर्यटन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।
- पर्यटक ग्रामीण क्षेत्र मे सहज महसूस कर सके, इसके लिए उन्हे उनके गन्तव्य स्थान के बारे मे पहले से ही जानकारी दे देनी चाहिए ताकि उन्हे कोई असुविधा न हो और उनको वहाँ के प्रचलित रीति-रिवाजों के बारे मे भी जानकारी दे देनी चाहिए जिससे वो अपनी यात्रा को उस तरह से सुनियोजित कर सके।

- ग्रामीण इलाकों मे लोजिस्टिक्स की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जैसे रेल्वे स्टेशन या राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़कों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे गाँव तक आसानी से पहुँचा जा सके अगर यह सुविधाएं बढ़ेगी तो पर्यटक ही नहीं बढ़ेंगे बल्कि गाँव वाले भी इन राजमार्गों और सड़कों का लाभ उठा सकेंगे।
- गाँव मे होटल या गेस्ट हाउस बढ़ाने की बजाय होम स्टे की सुविधा पर्यटक को दी जानी चाहिए, इससे पर्यटकों को भारत में प्रचलित स्थानीय भोजन के साथ-साथ रीति-रिवाजों के बारे मे भी जानकारी मिल जाएगी और पर्यटकों को कम समय में ग्रामवासियों से जुड़ने का मौका मिलेगा।
- पर्यटन के मामले में भाषा का एक महत्वपूर्ण स्थान है अत: पर्यटकों को अगर कठिनाई महसूस हो तो उन्हे दुभाषिए रखने का विकल्प देना चाहिए और ग्रामीण युवकों को भी परीक्षित करना चाहिए की वह दुभाषिए का काम कर सके अगर कोई पर्यटक गाँव मे आता है।
- भारत के गाँव मे अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है और ये जड़ी बूटियां चिकित्सा में काम मे आती है, अगर सरकार कुछ ऐसे ढांचे की व्यवस्था कर दे कि यह जड़ी बूटियां देश विदेश मे भी इस्तेमाल हो तो निश्चित तौर पर ग्रामीण पर्यटक बढ़ेगे और पर्यटक यात्रा के साथ-साथ अपना इलाज भी करवा पायेगे।
- पर्यटकों को यह जानकारी भी मुहैया करानी चाहिए कि वह स्थानीय मुद्दों मे न पड़े और कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखे और गाँव का वातावरण न बिगाड़े।
- ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने मे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केंद्र सरकार के साथ तलमैल बनाके रखे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए।
- गाँव मे जो भी पर्यटक आते है उनसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाना चाहिए जिससे ग्रामीण इलाकों मे और सुधार किया जा सके उनके सुझावों के द्वारा।
- गाँव मे जो भी पर्यटक आते है उन्हे गाँव वालों की तरफ से एक पुस्तक भी प्रदान की जानी चाहिए जिसमे गाँव के सारे स्थलों का वर्णन हो जिससे पर्यटकों को कोई भी परेशानी महसूस न हो और वह अपनी यात्रा ठीक ढंग से कर सके।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1) ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत क्या-क्या आता है?
2) पर्यटन की प्रकृति क्या है?
3) पर्यटन विकास के लिए कौनसे उपाय किये जाने चाहिए?
4) राजस्थान जैसे अविकसित क्षेत्रों में पर्यटन ग्रामीण विकास में कैसे योगदान दे सकता है?
5) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने में संभावित जोखिम क्या है, और उन्हें कैसे कम किया जा सकता है?

14.6 सारांश (Summary)

ग्रामीण विकास के पास बहुत क्षमता है और लोगों को देने के लिए बहुत कुछ है। इन क्षेत्रों की पहचान करने और इन क्षेत्रों को पर्यटन स्थल में बदलने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के एकजुट सतत प्रयास की जरुरत है। देश में ग्रामीण पर्यटन को प्रोत्साहित करना काफी महत्वपूर्ण है तभी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा और रोजगार के साधन बढ़ेंगे। ऐसा करने पर ही ग्रामीण पर्यटन का विकास हो सकता है। ग्रामीण पर्यटन खाली राज्य और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं

बल्कि एनजीओ ग्रामीण समुदाय सब मिलके प्रयास करेंगे तभी ग्रामीण पर्यटन बढ़ेगा और देश का विकास का पहिया तेज गति से बढ़ेगा। अंत मे हम यही कह सकते हैं कि विश्व मे तेजी से बढ़ रही शहरी आबादी और शहरों का कोलाहल और थकान भरा माहौल से दूर कुछ पल गाँव के शांत और सुरक्षित वातावरण में बिताना चाहिए।

14.7 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

a) छात्रों को ग्रामीण पर्यटन की बुनियादी अवधारणाओं और सिद्धांतों की समझ हासिल होगी।

b) छात्र ग्रामीण पर्यटन के प्रमुख घटकों और स्थानीय समुदायों को इससे संभावित लाभों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे।

c) छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों द्वारा सामना किये जाने वाले मुद्दों का गंभीर विश्लेषण करने की क्षमता विकसित होगी।

d) छात्र स्थायी पर्यटन प्रथाओं के बारे में जानेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कैसे लागु किया जा सकता है।

e) छात्र ग्रामीण पर्यटन विकास में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व और अद्वितीय पर्यटन अनुभव बनाने में स्थानीय संस्कृति और परम्पराओं की भूमिका को समझेंगे।

14.8 शब्दावली (Glossary)

i) ग्रामीण पर्यटन : वह पर्यटन है जो ग्रामीण जीवन शैली, वहाँ की संस्कृति, लोक साहित्य और विरासत को दर्शाता है।

ii) एनडीपी : एंडोजीनियस टूरिज्म प्रोजेक्ट जो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से चलाया जाता है।

iii) थाना पर्यटन: पर्यटन और मृत्यु से जुड़े विशेष स्थानों विशेष रूप से ऐतिहासिक मूल्य से जुड़े स्थलों की यात्रा करना।

14.9 स्वः परख प्रशन (Self Tested Questions)

1. ग्रामीण पर्यटन की अवधारणा का संक्षिप्त मे वर्णन कीजिए।
2. सरकारों ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर योजनाए शुरू की है, उन्हे विस्तारपूर्वक लिखिए।
3. ग्रामीण पर्यटन की देश के विकास में क्या आवश्यकता है, संक्षिप्त मे लिखिए।

14.10 संदर्भ ग्रंथ सूची (References/ Bibliography)

1) भारत में पर्यटन 2017: राजेश कुमार व्यासद प्रभात प्रकाशन नई दिल्ली।
2) पर्यटन - सिद्धांत और प्रबंधन - भारत में पर्यटन 2018 शिवस्वरूप सहाय बनारसी दस प्रकाशन नई दिल्ली
3) भारत पर्यटन उद्योग की प्रवर्तिया एवं आर्थिक विकास 2011 नरेंद्र शुल्क अध्यन प्रकाशन नई दिल्ली
4) रोजगार समाचार 2017 - लेख जी आंजनेय स्वामी ग्रामीण पर्यटन में रोजगार की संभावनाएं

14.11 अन्य पठन सामग्री (Other Reading material)

1. भारत सरकार और पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट।
2. कुरुक्षेत्र: ग्रामीण पर्यटन प्रगति और संभावनाएं।

14.12 वेब संसाधन एवं लिंक (Website links)

1. https://hindi.indiawaterportal.org/content/garaamaina-parayatana-vaikaasa-aura-vaisataara-kai-ora/content-type-page/68047
2. https://www.hmoob.in/wiki/Rural_tourism
3. https://hi.tax-definition.org/81612-rural-tourism.

इकाई -15

ग्रामीण विपणन

(Rural Marketing)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

15.0 उद्देश्य

15.1 प्रस्तावना

15.2 ग्रामीण विपणन-परिभाषा

15.3 ग्रामीण विपणन की विशेषताऐं

15.4 ग्रामीण विपणन मॉडल

15.5 ग्रामीण बाजारों के प्रकार

15.6 ग्रामीण विपणन का महत्त्व

15.7 ग्रामीण Vs शहरी विपणन

15.8 सारांश

15.9 अधिगम परिणाम

15.10 शब्दकोष

15.11 स्वपरख प्रश्न

15.12 सन्दर्भ व ग्रन्थसूची

15.13 अन्य पठन सामग्री

15.14 वेब संसाधन

15.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को ग्रामीण विपणन के परिचय, अर्थ, भारत में ग्रामीण विपणन सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी, परिभाषा, ग्रामीण विपणन की विशेषताऐं, ग्रामीण विपणन का महत्त्व, ग्रामीण बाजारों की विशेषताएँ ग्रामीण बनाम शहरी विपणन आदि से विद्यार्थियों को अवगत करवाना इस इकाई का मुख्य उद्देश्य है।

15.1 प्रस्तावना (Introduction)

ग्रामीण - विपणन' शब्द दो भिन्न शब्दों - ग्रामीण एवं विपणन को मिला कर बनाया गया है।

विपणन शब्द मानव की आवश्यकताओं, इच्छाओं, आंकाक्षाओं एवं मांग से प्रारम्भ होता है जिनकी पूर्ति संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी जा रहे उत्पादों एवं सेवाओं के माध्यम से की जाती है अर्थात मानवीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने हेतु संस्थाओं द्वारा लगातार प्रयासरत रहना व स्वयं के लाभों को सुनिश्चित करना ग्रामीण-विपणन में निहित है।

सामान्यतया विपणन में वस्तुओं एवं सेवाओं को एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत, उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है जिसमें मांग-विश्लेषण, उत्पादन सम्बन्धी गतिविधियाँ, बाजार की जानकारी, उपभोक्ताओं सम्बन्धी

जानकारी आदि का गहन विश्लेषण किया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते है कि भारत- गाँवों का देश है तथा वहाँ का रहन-सहन व उपभोग आदतें, शहरी-उपभोक्ताओं की तुलना में काफी हद तक अलग पाई जाती है जो संस्था के विपणन विभाग को एक अलग रणनीति के निर्माण हेतु प्रेरित करती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 69 प्रतिशत लोग भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे थे तथा 31 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में निवासित थे जो निश्चय ही ग्रामीण-उपभोक्ताओं के महत्व को संस्था के लिए महत्त्वपूर्ण बना देता है। इस स्थिति के आधार पर भारत में कार्यरत देशी व विदेशी संस्थाओं द्वारा भिन्न रणनीतियों के निर्माण पर अपना ध्यान लगाने हेतु प्रेरित करता है।

पहले कुछ दशकों में सरकारों द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों पर किए जाने वाले व्यय की मात्रा को बढ़ाने से ग्रामीण जनसंख्या के आय के स्तर में अप्रत्याशित वृद्धि को परिलक्षित करता है जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं की कृषि एवं गैर-कृषि आवश्यकताओं में वृद्धि को स्पष्ट करता है जो निश्चय ही विपणन विभाग को ग्रामीण क्षेत्र की ओर आकर्षित करता है जो एक बड़े अवसर के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होता है। यह स्पष्ट है कि बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा ने अपनी लाभदायकता को क्रमोन्नत करते हुए बाजार में टिके रहना, संस्थानों के लिए एक कठिन चुनौती बनता जा रहा है अतः संस्थाओं द्वारा ग्रामीण बाजार का अपना लक्ष्य मानते हुए अपनी रणनीति में बदलाव करने की आवश्यकता को स्पष्ट करती है।

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दो भागों यथा कृषि कार्यों एवं गैर-कृषि में बाँटा जा सकता है जिसमे कृषि कार्यों में खेती, फार्मिंग, बागवानी फूलों की खेती एवं सहायक क्रियाऐं जैसे पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि क्रियाओं को शामिल किया जा सकता है वहीं गैर-कृषि कार्यो में ग्रामीण व्यापार एवं उघोग, निर्माणी उघोग, हैण्डलूम क्षेत्र, हैण्डीक्राफ्ट, खाद्य-प्रसंस्करण, यातायात, संग्रहण, संचार एवं खुदरा-व्यापार आदि को शामिल किया जा सकता है। सामान्यतया इन सभी गतिविधियों में प्रतिवर्ष 7-10 प्रतिशत की वृद्धि का होना ग्रामीण-विपणन के महत्व को बढ़ाता जा रहा है।

15.2 ग्रामीण विपणन – परिभाषा (Rural Marketing – Definition)

'ग्रामीण-विपणन' सामान्यतया 'विपणन' के ही समान है किन्तु क्रेताओं के संदर्भ में ही भिन्न है जहाँ लक्षित बाजार में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहक सम्मिलित है अतः ग्रामीण-विपणन, ग्रामीण बाजारों में विपणन मौलिक सिद्धान्तों (अवधारणाओं, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं आदि) का एक अनुप्रयोग है।

राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि आयोग के अनुसार, 'ग्रामीण विपणन एक प्रक्रिया है जो एक कृषि उत्पाद के उत्पादन के निर्णय से प्रारम्भ होकर बाजार सम्बन्धी समस्त तथ्यों जैसे बाजार-ढांचे एवं प्रक्रिया, कार्यात्मक एवं संस्थागत, तकनीक एवं आर्थिक पक्ष, फसल कटाई पूर्व एवं पश्चात की प्रक्रियाऐ, संग्रहण, एकत्रण, श्रेणीकरण, परिवहन एवं वितरण को समाहित करने वाली प्रक्रिया है।

उपरोक्त वर्णित परिभाषा चूंकि अति संकीर्ण विचारधारा को परिलक्षित करती है अतः हम अब विस्तृत एवं नवीन विचारधाराओं के आधार पर निर्मित परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।

- ग्रामीण विपणन, ग्रामीण बाजारों के लिए विपणन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण बाजारों के लिए विपणन कार्यक्रमों की योजना बनाने और कार्यान्वित करने के साथ ग्रामीण विपणन चिंतन के अनुरूप अपनी रणनीति को निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
- ग्रामीण विपणन, ग्रामीण विशिष्ट वस्तुओं और सेवाओं को विकसित करने, मूल्य-निर्धारण, प्रचार एवं वितरण की प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण ग्राहको के साथ वांछित विनिमय को पूरा करने के साथ ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और स्वयं की संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना ही ग्रामीण विपणन है।

- जी.एन. मूर्ति के अनुसार, 'ग्रामीण विपणन किसानों द्वारा कृषि आदानों की खरीद और किसानों से उपभोक्ताओं तक ग्रामीण उत्पादों की आवाजाही में शामिल सभी गतिविधियों, एजेन्सी और नीति का अध्ययन है।
- टी.पी. गोपालस्वामी के अनुसार, 'ग्रामीण विपणन एक, दो-तरफा प्रक्रिया है जिसमें व्यावसायिक गतिविधियों का निर्वहन शामिल है जो शहरी से ग्रामीण क्षेत्र (निर्मित माल) और इसके विपरीत (कृषि उत्पाद) के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में माल के प्रताह को निर्देशित करता है।

15.3 ग्रामीण विपणन की विशेषताऐं (Features of Rural Marketing)

1. **विस्तृत आबादी (Widespread Population) -** 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 69 प्रतिशत आबादी का निवास ग्रामीण क्षेत्रों में है जो शहरी आबादी की तुलना में दोगुनी से भी ज्यादा है तथा यह अबादी 6 लाख से भी अधिक गांवों में फैली हुई जो विपणन प्रबन्धकों की लिए एक बहुत बड़े अवसर के समान है तथा इसका लाभ उठाना संस्था के लिए अत्यन्त लाभदायक स्थिति प्रस्तुत करती है।
2. **उन्नत क्रय क्षमता (High Purchasing Power)-** सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के चंहुमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए लगातार बढ़ाए जा रहे व्ययों ने ग्रामीण आबादी की क्रय क्षमता को क्रमोन्नत किया है तथा इस बढ़ी हुई आय का वह उपभोग योग्य उत्पादों व सेवाओं पर करने की ग्रामीण आबादी की उत्कंठा ने ग्रामीण विपणकों को स्वतः ही आकर्षित किया है जो एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।
3. **बाजार वृद्धि (Increasing Markets) -** कृषि सम्बन्धी व गैर-कृषि सम्बन्धी अर्थात उपभोक्ता व गैर-उपभोक्ता उत्पादों एवं सेवाओं में ही लगातार वृद्धि ने समस्त बाजार को बढ़ाया है जो स्वतः ही ग्रामीण बाजारों की वृद्धि को परिलक्षित करती है जिनकी पूर्ति संस्थाओं द्वारा अनवरत आपूर्ति द्वारा लाभ उठाया जा रहा है।
4. **बुनियादी अथवा आधारभूत ढांचे का विकास (Basic or Infrastructural Development) -** आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के क्रम में सरकार द्वारा ग्रामीण आधारभूत ढाँचें को भी सुदृढ़ करना अपनी लक्ष्य सूची में शामिल किया है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क-परिवहन, संचार सेवाऐं, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक सेवाओं जिसमें शैक्षिक एवं स्वास्थ्य ढांचे का निर्माण किया जो ग्रामीण विपणन को बढ़ाने की आवश्यकता को बढ़ाता जा रहा है।
5. **उन्नत जीवन स्तर की आकांक्षा (Expectations of high living standards) -** चूंकि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र मे निम्न जीवन स्तर, भारतीय जनसंख्या का वर्तमान में उन्नत जीवन स्तर एवं बेहतर जीवन-स्तर को सुनिश्चित करने की आकांक्षा ने ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश आबादी को बेहतर उत्पादों एवं सेवाओं के क्रम को सुदृढ़ किया है जो ग्रामीण-विपणन प्रबन्धकों के समक्ष एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है।
6. **पारम्परिक दृष्टिकोण में बदलाव (Change in traditional View) -** वर्तमान ग्रामीण उपभोता प्राचीन काल से चले आ रहे रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं के जाल से धीरे-धीरे बाहर निकल रहा है तथा वहअपने मस्तिष्क में स्थापित अवधरणाओं को तोड़ कर बाहर आने का प्रयास कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की मांग में भी परिवर्तन हो रहा है तथा गुणवत्तायुक्त उत्पादों की मांग में वृद्धि पिछले दशकों में सरलता से देखी जा सकती है जो

बाजार के प्रति रणनीतिक बदलात के लिए प्रबन्धकों पर दबाव डालता हुआ प्रतीत होता है व उपस्थित अवसरों का लाभ उठाने का मार्गदर्शन करता है।

7. **विपणन मिश्रण (Marketing Mix) -** ग्रामीण उपभोक्ताओं का मानसिक स्तर शहरी उपभोक्ताओं के लगभग समकक्ष होने से विपणन मिश्रण में कोई बड़ा बदलाव किए बिना ही प्रबन्धको को अपनी भावी रणनीतियों को निर्मित करने की आवश्यकता को स्पष्ट करती है अर्थात शहरी क्षेत्रों में प्रयुक्त उत्पादों का ही उपयोग सामान्यतया ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने की प्रवृति ने ग्रामीण-विपणन प्रबन्धको की चुनौतियों को सीमित किया है तथा विपणन मिश्रण में कुछ परिवर्तन कर अपनी रणनीति के माध्यम से ग्रामीण बाजारों में उपस्थित अवसरों के लाभ को सुनिश्चित करना ही केन्द्र बिन्दु बन गया है।

   इस प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण-विपणन हेतु यह निशिचत है कि रणनीतियों के निर्माण में कोई बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है तथा लगातार बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करना ही संस्थाओं का लक्ष्य बनता जा रहा है जो निश्चय ही लाभदायक सिद्ध होता जा रहा है।

8. **बाजार की विजातीय प्रकृति (Heterogeneous tendency of the Market)-** यह सर्वविदित है कि भारत में अनेकों भाषाएं, उपभाषाऐं, संस्कृति एवं सांस्कृतिक विविधताऐं क्षेत्रवार अलग-अलग पाई जाती हैं जो कई बार एक ही राज्य/क्षेत्र में भी अलग पाई जाती है अतः विपणन विभाग को अपनी योजनाओं का निर्माण अपनी सेवाओं और उत्पादों के लिए क्षेत्रवार निर्मित करनी पड़ती है इसी आधार पर अपनी विपणन रणनीतियों का निर्माण करनी पड़ती है बजाएं एक समान रणनीति की अवधारणा को लागू करने में है। इस प्रकार भारत में विभिन्न समुदायों, जाति-प्रणाली, परंपराऐं, मूल्य आदि की उपस्थिति बाजार की विजातीय प्रकृति को प्रस्तुत करती है। यहां उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं का निर्माण कुछ अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है जिसमें साक्षरता का स्तर, सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं आय का स्तर आदि महत्वपूर्ण कारक माने जा सकते हैं इसी कारण उत्पादकों व विपणन विभाग को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के अनुरूप ही उत्पाद व सेवाओं का निर्माण करना पड़ता है इसके साथ ही ग्राहकों की मनोदशा में लगातार आ रहे बदलाव के कारण भी रणनीति परिवर्तन आवश्यक हो जाता है ।

9. **व्यवसायिक प्रतिरूप (Occupational Pattern)-** सामान्यता ग्रामीण जनसंख्या का जुड़ाव कृषि एवं कृषि सहायक क्रियाओं से देखा जा सकता है भारत में लगभग 77% जनसंख्या जमीन से जुड़े कार्यों के माध्यम से उपाय प्राप्त करती हैं एवं लगभग 10 % अन्य व्यवसाय से 2% सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है वहीं लगभग 2% लोग ऐसे कार्यों से जुड़े हैं जो भविष्य में लाभकारी होंगे ऐसी संभावनाओं पर आधारित है, यही कारण है कि विपणन विभाग को व्यवसायिक प्रतिरूप को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति का निर्माण करना पड़ता है।

10. **साक्षरता का स्तर (Literacy Level)-**भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में 69% एवं शहरी क्षेत्रों में लगभग 85% साक्षरता की दर देखी जा सकती है साथ ही विभिन्न भाषाएं ग्रामीण संचार प्रणाली को प्रभावित करती हुई दिखाई देती है साक्षरता का स्तर तकनीकी के उन्नयन के उपयोग की स्थिति को परिलक्षित करता है जिसको विपणन विभाग द्वारा विश्लेषित किया जाना आवश्यक माना जा सकता है जो एक विशेष रणनीति जो कि ग्रामीण परिवेश के अनुरूप आरोपित की जा सके का निर्माण आवश्यक हो जाता है।

11. **मीडिया-पहुंच (Media-reach)-** पूर्व के वर्षों की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मीडिया की पहुंच में तेज वृद्धि देखी जा सकती है चाहे वह रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट ही क्यों न हो। अतः यह आवश्यक

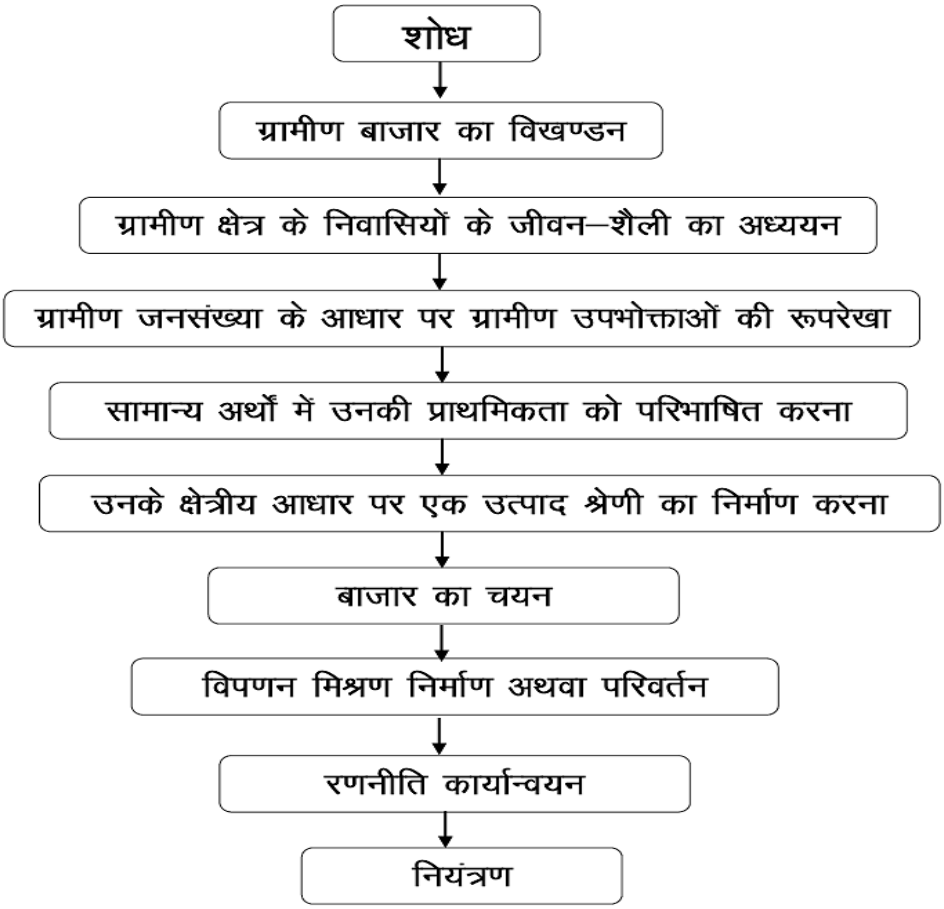
हो जाता है कि विपणन विभाग ग्रामीण जनसंख्या की मीडिया माध्यम के प्रति प्राथमिकता को पहचाने व उसी आधार पर अपनी रणनीति का निर्माण कर ग्रामीण बाजारों में अपनी जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्र की इस विशेषता की अनदेखी उत्पादकों के लिए उन्नति में बाधक बन सकती है।

12. **ग्रामीण विद्युतीकरण (Rural Electrification)**-भारत में कृषि एवं कृषि की सहायक क्रिया एवं लघु उद्योग के लिए विद्युत की उपलब्धता की महत्वपूर्ण कारक है आज भी भारत वर्ष में अनेकों ऐसे गांव हैं जहां विद्युत की उपलब्धता अति अल्प मानी जा सकती है जो ग्रामीण परिवेश पर विपरीत प्रभाव डालती है किंतु धीरे-धीरे इस स्थिति में सुधार प्रारंभ होने लग गया है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण बाजारों का स्वरूप भी बदलने लग गया है अर्थात् बाजार विशेषताओं में परिवर्तन आने लग गया है विद्युत की उपलब्धता ने विद्युत से चलने वाले उपभोक्ता उत्पादों एवं गैर उपभोक्ता उत्पादों की मांग में वृद्धि की है जिससे विपणन विभाग ने अपनी गतिविधियों को ग्रामीण केंद्रित बनाना प्रारंभ कर दिया है जो निश्चय ही दीर्घकाल में संस्थाओं की आय के स्तर में सकारात्मक बदलाव को दिखाने वाला होगा।
13. **स्वास्थ्य सुविधा (Medical Facility)**-हालांकि पूर्व के वर्षो की तुलना में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार और परिणाम स्वरुप उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होने के परिणामस्वरुप उनकी आय के स्तर एवं जीवन स्तर में भी वृद्धि हुई है जो निश्चय ही ग्रामीण बाजारों को अप्रत्यक्ष रूप से बदलता हुआ दिखाई देता है।
14. **विज्ञापनों की ग्रहणशीलता में वृद्धि (Higher Receptivity to Advertising)-** ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की विज्ञापनों के प्रति बढ़ती ग्रहणशीलता है एवं उन पर विश्वास करने की बढ़ती प्रवृत्ति ने विपणन विभाग के कार्य को आसान बना दिया है जिससे उत्पादों एवं सेवाओं को बेचने के लिए पूर्व में किए जाने वाले भारी प्रयासों को भी कम किया जाने लगा है जो निश्चय ही लाभदायक माना जा सकता है। इससे संस्था की ब्रांड वैल्यू में इजाफा हुआ है एवं ग्रामीण बाजारों में वितरण प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया, खुदरा विक्रेता की समझ को बढ़ाया है और खुदरा विक्रेता द्वारा एक उपभोक्ता को सरलतापूर्वक उत्पाद एवं सेवा की जानकारी ग्राहक को दी जाने लगा है क्योंकि लगभग आधा कार्य तो विज्ञापनों ने कर दिया है तथा आधा कार्य खुदरा विक्रेताओं के द्वारा संपादित कर दिया है जो एक नई विशेषता के रूप में उभर कर हमारे सामने आई है।
15. **आय की मौसमी प्रकृति (Seasonal Income Nature)**-भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से आय की मौसमी प्रकृति का पाया जाना एक विशेषता है जो वर्तमान बाजारों के स्वरूप को परिवर्तित कर देता है क्योंकि भारत में कृषि एवं सहायक क्रियाओं पर निर्भरता है जिसके कारण आय में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है जिसकी वजह से खरीद का स्तर बदलता रहता है जो कि विपणन विभाग के लिए एक विचारणीय बिंदु माना जा सकता है इसी कारण जब आय का स्तर बढ़ता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में खरीद का स्तर बढ़ जाता है तथा विक्रेताओं को इस समय का लाभ मिलता है। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की खरीद साल भर ही चलती है किंतु अन्य वस्तुओं की खरीद इस बात पर निर्भर करती है कि सामाजिक आय का स्तर कैसा है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इस उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए अपनी विपणन रणनीति का निर्माण किए जाऐं ताकि संभावित लाभों को उचित समय पर भुनाया जा सके।

16. **सांस्कृतिक विशेषताएं (Cultural Diversity)**-भारत में सांस्कृतिक भिन्नताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से देखी जा सकती है जो विपणन विभाग के लिए एक विशेष कारगर मानी जा सकती है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विभाग सूक्ष्म विश्लेषण कर उत्पाद वर्षों के विपणन की रणनीति तय करें।

15.4 ग्रामीण विपणन मॉडल Rural Marketing Model

ग्रामीण-विपणन का चरणबद्ध मॉडल, हमारे ग्रामीण-विपणन की विचारधारा को और सरल बनाने का प्रयास करता है। यह मॉडल बलराम डोगरा एवं करमिन्दर गुहमैन द्वारा प्रस्तुत मॉडल से लिया गया है।



स्त्रोतः– बलराम डोगरा एवं करमिन्दर गुहमैन

चित्र संख्या – 01

1. **शोध (Research) -** ग्रामीण विपणन योजना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु विपणन-शोध से प्रारम्भ होता तथा प्रत्येक संस्था के उत्पाद एवं सेवा की भिन्नता के कारण संस्थाओं को अपना एक अलग मॉडल निर्मित करना होता है अतः यह आवश्यक हो जाता है कि शोध कार्य को अत्यन्त सूक्ष्मता एवं गहनता के साथ सम्पादित किया जाये ताकि अपने ग्रामीण विपणन मॉडल को प्रभावपूर्ण तरीके से कार्यान्वित किया जा सके ताकि आगामी समस्याओं से बचा जा सके।
2. **ग्रामीण बाजार का विखण्डन (Segmentation of Rural Markets)**- प्रत्येक बाजार की विषमरूपता के कारण उनमें कुछ अलग विशेषताएँ होती है और इन बाजारों में उपस्थित ग्राहको की जीवन-शैली, आय का स्तर,

रूचि, प्राथमिकता, खर्च करने की क्षमता एवं सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में विभेद पाया जाता है अतः एक विखण्ड के अनुसार समस्त ग्राहकों को एक श्रेणी में रखा जाता है व ग्रामीण- विपणन की रणनीति के कार्यान्वयन का प्रथम चरण प्रारम्भ किया जाता है। इसके साथ ही अन्य चयनित तथ्यों जैसे मांग-प्रवृत्ति, उत्पाद या सेवा के आधार पर विश्लेषित कर निधारित की जाती है।

3. **जीवन-शैली का अध्ययन (Lifestyle of differnet segments)**- वे संस्थाऐ जो ग्रामीण बाजार में कार्य करना चाहती है वहाँ के निवासियों की जीवन-शैली का खण्डवार अध्ययन अवश्य करती है क्योकि व्यक्ति की जीवन-शैली उसके क्रय -व्यवहार को अत्यधिक प्रभावित करती है तथा यह व्यक्ति द्वारा मांगी जाने वाले उत्पादों एवं सेवाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक साबित होती है। इस प्रकार का विश्लेषण संस्था को उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाता है वही यदि गलत विश्लेषण कर लिया जाए तो वह संस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है अतः यह आवश्यक है कि खण्डवार ग्रामीण उपभोक्ताओं की जीवन-शैली का अध्ययन किया जाए व विपणन की रणनीति का चयन किया जाए।
4. **ग्रामीण उपभोक्ताओं की रूपरेखा (Profile of Rural consumers)** - खण्डवार जीवन शैली के अनुरूप, ग्रामीण उपभोक्ताओं की रूपरेखा का निर्माण इस चरण में किया जाता है तथा सूक्ष्म-विश्लेषण कर खण्डों का निर्माण किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर विपणन-मिश्रण को बदला जाता है। इस प्रकार दीर्घकाल में अपनी विपणन रणनीति का लाभ उठाने के लिए इस प्रकार की रूपरेखा निर्मित की जाती है और संस्था अपने ग्राहको से जुड़े प्रत्यक्ष बिन्दुओं एवं उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर ही रूपरेखा निर्मित करती चाहिए।
5. **प्राथमिकता परिभाषित करना (Define and Prioritize their needs) -** ग्रामीण बाजार के अनुरूप एवं विखण्डन के अनुरूप ग्राहको की प्राथमिकताओं का सूक्ष्म विश्लेषण इस चरण में किया जाता है। इसी आधार पर संस्थाऐ अपने भावी ग्राहकों की अपेक्षाओं व मांग को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें किस प्रकार के उपभोक्तओं को लक्षित करते हुए उत्पाद एवं सेवाओं को अनुरूपता के अनुसार उत्पादन का निर्णय लेना होता है। यह चरण निश्चय ही संस्था के दीर्घकालीन जीवन के लिए लाभदायक है ताकि वह पूर्ति-पक्ष को बाजार की प्राथमिकताओं के अनुसार सुनिश्चित कर सके।
6. **क्षेत्रीय आधार पर एक उत्पाद श्रेणी का निर्माण करना (Develop specific product profile in that region)**- इस चरण में क्षेत्रीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए संस्था अपनी एक उत्पाद श्रेणी का चयन कर आपूर्ति को सुनिश्चित करती है तथा किस गहनता श्रेणी के साथ इस ग्रामीण बाजार में उपस्थित संभावनाओं को पूरा किया जाए, इसको सुनिश्चित कर सकती है। कितनी संख्या व मात्रा में उत्पाद उपलब्ध कराया जाए, कहाँ उपलब्ध करवाया जाए आदि जैसे महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी उत्पाद श्रृंखला/श्रेणी का चयन कर इस प्रतियोगी बाजार में स्वयं को बनाए रखने के लिए कार्य कर सकती है।
7. **लक्षित बाजार का चयन (Select target markets)-** इस प्रकार ऊपर वर्णित बिन्दुओं के आधार पर संस्था अब ग्रामीण बाजार में लक्षित बाजार का निर्धारण करती है जिसमें वह क्षेत्रीय आधार पर तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन खण्डों का चयन कर सकती हैं जहाँ वह प्रभावपूर्ण तरीके से एवं सरलता से अपने उत्पाद व सेवाओं को उपलब्ध करवा सकती है। यह चरण इसलिए महत्वपूर्ण माना जा सकता हैं क्योकि यदि कभी संस्था को अपने निर्णयों को बदलना भी पड़े तो वह तुरन्त ही बदलाव को आरोपित कर सकती है। इस आधार पर संस्था अगले वर्षो में बाजार में टिके रहने की रणनीति का निर्माण कर सकती है। इस चरण में यह आवश्यक है कि शोध कार्य करने वालों को अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ व्यापक अध्ययन करते हुए शनैः-शनैः लक्षित बाजार की ओर अग्रसर होना चाहिए।
8. **विपणन मिश्रण का निर्माण/परिवर्तन (Develop or Modify Marketing Mix)-** इस चरण में उपभोक्ता की प्राथमिकता एवं आकांक्षा के अनुरूप विपणन मिश्रण का निर्माण किया जाता है तथा आवश्यकतानुसार उसमें

सामयिक परिवर्तन भी किया जा सकता है। यह सर्वविदित है कि बाजार विजातीय है और उसी के अनुरूप विपणन टीम को अपनी समस्त गतिविधियों का निर्माण करना होता है अतः सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए अपनी विपणन मिश्रण निर्माण/परिवर्तन की रणनीति का चयन कर उपस्थित संभावनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

9. **रणनीति कार्यान्वयन (Startegy implementation)-** हालांकि किसी भी संस्था जो विशेषतया ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना चाहती है वह अपनी रणनीति के निर्माण के पश्चात उसके सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के चरण में प्रवेश कर जाती है जो कि किसी भी संस्था के लिए एक दुष्कर कार्य माना जा सकता है। यहाँ ग्रामीण बाजारों का अत्यधिक विस्तृत होना तथा प्रत्येक बाजार की उपभोक्ता मानसिकता का अलग होना भी एक बड़ी चुनौती का कार्य करता है। अतः इस चरण को अत्यधिक संवेदनशील मानते हुए संस्था की रणनीति को निर्मित करता आवश्यक हो जाता है। सामान्यतया एक खुदरा-विक्रेता इस प्रक्रम की अंतिम चरण के रूप में बाजार में विघमान होता है अतः वह सर्वाधिक संवेदनशील कड़ी बनता है क्योंकि वही ग्राहक के सीधे सम्पर्क मे होता है व ऊपर निर्मित रणनीति को कार्यान्वित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है अतः इस आधार पर अपनी नियोजन प्रक्रिया को सुनिश्चित करते हुए अलग-अलग स्थानों के कारक आधार पर ग्रामीण विपणन योजना का निर्माण कर उन्हे सूक्ष्मता के साथ कार्यान्वित करना आवश्यक हो जाता है। यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि, शहरी क्षेत्रों के लिए बनायी गयी रणनीति का कार्यान्वयन इन ग्रामीण बाजारों में नहीं किया जा सकता अतः एक अलग रणनीतिक आधार का निर्माण व कार्यान्वयन आवश्यक हो जाता है।
10. **नियंत्रण (Control) -** ग्रामीण विपणन मॉडल के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात् संस्था को लगातार अपनी रणनीति को नियंत्रित करना पड़ता है क्योंकि यदि वे दीर्घकालीन रूप से बाजारों में बने रहना चाहती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि निर्धारित प्रमाणों में किसी भी प्रकार का विचलन पाया जाता है तो तुरन्त ही उस कारक को नियंत्रित किया जाए तथा पुनः अपेक्षित स्तर को प्राप्त किया जा सके।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित चरणों से हम एक ग्रामीण विपणन मॉडल का सरलापूर्वक अध्ययन कर सकते है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

i. अपने आस-पास के किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर वहाँ की विशेषता के अनुरूप ग्रामीण-उत्पाद विपणन मॉडल सम्बन्धी जानकारी एकत्रित कीजिए।
ii. ग्रामीण विपणन को परिभाषित कीजिए।
iii. ग्रामीण विपणन के किन्ही दो ग्रामीण विपणन मॉडल के नाम लिखिए।
iv. शहरी विपणन क्या है?
v. विपणन-मिश्रण क्या है?

15.5 ग्रामीण बाजारों के प्रकार (Types of Rural Markets)

1. प्रतियोगिता की श्रेणी के आधार पर (On the basis of degree of competition)

- पूर्ण प्रतियोगिता Perfect Competition
- अपूर्ण प्रतियोगिता Imperfect Competition
- एकाधिकारी बाजार Monopoly market
- द्वयाधिकारी बाजार Duopoly market
- अल्पाधिकारी बाजार Oligopoly market

2. समय के आधार पर (On the basis of time)

- अति अल्पकाल बाजार Very short period market
- अल्पकालीन बाजार Short period market
- दीर्घकालीन बाजार Long period market

3. वस्तु की प्रक्रति के आधार पर (On the basis of nature of Commodities)

- कमोडिटि बाजार Commodity markets
- पूंजी बाजार Capital markets

4. क्षेत्रक के आधार पर (On the basis of area of coverage)

- ग्राम बाजार Village markets
- क्षेत्रीय बाजार (जिला/राज्य) Regional markets (District/state)
- राष्ट्रीय बाजार National markets
- अन्तर्राष्ट्रीय बाजार World markets

5. सार्वजनिक हस्तक्षेप की सीमा के आधार पर (On the basis of extent of public intervention)

- नियंत्रणीय बाजार Regulated markets
- अनियंत्रणीय बाजार Unregulated markets

6. उन वस्तुओं की संख्या के आधार पर जिनमें लेन-देन होता हैOn the basis of number of Commodities in which transactions takes place

- उत्पादकीय बाजार Producing markets
- उपभोग्य बाजार Consuming markets

15.6 ग्रामीण विपणन का महत्व (Importance of Rural Marketing)

1. **शहरी जनसंख्या पर कम बोझ-** ग्रामीण आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती सुविधा की उपलब्धता के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाले पलायन पर काफी हद तक रोक लगी है जिसके कारण शहरी जनसंख्या पर बोझ कम हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वही उत्पाद व सेवाऐ उपलब्ध हुई है जो शहरी क्षेत्रों के समकक्ष है अतः ग्रामीण विपणन का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष योगदान जनसंख्या दबाव में कमी से, स्पष्ट रूप से देखा सकता है।
2. **तेजी से आर्थिक विकास-** वर्तमान परिदृश्य में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विपणन, आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरक एजेन्ट के रूप मे कार्य करता है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अब अधिक आकर्षक व्यावसायिक अवसर उपलब्ध है जो सभी के लिए लाभदायक है। आज भी देश की राष्ट्रीय आय में कृषि एवं कृषि की सहायक क्रियाओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान है जिसमें ग्रामीण-विपणन गतिविधियों ने अपना योगदान दिया है। उचित ग्रामीण विपणन ने उत्पादों का न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाया है जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।
3. **रोजगार-सृजन में योगदान:-** ग्रामीण विपणन गतिविधियों में हुई उन्नति के कारण देश, विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं में भी वृद्धि हुई है। यहां यह भी देखा जा सकता है कि ग्रामीण विपणन की वृद्धि से व्यावसायिक

परिचालन, व्यावसायिक गतिविधियाँ और सेवाएं भी बढ़ती जा रही है जो रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है।

4. **बेहतर जीतन-स्तर:-** ग्रामीण विपणन प्रणाली के कारण, ग्रामीण क्रेताओं तक उचित मूल्य व गुणवत्तायुक्त वस्तुओं की उपलब्धि सुनिश्चित हो सकी है जिसने न केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों का जीवन सरल बनाया है अपितु संसाधनों के सदुपयोग को सुनिश्चित कर ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को भी सुधारा है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के आय के स्तर में वृद्धि हुई है। जिसमें ग्रामीण-विपणन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान देखा जा सकता है।
5. **कृषि आधारित उद्योगों का विकास:-** ग्रामीण विपणन, कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने को प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करता हुआ दिखाई देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सामग्री जिसमें दालें, फल, सब्जियाँ, अनाज आदि की अनवरत आपूर्ति ने प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया है जो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध हुआ है।
6. **ग्रामीण अप्रयुक्त संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग:-** भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का प्रचुर भण्डार मौजूद है किन्तु इसका अप्रयुक्त रहना व समय पर उपयोग न हो पाने के कारण विलोपित हो जाना एक बड़ी समस्या रही है। जब से ग्रामीण-विपणन कार्य में तेजी आयी है इन अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन प्रारम्भ हुआ है तथा इनके उपयोग का प्रारंभ हुआ जो निश्चय ही ग्राम के साथ-साथ संस्थाओं व देश के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुआ है।
7. **कृषि उत्पादन की आसान विपणन क्षमता:-** ग्रामीण विपणन की वृद्धि ने सम्पूर्ण विपणन प्रणाली में सुधार किया है। अब किसानों तथा स्थानीय उत्पादकों को अपने उत्पादों का विपणन करने के लिए अनेकों विकल्प उपलब्ध हैं। देशी संस्थानों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थानो में गांवों से सीधे अपने एजेन्टों और छोटी संस्थाओं ने गांवों से सीधे अपने एजेन्टों और छोटी संस्थाओं के माध्यम से कृषि व अन्य उत्पादों को खरीदना प्रारम्भ किया है जो विक्रेताओं को उचित कीमतें आसानी से दिलवा देती है जो विक्रेताओं के आय के स्तर को बढ़ाती है एवं उनकी क्रय-शक्ति को लगातार सुधार रही है जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भारत के औद्योगिक विकास को ईंधन देने का कार्य भी कर रही है।
8. **सुदृढ़ ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण-** ग्रामीण विपणन के परिणामस्वरूप ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण में भी योगदान मिला है। ग्रामीण विपणन ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, मनोरंजन आदि अन्य सुविधाओं में भी विस्तार हुआ तथा दूसरी तरफ संस्थाओं को भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने व्यापार का विस्तार करने में सरलता प्राप्त हुई है।
9. **मूल्य स्थिरता:-** ग्रामीण विपणन के ही परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सुविधाओं, गोदामों एवं संचार सुविधाओं में वृद्धि हुई एवं विपणन कार्य व्यवस्थित हुआ और पूरे वर्ष ही विपणन को सुनिश्चित किया जा सका जिससे वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता आयी। बढ़ती विपणन गतिविधियों ने मांग-पूर्ति को सन्तुलित किया जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सका, जिसका लाभ उपभोक्ताओं, संस्थाओं, विक्रेताओं को हुआ एवं सरकार को भी लाभ हुआ।
10. **जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि:-** ग्रामीण विपणन गतिविधियों ने समाज की जीवन शैली एवं प्रणाली को परिष्कृत किया जिससे समाज में आपराधिक स्तर भी कम हुआ क्योकि रोजगार के साधन बढ़ने के साथ ही आय का स्तर उन्नत हुआ और समाज को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद, उचित दर पर प्राप्त होने लगे जिससे सम्पूर्ण समाज में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।
11. **संतुलित औद्योगिक विकास:-** ग्रामीण विपणन गतिविधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जिससे शहरी क्षेत्रों में लगातार स्थापित होने वाले संस्थानों व उद्योगों का बढ़ता दबाव भी संतुलित हो सका जो निश्चय ही देश के समग्र विकास में योगदान देने वाला बना।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. अपने आस-पास के किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाकर स्थानीय लोगों से उत्पादों एवं सेवाओं में आये परिवर्तनों की एक सूची बनाइए।
2. अति लघु समयावधि बाजार से आपका क्या तात्पर्य है?
3. नियंत्रणीय बाजार क्या है?
4. कमोडिटी बाजार क्या है?
5. हरित-विपणन क्या है?

15.7 ग्रामीण Vs शहरी विपणन (Rural Vs Urban Marketing)

इस भाग में हम ग्रामीण विपणन बनाम शहरी विपणन अर्थात अंतर के विषय में चर्चा करेंगे जो निश्चय ही अब आपकी समझ को बढ़ाने में मदद करेगी।

टेबल संख्या -1

प्रमुख कारक	ग्रामीण विपणन	शहरी विपणन
बाजार I. मांग II. प्रतियोगिता III. उपभोक्ता	कम मांग सामान्यता असंगठित अत्यधिक फैलाव व कम साक्षर क्रेताओं का समूह	अधिक मांग अनेक विक्रेताओं के मध्य संकेन्द्रित, उच्च वहन क्षमता वाले
बाजार मूल्य संवेदनशीलता	अत्यधिक उच्च संवेदनशीलता	अल्प या मध्यम श्रेणी संवेदनशीलता
संवर्धन मिश्रण	रेडियो द्वारा कम मुद्रित सामग्री का प्रयोग	मुद्रित, दृश्य श्रृव्य एवं बाहरी संवर्द्धन माध्यमों का प्रयोग
उत्पाद	नामी-गिरामी उत्पादों की कम जानकारी एवं गुणवत्ता व विशेषताओं पर कम बल	नामी उत्पादों को अधिक महत्व एवं गुणवत्ता विशेषताओं पर अधिक बल
दर्शन	विकासशील एवं संबंध आधारित विपणन पर केंद्रित	हरित विपणन एवं संबंध आधारित विपणन पर अधिक बल
वितरण	हाट-बाजारों, खुदरा दुकानों के माध्यम से	थोक-विक्रेता, खुदरा-विक्रेता एवं उत्पादक शोरूम के माध्यम से

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित टेबल संख्या 1 से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण विपणन एवं शहरी विपणन में काफी हद तक अंतर है जिसे ध्यान में रखकर ही संस्था के विपणन विभाग को विपणन-रणनीति का निर्माण कर सूक्ष्मता के साथ बाजार में आरोपित करना चाहिए यह स्पष्ट है कि दोनों क्षेत्रों में उपस्थित क्रेताओं का क्रय-आधार/प्रणाली अलग है। अतः आवश्यक हो जाता है कि उचित प्रणाली का चयन किया जाए तब ही संस्था के उत्पाद- सेवाएं बाजार में सफल हो पाएंगे।

15.8 सारांश (Summary)

पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण विपणन की विचारधारा एवं क्षेत्र में लगातार परिवर्तन हुआ, जो समस्त समाज के लिए लाभदायक रहा। प्रारम्भ में ग्रामीण बाजार, कृषि उत्पादों तक सीमित रहे तथा एक संकीर्ण बाजार दशा को परिलक्षित करने

वाले रहे। समय के साथ ही विपणन विचारधारा में परिवर्तन हुआ तथा उपभोग-केन्द्रित/उपभोक्ता-केन्द्रित बाजारों का प्रादुर्भाव हुआ और बाजार, उपभोक्ता की अपेक्षाओं के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने लगा ताकि उपभोक्ता सन्तुष्टि को सुनिश्चित किया जा सके। इसी दौरान ग्रामीण-उपभोक्ता बाजार में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि में ग्रामीण-विपणन की विचारधारा को सुदृढ़ किया व विपणन का चित्र ही बदल डाला। चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण विपणन विचारधारा को परिष्कृत किया गया और उपभोक्ताओं के साथ देश, समाज व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सम्बल मिला।
प्रस्तुत अध्याय में हमें ग्रामीण विपणन की विचारधारा को जानने का अवसर मिला तथा ग्रामीण विपणन की विशेषताओं व मॉडल के माध्यम से विषय की गहन जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला जो निश्चय ही ग्रामीण विपणन के महत्व का परिचायक रहा।

15.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

प्रस्तुत इकाई से छात्र, ग्रामीण विपणन के परिचय के साथ ही इसके विभिन्न मॉडल, विशेषताओं, ग्रामीण बाजारों के विभिन्न प्रकार आदि के विषय में अपनी समझ को निर्मित करने में सक्षम होंगे। साथ ही यह इकाई छात्रों को ग्रामीण क्षेत्र के महत्त्व के विकास में भी प्रकाश डालती है जो उनके आगामी निगम क्षेत्र में कार्य करने में मददगार सिद्ध होगी।

15.10 शब्दकोष (Glossary)

- **ग्रामीण बाजार:-** ऐसा स्थान जहां ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकता की पूर्ति विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं द्वारा पूरा करने वाला स्थान।
- **शहरी बाजार:-** शहरी क्षेत्र के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्थान जहां समस्त विपणन गतिविधियों का संपादन किया जाता है।
- **ग्रामीण विपणन:-** वस्तुओं एवं सेवाओं की गतिशीलता, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर प्रदान करने वाली गतिविधि।
- **विपणन मिश्रण**:- 4 Ps का संयोजन यथा उत्पाद, स्थान, मूल्य एवं संवर्द्धन।
- **उपभोक्ता उत्पाद:-** वे अंतिम उत्पाद जो उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में लिए जा सकते है

15.11 स्वपरख प्रश्न (Self-test Questions)

1. ग्रामीण विपणन को परिभाषित कीजिए।
   Define rural marketing.
2. ग्रामीण विपणन मॉडल की विस्तारपूर्वक समझाइए
   Explain about the rural marketing model.
3. ग्रामीण विपणन की प्रमुख विशेषताऐं समझाइए।
   What are the important characteristics of rural marketing.
4. ग्रामीण बाजारों के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए।
   Explain various rural markets with suitable examples.
5. ग्रामीण विपणन के महत्त्व का विवेचन कीजिए।
   Explain the importance of rural marketing.

15.12 सन्दर्भ व ग्रन्थसूची (References and Bibliography)

- Singh, S. 2001, Rural Marketing Management, (Ist ed.) Vikas Publishing House, New Delhi.
- Bajaj, C., Bajaj, N., Shenoy, V. Introduction to Rural Marketing, New Age International Publishers, New Delhi. 2017
- Gopalaswamy, T.P., Rural Marketing–Environment, Problems and strategies, Vikas Publications, New Delhi, 2009.
- Nair R. Suja, Consumer Behaviour in Indian Pesspective, HPH, New Delhi, 2016.

15.13 अन्य पठन सामग्री

- Mamoria, C.B. Suri, R.K., Mamoria, S., Marketing Management, Kitab Maha, Allahabad, 2017
- Ramaswamy, V.S., Nama Kumari, S., Marketing Management, Sage Publitcation, New Delhi, 2020.
- Kotler, Philip, Marketing Management, Pearson Eduction, India, New Delhi, 2021
- Kotler, Philip, Armrtrong, Gary. Agnihotri, Prafulla, Principles of Marketing, Pearson Eduction, India, New Delhi, 2021
- Kumar, Amit, Rao, Jagdish, Marketing Management, Sahitya Bhawan Publications, Agra, 2020.

15.14 वेब संसाधन/लिंक

- Web resources/links
- www.nacer.org
- www.ruralnaukri.com
- www.nationmaster.com
- www.careerforum.in
- www.censusindia.com
- www.wikipedia.com
- www.watblog.com
- www.testfunda.com
- www.beribed.com

इकाई -16

सहकारिता की विचारधारा

(Concept of Co-operation)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

16.0 उद्देश्य
16.1 प्रस्तावना
16.2 सहकारिता का अर्थ
16.3 सहकारिता की परिभाषाऐं
16.4 सहकारी अर्थव्यवस्था के लक्षण
16.5 सहकारिता का उद्गम एवं विकास
16.6 सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारण
16.7 सहकारी विचारधारा के उद्देश्य
16.8 सहकारिता का महत्व
16.9 सहकारिता के लाभ
16.10 सहकारिता के दोष
16.11 सारांश
16.12 अधिगम परिणाम
16.13 शब्दकोश
16.14 स्वपरख प्रश्न
16.15 संदर्भ ग्रंथ सूची
16.16 अन्य पठन सामग्री
16.17 वेब संसाधन/ लिंक

16.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को सहकारिता की विचारधारा को समझाने तथा सहकारिता की आवश्यकता एवं महत्व को समझाने का प्रयास किया गया है। यह इकाई विद्यार्थियों में भी सहकारिता की विचारधारा की समझ के साथ उनको आत्मसात करने का मार्ग प्रशस्त करती है जो उनके आगामी जीवन की रूपरेखा को सुदृढ़ बनाने में भी मददगार सिद्ध होगी अतः इस इकाई में सहकारिता का अर्थ परिभाषाऐ, लक्षण, विकास, महत्व, लाभ एवं दोषों आदि बिंदुओं के माध्यम से विद्यार्थियों को विषय पर समझ को निर्मित करने का प्रयास है जो उनके जीवन में लाभदायक होगी।

16.1 प्रस्तावना (Introduction)

आदिकाल से ही जब से मनुष्य ने एक समूह के रूप में रहना प्रारंभ किया वह अनजाने में ही सहकारिता की विचारधारा को समाज निर्माण में अपने जीवन में सम्मिलित कर चुका था। वह अपने जीवन को सरल बनाने के उद्देश्य से एक दूसरे की सहायता को ध्यान में रखते हुए समूह बनाकर रहने लगा तथा उसमें एक सुरक्षात्मक वातावरण को निर्मित कर अपने वह

अपने से जुड़े सभी व्यक्तियों के सहयोग को सुनिश्चित करना चाह रहा था, यही वह बिंदु था जिस पर सहकारिता की विचारधारा का जन्म माना जा सकता है। इस संदर्भ में आधुनिक काल में कुछ विद्वानों ने अपने विचारों को व्यक्त किया जो विषय पर हमारी समझ को बढ़ाने में सहायक है।

ई. आर. बोवेल, "सहकारिता, निर्माण का सार्वभौमिक उपकरण है"।

प्रो. मिल,"सहकारिता ने मानव के संदर्भ में वर्ग भेद के स्थान पर सहयोग व आपसी समझ से रहने के लिए प्रेरित किया है।"

एच. जी. वेल्स,"प्रकृति सहकारिता के की महान सहेली है, यह कहना कि वह सदैव ही निर्दयी है, उसका घोर अपमान है।"

इस प्रकार उपरोक्त विचारों से स्पष्ट है कि बिना सहकारिता के मनुष्य की जीवन कठिन रहा किंतु सहकारिता के कारण सरल व सुगम बन सका।

16.2 सहकारिता का अर्थ (Meaning of Co-operation)

सह + कार अर्थात मिलजुलकर यानी साथ साथ मिलकर कार्य करना सहकारिता शब्द को भावार्थ के साथ निर्मित करता है। अंग्रेजी शब्द co + operation से भी स्पष्ट हो जाता है कि आपसी सहयोग क्रियाओं/कार्यों का संपादन।

सामान्यतया ऐसा माना जाता है कि कोई कार्य यदि अकेले व्यक्ति के लिए दुष्कर है तो वही कार्य मिलजुलकर आपसी सहयोग के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा सकता है अतः यह विचारधारा जीवन को सरल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। यह विचार वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ ही समाजवादी और साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं निहित है व मानव के आपसी जुड़े हुए लक्ष्य, उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता के साथ पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करता है जो निश्चय ही संपूर्ण समाज में उन्नति का कारण बना है।

16.3 सहकारिता की परिभाषाएं (Definitions of Co-operation)

यहां परिभाषा को 4 वर्गों में बांट कर अध्ययन करेंगे

(I) पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाऐं :-

1. **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,** "जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यथाशक्ति सब कुछ कर लेता है तब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त करता है। यही तो सच्चा सहयोग है।"
2. **एम. टी. हैरिक**,"सहकारिता स्वेच्छा से संगठित ऐसे व्यक्तियों की क्रिया है जो सामूहिक लाभ या हानि के लिए पारस्परिक प्रबंध के अंतर्गत अपनी शक्तियों, प्रसाधनों या दोनों का सम्मिलित ढंग से उपयोग करते हैं।"
3. **सर होरेन्स प्लन्केट,** "सहकारिता संगठन द्वारा स्वावलंबन को प्रभावपूर्ण बनाने की विधि है।"

(II) आर्थिक हितों में वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित परिभाषाऐं :-

1. **प्रो. पी. एच. कैसलमैन**, "सहकारिता सामाजिक तत्वों से युक्त एक आर्थिक पद्धति है।"
2. **श्री बी. एल. मेहता,** "सहकारिता उस विस्तृत आंदोलन का केवल एक पहलू है जो समान आवश्यकाये रखने वाले और समान आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संगठित होने वाले व्यक्तियों के स्वैच्छिक संगठनों का प्रवर्तन करता है।"
3. **डॉ. कैलाश नाथ काटजू**, "सहकारिता आत्म सहायता एवं पारस्परिक सहायता दोनों ही है। यह ऐसे व्यक्तियों का संयुक्त उपक्रम या संगठन है जो आर्थिक दृष्टि से अशक्त है और अपने पैरों पर खड़े होने का सामर्थ्य नहीं रखते। अतः लाभ अर्जित करने के लिए नहीं, बल्कि अपर्याप्त वित्तीय साधनों से उत्पन्न अपनी असमर्थता पर विजय पाने और इस प्रकार आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह संगठित होते हैं।"

(III) "सहकारिता व्यापारिक विधि" की मान्यता पर आधारित परिभाषाऐं:-

1. **श्री सी. आर. फे,** "यह (सहकारिता) संयुक्त रुप से व्यापार करने के उद्देश्य से निर्बल मनुष्यों द्वारा निर्मित एक संघ है और इसका संचालन निस्वार्थ भाव से इन शर्तों पर होता है कि वह सभी लोग, जो उनकी सदस्यता संबंधित कर्तव्यों को ग्रहण करने के लिए तैयार है उसी अनुपात मे, जिसमें कि वह इस संघ का प्रयोग करेंगे, संघ के लाभों में हिस्सा पाएंगे।"
2. **पाल लैम्बर्ट,** "सहकारी समिति एक ऐसी संस्था है जो कि उपभोगकर्ताओं द्वारा बनाई वह संचालित की जाती है, जिसमें जनतंत्र के नियमों का पालन किया जाता है और जिसका प्रत्यक्ष उद्देश्य अपने सदस्यों के साथ-साथ संपूर्ण समुदाय की सेवा करना है।
3. **प्रो. पी.एच. कैसलमैन,** "सहकारी सामाजिक तत्वों से युक्त एक आर्थिक पद्धति है। अतः मानव कल्याण के लिए आर्थिक एवं सामाजिक मूल्यों का प्रभावपूर्ण समन्वय इस व्यवस्था की अपनी विशेषता है। इसका आधार व्यवसाय एवं नैतिकता का गठबंधन है, जो व्यापार के सामाजिक उत्तरदायित्व को वास्तविकता का जामा पहनाता है। प्रजातांत्रिक राष्ट्र व्यवसाय से जिस नैतिकता की अपेक्षा करते हैं, सहकार उसका पुजारी एवं भक्त है।

(IV) वैज्ञानिक परिभाषाऐं

1. स्विट्जरलैंड के विधान के अनुसार, "सहकारी समिति अनिश्चित संख्या के सदस्यों का एक संगठन होता है जिसका उद्देश्य सदस्यों को सामूहिक प्रयत्न द्वारा आर्थिक विकास है।"
2. जापान के सहकारी विधान, 1921 के अनुसार, "सहकारी समिति एक संगठन है जिसका अस्तित्व वैध है और जिस में सीमित साधनों वाले व्यक्ति इसलिए शामिल होते हैं कि वे सामूहिकता के सिद्धांतों पर कर्म करके अपने आर्थिक स्तर को विकसित तथा उन्नत कर सके।"
3. भारतीय सहकारी समिति से संबंधित अधिनियम, 1921 के अनुसार, "एक ऐसी समिति जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के आर्थिक हितों में वृद्धि करना है।"

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात एक सारांश के रूप में इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है- "सहकारिता व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है, जो स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता व प्रजातांत्रिक प्रबंध और न्याय के आधार सिद्धांतों पर आधारित है। यह निजी हित व संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने वाला एक सामाजिक व आर्थिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य सेवा है, न के लाभ। यह पूंजीवाद की भांति अचेतनापूर्ण, स्वचालित और समाजवाद की भांति राज्य नियंत्रित नहीं होता है"

16.4 सरकारी अर्थव्यवस्था के लक्षण (Characteristics of Co-operative Economy)

1. **सहकारिता एक उपक्रम (Co-operation is an undertaking)** सहकारिता पारस्परिक सहायता एवं आत्मा सहायता के माध्यम से आर्थिक हितों की पूर्ति करने वाला एक उपक्रम है जो सेवा को अपना परम लक्ष्य मानता है।
2. **ऐच्छिक संगठन (Voluntary Organization)** -किसी भी सहकारी समिति की सदस्यता ऐच्छिक है अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्यता ग्रहण कर सकता है।
3. **व्यक्तियों का संघ (Association of Persons)**- सहकारी संगठन व्यक्तियों का संघ है जिसमें व्यक्ति एक मनुष्य के रूप में जुड़ता है ना कि पूंजी के आधार पर उसे महत्व दिया जाता है। हालांकि पूंजी, संघ की आवश्यकता है किंतु फिर भी मनुष्य को महत्वपूर्ण पूंजी की तुलना में अधिक दिया जाता है।
4. **जनतांत्रिक प्रशासन (Democratic Administration)** - सहकारी व्यवस्था में एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकारी है चाहे उसने पूंजी का कितना ही योगदान क्यों न दिया हो ताकि निर्णय लेने में किसी एक व्यक्ति को अधिक महत्व ना दिया जाए, व सभी को समिति के कार्यों में समानता प्राप्त हो सके।

5. **न्याय पर आधारित (Based on Justice)** - सहकारिता का विचार पूर्ण रूप से न्याय पर आधारित है क्योंकि प्रत्येक सदस्य को लाभों का बंटवारा करते समय उसके द्वारा विनियोजित पूंजी के आधार पर ही अंशदान प्रदत किया जाता है।
6. **समानता पर आधारित (Based on Equality)** - सहकारिता में प्रत्येक व्यक्ति को समानता की दृष्टि से देखा जाता है न कि उसके गरीब/अमीर होने, शिक्षित/अशिक्षित होने के आधार पर। इस व्यवस्था में वर्ग, लिंग, जाति, वर्ण, दलगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता अर्थात इसमें 'एक परिवार' की धारणा बलवान होती दिखाई देती है।
7. **पारस्परिक सहयोग एवं एकता (Mutal Co-operation and Unity)** - सहकारिता, 'पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता' की विचारधारा पर आधारित है। यहां आपसी सहयोग की भावना को ध्यान में रखते हुए एक संगठित व सम्मिलित प्रयासों को महत्व दिया जाता है। इसमें 'सब एक के लिए वह एक सबके लिए' की भावना सर्वोपरि मानी जाती है।
8. **सेवा भावना (Service Motive)** – सहकारिता सेवा भावना पर आधारित है। यह लाभों के बजाय संपूर्ण समाज की सेवा को महत्व देकर अपने कार्यों का संपादन करती है ।
9. **शोषण का अंत (End of Exploitation)** - सहकारी आंदोलन शोषण का अंत करने एवं पूंजीवादी व्यवस्था के सबसे बड़ी कमी अर्थात लाभों का लालच को समाप्त करने का एक ठोस प्रयास है।
10. **विश्वव्यापी आंदोलन (Universal Movement)** - सहकारी आंदोलन सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं व सभी क्षेत्रों द्वारा स्वीकार किया गया है तथा संपूर्ण विश्व ने इसके महत्व को स्वीकार किया है।
11. **सामाजिक -आर्थिक आंदोलन (Socio-Economic Movement)** - यह शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक आर्थिक आंदोलन का प्रेरणा माना जा सकता है।
12. **मध्य मार्ग (Via-Media) -** यह पूंजीवादी व साम्यवाद के मध्य का मार्ग है एवं दोनों के गुणों को आत्मसात करने वाला है।
13. **संघात्मक पद्धति (Federalism)** - सहकारिता, संघीय व्यवस्था अथवा ढांचे पर आधारित है।
14. **"काम करो" की भावना (Do Work)** - यह सभी व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
15. **समुदाय का समग्र विकास (Complete Development of Community)** - यह समस्त समाज व मानवों का समग्र विकास को सुनिश्चित करने की राह प्रशस्त करता है।
16. **निर्बल व्यक्तियों का संगठन (An Organisation of Weak Persons)** यह संगठन निर्बल व्यक्तियों के संगठित प्रयासों के मार्ग को प्रशस्त करता है। यह समान उद्देश्यों वाले व्यक्तियों का संगठन एवं समस्याओं को हल करने का एक संगठित प्रयास है।
17. **खुली सदस्यता (Open Membership)** - सहकारी समिति की सदस्यता खुली है व्यक्ति जब चाहे समिति का सदस्य बन सकते हैं व उनकी इच्छानुसार सदस्यता का त्याग भी कर सकता है।
18. **पूंजी की अपेक्षा मानव को अधिक महत्व (More Importance to Man than Capital)** - सहकारी संगठन में पूंजी के स्थान पर मानव को अधिक महत्व दिया जाता है। सामान्यतया इन समितियों का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हैं बल्कि समाज की सेवा करना है। यहाँ व्यक्ति को समान मत देने का अधिकार है, विनियोजित पूंजी के आधार पर नहीं।
19. **स्वतः संचालित (Autonomous)** - यह प्रजातांत्रिक आधार पर चुनाव करके संचालकों को नियुक्त कर समिति के कार्यों का निर्वहन करने पर बल देते हैं।

20. **सहकारिता की भावना (Spirit of Co-operation)** - सहकारिता में प्रतियोगिता के स्थान पर एक दूसरे के सहयोग को महत्व दिया जाता है।
21. **सांस्कृतिक एवं नैतिक उत्थान (Cultural and Moral Development)** - सहकारिता समाज में सांस्कृतिक व नैतिक उत्थान के मार्ग को भी प्रशस्त करती है।

16.5 सहकारिता का उद्गम एवं विकास (Origin and Development of Co-operation)

सहकारिता का उद्गम और विकास एवं तीन चरणों में है-

(I) **प्राचीन काल (Ancient Era) -** प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है कि मिस्त्र, चीन, यूनान, रोम आदि सभ्यताएं भी सहकारिता के विचार से युक्त थी। यहां दस्तकारो, चर्मकारो, सुनारो, कुम्हारो आदि के सहकारी संघ स्थापित थे बस उनका रूप वर्तमान रूप से कुछ अलग था।

(II) **मध्यकाल (Medieval Era) -** इंग्लैंड में एक सामुदायिक जीवन जिसे 'मैनोरियल सिस्टम' कहा गया यहीं से सहकारी कृषि का प्रदुर्भाव हुआ। मध्यकाल में दस्तकारों के 'गिल्ड' स्थापित हुए।

(III) **आधुनिक युग (Modern Era) -** औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पन्न हुई शोषण के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप से सहकारी आंदोलन का जन्म हुआ। यह प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण थी अतः यहां दुर्बल व्यक्ति संगठित होकर अपने हितों की रक्षा के लिए सहकारिता से जुड़े हैं व स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हुए। सन 1844 में रॉक डेल नामक स्थान के 28 बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी समिति का गठन किया जो ओवन के विचारों से प्रभावित थे। यह पारस्परिक सहायता के आधार पर कार्य करते थे। शुल्जे-डेलिश व रेफैसन ने जर्मनी में सहकारी साख का प्रारंभ किया। इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से सहकारिता का प्रादुर्भाव किया।

16.6 सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारण (Causes of Origin and Development of Co-operation)

1. **शोषण से मुक्त की चाह (Desire to become free from exploitation)** - सहकारिता की उत्पत्ति का मुख्य कारण शोषण से मुक्ति रहा है। निर्बल को संगठित कर समाज में शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस विचारधारा को अपनाया गया। इसका सर्वाधिक लाभ कृषक वर्ग को हुआ।
2. **मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Middlemen)** - भारत में कृषि कार्य की समस्याओं का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यहां अत्यधिक मात्रा में मध्यस्थों का होना कृषक के लिए ही नहीं वरन उपभोक्ता के लिए भी नुकसानदायक है क्योंकि अधिक मध्यस्थ श्रृंखला में होने से अनावश्यक रूप से मूल्य वृद्धि करते हैं जिसका लाभ उत्पादन कर्ता को नहीं मिलता और वहीं उपभोक्ता तक वस्तु पहुंचते समय मूल्य बढ़ जाता है अतः सहकारिता के विकास ने इस स्थिति को समाप्त किया वह मध्यस्थों की संख्या में कमी आती ।
3. **समाज सुधारको का योगदान (Contribution of social reformers)** - भारत में महात्मा गांधी तथा विदेशों में रॉबर्ट ओवन, शुल्जे डेलिश, रेफैसन आदि समाज सुधारकों के अथक प्रयासों ने सहकारिता को समाज में स्थापित कर शोषित वर्ग को लाभान्वित किया।
4. **सरकारी सहयोग (Government Help) -** भारत सहकारिता के लाभों को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को सभी प्रकार से संबल प्रदान किया तथा शोषित वर्ग को चले आ रहे शोषण से मुक्त कराने का प्रयास किया। इस हेतु सरकार ने इस विचारधारा को अपनी योजनाओं में शामिल किया व वैज्ञानिक रूप से भी संबल प्रदान कर संपूर्ण समाज को लाभान्वित किया।

5. **प्रगतिशील सहकारी कानूनों का निर्णय (Formation of Progressive Co-operative laws) -** सरकार द्वारा सहकारिता को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रगतिशील सहकारी कानूनों के निर्माण एवं इसमें सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से समाज में एक नव चेतना का संचार किया है जिसमें सहकारी समितियों का गठन, पंजीयन, वित्त व्यवस्था, प्रबंध एवं संचालन, सरकारी संरक्षण आदि संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।
6. **सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Co-operative eduction and training)** सहकारी आंदोलन को गति प्रदान करने में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अमूल्य योगदान रहा है जिससे समितियों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा संचालन में भी सरलता आई है।

16.7 सहकारी विचारधारा के उद्देश्य (Objects of Co-operative Ideology)

I - **सामाजिक उद्देश्य (Economic Objectives) - आर्थिक विकास के** समान अवसर उपलब्ध करवाना सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है ताकि सभी को समान रूप से आर्थिक विकास के अवसर प्राप्त हो सके। आर्थिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति संपूर्ण समाज की सेवा कार्य को सरलता से संपादित कर सकता है अतः सहकारिता का मूल सेवा उद्देश्य आर्थिक विकास के समुचित अवसरों की उपलब्धता से पूर्ण किया जा सकता है।

आर्थिक साझेदारी (Economic Partnership) - निर्बल द्वारा आर्थिक रूप से साझेदारी के माध्यम से संगठित होकर शोषण से मुक्ति का उद्देश्य प्राप्त होता है जिससे आर्थिक व सामाजिक समानता का स्तर प्राप्त हो सकता है।

आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)- सहकारिता का उद्देश्य उपभोक्ता, उत्पादक, श्रमिकों के सभी वर्गों को सुरक्षा व न्याय प्रदान करता है। यहां सदस्यों को उनके आर्थिक आधार के बजाय एक सदस्य के रूप में माना जाना सभी सदस्यों में समानता का भाव उत्पन्न करना है जिससे सहकारिता का मूल उद्देश्य न्याय व समानता को सुनिश्चित करता है।

II - **सामाजिक उद्देश्य (Social Objectives) -** सहकारिता सामाजिक सहयोग व समानता पर बल देता है जिसमें पारस्परिक सहयोग द्वारा समस्त समाज को लाभान्वित करना संभव है जिसमें सामान्यतया शोषित वर्ग को समान अवसर बिना किसी भेदभाव के सुनिश्चित करना ही मूल उद्देश्य माना जा सकता है अतः यहां "सब प्रत्येक के लिए व प्रत्येक सबके लिए" को सुनिश्चित किया जाता है।

III - **सेवा व सहयोग उद्देश्य (Service and Co-operative Objectives) -** सहकारिता का मूल उद्देश्य संपूर्ण समाज की सेवा करना एवं आपसी सहयोग को सुनिश्चित करना ही मूल उद्देश्य है। क्योंकि समाज में बढ़ता विद्वेष व कटुता के स्तर को न्यूनतम स्तर तक ले जाना आपसी सहयोग की भावना को निर्मित कर, की जा सकती है।

IV - **नैतिक उद्देश्य (Ethical Objectives) -** सहकारिता नैतिक मूल्यों की स्थापना को भी सुनिश्चित करना चाहती है। यहां निस्वार्थ भाव से एवं समर्पण भाव से समाज में सकारात्मक वातावरण को नैतिक मूल्यों के आधार पर निर्मित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। इस व्यवस्था से ही संपूर्ण विश्व में समस्त आर्थिक सामाजिक गतिविधियों का संचालन नैतिक मूल्यों को केंद्रित करते हुए कार्य करने की बात सुनिश्चित की जाती है।

V - **राजनीतिक उद्देश्य (Political Objectives) -** सहकारिता का विचार राजनीतिक चेतना को भी जागृत करना अपना उद्देश्य मानती है क्योंकि सहकारी समितियों का प्रबंध प्रजातांत्रिक प्रणाली पर आधारित है एवं एक व्यक्ति एक वोट की अवधारणा को मानता है जिससे राजनीतिक जागृति समस्त सदस्यों में स्वत: ही उत्पन्न हो जाती है। यह समिति के सदस्यों को राजनीति का पाठ पढ़ाती है व सेवा के लक्ष्य को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. अपने आस-पास की एक सहकारी समिति के कार्यों का विश्लेषण कर एक रिपोर्ट बनाइए।
2. सहकारिता में सेवा-भावना उद्देश्य को समझाइये।

3. खुली सदस्यता के उद्देश्य को समझाइये।
4. सहकारिता में नैतिक उद्देश्यों को समझाइये।
5. सहकारिता में जनतांत्रिक प्रशासन को समझाइये।

16.8 सहकारिता का महत्व (Importance of Co-operation)

1. **सर्वांगीण विकास-** सहकारिता के अंतर्गत मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक व धार्मिक पहलुओं के माध्यम से सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करता है।
2. **आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण पर रोक-** सहकारिता आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को रोकती है वह शोषण से मुक्ति की राह दिखाती है।
3. **न्यायपूर्ण वितरण -** समाज के सभी वर्गों को संसाधनों की प्राप्ति उचित मात्रा में प्राप्त हो इसके लिए सहकारिता न्यायपूर्ण वितरण को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
4. **शांतिपूर्ण आंदोलन -** सहकारी विचारधारा सामाजिक-आर्थिक ढांचे में शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन में महत्वपूर्ण है। यह शोषित वर्ग को मुक्त करवाने एवं संपूर्ण व्यवस्था को बेहतर बनाने का कार्य करती है।
5. **शोषण के भय से मुक्त-** सहकारिता शोषण मुक्त समाज को सुनिश्चित करना चाहती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार से समान व्यवहार मिले उसे सुनिश्चित करने में महत्व रखती है।
6. **प्रजातांत्रिक भावना का विकास -** सहकारिता प्रजातांत्रिक भावना में महत्वपूर्ण है जिसमें जाति, धर्म, लिंग आदि कारकों आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। साथ ही यह सभी को समान व्यवहार करने के मार्ग को प्रशस्त कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाती है।
7. **आत्म-सहायता तथा पारस्परिक सहायता-** सहकारिता व्यक्तिगत हितों को पारस्परिक सहायता अर्थात संगठित प्रयासों से सबके साथ ही स्वयं की सहायता के मार्ग को प्रशस्त करती है व समाज में उत्पन्न होने वाले शक्तिशाली वर्गों को टक्कर देने में महत्व में रखती है।
8. **सामाजिक कल्याण पर बल-** सहकारिता, मूल रूप से समग्र सामाजिक कल्याण में महत्वपूर्ण है यह किसी एक व्यक्ति या समूह को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से कार्य नहीं करती बल्कि समस्त वर्गों को लाभान्वित करना महत्वपूर्ण मानती है।
9. **सहकारिता मध्यमार्ग -** सहकारिता में पूंजीवाद व समाजवाद के गुणों को समाहित करते हुए आर्थिक सामाजिक शोषण मुक्त समाज के निर्माण की अवधारणा को निर्मित करने में महत्वपूर्ण है यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन है जो दीर्घकालीन श्रेष्ठ सामाजिक आधारभूत ढांचे को निर्मित करने में विश्वास रखता है जो व्यवहारिकता को सुनिश्चित करता है।
10. **अवसर की समानता -** सहकारिता, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध करवाने में महत्व रखती है। यह साधारण व्यक्ति को सक्षम बनाने का प्रयास करती है व अनावश्यक उत्पन्न बाधाओं के समापन पर जोर डालती है।
11. **जीवन-स्तर में उन्नयन -** सहकारी संस्थाएं अपने सदस्ये के साथ साथ समाज के प्रत्येक नागरिक जो एक उत्पादक व उपभोक्ता भी है, का जीवन स्तर उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।
12 **राष्ट्रीय आय में वृद्धि -** सहकारी समितियां कृषि व गैर कृषि कार्यों को उन्नत बना कर प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह सदस्यों को साख सुविधाऐ, कृषि-उपकरणों, खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयों, विपणन व भंडारण व्यवस्था द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करती है। यह रोजगार वृद्धि हेतु कृषि एवं गैर कृषि

कार्यों को गति प्रदान करने में अपना योगदान देकर व्यक्तिगत आय में वृद्धि के साथ-साथ संपूर्ण राष्ट्र को बढ़ाने में अपना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान देती है।

13. **आर्थिक नियोजन की सफलता का आधार -** सहकारिता आर्थिक नियोजन को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार अपनी योजनाओं को सफलता पूर्वक संचालित करने में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सहकारी समितियों की सहायता लेकर ग्रामीण जनता को लाभान्वित करती है।
14. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति को सुनिश्चित करना -** सहकारिता चूंकि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य अवधारणा है अतः इसके माध्यम से सरकारें सहयोग व शांतिपूर्ण वातावरण को सुनिश्चित कर रही है। यह विश्व बंधुत्व, शांतिव व सहयोग का पाठ पढ़ाती है एवं बढ़ रहे मनमुटाव, विद्वेष, कटुता, संघर्ष, युद्ध जैसी समस्याओं को हल करने का भी कार्य कर रही है।
15. **रोजगार वृद्धि में सहायक -** सहकारिता एक आर्थिक आंदोलन है यह कृषि व गैर कृषि कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। यह संपूर्ण समाज में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। आज सहकारिता ने समाज के निर्बल वर्ग को स्वावलंबन की राह प्रशस्त कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा लोगों के जीवन स्तर को समुन्नत बनाया है जिससे एक देश ही नहीं वरन संपूर्ण समाज में खुशहाली का स्तर देखा जा सकता है जो निश्चय ही प्रशंसनीय है।

इस प्रकार उपर्युक्त बिंदुओं से सहकारिता के महत्व को सरलतापूर्वक समझा जा सकता है।

16.9 सहकारिता के लाभ (Advantages of Co-operation)

सहकारिता के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:-

(1) सहकारिता के आर्थिक लाभ (Economic Advantages) -

- **(i) 'लाभ' के स्थान पर 'सेवा' मुख्य उद्देश्य -** जैसे कि पूंजीवाद, लाभो को महत्व देता है किंतु सहकारिता की विचार धारा लाभों के स्थान पर सेवा को महत्व देती है।
- **(ii) न्यायपूर्ण वितरण -** प्रत्येक समिति में लाभों का बंटवारा, सदस्यों के द्वारा किए गए व्यवहार के आधार पर किया जाता है अतः न्यायपूर्ण वितरण किया जाता है।
- **(iii) दोहरा लाभ -** यहां समिति के सदस्यों को उचित लाभ उपलब्ध कराने के साथ ही उत्पादित वस्तु को भी उचित मूल्य पर बेचा जाता है जो उपभोक्ताओं के लिए लाभप्रद है।
- **(iv) शोषण से मुक्ति -** यहां श्रमिक व उपभोक्ता दोनों के शोषण को समाप्त किया जाता है।
- **(v) एकाधिकार का अंत -** पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति पाई जाती है जबकि सहकारिता में विकेन्द्रित स्थिति एकाधिकार को रोकती है जो संपूर्ण समाज के लिए लाभदायक है।
- **(vi) मांग व पूर्ति में समन्वय -** सहकारिता, वस्तु की पूर्ति, मांग के अनुरूप सुनिश्चित कराने का प्रयास करती है जिससे मूल्य भी संतुलित रहते हैं।
- **(vii) सस्ती साख उपलब्ध कराना -** समितियां अपने सदस्यों को सस्ती दर पर साख उपलब्ध कराती है।
- **(viii) कृषि का विकास -** समितियां किसानों को कृषि कार्य से जुड़े आदानों को उपलब्ध करवाती है साथ ही उत्पादन के विपणन व उचित मूल्य के भी प्रयास कराती है।
- **(ix) बेहतर श्रम संबंधों का निर्माण-** समितियां, सेवा भाव पर आधारित है अतः यहां श्रमिकों का शोषण न करके बेहतर मैत्रीपूर्ण संबंधों पर जोर दिया जाता है।
- **(x) सट्टेबाजी का अंत -** पूर्ति पक्ष को संतुलित बनाकर, सहकारी समितियां सट्टेबाजी के समापन का भी प्रयास करती है।

(xi) पूंजी निर्माण में योगदान - सहकारी समितियां स्वयं के साधनों को निर्मित करने में विश्वास रखती है व सदस्यों को पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है जो धीरे-धीरे समिति की पूंजी में वृद्धि करती है।

(xii) लघु व कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन - सहकारिता, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना एवं स्थापित उपक्रमों को हर प्रकार से मदद कर उन को प्रोत्साहित करती है ताकि उत्पादन बढ़ने के साथ ही रोजगार का स्तर भी बढ़ाया जा सके और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों का जीवन स्तर उन्नत बनाया जा सके।

(xiii) मूल्य पर नियंत्रण - सहकारिता, वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि कर बाजार में वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करती है जिससे उपभोक्ताओं का शोषण रुकता है।

(xiv) रोजगार सृजन में सहायक - सहकारिता, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, उद्योग व्यापार संबंधी गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के नए अवसरों का सृजन करती है।

(xv) कालाबाजारी पर रोक - सामान्यतया व्यापारी संचय व आपूर्ति को कम करके वस्तु के कृत्रिम अभाव से मूल्य वृद्धि का प्रयास करते है परंतु सहकारिता उचित पूर्ति द्वारा कालाबाजारी पर प्रभावपूर्ण रोक लगाती है।

(xvi) उत्पादन में वृद्धि - सहकारी समिति अपने सदस्यों के माध्यम से नवीन साधनों, तकनीक, ज्ञान आदि के माध्यम से उत्पादन वृद्धि को सुनिश्चित करती है जिससे समाज को अधिकाधिक लाभ हो सके।

(xvii) संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन - समितियां, शहरी क्षेत्रों के समकक्ष ग्रामीण क्षेत्रों में गतिविधियों को संचालित कर संतुलित आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

(xviii) आर्थिक विकास - सहकारिता, देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उत्पादन, रोजगार व राष्ट्रीय में वृद्धि के साथ-साथ व्यक्ति के जीवन स्तर को उन्नत बनाने का भी प्रयास करती है।

(xix) बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास - सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्र में देशी बैकरो अर्थात सेठ साहूकारों, महाजनों द्वारा ऋण प्रदान करने का कार्य किया जाता है किंतु यह सर्व विदित है कि उनके द्वारा ऋणी वर्ग का शोषण किया जाता है, जिससे बाहर निकलने में सहकारिता ने बैंकिंग प्रवृत्तियों को समुन्नत किया है। यह ग्रामीण जनता को ऋण देने, बचतो पर ब्याज देने आदि के माध्यम से कृषि, उद्योग क्षेत्र को लाभान्वित करती है।

(2) सहकारिता के सामाजिक लाभ (Social advantages of co-operation) -

(i) परस्पर सहयोग एवं भाईचारे की प्रवृत्ति का विकास - सहकारिता, एक दूसरे के सहयोग व भाईचारे को महत्व देते हुई कार्य संपादित करने पर बल देती है।

(ii) सामूहिक अधिकार - समिति के साधनों पर समान रूप से अधिकार होने के कारण धन/लाभों का केंद्रीकरण रुकता है व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां एक ओर कुछ ही लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है, उस से मुक्ति मिलती है। यह स्थिति आर्थिक असमानता को एवं शोषण को समाप्त करने का प्रयास करती है जो निश्चय ही समाज को उन्नत बनाने में मददगार सिद्ध होती है।

(iii) जीवन-स्तर उन्नत बनाना - आय के स्तर में वृद्धि कारण लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाना सहकारिता का एक बड़ा लाभ माना जा सकता है।

(iv) राष्ट्रीय आय का समान वितरण - समाज के प्रत्येक वर्गों को आय के समान वितरण के प्रयास का लाभ सहकारिता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

(v) शोषण का अंत - सामान्यतया पूंजीवाद शोषणकारी गतिविधियों को बल प्रदान करता है जिससे समाज के एक बड़े वर्ग को शोषित होना पड़ता है किंतु सहकारिता समान अधिकार प्रदान कर समानता के स्तर को निर्मित कर शोषण का अंत करती है।

(vi) आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण - सहकारिता, आर्थिक रूप से सभी को समान बनाने का प्रयास करती है जिससे आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है व सामाजिक असमानता व समाप्त होती। सभी को आय प्राप्त करने के समान अवसर प्राप्त होते हैं व समाज आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है।

(vii) सामाजिक परिवर्तन - सहकारिता समाज के प्रत्येक पहलू को परिवर्तित कर समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

(viii) स्वार्थ की भावना का त्याग - सहकारिता, आपसी सहयोग व समानता के विचार पर स्थापित की जाती है अतः यहां व्यक्तिगत लाभ की तुलना में सभी के लाभों की विचारधारा बलवान होती है अतः धीरे-धीरे, स्वार्थ की भावना का अंत होता है।

(ix) दुर्बल वर्गों को सुरक्षा - आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराना सहकारिता का लाभ है यह निर्बलों को सबल बनाने एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर संतुलित समाज का निर्माण करती है।

(x) अधिकतम सामाजिक कल्याण - सहकारिता, समाजवाद को सुनिश्चित करना चाहती है यह धन, आय, अवसरों में समानता का प्रयास करती है, साथ ही यह निर्धन वर्गो को सक्षम बनाने में उपभोक्ताओं को भी लाभ प्रदान करने का प्रयास करती है।

(xi) जागरूकता उत्पन्न करना - सहकारिता ना केवल समिति के सदस्यों वरन समस्त समाज में जागरूकता को सुनिश्चित कर लाभान्वित करने का कार्य करती है। यह समाज में व्यक्तियों को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानने व उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करने का मार्ग प्रशस्त करती है जो समाज को बेहतर लोगों से युक्त बनाती है व देश के समग्र विकास में योगदान देती है।

(3) सहकारिता के राजनीतिक लाभ (Political advantages of Co-operation) -

सहकारी संस्थाएं जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित होती है तथा यह सदस्यों को स्वत: संचालित, परस्पर सहयोग व एकरूपता के आधार पर कार्य करने पर जोर देती है जिससे बेहतर ढंग से कार्य किया जा सके। यहाँ एक व्यक्ति एक मत प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें किसी भी दलगत भावना का अभाव का होना, समिति को राजनीतिक बाधाओं से मुक्त करती है। यहां मुखिया का चयन भी सदस्यों द्वारा ही किया जाता है अतः सभी कार्यों में एकरूपता देखी जा सकती है जो निश्चय ही राजनीतिक चेतना को जाग्रत करती है।

(4) सहकारिता के नैतिक व धार्मिक लाभ (Moral and Religious advantages of Co-operation) -

सहकारिता, समाज में नैतिकता एवं धार्मिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करती है। यह सदस्यों के साथ-साथ समाज में भी भाईचारे की भावना को सुनिश्चित करती है। यह समाज में निर्बलों पर दया, सहयोग, विश्वास, एकता आदि कारकों की भावना को स्थापित कर सभी को समान अवसर उपलब्ध कराती है। यह किसी धर्म, जाति विशेष के प्रति प्राथमिकता नहीं देती है वरन सबको समान अवसर प्रदान करते हुए समग्र उन्नति के मार्ग पर चलती है जिससे समाज में नैतिकता की अवधारणा बलवती होती चली जाती है।

(5) सहकारिता के शिक्षात्मक के लाभ (Educational advantages of Co-operation) - सहकारिता का विचार परस्पर सहायता एवं आत्म सहायता, सहयोग, बंधुत्व, व स्वावलंबन की भावना से कार्य करती है। यहां निर्बल व्यक्तियों को एकता के माध्यम से संगठित होकर अपने कार्यों को संपादित करने का पाठ पढ़ाया जाता है जो सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना को विकसित करती है। यहां सहकारिता के लाभों कों प्राप्त करने के लिए सामान्य शिक्षा प्राप्त करने पर भी जोर दिया जाता है जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है।

इस प्रकार हम उपरोक्त बिंदुओं के माध्यम से सहकारिता की विचारधारा को अपनाने से होने वाले लाभों का अध्ययन कर सकते हैं।

16.10 सहकारिता के दोष व कमियां (Disadvantages and Defects of Co-operation)

हालांकि सहकारिता के अनेक लाभ है किंतु फिर भी कुछ कमियों का यहां उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है, जो इस प्रकार से है-

(i) व्यक्तिगत स्वार्थों में वृद्धि- सहकारिता 'सेवा करना' के मूल उद्देश्य पर आधारित होती है किंतु आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए लोग, समिति में जुड़ जाते हैं और जो सुविधाएं व संसाधन, निर्बल व असहाय लोगों को मिलनी चाहिए वे उन का फायदा उठाने लग जाते हैं तथा कार्य पूरा होते ही समिति की सदस्यता का त्याग कर देते हैं जो निश्चय ही संकीर्ण मानसिकता व स्वार्थी पन को परिलक्षित करती है।

(ii) साधनों का अवांछित प्रयोग - समितियों में अवांछित सदस्यों द्वारा अपने प्रभाव के माध्यम से संसाधनों का दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया जाता है व अपने लाभों को ही महत्व दिया जाता है जो सहकारिता की विचारधारा के लिए हानिकारक होता है।

(iii) अनुत्पादक कार्यों में व्यय- चूँकि सहकारी समितियां ऋण भी प्रदान करती है जिसके परिणामस्वरूप लोग जानबूझकर अनावश्यक ऋण ले लेते हैं और उसे उत्पादकीय कार्यों के बजाएं अनुत्पादक कार्यों में प्रयुक्त कर लेते हैं जिससे उसके वापस लौटने की संभावना कम हो जाती है व समिति अपने लक्ष्य से भटक जाती है। वहीं यह राशि जिनको मिलनी चाहिए थी उनको ना मिलकर गलत लोगों द्वारा अनावश्यक रूप से ले ली जाती है जो भविष्य में समिति के लिए संसाधनों के अभाव को उत्पन्न कर देती है।

(iv) राष्ट्रीय उत्पादन पर विपरीत प्रभाव - कई बार ऐसा देखा गया है कि सहकारी समिति अपने साधनों का उचित उपयोग नहीं कर पाती जिसके परिणाम स्वरुप उत्पादन कार्य में कमी आने लगती है जिसका संचयी प्रभाव राष्ट्रीय उत्पादन में कमी के रूप में दिखाई देती है।

(v) अवैतनिक व अकुशल प्रबंध व्यवस्था - सहकारी समिति के सदस्य कम पढ़े लिखे व अकुशल होते हैं तथा इन्हीं मैं ऐसे किसी व्यक्ति को समिति की कमान सौंप दी जाती है जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान प्रतिस्पर्धा के वातावरण को ध्यान में रखते हुए व कार्यक्रमों का निर्माण व संपादन नहीं कर पाते हैं जो आगे चलकर अकुशल वातावरण निर्मित कर हानिकारक बन जाते हैं।

(vi) सहकारिता एक सार्वजनिक संस्थान - चूँकि सहकारी समिति एक सार्वजनिक संस्थान है अतः इसको होने वाले लाभ अथवा हानि किसी एक व्यक्ति का नहीं होता जिसके परिणाम स्वरूप अरुचि पूर्ण वातावरण निर्मित हो जाता है एवं संसाधनों के प्रयोग, दुरुपयोग एवं सदुपयोग पर किसी का ध्यान नहीं रहता जिससे समय के साथ ही समिति की कुशलता का स्तर गिरता चला जाता है जिससे लाभों का कम हो जाना एवं उत्पादन कार्यों पर भी विपरीत प्रभाव शीघ्र ही देखा जा सकता है जो सहकारी प्रणाली में एक दोष उत्पन्न कर देता है।

(vii) बेईमानी व भेदभाव करना - स्वयं के स्वार्थों को सर्वोपरि मानते हुए आज सहकारी समिति के लोग समिति के संसाधनों के साथ बेईमानी करने लग जाते हैं तथा समिति के लाभों को नुकसान पहुंचाकर स्वयं के लाभ को सुनिश्चित करने में लग जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कमजोर व गरीब व्यक्तियों के साथ अन्याय प्रारंभ हो जाता है तथा यदि समिति में दलगत वर्ग विशेष प्रभावशाली हो जाता है तो स्थिति और अधिक दयनीय हो जाती है जो सहकारिता की धारणा को कमजोर बनाती है व लोगों को समितियों से दूर करना प्रारंभ कर देती है जो धीरे धीरे सहकारी विचारधारा की लोकप्रियता को घटाती जा रही है।

(viii) सीमित सदस्यता - सरकारी प्रयासों के परिणाम स्वरूप यद्यपि देश के लगभग सभी गांवों में सहकारी समितियों की स्थापना हो चुकी है लेकिन धीरे-धीरे इनकी सदस्य संख्या में गिरावट आती जा रही है जिसका कारण सहकारी

समितियों में निहित दोषों का होना है जो नए सदस्यों के जुड़ने को हतोत्साहित करते हैं। आज कई समितियों में सदस्य संख्यात्मक रूप से तो है किंतु वह वास्तव में निष्क्रिय सदस्य के रूप में केवल जुड़े हुए हैं जिससे समिति के संसाधनों में कमी भी आने लग गई है व व्यवसाय की मात्रा भी कम होती जा रही है और इस बाजार की प्रतिस्पर्धा में इनका टिके रहना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है जो निश्चय ही दीर्घकाल में हानिकारक होता जा रहा है।

(ix) छोटा आकार - सामान्यतया ग्रामीण समितियों का आकार बहुत छोटा है जो सदस्य संख्या, पूंजी, लाभदायकता, आकार आदि के दृष्टिकोण से वर्तमान कठोर प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए पर्याप्त नहीं है अतः इसका छोटा आकर समितियों को धीरे धीरे अवनति की ओर ले जा रहा है तथा सहकारिता की विचारधारा को कमजोर करती जा रही है।

(x) योग्य नेतृत्व का अभाव - वर्तमान समितियों में योग्य नेतृत्व की कमी सरलता से देखी जा सकती है तथा जिसे नेतृत्व का कार्य सौंपा गया है वे योग्यता, ईमानदारी व चारित्रिक स्तर पर कमजोर होते हैं व समिति के हितों के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाते हैं जो सहकारी आंदोलन में घातक सिद्ध होते हैं।

(xi) सरकारी सहयोग - सहकारिता की विचारधारा को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक एवं गैर आर्थिक मदद की गई जिसके समितियों की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक हो सका किंतु इस सरकार सहयोग ने समितियों को परावलंबी बना दिया जिसके परिणामस्वरुप समिति केवल सरकारी सहायता के कारण ही जीवित रहती दिखाई दे रही है जबकि उन्हें एक समय के बाद सरकारी सहायता के बजाय स्वयं के साधनों को निर्मित कर स्वावलंबन के आधार पर कार्य करने की बात आई थी जो वर्तमान में लगभग समाप्त ही हो गई है। आज ये समितियां सरकारी विभागों की तरह बन गई है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप व सरकारी तंत्र के दोषों का भी प्रवेश हो गया है व जनता धीरे-धीरे इन समितियों से दूर होती जा रही है जो सहकारिता की विचारधारा में हानिकारक होता जा रहा है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. अपने आस-पास की किसी भी एक सहकारी समिति के कार्यों में आ रहे दोषों की एक सूची बनाइए तथा इन दोषों को दूर करने के उपायों का भी वर्णन कीजिए।
2. सहकारिता के किन्ही दो लाभों को लिखिए।
3. सहकारिता की किन्ही दो हानियों को लिखिए।
4. एक ऐसी स्थिति का वर्णन कीजिए जहाँ व्यक्तिगत एवं पेशेवर विकास में सहकारिता मददगार है।
5. सहकारिता में सीमित सदस्यता विचारधारा को समझाइये।

16.11 सारांश (Conclusion)

उपरोक्त विवरण के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि सहकारिता एक शांतिपूर्ण आंदोलन है जो "एक सबके लिए एवं सब एक के लिए" जैसी विचारधारा पर कार्य करती है। यह मानव को पूंजी की अपेक्षा अधिक महत्व देती है एवं निर्बल वर्ग को शोषण से मुक्त करने पर जोर डालती है। यह पारस्परिक सहायता द्वारा आत्म सहायता की पक्षधर है एवं एक शोषण मुक्त समाज की कल्पना करती है। यह निर्बल व्यक्तियों को संगठित कर एक संगठित स्वरूप द्वारा शोषण से मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करती है। यह विचारधारा संपूर्ण विश्व में सभी समाजों द्वारा स्वीकृत की गई है तथा पूंजीवाद के दोषों को कम कर सहायता व सहयोग पूर्ण वातावरण को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह प्रजातांत्रिक प्रबंध और न्याय के आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है जो संपूर्ण समाज में आमूलचूल परिवर्तन की इच्छुक है। अतः इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों की "सहकारिता" शब्द की गहनता को विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त होगा व यदि वे इस विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात कर पाए तो निश्चय ही एक श्रेष्ठ समाज के निर्माण में वह अपना योगदान देंगे यही इस इकाई की सार्थकता को परिलक्षित करेगा।

16.12 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

प्रस्तुत इकाई में छात्र, सहयोग और इसके महत्त्व को समझने में सक्षम होगा तथा वह समस्याओं के समाधान, उत्पादकता में वृद्धि और पारस्परिक सम्बन्धों में सुधार करने में सक्षम होगा तथा वह इस हेतु आवश्यक मूल्यों और नैतिकता को समझते हुए एक सकारात्मक समाज के निर्माण में योगदान देने में सफल हो सकेगा।

16.13 शब्दकोष (Glossary)

- **सहकारिता :-** साथ साथ मिलकर कार्य करना
- **खुली सदस्यता :-** सहकारी समिति में स्वैच्छिक रूप से सदस्यता को ग्रहण करना वह छोड़ देना
- **स्वायत्तता :-** बिना किसी सरकारी बाधा के कार्य करने की स्वतंत्रता
- **सामुदायिक :-** समूह के व्यक्तियों का समूह
- **मध्यस्थ :-** क्रेता विक्रेता के मध्य की कड़ी
- **सर्वांगीण:-** सभी कारकों को सम्मिलित करना
- **सट्टेबाजी :-** मूल्य में उतार-चढ़ाव का कृत्रिम रूप से प्रयास अर्थात जानबूझकर मूल्य परिवर्तन करना
- **कालाबाजारी :-** पूर्ति घटाकर बाजार में मूल्यों को बढ़ाना एवं लाभ कमाना

16.14 स्वपरख प्रशन (Self-Test Questions)

1. सहकारिता की परिभाषा दीजिए एवं इसके प्रमुख लक्षण बताइए।
   Define co-opertion and point out its chief characteristics.
2. सहकारिता की विचारधारा के प्रमुख उद्देश्य क्या है?
   What are the main objectives of co-opertive thought?
3. सहकारिता के आर्थिक व सामाजिक लाभों की विवेचना कीजिए।
   Discuss the economic and social advantages of co-operation.
4. सहकारिता के दोष व कमियों को समझाइए।
   Explain the disadvantages and defects of cooperation.
5. सहकारी आंदोलन के उद्गम एवं विकास की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।
   Discuss briefly the origin and development of co-operative movement.
6. सहकारिता की परिभाषा दीजिए तथा देश के आर्थिक विकास के लिए इसकी उपयोगिता बताइए।
   Give definition of co-operation and point out its suitability for the economic development of the country.

16.15 संदर्भ ग्रंथ सूची (References and Bibliography)

- Madam, G.R., Co-operative movement in India, Mittal Publication, New Delhi, 2007
- गुप्ता, बी.पी., सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार, रमेश बुक डिपो, जयपुर, 2016
- Mathur, B.S., Co-operation In India, SBPD Publications, Agra, 2005

- Malhotra, Gunjan, India's Economic Co-operation with SAARC Countries, A.K. Publications, Delhi, 2013
- Chaturvedi, S., Mulakala, Anthea, India's Approach to Development Co-operation, Routledge, 2019

16.16 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Singh, Ramesh, Indian Economy, TMH, New Delhi, 2021
- Mirra, S.K., Puri, V.K., Indian Economy, HPH, New Delhi, 2021
- Agarwal, A.N., Indian Economy, New Age Publications, New Delhi, 2021

16.17 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- www.drishtiias.com
- www.indiaessays.com
- www.jagranjosh.com
- https:// byjus.com
- https:// www.ica.coop
- https:// apcooperation.nic.in
- https:// prepp.in
- https:// en.m.wikipedia.org
- https:// www.iasabhiyan.com
- https:// iasbaba.com
- https:// yoursarticlelibrary.com
- https:// indiaessays.com
- https:// www.preservearticles.com
- https:// www.ukessays.com

इकाई-17

सहकारिता के सिद्धांत

(Basic Principles of Co-operation)

इकाई की रूपरेखा' (Outline of unit)

17.0 उद्देश्य

17.1 प्रस्तावना

17.2 सहकारिता की विचारधारा

17.3 सहकारिता का अर्थ

17.4 सहकारिता का उद्गम विकास

17.5 सहकारिता के उद्गम एवं विकास के कारण

17.6 सरकारी सिद्धान्तों का अर्थ

17.7 सहकारिता के सिद्धांत की परिभाषाएँ

17.8 सहकारी सिद्धान्तों का इतिहास

17.9 सहकारिता के सिद्धांत

17.10 सहकारिता के आधुनिक सिद्धान्त

17.11 सहकारिता के अन्य सिद्धान्त

17.12 सहकारी सिद्धान्तों का प्रयोग

17.13 सारांश

17.14 अधिगम परिणाम

17.15 शब्दकोष

17.16 स्व परख प्रश्न

17.17 संदर्भ व ग्रन्थसूची

17.18 अन्य पठन सामग्री

17.19 वेब संसाधन/लिंक

17.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को सहकारिता की विचारधारा, सहकारिता का उद्गम एवं विकास, सहकारिता के उद्गम व विकास के कारण, सहकारिता के लाभ ,सहकारी सिद्धान्तों का अर्थ, परिभाषाएँ, इतिहास, सहकारिता के आधुनिक

सिद्धांत व अन्य सिद्धांतो का अध्ययन व जानकारी उपलब्ध करवाकर सहकारिता के दोष व कमियों से अवगत करवाना है।

17.1 प्रस्तावना (Introduction)

समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग और सहायता के बिना अपने प्रत्येक कार्य में सफल नही हो सकता, मानव सभ्यता के विकास के प्रारम्भिक काल में मनुष्य समाज व सहकारिता के सिद्धान्तों को भली-भांति समझता था, और व्यावहारिक जीवन में उनका उपयोग भी करता था, यदि मानव समाज सहकारिता के सिद्धांतों को नही अपनाता तो मनुष्य जाति आज इतनी उन्नत और सभ्य नहीं होती, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में मानव जीवन का मूलमंत्र सहकारिता है, न कि प्रतिस्पर्धा। इसका जीवन्त उदाहरण कोरोना काल में देखने को मिला, पुलिस, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ तथा स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपना तन-मन-धन समाज के रक्षार्थ भरपूर सहयोग प्रदान किया। सहकारिता सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुलकर कार्य करने की शिक्षा देती है, सहकारिता के द्वारा प्रतिस्पर्धा एवं मध्यस्थों की संख्या में कमी होती है, सहकारिता सभी लोगों में आत्मविश्वास और एक सेवा की भावना उत्पन्न करती है, जिससे सामाजिक विषमता कम होती है।

17.2 सहकारिता की विचारधारा (Concept of Cooperation)

सहकारिता शब्द से प्रत्येक व्यक्ति भली प्रकार परिचित है,जब व्यक्ति जंगली अवस्था में था तब से व्यक्ति आपसी सहयोग करने, साथ-साथ काम करने तथा साथ-साथ रहने की भावना से समूह बनाकर रहने लगा।

वास्तव में प्रतिस्पर्धा व परस्पर सहयोग की भावना से ही मानव सभ्यता का विकास हुआ। प्रो. मिल ने कहा है कि, "सहकारिता ने मानव को संघर्ष व वर्गभेद के स्थान पर आपसी समझ से रहने के लिए प्रेरित किया है"।

सहकारिता ने पारस्परिक सहयोग द्वारा मानव के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, यही कारण है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों व दर्शनशास्त्रियों में सदैव ही सहकारी भावना के विकास व विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया है, जिस प्रकार मनुष्य प्रकृति के साथ संघर्षशील है, उसी प्रकार मनुष्य ने प्रकृति को सहयोगवादी बताया है, अनेक विद्वानों ने भी मानव प्रकृति को सहयोगवादी बताया है। **एच.जी. वेल्स** के अनुसार, "प्रकृति सहकारिता की एक महान सहेली है, यह कहना की सदैव ही निर्दयी है, उसका घोर अपमान करना है"।

17.3 सहकारिता का अर्थ (Meaning of Cooperation)

सहकारिता शब्द सह+कार शब्द से मिलकर बना है, "सह" का तात्पर्य साथ अथवा मिलकर तथा "कार" का अर्थ कार्य करने से है, अंग्रेजी शब्द Co+Operation भी इसी आशय को प्रकट करता है।

विस्तृत अर्थ में सहकारिता का तात्पर्य किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करने से लिया जाता है, मानव जब किसी काम को अकेले करने में असमर्थ रहता है, तो वह दूसरों का सहयोग लेकर उसे पूरा करता है।

वास्तव में सहकारिता आर्थिक संगठन का वह स्वरूप है, जिसमें व्यक्ति जानबूझकर स्वेच्छा से अपने आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करते है। प्रो. तालमकी ने लिखा है कि "सहकारिता केवल व्यापारिक संस्था ही नहीं अपितु वह व्यापार और सेवा की भावना का सम्मिश्रण है, जो शुभचिंतन, बधुत्व तथा सामूहिक भावना की जागृति करता है"। वर्तमान में सहकारिता शब्द का प्रयोग मिल जुल कर कार्य करने के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाने लगा है, जिसके फलस्वरूप वास्तविक सहकारिता लगभग लुप्त हो गई है, वास्तव में सहकारिता का अर्थ कुछ निश्चित उद्देश्यों और आदर्शों के लिए मिलजुल कर कार्य करने की भावना से लगाया जा सकता है।

17.4 सहकारिता का उद्गम एवं विकास (Origin and Development of Cooperation)

सहकारिता का प्रारम्भ कब व कैसे हुआ इस बिन्दू पर मतैक्यता नहीं है, सहकारिता मनुष्य की प्रकृति है इसी कारण विकास के साथ-साथ व्यक्ति, समाज, समुदाय, जाति, गाँव व शहर की रचना हुई, आज मनुष्य को शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए सहकारिता ही एक मात्र प्रभावी साधन है, जो व्यक्ति को सहयोगी व स्वावलम्बी बनाता है, प्राचीनकाल में मिश्र, चीन, रोम, यूनान व बेबीलोनिया की सभ्यता अत्यंत विकसित अवस्था में थी। बेबीलोनिया में सहकारी आधार पर कृषि की जाती थी, यूनान में व्यक्ति के दाह-संस्कार के लिए भी सहकारी समितियाँ थी, चीन में होन वंश के शासनकाल में साख समितियाँ कार्यरत थी, यहाँ दस्तकारों, चर्मकारों, सुनारों, कुम्हारों आदि के सहकारी संघ स्थापित थे।

मध्यकाल में ईसाई धर्म के प्रचार से इंग्लैण्ड में नये एक सामुदायिक जीवन का जिसे "मेनोरियल सिस्टम" कहा गया, का जन्म हुआ और इसी से सरकारी कृषि का प्रादुर्भाव हुआ। मध्यकाल में दस्तकारों के "गिल्ड" स्थापित हुए, जिनका उद्देश्य अपने सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था, ईस्लाम के प्रचार ने भी सहकारिता की भावना को प्रोत्साहित किया। सन 1750 की औद्योगिक क्रांति ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया जिससे श्रमिकों व निर्धनों का शोषण होने लगा, कम मजदूरी पर अधिक काम लिया जाता था इस शोषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप आधुनिक सहकारी आन्दोलन का विकास हुआ।

आधुनिक युग में दुर्बल व्यक्तियों ने संगठित होकर शोषण के विरुद्ध कदम उठाया, सहकारिता का उद्देश्य शोषित समाज को संरक्षण प्रदान करना था। सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने एक स्वावलम्बी समाज की कल्पना करते हुए, श्रमिक बस्तियों का निर्माण किया, जिसमें श्रमिकों को संगठित कर अपने पैरों पर खड़ा किया गया।

सन 1844 में रॉकडेल नामक स्थान के 28 बुनकरों ने मिलकर एक सहकारी समिति का गठन किया इसे आधुनिक सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ माना जाता है।

सम्भवतया: और व्यावहारिक होने पर सहकारी समिति उत्पादन, वितरण, शिक्षा और शासन की व्यवस्था करने हेतु कार्यवाही करेगी। यह एक जन आन्दोलन है जो जनता के व्यापक हित के लिए कार्यरत है ।

17.5 सहकारिता के उदगम एवं विकास के कारण (Causes of Origin and Development of Cooperation)

सहकारी आन्दोलन स्वतः उत्पन्न नही हुआ, बल्कि व्यक्ति को जब लगा कि बिना सहयोग के कार्य नहीं होगा, तो वह साथ मिलकर सहयोग से कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ, मुख्यतया निम्न कारण सहकारिता की उत्पत्ति व विकास के लिए उत्तरदायी है-:

1. औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप समाज के निर्बल वर्ग का अनेक प्रकार से शोषण होने लगा, इस शोषण से मुक्ति की चाह ने ही सहकारिता की भावना को जन्म दिया।
2. जब मध्यस्थ, उपभोक्ता व उत्पादक दोनों का शोषण करने लगे और इनकी श्रृंखला इतनी विस्तृत हो जाये कि कष्ट देने लगे तो इनका समापन आवश्यक होता है, मध्यस्थों ने किसानों, उपभोक्ता व समाज के अन्य वर्गों का शोषण करना शुरू किया तो सहकारिता के माध्यम से मध्यस्थों से मुक्ति मिली।
3. अत्यधिक शोषण के परिणामस्वरूप समाज के शोषित वर्ग (कृषक, दस्तकार, उपभोक्ता आदि) में यह सोच विकसित हुई कि शोषण से बचने के लिए उन्हें संगठित होना पड़ेगा अन्यथा उनका शोषण होता रहेगा।

4. रॉबर्ट ओवन, शुल्जे-डेलिश, रैफेसन आदि ने विभिन्न दिशाओं में सहकारिता को विकसित करने के लिए प्रयोग प्रारम्भ किये, भारत में भी महात्मा गाँधी ने सहकारी समाज की आवश्यकता पर बल दिया।
5. सहकारी आन्दोलन धर्म, नैतिकता व जीवन दर्शन के रुप में आगे बढ़ा तथा इसने सच्चे, नि:स्वार्थ एवं समर्पण भावना वाले कार्यकर्ताओं को जन्म दिया।
6. सरकार द्वारा कानून बनाकर समय समय पर उनमें परिवर्तन किया गया, इन कानूनों में सहकारी समितियों के गठन, पंजीयन, वित्तीय व्यवस्था, प्रबन्ध संचालन तथा सरकारी संरक्षण सम्बन्धी अनेक प्रावधान थे।
7. डेनमार्क व युगोस्लाविया में डेयरी क्षेत्र में सफल सहकारी प्रयोगों ने अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरित किया तथा डेयरी सहकारी समितियाँ स्थापित हुई।
8. सहकारिता संघात्मक स्वरूप भी इसके विकास में सहायक रहा है, इस स्वरुप में राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक, जिला स्तर पर केन्द्रीय बैंक व ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक समितियां स्थापित की गई है, ये समितियाँ व बैंक अपनी सदस्य समितियों को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करती है, और सहकारी आन्दोलन के विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग व्यापार में सहयोग देती है।

17.6 सहकारी सिद्धांतों का अर्थ (Meaning of Co-operation)

सहकारिता की विचारधारा को समझने के लिए सहकारी सिद्धांतो की जानकारी बहुत आवश्यक है, सहकारी उपक्रमों को आर्थिक उपक्रमों से अलग करने के लिए सरकारी आन्दोलन के प्रणेताओं ने कुछ निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित किये, जो आन्दोलन के भावी विकास का मार्गदर्शन करते हैं।

"सहकारी सिद्धांत वे विचार व आदर्श है, जिनके द्वारा सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है"।

सहकारिता के ये सिद्धांत बड़े विचार विमर्श व तर्क वितर्क के उपरांत निर्मित किये जाते हैं, इन सिद्धांतों का उपयोग कहीं भी व किसी क्षेत्र में किया जाता है ये सार्वभौमिक है।

17.7 सहकारिता के सिद्धांत की परिभाषाएँ (Definitions of Co-operation Principles)

1. **पी.आर. दुभाषिया के अनुसार,** "सहकारी सिद्धांत सामाजिक विज्ञान के वे सिद्धांत है जो सहकारी उपक्रम की विशेषताओं को स्पष्ट करने के साथ ही उनके संचालन में उपयोग किये जाते है।"
2. **डब्ल्यू.वि. वाटकिन्स (W.P. Watkins) के अनुसार,** "सहकारिता की अंतर्निहित शाखाएँ एवं विचार ही सहकारिता के सिद्धांत है जो यह निश्चित करते है कि कार्यविधि के रूप में इनका स्वरूप क्या है, इन विचारों की प्राप्ति ही सहकारी क्रियाओं का प्रयोजन है"।
3. **अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ द्वारा नियुक्त आयोग (ICA Commission) के अनुसार:** ये सिद्धांत वे व्यवहार है जो सहकारी आन्दोलन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक अर्थात् सर्वथा अनिवार्य है।"
4. **प्रो. डी.जे. कर्वे (prof. D.G. Krave) के अनुसार,** "सहकारी सिद्धांत सहकारी क्रिया को संगठित व संचालित करने की एक ऐसी विधि है जो सहकारी आन्दोलन के आदर्श अथवा उद्देश्यों में अंतर्निहित तथा अनिवार्य उप-सिद्धांत एवं उप-परिणाम है"।

   निष्कर्ष: "सहकारिता के सिद्धांत वे आधारभूत तथ्य है जिन्हें सहकारी उपक्रम एवं संगठन में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है, सिद्धांतों के अभाव में सहकारी पद्धति का संचालन कठिन है"।

17.8 सहकारी सिद्धांतों का इतिहास (History of Co-operation Principles)

सहकारी सिद्धान्तों के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, इसलिए प्रो. गाडगिल ने कहा है कि "सामान्यतया: प्रामाणिक सिद्धांतों की व्याख्या एवं उनके प्रयोगों के संबंधों और विचारों में पर्याप्त भिन्नता है"।

सहकारी विचारधारा के विस्तार के साथ-साथ सहकारी सिद्धांतों में अनेक सहकारी सिद्धांतों में अनेक परिवर्तन आये हैं। सर्वप्रथम 21 दिसम्बर, 1844 में रौकडेल के 28 बुनकरों ने सहकारी समिति का गठन किया, रौकडेल के बुनकरों ने कुछ आदर्श स्थापित किए जिन्हें सहकारी जगत में सहकारिता के प्रारम्भिक व मूल सिद्धान्त माना जाता है।

सन 1862 में जर्मनी के विख्यात सहकारी आन्दोलन के प्रणेता रेफिसियन (Rafffesian) ने ग्रामीण कृषि साख आन्दोलन प्रारम्भ किया इन्होनें ग्रामीण कृषि साख समितियों को सफल बनाने के लिए कुछ सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, ये सिद्धांत ग्रामीण सहकारी साख व्यवस्था की दृष्टि से निश्चित किये गये है। जर्मनी के ही शुल्जे डेलिश (Schulze Deltizsch) ने शहरी साख सहकारी आन्दोलन का सूत्रपात किया और अपने सिंद्धांतों का प्रतिपादन किया।

इन सिद्धांतों को फ्रांस, जर्मनी, इजराइल व एशियाई देशों की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों ने खुले दिमाग से अपनाया।

आगे तर्क-वितर्क, संगोष्ठियों एवं आलोचनाओं के बाद सन 1921 में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ने "रौकडेल सिद्धांतों" को स्वीकार किया, अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ (I.C.A.) ने इस सिद्धांतों को व्यापक रूप देने का निश्चय क्कर 1937 में संघ ने एक विशेष समिति गठित कर सहकारी सिद्धांतों को दो भागों में वर्गीकृत किया -:

1. सारभूत अथवा अनिवार्य सिद्धान्त :-
   इसमें चार सिद्धान्त शामिल किये गये :
   i) खुली सदस्यता (Open Membership)
   ii) प्रजातांत्रिक नियंत्रण (Democratic Control)
   iii) क्रय पर लाभांश (Dividend on Purchases)
   iv) पूँजी पर सीमित ब्याज (Limited Interest on Capital)
2. ऐच्छिक अथवा अनावश्यक सिद्धांत (Non-essential Principles) :- इसमें निम्न 3 सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है -
   i) धार्मिक व राजनीतिक तटस्थता (Political and Religious Neutrality)
   ii) नगद बिक्री (Cash Trading)
   iii) शिक्षा का प्रसार (Promotion of Education)

अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ ने समिति के सुझाव के अनुसार इन सिद्धान्तों को संघ के सदस्यो पर लागू किया परन्तु इन पर कई देश अलग नजर आये उन्होने इनमें अपनी सुविधानुसार परिवर्तन किये समय व परिस्थिति के अनुसार ऐसे सिद्धान्तों की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1963 में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी संघ (I.C.A.) ने एक आयोग का गठन किया जिसका अध्यक्ष प्रो. डी.जी. कर्वे को बनाया गया। इस आयोग ने 1965 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और सभी सिद्धांतों के समान महत्त्व को स्वीकार करते हुए आवश्यक और अनावश्यक सिद्धांतों के अन्तर को समाप्त कर व्यापक व स्पष्ट विश्लेषण किया गया।

17.9 सहकारिता के सिद्धांत (Principles of Co-operation)

सहकारिता के विभिन्न सिद्धांतों का निर्माण व्यापक तर्क-वितर्क व विचार-विमर्श के पश्चात् ही किया गया जिन पर सहकारिता के लक्षण निर्भर करते है, विश्व में सहकारिता की तीन व्यवस्था महत्वपूर्ण है-:

1. रौकडेल अग्रगामियों की व्यवस्था
2. फ्रेडरिक रेफेसन व्यवस्था
3. शुल्जे-डेलिस की व्यवस्था

ये तीनों व्यवस्थाएँ भिन्न भिन्न सामाजिक वर्गों, उपभोक्ताओं, कृषकों तथा स्वतंत्र दस्तकारों एवं व्यापारियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपनायी गयी है।

इन तीनों व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मुख्य सिद्धान्तों को इस प्रकार दर्शाया गया है -:

रोकडेल सिद्धांत	रैफेसन सिद्धांत	शुल्जे-डेलिस सिद्धांत
1. खुली एवं ऐच्छिक सदस्यता	1. राज्य की सहायता से आत्म सहायता	1. निजी व सार्वजानिक बाह्य सहायता के बिना आत्म सहायता
2. जनतांत्रिक नियंत्रण	2. सीमित कार्यक्षेत्र	2. अधिक विस्तृत कार्यक्षेत्र
3. आश्रय प्रत्यर्पण	3. लाभ का संचय में हस्तानान्तरण	3. लाभ का व्यवहारों के अनुपात में विभाजन
4. पूँजी पर सीमित ब्याज	4. अंशों का अभिदान के बिना सदस्यता	4. अंशों पर ऊँची दर से ब्याज
5. धार्मिक एवं राजनीतिक तटस्थता	5. असीमित दायित्व	5. सीमित दायित्व
6. नकद व्यापार	6. व्यवसाय सदस्यों तक सीमित	6. व्यापार में विशिष्टीकरण
7. शिक्षा की व्यवस्था	7. सेवा भाव से कार्य संचालन	7. लाभ के 10 % का संचय कोष

सहकारी आन्दोलन के सिद्धांत मूलत: एक दूसरे से भिन्न है, रोकडेल के सिद्धान्त विशेष, फ्रांस की औद्योगिक क्रांति सहकारिता, जर्मनी की डेयरी सहकारिता, इजराइल की कृषि सहकारिता और एशियाई देशों ने खुले दिमाग से इन सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाया।

रोकडेल अग्रगामियों ने उपभोक्ताओ के संरक्षण हेतु नगद व्यापार पर जोर दिया, परन्तु रेफेसन तथा शुल्ज़े-डेलिस नगद व्यापारिक व्यवहारों पर प्रभाव नहीं डाल सकें, क्योंकि उन्होने सहकारी संस्थाओं को साख संस्थाओं के रूप में विकसित किया।

17.10 सहकारिता के आधुनिक सिद्धान्त (Present Principles of Co-operation

1. ऐच्छिक एवं खुली सदस्यता का सिद्धांत
2. प्रजातान्त्रिक नियंत्रण का सिद्धान्त
3. अतिरेक या लाभ के वितरण का सिद्धान्त
4. पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धान्त
5. सहकारिताओं के मध्य सहयोग का सिद्धान्त
6. सरकारी शिक्षा का सिद्धान्त

1. **ऐच्छिक एवं खुली सदस्यता का सिद्धांत (Voluntary and Open Membership) :-** सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह सदस्यता ग्रहण करे या नहीं।
   पाल लैम्बर्ट के अनुसार, "ऐच्छिक सदस्यता का अभिप्राय यह है कि एक सरकारी संस्था में ऐसे ही व्यक्ति होने चाहिए जो कि स्वेच्छा से बिना किसी जोर या दबाव डाले, सम्मिलित हुए हो"। सहकारिता का मूलमन्त्र है- **"प्रत्येक सबके लिए और सब प्रत्येक के लिए"** ऐच्छिकता का सिद्धान्त लोगों को अच्छे कार्य करने की, प्रेरणा देता है और पहल शक्ति का विकास करता है परन्तु सहकारिता में खुली सदस्यता का मतलब यह नहीं कि ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश दे दिया जाये जो सहकारी व्यवसाय से प्रतिस्पर्धा रखते हो, सहकारिता से बहुत दूर रहते हो, समाज कंटक हो या सहकारी विरोधी हो, इन लोगों को सदस्य नहीं बनाना चाहिए, साथ ही अयोग्य, भ्रष्ट व चरित्रहीन व्यक्तियों को सहकारी संगठन से दूर रखना चाहिए।
2. **प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक नियंत्रण (Democratic Control) :-** प्रजातांत्रिक नियंत्रण से आशय संस्था के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संस्था का संचालन व नियंत्रण करने से है।
   प्रो. पॉल लैम्बर्ट के अनुसार, "प्रत्येक सदस्य को मताधिकार इसलिए प्राप्त है कि वह एक व्यक्ति है" सहकारी समिति सदस्य को बराबर का अधिकार है और प्रत्येक सदस्य को एक ही मत देने का अधिकार है, यहाँ गरीब, अमीर का भेदभाव नहीं होता, रोकडेल अग्रगामियों ने भी इस सिद्धांत को अपनी समिति में लागु किया था, इनके अनुसार पूंजी विनियोजन मत देने का अधिकार नहीं हो, बीएस सदस्यता के आधार पर उन्हें मताधिकार मिले।
   चार्ल्स जीड के अनुसार, "सहकारी समितियों की सभाओं में ऐसे लोग बड़ी संख्या में भाग लेते है, जो कि तकनीकी दृष्टि से सदस्य है, लेकिन जिनकी सहकारिता में कोई रूचि नहीं है" ऐसे सदस्यों को मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए।
3. **अतिरेक या लाभ का वितरण (Distribution of Surplus or Profit) :-** सहकारिता का यह सिद्धांत सेवा उद्देश्य को सामने रखकर कार्य करता है इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है। लाभ के वितरण के इस सिद्धांत का आविष्कार रोकडेल के अग्रगामियों ने किया, यह सिद्धांत एक ऐसी विधि है, जिसके द्वारा सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों और सहयोगियों को लागत मूल्यों पर सेवायें उपलब्ध करवाती है और साथ ही इस सिद्धांत के अनुसार लाभ को सदस्यों में वितरित किया जाना चाहिए किन्तु सम्पूर्ण अतिरेक (लाभ) सदस्यों में वितरित किया जाये, आवश्यक नहीं है।
   ICA आयोग ने इस सिद्धांत के सम्बन्ध में कहा है कि, "सहकारी समिति के क्रियाकलाप से उत्पन्न अतिरेक या बचत का श्रेय उस समिति के सदस्यों को होना चाहिए एवं इसका वितरण इस ढंग से किया जाए कि किसी भी सदस्य का अहित न हो।"
   लाभ का वितरण सदस्यों के निर्णय से निम्न प्रकार कर सकते (1) सहकारी व्यवसाय के निर्माण हेतु कोष का निर्माण (2) सामान्य सेवा के प्रावधान हेतु (3) समिति के सदस्यों में व्यवसाय के आधार पर वितरण।
   अत: जो व्यक्ति समिति से लेनदेन करते है वे ही लाभ प्राप्त करने के अधिकारी है।
4. **पूँजी पर सीमित ब्याज का सिद्धान्त (Limited Interest Capital) :-** रोकडेल अग्रगामियों का मानना है कि पूँजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाना चाहिए वे पूँजी को शोषण का अधिकार मानते थे लेकिन ब्याज के बिना पूँजी उपलब्ध होना भी दुर्लभ था। अत: उन्होंने पूंजी पर सीमित ब्याज के सिद्धांत को अपनाया जिससे कुछ ब्याज देकर आवश्यक मात्रा में पूँजी प्राप्त की जा सके।
   सहकारी आयोग का यह विचार है कि, "यदि अंश पूँजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसकी दर सीमित होनी चाहिए" सहकारी समिति कम्पनी के समान अधिक अंश वाले को अधिक लाभ प्रदान करेगी तो समिति द्वारा प्रदान की गई सेवा व प्राप्त अधिकार के मध्य कोई सम्बन्ध नहीं रह जाएगा"। मिर्धा समिति का विचार है कि, "पूंजी पर सीमित

ब्याज का सिद्धांत आर्थिक समानता को बढ़ाने में सहायक है, तथा क्रय के अनुपात में लाभांश के वितरण की क्रिया को संभव बनता है"।

5. **सहकारिताओं के मध्य सहयोग का सिद्धांत (Principle of Cooperation among Co-operative)**-:
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन1966 में ICA Commission ने किया, इस सिद्धांत का आशय यह है कि समस्त सहकारी संगठनों को स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हर संभव तरीके से सक्रिय सहयोग करना चाहिए, ऐसा करने पर ही वे अपने सदस्यों व पूरे समाज के हित में कार्य कर सकते है।
इस सिद्धांत को "सहकारिताओं के मध्य सहयोग" का सिद्धांत इसलिए तय किया गया है कि यदि सहकारी संस्थाओं में आपसी सहयोग की भावना नहीं होगी, तो ये संस्थाएँ आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगेगी, फलस्वरुप इनके पतन की सम्भावना बढ़ जायेगी, यदि प्रतिस्पर्धा स्वस्थ है तो कोई हानि नहीं है। सहकारी आन्दोलन का लक्ष्य एक है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विश्व के सभी सहकारी संगठनों को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए।
डॉ. ए.एफ. लैडला के अनुसार, "सहकारी संस्थाओं में पारस्परिक सहयोग द्वारा विकास के सिद्धांत का अर्थ सहकारी क्षेत्र का निर्माण करना है।"
ICA आयोग ने लिखा है कि "अपने सदस्यों तथा समुदाय के हितों को श्रेष्ठ रूप से पूर्ण करने हेतु समस्त सहकारी संगठनों और स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सहकारिताओं को परस्पर प्रत्येक व्यावहारिक मार्ग में क्रियात्मक रूप से सहयोग हो।

6. **सहकारी शिक्षा (Cooperation Education) :-** सहकारी आन्दोलन को स्वस्थ व आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारी शिक्षा का सिद्धांत आवश्यक है, रोकडेल अग्रगामियों ने अपने नियमों में समिति के आधिक्य का 2.5% भाग शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान रखा। शुल्ज़े डेलिस प्रणाली में शिक्षा के सिद्धांत पर बल नहीं दिया, फिर भी इस सिद्धांत की अपेक्षा नहीं की, मेडिसन ने एक बार कहा था कि, " लोगों को शिक्षित किये बिना उनके हाथ में कार्य संचालन की जिम्मेदारी सौंप देना एक अत्यंत खेदजनक अन्त की शुरुआत होगी।"

7. ICA आयोग ने कहा था कि, "समस्त सहकारी समितियों को अपने सदस्यों अधिकारियों और कर्मचारियों की शिक्षा तथा सामान्य जनता को सहकारिता के सिद्धान्त और तकनीक सिखाने का प्रयास करना चाहिए।"
जी.डी. कर्वे के अनुसार, "यदि अपना अस्तित्व बनाये रखना है, तो कोई सहकार और कोई भी सहकारी समिति सहकारी शिक्षा के किसी भी पहलू की उपेक्षा नहीं कर सकती। मिर्धा समिति के अनुसार, "प्रत्येक समिति के शिक्षा के प्रसार के लिए न केवल वित्तीय व्यवस्था करनी चाहिए बल्कि सहकारिता के सिद्धांत से लोगों को परिचित कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शिक्षित करने के लिए उचित कार्यक्रम भी बनाने चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के बिना समिति के सदस्यों में जागरूकता भी नही आयेगी और न ही वे अपने अधिकारों के प्रति सजग होंगे और वास्तविक प्रजातन्त्र का विकास भी नही हो सकेगा।"
अतः इस दुर्बल, गरीब जनता को शिक्षित किये बिना आन्दोलन का संचालन कठिन है, इसलिए इसके विकास पर जोर देना चाहिए।

17.11 सहकारिता के अन्य सिद्धांत (Other Principles of Co-operation)

सहकारिता के 17.9 में वर्णित सिद्धांतों के अतिरिक्त भी अन्य कुछ सिद्धांत है जो सहकारी आन्दोलन के सफल संचालन में सहायता पहुँचाते है ये सिद्धांत निम्नलिखित है:-

सहकारिता के अन्य सिद्धांत-:

1. पारस्परिक सहायता द्वारा आत्मसहायता का सिद्धांत
2. नकद व्यापार का सिद्धांत

3. मितव्ययता व कार्यकुशलता का सिद्धांत
4. सेवा का सिद्धांत
5. एकता व बंधुत्व का सिद्धांत
6. न्याय व समानता का सिद्धांत
7. प्रचार का सिद्धांत
8. अवैतनिक सेवा का सिद्धांत
9. राजनैतिक व धार्मिक तटस्थता का सिद्धांत
10. संघात्मक संगठन
11. ईमानदारी से व्यापार का सिद्धांत
12. सामाजिक स्वामित्व का सिद्धांत
13. राज्य संरक्षण का सिद्धांत
14. सुदृढ़ता का सिद्धांत
15. प्रशिक्षण का सिद्धांत
16. स्वशासित स्थानीय समिति का सिद्धांत

1. **पारस्परिक सहायता द्वारा आत्मसहायता का सिद्धांत (Self-help through Mutual help):** सहकारिता आन्दोलन दुर्बल व निर्धन व्यक्तियों का आन्दोलन है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि वो अपना व्यक्तिगत हित सुरक्षित रखने में भी असफल रहते है, इस सिद्धांत का उद्देश्य है, "प्रत्येक सबके लिए व सब प्रत्येक के लिए" अर्थात आपस में एक दूसरे की सहायता करने से स्वयं की सहायता होती है, प्रो. कर्वे ने कहा है कि, "आत्म सहायता व पारस्परिक सहायता सहकारिता की सार वस्तु है इसके अभाव में वास्तविक सहकारिता उदय नहीं होती।"
2. **नकद व्यापार (Cash Trading):** रोकडेल अग्रगामियों ने सहकारिता के लिए नकद व्यापार के सिद्धांत को आवश्यक माना क्योंकिं पर्याप्त वित्तीय साधनों के अभाव में उधार विक्रय करना पड़ता है, जिससे प्रथम तो साधनों की कमी होगी, द्वितीय डूबत ऋणों की अधिक संभावना होगी, चार्ल्स जीड व पोयजन ने इस बात पर जोर दिया है, कि नकद व्यापार का सिद्धांत आज के युग में आवश्यक नहीं है, क्योंकि उधार माल बेचना हर परिस्थिति में बुरा नहीं है, 1937 व 1966 में ICA कमीशन ने भी नकद व्यापार के सिद्धांत को गैर आवश्यक का ही दर्जा दिया है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से उपभोक्ता सहकारी समितियों से सम्बंधित है।
3. **मितव्ययता व कार्यकुशलता का सिद्धांत (Principle of Economy and Efficiency):** सहकारी संगठन प्रत्येक कार्य को कुशलता व मितव्ययतापूर्वक करना चाहते है, वह न्यूनतम साधनों से लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है, सदस्य इस सिद्धांत का महत्त्व नहीं समझेंगे तब तक साधनों में वृद्धि नहीं कर पायेंगे और भविष्य में आने वाली बाधाओं से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। जो व्यक्ति मितव्ययता से नहीं चलता है वह न तो स्वयं की सहायता कर सकता है और न ही दूसरों की।
4. **सेवा का सिद्धांत (Principle of Service):** सेवा भावना सहकारिता का मूल-मन्त्र है, यह भावना सभी सदस्यों मे भरी होनी चाहिए सेवा भावना में दो उद्देश्यों को विशेष महत्व दिया जाता है पहला मूल्यों में कमी लाना तथा दूसरा उत्पादन व्यय को कम करना। तालमेकी का कथन है कि, "सहकारिता केवल मात्र व्यापार नहीं है, अपितु व्यापार के साथ-साथ सेवा भाव का संयुक्तीकरण है, जो कि वफ़ादारी, भ्रातृभाव तथा सामूहिक भाव जागृत करती है। यदि सेवा के फलस्वरूप लाभ प्राप्त करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है।

5. **एकता व बन्धुत्व का सिद्धान्त (Principle of Unity and Fraternity):** सहकारिता परस्पर एकता व सहयोग की भावना पर आधारित है, जापानी विद्वान ने सहकारिता को "बंधुत्व के अर्थशास्त्र" की संज्ञा दी है, सहकारिता दुर्बल कमजोर व्यक्तियों को जीवित रखने का एक ऐसा साधन है जो एक-दूसरे की सहायता करते हुए अपना हित साधन करते है। बन्धुत्व के सिद्धान्त का क्षेत्र संकुचित न होकर विस्तृत होना चाहिए जिससे विश्व में सहयोग व एकता बनी रहे।
6. **न्याय व समानता का सिद्धान्त (Principle of Justice and Equality):** शोषण व अन्याय के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना ही सहकारिता का मूल उद्देश्य है, सहकारी संस्थाओं में प्राप्त लाभ को सभी सदस्यों में समानता के आधार पर बांटकर ही बस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, सहकारी संगठनों में प्रत्येक सदस्यों को मत देने या प्राप्त करने का समान अधिकार होता है वहाँ लिंग, वर्ग, जाति व भाषा तथा धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। अत: सहकारी संगठनों में समानता व स्वतन्त्रता का अधिकार पाया जाता है।
7. **प्रचार का सिद्धांत (Principle of Publicity):** सहकारिता के कार्यकलापों की जानकारी "जनसामान्य" को होना भी अतिआवश्यक है, इसके लिए यह आवश्यक है कि संस्था के व्यवसाय तथा कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया। सर एफ.निकल्सन के अनुसार, "प्रत्येक देश में प्रचार पहली आवश्यकता है, प्रत्येक तथ्य जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए"। सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को उधार दिए गए धन की सूची, साक्षियों के नाम तथा धन के भुगतान का विवरण आदि सभी तथ्य देखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, सहकारी आन्दोलन को जनसामान्य का आन्दोलन बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे इसका अधिकाधिक विकास सम्भव हो सके।
8. **अवैतनिक सेवा का सिद्धांत (Principle of Honorary Service):** सहकारी आन्दोलन प्रवर्तकों ने "अवैतनिक सेवा" सिद्धांत को स्वीकार किया है, इस सिद्धान्त में सहकारी समिति के संचालक, बिना वेतन के सेवाभाव से समिति का कार्य करे **प्रारम्भ में** समितियों के आकार छोटा होने व आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण प्रशिक्षित व योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति में असमर्थ थी इस कारण उन्हें अवैतनिक कर्मचारियों की ही शरण लेनी पड़ती थी, क्योंकि उस समय भी बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनमें सेवा भावना मौजूद थी जैसे-जैसे समितियों का आकार बढ़ा व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, स्थायी वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाने लगे व प्रशिक्षण की भी समुचित व्यवस्था की गई आज के युग में यह सिद्धान्त लुप्त प्राय: हो गया है।
9. **राजनीतिक व धार्मिक तटस्थता का सिद्धान्त (Principle of Political and Religious Neutrality):** सहकारी समिति की स्थापना करते समय उसे राजनीतिक व धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करने का माध्यम या साधन नही बनाना चाहिए, बल्कि सदस्यों की आर्थिक दशा सुधारने तथा उनकी सेवा का उदेश्य ध्यान में रखना चाहिए, राजनैतिक व धार्मिक तटस्थता का अर्थ है किसी भी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति तथा किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति यदि सहकारिता में विचारो से सहमत है तो उसे धार्मिक व राजनीतिक आधार पर सदस्यता से वंचित नही किया जायेगा, बल्कि समिति का सदस्य बनाया जायेगा।
10. **संघात्मक संगठन (Federal Structure) :** राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्था होती है जो देश के सहकारी आन्दोलन का संचालन करती है। राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक तथा जिला स्तर पर केन्द्रीय सरकारी बैंक होते हैं, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियाँ होती हैं, इस प्रकार ग्राम, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पे एक संघात्मक ढाँचा तैयार होने से आन्दोलन व्यवस्थित व विकसित होगा।
11. **ईमानदारी से व्यापार का सिद्धांत (Principle of Honestly Trading):** सहकारिता का उद्देश्य लाभार्जन नहीं है। एक निजी व्यवसायी लाभार्जन के उद्देश्य से बेईमानी करता है, सहकारिता अनावश्यक मध्यस्थों को हटाकर सस्ते मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुएँ उपलब्ध करवाए। **सहकारी स्वतन्त्र आयोग** के अनुसार, "ईमानदारी से

व्यापार का तात्पर्य बिना परिक्षण की हुई या ख़राब वस्तु न बेचने से है, अर्थात् वे वस्तुएँ बेचने से है जिसके लिए वह जिम्मेदारी उठा सके।

12. **सामाजिक स्वामित्व का सिद्धान्त (Principle of Social Ownership) :** एक सहकारी समिति का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, इनकी सम्पतियों पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार नही होता अपितु सामाजिक स्वामित्व वाली संस्था होती है, इसकी सदस्यता प्राप्त करने व अंश खरीदने के बाद ही कोई व्यक्ति इसके संयुक्त स्वामित्व में सम्मिलित हो सकता है, सहकारिता में अगर स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास चला जाता है तो सहकारिता निजी संगठन का रूप धारण कर लेती है और सहकारी स्वरुप समाप्त हो जाता है।
13. **राज्य संरक्षण का सिद्धान्त (Priniciple of State Patronage):** सहकारी व्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप से सम्बन्धित हैसदस्य एक साथ मिलकर इनका गठन करते है ,, तथा निश्चित उद्देश्यों के लिए कार्य करते है राज्य के सहयोग के बिना समितियाँ सुदृढ़तापूर्वक स्वावलम्बी तरीके से कार्य नही कर सकती, राज्य द्वारा प्रदान की गई सहायता अस्थायी व अल्पकालीन हो परन्तु अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करें।
14. **सुदृढ़ता का सिद्धांत (Principle of Stability):** सहकारी समितियों में सुदृढ़ता का सिद्धान्त का पालन किया जाए, स्थापना के कुछ वर्षों बाद ही समिति की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वह समिति राज्य सहायता पर निर्भर हो जाती है, और राज्य सहायता न दे तो समिति बन्द करनी पड़ सकती है, सदस्यों को उनकी सदस्यता, कार्यक्षेत्र, व्यापार, क्रियाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। कमजोर समितियों को मिलाकर सुदृढ़ इकाई का गठन करना चाहिए ताकि पर्याप्त लाभ कमाकर आगे बढ़े ताकि जनविश्वास में भी वृद्धि होगी।
15. **प्रशिक्षण का सिद्धान्त (Principle of Training) :** सहकारी संस्थाओं में प्रशिक्षण के सिद्धांत के रूप स्वीकार करना चाहिए, यदि प्रबन्धक प्रशिक्षित एवं कुशल है तो संस्था की उत्तरोतर प्रगति होगी, सहकारी संस्थाओं की असफलता का मुख्य कारण योग्य, कुशल व प्रशिक्षित अधिकारीयों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण को एक अनिवार्य सिद्धांत के रूप में स्वीकार करें।
16. **स्वशासित स्थानीय समिति का सिद्धांत Principle of Autonomous Local Society):** सहकारी स्वतंत्र आयोग का सिद्धांत स्वतंत्र विकेन्द्रीयकरण की विचारधारा पर आधारित है। इनका प्रबन्ध इनके सदस्यों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा स्वतन्त्र रुप से किया जाता है, ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक समितियों का प्रबन्ध स्थानीय जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है, गाँव के व्यक्तियों व सदस्यों में समिति के प्रति लगाव की भावना जागृत होती है।

17.12 सहकारी सिद्धांतों का प्रयोग (Application of Cooperation Principles)

सहकारिता के जनतान्त्रिक नियन्त्रण और पूँजी पर सीमित ब्याज के सिद्धांतों को सहकारी अधिनियम में पाये जाने वाले विभिन्न प्रावधानों में मान्यता दी गई है। "मुक्त सदस्यता" के सिद्धांत को पिछले वर्षों में मान्यता प्रदान की गई थी, 'आश्रय प्रत्यार्पण' या लाभ के वितरण सिद्धांत, आत्मसहायता व मितव्ययता का सिद्धांत के सिद्धांत को भी प्राय: साख समितियों के उपनियमों में मान्यता दी गई है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. सहकारिता की विचारधारा के बारे में प्रो. मिल का क्या कथन था?
2. सहकारिता शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है।
3. प्राचीनकाल में सहकारी समितियाँ किन देशों में कार्यरत थी?
4. सहकारिता का मूलमंत्र क्या है?
5. सहकारिता के सिद्धांत के बारे में प्रो. डी.जे. कर्वे के द्वारा दी गई परिभाषा लिखो।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. सहकारिता का प्रमुख सिद्धांत क्या है?
2. पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत क्या है?
3. क्या अवैतनिक सेवा का सिद्धांत आज के परिप्रेक्ष्य में उचित हैं?
4. अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संघ सहकारी सिद्धांतो को कितने भागों में बाँटती है?
5. सहकारी आन्दोलन सबसे पहले कहाँ आरम्भ हुआ

17.13 सारांश (Conclusion)

सहकारिता आन्दोलन ने आर्थिक क्षेत्रों में धन व आय के वितरण में एकरुपता प्रदान की है इससे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर रोक लगी है तथा लोगों की क्रय शक्ति व जीवनस्तर में सुधार हुआ है सहकारिता के सिद्धांत ने उपभोक्ताओं के शोषण को समाप्त किया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी साख-सुविधाओं का विस्तार हुआ है, कृषक को उसकी उपज का उचित दाम मिलने लगा है, गृह निर्माण सहकारी समितियों ने बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास की समस्या का सामाधान किया।

सारांश के रुप में कहें तो सहकारिता के सिद्धान्त निर्धनों के पक्ष में उनकी प्रगति और आर्थिक, विकास में सर्वोतम सर्वोपयोगी ओर विश्वसनीय है। सहकारिता के सिद्धान्त एक दूसरे से जुड़े हुए है और सहकारी सिद्धांत वे विचार व आदर्श है जिनके द्वारा सहकारी संस्थाओं के कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है। ये सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत है, इन सिंद्धांतों का उपयोग कहीं भी व किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है, ये सिद्धांत सार्वभौमिक है।

17.14 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थी निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे –

1. सहकारिता की विचारधारा, अर्थ, उदगम व विकास के बारे में।
2. सहकारी सिद्धांतों का अर्थ, परिभाषाएं और इतिहास के बारे में।
3. सहकारिता के आधुनिक सिद्धांतों के बारे में।
4. सहकारिता के अन्य सिद्धांतों के बारे में।
5. सहकारी सिद्धांतों के प्रयोग के बारे में।

17.15 शब्दकोश (Glossary)

- **दस्तकार** : वह कारीगर जो हाथ से छोटे मोटे उपकरणों की सहायता से वस्तुओं का निर्माण करता है।
- **अतिरेक** : आधिक्य अधिकता ,
- **मितव्ययता** : कम खर्चीला
- **सार्वभौमिक** : सम्पूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ

17.16 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)

1. सहकारिता का अर्थ समझाइये तथा इसके सिद्धातों की विवेचना कीजिए? (Explain the meaning of Cooperation and discuss the Principles of Cooperation)
2. सहकारिता के विभिन सिद्धान्तों की व्याख्या करो। (Discuss the various Principles of Cooperation)

3. सहकारिता के सिद्धांतों पर टिप्पणी लिखो। (Write note on the Principles of Co-operation)

17.17 संदर्भ व ग्रन्थसूची (References & Bibliography)

- डॉ. बी.पी. गुप्ता (सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार) - आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स, जयपुर
- भगवान दास केला (सहकारिता का सिद्धांत) - ई-पुस्तकालय
- स्वामी गुप्ता (ग्रामीण विकास एवं सहकारिता) - आर.बी.डी. पब्लिकेशन्स, जयपुर

17.18 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

1. एन.सी.आर.टी. "कक्षा XI" वाणिज्य व्यवसाय अध्ययन "अध्याय 2" व्यावसायिक संगठनों का रूप
2. राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001
3. भारतीय सहकारिता आन्दोलन – श्री शंकर सहाय सक्सेना
4. कृषि वित्त और सहकारिता – एकिनिक पब्लिकेशन डॉ. वनपाल कुमार बोयल, डॉ. अशोक कुमार

17.19 वेब संसाधन / लिंक (Web Resources /Links)

- https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/legislative-council-1
- http://booksinhindi.com
- https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1816144

इकाई - 18

राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का प्रारंभ और विकास (Origin and Development of Co-operative Movement in Rajasthan)

इकाई की रूपरेखा (Outline of the Unit)

18.0 उद्देश्य
18.1 प्रस्तावना
18.2 राजस्थान में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ और विकास
18.3 राजस्थान में सहकारिता आंदोलन के उद्गम एवं विकास के कारण
18.4 राजस्थान में सहकारी विचारधारा के उद्देश्य
18.5 राजस्थान में सहकारी साख का विकास
18.6 राजस्थान में डेयरी विकास
18.7 राजस्थान में सहकारी आंदोलन के अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं
18.8 सारांश
18.19 अधिगम परिणाम
18.10 शब्दकोश
18.11 स्व-परख प्रश्न
18.12 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची
18.13 अन्य पठन सामग्री
18.14 वेब संसाधन/लिंक

18.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थी सहकारिता आंदोलन को विस्तार से समझेंगे जिसमें राजस्थान में सहकारिता आंदोलन का विकास, सहकारी आन्दोलन के उद्गम के कारण, सहकारी साख का ढाँचा तथा सहकारी आन्दोलन के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इस इकाई का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को राजस्थान में सहकारी आंदोलन किस सीमा तक सफल रहा इसके बारे में अवगत कराना है।

18.1 प्रस्तावना (Introduction)

राजस्थान में सहकारिता का इतिहास करीब एक शताब्दी पुराना है। समय गुजरने के साथ-साथ सहकारी संस्थाएं भी मजबूत होती गई। आज सहकारी आंदोलन से किसान और ग्रामीणों के साथ-साथ शहरी समुदाय भी लाभन्वित होने लगा है। गाँवों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी सहकारी संस्थाओं ने अपनी पहचान बनाई है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी सहकारिता से जुड़ रही हैं। सहकारिता का सिद्धांत परस्पर सहयोग की भावना पर आधारित है जिसका मूल मंत्र है- "एक सबके लिए - सब एक के लिए"

18.2 राजस्थान में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ और विकास (Origin and Development of Co-operative Movement in Rajasthan)

राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1904 में अजमेर में हुई जिसका उद्देश्य किसानों को साख सुविधा उपलब्ध करवाना तथा महाजनों एवं अन्य बिचौलियों से मुक्ति दिलाते हुए शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना था। तत्पश्चात 1904 में ही डीग तथा भरतपुर में सहकारी कृषि बैंक इसी उद्देश्य से स्थापित हुआ। राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति एवं बैंक की स्थापना अक्टूबर 1905 ई. में भिनाय (अजमेर) में की गई।

अजमेर में ही 1910 ई में 'केन्द्रीय सहकारी बैंक' की स्थापना की गई। वर्तमान में राज्य में 20 राज्य स्तरीय सहकारी संघ, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक, 21 दुग्ध उत्पादक संघ, 34 थोक उपभोक्ता भंडार, 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक है। राज्य में वर्तमान में 39 शहरी सहकारी बैंक तथा 230 क्रय-विक्रय (विपणन) समितियाँ भी संचालित हैं।

18.3 राजस्थान में सहकारी आंदोलन के उद्गम एवं विकास के कारण (Causes of Origin and Development of Co-operative Movement in Rajasthan)

सहकारिता शब्द का अर्थ है – साथ मिलकर कार्य करना। जब व्यक्ति को लगता है कि वह बिना सहयोग के कार्य करने में असमर्थ है, तब वह साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित होता है। इसी से ही सहकारिता का उद्गम होता है। लेकिन केवल मिलकर कार्य करना ही सहकारिता नहीं है। इसमें मिलजुल कर काम करने के साथ-साथ समानता, स्वेच्छा और व्यक्तिगत हित के साथ सभी का हित आदि बातों का भी समावेश होता है। सहकारिता के उद्गम तथा विकास के अनेक कारण उत्तरदायी रहे हैं -

(i) मध्यस्थों की समाप्ति (Abolition of Middlemen)

(ii) शोषण से मुक्ति (Free from Exploitation)

(iii) समाज सुधारकों का योगदान (Contribution of Social Reformers)

(iv) सरकारी सहयोग (Government Help)

(v) सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Co-operative Education and Training)

(vi) प्रगतिशील सहकारी कानूनों का निर्माण (Formation of Progressive Co-operative Laws)

(vii) पीड़ित वर्ग में चेतना तथा एकता की शक्ति का उदय (Consciousness in the Exploited Persons and Development of United Power)

(viii) सहकारिता का संघात्मक स्वरूप (Federal Structure of Co-operation)

(i) मध्यथों की समाप्ति (Abolition of Middlemen): सहकारिता के उद्गम तथा विकास का प्रमुख उद्देश्य मध्यस्थों की समाप्ति था। यद्यपि मध्यस्थ का काम बुरा नहीं है। ये उत्पादन व वितरण व्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं। इनकी सेवाओं के बदले उचित पारिश्रमिक भी दिया जाता है। लेकिन जब यही मध्यस्थ उपभोक्ता तथा उत्पादक दोनों का शोषण करने लगे तो इनका समापन करना आवश्यक हो जाता है। मध्यस्थों ने किसानों, उपभोक्ताओं व समाज के अन्य वर्गों का शोषण करना शुरू किया तो शोषित वर्ग ने संगगठित होकर सहकारिता के माध्यम से इनसे मुक्ति पायी। सहकारिता में मध्यस्थों की कोई भूमिका नहीं होती। कृषकों का संपर्क सीधे

सहकारी साख समिति से ही होता है। कृषक सीधे इन समितियों से ही ऋण प्राप्त करता है तथा विपणन समिति के माध्यम से उचित मूल्य पर अपना माल मंडी में बेचता है।

(ii) **शोषण से मुक्ति (Free from Exploitation):** औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के निर्बल वर्ग का अनेक प्रकार से शोषण होने लगा। इस शोषण से मुक्ति पाने की इच्छा ने सहकारिता की भावना को जन्म दिया। समाज में ज्यादातर यह देखा जाता है कि सबल वर्ग निर्बल वर्ग का हर तरह से शोषण करने का प्रयास करता है। क्योंकि अकेले व्यक्ति का सरलता से शोषण किया जा सकता है। यदि यही निर्बल व्यक्ति मिलकर एक समूह बना ले तो वे शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। समाज में व्यापारी वर्ग उपभोक्ता का शोषण करता है। इससे मुक्ति पाने के लिए सहकारी उपभोक्ता भंडारों का विकास हुआ। साहूकार ग्रामीण किसानों को ऊंची ब्याज दर पर तथा मनमानी कठोर शर्तो पर ऋण देकर उनका शोषण करता है। इससे मुक्ति पाने के लिए सहकारी साख आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अत: राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के उद्गम तथा विकास का प्रमुख कारण समाज को व्यापारी वर्ग साहूकार तथा सफल वर्ग के शोषण से मुक्ति दिलाना ही रहा है।

(iii) **समाज सुधारकों का योगदान (Contribution of Social Reformers):** समय-समय पर समाज के अनेक समाज सुधारकों ने समाजवाद शोषण के विरुद्ध आवाज उठायी तथा शोषित वर्ग को संगठित होने के लिए प्रेरित करते रहें। विदेशों में रोबर्ट ओवन, शुल्ज़े डेलिश आदि समाज के सुधारकों ने सहकारिता को विकसित करने के लिए प्रयोग प्रारम्भ किये। भारत में भी महात्मा गाँधी ने सहकारी समाज की आवश्यकता पर बल दिया। समाज सुधारकों द्वारा/अनेक प्रयोग किये गये। इससे सहकारिता आन्दोलन का सूत्रपात हुआ।

(iv) **सरकारी सहयोग (Government Help):** सरकारी सहयोग भी सहकारी आंदोलन के विकास का एक कारण रहा है। सरकार ने सामाजिक परिवर्तन की नीति को सहकारिता के माध्यम से ही अपनाया। सरकार ने सहकारी आंदोलन को सहयोग दिया। सहकारी कानून का निर्माण किया गया। सरकार द्वारा सहकारी आंदोलन के विकास के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई। सरकार भी समाज के निर्बल वर्ग को शोषण से मुक्ति दिलाना चाहती थी, इसलिए सरकार ने व्यापारियों, साहूकारों, मध्यस्थों व दलालों के प्रभावी को समाप्त करने के लिए सहकारिता को एक प्रभाव माध्यम के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सरकार के सहयोग से ही आन्दोलन आगे बढ़ा।

(v) **सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Co-operative Education and Training):** सहकारी आंदोलन के विकास में शिक्षा तथा प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण माना गया है। बिना शिक्षा तथा प्रशिक्षण के सहकारिता का विकास संभव नहीं है। यही कारण है कि सहकारिता के सिद्धांतों में शिक्षा के सिद्धांतों को स्वीकार किया जाता रहा है। शिक्षा द्वारा ही सहकारिता के सदस्यों को अवगत कराया जा सकता है। जिससे वे समितियों के गठन व उनके कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। इसके साथ ही सहकारी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रबंधकीय योग्यता की कुशलता पर ही सहकारिता की सफलता निर्भर है। सफलता के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों का प्रशिक्षण होना आवश्यक है। इससे लोगों में समितियों के प्रति उचित शिक्षा तथा प्रशिक्षण सहकारी आंदोलन का विकास व विस्तार हुआ है।

(vi) **प्रगतिशील सहकारी कानूनों का निर्माण (Formation of Progressive Co-operative Laws):** सहकारी आंदोलन के विकास का एक प्रमुख कारण सरकार द्वारा सहकारी कानूनों का निर्माण करना रहा है। सरकार ने समय-समय पर सहकारिता के लिए कानून बनाये तथा उनमें आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन भी किए गए जिससे आंदोलन आगे बढ़ता रहा। इन कानूनों में सहकारी समितियों के गठन, पंजीयन, वित्तीय व्यवस्था,

प्रबंध संचालन तथा सरकारी संरक्षण सम्बन्धी अनेक प्रावधान थे जिससे सहकारी आन्दोलन का व्यवस्थित विकास हुआ।

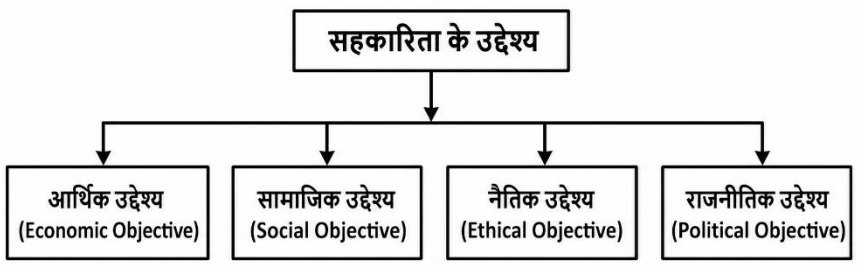
(vii) **पीड़ित वर्ग में चेतना तथा एकता की शक्ति का उदय (Consciousness in the Exploited Persons and Development of United Power):** सहकारिता की सोच के जन्म होने का प्रमुख कारण यही रहा है कि समाज में कृषक, दस्तकार, उपभोक्ता आदि बहुत शोषित वर्ग थे। अत्यधिक शोषण के परिणास्वरूप ही सहकारिता की भावना का विकास हुआ। शोषित वर्ग को यह ज्ञान हुआ कि यदि शोषण से बचना है तो संगठित होना पड़ेगा। अत: समान आर्थिक उद्देश्य वाले व्यक्ति संगठित होकर परस्पर सहयोग से एक दूसरे के हितों की रक्षा करने लगे। इस प्रकार सामाजिक चेतना जागृत होने के कारण ही सहकारी विचारधारा का विकास होने लगा। संघ शक्ति के उदय के फलस्वरूप सहकारी विचारधारा को प्रोत्साहन मिला क्योंकि शोषित वर्ग ने यह देखा कि किस प्रकार श्रमिक शोषण से मुक्ति के लिए संघ बना रहे हैं।

(viii) **सहकारिता का संघात्मक स्वरूप (Federal Structure of Co-operation):** सहकारिता का संघात्मक स्वरूप ही इसके विकास में सहायक रहा है। इस स्वरूप में राज्य सरकार पर शीर्ष बैंक, जिला स्तर पर केन्द्रीय बैंक एवं ग्रामीण स्तर पर आर्थिक समितियाँ स्थापित की गई है ये समितियाँ तथा बैंक अपनी सदस्य समितियों को सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करती है तथा उनके विकास के लिए उपयुक्त योगदान देती हैं। संघात्मक स्वरूप के अतिरिक्त अंतर- सहकारी समिति सहयोग ने भी सहकारी आन्दोलन के विकास को गति प्रदान की है। साख को विपणन से सम्बद्ध किया गया है। विपणन समितियाँ, विधायन समितियों से सम्बद्ध है। औद्योगिक व विपणन समितियाँ, उपभोक्ता समितियों को सहयोग देती है। इस प्रकार सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि, व्यापार आदि में आपसी सहयोग ने सहकारी आन्दोलन को विकसित किया है।

18.4 राजस्थान में सहकारी विचारधारा के उद्देश्य (Objectives of Co-operative Ideology in Rajasthan)

सहकारिता का मूल उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाना है। सहकारी आंदोलन के जन्मदाता रोबोट ओवन ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण व लाभ की प्रकृति के स्थान पर सामूहिक स्वामित्व की विचारधारा को महत्व दिया है। सहकारी आंदोलन के प्रवर्तक सहकारिता के माध्यम से व्यक्तियों के मध्य भेद भाव समाप्त करना चाहते थे। यही सहकारिता की विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य था। सहकारिता के कुछ उद्देश्य निम्नलिखित रूप से बतलाये जा सकते है:

चित्र संख्या – 1



18.4.1 आर्थिक उद्देश्य :

सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य समाज के निर्बल व्यक्तियों को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना था। सहकारिता के आर्थिक उद्देश्य भी निम्न प्रकार व्यक्त किये जा सकते हैं

(i) **आर्थिक सुरक्षा (Economic Security) :** सहकारिता का उद्देश्य उपभोक्ता, उत्पादन, श्रमिक में सभी वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सहकारिता मनुष्य के प्रयास व आवश्यकता दोनों पर ध्यान देती है। समिति के सदस्यों को उचित मूल्य पर वस्तु दिलाने का प्रयास करती है। सहकारी व्यवस्था में अधिक पूंजी वाला व्यक्ति अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है जो आर्थिक समानता व न्याय का आधार है। सहकारी व्यवस्था राजनीति से तटस्थ रहकर समाज को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है।

(ii) **आर्थिक विकास (Economic Development) :** सहकारी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक विकास के समान अवसर उपलब्ध करवाना है। इससे व्यक्ति का स्वयं का विकास तो होता ही है, साथ ही समाज का विकास भी होता है। समाज में आर्थिक विकास के समान अवसर मिलने से निर्बल व्यक्तियों को अपनी रूचि के अनुसार व्यवसाय चुनने का मौका मिलता है तथा वे पूरे मन से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे व्यक्ति की पूरी योग्यता का उपयोग होता है। सहकारिता का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें व्यक्ति को पर्याप्त अवसर उपलब्ध होता कि वह समाज से जो भी प्राप्त करें उसका कोई गुना अपनी सेवाओं के माध्यम से समाज को लौटा सके। अतः सहकारिता का उद्देश्य मानव का आर्थिक तथा सामाजिक विकास करना है।

(iii) **आर्थिक साझेदारी (Economic Partnership) :** सहकारिता में आर्थिक साझेदारी एक संगठन का स्वरूप धारण कर लेती है जिसमें परस्पर सहयोग की भावना निहित होती है तथा जो निर्बल को शोषण से बचाने का काम करती है। आर्थिक साझेदारी से आर्थिक सत्ता का केंद्रीयकरण समाप्त हो जाता है तथा आर्थिक व सामाजिक समानता उत्पन्न होती है। अतः सहकारिता का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना न हो कर सेवा करना है।

18.4.2 सामाजिक उद्देश्य (Social Objective):

सहकारिता सामाजिक सहयोग में समानता की भावना पर आधारित है। सहकारिता आंदोलन आर्थिक आंदोलन ही नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन भी है। इसके अंतर्गत दुर्बल व्यक्तियों को भी जीने के लिए समान अवसर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। सहकारी आंदोलन में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाए जाते हैं। सहकारी व्यवस्था में सदस्यों में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, विचारधारा, संस्कृति आदि किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इससे सामाजिक समानता को बल मिलता है। अत: सहकारी व्यवस्था एक जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है जिसका मूलमन्त्र है, "सब एक के लिए, एक सबके लिए"।

सहकारिता सेवा की भावना को बल देती है। सहकारिता का जन्म ही सेवा करने के लिए हुआ है। इस व्यवस्था में रहकर व्यक्ति सेवा में सहयोग की भावना सीखता है। समाज में व्याप्त हिंसा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा तथा दुःख को सहयोग व सेवा की भावना से ही दूर किया जा सकता है। यही सेवा व सहयोग ही सहकारिता का एकमात्र उद्देश्य है।

18.4.3 नैतिक उद्देश्य (Ethical Objective):

आर्थिक व सामाजिक उद्देश्य के साथ सहकारिता का नैतिक उद्देश्य भी है जिसमें निस्वार्थ तथा समर्पण की भावना के साथ कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है। यह समाज के हित के विकास के लिए कार्य करती है। सहकारिता का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं है अपितु सेवा करना है। सदस्यों में सहयोग, भाईचारे तथा मिलकर कार्य करने की भावना का विकास

करना है। इस प्रकार सहकारिता विश्व बंधुत्व के उद्देश्य को लेकर स्थापित की गई व्यवस्था है। सहकारी योजना समिति के अनुसार सहकारी आंदोलन आवश्यक रूप से नैतिक है। यह भौतिक संपत्तियों के स्थान पर ईमानदारी एवं नैतिक दायित्व की भावना को प्रतिस्थापित करता है। यह इस बात का ध्यान रखता है कि भौतिक स्वीकृति की अपेक्षा नैतिक स्वीकृति पर ही अधिक ध्यान दिया जाए।

18.4.4 राजनैतिक उद्देश्य (Political Objective):

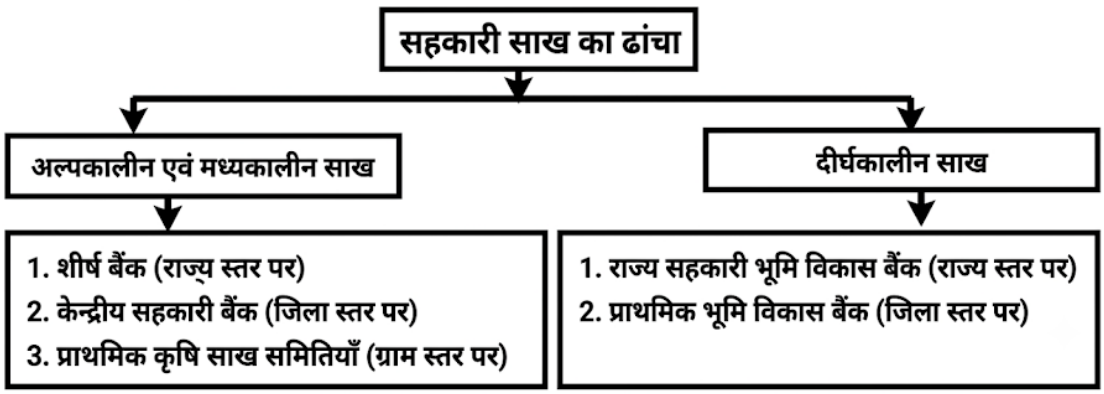
सहकारिता का एक उद्देश्य समाज में राजनीतिक चेतना जागृत करना भी है। सहकारी समितियों की प्रबंधन व्यवस्था प्रजातांत्रिक आधार पर की जाती है। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होता है। जिससे समिति के सदस्यों के प्रबंधक तथा संचालक मंडल के सदस्यों का चयन करते हैं। सहकारिता राजनीति का पाठ पढ़ाती है तथा स्वायत शासन की शिक्षा देती है। सहकारी प्रबंध व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। इसकी प्रबंधन व्यवस्था सदस्यों द्वारा ही की जाती है। इस प्रकार सहकारिता प्रजातंत्र की नींव मजबूत करती है। यह ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करने में भी सफल रही है।

इस प्रकार सहकारिता समाज में आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक तथा नैतिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। यह एक शोषण से मुक्ति दिलाने वाला आंदोलन है। यह समाज में तनाव को कम करके सहयोग का वातावरण बनाने में सहायक रहता है। यह दुर्बल व्यक्तियों के जीवन स्तर को उन्नत करने तथा सामाजिक परिवर्तन करने का एक शांतिपूर्ण आंदोलन है। जो आत्म सहायता तथा सहयोग का पाठ पढ़ाता है। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पूंजीवादी तथा साम्यवादी संगठनों में बुराइयों को दूर रहने का श्रेय भी सहकारी आंदोलन को जाता है। इस प्रकार सहकारिता एक दूसरे के साथ मिलकर रहने एवं कार्य करने की प्रेरणा देती है तथा इसके माध्यम से ही शोषित वर्ग का उत्थान, प्रजातंत्र का प्रचार तथा समानता व समाज सेवा की भावना का विस्तार किया जा सकता है।

18.5 राजस्थान में सहकारी साख का विकास (Development of Co-operative Credit in Rajasthan)

राजस्थान में सहकारी आंदोलन के अंतर्गत सहकारी साख का विकास गांव जिला तथा राज्य स्तर पर हुआ है। साख को भी समयानुसार अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन स्तर पर विभाजित किया जाता है। राजस्थान में सहकारी साख का ढाँचा निम्न प्रकार है :

चित्र संख्या – 2



शीर्ष बैंक/राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (Apex Bank/Rajasthan State Co-operative Bank) :

राजस्थान में सहकारी विकास के लिए एक शीर्ष बैंक स्थापित करने का सुझाव रिजर्व बैंक द्वारा श्री कोठारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने दिया था। समिति का सुझाव था कि ऐसे बैंक की स्थापना में 50% पूंजी राज्य सरकार दे तथा इसे उचित सहायता तथा संरक्षण प्रदान करें, ताकि इसके लिए साधन बढ़ सके। साथ ही समिति ने सिफारिश की थी कि शीर्ष सहकारी बैंक सफलतापूर्वक कार्य करें, इसके लिए उचित वातावरण बनाने के लिए सरकारी प्राथमिक समितियों एवं केन्द्रीय बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाये तथा संपूर्ण राज्य के लिए एक सहकारी कानून भी बनाया जाये।

इन सिफारिशों के आधार पर 14 अक्टूबर, 1953 को शीर्ष सहकारी बैंक की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण राज्य में सहकारी आंदोलन का समन्वित विकास करना था। यह बैंक राज्य के केंद्रीय सहकारी बैंकों, उनकी शाखाओं तथा प्राथमिक साख समितियों के माध्यम से कृषकों, ग्रामीण जनता एवं अन्य ज़रूरतमंद लोगों को वित्तीय साधन उपलब्ध करवाकर उनकी आर्थिक सहायता करता है।

शीर्ष बैंक के प्रमुख कार्य (Main Functions of Apex Bank)

- केंद्रीय सहकारी बैंकों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करना।
- राज्य में सहकारी साख व्यवस्था का प्रसार करना।
- विनियम बिलों, चैकों आदि का संग्रह करना।
- बहुमूल्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉकर्स की सुविधाएं प्रदान करना।
- सदस्यों एवं जमाकर्ताओं को ऋण एवं अधिविकर्ष की सुविधाएं प्रदान करना।
- आकर्षक ब्याज दरों पर जमाएं स्वीकार करना।
- कृषि साख समितियों के अतिरिक्त अन्य कृषि सहकारी समितियों को भी आवश्यक ऋण प्रदान करना।

केंद्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Bank)

केंद्रीय सहकारी बैंक राज्य में जिला स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। राज्य का पहला केंद्रीय सहकारी बैंक सन 1910 में अजमेर में खुला। इसके पश्चात कई केंद्रीय सहकारी बैंक खुले। स्वतंत्रता से पूर्व इन बैंकों की कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आयोजित आर्थिक विकास की नीति अपनाई गई। पंचवर्षीय योजना में सहकारिता को महत्व दिया गया जिससे केंद्रीय बैंकों का विकास हुआ। वर्तमान में राजस्थान में 29 केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं।

केंद्रीय सहकारी बैंकों के कार्य (Functions of Central Co-operative Banks)

- अपने जिले की सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करना।
- समिति के सदस्यों की जमाएँ स्वीकार करना तथा ऋण व अग्रिम आदि की सुविधाएं प्रदान करना।
- अपनी सदस्य समितियों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण प्रदान करना तथा उन्हें तकनीकी सलाह देना।
- सदस्य समितियों के कोषों को सुरक्षित रखना तथा उनके लिए एजेंसी संबंधी कार्य भी करना।

- केंद्रीय सहकारी बैंक राज्य के शीर्ष बैंक तथा प्राथमिक साख समितियों के मध्य एक कड़ी का काम करते हैं। इसलिए इसे त्रिस्तरीय सरकारी ढांचे का मध्य भाग कहते हैं

प्राथमिक कृषि साख समितियां

(Primary Agriculture Credit Societies (PACs) :

सहकारी आंदोलन का आधार प्राथमिक कृषि साख समितियां है। ये समितियां ही ग्रामीण जनता के संपर्क में आती हैं ये अपने सदस्यों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देती हैं। प्राथमिक कृषि साख समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को प्रोत्साहित तथा एकत्रित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है साख के अतिरिक्त ये समितियां सदस्यों को ऋण सेवाएं प्रदान करती हैं। वर्तमान में राज्य में 6020 प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं।

प्राथमिक कृषि साख समितियों के कार्य (Functions of PACs)

- प्राथमिक समितियां कृषि आदानों जैसे- बीज, खाद, कीटनाशक, दवाइयां, कृषि, यंत्र आदि की पूर्ति करती हैं।
- ग्रामीण जनता में बचत की भावना व आदत का विकास करती है।
- अपने क्षेत्र के कृषकों दस्तकारों, भूमिहीन किसानों व कृषि श्रमिकों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करती हैं।
- उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाया जाता हैं।
- उन्नत कृषि के विकास में सहयोग देती हैं।
- कृषक एवं अन्य सदस्यों को उचित मार्गदर्शन एवं सलाह देती हैं।

भूमि विकास बैंक (Land Development Banks)

भूमि विकास बैंक की स्थापना कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए की गई है। यह बैंक अपने सदस्यों को उनकी भूमि की जमानत पर ऋण प्रदान करते हैं। राजस्थान में इनका ढांचा द्वि-स्तरीय हैं। जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक काम करता है तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक कार्य करते हैं। राजस्थान में वर्तमान में एक राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक तथा 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक कार्यरत हैं। इनके माध्यम से 5 से 15 वर्ष की अवधि के लिए कर्ज दिए जाता हैं।

भूमि विकास बैंकों के कार्य (Functions of Land Development Banks)

- ये बैंक अपने सदस्यों को भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं।
- कुएं व तालाबों के निर्माण व मरम्मत करने, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, भूमि में स्थाई सुधार करने, ट्रैक्टर मशीन, पम्पिंग सेट आदि लगाने, भूमि खरीदने व फलों की खेती के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं।
- ये बैंक में पशुपालन विकास के लिए भी ऋण देते हैं।
- इन बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा व अवधि अधिक होती है। इन पर ब्याज दर कम होती है तथा ऋण की किस्तों में भुगतान की सुविधाएं होती हैं। अतः भूमि विकास बैंक सहकारी आंदोलन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है।

- कृषि साख की अल्पकालीन व दीर्घकालीन व्यवस्था करने वाली समितियों के अतिरिक्त राज्य में अन्य अनेक सहकारी समितियां भी काम कर रही हैं जैसे सहकारी विपणन समितियां सहकारी उपभोक्ता भंडार, विधायन समितियाँ, औद्योगिक समितियाँ, सहकारी गृह निर्माण समितियाँ, सहकारी शिक्षण तथा प्रशिक्षण समितियाँ तथा डेयरी सहकारी समितियाँ इत्यादि इस प्रकार राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के अंतर्गत अनेक समितियों का विकास हुआ। जिनका उद्देश्य केवल समाज का बहुमुखी विकास करना रहा है।
- सहकारी आंदोलन के अंतर्गत राजस्थान में ना केवल कृषि क्षेत्र में विकास हुआ अपितु डेयरी तथा दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि हुई। सहकारिता का उद्देश्य समाज में हर व्यवसाय को विकसित करना है चाहे वह व्यवसाय छोटा हो या बड़ा। इनके विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं भी सरकार तथा सहकारी समितियों द्वारा समय-समय पर चलाई जाती है जिनका संक्षेप में वर्णन आगे किया गया है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

मान लीजिए कि आप एक ग्रामीण स्तर पर स्थापित प्राथमिक कृषि साख समिति के सदस्य हैं जो जनता को उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवाती है। प्राथमिक साख समितियों के सदस्य होने के नाते आपको उचित कोष की आवश्यकता है। आप किस स्तर पर अपने से ऊंची साख समिति से आवश्यक कोष की मांग करेंगे जिससे ग्रामीण जनता को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सके?

18.6 राजस्थान में डेयरी विकास (Dairy Development in Rajasthan)

राजस्थान के पशुपालकों को दुग्ध का उचित मूल्य दिलाने एवं उपभोक्ता द्वारा शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक दूध उत्पाद उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डेयरी सहकारिता की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है।

राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम गुजरात की आनंद सहकारी डेयरी संघ की अमूल्य पद्धति के आधार पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं, जिसका त्रिस्तरीय संस्थागत ढाँचा निम्न प्रकार है -

(i) शीर्ष स्तर

(ii) जिला स्तर

(iii) प्राथमिक स्तर

(i) शीर्ष स्तर : राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन

मुख्यालय – जयपुर

स्थापना –1977

उद्देश्य - राज्य में दुग्ध विकास कार्यक्रमों का संचालन करने के साथ ही उपभोक्ता को उचित मूल्य पर शोध व स्वास्थ्यवर्धक दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना एवं पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलाना।

(ii) जिला स्तर : जिला दुग्ध उत्पादक संघ

उद्देश्य- प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से दूध संकलन एवं दुग्ध उत्पादों का विपणन करना।

(iii) प्राथमिक स्तर : प्राथमिक सहकारी दुग्ध उत्पादक समितियां

उद्देश्य - ये समितियां दुग्ध उत्पादकों से दूध खरीद करके जिला दुग्ध उत्पादक संघ को उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं। ऐसी 11095 समितियां राज्य में कार्यरत हैं।

18.7 राजस्थान में सहकारी आंदोलन के अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाएं (Main Schemes under Co-operative Movement in Rajasthan)

(1) सहकार स्वरोजगार योजना

(2) नकद ऋण वितरण योजना

(3) ज्ञान सागर योजना

(4) जनमंगल आवास ऋण योजना

(5) महिला विकास ऋण योजना

(6) ग्रामीण आवास योजना

(7) ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना

(8) व्यक्तिगत आवास ऋण योजना

(9) बेबी ब्लैंकेट योजना

(10) कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना

(11) सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड

(12) विफल कुएं क्षति पूर्ति योजना

(1) सहकार स्वरोजगार योजना (Co-operation Self–Employment Scheme): राजस्थान में सहकारिता आंदोलन के दौरान अनेक विकासशील योजनाओं का संचालन किया गया है जिनमें से एक है सहकार स्वरोजगार योजना है। कृषि, अकृषि एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहकारी बैंकों द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इस योजना में विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिकतम दो लाख रूपये तक का ऋण दो व्यक्तियों की जमानत पर दिया जा रहा है। 25 हजार रूपये तक के ऋणों को मासिक, त्रेमासिक या अर्द्धवार्षिक किश्तों में चुकाया जा सकता है।

(2) नकद ऋण वितरण योजना (Cash Credit Distribution Scheme) : सहकारी आंदोलन के विकास के अंतर्गत दीर्घकालीन सहकारी ऋण वितरण योजना शुरू की गई है। इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य बिचौलियों को हटाना है। इस योजना के अनुसार अब किसानों को कृषि यंत्रों, पम्पसेट तथा अन्य मशीनरी उपकरण आदि की खरीद के लिए भूमि विकास बैंकों द्वारा सीधे चेक दिया जाता है। जिससे किसान अपनी पसंद की फर्म से इच्छित यंत्र खरीद कर, 15 दिन में खरीद दिखाकर ऋण से खरीदी गई वस्तु का भौतिक सत्यापन करवा सकता है।

(3) ज्ञान सागर योजना (Gyan Sagar Yojana) : ज्ञान सागर योजना में शिक्षा के क्षेत्र में ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना के अंतर्गत है व्यवसायिक, तकनीकी, इंजीनियरिंग, आईटीआई, मेडिकल, होटल मैनेजमेंट, एमबीए, कंप्यूटर आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आधा प्रतिशत कम ब्याज लेने का निर्णय लिया गया है। यह योजना राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से संचालित की जाती है जिसका उद्देश्य दूर ढाणी में बैठे काश्तकार के बेटे-बेटी से लेकर शहरों में निवास करने वाले उच्च अध्ययन की इच्छा रखने वाले युवा ऋण सुविधा का लाभ उठा

सकें। इसके लिए जो छात्र देश तथा प्रदेश में उच्च एवं तकनीकी अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए तीन लाख रूपये तथा जो विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं, उनके लिए पाँच लाख रूपये तक के ऋण का प्रावधान है। ज्ञान सागर योजना में छात्र-छात्राओं के अतिरिक्त नौकरी पेशा तथा व्यवसायी भी उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अतः सहकारी आंदोलन के अंतर्गत संचालित ज्ञानसागर योजना शिक्षा के क्षेत्र में लाभदायक है।

(4) **जनमंगल आवास ऋण योजना (Jan Mangal Housing Loan Scheme) :** इस योजना का उद्देश्य लोगों का आवास का सपना पूरा करना है जिसमें पचास हजार से अधिक आबादी वाले शहरों एवं कस्बों में मकान बनाने या खरीदने के लिए 25 हजार से 5 लाख तक के ऋण का प्रावधान है। इसके साथ ही दुकानों, गोदाम, शोरूम के निर्माण के साथ ही रिहायशी मकानों या दुकानों की मरम्मत के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है। इस ऋण योजना में राज्य सरकार अर्द्ध सहकारी संस्थाओं स्वयंसेवी संस्थाओं एवं निजी क्षेत्र के सफाई कर्मचारी या 3 वर्ष से आयकर सारणी भरने वाले गैर कर्मचारी वर्ग के व्यक्ति भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(5) **महिला विकास ऋण योजना (Women Development Loan Scheme) :** इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं स्वावलंबी बनना चाहती हैं तथा अपना रोजगार करना चाहती हैं तथा अपना रोजगार करना चाहती हैं, उनके लिए ऋण का प्रावधान है। इसमें महिलाओं को कुटीर व ग्रामीण उद्योग धंधों, छोटे-मोटे रोजगार के साधनों, कपड़े, मसाले, बुनाई, पापड़, मंगोड़ी, जरी, चमड़े आदि के कार्यों के लिए पचास हजार रूपये तक का ऋण दिया जाता है। ऋण राशि को 3 माह की ग्रेस अवधि सहित पांच वर्षों में चुकाने की सुविधा है। राज्य के प्राथमिक भूमि विकास बैंक के कार्य क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को बिना अचल संपत्ति गिरवी रखे भी ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था महिला विकास ऋण योजना में की गई है।

(6) **ग्रामीण आवास योजना (Rural Housing Scheme):** ग्रामीण आवास योजना में पुराने मकानों की मरम्मत, परिवर्तन व परिवर्द्धन के लिए भी ऋण की सुविधा दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से 50 हजार तक की आबादी वाले एवं गांव में पक्के मकान बनाने के लिए आवास ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

(7) **ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना (Rural Accident Insurance Scheme) :** ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना में ऋण सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 25000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके लिए ऋण सदस्य की दुर्घटना होने पर 15 दिवस में तथा मृत्यु होने पर 30 दिन में क्षेत्र की भूमि विकास बैंक एवं बीमा कंपनी की निकटतम शाखा में सूचना देनी होती है। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के ऋणी सदस्यों की दुर्घटना में स्थाई अपंगता या मृत्यु होने पर राहत देने के उद्देश्य से बीमा कंपनियों के सहयोग से यह ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(8) **व्यक्तिगत आवास ऋण योजना (Personal Housing Loan Scheme) :** राज्य सहकारी आंदोलन के अंतर्गत व्यक्तिगत आवास ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत मकान या फ्लैट बनाने के लिए अथवा खरीदने के लिए अधिकतम पांच लाख रूपये तक के ऋण का प्रावधान है। इस योजना का लाभ 65 वर्ष की आयु तक के स्थाई नौकरी करने वाले तथा निजी व्यवसाय करने वाले उठा सकते हैं। इस योजना में ऋण तीन किस्तों में दिया जाता है तथा 15 वर्षों तक आसान किस्तों में ऋण तथा ब्याज चुकाने की सुविधा दी गई है।

(9) **बेबी ब्लैंकेट योजना (Baby Blanket Scheme) :** इस योजना में मकान की मरम्मत, रंग रोगन, प्लास्टर, फर्श बनवाने, बिजली या पानी की लाइनों को बदलने और दरवाजे खिड़की बनाने या मरम्मत कराने तथा अन्य इसी प्रकार के कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए 50 हजार रूपये तक के ऋण का प्रावधान

है यह ऋण 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। अतः मकानों की मरम्मत परिवर्तन व परिजन के उद्देश्य से राजस्थान राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा बेबी ब्लैंकेट योजना चलाई जा रही है।

(10) कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना (Farmer Friend Co-operative Loan Scheme) : इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे बड़े सभी काश्तकारों को सहकारी दायरे में लाना तथा राज्य में नकदी फसल के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगस्त 1997 से कृषक मित्र सहकारी ऋण योजना शुरू की गई है। इस योजना को सफल बनाने के लिए 4 एकड़ से अधिक सिंचित कृषि योग्य भूमि वाले काश्तकारों को दो लाख रुपए तक के फसली कर्ज वितरित किए जाने का प्रावधान है।

(11) सहकार सुगम क्रेडिट कार्ड (Sahkar Sugam Credit Card) : इस योजना के अंतर्गत लघु उद्यमियों, पारस्परिक कारोबार करने वाले, छोटे व्यवसायियों, दस्तकारों व युवाओं को रोजगार हेतु पचास हजार रूपये तक की साख सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अब इस योजना का नाम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना कर दिया गया है।

(12) विफल कुएं क्षतिपूर्ति योजना (Failed Wells Compensation Scheme): इस योजना का उद्देश्य उन काश्तकारों का राहत देना है जिन्होंने कुएं खुदवाने के लिए ऋण प्राप्त किया किंतु उसमें सफल नहीं हो पाए। अतः प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक से ऋण लेकर जो काश्तकार कुए खुदवाने में विफल रहे उनको ऋण की क्षतिपूर्ति इस योजना द्वारा की जाती है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

आप एक विद्यार्थी हैं तथा उच्च अध्ययन करने हेतु विदेश में जाना चाहते हैं। किंतु विदेश में अध्ययन का कर्जा आप वहन नहीं कर सकते। विदेश में उच्च अध्ययन का सपना पूरा करने के लिए आप सहकारी आंदोलन के अंतर्गत संचालित किस योजना का लाभ उठाना चाहेंगे। यह भी बताइए कि इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि तक के ऋण का प्रावधान है?

18.8 सारांश (Summary)

राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की प्रगति के उक्त विवरण से स्पष्ट है कि सहकारिता को एक व्यापारिक संगठन के प्रारूपों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या समाजवादी, चाहे राज्य में किसी भी धर्म का पालन किया जाता हो, सहकारिता को सभी जगह लोकप्रियता प्राप्त है। सहकारिता जाति, रंग, धर्म, भाषा, ऊँच-नीच आदि से कोसों दूर है। सहकारी आन्दोलन का तीव्र विकास इस बात को स्पष्ट करता है कि सहकारिता हर प्रकार की आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करता है चाहे वह किसी भी क्षेत्र से सम्बंधित हो जैसे कृषि शिक्षा आवास रोजगार व्यापार इत्यादि। सहकारिता समाज में आर्थिक, सामाजिक, नैतिक व राजनैतिक उद्देश्यों को पूरा करती है।
किंतु राज्य में सहकारी आंदोलन के विकास के बावजूद भी यह आंदोलन वांछित प्रगति नहीं कर सकता कर पाया है। सहकारिता की दृष्टि से राजस्थान कई राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जैसे कुशल प्रबंधन का अभाव, शिक्षा का अभाव, कुशल प्रशिक्षण का अभाव अवधिपार ऋणों में वृद्धि और समन्वय का अभाव, निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, वित्तीयकठिनाइयाँ आदि इसलिए सहकारी आन्दोलन का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब निस्वार्थ भावना वाले व्यक्ति इसके सदस्य हो। जब तक सहकारी आंदोलन का नेतृत्व योग्य, ईमानदारी, साहसी व कर्मठ व्यक्तियों के हाथ में नहीं आता, तब तक इसका भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का विकास नियोजन काल में ही हुआ है। अभी यहाँ सहकारी समितियां शिशु अवस्था में है। अतः उन्हें सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है। यह संरक्षण तब तक दिया जाना चाहिए जब तक कि ये समितियां आत्मनिर्भर हो ना जाए। इसके साथ ही

जनता में सहकारिता की भावना का विकास भी करना होगा, तभी सहकारी आन्दोलन, आन्दोलन बन सकता है। इसके लिए सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण तथा सहकारिता के प्रचार-प्रसार की भी आवश्यकता है।

18.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् एक छात्र राजस्थान में सहकारी आन्दोलन का आरम्भ कब और कहाँ से हुआ, इसके बारे में जान पायेंगे। राज्य में सहकारी आन्दोलन के संघ, बैंक, भंडार तथा समितियाँ कहाँ और कितनी संख्या में स्थापित है, इसकी विस्तृत जानकारी इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् मिलेगी। राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के विकास के अनेक आर्थिक तथा सामाजिक कारण रहे हैं, जिससे समाज का बहुत विकास हुआ है। इन कारणों को विस्तृत रूप में इकाई में स्पष्ट किया गया है। राजस्थान में सहकारी साख का अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास का ढाँचा इस इकाई में बताया गया है, जिसमें जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर सहकारी बैंकों के कार्यों का विवरण स्पष्ट किया गया है। अत: इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् एक सफल छात्र सहकारी आन्दोलन के प्रारम्भ तथा विकास के बारे में विस्तृत रूप से जान जाएगा।

18.10 शब्दकोश (Glossary)

- **कॉलेटरस** – अनुप्रासंगिक
- **ग्रेस** – अनुग्रह कृपा
- **परिवर्द्धन** – बढ़ाया जाना, सम्यक वृद्धि
- **अधिविकर्ष** – किसी खाते में जमा धन से अधिक धन निकालना (ओवरड्राफ्ट)
- **अग्रिम** – अगला
- **PACs** – Primary Agriculture Credit Societies (प्राथमिक कृषि साख समितियाँ)

18.11 स्व-परख प्रश्न (Self Test Question)

1. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक के संगठन और कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
   Briefly Describe the Organization and Functions of Rajasthan State Co-operative Bank.
2. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन पर एक निबंध लिखिए।
   Write an essay on Co-operative Movement in Rajasthan.
3. सहकारिता आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य बताइए।
   Describe the main objectives of Co-operative Movement.
4. राजस्थान में सहकारी आन्दोलन के उद्गम एवं विकास के कारण क्या थे?
   What were the causes of Origin and Development of Co-operative Movement in Rajasthan.?
5. प्राथमिक कृषि साख समितियों के कार्य लिखिए।
   Write the functions of PACs.
6. राजस्थान में सहकारी आंदोलन के अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं का वर्णन कीजिए
   Describe the main programmes conducted under Co-operative Movement in Rajasthan.

18.12 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची (References and Bibliography)

- ग्रामीण विकास एवं सहकारिता : डॉ एच.आर. स्वामी, डॉ. बी.पी. गुप्ता
- सरकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास : डॉ. एम.डी. अग्रवाल, डॉ. बी.पी. गुप्ता, डॉ. बी.एस. माथुर
- सहकारिता : डॉ. बी.एस. माथुर
- Kulkarni : Theory and Practice of Cooperation
- Hajela, T.N. : Principles, Problems and Practice of Cooperation

18.13 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Patel and Khnakhoja : Rural Economics
- Review of Cooperative Movement in India (RBI Publication)
- The Rajasthan Cooperative Societies Act, 1965
- Report of the committee on cooperative movement in the Rajasthan (Shobha Ram Committee 1976)

18.14 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- https://www.rajasthanstudy.co.in
- https://hi.m.wikipedia.org.
- https://plan.rajasthan.gov.in
- https://agris.fao.org.
- https://www.rajres.in

इकाई - 19

सहकारी साख संस्थानों की संरचना

(Structure of Co-operative Credit Institutions)

इकाई की रूपरेखा (Outline of unit)

19.0 उद्देश्य
19.1 प्रस्तावना
19.2 सहकारी साख संस्थानों का विकास
19.3 सहकारी बैंकिंग गतिविधियां
19.4 शहरी सहकारी बैंकों के कार्य तथा उद्देश्य
19.5 शहरी सहकारी बैंकों की समस्याएं
19.6 शहरी सहकारी बैंकों के लिए सुझाव
19.7 राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी साख संरचना
19.8 अन्य विभिन्न प्रयोजनों हेतु ऋण वितरण
19.9 केन्द्रिय सहकारी बैंकों के उद्देश्य तथा कार्य
19.10 सहकारी बैंकिग व्यवस्था के दोष
19.11 केन्द्रिय सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के सुधार हेतु सुझाव
19.12 सारांश
19.13 अधिगम परिणाम
19.14 शब्दकोष
19.15 स्व-परख प्रश्न
19.16 संदर्भ व ग्रन्थसूची
19.17 अन्य पठन सामग्री
19.18 वेब संसाधन/लिंक

19.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को सहकारी ऋण संस्थान की संरचना, इनका विकास तथा सहकारी बैंकिंग गतिविधियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। साथ ही शहरी, केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी संस्थानों के क्या उद्देश्य तथा कार्य हैं, उनकी कार्यप्रणाली में क्या दोष हैं तथा उन दोषों को दूर करने के सुझावों के बारें में विस्तृत वर्णन किया गया है। इस इकाई के माध्यम से विद्यार्थी सहकारी साख संस्थानों की सरंचना को भली प्रकार समझ पाऐंगे।

19.1 प्रस्तावना (Introduction)

सहकारी ऋण संस्थान की सरंचना से पूर्व हमें यह समझना चाहिए कि सहकारी साख संस्थान क्या है? सहकारी ऋण संस्थान को सहकारी साख समितियां भी कहा जाता है। यह अपने सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण वाला एक वित्तीय संगठन है, जो एक समूह के रूप में बचाई गई राशि से कम ब्याज दरों पर उधार दे सकता है। सहकारी साख समितियां कई देशों में गरीब औरं कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं।

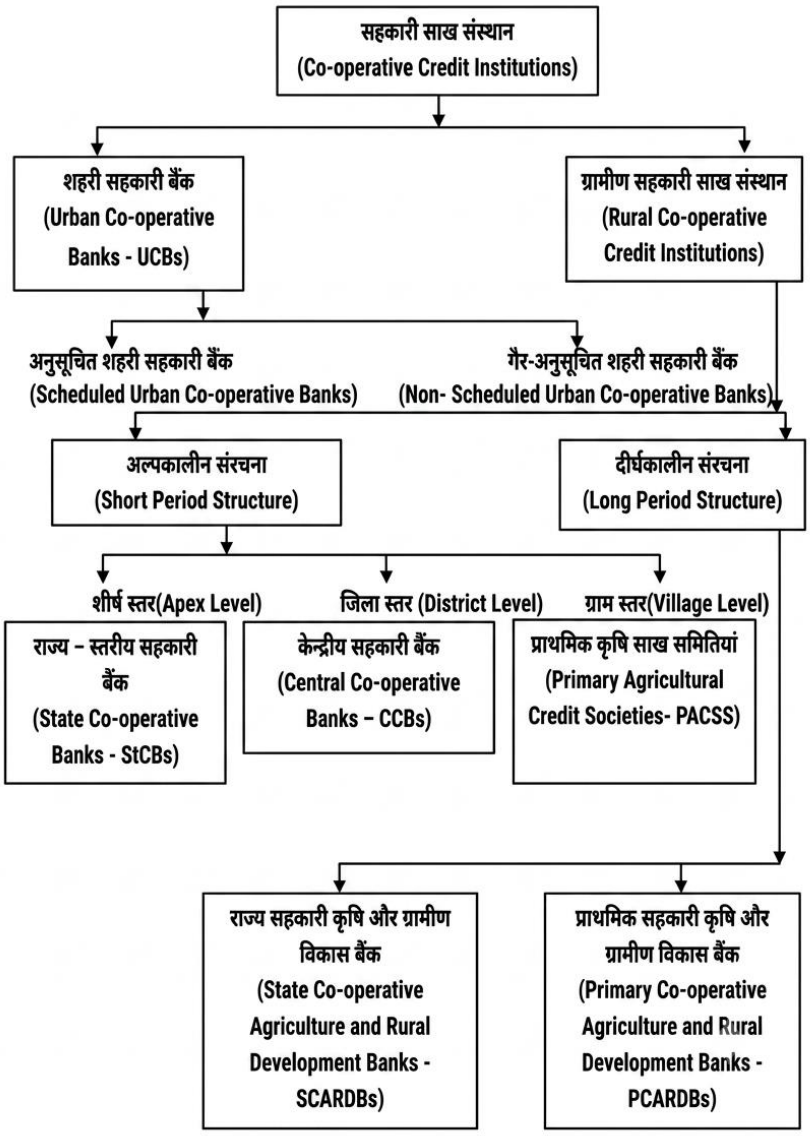
19.2 सहकारी साख संस्थानों का विकास (Co-operative Credit Institutions)

सहकारी साख संस्थानों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, शहरी सहकारी साख संस्थान और ग्रामीण सहकारी साख संस्थान। साख की संस्थान सरंचना को फिर दो भागों में बांटा जाता है – अल्पकालीन संरचना तथा दीर्घकालीन संरचना। अल्पकालीन संरचना में राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख समितियों को शामिल किया जाता है। वहीं, दीर्घकालीन संरचना में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को शामिल किया जाता है।

जैसा कि चार्ट – 1 में दर्शाया गया है -

चार्ट संख्या -1

सहकारी साख संस्थानों की संरचना



19.3 सहकारी बैंकिंग गतिविधियाँ (Co-operative Banking Activities)

सहकारी बैंकिग संस्थानों की गतिविधियां में अनेक बार परिवर्तन देखे गए हैं। जिनमें इन सहकारी साख संस्थानों की संख्या व आस्तियों में परिवर्तन होते रहे हैं। प्राथमिक सहकारी बैंक, जो शहरी सहकारी बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं, शहरी व

नगरीय क्षेत्रों के ग्राहकों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मार्च, 2016 के अंत तक सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत अल्पविधि व दीर्घकालीन ऋण संस्थानों सहित 1574 शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) तथा 93,913 ग्रामीण सहकारी बैंक की संख्या 1579 थी। अत: 2016 में इसमें कुछ अंको की गिरावट आयी है।

शहरी सहकारी बैंक को दो भागों में बांटा गया है। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक तथा गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक। मार्च 2015 के अंत में अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक की संख्या 50 थी, जो मार्च 2016 के अंत तक बढ़कर 52 हो गयी। वर्तमान में यह संख्या 53 है। जबकि गैर-अनुसूचित शहरी बैंक की संख्या 2016 के अंत तक 1522 है।

वहीं दूसरी ओर ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थानों की संख्या अल्पावधि व दीर्घावधि दोनों को मिलाकर 2013-14 में 94,718 थी जो 2014-15 में घटकर 93,913 रह गई। ग्रामीण सहकारी साख संरचना को भी अल्पकालीन व दीर्घकालीन दो भागों बांटा जाता है।

19.4 शहरी सहकारी बैंकों के कार्य तथा उद्देश्य (Functions and Objectives of Urban Co-operative Banks)

- सदस्यों तथा गैर-सदस्यों से जमा प्राप्त करना।
- सदस्यों को ऋण प्रदान करना।
- सदस्यों की घरेलू तथा अन्य आवश्यकताओं की खरीद के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य करना।
- सदस्यों द्वारा स्वीकार अथवा बेचान किए गए बिलों को एकत्र करना।
- सदस्यों के मूल्यवान प्रलेखों को हिफाजत से रखने की व्यवस्था करना।
- व्यापारिक बैंकों की तरह अपने सदस्यों को अन्य सुविधाएं प्रदान करना।

19.5 शहरी सहकारी बैंकों की समस्याएं (Problems of Urban Co-operative Banks)

- शहरी सहकारी बैंकों का संगठन सभी राज्यों में एक समान नहीं है। कम जनसंख्या वाले राज्यों में बैंकों की शखाएं विकसित नहीं हुई है।
- प्रशासनिक समस्याएं भी शहरी सहकारी बैंक में विद्यमान रहती हैं। कुछ संस्थाओं की सदस्यता अधिक होने के कारण सामान्य सभा बुलाना तथा उसका प्रबन्ध करना ही एक बड़ी समस्या है।
- शहरी सहकारी बैकों में वित्तीय समस्याएं भी आती रहती है। केन्द्रिय सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंकों को पर्याप्त वित्तीय सुविधा प्रदान नहीं करते जबकि किसी भी बैंकिंग संस्था के लिए पर्याप्त वित्तीय साधनों का होना आवश्यक है।
- शहरी सहकारी बैंकों की संचालन संबंधी समस्याएं उनकी ऋण देने की नीतियों तथा विधियों से सम्बन्धित हैं। कुछ बैंक अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। कुछ बैंक ऋणों पर ऊँची ब्याज दर वसूलते हैं। यहां तक कि कुछ बैंकों के पास अत्यधिक कोष होने से, सदस्यों की आवश्यकता से कहीं अधिक ऋण लेने की सुविधाएं प्राप्त होती है जिससे उनकी ऋण ग्रस्तता बढ़ जाती है।

19.6 शहरी/सहकारी बैंकों के लिए सुझाव (Suggestions for Urban Co-operative Banks)

- शहरी सहकारी बैकों का संगठन सभी शहरों में किया जाना चाहिए। विशेषकर ऐसे शहर में, जिसकी जनसंख्या लगभग एक लाख हैं, वहां अतिरिक्त सहकारी बैंक स्थापित किये जाने चाहिए।
- इन संस्थाओं की सदस्यता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। प्रत्येक बैंक की सदस्यता संख्या कम से कम 1500 होनी चाहिए।
- बैंकों की सभाओं में सदस्यों की सक्रिय रूप से भागीदारी को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसके लिए प्रतिवर्ष एक बार सभा अवश्य होनी चाहिए।
- सदस्यों को सहकारिता सम्बन्धी उचित शिक्षा व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उनकी सभाएं बुलानी चाहिए तथा उन्हें आवश्यक पढ़ने की सामग्रियां प्रदान करनी चाहिए।
- बैंकों द्वारा जनता से जमा पर प्राप्त धन को आकर्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिए। सदस्यों को अपव्यय ना करने तथा अपनी बचत को बैंकों में जमा करने की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वित्तीय समस्या का समाधान हो सके।
- बैंकों को चाहिए कि वे बैकिंग व्यवसाय के साथ सामान्य व्यापार न करें।

19.7 राजस्थान में अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (Short Period Co-operative Time Credit Structure n Rajasthan)

राजस्थान में त्रि-स्तरीय अल्पकालीन सहकारी साख संरचना विद्यमान हैं। जिसमें शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी बैंक (StCBs), जिला स्तर पर 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा ग्राम स्तर पर लगभग 6472 प्राथमिक कृषि साख समितियाँ कार्यरत हैं। जिन्हें पैक्स (Primary Agricultural Credit Societies) भी कहते हैं। इनका प्रमुख कार्य मौसमी कृषि उत्पादन तथा सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। केन्द्रिय सहकारी बैकों की कुल 444शाखाएँ राज्य में विद्यमान हैं।

राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक को शीर्ष बैंक कहते हैं शीर्ष सहकारी बैंक व सभी 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस शुदा बैंक हैं। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक इन सभी संस्थाओं की राज्य स्तरीय शीर्ष संख्या है। जिसके द्वारा सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को उनके द्वारा वितरित ऋणों का पुनर्भरण उपलब्ध करवाया जाता है। शीर्ष बैंक द्वारा समय-समय पर केन्द्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण तथा मार्गदर्शन किया जाता हैं।

अल्पकालीन सहकारी साख संस्थाओं द्वारा किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। किसानों को संस्था द्वारा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है तथा जो किसान समय पर ऋण का भुगतान करता है उसे ब्याज दर में भी छूट प्रदान की जाती है। विगत वर्षो में अल्पकालीन ऋण वितरण में कुछ आंकडे विधमान है-

- वर्ष 2009-10 से भारत सरकार द्वारा ऋण को समय पर चुकाने वाले किसानों को ब्याज सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। वर्तमान में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।
- राज्य सरकार भी वर्ष 2012-13 से समय पर अल्पकालीन फसली ऋण को चुकाने पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दे रही है, जिसकी अधिकतम ऋण सीमा 1.50 लाख रूपये हैं।

- वर्तमान में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 1.50 लाख रूपये तक के अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा करने वाले किसान से 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के स्थान पर शून्य प्रतिशत ब्याज दर तथा 1.50 लाख रूपये से लेकर 3.00 लाख तक के अल्पकालीन ऋण को समय पर चुकाने पर किसान से 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर ली जा रही है। 2018-19 तक सरकार की इस सुविधा का लाभ 16,41,440 किसानों ने उठाया।

19.8 अन्य विभिन्न प्रयोजनों हेतु ऋण वितरण (Loan Distribution for other Purposes)

केन्द्रिय सहकारी बैंकों द्वारा कृषि निवेश हेतु भी ऋण वितरण किया जाता है। जैसे- ट्रैक्टर, कृषि यंत्रीकरण, ग्रामीण गोदाम, वर्मी कम्पोस्ट, लघु सिंचाई हेतु ऋण इत्यादि प्रयोजनों हेतु मध्यकालीन सहकारी कृषि निवेश ऋण वितरित किया जाता है। एक आंकडे के अनुसार वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा 196.80 करोड़ रूपये कृषि निवेश ऋण के रूप में वितरित किये गये।

केन्द्रिय सहकारी बैंकों द्वारा विभिन्न अकृषि निवेश के लिए भी ऋण प्रदान किए जाते हैं। जैसे- उद्यम ऋण, लघु भर वहाँ ऋण, आवास ऋण, अक्षय सौर ऊर्जा तथा अन्य विभिन्न प्रयोजनों हेतु ऋण प्रदान किये जाते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 में 12.95 करोड़ रूपये अकृषि निवेश ग्रहण के रूप में प्रदान किये गए।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

एक निर्धन ग्रामीण किसान जिसके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है। उसके पास अपनी कोई कृषि भूमि भी नहीं है लेकिन वह खेती का कार्य बहुत अच्छे से करना जानता है। गांव की सहकारी समिति से भी उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। वह स्वयं का कोई छोटा-मोटा रोजगार प्रारंभ करना चाहता है ताकि उसका गुजर-बसर हो सके।

मान लीजिये कि आप सहकारी समिति के जिम्मेदार अधिकारी हैं। आप उक्त व्यक्ति की किस रूप में कितनी मदद कर सकते हैं?

19.9 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के उद्देश्य तथा कार्य (Objectives and Functions of Central Co-operative Banks)

केन्द्रीय बैंक का प्रमुख उद्देश्य कृषि समितियों को उत्पादन कार्यों के लिए, विपणन समितियों को विपणन तथा पूर्ति कार्यों के लिए तथा औद्योगिक एवं अन्य समितियों को उनके कार्यशील व्ययों की पूर्ति करने के लिए वित्त प्रदान करते हैं। समितियों को ऋण देने के अतिरिक्त वे उन्हें कुछ सामान्य बैंकिग सुविधाएं भी प्रदान करते हैं जैसे- जमा पर धन स्वीकार करना, कोषों का स्थानान्तरण, चैकों के धन की वसूली आदि।

संक्षेप में इन बैंकों के निम्नलिखित कार्य है-

(1) केन्द्रिय सहकारी बैंक संतुलन केन्द्र के रूप में कार्य करता है। अर्थात् यह प्राथमिक समितियों को आवश्यकता पड़ने पर वित्त प्रदान करता है। उनके अतिरिक्त धन के लिए समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है अर्थात् अतिरिक्त धन कोष को अन्य समितियों को देकर उत्पादक कार्यों के लिए उनका प्रयोग करता है।

(2) सदस्यों को अन्य बैंकिग सुविधाएं प्रदान करना।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिग सुविधाओं का विस्तार करना।

(4) सदस्य समितियों की कार्य प्रणाली का निरीक्षण, नियंत्रण तथा पथ-प्रदर्शन करना।

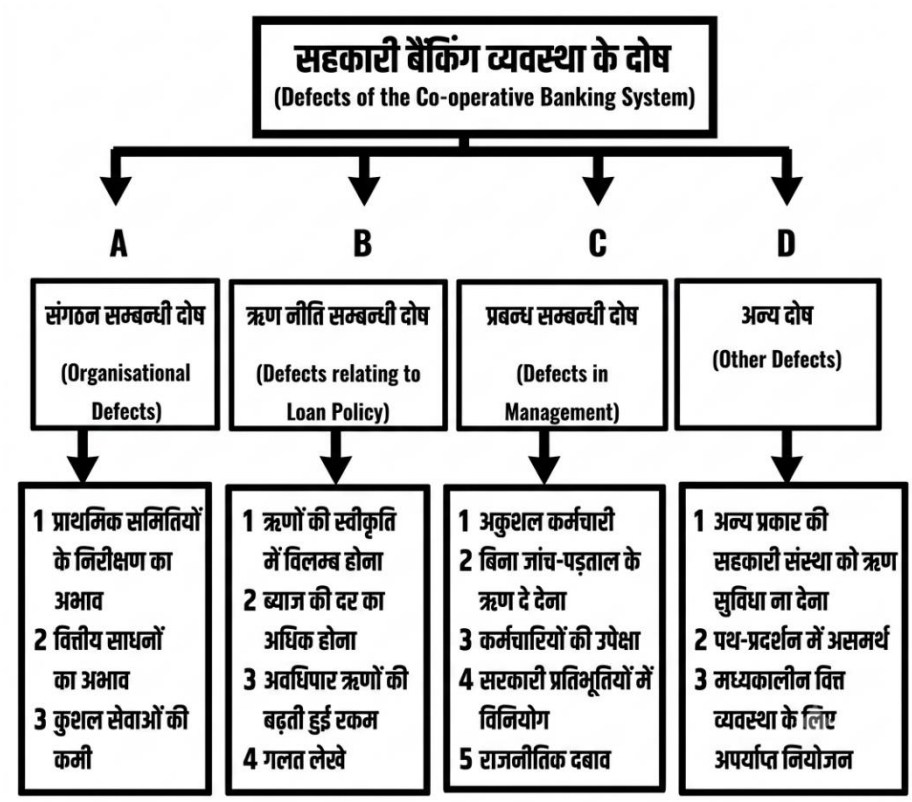
(5) सदस्यों के बचत तथा मितव्ययता की भावना का विकास करना।

(6) प्राथमिक समितियों को अपने रक्षित कोषों के सुरक्षित विनियोग की सुविधा प्रदान करना।

19.10 सहकारी बैंकिंग व्यवस्था के दोष (Defects of the Co-operative Banking System)

सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली में व्याप्त दोषों को एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है:

चार्ट संख्या -2



(A) संगठन सम्बन्धी दोष (Organisational Defects):

(1) प्राथमिक समितियों के निरीक्षण का अभाव (Lack of Inspection of Primary Societies): सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली का एक दोष यह है कि प्राथमिक समितियों के निरीक्षण का अभाव रहता है। जबकि बैंकों के सन्तोषजनक कार्य-संचालन के लिए आवश्यक है कि वे सम्बद्ध समितियों के निरीक्षण के लिए अपना स्टाफ रखें।

(2) वित्तीय साधनों का अभाव (Lack of Financial Resources): सहकारी बैंकों का सबसे बड़ा दोष यह रहा है कि वे बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने वित्तीय साधनों को बढ़ाने में असमर्थ रहे हैं। जमा राशि तथा निजी कोषों में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद वित्तीय पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़े।

(B) ऋण नीति सम्बन्धी दोष (Defects relating to Loan Policy):

(1) ऋणों की स्वीकृति में विलम्ब होना (More Time in Sanctions of Loans): ऋण स्वीकृति में विलम्ब भी सहकारी संस्थाओं का सबसे बड़ा दोष है। ऋण स्वीकृति हेतु औपचारिकताएं इतनी अधिक तथा जटिल होती हैं कि उन्हें समझने तथा पूरा करने में बहुत अधिक समय लग जाता है। कुछ बैंकों में तो आवेदन पत्रों को चार चरणों

से गुजरना पड़ता है – ऋण लिपिक, सहायक अकाउंटेंट, प्रबन्धन और प्रबंध संचालक। इनके बाद वह स्वीकृति-समिति के समक्ष पेश होता है इस तरह ऋण आवेदन-स्वीकार करने में बहुत समय लग जाता है।

(2) ब्याज की दर का अधिक होना (High Rate of Interest): सहकारी संस्थाओं के बैंकिग प्रणाली का एक दोष ब्याज की दर का अधिक होना भी है। उंची ब्याज दर के कारण ऋण की सुविधा का लाभ उठाने से कई लोग वंचित रह जाते हैं। कहीं-कहीं तो इन बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ब्याज तथा दिए गये ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दरों में 3 प्रतिशत का अंतर पाया जाता है।

(3) अवधिकार ऋणों की बढ़ती हुई रकम (Increasing Time-bar Loans): इन बैंकों का सबसे बड़ा दोष यह भी है कि इनके ऋणों की वसूली के लिए आवश्यक उपाय भी नहीं किये जा रहे है। और कुछ बैंक तो उन समितियों को भी ऋण देते जा रहे है जिनसे प्राप्त होने वाले अवधि पार ऋण काफी ज्यादा है। अत: स्थिति अत्यंत गंभीर होती चली जाती है।

(4) गलत लेखे (False Entries): बहुत से बैंकों में ऋणों की वसूली के सम्बन्ध में गलत लेखे पाए जाते है अर्थात ऋण की राशि वसूल नहीं होती लेकिन वह वसूल हुई दिखाते हुए नया ऋण दिया हुआ प्रकट कर दिया जाता है। अत: बैंक की वास्तविकता आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलता।

(C) प्रबन्ध सम्बन्धी दोष (Managerial Defects):

(1) अकुशल कर्मचारी (Interracial Employs): कुछ बैकों का प्रबन्धन अप्रशिक्षित तथा अयोग्य व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं मिलता। बैंकों के कुशल संचालन के लिए उपयुक्त तथा योग्य कर्मचारियों को नियुक्त करने की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

(2) बिना जांच पड़ताल के ऋण दे देना (Loan Distribution Without Proper Checking): कुछ केन्द्रिय सहकारी बैकों ने प्रोजेक्ट की आर्थिक तथा तकनीकी वांछनीयता का अध्ययन किए बिना ही अल्प या दीर्घ अवधियों के लिए ऋण दे दिए। जिससे ऐसे ऋणों की वसूली बहुत कठिनाई से होती है।

(3) कर्मचारियों की उपेक्षा (Ignorance of Employs): कर्मचारियों की उपेक्षा भी सहकारी संस्थाओं का दोष है। बैंकों के कर्मचारियों की तरक्की, नियुक्ति तथा उनको दी जाने वाली प्रेरणाओं के लिए कोई निश्चित नीति नहीं अपनायी जाती।

(4) सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग (Investment in Government Securities): कुछ बैकों द्वारा सरकारी अधिकारियों के दबाव में आकर निर्धारित सीमा से अधिक धन सरकारी ऋणपत्रों, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट आदि में विनियोजित कर दिया है जिससे बैंक सहकरी समितियों को आवश्यकतानुसार ऋण नहीं दे पाते है।

(5) राजनीतिक दवाब (Political Pressure): कई बार बैंकों के संचालक मण्डलों में राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व रहता है। ये राजनीतिज्ञ अधिक व्यस्त रहने के कारण बैंकों के कार्यों में विशेष रूचि नहीं लेते तथा बैंकिग कार्यप्रणाली में कई बार दखल देते है और अनावश्यक दवाब भी डालते हैं।

(D) अन्य दोष (Other Defects):

सहकारी संस्थाओ के कुछ अन्य दोष भी हैं। जैसे- अन्य प्रकार की सहकारी संस्थाओं, औद्योगिक उपभोक्ता तथा अन्य गैर साख सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त मात्रा में ऋण नहीं देना, प्राथमिक सहकारी समितियों के पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य ना करना, मध्यकालीन वित्त व्यवस्था के लिए अपर्याप्त नियोजन इत्यादि।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

सहकारी बैंकिग व्यवस्था में अनेक दोष व्याप्त हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण दोष राजनीतिक हस्तक्षेप बदलाव का भी है। पंचायती राज प्रणाली अन्तर्गत चुनाव जीतकर आये व्यक्ति सहकारी आंदोलन की गतिविधियों में अपनी मनमानी करते है। आप एक जागरूक ग्रामीण होने के नाते ऐसे राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए क्या सुझाव देना पसंद करेंगे।

19.11 केन्द्रीय सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली को सुधारने हेतु सुझाव (Suggestions to Improve the Working of the Co-operative Banks)

(1) सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली को सुधारने हेतु एक सुझाव यह दिया जा सकता है कि सहकारी बैकों को लोगों को चालू खाते खोलने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जिससे जनता बचत ही तरफ आकर्षित हो। इसके अतिरिक्त अन्य बैंकिग सुविधाएं जैसे- उनके चैकों तथा बिलों की रकमें वसूल करना, मांग पर देय ड्राफ्ट जरी करना आदि।

(2) ऋण प्रदान करने की विधि को अधिक सरल बनाना चाहिए। जिससे ऋण देने अथवा ऋण की सीमा निर्धारित करने में अधिक समय न लगे।

(3) अवधिपार ऋणों की वसूली करने के लिए शीघ्र एवं प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए।

(4) बैंकों को प्राप्त ऋणों पर देय ब्याज तथा दिए जाने वाले ऋणों पर प्राप्त ब्याज की दरों में एक या दो प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं रखना चाहिए।

(5) अन्य सहकारी समितियों जैसे- औद्योगिक सहकारी समिति और साख सहकारी समितियों को भी ऋण प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(6) बैंक के कर्मचारी प्रशिक्षित तथा उचित वेतन भोगी होने चाहिए जिससे उन्हें अधिक कुशलतापूर्वक काम करने का प्रोत्साहन मिले।

(7) सहकारी बैकों को राजनीति तथा दलबन्दी के कुप्रभावों से मुक्त होना चाहिए।

(8) प्रत्येक जिले में एक सुदृढ़ केन्द्रिय सहकारी बैंक होना चाहिए तथा बैकों को अपनी सम्बद्ध समितियों के कार्यों का निरीक्षण तथा उनका पथ-प्रदर्शन करना चाहिए ताकि वे अधिक कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें।

(9) ऋण प्राप्ति के आवेदन पत्रों को स्वीकार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे ऋण प्रदान करने में कम से कम समय लगें।

(10) छोटे किसानों को भी समुचित ऋण मिले, ऐसी व्यवस्था भी सहकारी बैकों द्वारा की जानी चाहिए।

अत: इस प्रकार उपरोक्त सुझावों द्वारा सहकारी बैंकों के दोषों को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है।

19.12 सारांश (Conclusion)

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि पिछले कुछ दशकों में सहकारी बैकों द्वारा सराहनीय प्रगति की गयी है। बैंकों के निजी कोषों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। किसानों तथा समितियों को अल्पकालीन, मध्यकालीन ऋण अधिकाधिक मात्रा में प्रदान किये गये हैं जिससे वे अपने पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर सकें। किन्तु इन सहकारी बैकों के कार्यकलापों के कुछ असन्तोषप्रद पहलू भी है जैसे- भारी अतिदेय, कम वसूली, अकुशल प्रबंध, अपर्याप्त एवं अप्रशिक्षित स्टाफ, निरीक्षण

की कमी, अल्प जमाएं, दूषित ऋण नीतियों, डूबे एवं संदिग्ध ऋणों के लिए अपर्याप्त कोष आदि। इन कसौटियों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि अधिकांश राज्यों में केन्द्रिय बैंक सफल सिद्ध नहीं हुए हैं। ये बैंक एकाकी रूप से कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं। इन्होंने अपनी सम्बद्ध समितियों के प्रति उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया हुआ है। इन समितियों से कभी प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया है।

समय-समय पर सहकारी बैंकों से कमियों को दूर करने के बारे में सुझाव दिए हैं। उन्हें बड़ी मात्रा में साख आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भी कहा गया है।क्योंकि किसी जिले में सहकारी आन्दोलन तभी सुदृढ़ बन सकता है जबकि उसका केन्द्रिय सहकारी बैंक मजबूत बने। इसके लिए सहकारी बैकों को ग्रामीण साख समितियों से निरन्तर सम्पर्क बनाए रखना चाहिए, उनके प्रति मैत्री-भाव रखना चाहिए, उनकी आवश्यकताओं तथा कठिनाइयों के प्रति सजग रहना चाहिए तथा अपनी क्षमता के अनुसार उनकी आवश्यक सहायता करनी चाहिए। तभी सहकारी समितियों का अस्तित्व में होना सफल माना जाएगा।

19.13 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् एक छात्र सहकारी साख संस्थानों की संरचना को विस्तृत रूप में समझने में सफल होगा। इकाई में सहकारी साख संस्थाओं का स्तरीय विकास बताया गया है जिनमें शहरी स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन संरचना का विकास विस्तृत रूप से बताया गया है। इस इकाई में छात्र सहकारी बैंकों की गतिविधियाँ, कार्य, उनके उद्देश्य तथा शहरी सहकारी बैंकों की समस्याएँ क्या है तथा उनके सुझाव के बारे में अध्ययन करेंगे। जिससे छात्र भविष्य में यदि किसी सहकारी साख संस्था में कार्यरत होते हैं तो उनकी कार्यप्रणाली से वे पूर्व से ही विदित होंगे।

अत: इस इकाई के सफल अध्ययन के पश्चात् एक छात्र सहकारी साख संस्थानों की जटिल संरचना को अत्यंत ही सरल रूप से समझने में सक्षम होगा।

19.14 शब्दकोष (Glossary)

- **UCBs :** Urban Co-operative Banks (शहरी सहकारी बैंक)
- **StCBs :** State Co-operative Banks (राज्य स्तरीय सहकारी बैंक)
- **CCBs :** Central Co-operative Banks (केन्द्रीय सहकारी बैंक)
- **PACs :** Primary Agriculture of Credit Societies (प्राथमिक कृषि साख समितियाँ)
- **SCARDBs :** State Co-operative agriculture and Rural Development Banks (राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)
- **PCARDBs:** Primary co-operative agriculture and Rural Development Banks (प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक)

19.15 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

1 केन्द्रिय सहकारी बैंकों के उद्देश्यों तथा कार्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए।
Explain the objectives and functions of Central Co-operative Banks

2 सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली के दोषों को समझाइए तथा उनकों दूर करने लिए सुझाव भी दीजिए।
Explain the defects of Co-operative Societies and give suggestions of improvement

3 शहरी सहकारी बैकों के उद्देश्यों तथा समस्याओं का वर्णन कीजिए।
Discuss the objectives and problems of Urban Co-operative Banks.

4 सहकारी ऋण संस्थान संरचना को समझाइए।
Discuss the structure of Co-operative Credit Institution

19.16 संदर्भ व ग्रन्थ सूची (References and Bibliography)

- Kulkarni : Theory and Practice of Cooperation.
- Mathur, B.S. : Co-operation in India (Hindi edition)
- Patel and Khankhoja : Rural Economics.
- अग्रवाल, माथुर गुप्ता : सहकारी चिन्तन एवं ग्रामीण विकास (रमेश बुक डिपो, जयपुर)
- Hajela, T.N. : Principles, Problems and Practice of Cooperation.

19.17 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Review of Co-operation Movement in India (RBI Publication)
- The Rajasthan Cooperative Societies Act, 1965

19.18 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- https://rbidoes.rbi.org.in
- https://www.jagranjosh.com
- https://www.rbi.org.in>PDFs
- https://rajras.in
- https://www.economicsdiscussion.net.
- https://www.researchgate.net.

इकाई - 20

उपभोक्ता सहकारी समितियां

(Consumer Co-operative Societies)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

20.0 उद्देश्य

20.1 प्रस्तावना

20.2 उपभोक्ता सहकारी समिति का अर्थ एवं परिभाषा

20.3 उपभोक्ता सहकारी संगठन

20.4 उपभोक्ता सहकारी समिति के उद्देश्य

20.5 उपभोक्ता भण्डारों की प्रबन्ध व्यवस्था

20.6 संगठित प्रबन्ध व्यवस्था के लाभ

20.7 उपभोक्ता सहकारिता की धीमी प्रगति के कारण

20.8 उपभोक्ता सहकारिता के विकास के लिए सुझाव

20.9 सारांश

20.10 अधिगम परिणाम

20.11 शब्दकोष

20.12 स्वपरख प्रश्न

20.13 संदर्भ एवं ग्रन्थ सूची

20.14 अन्य पठन सामग्री

20.15 वेब संसाधन/लिंक

20.0 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई का उद्देश्य विद्यार्थियों को उपभोक्ता सहकारी समिति के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। इस इकाई में उपभोक्ता सहकारिता का अर्थ, उपभोक्ता सहकारी संगठन, इनके उद्देश्य, उपभोक्ता सहकारी समिति की धीमी प्रगति के क्या कारण रहे हैं, इनकी जानकारी दी गयी है। साथ ही इनके विकास के क्या सुझाव हो सकते हैं, इसके बारें में भी बताया जा रहा है। अत: इस इकाई के अंत तक विद्यार्थी विस्तृत ढंग से उपभोक्ता सहकारिता समिति को समझ सकेंगे।

20.1 प्रस्तावना (Introduction)

जैसे-जैसे समाज आर्थिक दृष्टि से विकास करने लग जाता है वैसे-वैसे सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाएं तथा वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता भी परोक्ष होती चली जाती है। अर्थात् उन वस्तुओं का मिलना इतना सरल नहीं हो पाता, जो स्थानीय उत्पादकों के निकट रहने पर उपलब्ध सरलता से हो जाती थी। क्योंकि आर्थिक विकास के साथ-साथ बाजार व्यवस्था का

भी विकास होता है और बाजार व्यवस्था के साथ-साथ मध्यस्थों या व्यापारियों का वर्चस्व बढता जाता है। उत्पादकों व उपभोक्ताओं के बीच सीधा सम्पर्क समाप्त हो जाता है और इनके बीच में मध्यस्थ आ जाते हैं। ये मध्यस्थ ही फिर उत्पादकों की वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करतें है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में वे उत्पादकों से माल खरीदकर उनकी लागत में अपने व्यय तथा लाभ को जोडकर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल करते है तथा इस मूल्य अन्तर का लाभ ना तो उत्पादकों को मिलता है और ना ही उपभोक्ताओं को, बल्कि उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल कर उनका आर्थिक शोषण ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त मध्यस्थ व्यापारी अपने लाभ को बढ़ाने के लिए मिलावट, घटिया किस्म, कालाबाजारी आदि तरीकों से समाज का शोषण करते रहते हैं। इसे समाज में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वितरण व्यापार पर समाज का नियन्त्रण आवश्यक हैं। यह नियन्त्रण उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा ही सम्भव है। स्वयं उपभोक्ता अपना संगठन स्थापित कर सकते हैं और इसके माध्यम से उपभोग वस्तुओं का उचित ढंग से उचित मूल्य पर वितरण करते हुए सम्पूर्ण व्यापारिक क्षेत्र में स्वस्थ वातावरण का निर्माण कर सकते है।

20.2 उपभोक्ता सहकारी समिति का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Consumer Co-operative Societies)

वह समिति जो उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं, उसे उपभोक्ता सहकारी समिति कहते है। ये समितियां आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती हैं। ये सीधे उत्पादकों और निर्माताओं से माल खरीद कर वितरण प्रक्रिया से मध्यस्थों का उन्मूलन कर देती हैं। उपभोक्ता सहकारी समितियां, उपभोक्ताओं का ही एक ऐसा ऐच्छिक संगठन है, जो उपभोग वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है।

उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करने हेतु प्रसिद्ध विद्धान **रॉबर्ट ओवन** ने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि "उच्चतम श्रेणी तथा न्यूनतम कीमत की वस्तुओं की स्वयं को आपूर्ति करने के योग्य होने के लिए आप स्वयं को निर्माता तथा व्यापारी होना आवश्यक है।"

उपभोक्ता सहकारी समितियां स्वैच्छिक संगठन होते हैं जिनके अन्तर्गत स्वयं वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करते हैं। ये समितियां थोक मात्रा में वस्तुएं खरीदती हैं तथा फिर अपने सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप उचित मूल्यों पर वितरित करती हैं। इस प्रकार आवश्यक वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में तथा वाजिब दाम पर पूरे वजन व अच्छी किस्म के रूप में उपभोक्ताओं को समितियों के माध्यम से उपलब्ध हो जाती हैं।

एस.बी. राव, वी.सी. रामकृष्ण अय्यर, ए.एम. कारसौण्डर्स आदि ने भी उपभोक्ता सहकारी समितियों को परिभाषित किया है।

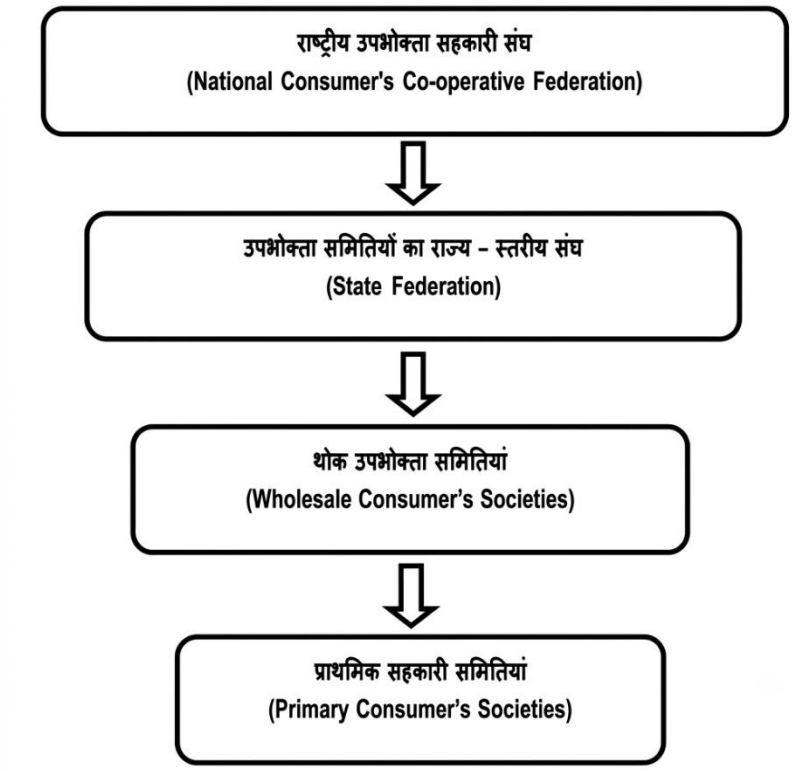
20.3 उपभोक्ता सहकारी संगठन (Organisation of Consumer's Co- operatives)

उपभोक्ता सहकारी समितियों के संगठन का स्वरूप या तो एकात्मक (Unitary) है या संघात्मक (Federal) एकात्मक संगठन स्वरूप में एक केन्द्रिय भण्डार स्थापित किया जाता है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य करता है। संघात्मक संगठन- स्वरूप में प्राथमिक भण्डार केन्द्रिय संघ के व्यक्तिगत सदस्य होते है। यह संघ अपने सदस्यों की वस्तुओं की प्राप्ति तथा पूर्ति में आवश्यक सहायता प्रदान करता है। संगठन के इन दोनों स्वरूपों के अतिरिक्त एक मिश्रित स्वरूप भी होता है। इस प्रकार के स्वरूप में केन्द्रिय भण्डार व्यक्तिगत सदस्यों के अतिरिक्त प्राथमिक भण्डारों को भी सदस्यता प्रदान करता हैं।

भारत में उपभोक्ता सहकारी संगठन के ढांचे में समानता नहीं है। कुछ राज्यो में एकात्मक संगठन स्वरूप पाया जाता है जैसे- आन्ध्रप्रदेश तथा पंजाब। तथा कुछ राज्यों में संघीय स्वरूप पाया जाता है। जैसे- गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार। जबकि तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र में मिश्रित संगठन स्वरूप भी

पाया जाता है। संगठन के एकात्मक तथा संघात्मक स्वरूप की अपनी-अपनी विशेषता है। एकात्मक संगठन में बड़े पैमाने पर चलाये जाने वाले व्यापार की समस्त मितव्ययिताएं पायी जाती हैं। एकात्मक इकाईयां कम कीमत पर व्यवसाय कर सकती है। उनमें मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है तथा ये उपभोक्ताओं की उचित सेवाएं कर सकती है। जबकि संघात्मक स्वरूप में स्वतंत्रता, विकेन्द्रीकरण तथा सदस्यों में सहकारिता की भावना को जागृत करने की सम्भावनाएं अधिक है। भारतीय सहकारी संघ ने उपभोक्ता सहकारिता के एकात्मक स्वरूप को ही अधिक उपयुक्त माना है। भारतीय उपभोक्ता सहकारिता के संगठन का वर्तमान स्वरूप निम्नानुसार है-

चित्र संख्या -1



20.3.1 राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (NCCF)

भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित (एन.सी.सी.एफ.), नई दिल्ली, राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता सहकारिता समिति है जिसका संचालन क्षेत्र सम्पूर्ण देश में है। इसे अक्टूबर,1965 में पंजीकृत किया गया था और यह बहु –राज्य सहकारिता समिति अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत कार्यशील है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार एन.सी.सी.एफ. में 148 सदस्य है, जिसमें भारत सरकार, तीन राष्ट्रीय स्तरीय सहकारिता संगठन – भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता यूनियन (एनसीयूआई), राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नेफेड) शामिल हैं।

एन.सी.सी.एफ. का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा देश के विभिन्न भागों में इसकी 29 शाखाएं है। इसकी एक औद्योगिक इकाई भिवानी (हरियाणा) में स्थित है तथा मोहाली में एक औद्योगिक प्लांट है। अगर इसकी वित्तीय गतिविधयों की बात की जाए तो एन.सी.सी.एफ. द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान कुल 791.92 करोड़ रूपयें का बिक्री टर्नओवर किया गया जबकि वर्ष 2015-16 में यह 778.67 करोड़ रूपये था। अधिकतर बिक्री ग्रोसरी (किराना) और सामान्य व्यापार मदों की आपूर्ति से संबधित थी। 2017 की स्थिति के अनुसार, एन.सी.सी.एफ. की कुल प्रदत्त पूंजी 14.49 करोड़ रूपये थी, जिसमें से भारत सरकार द्वारा किया गया अंशदान 9.48 करोड़ रूपये है। (अर्थात् 65.42 प्रतिशत)

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ देश की सभी उपभोक्ता सहकारी समितियों की सर्वोच्च संस्था है। राज्य स्तर पर स्थापित संघ इससे सम्बद्ध है। इस संघ के प्रमुख कार्य है-

(a) उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवश्यक सहायता प्रदान करना तथा उनकी कार्य व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाना।

(b) उपभोक्ता समितियों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादकों तथा व्यापारियों से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करना।

(c) उपभोक्ता वस्तुओं के आयात तथा निर्यात की व्यवस्था करना।

(d) उपभोक्ता समितियों के हित के लिए उचित परामर्श की व्यवस्था करना।

(e) उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण तथा प्रोसेसिंग के लिए सहकारी समितियों स्थापित करना।

(f) उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन के विकास के लिए उचित प्रसार एवं विज्ञापन करना।

(g) उपभोक्ता समितियों के विकास करने तथा उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए योजनाएं बनाना, सभाएं तथा विचार-गोष्ठियां संगठित करना।

20.3.2 राज्य-स्तरीय संघ (State Federation):

राज्य स्तर पर यह संघ उपभोक्ता सहकारी समितियों की सर्वोच्च संस्था है। इसका प्रमुख कार्य उपभोक्ता भण्डारों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना है। ये संघ राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ तथा अन्य स्त्रोतों से उपभोक्ता वस्तुएं प्राप्त कर उन्हें उपभोक्ता भण्डारों तक पहंचाने में मध्यस्थ का काम करते हैं। ये संघ अपने व्यापार में वस्त्रों, दालों, मसालों, आयात तथा जब्त की गयी वस्तुओं और कुछ अन्य उपयोग वाली वस्तुओं व दुर्लभ वस्तुओं जैसे – टायर, ट्यूब, बेबी फूड, ब्लेड्स आदि का क्रय- विक्रय करते हैं।

राजस्थान में राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ की स्थापना, जयपुर में दिनांक 27 मार्च, 1967 को पंजीयन क्रमांक 2393-एल द्वारा की गयी थी। जिसे कॉनफेड कहते है। अर्थात् राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि.। यह राज्य स्तर की उपभोक्ता क्षेत्र की एक शीर्ष सहकारी संस्था है। जिसका पंजीकृत कार्यालय जयपुर में स्थित है एवं संघ का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य है। संघ का उद्देश्य सामान्यत: सदस्य सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों के कारोबार को समन्वित करना, उनको सुविधाएं प्रदान करना, बढावा देना, एवं राज्य में होलसेल भण्डारों के गठन एवं विकास में सहायता देकर राज्य में सहकारी उपभोक्ता आन्दोलन को सुदृढ़ करना है।

20.3.3 थोक उपभोक्ता समितियां (Wholesale Consumer's Societies) :

थोक उपभोक्ता समितियां केन्द्रिय सरकार द्वारा संचालित योजना के अन्तर्गत संगठित की गयी हैं। आज देश के सभी बड़े-बड़े शहरों में उपभोक्ता थोक सहकारी समितियों तथा उनकी शाखाओं का जाल बिछा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में इन थोक भण्डारों की सदस्यता अंश-पूंजी और कार्यकर पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा और भी वृद्धि होने की सम्भावनांए है क्योंकि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करने में इन थोक उपभोक्ता समितियों के योगदान पर भारी जोर दे रही है।

आजकल इन थोक उपभोक्ता समितियों द्वारा बहु-विभागीय भण्डार तथा सुपर- बाजार भी चलाए जाते है। बड़ी संख्या में विभागीय भण्डार तथा सुपर-बाजार खोले जा रहे है। जो उचित मूल्यों पर दैनिक उपयोग की उपभोग्य वस्तुएं बेचते है। इनमें से बहुतों ने कैफेटेरिया, औषधियां, चमड़े की वस्तुएं, फल, सब्जी, मछली, अण्डे व मांस, घरेलू बिजली का सामान,

फर्नीचर तथा ऑप्टीकल्स बेचने वाले भण्डार भी खोले है। कुछ बहु-विभागीय भण्डारों ने सेवा यूनिटें भी खोली है, जैसे – ड्राईक्लिनिंग तथा कपडों की सिलाई करना आदि। जिससे इनकी बिक्री में काफी वृद्धि हुयी है।
यद्यपि बहु-विभागीय भण्डारों तथा सुपर बाजारों ने अपने कार्यक्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का खुदरा व्यापार और मूल्य स्तर पर बहुत प्रभाव डाला है, तथापि इन बहुत से विभागीय भण्डारों तथा सुपर बाजारों को प्रारम्भिक अवस्था में घाटे का सामना भी करना पड़ा है। इसके मुख्य कारण निम्न है-

- माल पर क्षीण नियन्त्रण
- कुशल प्रबन्धक का अभाव
- प्रबन्ध व्यय का अधिक होना
- स्टॉक तथा हिसाब-किताब रखने में गलतियां
- क्रय तथा मूल्य नीति का ठीक ना होना।
- कर्मचारियों में भ्रष्टाचार
- अनुभव की कमी
- ग्राहको को सुविधा की कमी, इत्यादि।

20.3.4 प्राथमिक सहकारी समितियां (Primary Consumer's Societies):

भारतीय उपभोक्ता सहकारी समिति की अन्तिम इकाई प्राथमिक सहकारी समिति है। ये समितियां एकात्मक अथवा संघात्मक स्वरूप में संगठित की गयी है। किसी भी शहर के उसी क्षेत्र में प्राथमिक भण्डार या समिति की स्थापना की जाती है जहां कोई थोक उपभोक्ता समिति कार्य कर रही हो। प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता समिति की स्थापना का उद्देश्य उस क्षेत्र के लोगों को राशन तथा अन्य उपभोक्ता की आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

मान लीजिए आप अपने शहर में स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं। इसके लिए आप एक प्राथमिक सहकारी भण्डार खोलना चाहते हैं जिसमें आप उचित मूल्य पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं को उपलब्ध करवाऐंगे। अत: आप अपनेप्राथमिक भंडार के लिए स्टॉक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस सर्वोच्च सहकारी समिति से संपर्क स्थापित करेंगे जिनसे कि वे अपनी प्राथमिक सहकारी भंडार खोलने में तथा उपयोग्य वस्तुओं को आप तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सके।

20.4 उपभोक्ता सहकारी समिति के उद्देश्य (Objectives of Consumer Co-operative Society)

उपभोक्ता सहकारिता का प्रमुख उद्देश्य अपने सदस्यों एवं ग्राहकों को उचित मूल्यों पर वस्तु उपलब्ध कराना है जिससे उनके हितों की रक्षा की जा सके।
संक्षेप में उपभोक्ता सहकारी समिति के निम्न उद्देश्य है:-

- उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर वस्तुऐं उपलब्ध करवाना।
- उत्पादकों के एकाधिकार को समाप्त करना।
- बिचौलियों (मध्यस्थों) के अनावश्यक लाभ को समाप्त करना।
- उपभोक्ताओं के लिए सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली स्थापित करना

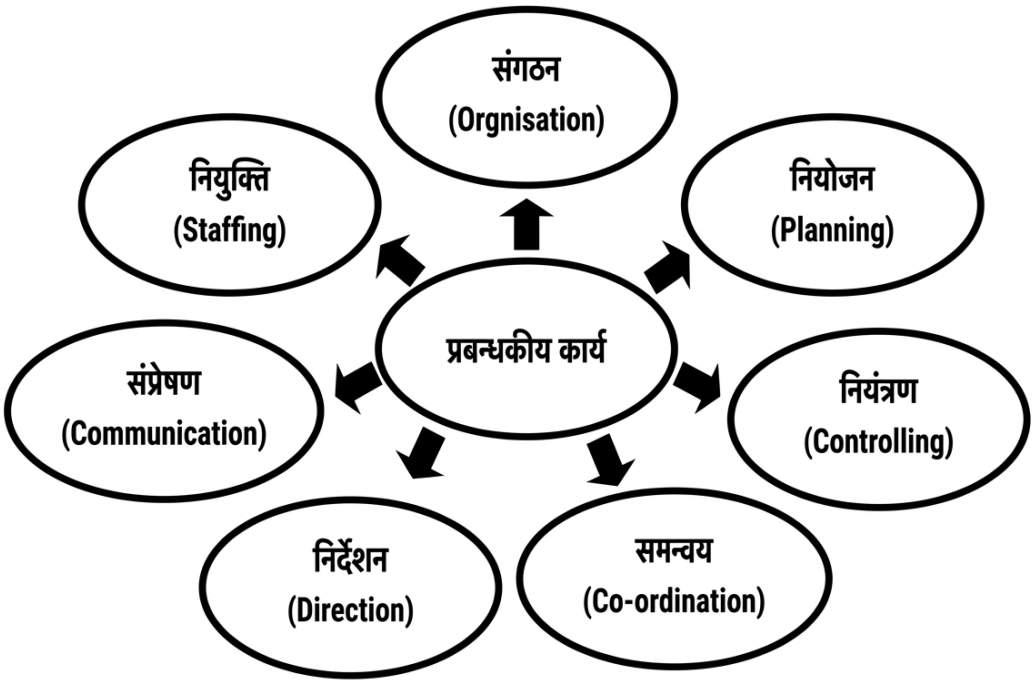
- शुद्ध तथा उत्तम किस्म की वस्तुएं उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति में वृद्धि करना।
- सदस्यों में सहयोग की भावना बढ़ाना।
- उपभोक्ता बाजार को ठीक प्रकार से नियन्त्रित करके मांग तथा पूर्ति में साम्य स्थापित करना।
- सरकार को बढ़ती कीमतों को रोकने में मदद देना।
- उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से वस्तओं के उत्पादन को सुरक्षित करना।

अत: उपभोक्ता सहकारिता समिति का एकमात्र उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना होता है, जिससे वे आवश्यक वस्तुओं के उपयोग से वंचित ना रहें तथा उपभोक्ता सहाकारिता पर उपभोक्ताओं का विश्वास बना रहे।

20.5 उपभोक्ता भण्डारों की प्रबन्ध व्यवस्था (Management of Consumer Stores)

प्रत्येक विभाग की सफलता एक कुशल प्रबन्धन पर ही निर्भर करती है। अत: उपभोक्ता सहकारी भंडार की सफलता भी कुशल तथा सुदृढ़ प्रबंधन पर ही निर्भर करती है। कुशल संचालन के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों में विशिष्ट तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक होती है। जिससे उन्हें वस्तुओं के क्रय-विक्रय, यातायात, संग्रहण, मूल्य निर्धारण, विज्ञापन आदि का विशेष ज्ञान प्राप्त हो। एक कुशल प्रबंधन में उचित नियोजन, नियंत्रण, समन्वय, निर्देशन, सम्प्रेषण, नियुक्ति संगठन आदि की आवश्यकता होती है इन प्रबंधकीय कार्यों के बिना एक कुशल तथा सुदृढ़ प्रबन्धन की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

चित्र संख्या -2

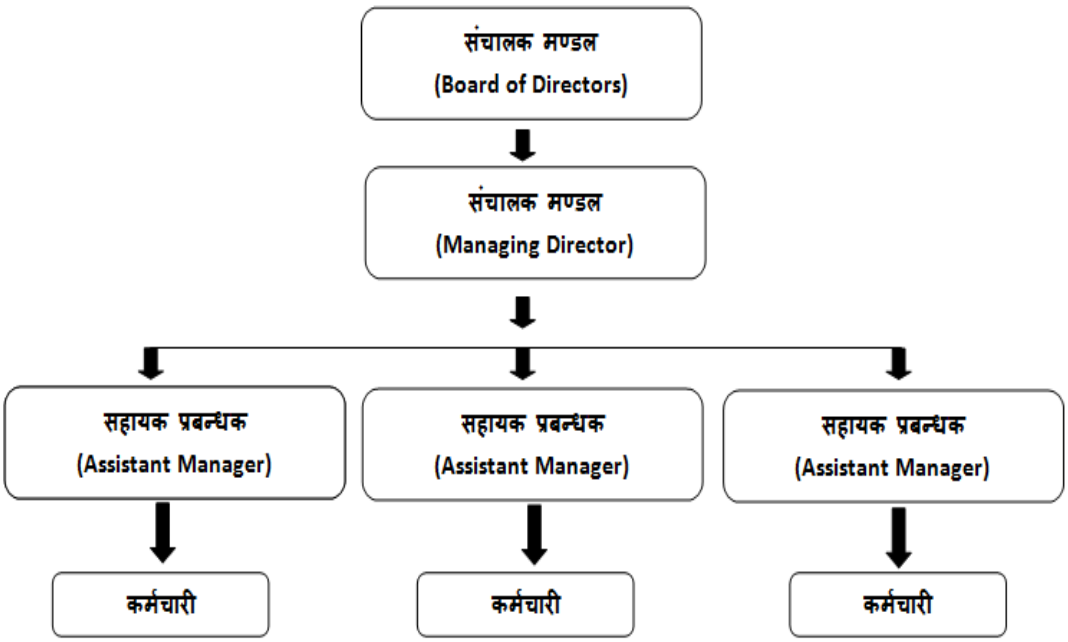


"प्रबंधकीय कार्य"
(MANAGERIAL FUNCTION)

चित्र संख्या -3

उपभोक्ता भण्डारों का प्रबन्ध संगठन

(Management Organisation of Consumer Stores)



(1) संचालक मण्डल (Board of Directors) :

अन्य सहकारी समितियों की तरह उपभोक्ता भण्डारों का प्रबन्धन भी संचालक मण्डल द्वारा किया जाता है थोक भण्डारों की प्रबन्ध समिति में 12 सदस्य होते हैं। इनमें से अधिकांश का चुनाव किया जाता है। कुल सदस्यों में एक तिहाई सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। प्राथमिक भण्डारों की प्रबंन्ध समिति में सदस्यों की औसत संख्या 10 हैं। इनमें से अधिकांश तो सदस्यों द्वारा चुने जाते है तथा कुछ सरकार के प्रतिनिधि होते हैं।

संचालक मण्डल के कार्य (Functions of Board of Directors) :

संचालक मण्डल खरीदी जाने वाली वस्तुओं की किस्मों तथा विस्तार, मूल्यों को निर्धारित करने की विधि, लाभांश आदि के सम्बन्ध में एक विस्तृत नीति निर्धारित करता है। वह भंडारों के दैनिक प्रबंध के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता संचालक मंडल नीति सम्बन्धी निर्णय तो लेता है

(2) प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक (Manager and Assistant Manager) : किन्तु इन निर्णयों के अनुसार कार्य करने का उतरदायित्व प्रमुख अधिकारियों को ही सौंपा जाता है। अत: मंडल तथा प्रबंध के कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है।

संचालक मण्डल के बाद संगठन में विभाग के प्रबन्धक तथा कर्मचारी आते हैं जिनका कार्य संचालक-मण्डल द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति करना है। उपभोक्ता भंडारों का प्रबंध कार्य विशिष्ट हो जाने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इन भण्डारों के कार्य संचालन के लिए ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए जो प्रशिक्षित तथा कुशल हों तथा जिन्हें उचित वेतन मिले। अत: ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति तथा उनकी पदोन्नति के लिए एक उपयुक्त नीति निर्धारित की जानी चाहिए ताकि समय पर पूर्व-निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

अच्छें प्रबन्धकों का अभाव ही प्राथमिक उपभोक्ता भण्डारों की असफलता का मुख्य कारण रहा है। उपभोक्ता भण्डारों की प्रबन्ध क्षमता में सुधार लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें निजी व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। अत: इनका प्रबन्धन कुशल तथा प्रशिक्षित प्रबन्धकों के हाथों में होना अति आवश्यक है।

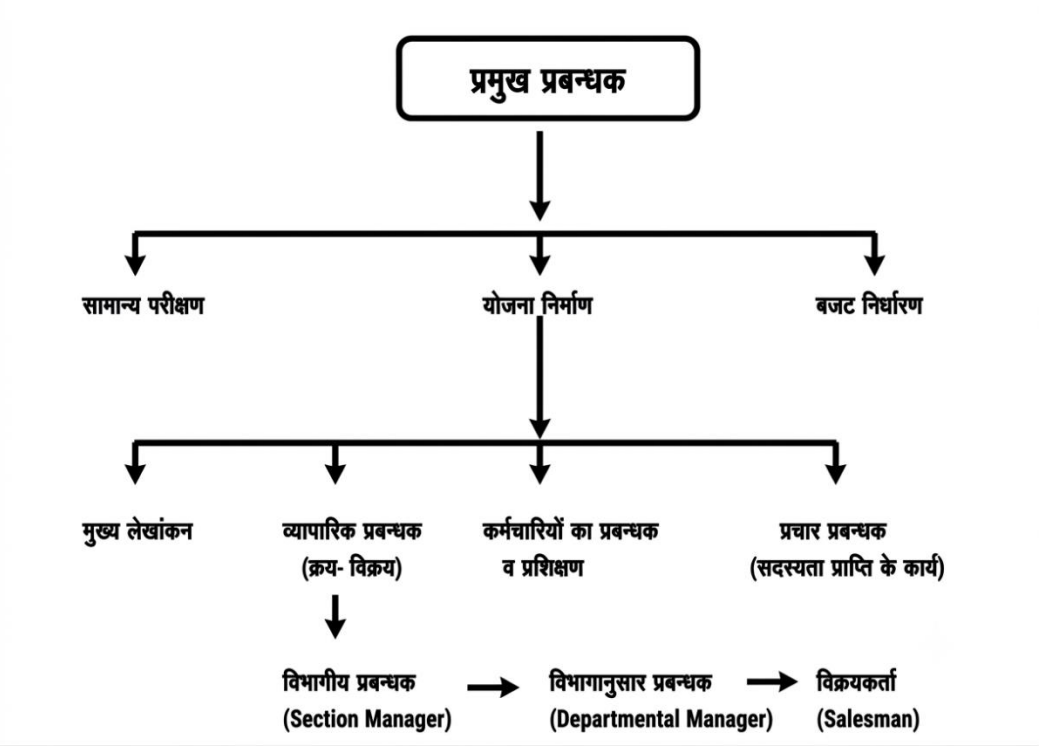
एक कुशल प्रबन्ध के गुण (Qualities of An Efficient Management):

(1) सहकारिता के सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान होना।
(2) एक आदर्श सहकार होना।
(3) तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होना।
(4) ग्राहकों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाना।
(5) निजी व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार रहना।

(3) कर्मचारियों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व (Duties and Responsibilities of Staff)

संचालक मण्डल तथा प्रबन्धक के अतिरिक्त उपभोक्ता भण्डार में अन्य कर्मचारी भी कार्य करते है। समस्त कर्मचारियों पर प्रबन्धक का पूर्ण अधिकार होता है तथा सभी कर्मचारियों के कार्य तथा उतरदायित्व पहले से ही निर्धारित होते हैं जिससे वे अपने कार्य को सुचारू रूप से पूरा कर सकें। एक प्रबन्धक के लिए यह सम्भव नहीं होता कि वे सभी काम स्वयं ही कर ले। अत: यह आवश्यक होता है कि वह अपने कुछ अधिकारों को कुछ अन्य कर्मचारियों में बाँट दें। ऐसा करने से कार्य समय पर तथा सफलता पूर्वक संपन्न होता है। उत्तरदायित्वों के विभाजन को उक्त चार्ट द्वारा समझा जा सकता है :-

चित्र संख्या - 4



उक्त चार्ट से प्रबन्ध व्यवस्था में कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के विभाजन का पता चलता है। प्रमुख प्रबन्धक से अधिकार विभाजित होते हुए एक विक्रयकर्ता तक पहुंचते हैं। उपभोक्ता भण्डारों की अत्यधिक सफलता कर्मचारियों की व्यावसायिक कुशलता पर निर्भर करती है। प्रबन्धन जितना कुशल होगा तथा कर्मचारी जितना प्रशिक्षित होगा, उपभोक्ता सहकारी समिति का विकास उतनी ही तीव्र गति से होगा।

20.6 संगठित प्रबन्ध व्यवस्था के लाभ (Advantages of Organised Management)

(1) इस प्रकार की संगठन संरचना में अधिकारों का केन्द्रीकरण बना रहता है।
(2) इसमें निर्णय शीघ्र लिए जा सकते हैं।
(3) शीघ्र संदेशवाहन संभव है।
(4) कार्यों के समन्वय में सुविधा बनी रहती है।
(5) कर्मचारियों से प्रत्येक्ष सम्पर्क स्थापित हो सकता है।
(6) प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करना सरल होता है।
(7) कर्मचारियों में पर्याप्त अनुशासन बना रहता है।
(8) प्रबंधकीय योग्यता का विकास होता है।
(9) उत्तरदायित्व से कोई भी बच नहीं सकता है।
(10) निर्णय का शीघ्र क्रियान्वयन करना भी संभव नहीं है।

20.7 उपभोक्ता सहकारिता की धीमी प्रगति के कारण (Causes of Slow Growth of Consumer's Co- operatives)

यद्यपि उपभोक्ता सहकारी समितियों ने अपने क्षेत्र में विकास तथा प्रगति के अनेक प्रयत्न किए हैं। किन्तु फिर भी इनकी प्रगति धीमी ही रही है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं जो निम्नानुसार है-

1. **राज्य सरकारों द्वारा उपेक्षित व्यवहार (Neglecting Behaviour by State Government):** उपभोक्ता सहकारी समितियों की धीमी प्रगति का एक मुख्य राजनीतिक कारण है- उपेक्षित व्यवहार। राज्य सरकारों द्वारा सहकारी समितियों के विकास के लिए घोषणाएं तो बहुत की जाती हैं परन्तु उन्हें पूरा नहीं किया जाता। सरकारों द्वारा निजी संस्थानों को ही प्राथमिकता दी जाती है तथा सहकारी समितियों की आवश्यकताओ की पूर्ति की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। जिससे ये समितियां अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाती।
2. **दुर्लब संगठन (Weak Organization):** उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन की अवनति का एक कारण यह भी है कि इसके संगठन का सम्पूर्ण ढांचा अत्यंत दुर्बल रहा है। किसी भी विभाग या समिति का संगठन जब तक सुदृढ़ नहीं होगा तब तक हम उसकी प्रगति का कल्पना नहीं कर सकते। संगठित थोक भण्डारों का अभाव, कार्यों में समन्वय ना होना, वस्तुओं की अनियंत्रित पूर्ति आदि दुर्बल संगठन के कारण हैं।
3. **अपर्याप्त पूंजी (Insufficient Capital):** पर्याप्त वित्तीय साधनों की कमी से उपभोक्ता भण्डारों या समितियों का विकास तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है। अधिकांश प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी समिति अधिक मात्रा में अंश पूंजी एकत्र नहीं कर सके है। बैंकिग सहकारी संस्थाओं द्वारा भी पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाने के कारण वस्तुओं तथा सेवाओं का उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाना उपभोक्ता सहकारी समितियों के लिए संभव नहीं हो पाता।
4. **कुशल प्रबन्ध का अभाव (Lack of Efficient Management) :** प्रबन्ध व्यवस्था का कुशल तथा सुदृढ़ ना होना भी धीमी प्रगति का प्रमुख कारण है कई बार उपभोक्ता सहकारी समितियों में ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाती है जिन्हें व्यवसाय करने का कोई भी अनुभव नहीं होता। कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी ना होने की वजह से कार्य में कुशलता नहीं होती। अकुशल प्रबन्ध – व्यवस्था के कारण ही उपभोक्ता सहकारी समिति निजी फुटकर व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहते है। उपभोक्ता सहकारी समितियों की सफलता उचित निर्देशन, नियंत्रण, प्रोत्साहन, नियोजन तथा सदस्यों के निरन्तर सहयोग पर निर्भर करती है। अधिकांश सदस्य अपनी

समिति को उस समय तक ही संरक्षण प्रदान करते है, जब तक कि वहां पर मिलने वाली वस्तुओं की कीमतें बाजार मूल्य से कम रहती है। इससे उनके विकास की गति रूक जाती है। पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण ही उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है।

5. **सीमित व्यापार (Limited Trade):** उपभोक्ता भण्डारों का व्यवसाय सीमित एवं संकुचित होने के कारण भी उपभोक्ता सहकारिता का अधिक विकास नहीं हो सका है उपभोक्ताओं को सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पाती है। क्योंकि विभिन्न वस्तुओं की किस्मों के वितरण की व्यवस्था नहीं होती, कुछ सीमित किस्मों की वस्तुएं ही वितरित होती है। अत: सीमित तथा संकुचित व्यापार भी धीमी प्रगति का प्रमुख कारण है।
6. **निरीक्षण तथा हिसाब-किताब की जांच का अभाव (Lack of Inspection and Audit):** उपभोक्ता सहकारी समितियों की असफलता का एक कारण यह भी रहा है कि समय समय पर ना तो उनके कार्यों की जांच की गयी और ना ही उनके हिसाब-किताब का अंकेक्षण किया गया। ये समितियां उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं बेचती है या नहीं, कार्य-संचालन में निर्धारित नियमों का पालन करती है या नहीं इसकी समय समय पर कोई जांच नहीं होती। जिससे कर्मचारी उपभोक्ता भण्डारों के सीमित साधनों का दुरूपयोग करते है घोटाला, छल-कपट, बेईमानी, चोरी, झूठे नापों का प्रयोग, मिलावट, अधिक मूल्य वसूलना आदि अमानवीय प्रवृति ने इन सहकारी संस्थाओं की लोकप्रियता को समाप्त कर दिया है।
7. **छोटा तथा अनार्थिक आकार (Small and Uneconomic Size):** बहुत से उपभोक्ता सहकारी समितियों का आकार छोटा तथा अनार्थिक है। उनकी सदस्यता बहुत ही कम है, पर्याप्त पूंजी का अभाव हैं तथा उनकी औसत बिक्री इतनी कम है कि वे अपने सामान्य प्रबन्ध व्यय की पूर्ति करने में असमर्थ है। यह कारण है कि अधिकांश समितियां हानि की स्थिति में पहुँच चुकी है।
8. **कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार (Corruption by the Staff) :** कर्मचारियों में भ्रष्टाचार भी उपभोक्ता सहकारी समिति की असफलता का बड़ा कारण है। ईमानदारी ना होना, माल की चोरी, अधिक मूल्य वसूलना, हिसाब-किताब में घोटाला आदि आज के समय में आम बात हो गयी है।
9. **समन्वय का अभाव (Lack of Co- ordination):** उपभोक्ता सहकारी समितियों का अन्य सहकारी समितियों से समन्वय का अभाव रहता है, जिससे उन्हें ठीक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती। सहकारी योजना समिति का यह विचार है कि जब उत्पादकों की सहकारी समितियां उन वस्तुओं का क्रय-विक्रय करती हैं, जिनकी उपभोक्ता भण्डारों को आवश्यकता है, तब उनके हित व लाभ के लिए यह आवश्यक है कि दोनों क्रेता तथा विक्रेता के रूप में एक साथ मिलकर कार्य करें। जबकि उपभोक्ता भण्डार, विपणन तथा अन्य सहकारी समितियों से कोई भी वस्तु नहीं खरीदते।
10. **अन्य कारण (Other Causes):** उपभोक्ता सहकारी समितियों की धीमी प्रगति के कुछ अन्य कारण भी है। जैसे- उधार बिक्री, ऋणों का न मिलना, अवैतनिक सेवाओं पर निर्भरता, स्टॉक तथा हिसाब-किताब रखने की गलत पद्धति, व्यावसायिक ज्ञान तथा अनुभव की कमी, प्रशिक्षित तथा योग्य व्यक्तियों की कमी, क्रय तथा मूल्य नीति का ठीक ना होना तथा सामान्य व्यापारिक मन्दी आदि।

20.8 उपभोक्ता सहकारिता के विकास के लिए सुझाव (Suggestions for the Development of Consumer Co- Operatives)

उपभोक्ता सहकारिता समितियों की नींव को सुदृढ करने के लिए इसकी कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। इस हेतु कुछ सुझाव इस प्रकार है-

(i) **वित्तीय साधनों में वृद्धि करना (Increase in Financial Resources):** उपभोक्ता भण्डारों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कुछ वित्तीय उपाय करने आवश्यक है। जैसे-

- उपभोक्ता समितियां ब्याज की आकर्षक दरों पर सदस्यों से जमा राशियां प्राप्त करें।
- सरकार द्वारा उपभोक्ता समितियों की अंश पूंजी में हिस्सा बढाना चाहिए।
- रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रिय वित्तीय संस्थाओं को अतिरिक्त धन दिया जाना चाहिए।
- समितियों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।
- उपभोकता भंडारों को अंश पूंजी में वृद्धि करके स्वयं ही अपने वित्तीय साधन एकत्र करने चाहिए।

(ii) **कुशल प्रबन्धन (Efficient Management):** कुशल प्रबन्धन ही सफलता का उपाय है। उपभोक्ता समितियों का प्रबन्ध लोकतंत्र के सिद्धान्तों के आधार पर होता है। इनके उचित पालन के लिए कुछ सुझाव –

- उपभोक्ता सहकारिता सदस्यों को, उपभोक्ता सहकारिता के व्यवहारों तथा सिद्धान्तों का पूरा ज्ञान होना चाहिए।
- जिससे वे अपने भण्डारों का संचालन सही तरीके से कर सके।
- सदस्यों को व्यावसायिक क्षेत्र का पूर्ण अनुभव हो।
- उपभोक्ता भण्डारो के कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करनी चाहिए।
- बिक्री बढाने के लिए विक्रेता कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप कमीशन देना चाहिए।
- निरीक्षण तथा जांच की उचित विधि अपनानी चाहिए।
- सही अंकेक्षण के महत्व पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए।

(iii) **बिक्री बढाने के प्रयत्न (Efforts to Increase the Sale):**बिक्री बढाने हेतु अनेक सुझाव निम्न प्रकार है-

- उपभोक्ता भण्डारों की दुकानें आबादी के बीच बाजार में स्थित होनी चाहिए।
- सहकारी संस्थाओं में सही तोल, उचित मूल्य, अच्छी किस्म का सिद्धान्त बनाए रखना चाहिए।
- आवश्यक प्रचार- प्रसार किया जाना चाहिए, जिससे उपभोक्ता का उपलब्ध वस्तुओं का ज्ञान हो।
- बड़े-बड़े नगरों में ग्राहको को होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।
- विक्रेता व उसके सहायकों का चयन करते समय उनका स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, प्रकृति आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- नयी तकनीक को अपनाकर भी बिक्री बढायी जा सकती है। जैसे ऑन लाईन शॉपिंग, ऑन लाईन पेमेंट आदि।

(iv) **क्रय-प्रणाली में सुधार (Improvement in Purchase System) :** उपभोक्ता सहकारी समितियों में सुनिश्चित, कुशल एवं प्रभावशाली क्रय प्रणाली अपनाने के लिए निम्नलिखित

सुझाव है:-

- सही मात्रा में माल की खरीद की जानी चाहिए।
- क्रय की जाने वाली वस्तुओं की क्वालिटी उत्तम प्रकार की होनी चाहिए।

- सामान उचित मूल्य पर तथा उचित स्त्रोत से क्रय किया जाना चाहिए।
- सामान उचित समय पर खरीदा जाना चाहिए ताकि मांग के अनुसार सप्लाई में रूकावट ना आए।
- माल थोक में सीधे निर्माताओं व उत्पादकों से क्रय किया जाना चाहिए। ताकि उपभोक्ताओं को भी सामान उचित मूल्य पर प्राप्त हो सके।

(v) अन्य सुझाव (Other Suggestions): सहकारी विभागों में प्रमुख प्रबन्धकों के वेतन मान में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि कार्यप्रणाली में सुधार हो सके।

- समस्त कर्मचारियों के उत्तरदायित्वों तथा कार्यों को निर्धारित कर देना चाहिए।
- एक उचित मूल्य नीति का पालन किया जाना चाहिए।
- वस्तुओं की पैकिंग पर मूल्य, पैकिंग की तारीख, वस्तु के अनुपयोगी होने की तारीख, ये सब अंकित होना चाहिए। स्टॉक रजिस्टर सुव्यवस्थित रूप में रखा जाना चाहिए और उसमें ठीक समय पर वांछित प्रविष्टियां होती रहनी चाहिए।

अत: निम्न सुझावों द्वारा उपभोक्ता सहकारी समितियों का विकास संभव हो सकता है तथा इनकी लोकप्रियता बढ़ सकती है। आम जनता में उपभोक्ता सहकारी समितियों के प्रति विश्वास पैदा हो सकता है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

आज का युग ई-कॉमर्स का युग है। जहां उपभोक्ता को हर प्रकार की सुविधा इटरनेट के माध्यम से मोबाईल पर ही उपलब्ध हो जाती है। फिर वह चाहे खरीददारी हो, वस्तुओं का भुगतान हो और अन्य अनेक प्रकार की सुविधाएं उपभोक्ताओं को घर बैठे ही मिल जाती हैं और कोरोनाकाल मे तो यह इंटरनेट सेवा एक वरदान के रूप में साबित हुयी है। मान लीजिए आप एक उपभोक्ता सहकारी भण्डार चलाते है तो उसकी प्रगति के लिए आप अपने उपभोक्ताओं को क्या इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगे जिससे वे आवश्यक वस्तुओं को खरीदने से वंचित ना रहें और अधिक से अधिक इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करें।

20.9 सारांश (Conclusion)

उपभोक्ता सहकारी समिति उचित मूल्य पर उपभोक्ताओ को वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है। केन्द्रिय, राज्य तथा प्राथमिक स्तर पर उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास का प्रयास निरन्तर होता रहा है। किन्तु फुटकर व्यापारियों द्वारा न्यूनतम लाभ पर माल बेचे जाने के कारण उपभोक्ता सहकारी समिति का उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाता है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि उपभोक्ता भण्डार संकटकाल में ही पनप सकते है। परन्तु इन कठिनाईयों के बावजूद भारत में उपभोक्ता सहकारिता के विकास की बहुत ही आवश्यकता है बड़े व्यापारियों द्वारा जिस प्रकार उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण किया जाता है, उससे बचने का एकमात्र उपाय उपभोक्ता सहकारिता का विकास है। उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत आय में वृद्धि करने के सभी उपाय उस समय तक निष्फल ही रहेंगे जब तक कि उन्हें उनकी आवश्यकता की वस्तुएं कम मूल्य पर प्राप्त नहीं होती। उनकी इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए तथा व्यापार में व्यापक बुराईयां जैसे – कम तोल, घटिया किस्म, मिलावट, अधिक मूल्य आदि को मूल से खत्म करने के लिए उपभोक्ता सहकारिता को लोकप्रिय बनाना होगा। तभी इन उपभोक्ता सहकारिता की स्थापना का औचित्य सफल होगा।

20.10 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

यह सम्पूर्ण इकाई उपभोक्ता सहकारी समिति को समर्पित है। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् एक सफल छात्र उपभोक्ता सहकारी समिति को विस्तृत रूप से जान पाएगा। इस इकाई में उपभोक्ता सहकारी समिति का अर्थ, उसके स्तरीय

संघ को विस्तृत रूप से बताया गया है। उपभोक्ता सहकारी समिति के गठन के उद्देश्य क्या रहे, उपभोकता भंडारों की प्रबंध व्यवस्था किस प्रकार की है, इसकी रुपरेखा को चार्ट द्वारा समझाया गया है। इस इकाई का अध्ययन करने पर छात्र, एवं उपभोक्ता सहकारी समिति की धीमी प्रगति के क्या कारण रहे हैं तथा उनको दूर किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में समझने में सफल होंगे।

20.11 शब्दकोश (Glossary)

- **अंकेक्षण :** लेन देन का हिसाब किताब, लेखा जोखा जो व्यापारी उपयोग करते है, की जाँच करना।
- **ई-कॉमर्स :** इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स (ऑनलाईन सेवाओं का उपयोग, वस्तुओं को खरीदने या बेचने के लिए करना)
- **एन.सी.सी.एफ. (N.C.C.F.) : (National Co-operative Consumer's Federation)** (राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ)
- **एन.सी.डी.सी. (N.C.D.C.): (National Co-operative Development Co-operation)** (राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम)
- **नेफेड (NAFED): (National Agricultural Co-operative Marketing Federation of India)** (भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ)

20.12 स्वपरख प्रश्न (Self Test Questions)

1. उपभोक्ता सहकारिता समिति का अर्थ बताइए। उपभोक्ता सहकारी संगठन को समझाइए।

   Define Consumer Co-operative Societies. Discuss the Organisation of Consumer's Co-operatives.

2. उपभोक्ता सहकारिता की धीमी प्रगति के कारणों को विस्तारपूर्वक बताइए।

   Explain In Brief the causes of slow growth of Consumer's Co-operation.

3. उपभोक्ता सहकारी समितियों की उन्नति को अधिक तीव्र और स्वस्थ बनाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। What steps should be taken to make the progress more rapid and wholesome of the consumer Co-operative Societies.

4. उपभोक्ता सहकारी समिति पर एक लेख लिखिए।

   Write an essay on the Consumer Co-operative Society.

5. उपभोक्ता सहकारी भण्डार के उद्देश्य बताइए।

   Discuss the objectives of Consumer's Co-operative Store.

20.13 संदर्भ एवं ग्रन्थ सूची (References and Bibliography)

- सहकारिता :- डॉ. बी.एस. माथुर
- Kulkarni :- Theory and Practice of Co-operation.
- अग्रवाल,माथुर, गुप्ता :- सहकारी चिन्तन एवं ग्रामीण विकास (रमेश बुक डिपो, जयपुर)
- Patel and Khankhoja :- Rural Economics.

- Hajela, T.N. :- Principles, Problems and Practice of Co-Operation.
- Fay C.R. :- Co-operation at Home and Abroad.

20.14 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Materials)

- Calvert, H. The Law and Principles of Cooperation.
- Review of Cooperation Movement in India. (RBI Publications)
- The Rajasthan Co-operatives Societies Act, 1965
- Report of the Committee on Cooperation (Mirdha Committee)

20.15 वेब संसाधन/लिंक (Web Recourses/Links)

- https://www.yourarticlelibrary.com
- https://www.kendriyabhandar.org
- https://www.rajsahakar.rajasthan.gov.in
- https://www.hi.m.wikipedia.org.
- https://www.nccf-india.com

इकाई - 21

गृह – निर्माण सहकारी समितियां

Housing Co-operative Societies

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

21.0 उद्देश्य

21.1 प्रस्तावना

21.2 गृह-निर्माण सहकारी समितियों का अर्थ

21.3 सहकारी गृह-निर्माण का महत्त्व

21.4 सहकारी गृह-निर्माण व्यवस्था के लाभ

21.5 गृह-निर्माण समितियों का वर्गीकरण

21.6 गृह-निर्माण सहकारी समितियों का संगठन

21.7 भारत में गृह-निर्माण सहकारी समितियों की प्रगति

21.8 वित्तीय साधनों के स्रोत

21.9 गृह-निर्माण योजनाओं के अंतर्गत सरकारी वित्तीय सहायता

21.10 सहकारी गृह-निर्माण समितियों की समस्याएँ

21.11 सहकारी गृह-निर्माण समितियों की उन्नति के सुझाव

21.12 सारांश

21.13 अधिगम परिणाम

21.14 शब्दकोष

21.15 स्व-परख प्रश्न

21.16 संदर्भ एवं ग्रन्थ सूची

21.17 अन्य पठन सामग्री

21.18 वेब संसाधन/लिंक

21.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विधार्थियों को सहकारी गृह-निर्माण समितियों के कार्यों, उद्देश्यों, उनकी समस्याओं व सुझावों से अवगत कराना चाहते हैं। सहकारिता के द्वारा आत्म-निर्भरता लाने व निर्माण खर्चों में कमी के प्रयत्न किये जाते हैं तथा

सामूहिक रूप से काम करके खर्चों में बचत की जाती है। अत: सहकारी गृह-निर्माण आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य कम लागत पर मकानों का प्रबंध करना है जिससे कि बिचौलिये व सट्टेदारों को निकालकर मकान निर्माण में तेजी लाई जा सके।

"Housing Co-operative Societies"

"गृह-निर्माण सहकारी समितियां"

वे सहकारी सिद्धान्त और पद्धतियां, जिनका उपयोग आवास में किया गया है, कार्यकुशल सिद्ध हुई है और उन्होंने न केवल सामान्य जरूरतों बल्कि स्वयं समाज की जरूरतों को भी पूरा किया है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संगठन

The Co-operative principles and methods where they have been used in Housing have proved to be efficient and have satisfied not only the common needs but also the need of social it self"

International Co-operative Alliance.

21.1 प्रस्तावना (Introduction)

आवास या मकान की समस्या सर्वव्यापी समस्या है। विकासशील देशों; जैसे एशिया, अफ्रीका तथा लेटिन अमेरिका में 'जनसंख्या विस्फोट' (Population Explosion) अर्थात जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण आवास की कमी महसूस की जाने लगी है। यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड जैसे समृद्धशाली देश भी इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने आवास की समस्या को हल कर लिया है।

भारत में आवास समस्या अत्यन्त गंभीर हो गई है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी 60 लाख इकाइयों के बराबर अनुमानित की गयी थी। पिछले दस वर्षो में स्थायी रिहायशी मकानों का निर्माण प्रति 1000 व्यक्तियों पर 0.95 मकानों की दर से हो रहा है। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए मकानों का निर्माण बड़े पैमाने पर शीघ्र करना होगा जिसके लिए निजी क्षेत्र कभी तैयार नहीं होगा। इसलिए राज्य को गृह निर्माण कार्य अपने हाथों में लेना होगा तथा इन संस्थाओं की सहायता करनी होगी जो इस समस्या को हल करने में सहायता कर सकती है।

21.2 गृह-निर्माण सहकारी समितियों का अर्थ (Meaning of Housing Co-operatives)

सहकारी अर्थात् साथ मिलकर कार्य करना। सहकारी समिति लोगों का ऐसा संघ होता है, जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा पूर्वक सहयोग करते हैं। गृह-निर्माण सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों को कम लागत पर मकान उपलब्ध कराती है। सहकारिता के द्वारा आत्म-निर्भरता लाने और निर्माण खर्चों में कमी के प्रयत्न किये जाते हैं तथा सामूहिक रूप से काम करके खर्चों में बचत की जाती हैं। इस तरह सहकारी आधार पर बिचौलिये और सट्टाखोरों को निकालकर मकान निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सकती है।

21.3 सहकारी गृह-निर्माण का महत्त्व (Importance of Housing Co-operatives)

गृह निर्माण में सहकारिता का विशेष महत्व है, क्योंकि यह पारस्परिक सहयोग एवं आत्म सहायता की भावना का विकास करके इस समस्या को हल करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने भी यह घोषित किया है कि जहाँ पर भी गृह-निर्माण कार्य के लिए सहकारी सिद्धांतों तथा विधियों का प्रयोग किया गया है वहाँ ये सफल सिद्ध हुई हैं क्योंकि ये उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है व समाज की आवश्यकता की पूर्ति करती है, इसलिए

सहकारी गृह-निर्माण को उचित अवसर प्रदान किये जाने चाहिए तथा इस कार्य में आवश्यक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए।

सहकारी विकास पर राष्ट्रीय आयोग (National Commission of Co-operative Development : NCCD) के अनुसार निजी क्षेत्र के द्वारा आवास-समस्या का निवारण नहीं हो सकता, सरकार तथा सहकारिता के माध्यम से ही सीमित आय वाले व्यक्तियों के लिए मकानों की व्यवस्था हो सकती है। भारत में भी गृह-निर्माण सहकारी समितियों के संगठन पर निर्भर है जो बहुत ही कम है। मकानों का निर्माण धीमी गति से होने के कारण आवास की समस्या गंभीर हो चुकी है। इसी कारण गन्दी बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये गन्दी बस्तियां भयंकर बीमारियों व सामाजिक बुराइयों का घर बन गयी है।

यह एक आश्चर्यजनक एवं खेदपूर्ण स्थिति ही है कि देश में उपयुक्त आवास व्यवस्था न होने पर भी उस पर व्यय की जाने वाली रकम का प्रतिशत निरन्तर कम होता जा रहा हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में गृह-निर्माण पर किये गये व्यय का प्रतिशत 34 था जो घटकर तृतीय पंचवर्षीय योजना में 15 प्रतिशत रह गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रतिशत 11 ही रह गया जो कि निरंतर गिरता गया है। राज्य सरकारें आवास व्यवस्था को कम महत्त्व प्रदान करती है बल्कि उनके निर्धारित किए वित्तीय साधन का प्रयोग अन्य कार्यों के लिए करती हैं। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ वित्तीय साधनों का अभाव है, वहाँ आवास पर अधिक व्यय नहीं किया जा सकता परन्तु इस समस्या की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। भारत जैसे विकासशील देश में आवास व्यवस्था के कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

अत: सहकारिता ही एक ऐसी सर्वोत्तम व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ऐसे निम्न तथा मध्य आय के लोग, जो अपनी व्यक्तिगत चेष्टाओं से स्वयं अपना मकान बनाने में असमर्थ हैं, उचित लागत पर अच्छे मकानों का निर्माण करने में समर्थ हो सकते हैं।

21.4 सहकारी गृह-निर्माण समितियों के लाभ (Advantages of Housing Co-operative Societies)

सहकारी गृह-निर्माण व्यवस्था के कुछ अपने गुण है। गृह निर्माण सहकारी समिति अपने सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है। वह अपने सदस्यों से इस बात की जानकारी प्राप्त करती है कि उन्हें किस प्रकार के मकानों की आवश्यकता है। वह अपने सदस्यों की इच्छानुसार मकानों का निर्माण करवाकर मकान मालिकों तथा रिश्तेदारों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करती है। सहकारी गृह-निर्माण लाभ के तत्त्व को सम्मिलित नहीं करता तथा आत्म सहायता की भावना का विकास करता है। भवन निर्माण सम्बन्धी सामग्री सामूहिक रूप से खरीदने पर व्यय में काफी बचत हो जाती है। सदस्यों का मकानों पर स्वामित्व और उनका निजी हित होने के कारण, वे इन भवनों को ठीक प्रकार से रखते हैं, जिससे वे गन्दे ना हो।

गृह-निर्माण सहकारी समितियों पर अध्ययन दल ने इस प्रकार की व्यवस्था से प्राप्त होने वाले निम्नलिखित लाभों का उल्लेख किया है -

1. **उचित किराये पर आवास सुविधा (Housing Facilities' of Reasonable Rent):** सहकारी समितियां अपने सदस्यों को उचित किराये पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। मकानों की कमी के कारण मकान मिलने में भी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। समितियां इस कठिनाई को एक बड़ी सीमा तक दूर करने में मददगार सिद्ध होती हैं।

2. **किरायेदारों के हितों का सरंक्षण (Protection to the Interest of Tenants) :** सहकारी समितियां अपने किरायेदारों का शोषण नहीं करती तथा उनके हितों को संरक्षण प्रदान करती हैं। सामान्यत: मकान मालिक किरायेदारों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते जबकि समितियों उनके हित में काम करती हैं।

3. **जीवन स्तर सुधार में सहायक (Helpful in Improvement of Living Standard):** सहकारी समितियां नवीन तकनीक के आधार पर आवास सुविधा का निर्माण करती हैं जो सदस्यों के लिये ज्यादा सुविधा जनक का आराम देह होते हैं। साथ ही उन्हें उचित मूल्य पर अच्छे मकान भी मिल जाते हैं। इस प्रकार सहकारी समितियां अपने सदस्यों के जीवन स्तर सुधार में सहायक होती है।

4. **आवास निर्माण हेतु वित्तीय सुविधाएं (Financial Facilities for House Construction):** सहकारी समितियां सस्ती ब्याज दर तथा उचित शर्तों पर अपने सदस्यों को वित्तीय सुविधाएं मुहैया करवाती हैं ताकि वे स्वयं भवन निर्माण कर सकें। समितियां सदस्यों को भवन निर्माण हेतु उचित कीमत पर भूमि भी उपलब्ध करवाती हैं।

5. **निम्न व मध्यम वर्ग के लिए स्वयं के घर (Own Houses for Lover and Middle Class Persons):** सहकारी गृह निर्माण समितियां निम्न व मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में स्वयं का मकान बनाने के सपने को पूरा करने में मदद करती है। ये समितियां न केवल भूमि व ऋण उपलब्ध करवाती हैं बल्कि आधुनिक तकनीक की जानकारी भी देती हैं।

6. **कार्यक्षमता की वृद्धि में सहायक (Helpful in Efficiency Increasing):** जब आरामदेह और सुविधाजनक आवास सुविधा उपलब्ध होती है तो कर्मचारियों व श्रमिकों की कार्यक्षमता में अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है। सहकारी समितियों के सदस्य आवास सुविधा की समस्या से मुक्त होकर अपना कार्य ज्यादा अच्छे तरीके से करने में समर्थ हो जाते हैं।

7. **कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहयोग (Contribution In Building of Welfare State):** गृह निर्माण सहकारी समितियां समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े व कमजोर तबके को ऊपर उठाकर न केवल उनके जीवन स्तर व कार्यक्षमता में वृद्धि करती हैं बल्कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

यह दावा किया जाता है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर समाज को बहुत सारे लाभ पहुंचाये हैं। यह भी कहा जाता है कि इन समितियों ने समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े व कमजोर वर्ग की सहायता करते हुए कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या आप इन दानों से सहमत हैं तर्क सहित अपने विचार व्यक्त कीजिये।

21.5 गृह-निर्माण सहकारी समितियों का वर्गीकरण (Classification of Housing Co-operative)

गृह-निर्माण सहकारी समितियों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है:

21.5.1 मालिक या किरायादारी समितियां (Ownership of tenant Co-operatives) :

इसके अन्तर्गत वे गृह-निर्माण समितियाँ आती हैं जिनका मकान पर पूर्ण अधिकार होता है। समिति के सदस्य केवल उनके किरायेदार होते हैं। समिति ही भूमि प्राप्त करती है, उस पर मकान का निर्माण करती है तथा उन्हें सदस्यों को सस्ते किराये

पर दे देती हैं। सदस्य प्रतिमाह किराया जमा करवाते रहते हैं। समितियाँ उसी राशि से ऋण का भुगतान करती रहती हैं। जब पूरा ऋण चुकता हो जाता है तो किरायेदारों को मालिकाना हक दे दिया जाता है।

21.5.2 सह-साझेदारी प्रकार की समितियाँ (Co-partnership Housing Co-operatives) :

इस प्रकार की समिति के सभी सदस्य गृह-निर्माण कार्य के सभी स्तरों पर सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, परन्तु अंत में प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से किसी निश्चित मकान सम्पत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया जाता है। यह हस्तांतरण किराया- क्रय पद्धति (Hire-purchase system) के आधार पर उस समय किया जाता है जब समिति स्वयं भूमि प्राप्त करके उस पर मकान का निर्माण करती है तथा उनका बंटवारा सदस्यों में कर देती है। सदस्य अन्तिम किस्त का भुगतान करने के बाद ही मकान का मालिक बनता है परन्तु जब समिति केवल भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था करती है तथा मकानों का निर्माण सदस्यों द्वारा किया जाता है। तब समिति सदस्यों में भूमि का बंटवारा कर देती है और सदस्यों को पट्टे पर या स्वायत सम्पत्ति के रूप में प्राप्त कर स्वयं मकानों का निर्माण करना पड़ता है।

21.5.3 फ्लैट स्वामित्व निर्माण समितियां (Flat ownership Housing Co-operatives) :

इस प्रकार की समितियां महानगरों में ही संगठित की जाती है जहां भूमि की कमी है। इसके अन्तर्गत निजी भवन-निर्माता कई मंजिलों के ऊँचे भवन बनाते हैं तथा उनके अलग-अलग भागों (Flats) को विभिन्न व्यक्तियों को बेच देते हैं। भवन निर्माता जमीन प्राप्त करके उस पर कई छोटे-छोटे भागों (Flats) का एक भवन बनवा देते हैं। इन छोटे-छोटे फ्लैटों को अलग-अलग व्यक्तियों को इस शर्त पर बेच दिया जाता है कि वे एक गृह-निर्माण सहकारी समिति या संघ की स्थापना करेंगे जिसे सम्पूर्ण भवन हस्तांतरित कर दिया जाता जाएगा। समिति उन फ्लैटों की मरम्मत तथा अन्य सुविधाओं जैसे- सफाई, चौकीदारी, करों आदि का भुगतान की साझेदारी की व्यवस्था करेगी।

21.5.4 सहकारी नगरीय समितियां (Co-operative Township Societies) :

विकासशील नगरों में इस प्रकार की समितियों का विशेष योगदान होता है। ये समितियां स्थानीय सरकार यथा नगर निगम, विकास प्राधिकरण आदि, राज्य सरकार तथा अन्य स्रोतों से पर्याप्त आकार में भूमि प्राप्त करती है और फिर अपने सदस्यों को उस भूमि का पट्टा दे देती हैं। सदस्य उस भूमि पर स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कॉलोनी के विकास का दायित्व सहकारी नगरीय समिति के कंधों पर ही रहता है।

21.5.5 सहकारी गृह बन्धक समिति (Housing mortgage Co-operative Societies):

ऐसी समितियां अपने सदस्यों के मकानों को बंधक रखकर उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध करवाती है। सदस्य अपने मकानों की मरम्मत करवाने, उनका विस्तार करने या पुराने मकानों को ध्वस्त करके नया मकान बनाने हेतु ऋण ले सकते हैं। इस प्रकार की समितियाँ कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिल नाडू आदि राज्यों में ज्यादा प्रचलित हैं। ये समितियाँ स्वयं मकानों का निर्माण करके भी अपने सदस्यों को किराया क्रय पद्धति के आधार पर उपलब्ध करवाती है। ये समितियां अच्छे भवन निर्माण हेतु तकनीकी सलाह भी देती हैं।

21.6 गृह-निर्माण सहकारी समितियों का संगठन (Organisation of Housing Co-operative Societies)

गृह-निर्माण सहकारी समिति को प्रारंभ से ही अनके कठिनाइयों – प्रशासनिक, क़ानूनी, तकनीकी तथा वित्तीय का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस प्रकार की समितियाँ ठीक से कार्य नहीं कर पाती क्योंकि उनके सहायता नहीं मिल पाती।

इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार की संस्था स्थापित की जाये जो पर्याप्त प्रशासनिक, तकनीकी, क़ानूनी ज्ञान से मुक्त हो और जो गृह-निर्माण सहकारी आन्दोलन के विकास में निरंतर सहयोग प्रदान कर सके।

वर्तमान में लगभग दो दर्जन से अधिक राज्यों यथा उत्तरप्रदेश, केरल, मेघालय, राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश, हरियाणा, गोवा, दमन व दीव, आंध्रप्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आदि में शीर्ष (Apex) समितियां संगठित की जा चुकी हैं। अध्ययन दल ने प्रत्येक राज्य में सहकारी गृह-निर्माण संगठन के लिए द्वि-स्तरीय (Two-tier) संघीय ढांचे (Federal Structure) के निर्माण का सुझाव दिया है। इस सुझाव में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस ढांचे के अन्तर्गत राज्य-स्तर पर एक शीर्ष समिति तथा राज्य में कई प्राथमिक समितियों को स्थापित की जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। शीर्ष समिति उसी राज्य में स्थापित करनी चाहिए जहाँ 100 से अधिक गृह-निर्माण समितियाँ पहले से कार्य कर रही हो।

शीर्ष सहकारी समितियों के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किये गये हैं:

(i) भूमि प्राप्त करने तथा भवन-निर्माणसम्बन्धी सामग्रियों को खरीदने में आवश्यक सहायता प्रदान करना ।

(ii) समय-समय पर समितियों की कार्य विधियों के दोषों को दूर करने के कुशल निरीक्षण की व्यवस्था करना।

(iii) राज्य की सम्बद्ध समितियों को वित्तीय, तकनीकी, प्रशासनिक तथा क़ानूनी मामलों में मार्गदर्शन करना।

(iv) गृह-निर्माण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(v) सहकारी आन्दोलन का प्रचार-प्रसार करना तथा नयी समितियों को मजबूत आधार प्रदान करना।

(vi) समितियों के कार्यों में परस्पर समन्वय स्थापित करना।

21.7 भारत में गृह-निर्माण सहकारी समितियों की प्रगति (Progress of Housing Co-operative Societies in India)

भारत में सहकारिता के आधार पर गृह-निर्माण आन्दोलन को प्रारम्भ हुए एक शताब्दी बीत गई है। सबसे पहली गृह-निर्माण समिति 1915 में मुंबई में स्थापित की गई थी। यद्यपि मद्रास में सर्वप्रथम समिति की रजिस्ट्री 1914 में की जा चुकी थी, लेकिन उसने 1923 में कार्य करना प्रारंभ किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मंदी के कारण इस आंदोलन को काफी नुकसान हुआ। भवन निर्माण सामग्री मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई, श्रमिकों की कमी हो गई और भवन निर्माण लागत बढ़ गई। इसके अलावा सरकार की वित्त प्रदान करने वाली नीतियां भी विकास में बाधक सिद्ध हुई।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद भारत के स्वतन्त्र होने तथा विभाजन के समय बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों के भारत आने पर गृह-निर्माण समस्या पर ध्यानदेना अति आवश्यक हो गया। 1950 में देश के विभिन्न राज्यों में गृह-निर्माण समितियों की संख्या 553 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में सहकारी गृह-निर्माण समितियों की प्रगति धीमी रही। समितियों की संख्या, कार्यशील पूंजी, सदस्यता में काफी प्रगति हुई परन्तु इस समितियों के द्वारा निर्मित मकानों की संख्या बहुत कम थी। 1950-51 में देश में गृह –निर्माण सहकारी समितियों की संख्या 1482 तथा सदस्य संख्या 91हज़ार थी।

द्वितीय योजना काल में सहकारी गृह-निर्माण आन्दोलन ने बहुत उन्नति की। समितियों की संख्या 1960-61 में 6,458 हो गयी। सदस्यता भी बढ़कर 3.81 लाख हो गई। कार्यशील पूंजी भी बढ़कर 57.83 रूपये लाख हो गई। द्वितीय योजनाकाल गृह-निर्माण समितियों का तीव्र विकास हुआ तथा गृह-निर्माण कार्यक्रमों को विशेष महत्त्व प्रदान किया गया तथा अनुदान-प्रद औद्योगिक गृह-निर्माण योजना (Industrial Housing Subsidized Scheme) तथा अल्प आय समूह गृह-निर्माण

योजना (Low Income Group Housing Scheme) के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से गृह-निर्माण के लिए आवश्यक वित्त प्रदान किया गया था।

तृतीय योजना काल में भी गृह-निर्माण समितियों की संख्या, सदस्यता तथा कार्यशील पूंजी में वृद्धि रही। परन्तु सभी राज्यों में गृह-निर्माण सहकारी आन्दोलन का विकास समान गति से नहीं हुआ। केवल गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में भारत में संगठित समितियों की कुल संख्या के 61 प्रतिशत के बराबर थे। असम व जम्मू-कश्मीर में इस आन्दोलन का विकास नहीं के बराबर हुआ था, जबकि पश्चिम बंगाल, केरल तथा बिहार में गृह-निर्माण सहकारी समितियों की प्रगति संतोषजनक नहीं थी।

चौथी योजनाकाल में सहकारी गृह-निर्माण समितियों को, विशेषकर निम्न तथा मध्यम आय वर्गों के लिए बढ़ाया गया। जहाँ आवश्यकता पड़ी वहां सरकार की सहायता कम से कम ली गई तथा एक अग्रिम सहकारी समिति स्थापित की गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में सन 1974-75 में देश में 25 हजार से अधिक प्राथमिक गृह-निर्माण समितियाँ थी जिनकी सदस्य संख्या भी 16.50 लाख के करीब थी। इस योजना काल में इन समितियों द्वारा देश में 5 लाख घरों को निर्माण किया गया। छठी योजना के अंत में कार्यरत समितियों की संख्या लगभग 40,000 थी तथा इनकी सदस्य संख्या 28 लाख को पार क्र गई थी। सातवीं योजना के अंतर्गत गृह- निर्माण सहकारी समितियों के विकार एवं सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया गया।

आगामी योजनाओं में आवासीय आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती गई तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा गृह निर्माण सहकारी समितियों को दिये जाने वाले अनुदानों में वृद्धि की गई। आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1988 में भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank-NHB) की स्थापना भी की गई। आवासीय आवश्यकताओं की वित्त पूर्ति का अधिकांश भाग निजी एवं निगमित क्षेत्र द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गई।

मार्च 1991 तक सम्पूर्ण देश में लगभग 60,000 गृह-निर्माण सहकारी समितियाँ कार्य कर रही थी जिनकी संख्या भी 40 लाख के लगभग हो गई थी। उस समय तक इन समितियों द्वारा 10 लाख मकान बनाये जा चुके थे तथा लगभग इतने ही मकानों का निर्माण कार्य प्रगति पर था जो आगामी वर्षों में बनकर तैयार हुए। राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के गठन के पश्चात इन समितियों की गतिविधियां काफी बढ़ी तथा शीर्ष गृह निर्माण संघों द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले वित्त का 60 प्रतिशत भाग आर्थिक रूप से कमजोर तबके को दिया जाने लगा। 1969 में गृह-निर्माण सहकारी समितियों के विकास के उद्देश्य से देश में राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ (National Co-operative Housing Federation : NCHF) का गठन किया गया। मार्च1991 तक 25 राज्य स्तरीय आवास संघों में से 23 संघ इसके सदस्य बन चुके थे। ये शीर्ष संघ राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) तथा हुडको (HUDCO) से पुनर्वित की सुविधा प्राप्त करते हैं। 'हुडको' भवन निर्माण कार्यों के लिए राज्यों के आवास मंडल, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास आदि को वित्त की सुविधा उपलब्ध करवाता है। 'हुडको' ने निम्न आय समूह तथा आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के लिए बड़ी मात्रा ऋण स्वीकृत किये हैं। शहरी फुटपाथ पर रहने वालों के लिए राशि विश्राम की व्यवस्था हेतु भी 'हुडको' द्वारा समय-समय पर अनेक परियोजनाएं स्वीकृत की गई।

लेकिन सरकार ने गृह-निर्माण के क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन को जितना महत्त्व दिया जाना चाहिए उतना विशेष महत्त्व प्रदान नहीं किया गया है और सरकार द्वारा विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान नहीं की गई। गृह-निर्माण पर कार्यकारी दल (Working Group on Housing Co-operatives) ने इस बात पर चिन्ता भी व्यक्त की है कि कुछ राज्यों ने सहकारी समितियों के लिए राशियों में कटौती कर दी है। इस दल ने यह सुझाव दिया कि सहकारी समितियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके। इसके लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे गृह-निर्माण सहकारी समितियों के लिए 25-30

प्रतिशत भाग निर्धारित कर दे और जहाँ गृह-निर्माण सहकारी समितियों ने काफी प्रगति की है वहाँ इसका प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए।

21.8 वित्तीय साधनों के स्रोत (Sources of Financial Resource)

गृह-निर्माण समितियों के वित्तीय साधनों के स्रोत हैं -

(i) अंश पूंजी
(ii) वैधानिक रक्षित कोष
(iii) सरकार, केन्द्रित सहकारी बैंकों तथा अन्य संस्थाओं से प्राप्त ऋण
(iv) जीवन बीमा निगम
(v) निजी स्त्रोत आदि

21.9 गृह-निर्माण योजनाओं के अंतर्गत सरकारी वित्तीय सहायता (Government Financial Assistance under Housing Construction scheme)

सरकार गृह-निर्माण की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत गृह-निर्माण समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

(1) अनुदान-प्रद औद्योगिक गृह-निर्माण योजना (Subsidized Industrial Housing Scheme) : इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए गृह-निर्माण के लिए औद्योगिक श्रमिकों की सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता मकानों के मूल्य के 65 प्रतिशत भाग के बराबर राशि व्यय के रूप में दी जाती है। श्रमिकों को मकान के 10 प्रतिशत मूल्य के बराबर रकम अपनी भविष्य निधि से निकालने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह धन उन्हें अशोधनीय पेशगी (Non-Refundable Advance) के रूप में प्राप्त हो सकता है।

(2) अल्प आय वाले समूह की गृह-निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme) : इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राज्य सरकारों को 30 वर्ष के लिए ऋण प्रदान करती है। इस प्रकार के ऋण पर लगभग 5 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ता है। व्यक्तियों तथा समितियों को राज्य सरकारें गृह-निर्माण के लिए ऋण देती है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपने कोष का 10 प्रतिशत भाग अल्प आय वाले व्यक्तियों या सहकारी समितियों को ऋण के रूप में देगा। परन्तु सहकारी समितियों को ऋण में प्राथमिकता दी जाती है।

(3) अन्य योजनाएं (Other Schemes) : अन्य योजनाओं जैसे – मध्य आय वाले समूह के लिए गृह-निर्माण योजना, ग्राम गृह-निर्माण कार्यक्रम, गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना आदि के अंतर्गत राज्य सरकारें गृह-निर्माण सहकारी समितियों को आवश्यक वित्तीय सुविधाएं प्रदान करती है।

21.10 सहकारी गृह-निर्माण समितियों की समस्याएं (Problems of Housing Co-operative Societies)

सहकारी गृह-निर्माण समितियों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है -

(1) उचित कार्यक्रम तथा संचालन व्यवस्था का अभाव (Lack of Proper Programme and Operating System): समितियों के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित नहीं हो पाता क्योंकि राज्यों में केन्द्रिय संस्थाओं का अभाव है। गृह-निर्माण सहकारी समितियों को क़ानूनी, तकनीकी तथा वित्तीय मामलों में परामर्श और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप उनका विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता।

(2) **वित्तीय साधनों का अपर्याप्त होना (Unsufficient financial Resources)**: वित्तीय साधन उपलब्ध ना होने से गृह-निर्माण समितियाँ प्रगति नहीं कर पाती। अधिकांश राज्यों में कोई शीर्ष संस्था नहीं है। इन समितियों को ऋण सरकार तथ जीवन बीमा निगम से प्राप्त होता है। यद्यपि सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है परन्तु वह आवश्यकता के अनुपात में बहुत ही कम है।

(3) **विशेषज्ञों की कमी (Lack of Experts)** : समितियों के पास विशेषज्ञों की तथा तकनीकी साधनों की कमी होती हैं, जिससे वे विशेषज्ञों की सेवा का लाभ उठा पाते।

(4) **समन्वय का अभाव (Lack of co-ordination) :** इन समितियों की धीमी प्रगति का एक कारण यह भी है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय नहीं है। जिससे इन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता और समन्वय के अभाव में ऋण पाने में कठिनाई आती है।

(5) **भूमि तथा भवन-निर्माण की सामग्री की कमी (Lack of Land and Constriction Material):** राज्य सरकार, सरकारी भूमि समितियों को देने में प्राथमिकता नहीं देती और उचित मूल्य पर भूमि तथा भवन निर्माण की सामग्रियों के न मिलने से गृह-निर्माण सहकारी समितियों को कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है तथा इनकी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे भूमि को नीलामी में क्रय कर सकें।

(6) **कुशल नेतृत्व की कमी (Lack of Efficient Leadership):** गृह-निर्माण समितियों की असफलता का मुख्य कारण कुशल नेतृत्व की कमी रही है क्योंकि इस आन्दोलन में सेवा भाव से काम करने वाले व्यक्तियों का अभाव रहता है।

(7) **राज्य सरकार की ऋण नीति (Loan Policy of State Govt.):** राज्य सरकार ने भी इस प्रकार के आंदोलन को विशेष महत्व नहीं दिया है। जैसे- जम्मू-कश्मीर में सहकारी समितियों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई।

(8) **गृह-निर्माण सहकारी समितियों में निजी स्वार्थ (Selfishness) :** गृह निर्माण सहकारी आंदोलन के अधिक सफल न होने का कारण समितियों का निजी स्वार्थ है। कुछ व्यक्ति समितियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में ऋण प्राप्त करके बस्तियों मेंबड़े-बड़े मकानों का निर्माण करते हैं। मिर्धा कमेटी ने इन समितियों में अनेक दोषों का उल्लेख किया है जो निम्न प्रकार है:

(i) कुछ व्यक्तियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए गृह-निर्माण समितियों की स्थापना की। वे समितियों के माध्यम से ऋण प्राप्त करके मकानों का निर्माण करने के बाद ऊँचे मूल्य पर उन्हें बेचकर लाभ उठाते हैं।

(ii) कुछ संगठनकर्ता बहुमत प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्तियों को सदस्य बना लेते हैं जो समिति के किसी भी मकान के स्वामी नहीं होते।

(iii) लाभ उठाने के लिए बहुत से सदस्य अपने मकान को किराये पर दे देते हैं।

(iv) आय की सीमा का ध्यान रखे बगैर मकानों को दे देने से निर्धन व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा पाता।

(v) कुछ व्यक्ति समितियों से बने मकान ऊँचे मूल्य पर बेचने के लाभ के उद्देश्य से खरीद लेते हैं।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

गृह निर्माण सहकारी समितियां अनेक दोषों से ग्रसित है। इन समितियों के पदाधिकारी अपने निजी हितों को साधन के लिए आये दिन कोई ना कोई हथकंडे अपनाते रहते हैं। कल्पना कीजिये कि आप एक बड़े शहर में ऐसी ही एक गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा निर्मित फ्लैट में रह रहे हैं। आपको किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ता है और आप उनसे निजात पाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे।

21.11 सहकारी गृह-निर्माण समितियों की प्रगति हेतु सुझाव (Suggestions for the Progress of Co-operative Housing Societies)

(1) वित्त- (Finance) : शीर्ष गृह-निर्माण समितियों द्वारा प्राथमिक गृह-निर्माण समितियों को वित्त प्रदान किया जाना चाहिए। शीर्ष समिति के कोष का निर्माण करने के लिए सरकार, बीमा कम्पनियों तथा प्राथमिक सहकारी समितियों को उनके अंशो को खरीदना चाहिए, तथा उनके ऋण पत्रों की सरकार को गारन्टी देनी चाहिए। व्यापारिक व सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करना चाहिए।

(2) ढांचा (Structure): कम से कम 100 गृह-निर्माण समितियों वाले राज्य में एक शीर्ष गृह-निर्माण समिति संगठित की जानी चाहिए।

(3) गृह-निर्माण सामग्रियां (Housing Materials): इन समितियों को गृह-निर्माण सामग्रियों जैसे- सीमेंट आदि का पर्याप्त कोटा दिया जाए। इस कोटे के वितरण का कार्य सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए।

(4) सरकार द्वारा प्रोत्साहन (Encouragement by the Government): सरकार को इन समितियों को दीर्घकालीन वित्त देने का प्रबन्ध करना चाहिए ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में विकास (Development in Rural Areas): ग्रामीण क्षेत्रों में गृह-निर्माण समितियों का गठन करना चाहिए तथा सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं देनी चाहिए।

(6) राज्य विभागों में समन्वय (Co-ordination between State Departments): गृह-निर्माण सहकारी समितियों के लिए आवश्यक है कि राज्य के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित हो, जिससे कि सदस्य गृह-निर्माण कार्यक्रमों का लाभ उठा सके। आवास की योजना बनाते समय सहकारी विभाग का परामर्श लेना आवश्यक होना चाहिए।

(7) संगठन (Organisation): सहकारी समितियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक समन्वय कमेटी की नियुक्ति करनी चाहिए जिसमें राज्य सरकार, शीर्ष सहकारी समिति के प्रतिनिधि हों। इन समितियों द्वारा बनाये गये मकानों पर स्थानीय करों, गृह कर आदि कुछ छूट दी जानी चाहिए। प्रत्येक राज्य में गृह-निर्माण सहकारी समितियों के विकास तथा उनके कार्य की जाँच के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए।

(8) अन्य उपाय (Other Measures):

(i) समितियों के दोषों को दूर करने के लिए समिति का एक सिद्धान्त बनाना चाहिए कि समिति का संगठन अल्प आय समूह के हित के लिए ही किया गया है।

(ii) राज्य शीर्ष सहकारी समितियों को प्राथमिक स्तर पर चल रही समितियों को ऋण प्रदान करना चाहिए।

(iii) सरकारी सहायता एवं सुविधाएं भी अल्प आय समूह गृह-निर्माण समितियां को ही प्रदान की जानी चाहिए।

(iv) कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे मृत्यु अथवा आर्थिक कठिनाइयों को छोडकर मकान की बिक्री अथवा उसके हस्तान्तरण की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

(v) शीर्ष सहकारी समितियों के सदस्यों को गृह-निर्माण समितियों की जाँच करने का अधिकार होना चाहिए।

(vi) यदि कोई सदस्य किस्त तथा ब्याज का भुगतान नहीं करता है, तो समिति को उसकी मकान सम्पति को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए।

21.12 सारांश (Conclusion)

भारत जैसे विकासशील देशों में आवास की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। गृह-निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से इस समस्या से निजात पाने के प्रयास किये गये हैं। सहकारी समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह या संघ होता है जिसमें पारस्परिक हितों की रक्षार्थ स्वेच्छा से एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहकारिता के आधार पर सहकारी सिद्धांतों व विधियों का प्रयोग किया गया है। भारत में केन्द्र व राज्य सरकारों ने समय-समय पर अनेक संस्थाओं का गठन करें मध्यम व अल्प आय वाले समूहों के लिए आवास समस्या का समाधान करने के यद्यपि अनेक प्रयास किये हैं लेकिन ये नाकाफी हैं।

गृह-निर्माण सहकारी समितियों के कार्यक्रम को यदि योजनाकाल में सही ढंग से संचालित किया जाता तो बड़े सुखद परिणाम मिल सकते थे लेकिन अनेक दोष व्याप्त होने के कारण यह आंदोलन इच्छित सफलता प्राप्त नहीं कर सका। राजनीतिक हस्तक्षेप, असंतुलित विकास, सहकारी उदासीनता व संसाधनों की कमी के चलते आवास के क्षेत्र में जो कार्य हो जाने चाहिए थे, नहीं हो पाये। गृह निर्माण सहकारी समितियों की संरचना व संगठनात्मक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है।

21.13 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अंत तक विद्यार्थियों को सहकारी गृह-निर्माण समितियों के अर्थ, कार्यों, उद्देश्यों, महत्त्व, लाभ, समस्याओं व सुझाव से अवगत कराया गया है। इकाई के माध्यम से विद्यार्थियों को सहकारी गृह-निर्माण समितियों के लाभ व उनका किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है, इस विषय पर ज्ञान प्राप्त होगा। गृह-निर्माण सहकारी समितियों के संगठन और सरकार द्वारा गृह-निर्माण योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता के सम्बन्ध में जानने को मिलेगा। वर्तमान में जिस प्रकार भारत की जनसंख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आवास की समस्या विकराल रूप धारण कर रही हैं। ऐसे में सहकारी समितियाँ ही हैं जो निजी हित से परे सार्वजनिक हित के लिए एक-दूसरे का सहयोग करते हैं। यदि सरकार द्वारा गृह-निर्माण सहकारी समितियों के कार्यक्रमों को योजनाकाल में ही सही ढंग से पूर्ण कर दिया जाए तो आवासीय समस्या का समाधान हो सकेगा। इसके लिए समय-समय पर राजनीतिक हस्तक्षेप व सुदृढ़ संरचनात्मक ढांचे व संतुलित विकास की आवश्यकता है।

21.14 शब्दकोष (Glossary)

- **NCCD** : National Commission of Co-operative Development (सहकारी विकास पर राष्ट्रीय आयोग)
- **LIGHS** : Low Income Group Housing Scheme (अल्प आय समूह गृह-निर्माण योजना)
- **NHB** : National Housing Bank (राष्ट्रीय आवास बैंक)
- **NCHF** : National Co-operative Housing Federation (राष्ट्रीय सहकारी विकास संघ)
- **HUDCO** : Housing and urban Development Corporation (हुडको आवास व शहरी विकास निगम)

21.15 स्व-परख प्रश्न (Self-Test Questions)

1. भारत में सहकारी गृह-निर्माण समितियों के विकास की समीक्षा कीजिए। किन कारकों ने इन समितियों के तीव्र विकास को बाधा पहुँचाई है और आपके विचार में इन कारकों को हटाने हेतु क्या किया जाना चाहिये।

   Discuss the growth of Co-operative Housing Societies in India. What Factors have handicapped a more rapid growth of these societies and what in your view, should be done to remove these factors.

2. भारत में गृह-निर्माण सहकारी समितियों के उदय तथा विकास का संक्षिप्त विवरण कीजिए?
   Discuss briefly the origin and development of Housing Co-operatives in India.

3. भारत में सहकारी गृह-निर्माण समितियों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए।
   Write a Critical Note on Housing Co-operative Societies in India.

21.16 संदर्भ एवं ग्रन्थसूचि (Reference and Bibliography)

- बी.पी. गुप्ता : 'सहकारिता के सिद्धांत एंव व्यवहार', रमेश बुक डिपो, जयपुर
- Swami, Gupta : 'Rural Development and Co-operation', RBD, Jaipur
- Choudhary, C.M. : 'Rural Development and Co-operation', RBD, Jaipur
- अग्रवाल, माथुर, गुप्ता : 'सहकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास', रमेश बुक डिपो, जयपुर
- Patel, A.R., Khankhoje,D.P. : 'Rural Economics', Sultan Chand & Sons, New Delhi.

21.17 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

- Report of the Co-operative Planning Committee.
- Report of the Working Group on Housing Co-operatives.
- Reviews of the Co-operative Movement in India., R.B.I.
- Housing Co-operative – Wikipedia.
- All India Co-operative Review.

21.18 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- https://en.m.wikipedia.org
- https://www.surve.co.in
- https://www.can.cooperation
- https://cs-india.com
- https://www.slideshare.net.
- https://www.nobroker.in

इकाई - 22

औद्योगिक सहकारी समितियां

(Industrial Co-operative Societies)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

22.0 उद्देश्य

22.1 प्रस्तावना (Introduction)

22.2 औद्योगिक सहकारी समितियों का अर्थ एवं परिभाषा

22.3 औद्योगिक सहकारी समितियों के उद्देश्य

22.4 औद्योगिक सहकारिता की विशेषताएं

22.5 औद्योगिक सहकारिताओं का विदेशों में विकास

22.6 औद्योगिक सहकारी समितियों का महत्त्व/आवश्यकता

22.7 औद्योगिक सहकारी समितियों के कार्य

22.8 औद्योगिक सहकारिता का संगठनात्मक ढांचा

22.9 समितियों के रूप

22.10 औद्योगिक सहकारिता के विभिन्न बोर्ड या मण्डल

22.11 औद्योगिक सहकारिताओं के वित्तीय साधनों के स्त्रोत

22.12 प्रबन्ध व्यवस्था

22.13 औद्योगिक सहकारिता के विकास में समस्याएं

22.14 औद्योगिक सहकारिता के सुधार हेतु सुझाव

22.15 सारांश

22.16 अधिगम परिणाम

22.17 शब्दकोष

22.18 स्वपरख प्रश्न

22.19 संदर्भ एवं ग्रन्थ सूची

22.20 अन्य पठन साम्रगी

22.21 वेब संसाधन/लिंक

22.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को औद्योगिक सहकारिता का अर्थ, परिचय, उद्देश्य भारत में औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास, वित्तीय साधनों के स्रोत, प्रबंधन तथा औद्योगिक सहकारिता के समक्ष आने वाली समस्याओं तथा उनके सुझावों से अवगत कराएंगे।

22.1 प्रस्तावना (Introduction)

"औद्योगिक सहकारिता अपने सदस्यों को संयुक्त उत्पादन के लाभों, कार्यशालाओं की साझा सुविधा, संयुक्त खरीद एवं बिक्री, अति आवश्यक तकनीकी सुधारों का प्रचार तथा विकास कार्यक्रम का ज्ञान प्रदान करने के लिए उपयुक्त एजेंसी है।''

भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण तथा लघु उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। ये उद्योग ग्रामीण व शहरी जनसंख्या को रोजगार प्रदान करते हैं। श्रमिक, हस्त-करघा, बंधेज (Tie and Dye), काष्ठ कला, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, संगमरमर की वस्तुएं,वस्तुओं की छपाई आदि प्राचीन काल से ही हमारे देश में विख्यात रहे हैं। ब्रिटिश शासन काल में लघु व कुटीर उद्योगों का धीरे-धीरे पतन होने लगा तथा मशीनीकरण को बढ़ावा मिलने लगा। कुछ उद्योग केवल इस कारण जीवित रहे क्योंकि उनमें लगे कुछ कारीगरों की कार्यकुशलता इतनी श्रेष्ठ थी कि उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग ऊँचे वर्ग में हमेशा बनी रही।

1918 में औद्योगिक आयोग (Industrial Commission) ने कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता के महत्व को स्वीकार किया था। शाही कृषि आयोग (Royal Commission on Agriculture) ने साख, कच्चा माल तथा विपणन की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए सहकारिता के आधार पर गांवों के कारीगरों को संगठित करने का सुझाव दिया था।

1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान में लोगों का आर्थिक अभ्युदय करने तथा शोषण से मुक्त कराने की घोषणा की गयी। 1948 की औद्योगिक नीति (Industrial Policy) में भी कुटीर व लघु उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया। पिछले 25 वर्षों में भारत सरकार द्वारा देश के लघु व कुटीर उद्योगों को विकसित करने के लिए एक बड़ी धन राशि खर्च की गयी है।

लघु व कुटीर उद्योगों के विकास के लिए 1955 में 'कर्वे कमेटी' गठित की गई। इस समिति ने इन उद्योगों के उत्पादन तथा विक्रय को सहकारी आधार पर आयोजित करने पर जोर दिया था। अत: औद्योगिक सहकारी समितियों के अंतर्गत परंपरागत कारीगरों, दस्तकारों, छोटे-छोटे उद्योगपतियों तथा औद्योगिक कर्मचारियों की अपनी-अपनी संस्थाएं संगठित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

22.2 औद्योगिक सहकारी समितियों का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Industrial Co-operatives)

भारत जैसे विकासशील देश में लघु व कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व होता है। मौर्यकाल से ही भारत समुद्री मार्ग से काष्ठकला, मूर्तिकला, हस्तकला का व्यापार विदेशों से करता आया है। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद भारत में मशीनी युग का प्रारम्भ हुआ। इसके साथ ही लघु व कुटीर उद्योगों का पतन भी होने लगा। मशीनों की प्रतियोगिता में केवल वे ही उद्योग जीवित बच पाये जिनके माल की मांग उच्च आय वर्ग में हमेशा बनी रहती थी। ब्रिटिश काल में इन उद्योगों के सामने कच्चे माल, वित्त, तकीनीकी ज्ञान व माल के विक्रय सम्बन्धी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गयी।

कहते है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। छोटे उद्योगों के सामने जैसे-जैसे नयी-नयी समस्यायें आने लगी, उनको हल करने का प्रयास किया जाने लगा। इन प्रयासों के फलस्वरूप औद्योगिक सहकारी आन्दोलन का जन्म हुआ। भारत में इस आंदोलन का प्रांरभ सन 1904 में पारित सहकारिता अधिनियम से माना जाता है। इस आन्दोलन ने छोटे उद्योगों तक सीमित होने के बावजूद बड़े बड़े एकाधिकारी उद्योगों की प्रवृतियों पर अंकुश लगाने मे सफल रहा। सन 1948 की औद्योगिक नीति में लघु व कुटीर उद्योगों को सहकारी आधार पर विकसित करने पर बल दिया गया था। इनसे बेरोजगारी की समस्या का निवारण करने में भी मदद मिली है।

अत: औद्योगिक सहकारिताओं का अभिप्राय ऐसी सहकारी समितियों से है जो कि कारीगरों, दस्तकारों, छोटे-छोटे उद्योगपतियों तथा औद्योगिक कर्मचारियों द्वारा पारस्परिक सहायता के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। इन समितियों के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य या उससे कुछ गुने तक सीमित होता है।

एल.एन. रेणु के अनुसार – "औद्योगिक सहकारी समितियों में एक प्रकार की वे समितियाँ हैं जो उत्पादन का कार्य करती है और दूसरी वे जो सदस्यों को केवल सेवाएं उपलब्ध करती है।"

श्री एन बेरोव के अनुसार - "औद्योगिक सहकारी समिति उन व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो कि अधिकतर श्रमिक और छोटे उत्पादक होते हैं तथा अपनी घरेलू तथा व्यापारिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके पर संयुक्त प्रबंध के अंतर्गत संगठित होते हैं सभी मिलाकर पूंजी इकट्ठी करते हैं।"

22.3 औद्योगिक सहकारी समितियों के उद्देश्य (Objectives of Industrial Co-operatives)

औद्योगिक सहकारी समितियों का उद्देश्य निर्धन दस्तकारों, कारीगरों तथा छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। सहकारी समिति संगठित करने पर उनकों उचित मूल्य पर कच्चा माल तथा उपकरण खरीदने, पूंजी प्राप्त करने तथा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री की उचित व्यवस्था करने में कठिनाई नहीं होती।

औद्योगिक सहकारिताओं के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य है:

(i) शिल्पकारों व दस्तकारों को अपनी उत्पादित वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचने में सहायता प्रदान करना।

(ii) श्रमिकों को सस्ते मूल्य पर कच्चा माल खरीदने में सहायता प्रदान करना।

(iii) शिल्पकारों तथा दस्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना।

(iv) शिल्पकारों तथा दस्तकारों की पूर्व प्राप्त ख्याति को पुन: स्थापित करना।

22.4 औद्योगिक सहकारिता की विशेषताएं (Characteristics of Industrial Co-operatives)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। जहां भारत जैसे देश में एक ओर बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है तो दूसरी ओर पूंजी व तकनीकी ज्ञान का अभाव है। ऐसे में औद्योगिक सहकारिता का महत्व और भी बढ जाता है। भारत में तो दीर्घकाल से ही लघु व कुटीर उद्योग विकसित रहे हैं। भारत के कारीगर काष्ठकला, मूर्तिकला व हस्तकला के लिए विश्व विख्यात रहे हैं। ब्रिटिश शासन काल के पश्चात् औद्योगिक सहकारिता आन्दोलन ने औद्योगिक विकास को नई दिशा व गति प्रदान की। लाखों लोगो को रोजगार उपलब्ध हुआ। जहां एक तरफ बेरोजगारी की समस्या का समाधान हुआ वहीं दूसरी ओर औद्योगिक समितियों के माध्यम से कमजोर इकाइयों के सबल इकाइयों की प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सका है।

औद्योगिक सहकारी समितियां देश के सन्तुलित विकास का आधार है। इन समितियों से देश के आर्थिक सता के केन्द्रीकरण को रोका जा सकता है। औद्योगिक सहकारी समितियों के माध्यम से कारीगरों, श्रमिकों को सस्ते मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध करवाने में सहायता मिलती है तथा शिल्पकारों व दस्तकारों को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार औद्योगिक सहकारिताओं की निम्नलिखत विशेषताएं हैं-

(1) औद्योगिक समितियां औद्योगिक उत्पादकों को उचित ब्याज दर पर पर्याप्त वित्त उपलब्ध करवाती है जिससे वित्त के अभाव में उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

(2) औद्योगिक सहकारी समितियां औद्योगिक उत्पादों को कच्चा माल, औजार तथा साजसज्जा की वस्तुएं उचित मूल्य उपलब्ध कराती है। ये औद्योगिक समितियाँ आवश्यकतानुसार सस्ते भावों पर कच्चा माल खरीदकर सदस्यों को माल उपलब्ध करवाती हैं।

(3) सदस्यों को उत्पादन के लिए अग्रिम राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

(4) उत्पादित माल को उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था की जाती है।

(5) औद्योगिक सहकारी समितियों की एक विशेषता यह है कि ये उत्पादकों को आधुनिक औजार व उपकरण उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाती हैं।

(6) ये समितियां शासक तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से माल विक्रय का अनुबन्ध करने और सदस्यों की सहायता से उन्हें पूरा करने में मदद करती है।

(7) ये समितियां सदस्यों को उत्पादन क्रियाओं के सबंध में तकनीकी सलाह प्रदान करती है।

(8) सदस्यों द्वारा उत्पादित माल का प्रचार करके उसकी मांग बढाना भी एक विशेषता है।

(9) सदस्यों में मितव्ययता की भावना विकसित करती है।

(10) शिल्पकारों व दस्तकारों की पूर्व ख्याति को पुनर्स्थापित करना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना तथा सुरक्षा प्रदान करना भी इनकी विशेषताओं में शामिल हैं।

(11) सदस्यों के लिए व्यापार पद्धति उत्पादन की विधियों आदि के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करती है।

22.5 औद्योगिक सहकारिताओं का विदेशों में विकास (Development of Industrial Co-operatives Abroad)

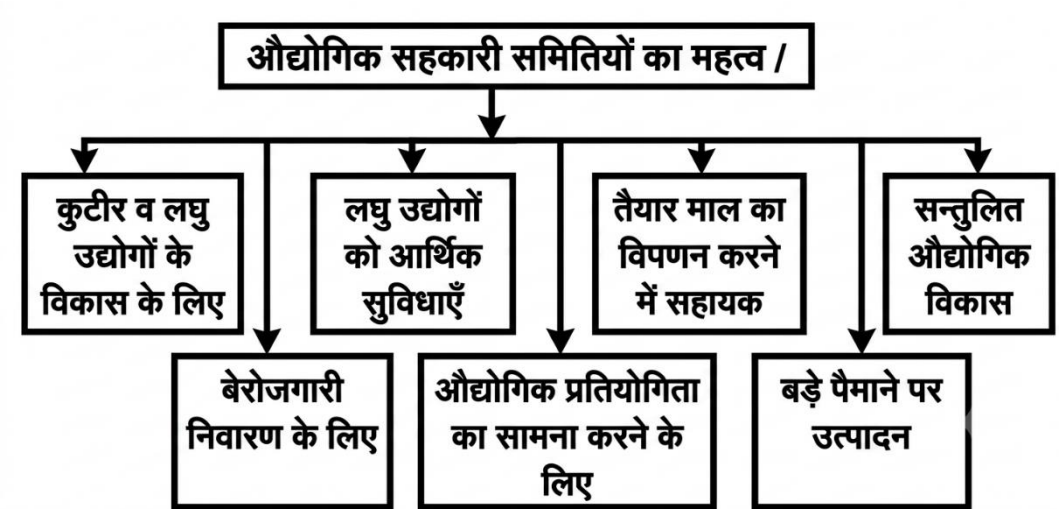
औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप छोटे उद्योगों तथा बड़े उद्योगों में प्रतिसपर्धा का दौर शुरू हुआ। यूरोप में आधुनिक उद्योगों के विकास होने पर छोटे उद्योग अलाभप्रद और अनार्थिक हो गए। बडे उद्योगों ने अपनी लागत को कम करना प्रारभ कर दिया और सस्ती वस्तुओं का उत्पादन करना प्रारम्भ कर दिया। बडे उद्योगों द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से छोटे छोटे शिल्पकारों तथा कारीगरों ने अपनी उत्पादन लागत को कम करने के लिए मिलकर काम करना प्रारंभ कर दिया जिससे यूरोप के कई देशों में औद्योगिक सहकारिता का विकास हुआ।

आर्थर बिरनी (Arthur Birnie) के अनुसार औद्योगिक सहकारिता का जन्म सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ जहां बुशर (Bucher) ने, जो सेंट साइमन (Saint Simon) का भूतपूर्व शिष्य था, देश में एक सहकारी कारखाने की स्थापना की थी। इंग्लैंड में 1822 में एक सहकारी संघ लिमिटेड (Co-operative Federation Ltd.) स्थापित किया था। उसके बाद से यूरोप के कई देशों में औद्योगिक सहकारी समितियों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। रूस, चीन तथा जापान में भी इनका काफी विकास हुआ है।

22.6 औद्योगिक सहकारी समितियों का महत्त्व/आवश्यकता (Importance and Need of Industrial Co-operatives)

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ सम्पन्नता के मध्य गरीब जनता निवास करती है। जहाँ अमीर व गरीब दो वर्ग बने हुए हैं। जहाँ एक ओर अमीर वर्ग के हाथ में सत्ता केन्द्रित है वहीँ दूसरी ओर निर्धन वर्ग का शोषण होता है। अत: निर्धन वर्ग को शोषण से मुक्त करवाने के लिए आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। यह कार्य औद्योगिक सहकारी समितियों के माध्यम से ही सम्भव है। ये समितियां धन के असमान वितरण को रोकती है तथा धनी वर्ग से निर्धन वर्ग के हितों की रक्षा करती है। यह समितियां सामाजिक व आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य इन औद्योगिक सहकारी समितियों के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। औद्योगिक सहकारिता की निम्न कारणों से आवश्यकता पड़ती है।

चित्र संख्या -1



(1) कुटीर व लघु उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक (For the Development of Cottage and Small Industries) : भारत प्राचीन काल से ही लघु व कुटीर उद्योगों के लिए जाना जाता है। परन्तु ब्रिटिश शासनकाल में इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रांति ने भारतीय लघु उद्योगों को रौंद डाला। इन सब में केवल अत्यधिक कुशल उद्योग ही जीवित रह पाए बाकी निर्बल उद्योगों का पतन हो गया। कारीगर व लघु उत्पादक दोनो बेरोजगार हो गए। लघु कुटीर उद्योगों के पुनर्विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को आधार माना गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के आधार पर समीतियां गठित की गयी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में छोटे पैमाने के उत्पादन की अनेक क्रियाओं को सहकारी स्तर पर लाया गया। आगामी सभी योजनाओं में भी इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया।

(2) बेरोजगारी निवारण के लिए (To Remove Unemployment) : भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में औद्योगिक सहकारी समितियाँ बेरोजगारी दूर करने में सहायक होती है। कृषि के बाद उद्योग ही रोजगार के प्रमुख साधन हैं। क्योंकि कृषि मानसून का जुआ है और कृषक हर समय खेती में नहीं लगा रह सकता है, कृषि का कार्य कुछ महीने ही चलता है। अत: किसानों का समय व्यर्थ ना जाए, इसके लिए उन्हें उद्योगों के विकास की ओर आकर्षित किया जा सकता है। सहकारी आधार पर बड़े व लघु दोनों ही पैमानों पर उत्पादन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत अनेक बेरोजगारों को रोजगार दिलाया जा सकता है।

(3) लघु उद्योगों को आर्थिक सुविधाएं (Financial Facilities to Small Industries) : औद्योगिक सहकारी समितियां लघु उद्योगों के विकास के लिए तथा उनके सुसचांलन के लिए निम्न ब्याज दर पर धन की व्यवस्था करती है। कुछ समय उत्पादन करने वाली समितियां अन्य संस्थाओं जैसे व्यापारिक बैंक सरकार सहकारी साख समितियों व अन्य संस्थाओं से सरलता से ऋण प्राप्त कर लेती हैं जिससे उन्हें वित्त की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा इन समितियों को अपनी अंश पूंजी के कई गुणा तक ऋण प्राप्त हो जाता है जिससे इनको सस्ता माल व आधुनिक औजार व मशीनें खरीदने में दिक्कत नहीं होती।

(4) औद्योगिक प्रतियोगिता का सामना करने के लिए (To Face the Industrial Competition): सहकारी समितियां लघु व कुटीर उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये समितियां सस्ते दामों पर औजारों व मशीनों की व्यवस्था करती है तथा उत्पादित माल का विक्रय करने में मदद करती हैं। औद्योगिक समितियां दुर्बल व बीमार इकाइयों को मिलाकर सुदृढ़ इकाइयों का गठन करती है जिससे यह इकाइयां बड़े पैमाने के वह प्रतियोगी उद्योगों का सामना कर सके।

(5) तैयार माल का विपणन करने में सहायक (Helpful in Marketing for Finished Goods) : छोटे उत्पादकों के समक्ष एक जटिल समस्या यह रहती है कि वह तैयार माल का विक्रय कहां करें क्योंकि उत्पादक स्थानीय मांग की ही पूर्ति कर पाते हैं जिससे इनका व्यापार क्षेत्र संकुचित हो जाता है। ये उत्पादक प्रत्यक्ष रूप से अपने माल को विस्तृत बाजार में नहीं भेज पाते हैं। अतः माल के विस्तृत विपणन के लिए इनको सहकारी समितियों की सहायता लेनी पड़ती है। ये समितियां अपने सदस्यों के माल का वर्गीकरण कर ऐसे स्थानों पर बेचती है जहां माल की अधिक खपत होती है। अतः औद्योगिक सहकारी समितियां बाजार का विस्तार करके छोटे उत्पादकों की आय में पर्याप्त वृद्धि करती है जिससे उनका आर्थिक स्तर उंचा उठता है।

(6) बड़े पैमाने पर उत्पादन (For Large Scale Production): औद्योगिक सहकारी समितियां लघु व कुटीर उद्योगों का सहकारी आधार पर विकास करके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में मदद करती हैं। इन सहकारी समितियों के सदस्य अपने साधनों को एकत्र के बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सदस्य अन्य समितियों से भी ऋण प्राप्त कर लेते हैं। बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए ये समितियां नवीन तकनीक व विधियों का उपयोग करती हैं। श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण को अपनाकर आर्थिक विकास की गति की ओर तेज किया जा सकता है। व्यक्तियों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठा सके तथा पूंजी का निर्माण अधिक हो सके, इसके लिए समितियों द्वारा अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है। रोजगार से पूंजी निर्माण होगा और विनियोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि यही क्रम निरंतर चलता रहा तो आर्थिक विकास की गति और तेज हो जाएगी।

(7) संतुलित औद्योगिक विकास (Balanced Industrial Growth): भारत जैसे विकासशील देश में उद्योगों का संतुलित विकास नहीं हुआ है। इसके लिए उद्योगों का विकेंद्रीकरण आवश्यक है। ऐसा करने से उद्योगों व पूंजी का केंद्रीकरण भी नहीं होगा। विभिन्न स्थानों में रहने वाले व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और इस प्रकार शहरीकरण की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। ऐसा सहकारी समितियों के माध्यम से ही संभव है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योगों का विशेष महत्व है। भारत जैसे देश में जहां एक और बेरोजगारी की समस्या है वहीं दूसरी और पूंजी तथा तकनीक का अभाव है। ऐसे में औद्योगिक सहकारिता के महत्व को समझा हुए उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

22.7 औद्योगिक सहकारी समितियों के कार्य (Functions of Industrial Co-operatives)

औद्योगिक सहकारिता औद्योगिक विकास की गतिविधियों को नई दिशा प्रदान करती है। बेरोजगारी की समस्या का निदान कर के लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है। औद्योगिक सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य कारीगरों, दस्तकारो व श्रमिकों को मध्यस्थों के शोषण से बचाकर उनके श्रम का उचित मूल्य दिलाना है। औद्योगिक सहकारी समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं:

1. उत्पादन के लिए सस्ती दर पर कच्चे माल की पूर्ति करना ताकि उत्पादन लागत न बढें।
2. कारीगरों व दस्तकारों के सामने वित्त की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए कारीगरों व दस्तकारों को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना।
3. शिल्पकारो व दस्तकारों के द्वारा उत्पादित माल को उचित मूल्य पर बेचने के लिए बाजार की व्यवस्था करना ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले व उन्हें अपने श्रम का उचित मूल्य मिल सके।
4. सदस्य अच्छी किस्म का माल तैयार कर सके इसके लिए उचित किराए पर मशीनें यंत्र उपकरण आदि उपलब्ध करवाना।
5. सदस्यों को विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकी सलाह देना।
6. दलालों व मध्यस्तों का समापन करना।
7. सदस्यों में सहयोग प्रेम भाईचारे सहकारिता व मितव्ययता की भावना का विकास करना।
8. माल का प्रचार प्रसार व ख्याति बनाए रखने के लिए माल का वर्गीकरण एवं श्रेणी विभाजन करना।

22.8 औद्योगिक सहकारिता का संगठनात्मक ढांचा (Organisational Structure of Industrial Co-operatives)

औद्योगिक सहकारिता के ढांचे में निम्नलिखित संस्थाएं प्रमुख है :

(1) अखिल भारतीय संघ (All India Federation): अखिल भारतीय स्तर पर उद्योगों के आधार पर कच्चे माल की पूर्ति तथा उत्पादन की बिक्री के उद्देश्य से संघीय समितियां स्थापित की गई है। इन समितियों में से एक समिति हस्तकला उद्योग तथा दूसरी ताड़ गुड़ उद्योग है। अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समितियों लिमिटेड का कार्यालय मुंबई में है जिसका उद्देश्य है घरेलू तथा विदेशी बाजार में हथकरघा वस्त्रों की बिक्री/निर्यात को बढ़ाना है। ताड गुड उद्योग समिति का उद्देश्य ताड़ गुड़ सहकारिताओं को उत्पादन व विपणन की सुविधाएं प्रदान करना है।

(2) राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ (National Federation of Industrial Co-operatives) : सन् 1966 में राष्ट्रीय औद्योगिक सहकारी संघ बनाया गया। इस संघ का कार्य देश की सहकारी औद्योगिक समितियों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास की योजनायें बनाने तथा उन्हें क्रियान्वित करने के लिए बल देना द्वितीय कार्यकारी दल का यह भी सुझाव था कि इस संघ की सदस्यता भारत के सभी औद्योगिक संघों तथा शीर्षक औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए खुली होनी चाहिए। यह संघ समितियों के नाम से आवश्यक कच्चे

माल व मशीनों का आयात करेगा और समितियों के माध्यम से इन्हें सदस्यों तक पहुंचा जाएगा। इसके अलावा यह संघ औद्योगिक समितियों द्वारा निर्मित माल को देसी व विदेशी बाजारों में बेचने का कार्य भी करेगा।

(3) केंद्रीय संघ (Central Federation): केंद्रीय संघ की स्थापना प्राथमिक औद्योगिक सहकारिता के कार्यों में संबंध स्थापित करने के लिए की गई। इन सघों का कार्य प्राथमिक व औद्योगिक सहकारी समितियों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का निराकरण करना है। ऐसे सघों की स्थापना ताड़ गुड़ तेलघाणी तथा चमड़े का कार्य करने वाली औद्योगिक समितियों द्वारा की गई है।

(4) शीर्ष संघ (Apex Federation): बुनकर सहकारिताओं, ताड़ गुड़ और अन्य तेलघाणी व चर्म उद्योग सहकारिताओं, दस्तकारी सहकारिताओं आदि के लिए 15 राज्यों में 22 शीर्ष संघ समितियों की स्थापना की गई है।

(5) प्राथमिक औद्योगिक सहकारितायें (Primary Industrial Co-operatives): ये समितियां वस्तुओं का उत्पादन करने अथवा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से संगठित की गई है। यह समितियां केंद्रीय संघ तथा शीर्ष संघ से संबंधित होती है। औद्योगिक के सहकारी ढांचे में प्राथमिक औद्योगिक के सहकारी संस्थाएं मुख्य आधार होती हैं। दस्तकार व कारीगर सीधे इन्हीं से संपर्क रखते हैं।

22.9 समितियों के रूप (Types of Societies)

भारत में तीन प्रकार की औद्योगिक सहकारिताएं हैं-

(i) उत्पादन करने वाली समितियां (Production Societies)

(ii) सेवा प्रदान करने वाली समितियां (Service Societies)

(iii) संयुक्त वर्कशॉप (Common Facility workshop)

ये समितियां अपने सदस्यों को कच्चा माल तथा उपकरण प्राप्त करने, तकनीकी सहायता तथा उत्पादन की बिक्री की व्यवस्था करने में सहायता व सेवा प्रदान करती है।

(1) कारखाना सहकारी समितियां (Workshop Co-operative Societies): उत्पादन करने वाली सहकारी समितियों में कारखाना सहकारी समितियां आती हैं। जैसे- बुनकर समितियों में सदस्यों द्वारा उत्पादन कार्य अपने घरों में या समिति के वर्कशॉप, फैक्ट्री या कारखाना में किया जाता है। कच्चा माल, उत्पादित करने वाली वस्तु के डिज़ाइन या नमूने समिति द्वारा दिए जाते हैं। सदस्यों को कार्य के बदले मजदूरी दी जाती है। उत्पादन से लेकर तैयार माल बेचने तक की जिम्मेदारी व जोखिम समिति वहन करती है। ऐसी समितियों को वर्कशॉप या कारखाना समितियाँ कहा जाता है।

(2) औद्योगिक सेवा सहकारी समितियां (Industrial Service Co-operative Societies): जैसा कि नाम से विदित है औद्योगिक सेवा सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य समिति के सदस्यों को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करना है। ये समितियां लुहारों, चर्मकारों व नारियल की जटाओं से निर्मित पदार्थों वाली समितियों में कार्य करने वालों द्वारा बनायी जाती है। ऐसी समितियों अपने सदस्यों को कच्चा, औजार व उपकरणों की पूर्ति करवाती है तथा तैयार माल की बिक्री में सहायता प्रदान करती है। सेवा समिति उत्पादन का जोखिम वहन नहीं करती। उत्पादन का जोखिम व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा ही वहन किया जाता है।

(3) **संयुक्त वर्कशॉप (Common Facility Workshop):** कुछ अग्रणी औद्योगिक सहकारिताओं ने संयुक्त वर्कशॉप का संगठन किया है। इस प्रकार की व्यवस्था लघु उद्योगो के विस्तार तथा उन्नत: किस्म के औजारों के प्रयोग के लिए की गयी है। इन कारखानों या वर्कशॉप में उन्नत तकनीकी मागदर्शन तथा कीमती औजारों को प्राइज़ करने की सुविधाएं मिल जाती है।

22.10 औद्योगिक सहकारिता के विभिन्न बोर्ड या मण्डल (Different Board of Industrial Co-operatives)

ग्रामोद्योगों तथा लघु उद्योगों का विकास करने और उनके कार्यो में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार ने कई बोर्ड या मण्डलों की स्थापना की है, जिनमें कुछ निम्नलिखित हैं -

(1) **अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड (All India Handloom Board) :** हस्तकरघा उद्योग का विकास करने के उद्देश्य से 1952 में अखिल भारतीय हस्तकरघा मंडल स्थापित किया गया था। इसने बुनकरों को ऋण के रूप में उदारपूर्वक आर्थिक सहायता प्रदान की है जिससे वे बुनकर समितियों के अंश खरीद सके। यह मंडल उन्नत यंत्रों की पूर्ति करने, प्रशिक्षण की व्यवस्था करने व तैयार माल की बिक्री में सहायता प्रदान करता है।

(2) **खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission) :** सन 1953 में अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी। 1957 में इस मंडल के कार्य खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के सुपुर्द कर दिये गये। यह आयोग ग्रामोद्योगों के विकास तथा उनकी वित्त पूर्ति के संबध में सहायता प्रदान करता है।

(3) **अखिल भारतीय दस्तकारी उद्योग बोर्ड (All India Handicrafts Board) :** इस बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई। यह बोर्ड दस्तकारी सहकारिता के विकास के लिए सेमिनार, सर्वेक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधाओं की व्यवस्था करता है। कई स्थानों पर बिक्री केन्द्रों को स्थापित करके यह मंडल उक्त सहकारिताओं के तैयार माल की बिक्री की व्यवस्था भी करता है।

(4) **नारियल रेशा बोर्ड (Coir Board) :** यह बोर्ड 1954 में नारियल रेशा उद्योग अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। यह बोर्ड विदेशों में नारियल के रेशों से बनी हुई वस्तुओं के प्रचार की व्यवस्था में सहायता प्रदान करता है।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

मान लीजिए आप कोई हस्तकला का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए आपकों ऋण की सहायता चाहिए तथा यन्त्रों व प्रशिक्षण की सुविधा चाहिए तो आप किस बोर्ड या मण्डल से सहायता लेंगे।

22.11 औद्योगिक सहकारिताओं के वित्तीय साधनों के स्रोत (Sources of Finance of Industrial Co-operatives)

(1) **केन्द्रिय तथा राज्य बैंक :** केन्द्रिय तथा राज्य बैंक औद्योगिक सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ये बैंक उन्हें अल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋण प्रदान करते है। परन्तु ये बैंक मुख्यतया प्राथमिक कृषि साख समितियों को ऋण प्रदान करते हैं। अत: यह औद्योगिक सहकारिताओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पाते।

(2) **औद्योगिक सहकारी बैंक :** केन्द्रिय तथा राज्य सहकारी बैकों द्वारा औद्योगिक सहकारिता की पूर्ति पूरी न होने के कारण कुछ राज्यों में औद्योगिक सहकारी बैंक स्थापित किये गये हैं। ये बैंक औद्योगिक समितियों को कठिनाई के समय वित्तीय सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

(3) **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया :** सहकारी बैंको द्वारा जिन औद्योगिक समितियों को ऋण प्राप्त नहीं हो पाता है, उन्हें स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करता है। स्टेट बैंक ऋण सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार तथा उद्योग संचालक की सिफारिश पर ही देता है।

(4) **राज्य वित्त निगम :** औद्योगिक सहकारिताओं को मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation) द्वारा भी दिये जाते हैं।

(5) **अंश पूंजी:** औद्योगिक सहकारिताओं के सदस्यों के निर्धन होने के कारण उनकी अंश पूजी पर्याप्त नहीं है। गरीब श्रमिक या कारीगर अपनी समिति के अंश अधिक संख्या में नहीं खरीद पाते। उनकी इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने एक अंश पूंजी ऋण की योजना चलाई है। इस योजना के अन्तर्गत समिति के सदस्यों को समिति के अंशों को खरीदने के लिए प्रदान की जाने वाली राशि के तिगुने तक तथा अन्य 3 गुने तक ऋण प्रदान किये जाते हैं।

(6) **राज्य सहायता :** राज्य सरकारें, नयी समितियों तथा वर्तमान समितियों की कार्यशील तथा अंश पूंजी के लिए आवश्यक ऋण तथा योगदान करती है। इन ऋणों पर सरकार रियायती दर पर ब्याज देती है। कई राज्यों में सहकारी बैंक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में इन समितियों को ऋण प्रदान करते हैं।

22.12 प्रबन्ध व्यवस्था (Management)

औद्योगिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध व्यवस्था अन्य सहकारी संस्थाओं की अपेक्षा अधिक जटिल है। इनके प्रबन्ध के अंग बहुत अधिक विशिष्ट है जैसे- उत्पादन लागत ज्ञात करना, बाजार में मांग उत्पन्न करना, बाजार में मांग के अनुरूप पूर्ति करना, लोगों की रूचि का अध्ययन करना आदि। इन विशिष्ट कार्यों की जानकारी रखने वाले कुशल संचालकों को ध्यान में रखते हुए ही प्रबन्ध समिति गठित की जाती है।

प्रबन्ध समिति को अनेक महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करने पडते हैं जैसे- बाजार में उचित मूल्य पर कच्चा माल खरीदने, तैयार माल बेचने, माल का उत्पादन करने करने लिए लोगों के आर्डर लेने, किस्म नियंत्रण करने, उत्पादन लागत को कम करने, कर्मचारियों में सहयोग की भावना से कार्य करने की प्रेरणा जागृत करना आदि। इस प्रकार प्रबन्ध समिति के कुशल प्रबन्धन द्वारा ही ये सब कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

22.13 औद्योगिक सहकारिता के विकास में समस्याएं (Problems in the Development of Industrial Co-operatives)

यद्यपि औद्योगिक सहकारिता के विकास के लिए अनेक परिषदों एवं संघो की स्थापना की गयी है, वित्तीय संस्थानों सेव वित्तीय सहायता व्यवस्था की गयी है तथा सरकार ने उदारता पूर्वक उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुदान भी प्रदान किया है, फिर भी औद्योगिक सहकारी समितियाँ नहीं बन सकी हैं। औद्योगिक सहकारी समितियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पडता है जो निम्न प्रकार है:

(1) **समितियों का अनार्थिक इकाइयां होना :** बहुत सी औद्योगिक सहकारी समितियां बिना सोचे-विचारे स्थापित की गई। पहले तो इन समितियों को स्थापित करते समय सरकारी अधिकारियों द्वारा सदस्यों को ऋण व अनुदान

के लिए आश्वासन दिये गए बाद में आश्वासन पूरे ना होने पर समितियां अनार्थिक बनी रही जो बाद में निष्क्रिय हो गयी।

(2) **व्यापारियों तथा मध्यस्थों का एकाधिकार :** कुछ उद्योगों में आज भी मध्यस्थों का एकाधिकार है जो श्रमिकों का शोषण करते हैं। आज भी हस्तकरघा उद्योग में बहुत से करघे तथा बुनकर सहकारी समिति के क्षेत्राधिकार में नहीं आये हैं। कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं कि बुनकर समितियों के सदस्य साख की सुविधाओं का तो लाभ उठाते हैं, परन्तु सहकारिता के आधार पर उत्पादन करने के बजाय व्यक्तिगत राय से उत्पादन करते हैं। व्यापारियों तथा मध्यस्थों के एकाधिकार के कारण बुनकर समितियां कच्चा माल तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की व्यवस्था करने में असफल सिद्ध हुई हैं।

(3) **कच्चा माल प्राप्त करने में कठिनाई :** बहुत सी औद्योगिक सहकारिताओं को पर्याप्त मात्रा में उचित किस्म का कच्चा माल उचित मूल्य पर मिलने में कठिनाई होती है। समितियों को आवश्यक सामग्री ऊँचे मूल्य पर स्थानीय व्यापारियों से खरीदना पड़ती है। छपाई व रंगाई कार्यों में लगे लोगों को रंग व अन्य रासायनिक पदार्थ का आयात करने कठिनाई का सामना करना पडता है।

(4) **निरीक्षण तथा जांच का अभाव :** जांच तथा निरीक्षण के अभाव के कारण औद्योगिक सहकारी समितियां प्रगति नहीं कर पाती। कार्यकारी दल के द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि समितियों के निरीक्षण के लिए सहकारी विभाग द्वारा पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। कार्यकारी दल ने 20 समितियों के लिए एक निरीक्षक नियुक्त करने का सुझाव दिया फिर भी निरीक्षकों का कार्यभार अधिक होने के कारण तथा समयानुसार निरंतर निरीक्षण न किये जाने के कारण कुछ समितियाँ असफल हो गई।

(5) **उचित विपणन व्यवस्था का अभाव:** औद्योगिक सहकारिताओं के लिए विपणन व्यवस्था एक समस्या रहीं है। इन्हें बड़े बड़े उद्योगों तथा निजी लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। कई बार समितियां अपने उत्पादन को स्थानीय व्यापारियों को बेचने के लिए बाध्य हो जाती है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी वस्तुओं को कम मूल्य प्राप्त होता है।

(6) **सदस्यों में समिति के प्रति वफादरी का अभाव :** समितियों के सदस्यों में अपनी समिति के प्रति वफादरी के अभाव के कारण भी वे असफल हो जाती है। इसका कारण है कि सदस्यों द्वारा लिया गया ऋण निश्चित कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया।

(7) **सहकारी शिक्षा का अभाव :** कुछ राज्यों में औद्योगिक सहकारिताओं के सदस्यों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।

(8) **तकनीकी सहायता की कमी :** औद्योगिक सहकारिताओं में उत्पादन कार्य में लगे हुए व्यक्तियों को तकनीकी ज्ञान न होने के कारण इन समितियों का कार्य अच्छी तरह से नहीं चल पाता है।

(9) **वित्तीय साधनों की कमी :** औद्योगिक सहकारिताओ को समय पर पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता न मिलने के कारण वे असफल हो जाती है। वित्तीय साधनों की कमी के कारण केन्द्रिय सहकारी बैंक इन समितियों को वित्त प्रदान करने में असमर्थ रहे हैं। यद्यपि इन समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कई राज्यों में औद्योगिक सहकारी बैंको की स्थापना की गयी है, परन्तु उसके वित्तीय साधन सीमित तथा कम है।

(10) **अच्छे नेतृत्व की कमी :** बहुत-सी ऐसी संस्थाएं निजी व्यापारियों द्वारा संगठित कर ली गयी हैं जिनका ये लोग लाभ स्वयं उठाते हैं और इस प्रकार इनका लाभ इन संस्थाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों को नहीं मिलता है।

(11) दोहरा नियंत्रण : औद्योगिक समितियों को दोहरे नियंत्रण की समस्या का सामना करना पड़ता है। एक और कुछ कार्यों जैसे रजिस्ट्रेशन निरीक्षण व प्रशिक्षण के लिए इन्हें राज्य के सहकारी विभाग पर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वित्तीय सहायता के लिए सहकारी बैंकों व राज्य वित्त निगम पर ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस प्रकार दोहरे नियंत्रण के कारण ये समितियां प्रभावित होती हैं और उनकी कार्यकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(12) ऊंची उत्पादन लागत : औद्योगिक नीतियों का पैमाना छोटा होता है जिससे इनके पास तकनीकी ज्ञान व वित्तीय साधनों का अभाव रहता है वित्त के अभाव में नई तकनीक नहीं अपना पाते। कच्चा माल व अन्य सामग्री भी उंचे मूल्यों पर खरीदी जाती है। फलस्वरूप उत्पादन लागत ऊँची आती है। जिससे औद्योगिक घरानों की प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाते।

(13) प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव : औद्योगिक समितियों में योग्य व प्रशिक्षित अधिकारियों व कर्मचारियों का अभाव रहा है। बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए इनमें उच्च प्रबंध की योग्यता होना आवश्यक है। प्रशिक्षित कर्मचारी ही कम लागत पर श्रेष्ठ किस्म का माल तैयार कर सकेंगे। प्रशिक्षित कर्मचारियों के अभाव में यह प्राचीन तकनीक से उत्पादन विधियों का उपयोग करते हैं। जिससे निर्णय में विलंब होता है जिससे वादन व उत्पादकता प्रभावित होती है।

(14) अनार्थिक समितियां : अधिकांश औद्योगिक सहकारी समितियां बिना सोचे विचारे अविवेकपूर्ण ढंग से आरंभ कर दी गई। स्थापना के समय तो सरकारी अधिकारियों द्वारा ऋण तथा अनुदान के लिए विश्वास दिलाया जाता है। परंतु बाद में आश्वासन के पूरे नहीं होने के कारण संचालन मुश्किल हो जाता है जिससे समितियां आगे चलकर निष्क्रिय हो जाती हैं।

(15) गला काट प्रतिस्पर्धा : ये दुर्बल समितियां बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर पाती। बड़े पैमाने के उद्योग नई तकनीक व उत्पादन विधियों को अपनाकर किस्म नियंत्रण व कुशल कर्मचारियों की नियुक्ति कर वैज्ञानिक तकनीकी अपनाकर कम लागत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं तैयार करने में सफल होते हैं। जबकि लघु व कुटीर उद्योगों को यह सुविधा नहीं मिल पाती। अतः बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में ये समितियां दुर्बल होने से टिक पाने में असमर्थ रहती हैं।

22.14 औद्योगिक सहकारिता के सुधार हेतु सुझाव (Suggestions for the Improvement of Industrial Co-operatives)

औद्योगिक सहकारिताओं की उक्त समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं:

(1) साख सुविधाओं की व्यवस्था : केन्द्रिय सहकारी बैंक को अपने वित्तीय साधनों का कुछ भाग औद्योगिक सहकारिताओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए निर्धारित कर देना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया को हस्तकरघा उद्योग के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। औद्योगिक सहकारिताओं को अपनी पूंजी में भी वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए जिससे उनकी ऋण सीमा में वृद्धि की जा सकें।

(2) औद्योगिक सहकारिताओ का पुनर्संगठन : दुर्बल एवं अनार्थिक औद्योगिक सहकारिताओं को मजबूत व आर्थिक इकाइयां बनाने के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को एक सुनिश्चित योजना बनानी तथा कार्यान्वित करनी चाहिए। राज्य सरकारों को वर्तमान समितियों की स्थिति को सुदृढ एवं आर्थिक बनाने की ओर अधिक ध्यान देना

चाहिए न कि उनके विस्तार की ओर जो समितियां निष्क्रिय हैं उन्हें पुनजीर्वित करने के लिए निश्चित उपाय किये जाने चाहिए।

(3) विपणन की सुविधाएं: राज्य सरकारों को इन समितियों की तैयार माल में बिक्री में उनकी आवश्यक सहायता करनी चाहिए। औद्योगिक सहकारिताओं की सहायता के लिए राज्य सरकार को उनके संरक्षण के लिए उनकी उत्पादित वस्तुओं को ही खरीदने के संबध में अपनी नीति घोषित कर देनी चाहिए। सरकार की शीर्ष संस्थाओं को वार्षिक सहायता प्रदान करनी चाहिए जिससे वे समितियों की वस्तुओं का समुचित प्रचार कर सकें।

(4) राज्य का सहयोग : राज्य सरकार को इन सहकारिताओं की अंश पूजी में अधिक उदारतापूर्वक योगदान प्रदान करना चाहिए। द्वितीय कार्यकारी दल के सुझाव के अनुसार उसे समितियों के प्रबंध व्यय के लिए कुछ वित्तीय सहायता भी देनी चाहिए।

(5) कच्चे माल की व्यवस्था : इन समितियों के लिए राज्य सरकारों को कच्चे माल तथा अन्य सामग्रियों की व्यवस्था करनी चाहिए। जो सामग्री देश में उपलब्ध नहीं है उसके आयात की व्यवस्था करनी चाहिए। शीर्ष समितियों को इन समितियों से उचित मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराने का प्रयत्न करना चाहिए। कच्चे माल की पूर्ति करने के लिए निजी औद्योगिक इकाइयों की अपेक्षा इन सहकारिताओं को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। सरकार को इन समितियों को कम से कम मूल्य पर सामग्रियां वितरित करनी चाहिए।

(6) संघीय संस्थाओं की स्थापना : राज्य स्तर पर इन सहकारिताओं की कम से कम एक संघीय संस्था अवश्य स्थापित की जानी चाहिए। इन संघीय संस्थाओं को संयुक्त कारखानों तथा अन्य सेवाओं की सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

(7) सदस्यों की शिक्षा : औद्योगिक सहकारी समितियों की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उनके सदस्यों को प्रबन्ध संगठन आदि की उचित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उनमें सहकारिता एवं सहयोग की भावना जागृत की जानी चाहिए। उन्हें उनके अधिकारों व दायित्वों का ज्ञान प्रदान करना चाहिए।

(8) प्रदर्शनियां व मेले : सरकार को चाहिए कि राज्य स्तर व अखिल भारतीय स्तर पर समय समय पर प्रदर्शनियों व मेलों का आयोजन करे जिनमें समस्त राज्य की औद्योगिक समितियां भाग लें। प्रदर्शनियों व मेलों के आयोजन से उनके उत्पादित माल की लोकप्रियता बढेगी व माल की बिक्री बढ़ेगी।

(9) बड़े उद्योगों के साथ सहयोग : सार्वजनिक क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गयी है जिससे इन छोटी सहकारी समितियों को प्रतियोगिता का सामना करना पडता है। औद्योगिक सहकारी समितियों को इन बड़ी इकाइयों की सहकारी इकाइयों के रूप में कार्य करना चाहिए तथा अन्य देशों की बड़ी इकाइयों के साथ मिलकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए।

(10) शोध व अनुसंधान की सुविधाएं : समितियों को अनुसंधान कार्यों की सुविधाए प्रदान करनी चाहिए। उत्पादन के नये तरीके काम में लेने चाहिए तथा नये शोध किये जाने चाहिए। औद्योगिक समितियों के उत्पादक में वृद्धि करना, मितव्ययता लाने, किस्म नियंत्रण व अधिकाधिक विपणन के लिए शोध व अनुसन्धान की सुविधा देनी चाहिए जिससे उपयुक्त लाभ प्राप्त हो सके।

(11) वित्त की समुचित व्यवस्था : औद्योगिक सहकारी समितियों को वित्त की व्यवस्था करने के लिए औद्योगिक बैंकों का पर्याप्त संख्या में गठन किया जाना चाहिए। इसके लिए सहकारी संघीय ढांचा मजबूत होना चाहिए। इस दृष्टि से प्राथमिक औद्योगिक इक बैंकों द्वारा केंद्रीय औद्योगिक सहकारी बैंकों की स्थापना की जाए। राष्ट्रीय स्तर

पर सभी शीर्षक बैंकों का संघ राष्ट्रीय औद्योगिक के बैंक स्थापित किया जाए।इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन समितियों को अधिकाधिक सहायता प्रदान करें ताकि कि सहकारी समितियां कृषि साख समितियों व केंद्रीय बैंकों पर निर्भर ना रहे। इसके लिए औद्योगिक समितियों को वित्त व दिशा निर्देश देने के लिए अलग से संघीय ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है।

(12) प्रबंधन की दोहरी व्यवस्था समाप्त : औद्योगिक सहकारिता ओं की पूर्ति तथा जांच व परीक्षण का कार्य एक ही विभाग सहकारी विभाग द्वारा किया जाना चाहिए। औद्योगिक सहकारिता के पंजीयन, संगठन, निरीक्षण तथा समापन से संबंधित सभी कार्य एक ही विभाग द्वारा संपन्न किए जाने चाहिए। औद्योगिक सहकारिता को रजिस्ट्रार के अधीन रखकर संचालित किया जाना चाहिए। अन्य संस्थाओं व एजेंसियों की जांच पड़ताल का अधिकार नहीं देना चाहिए अतः संबंधित विभागों के परस्पर सहयोग व समन्वय होना चाहिए।

(13) सहकारी शिक्षा : औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इसके सदस्यों की सहकारी स्रोतों से परिचित कराया जाना चाहिए। सहकारी सदस्यों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए। प्रबंधन, संगठन, प्रेम व सहयोग की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए।

(14) अकेक्षण निरीक्षण की व्यवस्था : औद्योगिक सहकारी समितियों के निरीक्षण व अंकेक्षण के समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। वर्ष में कम से कम एक बार इनका निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए जिससे इन समितियों की कार्यकुशलता व लाभ हानि का लेखा-जोखा किया जा सके।

(15) किस्म नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था : औद्योगिक सहकारिता को अपनी उत्पादित करने वाली वस्तुओं की किस्म पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि उत्तम किस्म की वस्तुएं ही प्रतिस्पर्धा की दौड़ में टिक पाती हैं। दूसरे बाजार में उनकी मांग है साथ बढ़ती है जिसे बाजार में माल को बेचने में कठिनाई नहीं आती है ।

उपयुक्त सुझावों को यदि दृष्टिगोचर किया जाए तो अयोग्य के सहकारी आंदोलन का विकास करने में मदद मिलेगी और यह आंदोलन प्रगति की ओर अग्रसर होगा ।

स्व-मूल्यांकन – तृतीय

आज के प्रतियोगिता के युग में औद्योगिक सहकारी समितियों को अन्य क्षेत्रों की बड़ी इकाइयां शोषित करती है। इन समितियों के शीर्ष अधिकारी अपने निजी हितों को साधने के लिए कोई ना कोई हथकंडे अपनाते रहते है। कल्पना कीजिए आप एक बडे शहर में एक औद्योगिक सहकारी समिति हस्तकरघा व दस्तकारी उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं। आपको किन 2-समस्याओं का सामना करना पड सकता है और उनके हल निकाले के लिए क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे।

22.15 सारांश (Summary)

औद्योगिक सहकारिता के अन्तर्गत आने वाले लघु व कुटीर उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है यदि सरकार द्वारा तथा अन्य शीर्ष सहकारिताओं के द्वारा इन्हें साधन व वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों का यही लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा पूरा किया जाता है।

औद्योगिक सहकारी समितियों का उद्देश्य निर्धन दस्तकारों, कारीगरों तथा छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। शिल्पकारों व दस्तकारों को अपनी उत्पादित वस्तुओं को उचित मूल्य पर बेचने में सहायता प्रदान करना तथा सुरक्षित महसूस कराना औद्योगिक सहकारिता का उद्देश्य है। औद्योगिक सहकारिताएं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है फिर भी इन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे कच्चा माल की सस्ती दरों में आपूर्ति नहीं हो पाती, व्यापारियों व मध्यस्थों का एकाधिकार के कारण श्रमिकों का शोषण, उचित विपणन व्यवस्था

का अभाव, सहकारी शिक्षा का अभाव आदि। किन्तु इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किये जा रहे हैं जैसे – साख सुविधाओं की उपलब्धि, विपणन की सुविधाएं, राज्य का सहयोग, कच्चे माल की व्यवस्था, सदस्यों की शिक्षा, प्रदर्शनियां व मेले आदि।

22.16 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के मध्यम से विद्यार्थी औद्योगिक सहकारी समिति के अर्थ, परिचय, उद्देश्य, विशेषताएँ, भारत में औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास, वित्तीय साधनों के स्रोत तथा औद्योगिक सहकारिता की समस्याओं व उनके सुझावों से अवगत होंगे। इस इकाई के माध्यम से यह समझाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण तथा लघु उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक सहकारी समितियों का उद्देश्य निर्धन दस्तकारों, कारीगरों और छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों को कई प्रकार की सुविधा प्रदान करना है क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को लघु व कुटीर उद्योगों द्वारा ही पूरा किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए भी औद्योगिक सहकारिताएं अनेक समस्याओं से जूझ रही हैं, जैसे – कच्चे माल की सस्ती दरों में आपूर्ति नहीं हो पाती, उचित विपणन का अभाव, व्यापारियों तथा मध्यस्थों का एकाधिकार, सहकारी शिक्षा का अभाव, दोहरा नियंत्रण, श्रमिकों का शोषण आदि। किन्तु इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं, जैसे – औद्योगिक सहकारिताओं का पुनर्गठन, राज्य का सहयोग, सदस्यों की शिक्षा, प्रदर्शनियां व मेले, कच्चे माल की व्यवस्था, शोध व अनुसन्धान की सुविधा, वित्त की समुचित व्यवस्था आदि।

22.17 शब्दकोष (Glossary)

- **विपणन** : विक्रय, व्यापार, उत्पादित, वस्तुओं को उपभोक्ता क्षेत्र तक पहुँचाने का उपक्रम (मार्केटिंग)
- **दस्तकार** : शिल्पकार, हाथ से दस्तकारी का काम करने में माहिर व्यक्ति
- **Industrial Commission** : औद्योगिक आयोग
- **Rationalization** : विवेकीकरण
- **Coir Board** : नारियल रेशा बोर्ड
- **Federal Societies** : संघीय समितियां

22.18 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

1. औद्योगिक सहकारिता का क्या आशय है? औद्योगिक सहकारिता को भारत में किसी बड़े पैमाने पर प्रचलन करने के मार्ग में क्या कठिनाइयां देखते है।

   What is Industrial Cooperatives? What difficulties do you visualize in introducing Industrial Co-operatives in India on any significant scale.

2. भारत में औद्योगिक सहकारी समितियों को किन किन तरीकों से आर्थिक सहायता दी जाती है? क्या कारण हैं जो वे सन्तोषप्रद उन्नति नहीं कर सकी है?

   What are the different ways in which financial assistance is provided to industrial Co-opratives in India? Why is it that they have not made satisfactory progress.?

3. भारत में औद्योगिक सहकारिता की वृद्धि को संक्षेप में समझाइए

Discuss briefly the growth of Industrial Co-operatives in India.

4. भारत के औद्यागिक सहकारी आन्दोलन पर संक्षिप्त विवेचनात्मक निबन्ध लिखिए।

   Write a short critical essay on the Industrial Co-oprative movement in India?

5. औद्योगिक सहकारिता के कार्य व महत्व पर टिप्पणी लिखिए।

   Write a short note on the functions and importance of Industrial Co-operatives?

6. भारत में औद्योगिक सहकारिता की समस्याओं की विवेचना कीजिए। उनकी कठिनाइयों को दूर करने के उपाय बताइए।

   Discuss briefly the problems of industrial Co-operatives in India and point out their remedies?

22.19 संदर्भ एवं ग्रन्थ सूची (References and Bibliography)

- बी.पी. गुप्ता : 'सहकारिता के सिद्धान्त एवं व्यवहार' रमेश बुक डिपो, जयपुर
- Swami , Gupta : 'Rural Development and Co-operation' Ramesh Book Depot, Jaipur
- Choudhary,C.M. : 'Rural Development and Co-operation' Shivam Book House, Jaipur.
- अग्रवाल, माथुर, गुप्ता : सहकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास, रमेश बुक डिपो, जयपुर
- Patel, A.R. Khankhoje,D.P. : 'Rural Economics', Sultan Chand & Sons, New Delhi.

22.20 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Materials)

- Co-operatives in Industrial and Service sectors in the Asia- Pacific Region.
- All India Co-operative Review.
- Industrial Co-operative – Wikipedia
- Report of the Co-operative Planning Committee
- Industrial Co-operatives – DIC, Kancheepuram

22.21 वेब संसाधन/लिंक (Web Resourses/Links)

- https://mygate.com>blog>types
- https://www.slideshare.net
- https://www.msmetamenadu.tn.gov.in
- https://www.en.m.wikipedia.org
- https://www.tn.gov.in
- httpss://www.sarthaks.com

इकाई - 23

सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण

(Co-operative Education and Training)

इकाई की रुपरेखा (Outline of Unit)

23.0 उद्देश्य

23.1 प्रस्तावना

23.2 सहकारी शिक्षा क्या है?

23.3 सहकारी प्रशासन समिति

23.4 सहकारी शिक्षा का महत्व

23.5 सहकारी प्रशिक्षण

23.6 सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास

23.7 सहकारी प्रशिक्षण पर अध्ययन दल

23.8 राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद्

23.9 राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् के कार्यक्रम

23.10 वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण

23.11 मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

23.12 कनिष्ठ कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण

23.13 वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान,पूणे

23.14 क्षेत्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान

23.15 सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण की समस्यायें

23.16 सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए सुझाव

23.17 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट (राइसेम) जयपुर

23.18 सहकारिता शिक्षा वर्तमान दौर में

23.19 सारांश

23.20 अधिगम परिणाम

23.21 शब्दकोश

23.22 स्वपरख प्रश्न

23.23 सन्दर्भ व ग्रन्थसूची

23.24 अन्य पठन सामग्री

23.25 वेब संसाधन/लिंक

23.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के बारे मे जानकारी उपलब्ध करवाना चाहते है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को सहकारी प्रशिक्षण के बारे में तथा उनके लिए किये गये प्रयासों और उनमे आने वाली समस्याओं तथा शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सुझावों से अवगत करवाया जाये।

23.1 प्रस्तावना (Introduction)

सहकारी शिक्षा की अवधारणा लम्बे समय से सहकारी आन्दोलन के इर्द-गिर्द घूमती रही है, इस आन्दोलन की सफलता मुख्य रूप से शिक्षित एवं जागरूक सदस्यों पर निर्भर करती है, साथ ही समिति के सदस्यों, ग्राहकों, प्रबन्धकों एवं कर्मचारियों का सहयोग भी नितांत आवश्यक है, सहकारी आन्दोलन का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता जा रहा है अत: नये क्षेत्रों में प्रवेश के लिए आवश्यक है कि सदैव सक्रिय सदस्यों को प्रोत्साहित किया जाये, **प्रो. ए.एफ. लिंडले** ने कहा है, "कि यदि हम चाहते है कि हमारी समितियाँ लोकप्रिय हो तो हमें सुदृढ़, सुन्दर, व सुलझे हुए व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर इन समितियों का प्रबन्ध करना होगा एवं इनका नेतृत्व कुशल एवं योग्य प्रबन्धकों को सौंपना होगा, इसके लिए शिक्षा ही एक साधन है"।

हमारे विकास कार्यक्रमों की सफलता सदस्य तथा जन-सामान्य को सहकारी आदर्शों से परिचित कराना, समिति के कार्यों के महत्व को समझाना, पदाधिकारियों को अपने दायित्व का ज्ञान कराने पर निर्भर करता है। इसके लिए कार्यकर्ताओं, निरीक्षकों, व्यवस्थापकों आदि की नियमित पूर्ति करना भी आवश्यक है, सहकारी आन्दोलन सफल करने के लिए शिक्षा एवं प्रशिक्षण आवश्यक है।

23.2 सहकारी शिक्षा क्या है? (What is Co-operative Education?)

सहकारी शिक्षा का आशय उस शिक्षा से है, जिसमें सहकारी संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों, उद्देश्यों और अन्य कार्यकर्मों के बारे मे जानकारी दी जाती हैं, **मेकलेगन समिति** ने सन् 1915 में सहकारी आन्दोलन की शिक्षा के प्रचार पर जोर दिया।

शाही कृषि आयोग का मत था कि प्राथमिक समितियों के सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारों की शिक्षा दी जानी चाहिए। सन् 1945 में सहकारी नियोजन समिति ने भी सहकारी प्रचार, शिक्षा व प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया, इनका सुझाव था कि अशिक्षित ग्रामीण जनता को नाटक, कथा, स्वांग तथा लघु चित्रों के माध्यम से सहकारिता के लाभों का ज्ञान कराया जाये, सहकारी प्रबंधकों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य स्तर पर होनी चाहिए।

23.3 सहकारी प्रशासन समिति (Committee on Co-operative Administration)

सन् 1963 में देश में सहकारी आन्दोलन के सुचारु विकास के लिए सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण को आवश्यक मानकर इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की माँग की, सन् 1966 में ICA आयोग ने सुझाव दिया कि सभी सहकारी समितियों को अपने सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जन-सामान्य के लिए सहकारी सिद्धांतों एवं तकनीकी प्रक्रियाओं की आर्थिक एवं लोकतांत्रिक दोनों प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। आर्थिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता के प्रवेश के बावजूद उन लोगों की कमी महसूस की गई जो सहकारी सिद्धांतों व विधियों के ज्ञाता हो, और

निरीक्षण, पर्यवेक्षण और अंकेक्षण की जानकारी रखते हो, हमारे देश में सहकारी प्रशासन समिति द्वारा प्रशिक्षण की सुविधाएं व्याप्त है परन्तु सहकारिता के बढ़ते हुए क्षेत्र को देखते हुए इनके और अधिक विस्तार की आवश्यकता महसूस की गई।

23.4 सहकारी शिक्षा का महत्व (Significance of Co-operative Education)

सहकारी शिक्षा ही सहकारिता के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, यह एक आर्थिक आन्दोलन नहीं बल्कि सामाजिक राजनैतिक और नैतिक आन्दोलन है, कोई भी ऐसी समिति जिसके पास पार्याप्त पूँजी है, परन्तु शिक्षितव विवेकशील सदस्यों की कमी है उसकी तुलना में वह समिति जिसके पास भले ही पूँजी की पर्याप्तता नही है शिक्षित व विवेकशील सदस्यों की संख्या है तो वह हमेशा सफल होगी।

शिक्षा मानव को सभ्य व आत्मनिर्भर बनाती है जिससे दूरदर्शिता, नतृत्व क्षमता, नैतिक व चारित्रिक उत्थान होता है अर्थात् मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है, सहकारिता के महत्व को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है :-

1. सहकारी आन्दोलन को जन आन्दोलन मान कर सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार से आम व्यक्ति को सहकारी विचारधारा को समझने में मदद मिलेगी और सहकारिता के प्रति जनता में विश्वास जागृत होगा।
2. सहकारी शिक्षा से जनता में जागरुकता बढ़ेगी और लोकतंत्र को उपयुक्त आधार मिलेगा जिससे जनता में सहकारी संगठनों के लिए योग्य व्यक्ति चुनने में मदद मिलेगी, क्योंकि सहकारी शिक्षा के अभाव में व्यक्ति अपने मत का सही उपयोग नहीं करता है।
3. सहकारी शिक्षा के प्रचार-प्रसार द्वारा सहकारिता के व्यावहारिक पक्ष से जनता को अवगत कराया जा सकता है।
4. सहकारी शिक्षा द्वारा यह जानकारी प्रदान की जाती है कि यह एक मानव जाति के विकास के लिए पवित्र आन्दोलन है, जिससे लोगों में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है।
5. विवेकशीलता व सुदृढ़ता सहकारी आन्दोलन से लक्षित होती है जो सहकारी आन्दोलन की नींव मजबूत करती है, इसके माध्यम से जनता में जागृति व आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है।
6. यदि सहकारी शिक्षा का प्रचार किया जाये तो जनसामान्य में जागरूकता आयेगी और प्रबंध व्यवस्था से इन स्वार्थी व प्रभावशाली लोगों का वर्चस्व हटेगा।
7. सहकारी संगठनों में जागरूकता के अभाव में संगठन में सदस्य जो एक तरफ स्थायी होते है वहीं दूसरी ओर कर्मचारी व उपभोक्ता होते है, समितियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने व सही दिशा की और अग्रसर होने के लिए अधिकारों व दायित्व की जानकारी आवश्यक है।
8. सहकारी शिक्षा सहकारी संस्थानों के प्रबंध में सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप व नियंत्रण से रक्षा करती है, इसके लिए सदस्यों व जनता को शिक्षित करना होगा ताकि उन्हें लगे कि आन्दोलन उनका अपना है तथा सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, जनता में ऐसे विचार आने से सरकारी हस्तक्षेप को नियमित किया जा सकता है।
9. अपनत्व की भावना अगर सदस्य में जागृत हो जायेगी तो आन्दोलन के प्रति अपनापन व लगाव पैदा होगा, सहकारी आन्दोलन के प्रति अपना भरपूर योगदान दे सकेंगे। इससे आन्दोलन का और अधिक विकास होगा।
10. सहकारी शिक्षा के माध्यम से ही सहकारिता के उद्देश्य व लाभ की जानकारी उपलब्ध होगी, जब जनता को अपना लाभ देखने को मिलेगा तो वह पूरा योगदान देंगे।

23.5 सहकारी प्रशिक्षण (Co-operative Training)

सहकारी प्रशिक्षण से आशय उस समस्या से है जिनमें सहकारी संस्थाओं व सहकारी विभाग के वैतनिक कर्मचारियों व अधिकारियों की सहकारी कार्यप्रणाली में दक्ष किया जाता है जिससे वे समितियाँ प्रबन्ध, संचालन व निर्देशन कुशलता व

मितव्ययतापूर्ण ढंग से कर सके, इसके अन्तर्गत सहकारिता की व्यावहारिक शिक्षा, हिसाब-किताब प्रबंध सम्बन्धी ज्ञान प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण से कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ती है तथा प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति कठिन से कठिन क्षेत्र में विशिष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। शाही कृषि आयोग का मानना है आन्दोलन की सफलता कार्यकर्ताओं के उत्साह व कार्यकुशलता पर निर्भर करती है।

प्रशिक्षण तीन प्रकार से प्रदान किया जा सकता है-:

1. संस्था के कार्यक्षेत्र के अन्दर प्रशिक्षण
2. संस्था के कार्यक्षेत्र के बाहर प्रशिक्षण
3. बाहरी व्यक्तियों को प्रशिक्षण

23.6 सरकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास (Efforts made by the Government for Co-operative Education and Training)

- सर्वप्रथम सन् 1914 में मद्रास में प्रान्तीय संघ स्थापित कर सहकारी शिक्षा के लिए संगठित प्रयास किये गये।
- सन् 1918 में "शाही कृषि आयोग" का कहना था कि सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए संस्थागत कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाये।
- प्रांतीय सहकारी संस्था ने बम्बई में अपने तीन भाषाई क्षेत्रों में तीन प्रशिक्षण स्कूल खोले गये है।
- भारत सरकार द्वारा सहकारी प्रशिक्षण सुविधाओं का अध्ययन करने के लिए सन् 1945 में सहकारी योजना समिति का गठन किया गया।
- स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया।
- सन् 1951 में रिज़र्व बैंक ने एक सम्मलेन बुलाया, जिसमे यह निष्कर्ष निकला कि रिज़र्व बैंक को सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण योजना बनाई जाये, इसके अन्तर्गत "सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय" पूना प्रारम्भ किया गया।
- सहकारी प्रशिक्षण व शिक्षा के विकास के लिए सन् 1953 में "एक सहकारी प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय समिति" का गठन किया गया।
- समिति के गठन के साथ दो प्रकार की व्यवस्थायें रखी गई (1) सहकारी विभाग व हमारी संस्थानों में कार्यरत मध्यम व उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, इसका भार रिजर्व बैंक उठायेगा। (2) सहकारी विभाग व सहकारी संस्थाओं में कार्यरत निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान की जायेगी जिसके लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को वित्तिय सहायता देगी।
- सहकारी संस्थाओं व सहकारी विभाग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक समन्वित योजना तैयार की जिसमे निम्न बातों पर गौर किया गया :- (1) दृष्टि से सहकारी कर्मचारियों को उच्च, मध्यम तथा अधीनस्थ वर्ग में विभाजित करना (2) मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। (3) वर्तमान पूना सहकारिता महाविद्यालय का विस्तार कर उसे अखिल भारतीय संस्था बनाना। (4) अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर कार्यक्रम बनाना।

- समिति में खण्ड विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक अलग योजना बनाई ओर विभिन्न विभागों में 8 प्रशिक्षण केंद्र खोले।
- सन् 1953 से भूमि विकास बैंक, सहकारी विपणन समितियों एवं औद्योगिक सहकारी समितियों के लिए विशेष पाठयक्रम आरम्भ किये गये।

23.7 सहकारी प्रशिक्षण पर अध्ययन दल (Study Team on Co-operative Training)

श्री एस.डी. मिश्रा की अध्यक्षता में नवम्बर, 1960 में एक अध्ययन दल गठित किया जिसे सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण पर रिपोर्ट देनी थी, इसने 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश कर सुझाव दिया कि सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण का कार्य "भारतीय सहकारी संघ" द्वारा किया जाये, इस दल ने वर्तमान सहकारी प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय समिति के स्थान पर 'राष्ट्रीय परिषद्' की स्थापना का सुझाव दिया और सहकारिता मंत्री सम्मलेन में विचार विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिये:-

1. राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशासन व संचालन का कार्य सहकारी संस्थायें करेगी।
2. मध्यम व निम्न श्रेणी के प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशासन का कार्य राज्य सहकारी संघ करेंगे।
3. केन्द्रीय स्तर पर शिक्षण व प्रशिक्षण का कार्य राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा किया जायेगा।
4. सहकारी समस्याओं के अध्ययन के लिए अनुसन्धान कार्यों को बढ़ावा दिया जाकर उनमें समन्वय स्थापित हो।
5. सहकारी विभागों एवं संस्थाओं के उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर संस्थान चलाये जाने चाहिए।
6. समस्त सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के एकीकरण के लिए केंद्रीय संघ उत्तरदायी होगा।
7. सम्मेलन में अध्ययन दल द्वारा सुझाये गये सहायता कार्यक्रमों को स्वीकार किया गया।

इन सभी सुझावों को मानते हुए सरकार ने इन कार्यों की देखभाल के लिए संघ ने 'सहकारी प्रशिक्षण समिति' का गठन किया और उन्हें प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य सौंपें।

23.8 राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् (National Council for Co-operative Training)

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन 'राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद' द्वारा किया जाता है, हमारे देश में सहकारी पदाधिकारियों के उच्च वर्ग को प्रशिक्षण देने का कार्य 'वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान' (VMNICM) पूना द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

छठी पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधनों के विकास व सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास पर विशेष बल दिया गया इस समय में श्री वैकुण्ठ मेहता सहकारी प्रबन्धन संस्थान ने 17 सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं 93 अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं में 5165 वरिष्ठ अधिकारियों, 38137 मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

सातवीं योजना में वैकुण्ठ मेहता संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता 5,000 से बढ़ाकर 6,000 व्यक्ति करने का निश्चय किया गया और विद्यमान 17 प्रशिक्षण महाविद्यालय कि क्षमता का विस्तार किया गया।

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् देश के सहकारी क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के सहकारी प्रशिक्षण के संगठन, निर्देशन, प्रबोधन एवं मूल्यांकन की व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी है, परिषद् का मुख्य उद्देश्य आवश्यकता पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन करना और देश की सहकारिताओं में मानव संसाधन विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है, यह सहकारी आन्दोलन के विवेचनात्मक क्षेत्रों में अनुसन्धान करने पर विचार करती है।

23.9 राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् के प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Programme of NCCT)

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् की यह नीति रही कि वह उपयोगी संगठनों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करे, प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची को समय से पहले तैयार करके सहकारी समिति में पंजीयक की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में रखा जाता है और आवश्यकता के अनुरूप कार्यक्रमों को सुगठित रूप देने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

23.10 वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण (Training of Senior Officers)

सहकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था 'सहकारी प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय समिति' (Central Committee for Co-operative Training) द्वारा की जाती है। 'सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय' पूना का पुर्नगठन कर केन्द्रीय समिति ने इसे अखिल भारतीय स्तर का दर्जा दिया तथा इसका नया नाम राष्ट्रीय सहकारी महाविद्यालय व अनुसन्धान संस्थान रखा गया। इसका समस्त व्यय रिजर्व बैंक द्वारा वहन किया जाता है। इसमें अनुभवी अधिकारियों को ही प्रवेश दिया जाता है। यह संस्था 10 माह का बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित करती है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिये यह संस्था अभिस्थापन पाठ्यक्रम (Orientation Course) तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिये नवीन पाठ्यक्रम (Refresher Courses) आयोजित करती है। यह संस्था सहकारिता विकास सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित करने तथा शोध एवं क्षेत्रीय अध्ययन को व्यवस्था भी करती है।

23.11 मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों का प्रशिक्षण (Training of Middle Class Employees)

पूना, मद्रास, रांची, मेरठ और इन्दौर में मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के लिये (खंड विस्तार अधिकारियों को छोड़कर) 5 क्षेत्रीय संस्थायें थी। बैंक इन संस्थाओं का खर्चा बहन करता था। इन संस्थाओं का प्रशासन केन्द्रीय समिति द्वारा किया जाता था। खण्ड विस्तार अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये 8 प्रशिक्षण केन्द्र तिरूपति, कल्याणी, गोपालपुर, फैजाबाद, कोटा, हैदराबाद, भावनगर और पटियाला में स्थापित किये गये। आगे चलकर इस अन्तर को समाप्त कर दिया गया तथा पूना संस्थान के अतिरिक्त सभी केन्द्रों को सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र का दर्जा दिया गया। इन केन्द्रों पर सहकारी सब-रजिस्ट्रार, सहकारी निरीक्षक केन्द्रीय सहकारी बैंक व अन्य सहकारी संगठनों के जिला स्तरीय प्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक व लेखाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है । सहकारी प्रशिक्षण समिति द्वारा कार्यक्रम हाथ में लेने के पश्चात इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया। इस दल ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्गठन करने, प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या बढ़ाने, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण करने सम्बन्धी अनेक सुझाव दिये। इन सुझावों को सरकार द्वारा मान लिया गया। अब मध्यम श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पूना, मद्रास, पटना, बंगलौर, हैदराबाद, इन्दौर, बल्लभ विद्यानगर, कल्याणी, कोटा, फैजाबाद, गोपालपुर और पटियाला में स्थित प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इनके लिये 36 सप्ताह का सामान्य मूल पाठ्यक्रम (General Basic course) चलाया जाता है। इस अवधि में 24 सप्ताह का सैद्धान्तिक निर्देशन तथा 12 सप्ताह का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसके अलावा भूमि विकास बैंक, औद्योगिक सहकारिता, सहकारी विपणन, अंकेक्षण तथा सहकारी बैंकिंग के लिए 10 से 18 सप्ताह के डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं। यह सुविधा कुछ चुने हुए महाविद्यालयों तक ही सीमित है।

23.12 कनिष्ठ कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण (Training of Junior Employees)

कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों में लेखापाल, क्लर्क, अंकेक्षक, सुपरवाइजर आदि होते हैं। उनके प्रशिक्षण के लिये राज्य स्तर पर प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। इन केन्द्रों पर उनके लिये बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ।इस पाठ्यक्रम की अवधि 6 माह है। इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सहकारिता का इतिहास व सिद्धान्त, सहकारी कानून, बैकिंग, लेखापालन व्यवस्था, अंकेक्षण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था व कृषि तथा समितियों के सामान्य प्रबन्ध सम्बन्धी विषय सम्मिलित हैं। इसके अलावा 8 सप्ताह की अवधि के अल्पावधि पाठ्यक्रम भी चालू हैं। इन केन्द्रों का संचालन राज्य सरकार करती है । इनके व्यय का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार वहन करती है तथा केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति द्वारा इनके निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है। पाठ्यक्रम की अवधि 6 से 9 माह के बीच होती है। सहकारी उपभोक्ता भण्डार के कनिष्ठ कर्मचारियों के लिये 3 सप्ताह का विशेष पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

23.13 वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान, पुणे (Vaikunth Mehata National Institute)

यह सहकारी क्षेत्र का प्रमुख संस्थान है, यह भारत के सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयासरत है। इस संस्थान द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है :-

A. **प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम):** 1993-94 में यह कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को सहकारी उद्यम के प्रबन्ध हेतु आवश्यक जानकार कौशल एवं व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना था।
B. **सहकारी व्यवसाय प्रबन्ध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम (डीसीबीएम):** संस्था के आरम्भ होने से ही 36 सप्ताहों की अवधि वाले सहकारी व्यवसाय प्रबंध में डिप्लोमा पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, यह पाठ्यक्रम सहकारी सगंठनों एवं सहकारी विभागों में कार्यरत वरिष्ठ स्तरीय सेवारत कार्मिकों के लिए है।
C. **प्रबन्ध विकास कार्यक्रम:** संस्थान द्वारा विभिन्न क्षेत्रों यथा सहकारी कानून, विपणन क्रेडिट, बैंकिंग डेयरी, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी आदि तथा सामयिक मुद्दों यथा ग्लोबल वार्मिंग, ऊर्जा संरक्षण, कॉरपोरेट गवर्नेन्स, सूचना प्रोद्योगिकी सुरक्षा, माइक्रो वित्त, नेतृत्व में ऊर्जा के मुद्दों, ई-व्यवसाय आदि में विविध प्रबंध विकास कार्यक्रम आयोजित करता है।

23.14 क्षेत्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान (Regional Co-operative Management Institution)

बैंगलोर, चंडीगढ़, गांधीनगर, कल्याणी व पटना स्थित क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थानों द्वारा क्षेत्रीय डिप्लोमा कार्यक्रम, सहकारी बैंकिंग, शहरी सहकारी बैंकिंग, कृषि ग्रामीण विकास बैंक, सहकारी विपणन, सहकारी लेखा परीक्षा, उपभोक्ता सहकारिताएं औद्योगिक सहकारिताएं, हथकरघा सहकारिताएं, सहकारी विपणन एवं प्रसंस्करण कंप्यूटर आदि क्षेत्र में आयोजित किये जाते हैं।

23.15 सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण की समस्याएँ (Problems of Co-operative Education and Training)

यद्यपि हमारे देश में सहकारी शिक्षण व प्रशिक्षण के अनेक प्रयास हुए परन्तु फिर भी हम जनता व सदस्यों को सहकारिता से भली-भांति परिचित कराने में असमर्थ रहे हैं, सहकारी आन्दोलन के लिए उचित व कुशल नेतृत्व का अभाव रहा है, भारत में सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित समस्याएँ महत्वपूर्ण है :-

1. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता है, सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अधिक व्यय करने में असमर्थ होती है, सरकार इस ओर धन व्यय करने में कम रूचि दिखाती है।
2. सहकारी समितियाँ अपने कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में विशेष रूचि नहीं लेती है, प्रशिक्षण की अवधि के दौरान पदाधिकारियों को कार्यभार से मुक्त करना पड़ता है, उनके पास वित्त के अभाव में वैसे ही बना रहने के कारण कर्मचारियों की कमी होती है।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करते समय भी सहकारी विभागों से किसी प्रकार की सलाह नही ली जाती तथा सहकारी अधिकारियों में कार्य की प्रगति और समस्याओं की रिपोर्ट उपलब्ध करवाने आदि की प्रेरणाओं का अभाव पाया जाता है जो प्रशिक्षण व अनुसंधान से ही सम्भव है।
4. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण की सबसे बड़ी बाधा यह है कि इसमें जनसहयोग न के बराबर होता है, अधिकांश जनता अशिक्षित है जो सहकारी आन्दोलन को जनआन्दोलन न मानकर सरकारी आन्दोलन मानती है।
5. हमारे देश में योग्य प्रशिक्षक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, और सहकारी क्षेत्र के वेतनमान अन्य क्षेत्रों से बहुत कम है, अत:प्रशिक्षक दूसरे क्षेत्रों की ओर चले जाते है और वास्तव में प्रशिक्षकों को सहकारी संगठन की मूल परेशानियों का ज्ञान नहीं होता।
6. देश में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा संचालित शिक्षा कार्यक्रमों की प्रगति व मूल्यांकन करने के लिए कोई स्वतन्त्र संस्था नही है, जिसके कारण न तो केन्द्र को अपनी कमियों का पता होता है और न ही सुधार होता है अतः ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्वतंत्र रिपोर्ट के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया जाये जो आवश्यक सुझाव दे सके।
7. नियोजित प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही होने के कारण लम्बे समय के बाद भी प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव बना हुआ है, अत: प्रशिक्षण की व्यापक योजना बनानी चाहिए।
8. ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्वार्थी व प्रभावशाली व्यक्ति जैसे- महाजन, व्यापारी, बड़े किसान अपने निजी स्वार्थ के कारण सहकारी शिक्षा का प्रचार नही होने देते है ये जनता को भ्रामक प्रचार तथा गुमराह करते है।

23.16 सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए सुझाव (Suggestions for Co-operative Education and Training)

सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए निम्नांकित सुझाव दिए जा सकते है :-

1. सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिये व्यवस्थित एवं नियोजित कार्यक्रम चलाया जाये जिससे समय पर पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो पायेंगे, सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए सहकारी समितियाँ धन एकत्र कर संघों को प्रदान करें, सरकार भी सहयोग दे जिससे धन की कमी न रहे।
2. सहकारी प्रशिक्षण के लिए सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन आवश्यक है, इससे जनता को शिक्षित कर सहकारिता के प्रति जागरूकता पैदा होगी, इसे स्कूल, कॉलेज में नियमित रूप से एक विषय के रुप में भी पढ़ाया जा सकता है।
3. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण का कार्य जहाँ भी चला है उनके मूल्याकंन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, इनके मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र अध्ययन दल नियुक्त किया जाये जो इनकी कमियों को दूर कर सकें।
4. सहकारी प्रचार व प्रसार के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, रेडियोसिनेमा ,टेलिविजन ,, सहित अनेक माध्यमों से प्रचार-प्रसार पर बल देना चाहिए।
5. सहकारी क्षेत्र में अनुसन्धान अत्यंत आवश्यक है नये नये अनुसन्धान कार्यक्रमों के संचालन से जो व्यावहारिक कठिनाइयों को आसानी से हल किया जा सकेगा।

6. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सरकार को पर्याप्त योगदान देना चाहिए, सरकार को प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के साथ वित्तिय साधन उपलब्ध करवायें।
7. जिस क्षेत्र में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाये, उसी क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाना चाहिए।
8. प्रशिक्षण के लिये अधिकाधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार गारंटी देनी चाहिए।
9. जिन राज्यों में अप्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या अधिक हो वहाँ अल्पावधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाए, साथ ही तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाये।
10. राज्य सरकारों व राज्य संघों को सहकारी प्रशिक्षण के लिए भवन, छात्रावास, तथा कर्मचारियों के लिए क्वाटरों की व्यवस्था करनी चाहिए।
11. प्रशिक्षण के लिए योजनायें बनाने से पूर्व मानव शक्ति का नियोजन पर ध्यान दिया जाए तथा कुशल पदाधिकारियों एवं प्रशिक्षण केंन्द्रो से सहयोग प्राप्त करना चाहिए।
12. सहकारी प्रशिक्षण की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए प्रत्येक राज्य में 4 क्षेत्रीय संस्थाएँ होनी चाहिए।
13. सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान एक दूसरे के पूरक एवं प्रतिपूरक है इसलिए इनके विकास के लिए रणनीतियाँ साथ बने।
14. सहकारी क्षेत्रों में मानव शक्ति नियोजन बनाने, उसके विकास, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के लिए समन्वित कार्यक्रम तैयार किया जायें।
15. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों प्रबन्धकों का एक ऐसा दल बनाया जाये जो शिक्षा व प्रशिक्षण के वर्तमान स्वरुप की जांच कर सुधार का सुझाव देवें।

23.17 राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ को ऑपरेटिव एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट (राइसेम) जयपुर (Rajasthan Institute of Co-operative Education and Management)

i. **सामान्य परिचय:** राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ को ऑपरेटिव एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट (राइसेम) का गठन राजस्थान सोसायटिज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत वर्ष 1990 में सहकारिता क्षेत्र में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण व अनुसन्धान के लिए एक उपयोगी एवं दृढ़ संकल्पित प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया गया। इसका मुख्य उदेश्य उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे नवीन चुनौतियों के अनुरुप सहकारिता की महता बनाये रखने के लिए सहकारिता आन्दोलन की उतरोत्तर प्रगति के लिए व्यावसायिक प्रबंध एवं दक्ष कार्मिक वर्ग को तैयार करना है।

ii. **प्रबन्ध:** प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता संस्था के अध्यक्ष है, रजिस्ट्रार, सहकारिता उपाध्यक्ष है एवं विभिन्न शीर्ष संस्थाओं के प्रमुख 'राइसेम' की गवर्निंग बॉडी के सदस्य है, विभाग के सीनियर अतिरिक्त रजिस्ट्रार स्तर के अधिकारी 'राइसेम' के निदेशक व सदस्य सचिव है।

iii. **गतिविधियाँ:** वर्तमान में राज्य जिला एवं खण्डीय स्तर की सहकारी संस्थाएं 'राइसेम' की सदस्य है, संस्थान ने प्रशिक्षणार्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु आधुनिक तकनीकों यथा ऑडियो-विसुअल, एलसीडी प्रोजेक्टर, ओ.एच.पी. का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ योगा, आर्ट ऑफ़ लिविंग से भी लाभान्वित किया जाता है, प्रशिक्षणार्थियों को नवीन सूचना प्रौद्योगिकी में भी पारंगत किया जाता है।

iv. **राइसेम द्वारा गत वर्षों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम :** राइसेम द्वारा सामान्य बैंकिंग, मानव संसाधन विकास, व्यक्तित्व विकास, परियोजना प्रबन्धन, आजीविका स्वयं सहायता समूह कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम, सरकारी कानून, डेयरी विकास, कार्यालय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, व्यवसाय विविधिकरण एवं मार्केटिंग प्रबंधन, महिला सहकारी समितियाँ, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, आईसीडीपी कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार व व्यवसाय वृद्धि आदि विषयों पर विगत वर्षों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्गवार विवरण निम्नानुसार है : -

टेबल संख्या - 1

वर्ष	सेमीनार/वर्कशॉप	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
2014-15	-	119	3477
2015-16	-	86	3750
2016-17	-	105	3764
2017-18	2	95	4436
2018-19	2	71	2558

23.18 सहकारिता शिक्षा वर्तमान दौर में (Co-operative Education in the Present Era)

- केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गत दिनों मुंबई में ऐलान किया था कि जल्द ही सहकारिता प्रशिक्षण के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की जायेगी, इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में कॉलेज भी खोले जायेंगे शाह पुणे के वैकुण्ठ मेहता सहकारी प्रबंधन संस्थान के दीक्षांत समारोह 2021 को संबोधित क्र रहे थे।
- कोरोना काल में समारोह विभाग ने अपने कार्मिकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया, अजमेर सहित इस प्रशिक्षण में 40 सहकारी कार्मिकों ने भाग लिया।

23.19 सारांश (Conclusion)

हमारे देश में राज्यों और सहकारी विभागों के कर्मचारियों, समितियों व सदस्यों के प्रशिक्षण की जो सुविधाएँ उपलब्ध है वे पर्याप्त मात्रा में नहीं है, सरकारी आन्दोलन के स्वस्थ विकास के लिए समितियों के कर्मचारियों एवं सदस्यों को सरकारी सिद्धांतों का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है, देश में सहकारी आन्दोलन कार्यविधि को विकसित करने की आवश्यकता है तथा जनता में सहकारिता के प्रति रुचि पैदा करने के लिए प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, अखिल भारतीय साख सर्वेक्षण समिति ने कहा था कि" ,अन्य किसी भी बात पर इतना अधिक बल नहीं दिया जा सकता जितना की सहकारिता की सफलता हेतु उचित योग्यता के मनुष्यों को खोजने और उन्हें उचित प्रशिक्षण देने पर दिया जाये ।"स्वीडन के विख्यात कार्यकर्ता का कहना है, "कि यदि हमें अपना आन्दोलन नये सिरे से चलाना पड़े और यदि दो विकल्प हो, पूंजी के साथ किन्तु विवेकशील सदस्यता के बिना या विवेकशील सदस्यता के साथ पूंजी के बिना, में से किसी एक को चुनने के लिए, तो हमारा अनुभव हमें दूसरे विकल्प को चुनने की प्रेरणा देगा।"

सहकारी आन्दोलन की मूल सफलता अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण को एक अनिवार्य सिद्धान्त के रुप में स्वीकार किया जाना चाहिए तभी सहकारी आन्दोलन सफल हो सकता है अन्यथा नही, प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को उसके कार्यक्षेत्र का अलग-अलग प्रशिक्षण देना अनिवार्य है।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

1. सहकारी शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
2. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए कोइ दो सुझाव लिखिए।
3. सन 1915 में कौनसी समिति ने सहकारी आन्दोलन की शिक्षा पर बल दिया?
4. सहकारी प्रशिक्षण कितने प्रकार से प्रदान किया जाता है? उनके नाम लिखो।
5. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण की कोई दो समस्याएँ बताइए।

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

1. वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान पुणे द्वारा कौन-कौनसे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया?
2. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा किये गये दो प्रयास लिखिए।
3. राइसेम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
4. प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम कब शुरू किया गया?
5. वर्तमान में सहकारी शिक्षा की आवश्यकता पर कोई दो बिंदु लिखिए।

20.20 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अध्ययन के बाद विद्यार्थी निम्नलिखित बिन्दुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे –

1. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के बारे में।
2. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद् के बारे में।
3. वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान, पुणे के बारे में।
4. क्षेत्रीय सहकारी प्रबंध संस्थान के बारे में।
5. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण की समस्याओं के बारे में।
6. वर्तमान समय में सहकारी शिक्षा की आवश्यकता के बारे में।

23.21 शब्दकोष (Glossary)

- **इर्द-गिर्द -** चारों तरफ
- **हथकरघा** – हाथ/व्यक्तिगत कौशल से निर्माण की जाने वाली वस्तु (मशीनों से नहीं)
- **रणनीतियाँ** - उचित स्थान पर उचित कार्य को करने की कला रणनीतियाँ कहलाती है।

23.22 स्वपरख प्रश्न (Self-Test Questions)

1. 'सहकारी प्रशिक्षण' से आप क्या समझते हैं? (What do you understand by Co-operative Training)
2. 'सहकारी शिक्षा के महत्त्व' के कोई पाँच बिंदु बताइए। (Give any five points of 'Importance of Co-operative Education')

3. 'सहकारी संस्था के कार्यक्षेत्र के अन्दर प्रशिक्षण' से क्या अभिप्राय है। (What is meant by Training within the scope of Co-operative Society)
4. टिप्पणी लिखो (Write Short note on) :
   i. वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी संस्थान, पूणे (Vaikunth Mehata National Institute of Co-operative, Pune.)
   ii. राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ को-ऑपरेटिव एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट (राइसेम) (Rajasthan Institute of Co-operative Education and Management)
5. सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए सुझाव दीजिये। (Give the suggestions for Co-operative education and training.)

23.23 संदर्भ व ग्रन्थसूची (References & Bibliography)

- बी.पी. गुप्ता – "सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार", "रमेश बुक डीपो", जयपुर
- स्वामी, गुप्ता- "ग्रामीण विकास एवं सहकारिता", "रमेश बुक डिपो", जयपुर
- भगवान दास केला- "सहकारिता के सिद्धांत" ई-पुस्तकालय

23.24 अन्य पठन सामग्री (Other Reading Material)

1. एन.सी.आर.टी. "कक्षा XI" वाणिज्य व्यवसाय अध्ययन "अध्याय 2" व्यावसायिक संगठनों का रूप।
2. राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001।
3. भारतीय सहकारिता आन्दोलन – श्री शंकर सहाय सक्सेना।
4. कृषि वित्त और सहकारिता – एकिनिक पब्लिकेशन्स डॉ. वनपाल कुमार बोयल, डॉ. अशोक कुमार

23.25 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources/Links)

- https://hindi.asianetnews.com/
- http://ncct.ac.in/en
- https://rajsahakar.rajasthan.gov.in/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_learning
- https://epustakalay.com/

इकाई – 24

राज्य और सहकारिता

(State and Co-operation)

इकाई की रूपरेखा (Outline of Unit)

24.0 उद्देश्य

24.1 प्रस्तावना

24.2 सहकारिता के विकास में राज्य की भूमिका

24.3 सहकारी विभाग एवं रजिस्ट्रार

24.4 रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग के कार्य

24.5 सहकारी विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

24.6 राज्य संरक्षण एवं सहकारिता आंदोलन

24.7 राज्य सहायता का औचित्य

24.8 सारांश

24.9 अधिगम परिणाम

24.10 शब्दकोष

24.11 स्व-परख प्रश्न

24.12 संदर्भ एवं ग्रंथ सूची

24.13 अन्य पठन सामग्री

24.14 वेब संसाधन/लिंक

24.0 उद्देश्य (Objective)

इस इकाई के माध्यम से हम विद्यार्थियों को राज्य और सहकारिता का परिचय देना चाहते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश शासन काल में जनता की अज्ञानता व अशिक्षा को दूर करने के लिए सहकारिता की स्थापना की गयी। इस इकाई के द्वारा सहकारिता को नैतिक, वित्तीय व वैधानिक समर्थन, सहकारी विभाग का संचालन, राज्य की साझेदारी, सहकारी विभाग का ढाँचा व संगठन और राज्य सहायता का औचित्य आदि का अध्ययन किया गया है। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आप यह निर्णय लेने में सक्षम हो पायेंगे कि भारत जैसे देश में सहकारिता आंदोलन के विकास में राज्य सहायता की किस सीमा तक आवश्यकता है।

24.1 प्रस्तावना (Introduction)

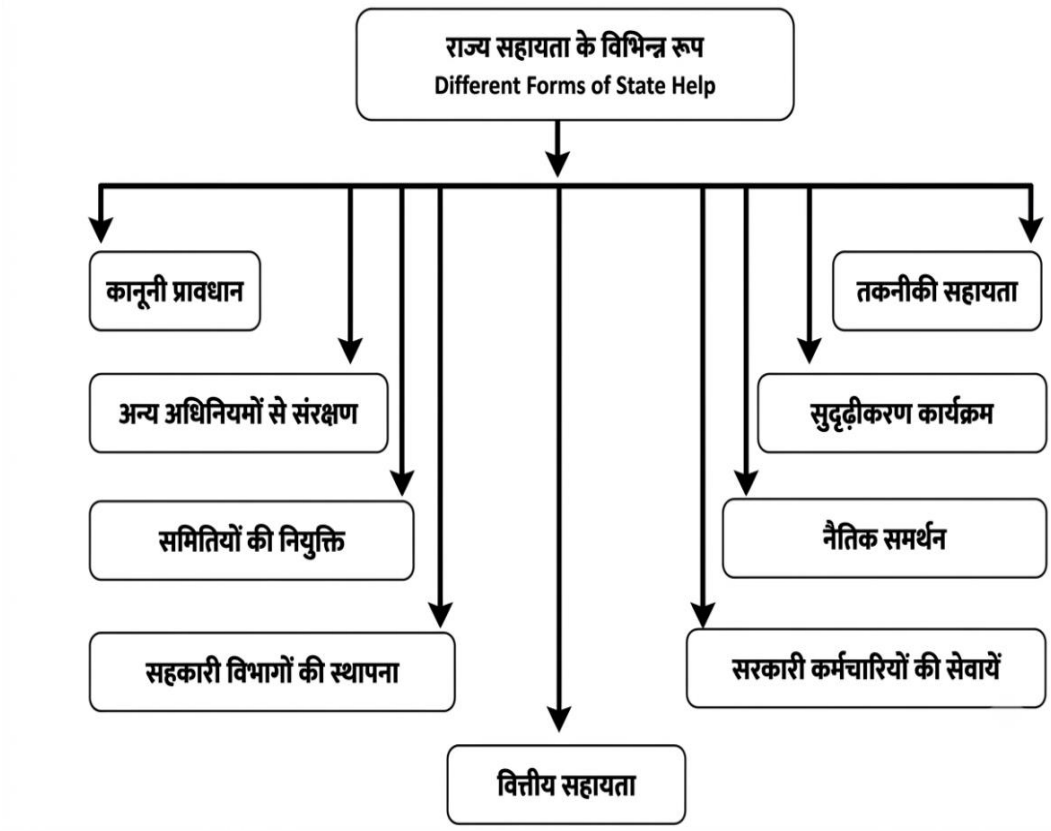
ब्रिटिश शासनकाल के भारत में स्थापित होने के बाद सर्वत्र निर्धनता, अज्ञानता, अशिक्षा फैली हुई थी। तब ऐसे समाज को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों तथा पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराने का एकमात्र मार्ग सहकारिता का विकास

ही था। परन्तु उस समय लोगों में आत्मविश्वास की भावना का अभाव होने के कारण सहकारी आन्दोलन राज्य के समर्थन के बिना संभव नहीं था। अत: सर्वप्रथम भारत के एक सहकारी अधिकारी सर निकल्सन ने भारत सरकार के समक्ष सरकार के संरक्षण में सहकारी आंदोलन आंरभ करने की योजना रखी थी। बाद में समय-समय पर अनेक समितियों तथा विशेषज्ञों ने भी कृषकों की आर्थिक दशा सुधारने तथा उनकी साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहकारी संरक्षण के अंतर्गत ही सहकारी आंन्दोलन के विकास पर ही बल दिया। वास्तव में इस दिशा में पहल करने का श्रेय सरकार को है और यह उसके द्वारा प्रदान की गयी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का ही फल है कि भारत में यह आंदोलन इतनी प्रगति कर सका। चूंकि सहकारिता एक स्वैच्छिक संगठन है, अत: इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सहकारी संगठन को भी सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। संभवत: इसी कारण सहकारी आन्दोलन के विकास में राज्य की भूमिका को इंगित करते हुए मिर्धा समिति (1964) ने कहा था कि राज्य को सहकारी आन्दोलन को नियंत्रित करने की बजाय उसकी अभिवृद्धि करनी चाहिये।

24.2 सहकारिता के विकास में राज्य की भूमिका (Role of State in the Development of Co-operation)

भारत में सहकारिता के विकास में राज्य अर्थात सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार इस हेतु न केवल वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है बल्कि तकनीक, शिक्षा व प्रशिक्षण के माध्यम से भी जुड़ी रहती है। राज्य की उक्त भूमिका को एक चार्ट की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है :-

चित्र संख्या -1



(1) **कानूनी प्रावधान (Legal Provisions):** सहकारिता के विकास के लिए राज्य या सरकार को कानूनी व्यवस्था करनी चाहिए। विधान द्वारा मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् सहकारी समितियों का उचित विकास किया जा सकता है।

(2) **अन्य अधिनियमों से संरक्षण (Protection Against Other Acts.):** राज्य सहकारी समितियों को अन्य विभागों द्वारा लगाई गई रोको से संरक्षण प्रदान करता है। जैसे- ऋण मुक्ति अधिनियम एवं साहूकार अधिनियम। क्योंकि ये अधिनियम भी सरकार द्वारा ही बनाये जाते हैं, अत: वह सहकारी समितियों को इनसे मुक्त रख सकती है।

(3) **समितियों की नियुक्ति (Appointment of Committees.):** जैसे-जैसे सहकारी आन्दोलन का विकास हुआ उसमे बाधाएं उपस्थित हुई। उन बाधाओं के निराकरण के लिए सरकार ने विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति की। विशेषज्ञ समितियाँ आन्दोलन के विकास सम्बन्धी सभी परिस्थितियों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देती है। सरकार उनके उचित सुझावों को स्वीकार करती है तथा उनके अनुसार सहकारिता को संगठित और व्यवस्थित करती है।

(4) **सहकारी विभाग की स्थापना (Establishment of Co-operative Department):** केन्द्र सरकार द्वारा सहकारी विभाग की स्थापना की गई है। राज्य सरकारों द्वारा भी अपने राज्यों में सहकारी विभागों की स्थापना की गई है। सहकारी विभाग में बडी संख्या में स्टाफ रखा जाता है जो सहकारी समितियों को नि:शुल्क सेवा प्रदान करता है। इस विभाग के कर्मचारियों द्वारा समितियों का अंकेक्षण, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण किया जाता है।

(5) **तकनीकी सहायता (Technical Assistance):** राज्य सरकारें तकनीकी, शिक्षा व प्रशिक्षण की दिशा में आवश्यक व्यवस्था करती है। सरकार सहकारी समितियों को विशेषज्ञों की सेवाएं, तकनीकी सहायता, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रचार-प्रसार की सुविधाएं प्रदान करती है।

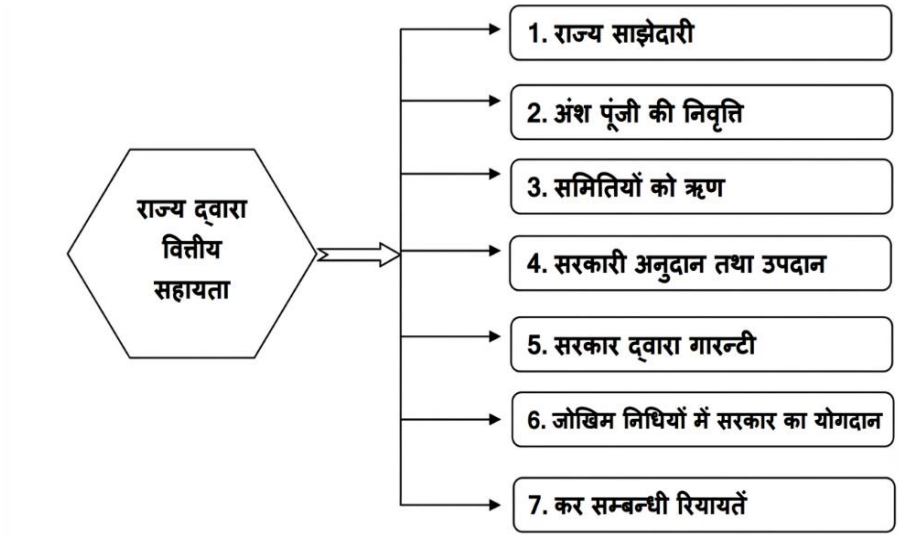
(6) **सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं (Services of Government Employees):** सहकारी विभाग की स्थापना ही इस उद्देश्य से की गई है कि उसके कर्मचारी सहकारी समितियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकें। इस विभाग के कर्मचारी अपनी विभिन्न प्रकार की सेवांए नि:शुल्क प्रदान करते हैं।

(7) **नैतिक समर्थन (Moral Support):** सरकार द्वारा सहकारिता के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से नैतिक समर्थन दिया जाता है। अधिनियम पारित करके, अध्ययन दल व विशेषज्ञ समितियों का गठन करके, ऋणों की गारंटी देकर, अंशपूंजी में हिस्सा लेकर जैसे अनेक तरीकों से सरकार ने सहकारिता के बिकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

(8) **सुदृढीकरण कार्यक्रम (Stabilization Programme):** सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-74) से सुदृढ़ीकारण कार्यक्रम को व्यापक रूप प्रदान किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी दो या दो से अधिक समितियों को मिलाकर उनका एकीकरण किया गया जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थी।

(9) **वित्तीय सहायता (Financial Assistance):** चूंकि सहकारी आंदोलन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग का आंदोलन है, अत: सरकार विभिन्न व्ययों की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्तीय सहायता के रूप हो सकते हैं जो एक चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

चित्र संख्या -2



1. **राज्य की साझेदारी (State Partnership):** ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने बड़े आकार की साख समितियों की स्थापना तथा प्रवर्तन के लिए सहकारी समितियों की अंशपूंजी में बड़े पैमाने पर राज्य की साझेदारी का सिद्धांत अपनाये जाने की सिफारिश की थी ताकि इसके अंतर्गत छोटे आकार वाली समितियां शामिल की जा सके और वे एक उचित समय में आर्थिक इकाइयां बन सके। इसके साथ ही केन्द्रीय बैंकों तथा शीर्ष सहकारी बैंकों में भी राज्य साझेदारी को एक सामान्य नीति के रूप में स्वीकार कर लिया गया। राज्य सरकारों को अंश पूंजी में भाग लेने के लिए आवश्यक धन रिजर्व बैंक से प्राप्त होता है। परन्तु अब आर्थिक एवं समर्थ समितियां ही आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। राज्य सरकारो को विपणन समितियों के अंशों को खरीदने के लिए धन योजना के साधनों में से दिया जाता है। इस दिशा में राज्य सरकारों को भारत सरकार की सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Co-operative Development Corporation) के माध्यम से प्रदान की जाती है।
2. **अंश पूंजी की निवृति (Retirement of Share Capital):** जहां एक ओर राज्य साझेदारी की नीति का उद्देश्य समितियों के पूंजी साधनों तथा उनकी ऋण लेने की शक्तियों को सुदृढ करना हैं वहीं दूसरी ओर उसका अन्तिम उद्देश्य यह भी है कि प्रत्येक समिति सदस्यों से एकत्रित की गयी अपनी निजी पूंजी बढ़ाये और जब वह उसे एक अनुकूलतम स्तर का संग्रह करने में समर्थ हो जाए, तब उसके बाद वह पूंजी के सहकारी भाग को कुछ वर्षो में निवृत्त करना आरम्भ कर दे। राज्य साझेदारी की अवधि तथा समितियों की पूंजी में सरकार के हिस्से की निवृति के तरीके में किसी प्रकार की कठोर नीति उचित नहीं समझी गयी।

   अखिल भारतीय ग्रामीण साख समीक्षा समिति(The All India Rural Credit Review Committee) की यह धारणा है कि ऐसी निवृत्ति की संभावना पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस समिति की राय में कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा उसके फलस्वरूप ग्रामीण आय तथा आधिक्य में वृद्धि के सन्दर्भ में इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या सदस्यों की अंश पूंजी नहीं बढायी जा सकती ताकि सरकार द्वारा पूंजी की निवृत्ति का कार्यक्रम एक निश्चित तरीके से आरम्भ किया जा सके। इस सन्दर्भ में समीक्षा समिति ने यह सुझाव दिया है कि इस कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए ऐसी संस्थाएं जिनके पास अनुकूलतम स्तर पर ऋण व्यवसाय करने के लिए आवश्यकता से अधिक निजी कोष है, उन्हें प्रति वर्ष अंश पूंजी की आवश्यकताओं की समीक्षा करने के बाद कुछ निश्चित वर्षो में सहकारी अंश पूंजी को लौटा देना चाहिए।

3. **समितियों को ऋण (Loans to Societies):** राज्य सरकारों द्वारा सहकारी साख समितियों के माध्यम से तकावी ऋण बांटे जाते हैं। महाराष्ट्र व गुजरात में राज्य सरकारों द्वारा तकावी ऋणों के स्थान पर सहकारी भूमि विकास बैंको के माध्यम से भूमि विकास कार्यक्रम आंरभ किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के लिए आवश्यक प्रावधान करके सरकार बैंक द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों की खरीद कर उन्हें आवश्यक वित्त उपलब्ध कराती है। राज्य सरकारों द्वारा सहकारी बैकों को अल्पकालीन ऋण भी दिये जाते है।

4. **सरकारी अनुदान तथा उपदान (Government Grants and Subsidies):** सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं को अनुदान प्रदान किये जाते हैं। सहकारी संस्थाओं को एक निश्चित समय तक जब तक कि वे आर्थिक इकाइयां नहीं बन जाती, उनके कर्मचारियों पर किये जाने वाले व्ययों की पूर्ति करने के लिए उपदान दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी अन्य योजनाएं भी है जिनके अंतर्गत केन्द्रीय तथा शीर्ष बैंकों को अतिरिक्त प्रशासनिक तथा पर्यवेक्षण कर्मचारियों को नियुक्त करने हेतु उपदान दिये जाते है ताकि वे अपने कार्यक्रम का विस्तार कर सकें। विपणन समितियों को प्रबन्धकीय उपदान श्रेणीकरण, कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उपकरण खरीदने, गोदाम किराये पर देने अथवा निर्माण करने तथा उपभोक्ता कार्यक्रमों को चलाने के लिए दिये जाते हैं।

इस प्रकार आवश्यकता के लिए धन की पूर्ति राज्य तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। जहां तक कृषि साख, विपणन तथा विधायन क्षेत्रों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के जरिये प्रवाहित होती है। अन्य प्रकार की सहकारी समितियों को राज्य तथा केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है।

वास्तव में उपदान के रूप में प्रदान की गयी आर्थिक सहायता का उद्देश्य योजना कार्यक्रमों के अंतर्गत स्थापित तथा मौजूदा समितियों को व्यवसाय विस्तार के कार्यक्रमों को हाथ मे लेने तथा प्रबन्धकीय क्षमता का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना है। समितियों को अपने प्रारम्भिक काल में इस प्रकार की सहायता की बहुत जरूरत होती है। परन्तु यह आवश्यक है कि उपदानों का उचित उपयोग किया जाये जिससे समितियां अन्त में आर्थिक क्षमता प्राप्त करने में समर्थ हो सके।

5. **सरकार द्वारा गारण्टी (Government Guarantees):** सरकार द्वारा सहकारिताओं को प्रदान की जाने वाली अधिक सहायता की एक अन्य विधि भी है जो अप्रत्यक्ष है। इस विधि के अन्तर्गत सरकार सहकारी समितियों की ओर से उनके द्वारा लिये गये ऋणों के मूल धन तथा ब्याज की अदायगी के लिए गारण्टी देती है। अल्पकालीन साख सीमाएं स्वीकृत करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया सम्बन्धित राज्य सरकार की गारण्टी पर जोर देता है। इसी प्रकार स्टेट बैंक शिखर विपणन समितियों की व्यावसायिक क्रियाओं के लिए निश्चित सीमाओं से अधिक स्वच्छ ऋण देने के संबंध में राज्य सरकार की गारण्टी की मांग करता है। केन्द्रीय भूमि विकास बैंको द्वारा बेचे जाने वाले ऋण पत्रों के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को गारण्टी देनी पड़ती है।

सरकार द्वारा दी जाने वाली गारण्टी का उद्देश्य ऋण देने वाली बाहरी संस्थाओं को यह विश्वास दिलाना है कि ऋणों का प्रयोग सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यों के लिए किया जायेगा तथा सरकार इस बात के लिए सतर्क रहेगी तथा इस संबंध में रूचि भी लेगी कि ऋण लेने वाली सहकारी संस्थाएं स्वतन्त्र व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार उन ऋणों का प्रयोग करेंगी। राज्य भी अपने सीमित साधनों के कारण सहकारी संस्थाओं की सहायता करने के लिए अपनी प्रतिष्ठा तथा शक्ति का प्रयोग करता है।

6. **जोखिम निधियों में सरकार का योगदान (Government Contribution in Risk Fund):** भारत में राष्ट्रीय नियोजन का उद्देश्य यह भी है कि समाज के दुर्बल वर्गों की सहायता इस प्रकार की जाये कि वे अपनी आय में वृद्धि करके अपना जीवन-स्तर ऊँचा उठा सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि ऋण देने वाली सहकारी संस्थाएं उत्पादन कार्यों के लिए ऐसे वर्गों को ऋण की सुविधाएं प्रदान करें।

7. **कर सम्बन्धी रियायतें (Tax Concessions):** सरकार द्वारा सहकारी समितियों को विभिन्न प्रकार की रियायतें प्रदान की जाती है। केन्द्रीय कानूनों में आय कर तथा उत्पादन कर में कुछ रियायतों की व्यवस्था है। राज्य कानूनों में स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क आदि से पूर्ण अथवा आंशिक छूट का प्रावधान है। इन रियायतों की सीमा सभी राज्यों में अलग-अलग हैं।

स्व-मूल्यांकन – प्रथम

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद जब सर्वत्र निर्धनता का साम्राज्य था, लोग साधनहीन हो गये थे और अधिकांश जनता अज्ञानता और अशिक्षा के अंधकार में डूबी हुई थी, तब अर्थव्यवस्था के दोषों तथा पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराने का एक मात्र मार्ग सहकारिता का विकास ही था। वास्तव में इस दिशा में पहल करने का श्रेय सरकार को है और यह उसके द्वारा प्रदान की गयी प्रेरणा एवं प्रोत्साहन का ही फल है कि भारत में यह आन्दोलन इतनी प्रगति कर सका। अत: इसी संदर्भ में ग्रामीण साख व कृषि साख आदि के लिए राज्य द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली वित्तीय सहायता से संबंधित मदों को समझाइए।

24.3 सहकारी विभाग एवं रजिस्ट्रार (Co-operative Department and Registrar)

भारत में सहकारी कार्यक्रम स्वत: आरम्भ नहीं हुआ था। अधिकांशत: इसकी शुरुआत सरकार द्वारा की गयी थी। Co-operative Societies Act, 1904 तथा 1912 के अंतर्गत राज्य सरकारों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सहकारी संस्थाएं उन क्षेत्रों में या समाज के उन वर्गों के हित के लिए संगठित होने क बाद आर्थिक इकाइयों के रूप में काम करें। इन अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के संबंध में आवश्यक नियम बनाने के लिए शक्तियां प्रदान की गयी। राज्य सरकारों ने झगड़ों के निपटारे, लाभ-वितरण की दशाओं, लाभांश की अधिकतम दर आदि के सम्बन्ध में आवश्यक उप नियमों का क्षेत्र निर्धारित किया। प्रान्तीय सरकारों द्वारा रजिस्ट्रारों तथा उनके अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी।

सहकारी विभागों के प्रशासनिक ढांचे में रजिस्ट्रार की स्थिति अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में सहकारी आंदोलन की सफलता मूलत: रजिस्ट्रार के रूप में एक उपयुक्त एवं कुशल व्यक्ति के चुनाव पर निर्भर है। सहकारी समिति एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रार के कार्यों में पंजीयन के लिए प्रार्थना पत्रप्राप्त करना, समिति के उपनियमों तथा उनके संशोधन की रजिस्ट्री करना, संपत्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन करना और अतिदेय ऋणों की सूची तैयार करना, यह देखना कि अधिनियम नियमों तथा उपनियमों का पालन किया जाता है या नहीं, मांग किये जाने पर विशेष रूप से निरीक्षण करना, समितियों को भंग करना, उनका समापन करना आदि शामिल हैं।

सहकारी प्रशासन पर समिति (Committee on Co-operative Administration) के श्ब्दों में "रजिस्ट्रार अब एक सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण माध्यम है जिसके द्वारा लोकतंत्रीय सरकार को अपनी उत्कृष्ट सामाजिक तथा आर्थिक आकांक्षाओं को नेतृत्व के परामर्श से निश्चित रूप देना पड़ता है। साथ ही उसे प्रशासनिक वास्वविकता बनाये रखना तथा लोकप्रिय सरकारों को उचित परामर्श देना पडता है।"

24.4 रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग के कार्य (Functions of Registrar and Co-operative Department)

रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग के कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है -

(1) वैधानिक कार्य (Statutory Functions)

(2) विकास एवं प्रवर्तन कार्य (Development and Promotional Functions)

(1) वैधानिक कार्य (Statutory Functions) : रजिस्ट्रार के वैधानिक कार्यों के अन्तर्गत वे समस्त कार्य आते हैं जिनका निर्धारण सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है जैसे – समितियों की रजिस्ट्री, उपनियमों का संशोधन, हिसाब-किताब का अंकेक्षण, समितियों की कार्यविधि की जाँच, झगड़ों का पंच फैसला अभिनिर्णयादेश की पूर्ति, समितियों का समापन आदि।

सहकारी विभाग का यह कर्तव्य है कि वह यह निश्चित करे कि सहकारी समिति केहिसाब-किताब का अंकेक्षणउस वर्ष, जिससे हिसाब सम्बंधित है, के अगले वर्ष में ही हो जाये। कुछ दशाओं में रजिस्ट्रार को किसी भी समिति की प्रबंधकारिणी समिति को भंग करने तथा उसके स्थान पर समिति के कार्यों के संचालन के सम्बन्ध में अन्य किसी भी प्रकार की व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त है। उसे यह भी देखना पड़ता है कि समितियों में झगडों को निपटारा शीघ्र हो जाता है तथा पंच फैसलों (awards) तथा आज्ञप्तियों (Decrees) का निष्पादन उचित ढंग से किया जाता है।

(2) विकास एवं प्रवर्तन कार्य (Developmental and Promotional Functions) : देश के नियोजित आर्थिक विकास में इन कार्यों का महत्व अधिक बढ़ गया है। अब सहकारी विभाग के लिए किसी सहकारी समिति का पंजीयन करने से पहले इस बात से संतुष्ट होना आवश्यक है कि वह सहकारी कार्यों तथा व्यावसायिक आदर्शों की पूर्ति करने में सफल होगी। विभाग का एक कर्तव्य यह भी है कि प्रत्येक स्थापित संस्था को विकास करने तथा समर्थ बनाने के लिए आवश्यक सहायता मिलने की सुविधाएं हैं या नहीं। इस विभाग से यह भी आशा की जाती है कि वह बतायें कि सहकारी उद्यम की अच्छी शुरूआत करने के लिए किस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था की जाय तथा सरकार के समक्ष इस संबंध में यह प्रस्ताव रखे कि प्रारंभिक पूंजी का कितना भाग उद्यम में लेने वाले सदस्यों द्वारा दिया जा सकता है तथा कितना भाग सरकार तथा अन्य बाहरी स्त्रोतों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

इस विभाग को एक ऐसा ढाँचा तैयार करने में भी सहायता करनी पड़ती है जिसमें सहकारी संस्था सहकारी सिद्धांतो को छोड़े बिना संतोषजनक ढंग से कार्य कर सके तथा अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सके। उसके सदस्य उपनियमों द्वारा निर्धारित अपने सहकारी उत्तरदायित्वों को निभाते हैं, इसके साथ उसका कर्तव्य यह देखना भी है कि समिति योजनाओं के अंतर्गत वित्त, साख, कच्चा माल, तकनीकी ज्ञान, विपणन आदि के सम्बन्ध में आवश्यक सहायता भी प्राप्त करती है। सहकारी प्रशासन समिति के शब्दों में, "सहकारी विभाग की प्रवर्तन तथा विकास संबंधी भूमिका इस प्रकार सहकारिताओं के सहकारी तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में है तथा वह बाहरी संस्थाओं, जिसमें सरकार के अन्य विभाग भी सम्मिलित है, और सहकारिताओं के मध्य सम्पर्क संस्था के रूप में भी कार्य करता है।"

स्व-मूल्यांकन – द्वितीय

सहकारी विभाग के प्रशासनिक ढांचे में रजिस्ट्रार की स्थिति अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। सहकारी आन्दोलन की सफलता रजिस्ट्रार के रूप में एक उपयुक्त एवं कुशल व्यक्ति के चनुाव पर निर्भर करती है। सहकारी विभाग का प्रमुख अधिकारी रजिस्ट्रार है। अत: देश की अर्थव्यवस्था के कुछ निश्चित क्षेत्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, सहकारी प्रयत्नों द्वारा विकास के लिए घोषित राज्य की नीति को कार्यान्वित करने वाले एक रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग के कार्यों को विस्तृत रूप से समझाइए।

24.5 सहकारी विभाग का संगठनात्मक स्वरूप (Organisational Setup of Co-operative Department)

सहकारी विभाग के कर्मचारियों के संगठनात्मक स्वरूप तथा इनकी संख्या में सभी राज्यों में समानता नहीं है। सहकारी आंदोलन में तीव्र गति से विकास होने के कारण शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हुआ है। अधिकांशत: राज्यों में अब रजिस्ट्रार का अधिकार केवल एक आन्दोलन पर नियंत्रण रखना है। रजिस्ट्रार की सहायता के लिए एक या अधिक, अतिरिक्त अथवा संयुक्त रजिस्ट्रार राज्य स्तर पर अन्य अधिकारी, जैसे मुख्य संकेतक, वित्तीय सलाहकार नियुक्त किये जाते हैं तथा उनमें उत्तरदायित्वों का विभाजन कार्य के आधार पर किया जाता है। कुछ राज्यों में रजिस्ट्रार तथा जिला अधिकारियों के मध्य स्तर पर अधिकारी भी नियुक्त किये गये हैं।

सभी राज्यों में सहायक रजिस्ट्रार या जिला सहकारी अधिकारी की श्रेणी का एक राजपत्रित अधिकारी जिले की सहकारिताओं का सामान्यतया कार्यभारी अधिकारी होता है। एक से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति, जहाँ सहकारी समितियाँ अधिक होती है, वहाँ की जाती है। सहकारी विभाग के प्रशासनिक ढांचे में जिला अधिकारी का स्थान प्रमुख है। इन अधिकारियों का प्राथमिक उतरदायित्व सहकारी कार्यक्रमों का संगठन तथा प्रवर्तन करने तथा उपनियमों के अनुसार सदस्यों द्वारा अपना कर्तव्य पालन किये जाने के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का है। सहकारी विभाग के गैर राजपत्रित कैडर से सहकारी विस्तार अधिकारी नियुक्त किये गये है।

सामान्य प्रशासन के लिये नियुक्त किये गये कर्मचारियों के अतिरिक्त, सहकारी कार्यों में विविधता बढ़ने से रजिस्ट्रार को विपणन, बन्धक बैंक, विधायन, चीनी मीलों, औद्योगिक सहकारिता आदि के सम्बन्ध में तकनीकी परामर्श प्रदान करने के लिए कार्यकुशल विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की गयी है। कई राज्यों के अतिरिक्त संयुक्त रजिस्ट्रारों को रजिस्ट्रार की समस्त वैधानिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां दी गयी है। ये शक्तियां क्षेत्रीय तथा जिला स्तरों पर परिवर्तित मात्रा में क्षेत्रीय तथा जिला अधिकारियों को भी विभागीय प्रशासन के लिए सौंपी गयी है। सहकारी प्रशासन समिति ने यह सिफारिश की है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण शक्तियों, विशेषकर उच्च-स्तरीय संस्थाओं के संबध में रजिस्ट्रार के हाथों में ही केद्रिंत होनी चाहिए।

पंचायती राज की स्थापना होने से समस्त विकास कार्यक्रमों का, जिनमें ग्राम स्तर पर सहकारिता के प्रवर्तन का कार्यक्रम भी सम्मिलित है, उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंप दिया गया है। कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाएं तो केवल अपने क्षेत्र में समितियों के प्रवर्तन कार्यक्रम तथा वहा स्थित समितियों के सामान्य पर्यवेक्षण संबंधी कार्यों का भार ही संभालती है परन्तु गुजरात, तमिलनाडू तथा महाराष्ट्र राज्यों में रजिस्ट्रार की वैधानिक शक्तियां भी पंचायती राज संगठनों को सौंप दी गयी है।

यह भी पाया गया है कि जिला अधिकारियों को राजनीतिज्ञों के दबाव में काम करना पड़ता है जिससे न केवल सहकारी समितियाँ बल्कि सहकारी विभाग भी राजनीतिज्ञों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में चतुर तथा बुद्धिमान अधिकारी प्राय: उन समितियों का निरीक्षण ही नहीं करते जिनमें राजनीतिक नेताओं तथा उनके सहयोगियों की रूचि स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ती है और न ही वे ऐसी समितियों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं।

24.6 राज्य संरक्षण एवं सहकारिता आंदोलन (State Protection and Co-operative Movement)

सहकारी आन्दोलन के प्रति राज्य का क्या रूख होना चाहिए यह प्रश्न इस देश में काफी चर्चा का विषय रहा है। सरकारी सहकारों का यह मत हे कि राज्य सहायता के बिना सहकारी आन्दोलन का वर्तमान स्तर पर पहुंचना असम्भव है और

आज यदि राज्य संरक्षण हटा लिया जाय तो यह आन्दोलन अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकेगा। दूसरी तरफ गैर सरकारी सहकारों का यह कहना है कि देश में सहकारी आन्दोलन की विफलता का एक कारण कठोर नियन्त्रण है। इस संबंध में इस तथ्य पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है कि भारत में वस्तुत: सहकारी आन्दोलन की असफलताओं तथा उसके अपर्याप्त विकास का मुख्य कारण सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण रहा है या कुछ अन्य कारणों से हुआ है।

सहकारी नियोजन समिति ने इस आन्दोलन की विफलता का एक कारण राज्य की मुक्त व्यापार नीति को भी माना है। जहां तक इस आन्दोलन का राज्य द्वारा संचालन किये जाने का प्रश्न है, यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि राज्य तथा सरकारी अधिकारियों ने इस आन्दोलन के संचालक का भार उस समय अपने ऊपर लिया था जब उसमें स्व प्रेरणा का अभाव था तथा वह स्वयं अपना विकास करने में असमर्थ था।

गैर सरकारी सहकारों के साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि वे सरकारी सहायता में तो उदारता की मांग करते है, परन्तु उसके साथ यह भी चाहते हैं कि इस कारण सरकार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समिति के मामलों में हस्तक्षेप न करें। वित्तीय सहायता के साथ थोडा बहुत नियन्त्रण होना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि जहाँ भी सरकारी वित्त की सुविधा प्रदान की जायेगी, वहाँ उस धन के उचित प्रयोग पर चौकसी रखने के लिए सरकारी नियंत्रण का होना स्वाभाविक है। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि लोगों में सरकार का विश्वास कम है, बल्कि इसलिए आवश्यक है सामान्य करदाता यह देखे कि समितियां वित्तीय सहायता का सदुपयोग कर रही हैं तथा उचित ढंग से कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है।

अत: यह नितांत आवश्यक है कि सरकारी नियंत्रण के प्रति जो दुर्भावना है उसे दूर किया जाये यदि सरकार सहकारिता की मूल भावना के प्रति सच्चे हैं तो उन्हें वर्तमान व्यवस्था को पहले से अधिक सही ढंग से निभाना होगा। सरकारी आन्दोलन की बुराइयों का हल राजकीय विनियन्त्रण में नहीं, जिसका सुझाव कुछ गैर सरकारी सहकारों ने दिया हैं, बल्कि एक ओर नियमों तथा कार्यविधियों को सरल बनाने, लालफीताशाही तथा ढिलाई को दूर करने में तथा दूसरी ओर अनुचित व्यवहारों और नीहित स्वार्थों को दूर करने में है।

24.7 राज्य सहायता का औचित्य (Rationale of State Aid)

भारत जैसे देश में जहां अधिकांश लोग निर्धन है, सहकारी संगठन ऐसे व्यक्तियों का होना चाहिए जो सीमित साधनों के कारण उस समय तक स्वयं अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें न्यूनतम मात्रा में आवश्यक साधन उपलब्ध न करा दिये जायें। इसी कारण से राज्य ने सहकारी समितियों से साझेदारी की थी तथा ऋण एवं उत्पादन के रूप में सहायता देना आरम्भ किया था। यह आशा की गयी थी कि इस सहायता से सहकारी संगठन अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सुदृढ एवं राज्य सहायता मनोवांछित फल प्रदान करने में असमर्थ रही है। इसके विपरीत, सहकारी आन्दोलन की राज्य द्वारा प्रदान की गई सहायता से इस आन्दोलन में अनेक अस्वस्थ प्रवृतियां उत्पन्न हो गयी है। कर जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है और उन संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों का हवाला दिया है जो कर की चोरी करने के उद्देश्य से सहकारी संस्थाओं का नाटक करती है।

इस सम्बन्ध में यह कहना उचित नहीं होगा कि बहुत बड़े पैमाने पर दी गयी राज्य सहायता ने सहकारी आन्दोलन में निहित आत्म विश्वास की भावना को समाप्त कर दिया है तथा उसके मूलभूत लक्षण को नष्ट कर दिया है। परन्तु इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उचित ढंग तथा बुद्धिमानी से राज्य सहायता के कार्यक्रमों का संचालन करने पर सहकारिताओं को नव स्फूर्ति एवं शक्ति प्राप्त हो सकती है।

राज्य सहायता का औचित्य सिद्ध करने के लिए इसके पक्ष तथा विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जा सकते है:

राज्य सहायता के पक्ष में तर्क (Arguments favour of State Help)

राज्य आन्दोलन में सरकारी सहायता के पक्ष में निम्न तर्क दिये जाते हैं-

(i) **वैधानिक मान्यता (Legal Support):** किसी व्यावसायिक अथवा आर्थिक संगठन को चलाने के लिए एक अधिनियम की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार अधिनियम की व्यवस्था करती है जिसमे यह आन्दोलन उत्तरोत्तर प्रगति कर सकता है।

(ii) **जन-सहयोग (Public Co-operation) :** यह निश्चित है कि जन-सहयोग एवं समर्थन के बिना कोई भी आन्दोलन दीर्घकाल तक जीवित नहीं रह सकता। अतः जन समुदाय से सहयोग प्राप्त करने के लिए सरकार शिक्षा तथा प्रचार की व्यवस्था करती है।

(iii) **उचित मार्गदर्शन (Proper Guidance) :** नियोजित विकास कार्यक्रमों एवं विकास परियोजना के बावजूद भी सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सहकारी संस्थाओं को व्यापक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उन पर वांछित नियन्त्रण रखा जा सके और धन का दुरुपयोग न हो।

(iv) **अनार्थिक समितियाँ (Uneconomic Societies)** : देश में कुछ सहकारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकारी सहयोग के बिना पनप नहीं सकती हैं। उन्हें पर्याप्त सरकारी संरक्षण मिलना आवश्यक है जैसे सहकारी विपणन समितियाँ, सहकारी खेती आदि। इसी प्रकार कुछ दुर्बल समितियों को रक्षा एवं उन्नति में सहयोग मिलना आवश्यक है अन्यथा वे समितियाँ बन्द हो जायेंगी।

(v) **विशेषज्ञों की नियुक्ति (Appointment of Specialists) :** सहकारी संस्थाएँ विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त नहीं कर सकती हैं। विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से सरकार समितियों में अंकेक्षक-पर्यवेक्षक एवं निरीक्षकों को नियुक्ति करती है।

(vi) **नैतिक समर्थन (Moral Support):** सरकारी आन्दोलन से नैतिक समर्थन मिलता है तथा आन्दोलन में लगे लोग हतोत्साहित नहीं होते हैं। इससे सहकारिता के विकास की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं।

(vii) **प्रशिक्षण (Training) :** सहकारी समितियों में काम करने वाले प्रवन्धकों, कर्मचारियों तथा श्रमिकों के लिए उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था सहकारी आन्दोलन स्वयं नहीं कर पाता है। सरकार इसकी व्यवस्था करती है, जिससे सहकारी समितियों की कार्य कुशलता में वृद्धि होती है।

(viii) **स्व:प्रेरणा का अभाव (Lack of Initiation) :** भारत जैसे देश में अधिकांश जनता अशिक्षित, अज्ञानी एवं रूढ़िवादी है। ऐसे व्यक्तियों से संगठित होकर किसी प्रकार के आन्दोलन चलाये जाने की आशा नहीं की जा सकती है। अतः सरकार को सहकारी संस्थाओं को चलाने की पहल करनी पड़ती है।

राज्य सहायता के विपक्ष में तर्क (Arguments Against State Help):

सहकारी आन्दोलन में सरकारी सहायता के विपक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं:

(i) **ऐच्छिक स्वरूप की समाप्ति (End of Voluntary Form):** सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। इसमें किसी भी व्यक्ति के सदस्य बनने अथवा सदस्यता छोड़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। लेकिन ऐच्छिकता एवं सरकारी नियंत्रण दोनों विरोधी तत्त्व है। अतः इनकी एक साथ उपस्थिति सम्भव नहीं होगी। यदि सरकारी हस्तक्षेप रहेगा तो सहकारिता का ऐच्छिक स्वरूप समाप्त हो जायेगा।

(ii) **प्रभावी नियन्त्रण (Non-Effective Control):** व्यावहारिक दृष्टिकोण से राज्य सरकार के लिए राज्य के कोने-कोने में फैली विविध प्रकार की सहकारी समितियों पर प्रभावपूर्ण नियन्त्रण करना सम्भव नहीं होता। अतः सहकारिता के क्षेत्र में वृद्धि हो गई है, इसलिए यह और भी कठिन कार्य हो गया है।

(iii) **सरकार पर आश्रित (Dependence on Government):** यह सही है कि सरकारी सहायता के बिना सहकारी आन्दोलन का विकास नहीं हो पाता लेकिन यह सत्य है कि अत्यधिक सरकारी सहयोग ने इसे परावलम्बी बना दिया है। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार अगर वित्तीय सहायता बन्द कर दे तो यह आन्दोलन एक कदम भी नहीं चल सकेगा।

(iv) **लालफीताशाही (Red Tapisom):** सहकारी कामकाज लालफीताशाही का शिकार होता है। अनेक कार्य जो राज्य सहायता पर निर्भर होते हैं उनमें विलम्ब हो जाता है। इस अनावश्यक विलम्ब से समितियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। समितियों के अधिकारी एवं कर्मचारी सदस्यों की सेवा की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, जिससे सदस्यों में असन्तोष की भावना बढ़ी है

(v) **सरकारी हस्तक्षेप (Government Interference) :** राज्य की साझेदारी के कारण समितियों की प्रबन्ध कारिणी समिति में सरकारी अधिकारी भी मनोनीत किये जाते हैं। ये अधिकारी इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनकी सहमति के बिना कोई भी निर्णय नहीं हो पाता है। इसलिए अधिकांश निर्णय सरकारी अधिकारी अपने पक्ष में करवा लेते हैं जो केवल उनके ही स्वार्थों की सिद्धि करते हैं।

(vi) **भ्रष्टाचार (Corruption):** सहकारी समितियों में प्रभावशाली व्यक्ति सरकारी अधिकारियों से सांठ-गांठ कर साधनों का दुरूपयोग करते हैं। इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। अनेक ऐसी समितियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनकी स्थापना नाम मात्र की है व सदस्य अवास्तविक हैं। सहकारी समितियों में राजनीति इस प्रकार घुस गई है कि सत्ताधारी पार्टी समितियों का संचालन अपने हित में करती है।

(vii) **सहकारी भावना का अभाव (Lack of Cooperative Spirit) :** सरकारी सहायता से सहकारी आन्दोलन में राज्य का हस्तक्षेप बढ़ गया है। जनता में सहकारिता के प्रति भावना ही समाप्त होने लगी है। सहकारी आन्दोलन को सरकारी आन्दोलन समझा जाने लगा है। यह विचारधारा इस आन्दोलन के लिए घातक है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में सहकारी आन्दोलन को एक सजीव गत्यात्मक शक्ति एवं जनप्रिय आन्दोलन बनाने के लिये अलग से ढाँचा होना चाहिये तथा सरकारी नियन्त्रण से अलग होना चाहिये। हालांकि आन्दोलन के आरम्भिक चरणों में सरकारी सहयोग उचित हो सकता है परन्तु दीर्घकालीन अवधि की दृष्टि से इसे उचित नहीं कहा जा सकता। भारतीय सहकारी आन्दोलन में सरकारी सहयोग की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसके लिये सरकार को इन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता एवं आवश्यक निर्देश देना चाहिये । सहकारी समितियों के प्रबंध एवं संचालन में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये।

24.8 सारांश (Summary)

भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बाद जब सर्वत्र निर्धनता का साम्राज्य था, लोग अशिक्षा के अंधकार में डूबे हुए थे तो ऐसे समाज को पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था के दोषों तथा पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराने का एकमात्र मार्ग सहकारिता का विकास था। सरकार द्वारा समय समय पर सहकारिता के आन्दोलन को सफल बनाने के लिए प्रयास किये गए। समय समय पर अनेक समितियों तथा विशेषज्ञों द्वारा भी कृषकों की आर्थिक दशा सुधारने तथा उनकी साख सम्बन्धी

आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकारी संरक्षण के अन्तर्गत ही सहकारी आन्दोलन के विकास पर बल दिया जाता रहा है।

प्रत्येक राज्य में अलग से सहकारी विभागों के संगठन एवं संचालन पर किये गये व्यय का भार सरकार पर ही पड़ता है। राज्य सरकारों पर यह उत्तरदायित्व डाला गया था कि वे इस बात को सुनिश्चित करें कि सहकारी संस्थाएं उन क्षेत्रों में अथवा समाज के उन वर्गों के हित के लिए संगठित की जाये जो इनकी आवश्यकताअें तथा महत्व को समझते हों तथा राज्य सरकारें इस बात पर भी ध्यान दें कि ये संस्थाएं संगठित होने के बाद आर्थिक इकाइयों के रूप में काम करें। सहकारी विभागों के प्रशासनिक ढांचे को स्पष्ट बनाने के लिए प्रत्येक राज्य में रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गयी। रजिस्ट्रार को निरीक्षण व जांच आदि कार्य सौंपे गए। अत: बड़े पैमाने पर सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए राज्य द्वारा सहायता प्रदान की गई। राज्य की सहायता से सहकारी आन्दोलन विकृति और प्रतिबल की अवधि से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त कर सकता है। परन्तु साथ ही साथ यह आशंका कि बड़े पैमाने पर दान संदिग्ध सहकारिताओं को जन्म दे सकता है, निराधार नहीं है।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि भारत में सहकारी आन्दोलन सरकार की प्रेरणा से ही प्रारम्भ हुआ है। सन् 1904 में सहकारी समितियों से सम्बंधित अधिनियम से पारित हो जाने के बाद से ही सहकारी आन्दोलन को सरकार का नैतिक और वित्तीय समर्थन प्राप्त होता रहा है। सहकारिता आन्दोलन को राज्य सहायता कई रूपों से प्राप्त हुई है। नैतिक समर्थन प्राप्त होने के अलावा उसे वित्तीय तथा वैधानिक सहायता भी मिली है, जो इस प्रकार है :-

(1) सहकारी संस्थाओं के संगठन तथा उनकी कार्य-प्रणाली के लिए विशेष सहकारी विधान की रचना।

(2) समय समय पर विशेषज्ञ समितियों की नियुक्ति।

(3) ऋण सहायक अनुदान, उपदान के रूप में वित्तीय सहायता।

(4) सहकारी गारण्टी तथा सरकारी संस्थाओं की अंश पूंजी में योगदान के रूप में दी गयी वित्तीय सहायता।

(5) विभिन्न सहकारी संस्थाओं को, जो स्वयं प्रबंधक तथा विशेषज्ञ नियुक्त करने में असमर्थ थी, प्रबंधक सहायता।

(6) विशेष रियायतें तथा विशेषाधिकार, जैसे- आयकर, स्टाम्प कर, पंजीयन शुल्क से मुक्ति, नि:शुल्क प्रेरणा सुविधाएं आदि

(7) ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा नियोजित आर्थिक विकास में सहकरी आन्दोलन का सरकार द्वारा नैतिक समर्थन।

24.9 अधिगम परिणाम (Learning Outcome)

इस इकाई के अंत तक विद्यार्थियों को राज्य और सहकारिता के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी कि कैसे ब्रिटिश शासनकाल के समय भारत में सर्वत्र अज्ञानता, निर्धनता फैली हुई थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोषों तथा पूंजीपतियों के शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर सहकारिता के आन्दोलन को सफल बनाने का प्रयास किया गया। सहकारिता के विकास के लिए राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे – सहकारिता के विकास के लिए क़ानूनी व्यवस्था, तकनीकी, शिक्षा सम्बन्धी सहायता, सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, वित्तीय सहायता, सहकारी विभाग की स्थापना, समितियों की नियुक्ति आदि पर बल दिया गया।

प्रस्तुत इकाई में सहकारी विभागों के प्रशासनिक ढांचे में रजिस्ट्रार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। रजिस्ट्रार तथा सहकारी विभाग के कार्यों को दो भागों में बांटा गया है - (1) वैधानिक कार्य (2) विकास तथा प्रवर्तक कार्य।

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि सहकारिता आन्दोलन को राज्य सहायता कई रूपों में प्राप्त हुई है, जैसे - समय-समय पर विशेषज्ञों की नियुक्ति, सहकारी गारंटी तथा सरकारी संस्थाओं की अंश पूंजी में योगदान के रूप में दी गई वित्तीय सहायता, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा नियोजित आर्थिक विकास में सहकारी आन्दोलन का सरकार द्वारा नैतिक समर्थन आदि।

24.10 शब्दकोष (Glossary)

- **Co-operative Societies Act - (सहकारी समितियों से संबधित अधिनियम) :** सर्वप्रथम 1904 में सरकार ने यह अधिनियम पारित कर सहकारी आन्दोलन को अपना नैतिक व वित्तीय समर्थन दिया था।
- **Grants & Subsidies (अनुदान और उपदान)** - समितियों को प्रबंधकीय व्ययों की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा अनुदान व सहायता दी जाती है।
- **National Co-operative Development Corporation (NCDC) – (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम):** केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की सहायता इस निगम के माध्यम से की जाती है।
- **All India Rural Credit Survey Committee - (अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति):** 1954 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि सरकारें सहकारी आंदोलन का बाहर से ही समर्थन न करें बल्कि विभिन्न स्तरों पर भागीदार भी बनें।
- **Co-operative Planning Committee - (सहकारी योजना समिति):**1946 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सहकारी आन्दोलन जनता का और जनता के लिये है और इसका संचालन भी जनता द्वारा होना चाहिये।
- **Committee on Co-operative Administration- (सहकारी प्रशासन पर समिति):** इस समिति का रजिस्ट्रार के बारे में कहना था कि वह सहकारी आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा माध्यम है।

24.11 स्व-परख प्रश्न (Self Test Questions)

1. राज्य एवं सहकारिता पर एक विस्तृत लेख लिखिए।
   Write a detailed Essay on State and Co-operation.
2. "सहकारिता के लिए राज्य सहयोग आवश्यक है" इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार व्यक्त कीजिए।
   "State Assistance Essential for Co-operation" State your views in favour and against of this statement.
3. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के वैधानिक विकासमूलक तथा प्रवर्तककार्यों का वर्णन कीजिए।
   Explain the Statutory, Developmental and Promotional functions of Registrar of the Co-operative Societies.

24.12 संदर्भ एवं ग्रंथसूची (References and Bibliography)

- अग्रवाल, माथुर, गुप्ता : 'सहकारी चिंतन एवं ग्रामीण विकास', रमेश बुक डिपो, जयपुर
- Swami, Gupta : 'Rural Development and Co-operation' Ramesh Book Depot. Jaipur
- बी.पी. गुप्ता : 'सहकारिता के सिद्धांत एवं व्यवहार', रमेश बुक डिपो, जयपुर
- Patel, A.R. Khankhoje,D.P. : 'Rural Economics,' Sultan Chand, New Delhi.
- Choudhary, C.M. : 'Rural Development and Co-operation,' Shivam Book House, Jaipur.

24.13 अन्य पठन सामगी (Other Reading Material)

- Report of the Committee on Cooperative Administration.
- Report of the Co-operative Planning Committee.
- Reviews of the Co-operative Movement in India, RBI
- G.M. Land, 'Co-operative Banking in India'.

24.14 वेब संसाधन/लिंक (Web Resources / Links)

- https://mscs.dac.gov.in
- https://cambridge.org
- https://www.economicsdiscurssion.net....
- https://www.tn.gov.in
- https://sarthaks.com